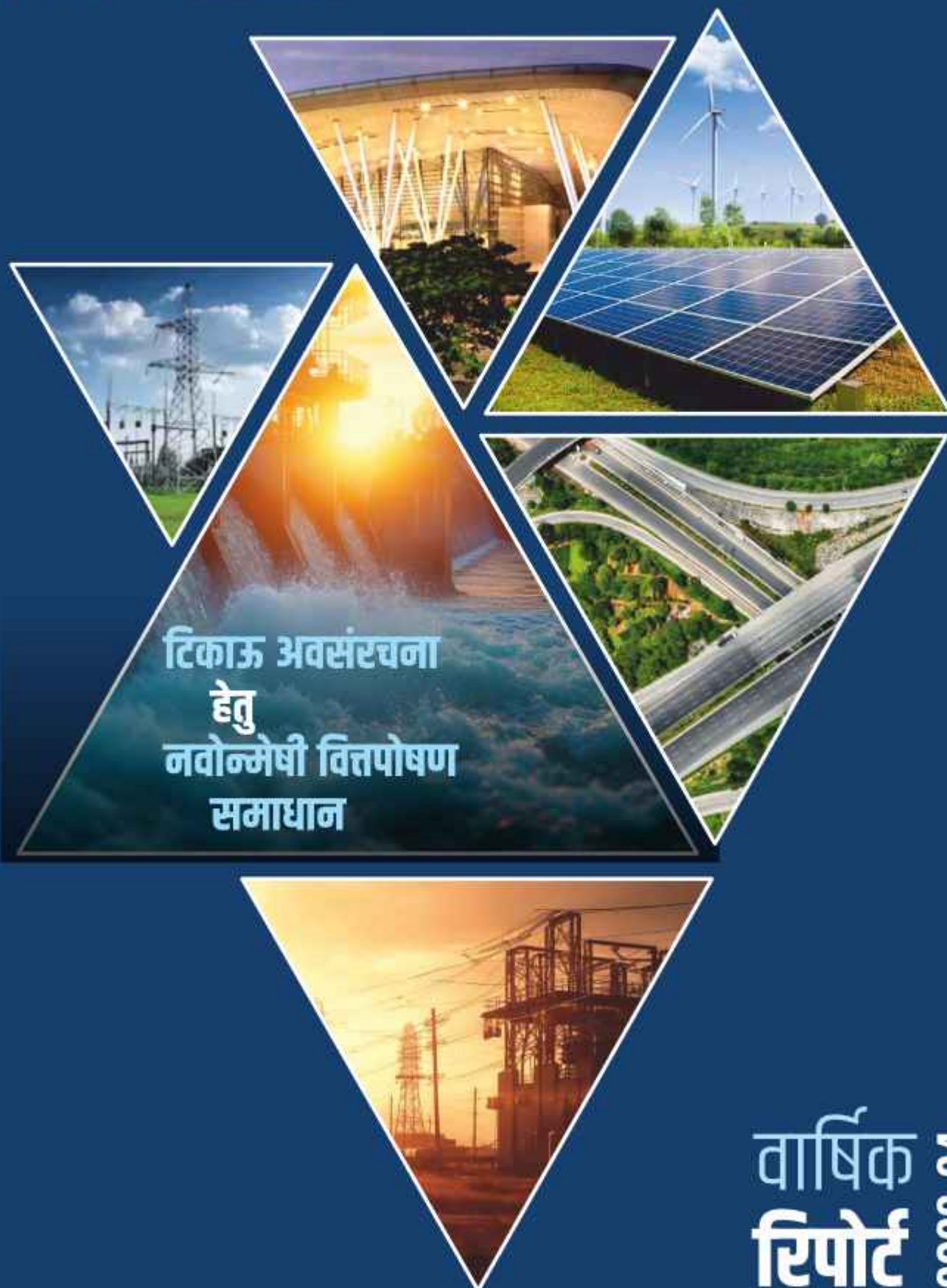




इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)



**वार्षिक
रिपोर्ट 2023-24**



इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
(भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाला उद्यम)

(आईएसओ: 9001 : 2015)

पंजीकृत कार्यालय: 5वीं मंजिल, ब्लॉक 2, प्लेट ए एवं बी, एनबीसीसी टॉवर, ईस्ट किडवई नगर, नई दिल्ली-110023

फोन: +91-11-24662777, फैक्स: +91-11-20815116/7

वेबसाइट: www.iifcl.in

सीआईएन: U67190DL2006GOI144520

वार्षिक रिपोर्ट 2023-24

विजन

“भारत में विश्वस्तरीय अवसंरचना के संवर्धन व विकास के लिए नवोन्मेषी वित्तपोषण के साधन उपलब्ध कराना”

मिशन

“अवसंरचना क्षेत्र के वित्त पोषण में सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाना एवं अवसंरचना क्षेत्र के विकास को सुविधापरक बनाते हुए मूल क्षमताओं का विकास करना। व्यावसायिक तरीके में सेवाएं प्रदान करने एवं सभी हितधारकों की संतुष्टि के लिए अत्यंत समर्पित कर्मचारीगणों की टीम तैयार करना।”

पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियां

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड

एफसीआरएन: 06496661

तीसरी मंजिल, 72 किंग विलियम स्ट्रीट

लंदन EC4N 7HR यूनाइटेड किंगडम

फोन: सामान्य: +44-20-7776 8950

ईमेल: info@iifc.org.uk

वेबसाइट: www.iifc.org.uk

आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट लिमिटेड

सीआईएन: U74999DL2012GOI231473

पंजीकृत कार्यालय: 5वीं मंजिल, ब्लॉक 2, प्लेट ए, एनबीसीसी टॉवर,

ईस्ट किडवई नगर, नई दिल्ली-110 023

फोन: +91-11-2465573

ईमेल: contact@iifclprojects.com

वेबसाइट: www.iifclprojects.com

आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

सीआईएन: U65991DL2012GOI233601

पंजीकृत कार्यालय: 5वीं मंजिल, ब्लॉक 2, प्लेट ए, एनबीसीसी टॉवर,

ईस्ट किडवई नगर, नई दिल्ली-110 023

फोन: +91-11-24665900-10

ईमेल: complianceofficer@iifclmf.com

वेबसाइट: www.iifclmf.com

आईआईएफसीएल का सफर : स्थापना के बाद से अब तक की प्रगति

टेकआउट वित्तपोषण योजना

2006

आईआईएफसीएल
की स्थापना

2008

आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड
की स्थापना

2010

2012

आईएमसीएल और आईपीएल
की स्थापना



मुख्य ऋणदाता -
आईआईएफसीएल का
प्रथमतः क्रेडिट संहित बंध-पत्र

प्रमुख ऋणदाता

1 लाख करोड़ रुपए
से अधिक की संचयी संस्वीकृति

2015

2017

2013

2021
-
2024

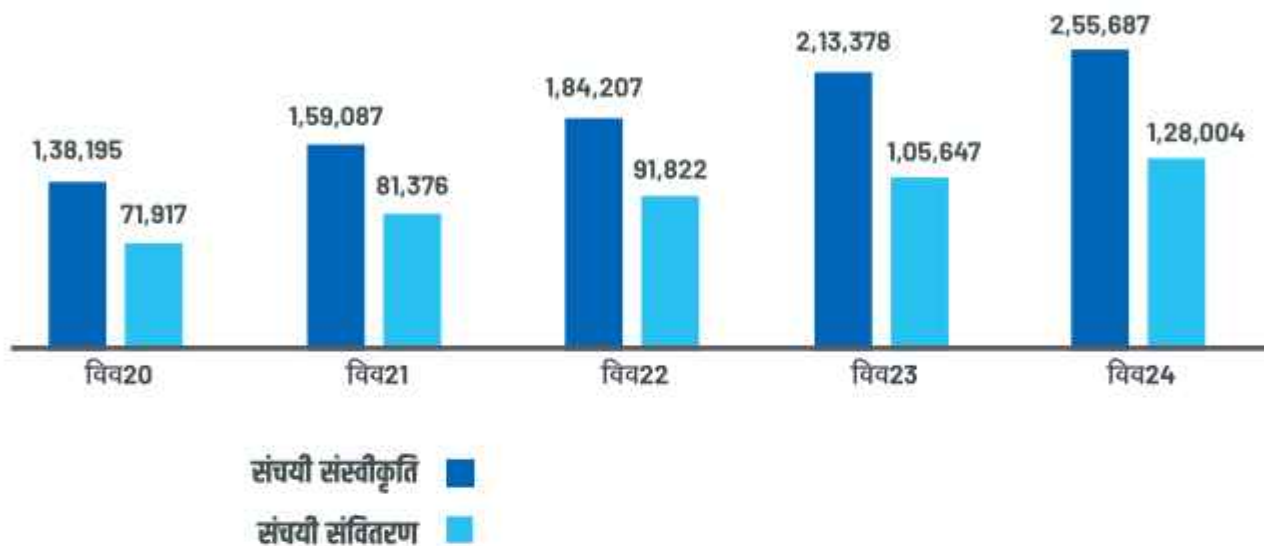
आरबीआई में
एनबीएफसी - आईएफसी
के रूप में पंजीकृत

- 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की संचयी संस्वीकृति
- 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का संचयी संवितरण
- निवल एनपीए 1 प्रतिशत से कम अब तक का सर्वाधिक लाभ प्रदता
- नये उत्पाद - बंध-पत्र एवं इनविट

स्टैंडअलोन व्यवसाय निष्पादन

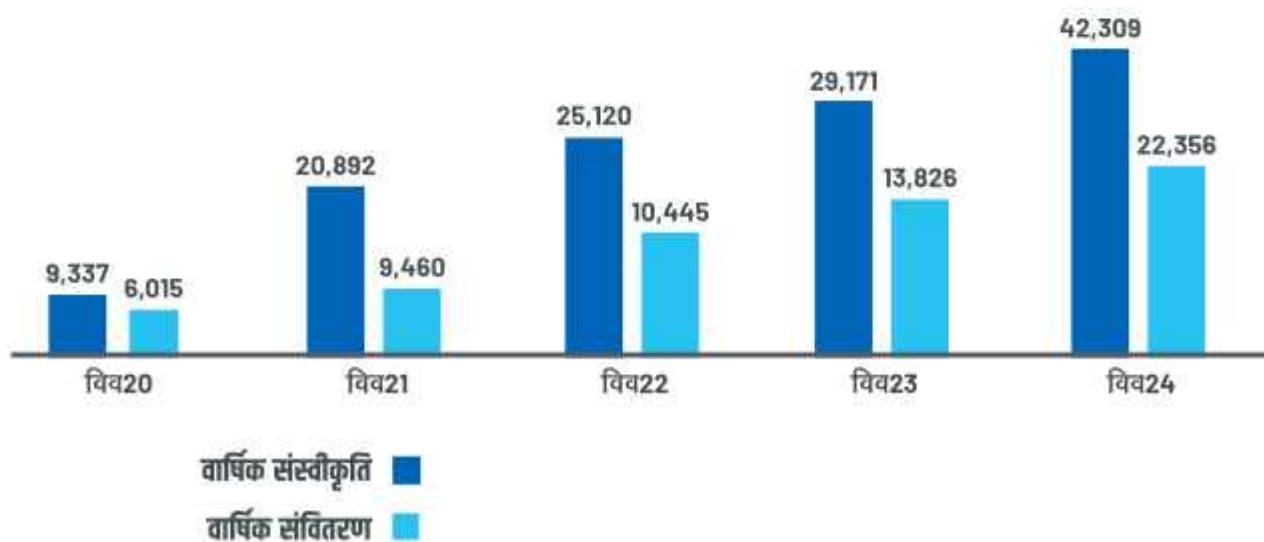
संचयी संस्वीकृति और संवितरण

राशि करोड़ रुपए में



वार्षिक संस्वीकृति और संवितरण

राशि करोड़ रुपए में

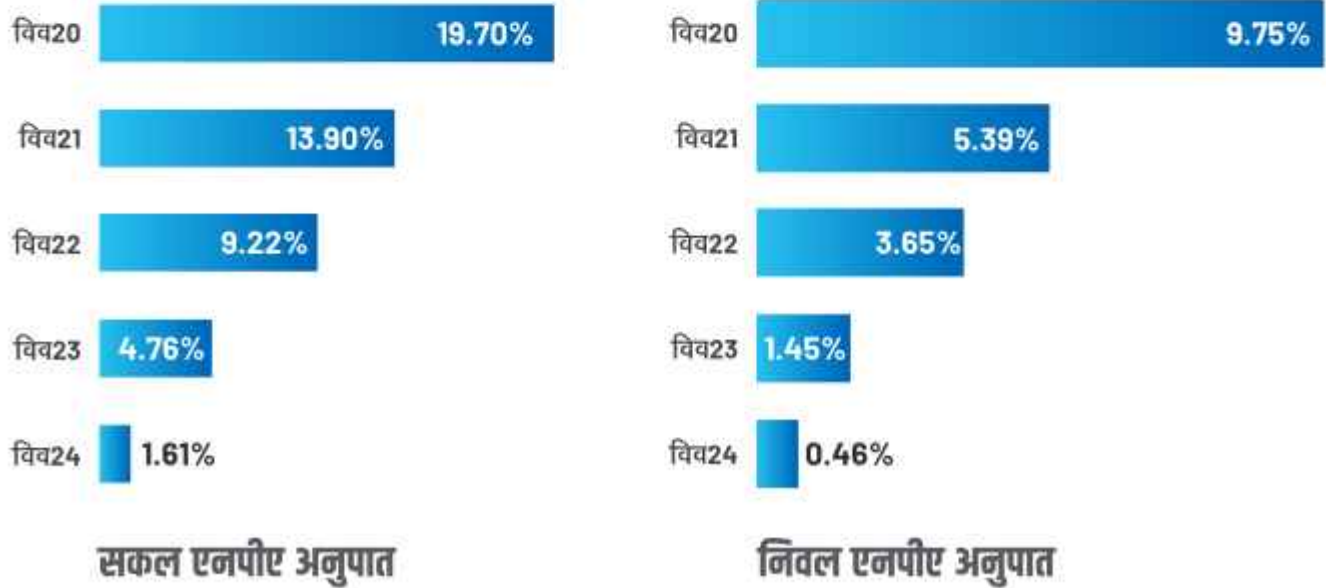


लाभप्रदता

राशि करोड़ रुपए में



गैर-निष्पादक आस्तियां



आस्ति पोर्टफोलियो

राशि करोड़ रुपए में

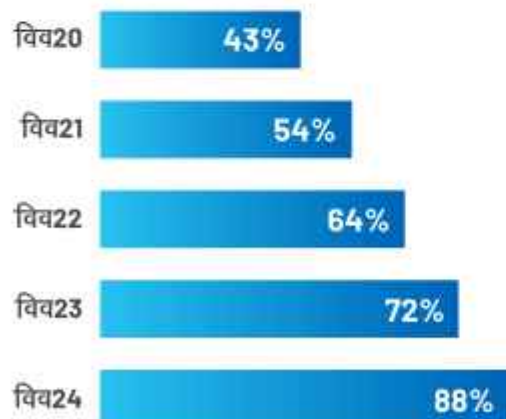


कुल आस्तियां

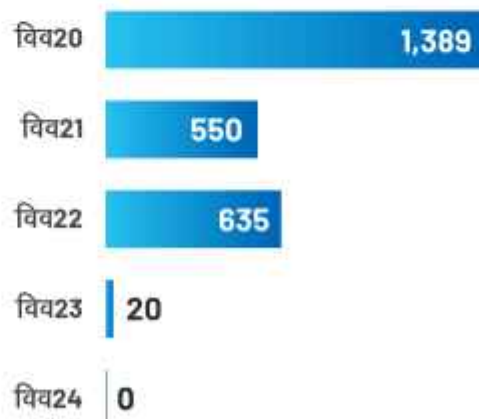


ऋण बही

राशि करोड़ रुपए में



आस्ति गुणवत्ता
(एएए, एए, ए)



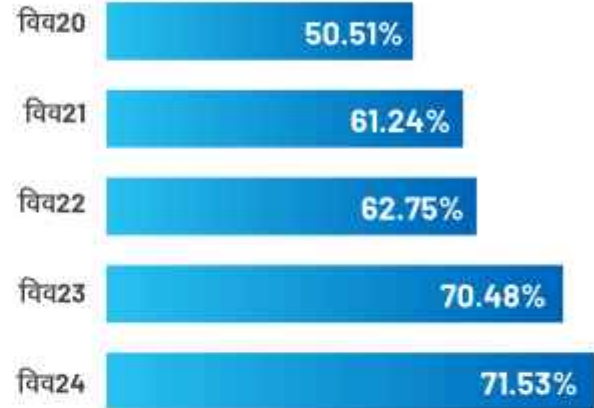
कोई नया एनपीए नहीं

पूंजी प्रोफाइल

राशि करोड़ रुपए में



निवल मूल्य



प्रावधान कवरेज अनुपात

राशि करोड़ रुपए में



सीआरएआर



कर्ज - इक्विटी अनुपात

आईआईएफसीएल की भूमिका और प्रभाव



अब तक, आईआईएफसीएल ने

13.79 लाख करोड़ रुपए

के कुल परियोजना परिव्यय से

760 से अधिक परियोजनाएं

संस्वीकृत की हैं

ऊर्जा

संस्वीकृति - 79,868 करोड़ रुपए

संवितरण - 38,836 करोड़ रुपए



नवीकरणीय ऊर्जा

संस्वीकृति - 27,962 करोड़ रुपए

संवितरण - 11,607 करोड़ रुपए



सड़क

संस्वीकृति - 80,948 करोड़ रुपए

संवितरण - 41,635 करोड़ रुपए

बंदरगाह

संस्वीकृति - 8,744 करोड़ रुपए

संवितरण - 3,433 करोड़ रुपए



शहरी अवसंरचना

संस्वीकृति - 5,323 करोड़ रुपए

संवितरण - 999 करोड़ रुपए

हवाई अड्डे

संस्वीकृति - 9,638 करोड़ रुपए

संवितरण - 4,891 करोड़ रुपए



इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के शेयरधारकों की 19वीं वार्षिक आम बैठक

दिनांक: 27 सितंबर, 2024

समय: सुबह 11:30 बजे

स्थान: कॉन्फ्रेंस हॉल, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार,
जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

पंजीकृत कार्यालय

5वीं मंजिल, ब्लॉक 2, प्लेट ए और बी, एनबीसीसी टॉवर,

ईस्ट किडवई नगर, नई दिल्ली-110023

फोन: +91-11-24662777

वेबसाइट: www.iifcl.in

सीआईएन: U67190DL2006GOI144520

बैंकर्स

आईडीबीआई बैंक

भारतीय स्टेट बैंक

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

आईडीएफसी बैंक

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

इंडियन ओवरसीज बैंक

एक्सिस बैंक

इंडसइंड बैंक

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक

आईसीआईसीआई बैंक

ट्रस्टी

विस्ट्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड

(पूर्व में आईएल एण्ड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड के
नाम से जाना जाता था)

आईएल एण्ड एफएस फाइनेंशियल सेंटर, प्लॉट सी-22,

जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051

फोन: +91-22-26593215

ईमेल: vivek.choudhary@ilfsindia.com

वेबसाइट: www.vistra.com

बीकन ट्रस्टीशिप लिमिटेड

4सी एण्ड डी सिद्धिविनायक चैंबर्स,

गांधी नगर, एमआईजी क्रिकेट क्लब के सामने,

बांद्रा ईस्ट (पूर्व), मुंबई - 400051

दूरभाष: +91-22-26558759

ईमेल: compliance@beacontrustee.co.in

वेबसाइट: www.beacontrustee.co.in

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विस लिमिटेड

एशियन बिल्डिंग, भूतल, 17आर,

कमानी मार्ग बैलार्ड एस्टेट, मुंबई-400001

दूरभाष +91-22-40807000

ईमेल: deepakkumar@idbitrustee.com

वेबसाइट: www.idbitrustee.com

कैटेलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड

जीडीए हाउस, प्रथम तल, प्लॉट नंबर 85, एस्. नंबर 94 और 95,

भुसारी कॉलोनी (दाएं) कोथरुड, पुणे-411038

दूरभाष: 022-43029101, ईमेल: dt@ctltrustee.com

वेबसाइट: www.catalysttrustee.com

सांविधिक लेखा परीक्षक

मेसर्स अग्रवाल और सक्सेना, सनदी लेखाकार

डी-111, पंचशील एन्क्लेव, नई दिल्ली-110017

दूरभाष: +91-9958274404; ईमेल: mail@agasax.com

विषय - सूची

वार्षिक आम बैठक की सूचना	21
बोर्ड की रिपोर्ट	27
वित्तीय विवरण पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	66
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	93
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण	94
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आईआईएफसीएल के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	178
समेकित वित्तीय विवरण पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	179
समेकित वित्तीय विवरण	182
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आईआईएफसीएल के समेकित वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	261



प्रिय शेयरधारकगण,

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) की 19वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए और वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी के निष्पादन और आने वाले वर्षों के लिए कंपनी की कारोबार योजना को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है।

जैसा कि हम सभी जानते हैं, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ रही है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि वित्त वर्ष 2022-23 के 7.0 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 7.6 प्रतिशत हो गई है, जिसे मजबूत निश्चित निवेश का समर्थन प्राप्त है। बुनियादी ढांचा क्षेत्र, किसी भी बढ़ती अर्थव्यवस्था की रीढ़ होने के नाते, सरकार का बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया और संवृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न नीतिगत निर्णय लिए। आईआईएफसीएल भी बुनियादी ढांचा क्षेत्र को दीर्घकालिक वित्तपोषण प्रदान करने में अपनी भूमिका निभा रहा है और सरकार के विकास एजेंडे का समर्थन करने के लिए पूरी तरह से समर्पित है।

मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे पिछले प्रक्षेप-वक्र और प्रवृत्ति को बनाए रखते हुए, वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक की सर्वाधिक संस्वीकृतियों, संवितरण, लाभ और परिसंपत्ति गुणवत्ता का एक और वर्ष था। वार्षिक संस्वीकृतियों के संदर्भ में, आईआईएफसीएल ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 42,309 करोड़ रुपए की अपनी अब तक की सबसे अधिक संस्वीकृति दर्ज की, जो 45 प्रतिशत की वार्षिक संवृद्धि को दर्शाता है और 62 प्रतिशत की वार्षिक संवृद्धि से 22,356 करोड़ रुपए का संवितरण किया। 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार संचयी संस्वीकृति और संवितरण क्रमशः 2,55,687 करोड़ रुपए और 1,28,004 करोड़ रुपए था। आईआईएफसीएल शायद इस तरह के विविध बुनियादी ढांचे वाले पोर्टफोलियो वाला एकमात्र बुनियादी ढांचा वित्त संस्थान है। मार्च, 2024 तक, आईआईएफसीएल ने 13.79 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कुल परियोजना के साथ लगभग 760 परियोजनाओं में प्रतिभागिता की है, जो देश के सभी प्रमुख क्षेत्रों को शामिल करते हुए 28 प्रतिशत से अधिक पीपीपी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इनमें से लगभग 45 प्रतिशत संस्वीकृति और संवितरण पिछले 4 वर्षों में किए गए थे। पिछले चार वर्षों में हमारे व्यवसाय में कई गुना वृद्धि वास्तव में संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसने एक बार फिर देश की बुनियादी ढांचे की वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने में संस्थान की क्षमता को प्रदर्शित किया है।

इसके अलावा, आईआईएफसीएल ने वित्त वर्ष 2023-24 में 2,029 करोड़ रुपए के कर पूर्व लाभ (पीबीटी) के साथ अपने अब तक के उच्चतम लाभ दर्ज किया है, जो वित्त वर्ष 2022-23 के 1,277 करोड़ रुपए से अधिक है और वित्त वर्ष 2023-24 में कर पश्चात लाभ (पीएटी) 1,552 करोड़ रुपए रहा है, जो वित्त वर्ष 2022-23 के

प्रबंध निदेशक की डेस्क से

1,076 करोड़ रुपए से अधिक है। यह कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 में दर्ज किए गए 51 करोड़ रुपए के पीएटी से 30 गुना अधिक है। निवल मूल्य में भी काफी वृद्धि हुई है और यह वित्त वर्ष 2019-20 के 10,306 करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार 14,266 रुपए हो गया है। आपकी कंपनी की परिसंपत्ति गुणवत्ता में पिछले तीन वर्षों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, सकल अनुपयोज्य आस्तियां और शुद्ध अनुपयोज्य आस्तित्व अनुपात मार्च 2023 के लगभग 4.76 प्रतिशत और 1.45 प्रतिशत से घटकर 31 मार्च 2024 तक क्रमशः 1.61 प्रतिशत और 0.46 प्रतिशत रह गया है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आईआईएफसीएल की 88 प्रतिशत ऋण परिसंपत्तियाँ उच्च गुणवत्ता वाली (एएए, एए और ए रेटेड) हैं, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में यह 43 प्रतिशत थी। हमने वित्त वर्ष 2023-24 में एनपीए खातों से लगभग 1,020 करोड़ रुपये की भारी वसूली देखी है। पिछले चार वर्षों में ही, आईआईएफसीएल ने 3,768 करोड़ रुपए (बढ़ते खाते में डाली गयी राशियों सहित) वसूल किए हैं, जो अब तक आईआईएफसीएल द्वारा की गई कुल वसूली का 73 प्रतिशत है।

व्यवसाय के सभी पहलुओं पर लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप, आपकी कंपनी की बदलाव की कहानी सभी क्षेत्रों में बेहतर आंकड़ों के साथ लिखी जा जारी है। व्यवसाय के लिए केंद्रित रणनीति योजना, जिसे पहली बार वित्त वर्ष 2021-22 में क्रियान्वित किया गया था, और जिसमें क्रेडिट, जोखिम, मानव संसाधन और अन्य विभागों में कंपनी की प्रमुख नीतियों को नया रूप देना शामिल था, कंपनी के उल्लेखनीय निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आपकी कंपनी एक मजबूत क्रमबद्धता और मजबूत आंतरिक प्रणालियों की सहायता से व्यवसाय में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ अपना निष्पादन जारी रखने के लिए अच्छी तरह से तैयार है।

अब, मैं सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा क्षेत्र का विहंगावलोकन प्रस्तुत करना चाहूंगा क्योंकि इनका आपकी कंपनी के प्रदर्शन और भविष्य की संभावनाओं पर असर पड़ता है।

आर्थिक विहंगावलोकन

भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भू-राजनीतिक तनाव और अस्थिर वैश्विक वित्तीय बाजारों से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करते हुए सुदृढ़ता दिखायी है। सतत मुद्रास्फीति रोधी मौद्रिक नीति रुख और अग्र - सक्रिय आपूर्ति प्रबंधन उपायों के संयोजन के परिणामस्वरूप हेडलाइन मुद्रास्फीति काफी हद तक सहनीय सीमा के भीतर रही। यह मई 2023 में 4.3 प्रतिशत के अंतर-वर्ष के निचले स्तर से बढ़कर जुलाई 2023 में 7.4 प्रतिशत के शिखर पर पहुंच गई। अक्टूबर 2023 में यह घटकर 4.9 प्रतिशत हो गई, लेकिन दिसंबर 2023 में 5.7 प्रतिशत तक मजबूत हुई और फिर मार्च 2024 में 4.9 प्रतिशत तक नरम हो गई, जो खाद्य कीमतों में अस्थिरता को दर्शाता है। मौद्रिक और ऋण की स्थिति मौद्रिक नीति रुख के अनुरूप विकसित हुई। राजकोषीय समेकन की प्रतिबद्धता के भीतर, पूंजी निवेश पर जोर दिया गया।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023-24 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसे 9.5 प्रतिशत की औद्योगिक वृद्धि की सहायता प्राप्त की गयी। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, निजी निवेश और सकल स्थायी पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) में क्रमशः 4.0 प्रतिशत और 9.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आपूर्ति के मोर्चे पर, सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में 6.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वित्त वर्ष

2023-24 की चौथी तिमाही में विनिर्माण में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई और सेवाओं में 7.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, जीवीए में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में क्रमशः 9.9 प्रतिशत और 7.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निर्माण क्षेत्र की गतिविधि ने वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में 8.7 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार के नेतृत्व में बुनियादी ढांचे के विकास को सहायता जारी रही और अन्य मेक-इन-इंडिया पहल सार्वजनिक निवेश में सहायता कर रही हैं।

वर्ष के दौरान बाह्य क्षेत्र की संधारणीयता के संकेतकों में सुधार हुआ, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल वैश्विक मैक्रो-वित्तीय झटकों से बचाया जा सका। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का कुल निर्यात (माल और सेवाएं संयुक्त) 776 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में 0.04 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है। वित्त वर्ष 2023-24 में कुल आयात 855 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में (-) 4.81 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्शाता है। कुल व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2022-23 के 121.62 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 35.77 प्रतिशत बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 78.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। इसके अलावा, चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2023-24 में 67 बिलियन अमेरिकी डॉलर (वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी का 2 प्रतिशत) से घटकर 23.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 0.7 प्रतिशत) रह गया। वित्त वर्ष 2022-23 में 5.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बहिर्वाह दर्ज करने के बाद वित्त वर्ष 2023-24 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) में 44.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का शुद्ध प्रवाह देखा गया। इस बीच, वित्त वर्ष 2023-24 में शुद्ध एफडीआई प्रवाह घटकर 9.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने मजबूत कारोबारी विस्तार के बीच पूंजी उपलब्धता, परिसंपत्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता में सतत सुधार दर्ज किया। सभी एससीबी के लिए बैंक ऋण में तेजी आई, जो वित्त वर्ष 2022-23 में लगभग 15 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 19.2 प्रतिशत हो गया। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की परिसंपत्ति गुणवत्ता में निरंतर सुधार दर्ज किया गया और उनका जीएनपीए अनुपात मार्च 2024 में 12 वर्ष के सबसे निचले स्तर 2.8 प्रतिशत और एनएनपीए 0.6 प्रतिशत पर आ गया। अपने साफ-सुथरे तुलन - पत्र, 76.4 प्रतिशत के अच्छे प्रावधान कवरेज और बेहतर सुदृढ़ता के साथ, एससीबी बढ़ती अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की परिसंपत्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और मार्च 2024 में सकल एनपीए 3.7 प्रतिशत और शुद्ध एनपीए 0.8 प्रतिशत रह गया है। चूंकि एनपीए के घटते स्टॉक के कारण अतिरिक्त प्रावधानों की आवश्यकता कम हो गई, इसलिए मार्च 2024 में एससीबी का कर उपरांत लाभ 32.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़ गया। साथ ही, सरकार पीएसबी को अच्छी तरह से पूंजीकृत रखने के लिए पर्याप्त बजटीय सहायता प्रदान कर रही है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनका पूंजी से जोखिम (भारत) परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) मार्च 2024 में 15.5 प्रतिशत के सीमा स्तर से ऊपर बना रहे।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वित्त में महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया है, नियमित अंतराल पर मुनाफा दर्ज किया जा रहा है और उनके एनपीए समाधान को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) द्वारा तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड कुल शुद्ध लाभ अर्जित किया।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने दूसरी छमाही में कुछ नरमी के बावजूद वित्त वर्ष 2023-24 में मजबूत ऋण वृद्धि बनाए रखी, जबकि परिसंपत्ति गुणवत्ता में निरंतर सुधार देखा गया। एनबीएफसी का कुल जीएनपीए अनुपात और एनएनपीए अनुपात क्रमशः 4 प्रतिशत और 1.1 प्रतिशत तक कम हो गया, जबकि प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) मार्च 2024 में बढ़कर 72.1 प्रतिशत हो गया। एनबीएफसी की पूंजी स्थिति मजबूत रही, मार्च 2024 में सीआरएआर 26.6 प्रतिशत रहा, जो 15 प्रतिशत की न्यूनतम आवश्यकता से काफी अधिक है।

अवसंरचना क्षेत्र की स्थिति

केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक रूप से अभूतपूर्व दर पर बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है, और बजट अनुमानों के अनुसार इसने समग्र सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजी निवेश को वित्त वर्ष 2015 में 5.6 लाख करोड़ रुपए से वित्त वर्ष 2024 में 18.6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया है। पिछले दस वर्षों में भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे का विस्तार वास्तविक, ठोस और परिवर्तनकारी रहा है। चाहे राजमार्गों की कुल लंबाई हो, माल ढुलाई गलियारे हों, हवाई अड्डों की संख्या हो, मेट्रो रेल नेटवर्क हो या ट्रांस-सी लिंक हो, देश ने अपने बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भारी वृद्धि देखी है। केंद्रीय बजट 2024-25 ने बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार सृजन के लिए पूंजीगत व्यय परियोजना को 11 प्रतिशत बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपए कर दिया, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3.4 प्रतिशत है।

इसके साथ ही, सरकार ने बुनियादी ढांचे की बड़ी परियोजनाओं पर काम करने में भी तेजी लाई है, जो निर्माण में देरी, अकुशल प्रशासनिक प्रक्रियाओं, अपर्याप्त वित्तपोषण और कानूनी एवं भूमि संबंधी मुद्दों के कारण रुकी हुई थीं। नौकरशाही प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण, निवेश परियोजनाओं की मंजूरी को सुव्यवस्थित करने, कानूनी बाधाओं को कम करने, कम कॉर्पोरेट कर दरों के साथ एक सहायक कर पारिस्थितिकी तंत्र बनाने, एक समान जीएसटी व्यवस्था और निजी निवेशकों के लिए नए रास्ते खोलने से बुनियादी ढांचे के क्षेत्र के विकास के लिए एक अनुकूल नीतिगत माहौल सुनिश्चित हुआ है।

बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में विकास को तेजी से बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने कई दूरदर्शी पहल की हैं। इनमें से तीन प्रमुख हैं राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन (एनआईपी), राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) और पीएम गतिशक्ति, जो एक त्रिमूर्ति है। ये स्मार्ट सिटीज मिशन, भारतमाला परियोजना और सागरमाला परियोजना जैसी वर्तमान पहलों के अतिरिक्त हैं। इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाना अभी भी एक चुनौती बना हुआ है क्योंकि निधि की मांग आपूर्ति से कहीं अधिक है और निजी क्षेत्र के अधिक निवेश को सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है।

अवसंरचना वित्तपोषण क्षेत्र में रुझान

आईसीआरए की एक रिपोर्ट के अनुसार, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रेडिट में एनबीएफसी की हिस्सेदारी मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार 55

प्रतिशत पर बढ़ रही है, जो छह साल पहले लगभग 46 प्रतिशत थी।

समग्र अवसंरचना ऋण वृद्धि (बैंकों और एनबीएफसी सहित) में वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही से तेजी देखी गई है और इस क्षेत्र में वित्त वर्ष 2023 में 8 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके अंतर्गत, वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में एनबीएफसी - आईएफसी ऋण में 14 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) और 11 प्रतिशत (वार्षिक) की वृद्धि हुई, जबकि बैंकिंग क्षेत्र में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

एनबीएफसी - आईएफसी, विशेष रूप से सार्वजनिक - आईएफसी ने अनुपयोज्य आस्तियों की हिस्सेदारी में गिरावट और उधार की स्थिर लागत के साथ एक स्वस्थ लाभप्रदता प्रक्षेपवक्र का प्रदर्शन किया है, जो स्वस्थ आंतरिक पूंजी सृजन को बढ़ावा दे रहा है। रिपोर्ट किए गए सकल चरण-3 ऋण 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार 6.8 प्रतिशत के उच्चतम स्तर से 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार 2.5 प्रतिशत और 31 दिसंबर, 2023 की स्थिति के अनुसार 2.2 प्रतिशत तक कम हो गए। यह स्वस्थ आंतरिक पूंजी सृजन को बढ़ावा दे रहा है।

एनबीएफसी - आईएफसी के लिए विकास की संभावनाएं मजबूत हैं क्योंकि आर्थिक विकास को पुनर्जीवित करने के लिए बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के सरकार के संकल्प के बीच बुनियादी ढांचा ऋण की मांग में तेजी आने की उम्मीद है। 6,835 परियोजनाओं के साथ शुरू की गई राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) को अब 34 उप-क्षेत्रों में 9,500 से अधिक परियोजनाओं तक विस्तारित किया गया है, जिसका कुल अनुमानित निवेश ₹160 लाख करोड़ है और इसके लिए सरकार और वित्तीय क्षेत्र दोनों से वित्त पोषण में बड़ी वृद्धि की आवश्यकता होगी। आईसीआरए के अनुमानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में एनबीएफसी में 10-12 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है और वे एनआईपी परियोजनाओं के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

अवसंरचना में क्षेत्र विशिष्ट निष्पादन के मुख्य आकर्षण

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान प्रमुख अवसंरचना उप-क्षेत्रों में कुछ उल्लेखनीय विकास और आगे की राह को निम्नवत स्पष्ट किया गया है:

सड़क और राजमार्ग

वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने सड़क परिवहन में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें राजमार्ग विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री ने 59,650 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जो बुनियादी ढांचे के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने सड़क और राजमार्ग निर्माण में 13 प्रतिशत सुधार किया है। पिछले वर्ष के 8,064 किलोमीटर की तुलना में वर्ष 2024 में 9,088 किलोमीटर के सड़क का निर्माण पूरा हुआ। सड़क निर्माण में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो वित्त वर्ष 2024 में 11,500 किलोमीटर तक पहुंच गया है। सड़क और राजमार्गों में, आईआईएफसीएल ने कुल मिलाकर लगभग 31,360 किलोमीटर सड़क विकास वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जो भारत की राष्ट्रीय राजमार्ग क्षमता के लगभग 22 प्रतिशत के बराबर है।

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के तहत, सड़क क्षेत्र के मुद्रीकरण से वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2025 के दौरान 1.6 लाख

करोड़ रुपए अर्थात् कुल मुद्राकरण का 27 प्रतिशत उत्पन्न होने की उम्मीद थी। वित्त वर्ष 2024 के अंत तक, एनएचआई ने टीओटी और इनविट मार्गों के माध्यम से 0.53 लाख करोड़ रुपए की राशि के लगभग 33 प्रतिशत को पूरा किया था। आईसीआरए के अनुमानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में मजबूत संभावित मुद्राकरण के साथ, यह लक्षित एनएमपी स्तर के 65–71 प्रतिशत तक पहुंच सकता है।

पिछले तीन वर्षों में भारतीय सड़क क्षेत्र में विलय एवं अधिग्रहण गतिविधियों में जोरदार तेजी देखी गई है। अवसंरचना – केंद्रित निधियों के साथ-साथ इनविट प्रमुख निवेशक बनकर उभरे हैं। इनमें से कुछ इनविट को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित और मजबूत प्रायोजकों का समर्थन प्राप्त है। प्रतिस्पर्धी दरों पर दीर्घकालिक पूंजी प्राप्त करने की उनकी क्षमता को देखते हुए, ये निवेशक अपने इनविट प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत के परिचालन अधीन सड़क परिसंपत्तियों में अग्रणी निवेशक बन गए हैं। मूल्य की दृष्टि से, इनविट ने अकेले सड़क क्षेत्र में लगभग 70 प्रतिशत लेन-देन किए।

आईसीआरए के अनुमानों के अनुसार, एमओआरटीएच अधिनिर्णय वित्त वर्ष 2024 में 8,581 किमी से 17–20 प्रतिशत बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 10,000 – 10,500 किमी होने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2025 के लिए एमओआरटीएच क्रियान्वयन में 5–8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 12,000 – 12,500 किलोमीटर तक पहुंचने की संभावना है, जबकि वित्त वर्ष 2024 में लगभग 20 प्रतिशत का मजबूत विस्तार दर्ज किया गया है, जो परियोजनाओं की स्वस्थ पाइपलाइन, पूंजीगत व्यय में वृद्धि और मंत्रालय द्वारा परियोजनाओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करने से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025 में मंत्रालय के लिए पूंजी आवंटन 2.72 लाख करोड़ रुपए है, जबकि वित्त वर्ष 2024 में कुल परिव्यय 2.65 लाख करोड़ रुपए है।

बिजली क्षेत्र

भारत ऊर्जा संक्रमण में अग्रणी के रूप में उभरा है, जबकि यह एक तथ्य है कि इसका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दुनिया में सबसे कम है। सरकार ने पिछले 9 वर्षों में 1,94,394 मेगावाट उत्पादन क्षमता जोड़कर बिजली क्षेत्र को बिजली की कमी से पर्याप्त बिजली वाले राष्ट्र में परिवर्तित कर दिया है। बिजली उत्पादन की वर्तमान संस्थापित क्षमता लगभग 426 गीगावाट है। चालू वर्ष वित्त वर्ष 2023–24 में जोड़ी गई कुल 9,943 मेगावाट उत्पादन क्षमता में से 1,674 मेगावाट जीवाश्म ईंधन स्रोतों से और 8,269 मेगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से है। वर्ष के दौरान 7,568 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता (बड़ी हाइड्रो सहित) जोड़ी गई है जिसमें 5,531 मेगावाट सौर, 1,931 मेगावाट पवन, 34 मेगावाट बायोमास, 42 मेगावाट लघु हाइड्रो और 30 मेगावाट बड़ी हाइड्रो उत्पादन क्षमता शामिल है।

सरकार और अन्य हितधारक निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं और सभी मोर्चों पर प्रयास किए जा रहे हैं और विभिन्न संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए उपाय किए जा रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में, जो वर्तमान में भारत के सीओपी26 लक्ष्यों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, आईआईएफसीएल ने संघीय रूप से लगभग 27,962 करोड़ रुपए संस्वीकृत किए हैं और लगभग 11,607 करोड़ रुपए संवितरित किए हैं। अर्थात् भारत की संस्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता का लगभग 11 प्रतिशत।

आपकी कंपनी अपने परिचालन और ऋण गतिविधि के नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने का भी प्रयास करती है, और अभिनव वित्तपोषण समाधानों के माध्यम से वैश्विक हरित निधियों और हरित ऋण लाइनों को जुटाकर हरित अवसंरचना परियोजनाओं और कम कार्बन संक्रमण अवसरों के विकास के लिए वित्त जुटाने का प्रयास करती है। आईआईएफसीएल ने हरित बंध-पत्र से संबंधित निवेशों के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित आंतरिक हरित बंध-पत्र फ्रेमवर्क स्थापित किया है। वित्त वर्ष 2023–24 में, आपकी कंपनी ने पावर सेक्टर बॉन्ड में 4,339 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

हवाई अड्डे

वित्त वर्ष 2023–24 में यात्री यातायात 15 प्रतिशत बढ़कर 376 मिलियन हो गया, जिसे अंतरराष्ट्रीय यातायात (+23 प्रतिशत सालाना) के साथ-साथ अंतर्देशीय यातायात (+14 प्रतिशत सालाना) में स्वस्थ वृद्धि का समर्थन प्राप्त हुआ। अंतर्देशीय क्षेत्र में अवकाश और व्यावसायिक यात्रा दोनों में मजबूत वृद्धि और यात्रा में आसानी और नए गंतव्यों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी के कारण अंतरराष्ट्रीय यात्रा में निरंतर वृद्धि के साथ, आईसीआरए के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कुल हवाई यात्री यातायात में लगभग 8–11 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त कर लगभग 415 मिलियन होने की उम्मीद है। शीर्ष पांच प्रमुख निजी हवाई अड्डे – दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु, हैदराबाद और कोचीन को वित्त वर्ष 2024 में यात्री यातायात का लगभग 53 प्रतिशत हिस्सा आया।

बढ़ती अर्थव्यवस्था की बढ़ती मांगों से निपटने के लिए हवाई अड्डे का बुनियादी ढांचा एक महत्वपूर्ण घटक है। देश में हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए लगभग 60,000 करोड़ रुपये के निवेश की योजना है, जिसमें वित्त वर्ष 2024 से वित्त वर्ष 2027 के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के तहत नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे और ब्राउनफील्ड विस्तार शामिल हैं।

आपकी कंपनी ने नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, विशाखापत्तनम हवाई अड्डा आदि जैसी परियोजनाओं में निवेश के साथ हवाई अड्डा क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। क्षेत्र विशेष पर ध्यान केंद्रित करते हुए नीति वकालत में आपकी कंपनी की भूमिका का विस्तार करते हुए, आईआईएफसीएल ने दिल्ली में भारत के हवाई अड्डा क्षेत्र पर एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसकी अध्यक्षता वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिव ने की और हवाई अड्डा क्षेत्र के लिए वित्त को बढ़ावा देने के लिए सभी संबंधित हितधारकों को एक साथ लाया। आईआईएफसीएल ने हवाई अड्डा क्षेत्र संबंधी एक परिणाम रिपोर्ट पेश की, जिसे बाजार ने हाथों हाथ लिया है।

रेलवे

रेलवे, पीएम गति शक्ति योजना और राष्ट्रीय रसद नीति के प्रमुख चालकों में से एक है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान लगभग 2.4 लाख करोड़ रुपए का कुल राजस्व और 5,100 किलोमीटर नई पटरियाँ बिछाई जाएंगी। बजट 2024–25 में, सरकार ने तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य रसद दक्षता को बढ़ाना और लागत को कम करना है। इसके अलावा, लगभग 40,000 सामान्य बोगियों को वंदे भारत बोगियों में परिवर्तित किया जाएगा।

“कार्गो की भूख” के मंत्र का पालन करते हुए, भारतीय रेलवे ने व्यापार करने में आसानी के साथ – साथ प्रतिस्पर्धी कीमतों पर

सेवा वितरण में सुधार करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण और चुस्त नीति निर्माण द्वारा समर्थित व्यवसाय विकास इकाइयों के काम ने रेलवे को इस महत्वपूर्ण उपलब्धि की ओर अग्रसर किया।

बंदरगाह

बंदरगाह वैश्विक समुद्री भारत शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किए गए एक व्यापक रोडमैप के साथ भारत के समुद्री क्षेत्र को बदलने की तैयारी है, जिसमें 80,000 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) द्वारा तैयार अमृत काल विजन 2047, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 पर आधारित है और इसका उद्देश्य विश्व स्तर के बंदरगाहों का विकास करना और अंतर्देशीय जल परिवहन, तटीय पोत परिवहन और एक स्थायी समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देना है। यह लॉजिस्टिक्स, अवसंरचना और पोत परिवहन की आकांक्षाओं को शामिल करता है, भारत की 'ब्लू इकोनॉमी' का समर्थन करता है, और वर्ष 2047 तक पत्तनों, पोत परिवहन और जलमार्गों को बढ़ाने के लिए 300 से अधिक कार्रवाई योग्य पहलों की रूपरेखा तैयार करता है। एमओपीएसडब्ल्यू की मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 में उम्मीद की गयी है कि प्रमुख और गैर-प्रमुख बंदरगाहों पर संयुक्त कार्गो वॉल्यूम वित्त वर्ष 2020 के 1,320 एमटीपीए से बढ़कर वित्त वर्ष 2030 में 2,200 – 2,600 एमटीपीए हो जाएगा, जो अगले दशक तक लगभग 6 से 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2015 – वित्त वर्ष 2035 के दौरान कार्यान्वयन के लिए लगभग 5.54 लाख करोड़ रुपये की लगभग 800 परियोजनाओं की पहचान की गई है। इस विकास को सहायता प्रदान करने के लिए, क्षमता विस्तार और मेगा पोर्ट विकास (300 एमटीपीए से अधिक क्षमता) के लिए योजनाएँ तैयार की गई हैं। एमओपीएसडब्ल्यू ने दक्षिण भारत में ट्रांस-शिपमेंट हब विकसित करने की भी योजना बनाई है। शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य, 'हरित सागर' को प्राप्त करने के वृहत दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए, मई 2023 में हरित बंदरगाह दिशानिर्देश जारी किए गए थे। चार प्रमुख बंदरगाह— दीनदयाल बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह, न्यू मंगलोर बंदरगाह और वीओसी बंदरगाह पहले से ही अपनी मांग से अधिक अक्षय ऊर्जा पैदा कर रहे हैं।

आईआईएफसीएल का प्रदर्शन

इस पृष्ठभूमि में, मैं अब वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान आपकी कंपनी के निष्पादन पर प्रकाश डालना चाहूंगा।

प्रचालनात्मक निष्पादन

प्रत्यक्ष ऋण :

- सकल संस्वीकृति : वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, आपकी कंपनी ने प्रत्यक्ष ऋण के तहत 10,441 करोड़ रुपये की सकल संस्वीकृति प्रदान की, जिससे 31 मार्च 2024 तक प्रत्यक्ष ऋण (उप-ऋण सहित) के तहत संघयी सकल संस्वीकृति 1,22,182 करोड़ रुपये हो गई।
- वित्तीय समापन : 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, प्रत्यक्ष ऋण के तहत 7,41,387 करोड़ रुपये मूल्य की कुल परियोजना लागत वाली 412 संस्वीकृत परियोजनाओं में से 96 प्रतिशत अर्थात् 396 परियोजनाओं ने वित्तीय समापन हासिल कर लिया है।

- संवितरण : वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, आपकी कंपनी ने प्रत्यक्ष ऋण (उप-ऋण सहित) के तहत 3,871 करोड़ रुपये का संवितरण किया, जिससे 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार 6,79,368 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत से 396 परियोजनाओं के लिए योजना के तहत संघयी संवितरण 53,377 करोड़ रुपये हो गया।

टेकआउट वित्तपोषण

- सकल संस्वीकृति: टेकआउट वित्तपोषण के अंतर्गत, 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, संघयी संस्वीकृति 42,604 करोड़ रुपये थी। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान टेकआउट फाइनेंस के तहत संस्वीकृति 13,801 करोड़ रुपये थी।
- संवितरण : टेकआउट वित्तपोषण योजना के तहत संघयी संवितरण 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार 23,869 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, टेकआउट वित्तपोषण में संवितरण 6,666 करोड़ रुपये हुआ था।

परियोजना बंध-पत्र

- आपकी कंपनी ने मार्च 2024 तक परियोजना बंध पत्र में संघयी रूप से 8,467 करोड़ रुपये का निवेश किया, जिसमें से मार्च, 2024 तक बिजली क्षेत्र में 4,339 करोड़ रुपये और सड़क क्षेत्र में 2,054 करोड़ रुपये हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, आपकी कंपनी ने परियोजना बंध पत्र में 2,267 करोड़ रुपये का निवेश किया।

इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट्स)

संस्वीकृतियाँ : आपकी कंपनी ने संघयी रूप से इनविट्स को 11,600 करोड़ रुपये स्वीकृत किए। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, आपकी कंपनी ने इनविट्स को 4,800 करोड़ रुपये स्वीकृत किए।

संवितरण : आपकी कंपनी ने संघयी रूप से इनविट्स को 4,851 करोड़ रुपये वितरित किए। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, आपकी कंपनी ने इनविट्स को 4,078 करोड़ रुपये संवितरित किए।

पुनर्वित्तपोषण

सकल संस्वीकृति : वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आपकी कंपनी ने 4 वित्तीय संस्थानों को 11,000 करोड़ रुपये मंजूर किए, जिससे योजना के तहत संघयी सकल संस्वीकृति 31 मार्च 2024 तक 68,397 करोड़ रुपये हो गई।

संवितरण : वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आपकी कंपनी ने पुनर्वित्तपोषण के तहत 5,475 करोड़ रुपये का संवितरण किया, जिससे योजना के तहत संघयी संवितरण 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार 37,440 करोड़ रुपये हो गया।

वित्तीय निष्पादन

परिसंपत्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार के साथ सर्वाधिक संस्वीकृति, संवितरण और मुनाफे के अलावा, यहां कुछ अन्य मापदंड दिए गए हैं जहां आपकी कंपनी ने अच्छा कार्य किया है।

- मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार बकाया ऋण बही लगभग 21 प्रतिशत बढ़कर 51,017 करोड़ रुपये हो गई, जो 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार 42,271 करोड़ रुपये थी।
- पूंजी से जोखिम (भारित) परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार 27.65 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार 28.15 प्रतिशत

हो गया, जो आरबीआई द्वारा अनिवार्य एनबीएफसी के लिए 15 प्रतिशत की न्यूनतम नियामक आवश्यकता पर पर्याप्त सुरक्षा बनाए रखता है।

- प्राक्धान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार 70.48 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार 71.53 प्रतिशत हो गया।

हरित पहल पर ध्यान

भारत ने वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की साहसिक लक्ष्य निर्धारित किया है और ऊर्जा संक्रमण निवेश पर उल्लेखनीय प्रगति का निष्पादन किया है। भारत की दीर्घकालिक निम्न-कार्बन विकास रणनीति निम्न-कार्बन मार्गों पर सात प्रमुख परिवर्तनों पर आधारित है, जिसमें शहरी डिजाइन में अनुकूलन को बढ़ाया देना, इमारतों में ऊर्जा और सामग्री दक्षता और निम्न-कार्बन विकास की आर्थिक और वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना शामिल है।

विश्व स्तर पर संधारणीयता की मांग के स्तर में वृद्धि की उम्मीद से, किसी भी कंपनी के लिए आने वाले वर्षों में प्रासंगिक बने रहने हेतु कॉर्पोरेट रणनीति में संधारणीयता को शामिल करना अनिवार्य है। इसी तर्ज पर आपकी कंपनी कम कार्बन उत्सर्जन परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सचेत प्रयास के साथ इन परियोजनाओं को वित्तपोषित कर रही है। इस पहलू में एक प्रमुख परियोजना जेवर हवाई अड्डे को वित्तपोषित करना शामिल है जो भारत का पहला ग्रीन ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है, जिसमें शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन सुविधा और कई अन्य पर्यावरण-अनुकूल पहल जैसे नदीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, वर्षा जल संचयन, एक ऑनसाइट अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा, एक मलजल शोधन संयंत्र और इलेक्ट्रिक ग्राउंड सपोर्ट उपकरण आदि होंगे।

आगामी वर्ष के लिए आपकी कंपनी की व्यावसायिक योजना के एक भाग के रूप में, आईआईएफसीएल के कुल संवितरण का 20 प्रतिशत संधारणीय परिसंपत्तियों के लिए होगा। आपकी कंपनी ऊर्जा कुशल इमारतों, संधारणीय आवास, बड़ी पनबिजली परियोजनाओं आदि जैसे नए क्षेत्रों के वित्तपोषण की भी खोज कर रही है। यह एक ईएसजी वित्तपोषण ढाँचे को अपनाते की प्रक्रिया में है जो संधारणीय वित्तपोषण के प्रति आईआईएफसीएल के संकल्प को और अधिक प्रदर्शित करता है। आपकी कंपनी ने हाल ही में हरित बंध-पत्र जुटाने के लिए हरित बंध-पत्र फ्रेमवर्क और नियोजन हेतु हरित वित्तपोषण फ्रेमवर्क स्थापित किया है।

जोखिम प्रबंधन ढाँचे का सुदृढीकरण

आपकी कंपनी ने 30 जोखिम रेटिंग मॉडल से अपने जोखिम प्रबंधन ढाँचे को मजबूत किया है जो प्रत्येक परियोजना की बारीकियों की आवश्यकता को पूरा करते हैं। प्रारंभिक चेंतावनी संकेतों का मूल्यांकन करने की प्रणालियों को मजबूत किया गया है। आपकी कंपनी जोखिमों का आकलन करने और समयबद्ध तरीके से उनका समाधान करने के लिए तिमाही आधार पर अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा कर रही है।

इसके अलावा, आईआईएफसीएल ने क्रेडिट जोखिम, परिचालन जोखिम, नकदी जोखिम और बाजार जोखिम को कवर करने वाली एक एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति अंगीकृत की है। उद्यम – व्यापी जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करने पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए, आईआईएफसीएल ने पहल की है और वित्त वर्ष

2023-24 में आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएपी) को क्रियान्वित किया है।

संसाधन जुटाना

आपकी कंपनी अपने उधार पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के विभिन्न रास्ते तलाश रही है। आईआईएफसीएल ने वित्त वर्ष 2024-25 में अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से 29,200 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ विदेशी मुद्रा उधार के माध्यम से कम लागत और दीर्घकालिक निधि जुटाना है। इसके अलावा, आईआईएफसीएल ने विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संस्थानों से ऋण की नई लाइनें प्राप्त करने के लिए सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।

इसके अलावा, आपकी कंपनी वित्त वर्ष 2023-24 में निधियों के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में गैर-परिवर्तनीय ऋण-पत्र (एनसीडी) के माध्यम से संसाधन जुटाना जारी रखेगी, जिससे वर्ष के दौरान 5 फिस्कों में कुल 7,000 करोड़ रुपये की धनराशि जुटाई जाएगी। आईआईएफसीएल को वित्त वर्ष 2024-25 में एनसीडी के माध्यम से 15,000 करोड़ रुपये की धनराशि जुटाने की उम्मीद है।

आईआईएफसीएल आने वाले महीनों में बैंकों और वित्तीय संस्थानों से वाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के माध्यम से धन जुटाने की दिशा में सक्रिय रूप से कदम उठा रहा है।

रणनीतिक पहल

आपकी कंपनी ने हमेशा ही भारत सरकार की पहलों के साथ अपने दृष्टिकोण को संरेखित किया है। विकसित भारत रोड मैप से, वर्ष 2047 तक बुनियादी ढांचा क्षेत्र से भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है और सरकार इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए सकारात्मक कदम उठा रही है। आईआईएफसीएल अवसंरचना विकास की गाड़ी में सवार होने और निकट भविष्य में अवसंरचना ऋण बाजार में अग्रणी बनने के लिए पूरी तरह तैयार है।

आपकी कंपनी का औसत सौदा राशि 1000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। आपकी कंपनी ने बड़ी/जटिल परियोजनाओं में भी ऋणों की संस्वीकृति/संसाधन के लिए अपने टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) को कम करने में कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा, आईआईएफसीएल ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और डेटा सेंटर जैसे नए क्षेत्रों में प्रतिभागिता कर अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाई है। आईआईएफसीएल ने हवाईअड्डा परियोजनाओं में भी अग्रणी भूमिका निभाई है जिसे बाजार ने हाथोंहाथ लिया है।

पिछले कुछ महीनों में, आईआईएफसीएल ने अवसंरचना क्षेत्र के वित्तपोषण की दिशा में सहयोगात्मक प्रयास शुरू करने के लिए भारतीय रेलवे वित्त निगम (आईआरएफसी) और भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरडीडीए) जैसी समान विचारधारा वाली संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। निकट भविष्य में, आईआईएफसीएल पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी), आवास और शहरी विकास निगम (हडको) आदि के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने की योजना बना रहा है। आईआईएफसीएल 100 प्रतिशत ऋण गठजोड़ समाधानों के साथ संयुक्त वित्तपोषण के अवसरों की भी तलाश कर रहा है।

भारत के बुनियादी ढांचे के क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में निष्पादन करने के लिए

आईआईएफसीएल ने आईआईएफसी (यूके) और एक्विज बैंक, भारत के साथ मिलकर "भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच निवेश के अवसर" विषय पर 3 दिवसीय सम्मेलन और हितधारक वार्ता का आयोजन किया, जिसमें वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सम्मेलन का उद्देश्य भारत की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण में विदेशी निवेशकों और सॉवरन वेल्थ फंड की भूमिका के साथ-साथ घरेलू स्रोतों से बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण की कमियों पर चर्चा करना था।

सीएसआर पहल

आपकी कंपनी राष्ट्रीय सरोकारों के विकास संबंधी मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए लाभार्थियों के व्यापक स्पेक्ट्रम तक पहुँचने के लिए सामाजिक रूप से लाभकारी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीएसआर पहलों पर आगे काम करना जारी रखती है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि समावेशी विकास की भावना को ध्यान में रखते हुए, आपकी कंपनी ने भारत के आकांक्षी ब्लॉकों में रहने वाले लोगों के जीवन को सशक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य और पोषण, पेयजल और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सीएसआर के लिए आईआईएफसीएल का विषय क्षेत्र "स्वास्थ्य और पोषण" रहा है और आईआईएफसीएल ने मातृ मृत्यु दर (एमएमआर), शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) और पोषण सहायता को रोकने के लिए सहायता प्रदान करके बुजुर्गों, महिलाओं और किशोरियों के जीवन को बेहतर बनाने हेतु विषयगत क्षेत्र में परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा, भारत की राष्ट्रीय विरासत को संरक्षित करने के लिए, आपकी कंपनी ने राष्ट्रपति निलयम (हैदराबाद) में स्मारक 120 फीट ध्वज-स्तंभ की प्रतिकृति बनाई है। ध्वज-स्तंभ का उद्घाटन भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा किया गया था।

आगे की राह

आपकी कंपनी बुनियादी ढांचे के सभी उप-क्षेत्रों में काम करने वाली न केवल देश में अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्था के रूप में रणनीतिक रूप से स्थित है, बल्कि निजी क्षेत्र और सरकार के बीच एक माध्यम के रूप में भी काम करती है। आपकी कंपनी का लक्ष्य इसका लाभ उठाना और डेवलपर्स, प्राधिकरणों, नियामकों, राज्य और केंद्र सरकारों के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर बुनियादी ढांचे के क्षेत्र के विकास में अपना योगदान बढ़ाना है, ताकि इसकी ऋण बही के आंकड़ों को बढ़ाया जा सके और सार्वजनिक क्षेत्र को सलाह और नीतिगत वकालत भी प्रदान की जा सके।

आपकी कंपनी डेटा सेंटर और स्मार्ट मीटरिंग आदि जैसे नए क्षेत्रों में प्रवेश करने की योजना बना रही है, जिसके लिए प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। इसके अलावा, आपकी कंपनी विमान तल, जहाज निर्माण आदि जैसे संबद्ध बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों को अपनी कुल परिसंपत्ति के 25 प्रतिशत तक ऋण देने का इरादा रखती है। नए क्षेत्रों में विस्तार करने के अलावा, आपकी कंपनी नए उत्पादों की खोज करने का भी इरादा रखती है। कंपनी संपत्ति पुनर्विक्रय के लिए एआईएफ को प्रायोजित करने और निकट भविष्य में क्लब फाइनेंसिंग की भी संभावना तलाशने की योजना बना रही है। जहां

तक नए बाजारों का सवाल है, आईआईएफसीएल भविष्य में मेट्रो शहरों में शाखा कार्यालय खोलने की संभावना तलाश रही है।

निवेशकों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए, आईआईएफसीएल ने आगामी वित्तीय वर्ष में प्रमुख मेट्रो शहरों में हितधारक बैठकों की योजना बनाई है। यह भारत के बुनियादी ढांचे के क्षेत्र के विस्तार और वृद्धि पर उद्योग विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए बुनियादी ढांचे के विभिन्न क्षेत्रों पर गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने की भी योजना बना रहा है। यह क्षेत्रवार रिपोर्टों के माध्यम से नीति वकालत में अपनी भूमिका बढ़ाने की भी योजना बना रहा है। आईआईएफसीएल अनुपालन और सुशासन प्रथाओं पर समझौता किए बिना, नए रास्ते और अवसर तलाशने के लिए तैयार है।

अंत में, मैं इस बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण और बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण परिदृश्य में उत्कृष्टता, नवाचार और संधारणीय विकास के प्रति प्रतिबद्धता के साथ, आपकी कंपनी भारत सरकार के बुनियादी ढांचे के नीतिगत उद्देश्यों, जैसे कि एनआईपी, एनएमपी, गति-शक्ति, भारतमाला, आदि जैसी प्रमुख पहलों और वित्तीय बाजारों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

आभार

समापन से पहले, मैं इस अवसर पर माननीय प्रधान मंत्री, माननीय वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव और वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के सचिव को पूरे वर्ष उनके अपार समर्थन और मार्गदर्शन के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा।

वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और अन्य मंत्रालयों में वित्तीय सेवा विभाग और आर्थिक कार्य विभाग के अधिकारियों को उनके निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन के लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, बहुपक्षीय संस्थानों और साविधिक लेखा परीक्षकों को उनके अटूट समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं बोर्ड में अपने सम्मानित सहयोगियों को भी इस कंपनी को आगे बढ़ाने की दिशा में उनके रणनीतिक इनपुट और समर्थन और योगदान के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ।

अंत में, मैं आईआईएफसीएल के सभी कर्मचारियों को उनके अथक प्रयासों के लिए भी धन्यवाद देता हूँ, जिनकी कड़ी मेहनत और उत्साह के बिना आपकी कंपनी ने जो सफलता प्राप्त की है और जो उपलब्धियाँ हासिल की हैं, वे संभव नहीं हो पाती। मैं आने वाले वर्षों में आपके निरंतर समर्थन की अपेक्षा करता हूँ और कामना करता हूँ कि सभी हितधारकों की सतत प्रतिबद्धता से, आपकी कंपनी अधिक से अधिक ऊँचाइयों को छूती रहे।

सधन्यवाद और जय हिंद।

हस्ताक्षर

पी. आर. जयशंकर

प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 25 सितंबर, 2024

डीआईएन सं.: 06711526

निदेशक मंडल



डॉ. पी.आर. जयशंकर
प्रबंध निदेशक



श्री पवन के. कुमार
उप प्रबंध निदेशक



श्री भूषण कुमार सिन्हा
सरकार द्वारा नामित निदेशक
(6 अगस्त 2024 तक)



श्रीमती एम.जी. जयश्री
सरकार द्वारा नामित निदेशक
(6 अगस्त 2024 से प्रभावी)



श्री सोलोमन अरोकिराज
सरकार द्वारा नामित निदेशक



श्री चौ. पार्था सार्थी रेड्डी
सरकार द्वारा नामित निदेशक



डॉ राम जस यादव
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
नामित निदेशक (30 अप्रैल 2024 तक)



श्री संजय रुद्र
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
नामित निदेशक (1 जुलाई 2024 से प्रभावी)



श्री कल्याण कुमार
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
नामित निदेशक



श्री समीर जेसमभाई बोघरा
स्वतंत्र निदेशक

मुख्य महाप्रबंधक*



श्री राजीव मुखिया
मुख्य महाप्रबंधक
मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ)



श्री किशोर नामदेव कुम्भारे
मुख्य महाप्रबंधक –
मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ)



श्री राज कुमार रत्न
मुख्य महाप्रबंधक –
मुख्य ऋण अधिकारी (सीसीओ)



श्री सुबोध शर्मा
मुख्य महाप्रबंधक



श्री राकेश कुमार
मुख्य महाप्रबंधक
एमडी, आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड



श्री अश्विनी कुमार अग्रवाल
मुख्य महाप्रबंधक



श्री गौरव कुमार
मुख्य महाप्रबंधक

*27 सितंबर, 2024 की स्थिति के अनुसार



इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
सीआईएन: U67190DL2006G01144520

विषय: 19वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

प्रिय महोदय/महोदया,

सूचित किया जाता है कि इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के सदस्यों की 19वीं वार्षिक आम बैठक 27 सितंबर, 2024, शुक्रवार को प्रातः 11:00 बजे तृतीय तल, सम्मेलन कक्ष, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110001 में आयोजित की जाएगी।

इस बैठक की विस्तृत सूचना, 31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के बोर्ड की रिपोर्ट, सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, सी एंड एजी की टिप्पणियां और अंकित लेखा इसके साथ संलग्न हैं।

कृपया इस बैठक में भाग लें।

सधन्यवाद।

भवदीय,

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के निमित्त

हस्ताक्षरकर्ता / –

रूपेश कुमार
कंपनी सचिव

दिनांक: 25 सितंबर 2024

स्थान: नई दिल्ली

*वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय (एमओएफ), भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 18/6/2013 – आईएफ दिनांक 18 सितंबर, 2004 के तहत 30 सितंबर, 2024 तक, डीएफएस में कमतर दिनों की सूचना पर शंयस्धारकों की 19वीं एजीएम आयोजित करने हेतु अपनी सहमति दी है।



इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

सीआईएन: U67190DL2006G01144520

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के सदस्यों की उन्नीसवीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) तीसरी मंजिल, कॉन्फ्रेंस स्थल, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110 001 में निम्नलिखित व्यवसाय करने के लिए शुक्रवार, 27 सितंबर 2024 को सुबह 11:30 बजे आयोजित की जाएगी :-

सामान्य व्यवसाय

- 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण (स्टैंडअलोन और समेकित) को प्राप्त करना, उस पर विचार करना और उसे अपनाना, साथ ही उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए निदेशक की रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट भी शामिल है।
- निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना, तथा यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के, एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:-

"संकल्प लिया गया है कि निदेशक मंडल को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक का वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया जाता है।"

विशेष कार्य:

3. कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार निजी प्लेसमेंट के माध्यम से असुरक्षित/सुरक्षित गैर-परिवर्तनीय बांड/डिबेंचर जारी करना

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना, तथा यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के, एक विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

"संकल्प लिया गया है कि धारा 42, 71 तथा अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई हो कंपनी अधिनियम 2013 (इसके किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित, जो फिलहाल लागू हैं) को कंपनी (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आवंटन), नियम 2014 और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008 के लागू प्रावधानों के साथ पढ़ें। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (समय-समय पर संशोधित), लागू विनियम और दिशानिर्देश, कंपनी के मेमोरेंडम और एसोसिएशन के लेख और ऐसे अन्य लागू कानूनों, नियमों और विनियमों और दिशानिर्देशों के अधीन, और आवश्यक अनुमोदन, अनुमति, सहमति और प्रतिबंधों के अधीन, कंपनी के सदस्यों का अनुमोदन कंपनी के निदेशक मंडल (जिसे आगे "बोर्ड" कहा जाएगा) को एक या एक से अधिक किस्तों में निजी प्लेसमेंट के माध्यम से प्रतिभूतियों, जिसमें बांड और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, की सदस्यता लेने के लिए प्रस्ताव(ओं) या आमंत्रण देने के लिए प्रदान किया जाता है। विशेष प्रस्ताव पारित होने की तिथि से प्रारंभ होने वाली एक वर्ष की अवधि के दौरान 29,200 करोड़ रुपये (केवल उनतीस हजार दो सौ करोड़ रुपये), ऐसे नियमों और शर्तों पर, जो बोर्ड या बोर्ड की किसी विधिवत् गठित समिति या बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप दिए जा सकते हैं।

इसके अलावा यह भी प्रस्ताव किया गया कि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, असुरक्षित/प्रतिभूत गैर-परिवर्तनीय बांड/डिबेंचर के निजी प्लेसमेंट को प्रभावी करने के उद्देश्य से, कंपनी के निदेशक मंडल (बोर्ड) या बोर्ड की कोई विधिवत् गठित समिति या बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऐसा अन्य प्राधिकारी, निर्गम की शर्तों को निर्धारित करने के लिए अधिकृत है, जिसमें आकार, निवेशकों का वर्ग जिन्हें बांड/डिबेंचर आवंटित किए जाने हैं, प्रत्येक चरण में आवंटित किए जाने वाले बांड/डिबेंचर की संख्या, निर्गम मूल्य, अवधि, ब्याज दर, तत्कालीन प्रचलित बाजार मूल्य पर प्रीमियम/छूट, निर्गम की राशि, बांड/डिबेंचर धारकों के एक वर्ग को निर्गम मूल्य पर छूट, लिस्टिंग, कोई घोषणा/उपक्रम जारी करना आदि शामिल हैं जिन्हें निजी प्लेसमेंट प्रस्ताव पत्र में शामिल करना आवश्यक है और इस समय लागू कोई अन्य नियामक आवश्यकता है।

इसके अलावा यह भी संकल्प लिया गया कि निदेशक मंडल या मंडल की कोई विधिवत् गठित समिति या कंपनी के मंडल द्वारा अनुमोदित कोई अन्य प्राधिकारी इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए ऐसे सभी कार्य, कर्म और चीजें करने तथा ऐसे निर्देश देने के लिए अधिकृत होगा, जिन्हें आवश्यक या समीचीन समझा जाए।

4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(सी) के तहत स्वीकृत उधार सीमा में वृद्धि।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे संशोधन के साथ या बिना संशोधन के विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प लिया गया कि धारा 180(1)(सी) के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 के किसी अन्य लागू प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों (इसमें वर्तमान में लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) और कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के अनुसार, कंपनी के सदस्यों के अनुमोदन से, बोर्ड को कंपनी के उद्देश्य के लिए समय-समय पर किसी भी राशि या राशियों को ऐसे नियमों और शर्तों पर और सुरक्षा के साथ या उसके बिना उधार लेने की अनुमति दी जाती है, जैसा कि निदेशक मंडल अपने विवेक से ठीक समझे, मले ही कंपनी द्वारा पहले से उधार ली गई धनराशि (कंपनी के बैंकर से सामान्य व्यवसाय के क्रम में प्राप्त अस्थायी ऋणों के अलावा) के साथ उधार ली जाने वाली धनराशि या धनराशियां कंपनी की कुल चुकता शेयर पूंजी और उसके मुक्त मंडार और सुरक्षा प्रीमियम से अधिक हो सकती हैं, हालांकि बशर्ते कि पहले से उधार ली गई धनराशि सहित किसी भी समय बकाया कुल उधार 1,00,000 करोड़ रुपए (केवल एक लाख करोड़ रुपए) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

इसके अलावा यह भी संकल्प लिया गया कि निदेशक मंडल या मंडल की कोई विधिवत् गठित समिति या कंपनी के मंडल द्वारा अनुमोदित कोई अन्य प्राधिकारी इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए ऐसे सभी कार्य, कर्म और चीजें करने तथा ऐसे निर्देश देने के लिए अधिकृत होगा, जिन्हें आवश्यक या समीचीन समझा जाए।”

निदेशक मंडल के आदेश से
इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड कृते

सदस्यांकित

रूपेश कुमार

कंपनी सचिव

सदस्यता सं. ए19465

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 25 सितंबर 2024

पंजीकृत कार्यालय

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

पांचवीं मंजिल, ब्लॉक-2 प्लेट ए और बी, एनबीसीसी टॉवर,

ईस्ट किडवई नगर, नई दिल्ली-110023

सीआईएन: U67190DL2006GOI144520

वेबसाइट: www.iifcl.in

टिप्पणियाँ :-

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार एक व्याख्यात्मक विवरण जिसमें नोटिस के मद संख्या 3 और 4 के अंतर्गत व्यवसाय के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य बताए गए हैं, संलग्न है। वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों के संबंध में सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी आम बैठकों पर सचिवीय मानक-2 के अनुसार प्रासंगिक विवरण भी संलग्न है।
2. बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत सदस्य अपनी ओर से भाग लेने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी/प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और ऐसे प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी दस्तावेज पर विधिवत मुहर लगाई जानी चाहिए, उसे पूरा किया जाना चाहिए, हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए तथा उक्त बैठक के आयोजन के समय से कम से कम 48 घंटे पहले जमा किया जाना चाहिए।
3. प्रॉक्सी फॉर्म और बोर्ड के प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति, जो प्रतिनिधियों को बैठक में उपस्थित होने तथा मतदान करने के लिए अधिकृत करती है, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को भेजी जाएगी।
4. बैठक में किए जाने वाले उक्त विशेष व्यवसाय के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार स्पष्टीकरण कथन, जिसमें उक्त व्यवसाय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य बताए गए हैं, संलग्न है तथा यह नोटिस का हिस्सा है।
5. सदस्य यह भी ध्यान दें कि वार्षिक आम बैठक की सूचना कंपनी की वेबसाइट www-iifcl-in पर उपलब्ध होगी। नोटिस और अन्य दस्तावेज कार्य दिवसों में सामान्य कारोबारी घंटों के दौरान निरीक्षण के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी उपलब्ध रहेंगे।

नोटिस के साथ संलग्नक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसार स्पष्टीकरण कथन

मद संख्या 3: कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निजी प्लेसमेंट के माध्यम से असुरक्षित/सुरक्षित गैर-परिवर्तनीय बांड/डिबेंचर जारी करना

कंपनी की भविष्य की विकास योजनाओं को देखते हुए, बोर्ड असुरक्षित/सुरक्षित गैर-परिवर्तनीय बांड/डिबेंचर जारी करके कंपनी के दीर्घकालिक संसाधनों को बढ़ाना आवश्यक समझता है, जिसकी बाजार में बेहतर स्वीकार्यता है और जो बहुत प्रतिस्पर्धी है। उसी के मद्देनजर, निदेशक मंडल ने 28 मार्च 2024 को आयोजित बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन, आईआईएफसीएल द्वारा कंपनी की 29,200 करोड़ रुपये की संसाधन जुटाने की योजना पर विचार किया और उसे मंजूरी दी। आईआईएफसीएल का बोर्ड असुरक्षित/सुरक्षित, गैर-परिवर्तनीय बांड/कर योग्य/कर मुक्त डिबेंचर/इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड/ऑफशोर आईएनआर बांड/किसी भी अन्य बांड के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से 29,200 करोड़ रुपये तक के घन को एक या एक से अधिक किस्तों में विशेष प्रस्ताव पारित करने की तारीख से शुरू होने वाले एक वर्ष की अवधि के दौरान, ऐसे नियमों और शर्तों पर, जिन्हें बोर्ड या बोर्ड की किसी विधिवत गठित समिति या बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऐसे अन्य प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप दिया जा सकता है, जुटाने के लिए अधिकृत है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 42 और 71 तथा कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम 2014 के अनुसार, कंपनी द्वारा निजी प्लेसमेंट के आधार पर जारी किए जाने वाले एनसीडी की सदस्यता के लिए किसी भी प्रस्ताव या आमंत्रण के लिए विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है।

शेयरधारकों की स्वीकृति उक्त वर्ष के दौरान किए जाने वाले एनसीडी के सभी प्रस्तावों या आमंत्रणों के लिए एक वर्ष के लिए वैध होगी।

निदेशक मंडल का मानना है कि प्रस्तावित प्रस्ताव कंपनी के सर्वोत्तम हित में होगा।

कंपनी के किसी भी निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) और उनके रिश्तेदारों को प्रस्तावित संकल्प से कोई सरोकार या रुचि नहीं है।

आपके निदेशक आपके अनुमोदन के लिए नोटिस में मद संख्या 3 पर संकल्प की अनुशंसा करते हैं।

मद संख्या 4: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(सी) के तहत स्वीकृत उधार सीमा में वृद्धि

उधार की वर्तमान सीमा (कंपनी के बैंकों से सामान्य व्यवसाय के दौरान अस्थायी ऋण के अलावा) 10 नवंबर, 2021 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार 70,000 करोड़ रुपये है। कंपनी की विस्तार योजनाओं/कार्यक्रमों के कारण भविष्य में धन की बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कंपनी को वित्तीय संस्थानों, बैंकों और अन्य से और ऋण/उधार लेने की आवश्यकता हो सकती है। तदनुसार, निदेशक मंडल की उधार लेने की शक्तियों को 70,000 करोड़ रुपये की वर्तमान सीमा से बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है। कंपनी द्वारा समय-समय पर उधार लिए जाने वाले ऋण को सुरक्षित करने के लिए, कंपनी को कंपनी की सभी या किसी भी चल और अचल संपत्ति पर बंधक/प्रभार/दृष्टिबंधक बनाने की आवश्यकता हो सकती है। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(सी) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की सहमति प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

कोई भी निदेशक किसी भी तरह से उक्त संकल्प से संबंधित या इच्छुक नहीं है।

आपके निदेशक आपके अनुमोदन के लिए मद संख्या 4 पर संकल्प की अनुशंसा करते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से
भारत इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड कृते

हस्ताक्षरकर्ता/—

रूपेश कुमार

कंपनी सचिव

सदस्यता संख्या: A19465

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 25 सितंबर 2024

पंजीकृत कार्यालय

भारत इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

पाँचवां तल, ब्लॉक-2, प्लेट ए और बी, एनबीसीसी टॉवर,

ईस्ट किडवई नगर, नई दिल्ली-110023

सीआईएन: U67190DL2006GOI144520

वेबसाइट: www-liifcl-in

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

सीआईएन: U67190DL2006G01144520

बोर्ड की रिपोर्ट

सेवा में,

आईआईएफसीएल के सदस्य

आपके निदेशकों को लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, समेकित वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षक और उस पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपनी कंपनी के प्रदर्शन पर 19वीं वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय विशेषताएं

31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश इस प्रकार है: (₹ करोड़)

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2024	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2023
कुल राजस्व	5,907	4,630
कुल व्यय	3,878	3,353
कर पूर्व लाभ	2,029	1,277
कराधान के लिए प्रावधान	477	201
असाधारण मदें	-	-
विनियोजन (करोपरांत लाभ) हेतु उपलब्ध निवल लाभ	1,552	1,076
अन्य व्यापक आय	(4)	0.5
विनियोजन के बाद उपलब्ध निवल लाभ	1,548	1,076
10 रुपये के अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए अर्जन (भारित औसत)	1.55	1.08

ऋण क्रियाकलाप

प्रत्यक्ष ऋण

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, 10,441 करोड़ रुपये की और स्वीकृति देने के साथ ही, 567 आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए कंपनी द्वारा दी गई कुल सकल स्वीकृतियां बढ़कर 1,22,182 करोड़ रुपये हो गईं। आपकी कंपनी द्वारा दी गई संचयी सकल स्वीकृतियों का क्षेत्रवार वितरण निम्नानुसार है:

प्रत्यक्ष ऋण के तहत संचयी सकल स्वीकृतियां 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार

(₹ करोड़)

क्षेत्र	परियोजनाओं की सं.	परियोजना लागत	सकल स्वीकृतियां
सड़क	312	4,62,913	57,152
बिजली	166	4,38,508	46,270
हवाई अड्डा	6	57,804	5,664
बंदरगाह	21	37,678	5,364
शहरी आधारभूत संरचना	17	55,601	5,264
रेलवे	3	3,194	638
पीएमडीओ*	38	8,602	260
दूरसंचार	2	4,607	400
सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना	2	5,881	1,170
योग	567	10,74,788	1,22,182

* सामूहिक नगरपालिका ऋण दायित्व

इसके अलावा, 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार, 412 परियोजनाओं के लिए आपकी कंपनी द्वारा दी गई निवल स्वीकृतियों का क्षेत्रवार वितरण 76,905 करोड़ रुपये रहा जिसका विवरण निम्नानुसार है:

प्रत्यक्ष ऋण के तहत संचयी निवल स्वीकृतियां (31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार)

(₹ करोड़)

क्षेत्र	परियोजनाओं की सं.	परियोजना लागत	सकल स्वीकृतियां
सड़क	242	3,78,738	38,871
बिजली	111	2,64,031	29,708
हवाई अड्डा	6	57,804	3,536
बंदरगाह	13	21,189	2,397
शहरी आधारभूत संरचना	10	9,658	1,877
रेलवे	1	600	70
पीएमडीओ	28	5,617	196
दूरसंचार	1	3,750	250
सामाजिक एवं वाणिज्यिक अवसंरचना	-	-	-
कुल	412	7,41,387	76,905

नोट: निवल स्वीकृतियां वह राशि है जो वित्तीय लेखाबंदी कर चुकी परियोजनाओं के मामले में आबंटित की गई है।

स्वीकृत परियोजनाओं के तहत वित्तीय समापन की उपलब्धि

31 मार्च 2024 तक, प्रत्यक्ष ऋण के तहत 412 शुद्ध स्वीकृत परियोजनाओं में से 396 परियोजनाएं यानी 96% ने वित्तीय समापन हासिल कर लिया है। वित्तीय समापन प्राप्त परियोजनाओं का क्षेत्रवार विवरण इस प्रकार है:

31 मार्च, 2024 तक वित्तीय समापन प्राप्त परियोजनाएं

(₹ करोड़)

क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	शुद्ध स्वीकृतियां
सड़क	234	33,710
बिजली	105	25,442
हवाई अड्डा	6	3,536
बंदरगाह	12	1,852
शहरी आधारभूत संरचना	10	1,877
अन्य	29	491
कुल	396	66,908

वाणिज्यिक परिचालन तिथि की उपलब्धि

मार्च 2024 के अंत में, 384 परियोजनाओं में से, जिनमें आपकी कंपनी ने प्रत्यक्ष ऋण मोड के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की है (पीएमडीओ के तहत स्वीकृत 28 परियोजनाओं को छोड़कर), 269 परियोजनाओं में वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) हासिल कर ली गई है, जिसमें 158 सड़क परियोजनाएं और 92 शामिल हैं। बिजली परियोजनाएं, सीओडी द्वारा प्राप्त परियोजनाओं का क्षेत्रवार विवरण इस प्रकार है:

31 मार्च, 2024 तक हासिल की गई सीओडी परियोजनाएं

(₹ करोड़)

क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	शुद्ध स्वीकृतियां
सड़क	158	19,104
बिजली	92	20,585
हवाई अड्डा	2	848
बंदरगाह	8	1,236
शहरी बुनियादी ढांचा	7	381
अन्य	2	320
कुल	269	42,474

टेक-आउट वित्त

बैंक के एक्सपोजर और आर्स्टि-देयता के बेमेल बाधाओं को निवारण करते हुए बुनियादी ढांचागत क्षेत्र में वृद्धिशील ऋण देने की सुविधा के लिए, आईआईएफसीएल ने टेकआउट वित्त योजना आरंभ की। आईआईएफसीएल ने दिसंबर 2011 में संशोधित टेकआउट वित्त योजना को उपयुक्त संशोधनों के लिए लागू किया था। इसके अतिरिक्त, बाजार की जरूरतों को हल करने के लिए समय-समय पर इस योजना में आगे

भी संशोधन किए गए हैं। आईआईएफसीएल की टेकआउट वित्त योजना बुनियादी ढांचागत ऋण के लिए एक पारदर्शी गैर-भेदभावपूर्ण और गैर-विवेकाधीन बाह्य परियोजना मूल्यांकन आधारित मूल्यनिर्धारण प्रणाली का अनुपालन करती है।

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार, टेकआउट वित्त योजना के तहत कुल संचयी सकल स्वीकृतियां 137 परियोजनाओं के लिए कुल 42,604 करोड़ रुपये थीं। आपकी कंपनी द्वारा दी गई संचयी सकल स्वीकृतियों का क्षेत्र-वार वितरण निम्नानुसार है:

टेकआउट वित्त के तहत संचयी सकल स्वीकृतियां (31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार) (₹ करोड़)

क्षेत्र	परियोजनाओं की सं.	परियोजना लागत	सकल स्वीकृतियां
सड़क	65	67,100	11,041
बिजली	59	2,05,096	26,245
हवाई अड्डा	2	2,920	1,912
बंदरगाह	9	16,024	3,380
शहरी बुनियादी ढांचा	2	107	26
कुल	137	2,91,247	42,604

इसके अलावा, 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी द्वारा टेकआउट वित्त योजना के तहत 80 परियोजनाओं के लिए दी गई 31,047 करोड़ रुपये की कुल स्वीकृतियों का क्षेत्र-वार वितरण निम्नानुसार है:

टेकआउट वित्त के तहत संचयी निवल स्वीकृतियां (31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार) (₹ करोड़)

क्षेत्र	परियोजनाओं की सं.	परियोजना लागत	सकल स्वीकृतियां
सड़क	34	42,575	7,136
बिजली	37	1,52,950	20,326
हवाई अड्डा	2	2,921	1,570
बंदरगाह	5	9,704	1,989
शहरी बुनियादी ढांचा	2	107	26
कुल	80	2,08,257	31,047

नोट: निवल स्वीकृतियां वह राशि है जो वित्तीय लेखाबंदी कर चुकी परियोजनाओं के मामले में आवंटित की गई है।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं को प्राथमिकता

अधिदेश के अनुरूप, आपकी कंपनी सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करती है। सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपकी कंपनी की दृढ़ प्रतिबद्धता इसके द्वारा समर्थित पीपीपी परियोजनाओं की संख्या में प्रतिबिंबित होती है।

31 मार्च 2024 तक, डायरेक्ट लेंडिंग और टेकआउट फाइनेंस के तहत, 666 परियोजनाओं (पीएमडीओ के तहत 38 परियोजनाओं को छोड़कर) को वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है, जिनमें से 541 परियोजनाएं (81%) पीपीपी और पीएसयू परियोजनाओं से संबंधित हैं, जैसा कि नीचे बताया गया है:

क्षेत्र	पीपीपी	नॉन-पीपीपी	पीएसयू	कुल
सड़क	376	0	1	377
बिजली	101	114	10	225
हवाई अड्डा	8	0	0	8
बंदरगाह	23	6	1	30
शहरी बुनियादी ढांचा	15	1	3	19
अन्य	2	4	1	7
कुल	525	125	16	666

संवितरण

मार्च 2024 के अंत में संचयी संवितरण ₹1,28,004 करोड़ था, जिसमें ₹37,440 करोड़ के पुनर्वित्त के तहत संवितरण, ₹23,869 करोड़ का टेकआउट फाइनेंस और ₹8,467 करोड़ के इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बॉन्ड में नए लॉन्च किए गए उत्पाद निवेश और ₹4,851 करोड़ के इन्वीआईटी शामिल थे।

क्षेत्र-वार संचयी संवितरण (31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार)

(₹ करोड़)

क्षेत्र	परियोजनाओं की सं.	परियोजना लागत	सकल स्वीकृतियां
प्रत्यक्ष उधार			
सड़क	234	3,43,145	28,826
बिजली	105	2,42,247	20,031
हवाई अड्डा	6	57,804	1,665
बंदरगाह	12	17,420	1,446
शहरी बुनियादी ढांचा	10	9,658	940
रेलवे	1	600	70
पीएमडीओ	27	4,744	151
दूरसंचार	1	3,750	248
योग (क)	396	6,79,368	53,377
टेक आउट वित्त			
सड़क	34	42,575	7,105
बिजली	32	1,10,203	13,266
हवाई अड्डा	2	2,921	1,485
बंदरगाह	5	9,704	1,987
शहरी बुनियादी ढांचा	2	107	26
योग (ख)	75	1,65,510	23,869
परियोजना बांड (ग)			8,467
पुनर्वित्त (घ)			37,440
आमंत्रण (ङ)			4,851
कुल योग (क+ख+ग+घ+ङ)			1,28,004

पूल्ड म्युनिसिपल डेट ऑब्लिगेशन सुविधा

पूल्ड म्युनिसिपल डेट ऑब्लिगेशन सुविधा (पीएमडीओ) की स्थापना 2008 में 4 प्रायोजकों आईएलएंडएफएस, आईआईएफसीएल, आईडीबीआई बैंक और केनरा बैंक के साथ-साथ अन्य ऋणदाताओं द्वारा पीपीपी आधार पर शहरी बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए की गई थी। इन परियोजनाओं में एसएमई के लिए सामान्य बुनियादी ढांचे का विकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बिजली उत्पादन, अपशिष्ट जल उपचार और अन्य शहरी बुनियादी ढांचा सुविधाएं जैसे कि शहर बस परिवहन आदि शामिल थे। पीएमडीओ सुविधा परियोजनाओं के लिए संसाधनों की आवश्यकता को बैंक योग्य प्रारूप में संरचित करने और उचित ब्याज दर पर अनिवार्य परियोजनाओं की स्थापना के लिए ऋण प्रदान करने में सहायक है।

पीएमडीओ का वर्तमान कोष 16 ऋणदाताओं द्वारा प्रतिबद्ध 5,000 करोड़ रुपये है, जिसमें आपकी कंपनी द्वारा सुविधा में अपने हिस्से के रूप में 391 करोड़ रुपये प्रतिबद्ध हैं। 31 मार्च 2024 तक, इस सुविधा के तहत आपकी कंपनी की संचयी शुद्ध मंजूरी 197 करोड़ थी और संचयी संवितरण 151 करोड़ रुपये था।



जेड-मोड सुरंग, जम्मू और कश्मीर में गगनगैर और सोनमर्ग के बीच 6.5 किमी लंबी सुरंग है



पुणे मेट्रो - यूएनईसीई पीपीपी और इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड 2023 से सम्मानित

भौगोलिक रूप से विविधतापूर्ण उपस्थिति

आपकी कंपनी विभिन्न राज्यों में फैली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास का समर्थन करना जारी रखती है और पूरे देश में अपनी उपस्थिति बढ़ाती है। 31 मार्च 2024 तक, प्रत्यक्ष ऋण और टेकआउट वित्त के तहत, कंपनी ने 26 राज्यों में 492 परियोजनाओं को (शुद्ध) 1,07,952 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं और 471 परियोजनाओं में 77,246 करोड़ रुपये वितरित किए हैं। 31 मार्च, 2024 तक प्रत्यक्ष ऋण और टेकआउट वित्त योजना के तहत परियोजना वित्तपोषण के माध्यम से संचयी राज्यवार शुद्ध मंजूरी और संवितरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़)

राज्य	शुद्ध मंजूरी	संवितरण
आंध्र प्रदेश	8,942	7,790
अरुणाचल प्रदेश	121	121
असम	455	419
बिहार	3,946	2,322
छत्तीसगढ़	2,894	1,243
दिल्ली	1,374	1,374
गोवा	343	343
गुजरात	15,013	12,610
हरियाणा	2,403	1,903
हिमाचल प्रदेश	1,269	878
जम्मू और कश्मीर	1,370	1,302
झारखंड	1,760	1,417
कर्नाटक	3,774	2,194
केरल	461	301
मध्य प्रदेश	7,477	6,955
महाराष्ट्र	16,455	11,706
ओडिशा	1,753	1,238
पुडुचेरी	179	179
पंजाब	1,921	1,286
राजस्थान	3,758	1,833
सिक्किम	4,935	1,283
तमिलनाडु	3,454	2,774
तेलंगाना	4,877	1,758
उत्तर प्रदेश	15,616	11,066
उत्तराखंड	464	460
पश्चिम बंगाल	2,940	2,491
कुल	1,07,952	77,246



दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

पुनर्वित्त

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, आपकी कंपनी ने 4 वित्तीय संस्थानों को 11,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं और 5,475 करोड़ रुपए वितरित किए हैं।

ऋण वृद्धि

आपकी कंपनी द्वारा वर्ष 2012 में ऋण वृद्धि योजना शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को ऋण बाजार जैसे वैकल्पिक संसाधनों से दीर्घकालिक निधियाँ जुटाने में सक्षम बनाना था।

आज तक, आईआईएफसीएल ने 20 से अधिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं द्वारा 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के बॉन्ड जारी करने के लिए कुल 2,400 करोड़ रुपए से अधिक की गारंटी स्वीकृत की है।

भारत अवसंरचना वित्त पहल

कंपनी ने 15 फरवरी 2007 को भारत समर्पित अवसंरचना कोष स्थापित करने के लिए आईडीएफसी और सिटीग्रुप के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें आईआईएफसीएल ने 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर (अधिकतम 100 करोड़ रुपये के अधीन) का योगदान देने पर सहमति व्यक्त की थी, जबकि आईडीएफसी और सिटीग्रुप ने प्रमोटर प्रायोजक के रूप में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान करने की प्रतिबद्धता जताई थी।

31 मार्च 2024 तक, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (आईआईएफ) को दी गई 100 करोड़ रुपए की कुल पूंजी प्रतिबद्धता में से, आईआईएफसीएल ने 92.47 करोड़ रुपए का योगदान दिया है, यह 31 मार्च 2024 तक 86.46 करोड़ रुपए की पूंजी भुनाई है। 31 मार्च 2024 तक आईआईएफसीएल के आईआईएफ में निवेश की बकाया राशि 6.01 करोड़ रुपए है।

संसाधन जुटाना

घरेलू संसाधन

आईआईएफसीएल विभिन्न साधनों के माध्यम से बाजार से ऋण (अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों) जुटाता है। 31 मार्च 2024 तक, आईआईएफसीएल की कुल घरेलू उधारी बकाया राशि 34,215.69 करोड़ रुपए है। इस कुल बकाया में से 22,893.36 करोड़ रुपए गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) से संबंधित है और 11,322.33 करोड़ रुपए अल्पावधि उधार से संबंधित है।

बाहरी संसाधन

आईआईएफसीएल ने एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, क्रेडिटनस्टाल्ट फर विडेरौफबाउ (केएफडब्ल्यू), यूरोपीय निवेश



कच्छ, गुजरात में 148 मेगावाट पवन ऊर्जा फार्म

बैंक (ईआईबी) और जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी (जेआईसीए) जैसी बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संस्थाओं के साथ भी मजबूत संबंध स्थापित किए हैं और इन संस्थाओं से क्रमशः 1.9 बिलियन अमरीकी डॉलर, 195 मिलियन अमरीकी डॉलर, 50 मिलियन यूरो, 200 मिलियन यूरो और 50 बिलियन जापानी येन की सीमा तक ऋण की प्रतिबद्धता जताई है।

एडीबी से 1.9 बिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण रेखा में से, 31 मार्च 2024 तक पूरी ऋण रेखा खींची गई है।

विश्व बैंक की 195 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण रेखा में से, आईआईएफसीएल ने पूरी राशि का लाभ उठाया है।

केएफडब्ल्यू से यूरो 50 मिलियन ऋण रेखा का लाभ आपकी कंपनी ने केएफडब्ल्यू द्वारा अनुमोदित दो जल विद्युत परियोजनाओं और चार सौर ऊर्जा परियोजनाओं में संवितरण के विरुद्ध पूरी तरह उठाया है।

आईआईएफसीएल ने 31 मार्च 2014 को ईआईबी के साथ 200 मिलियन यूरो का वित्तपोषण अनुबंध समझौता भी किया था, जिसका पूरी तरह से उपयोग किया गया है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) के साथ 50 बिलियन जेपीवाई की ऋण रेखा पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें से 31 मार्च 2024 तक 46.5 बिलियन जेपीवाई निकाले जा चुके हैं।

बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संस्थानों के साथ इन संबंधों ने आईआईएफसीएल को दीर्घकालिक संसाधन जुटाने में मदद की है।

आईटी पहलें

एनबीएफसी में विभिन्न आईटी पहलों और अनुप्रयोगों का उपयोग करके पारंपरिक व्यावसायिक प्रक्रियाएं तेजी से बदल रही हैं। तदनुसार, आईआईएफसीएल विभिन्न नई आईटी पहलों का उपयोग करके और डिजिटलीकरण को अपनाकर विभिन्न व्यावसायिक प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। आईआईएफसीएल ने कई नई आईटी पहलों की हैं, जिनमें से निम्नलिखित अब लाइव/उपयोग में हैं:

- आईआईएफसीएल ने विभिन्न व्यावसायिक प्रक्रियाओं को स्वचालित करने और कागज रहित कार्यालय के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक नए युग के दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) को लागू किया है।
- आईआईएफसीएल ने भुगतान और निपटान में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए चालान की वास्तविक समय ट्रैकिंग के लिए अपने विक्रेताओं के लिए नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है।
- अपने व्यावसायिक कार्यों की जरूरतों को पूरा करने और विभिन्न व्यावसायिक प्रक्रियाओं में एंड-टू-एंड ऑटोमेशन लाने और परिचालन जोखिम को कम करने के लिए एसएपी-ईआरपी का कार्यान्वयन।



धामनगांव और पनगांव, महाराष्ट्र में 250 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र

- ऑनलाइन परियोजना निगरानी प्रणाली (ओपीएमएस) का कार्यान्वयन, जो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भौतिक निगरानी की आवश्यकता को समाप्त कर देगा।
- आईआईएफसीएल ने कागज रहित निदेशक मंडल की बैठक और अन्य बोर्ड स्तरीय समिति की बैठकें आयोजित करने के लिए आईटी एप्लिकेशन को लागू किया है।
- आईआईएफसीएल ने महामारी के दौरान अपने व्यावसायिक संचालन को निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए अपने सुरक्षा आईसीटी बुनियादी ढांचे को बढ़ाया और उसका लाभ उठाया है, घर से काम करने की सुविधा के लिए गतिशीलता उपकरणों पर दूरस्थ कार्यालय वातावरण प्रदान किया है।

डिजिटल परिवर्तन:

- आईआईएफसीएल शुरू से ही अपने सभी विरासत भौतिक अभिलेखों को डिजिटल बनाने की प्रक्रिया में है, जिसमें सभी भौतिक दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में परिवर्तित करना और उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर आसान पुनर्प्राप्ति और पहुंच के लिए केंद्रीय रिपॉजिटरी में उपलब्ध कराना शामिल है।
- आईआईएफसीएल विभिन्न प्रौद्योगिकी समाधानों का लाभ उठाना जारी रखता है और इसलिए अपने मौजूदा एसएपी ईआरपी अनुप्रयोगों को एस/4 हाना में अपग्रेड कर रहा है और परियोजना "सुपर" के तहत जीसी क्लाउड वातावरण में माइग्रेट कर रहा है।
- आईआईएफसीएल ने व्यावसायिक जोखिमों की बारीकी से निगरानी करने और उन्हें कम करने के लिए परियोजना "सुपर" के तहत जोखिम प्रबंधन समाधान को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की है।
- आईआईएफसीएल ने परियोजना "सुपर" के तहत नए युग के विश्लेषणात्मक एप्लिकेशन को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की है, जो इंटरैक्टिव डैशबोर्ड और रिपोर्ट के रूप में व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान करने में मदद करता है।
- परियोजना "सुपर" में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं होंगी जो आईआईएफसीएल को विभिन्न व्यावसायिक प्रक्रियाओं को स्वचालित करने, ग्राहक अनुभव को बढ़ाने और जोखिमों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में मदद करेंगी:
 - ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए, आईआईएफसीएल समृद्ध यूआई/यूएक्स के साथ एक मोबाइल एप्लिकेशन और वेब-पोर्टल को लागू करने की प्रक्रिया में है।
 - वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन को आईआईएफसीएल के कर्मचारियों तक विस्तारित किया जाएगा ताकि वे दिन-प्रतिदिन के व्यावसायिक संचालन को पूरा कर सकें।
 - वेब पोर्टल/मोबाइल एप्लिकेशन/थर्ड पार्टी एप्लिकेशन के साथ एसएपी एप्लिकेशन को एकीकृत करके व्यावसायिक प्रक्रियाओं का स्वचालन।

आईआईएफसीएल निरंतर सुधार में विश्वास करता है और उन्नति पर ध्यान केंद्रित करता है और तदनुसार, मौजूदा ऑनलाइन परियोजना निगरानी प्रणाली (ओपीएमएस) को उन्नत सुविधाओं और कार्यात्मकताओं के साथ अपग्रेड करने की योजना बनाई गई है, जो बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं की भौतिक निगरानी की आवश्यकता को समाप्त कर देगा और नियमित आधार पर परियोजनाओं की प्रगति का विश्लेषण करेगा।

आईआईएफसीएल अपनी मौजूदा वेबसाइट को विभिन्न नई सुविधाओं और समृद्ध यूआई/यूएक्स के साथ एक नए प्लेटफॉर्म पर फिर से तैयार करने की योजना बना रहा है जो कंपनी के विभिन्न हितधारकों के लिए पहुंच और दृश्यता में सुधार करने में मदद करेगा।

विवेकपूर्ण मानदंडों को अपनाना

भारतीय रिजर्व बैंक ने 9 सितंबर 2013 को आईआईएफसीएल को पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) संख्या एन-14.03288 जारी किया है, जिससे कंपनी को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - गैर जमा बुनियादी ढांचा वित्त कंपनी (एनबीएफसी-एनडी-आईएफसी) का व्यवसाय करने की अनुमति मिल गई है।

कंपनी ने 21 नवंबर 2014 के पत्र के माध्यम से आरबीआई को एनबीएफसी-आईएफसी के लिए आरबीआई विनियमों के विभिन्न तत्वों का अनुपालन करने के लिए विशिष्ट समय-सीमा देते हुए रोडमैप प्रस्तुत किया। तदनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, आईआईएफसीएल ने अपने लिए लागू आरबीआई विनियमों का अनुपालन किया।

भारतीय लेखा मानकों (IND AS) के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करना

18 जनवरी 2016 की MCA अधिसूचना के अनुसार, आईआईएफसीएल को 1 अप्रैल 2018 से रिपोर्टिंग अवधि के लिए भारतीय लेखा मानकों (Ind AS) के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करना आवश्यक है। तदनुसार, आईआईएफसीएल ने Ind AS के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण तैयार किया है।

पुनर्गठित ऋण, एनपीएस और वसूली

31 मार्च 2024 तक, सकल एनपीए 823.16 करोड़ रुपए और शुद्ध एनपीए 234.39 करोड़ रुपए था। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 618.20 करोड़ रुपए तक के खाते बड़े खातों में डाले गए।

31 मार्च 2024 तक सकल एनपीए 1.61% और शुद्ध एनपीए 0.46% था। 31 मार्च 2024 तक प्रावधान कवरेज अनुपात 71.53% था। 2023-24 के दौरान 1019.87 करोड़ रुपए की वसूली की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बड़े खातों में डाले गए/एआरसी खातों से वसूले गए 369.38 करोड़ रुपए शामिल हैं।

शीघ्र समाधान/वसूली की दिशा में प्रमुख ऋणदाता/संघ के परामर्श से आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। आईआईएफसीएल कई मामलों में पहल कर रहा है, जिसमें रियायत प्राधिकरण, अन्य हितधारकों के साथ मिलकर समाधान की तलाश की जा रही है, जैसे कि समाप्ति भुगतान, कार्य-पूर्ण होने के आधार पर निपटान, समाधान योजना, मध्यस्थता प्रक्रिया, एनएआरसीएल/अन्य एआरसी को संपत्ति की बिक्री, वसूली कार्यवाई शुरू करना आदि। उच्च मूल्य वाले खातों की बारीकी से निगरानी की जाती है और उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जिन मामलों में मध्यस्थता की कार्यवाही चल रही है, उन पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। आईआईएफसीएल समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए डीआरटी/सीआईआरपी/एनसीएलटी के तहत मामलों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाता है।

जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी विभिन्न जोखिमों जैसे क्रेडिट जोखिम, ब्याज दर जोखिम, विनिमय जोखिम, तरलता जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम आदि के संपर्क में है, जो किसी भी ऋण व्यवसाय का एक अंतर्निहित हिस्सा हैं। कंपनी ने एक व्यापक जोखिम प्रबंधन ढांचा तैयार किया है जो संगठनों की जोखिम

क्षमता के साथ व्यावसायिक रणनीति को संरक्षित करने के लिए सक्षम बनाता है।

जोखिम प्रबंधन ढांचे का एक प्रमुख घटक जोखिम शासन है जो प्रभावी जोखिम शासन और निर्णय लेने को सुनिश्चित करने के लिए संगठनों के प्रबंधन और निदेशक मंडल के बीच एक सहयोगी दृष्टिकोण पर जोर देता है। कार्यकारी-स्तरीय परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (ALCO), क्रेडिट जोखिम प्रबंधन समिति (CRMC) और परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ORMC) के माध्यम से बोर्ड स्तर की जोखिम प्रबंधन समिति (RMC) प्रमुख जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता की समीक्षा करती है और जोखिम से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए कार्यकारी प्रबंधन की देखरेख करती है। जोखिम प्रबंधन के लिए एक मजबूत शासन संरचना सुनिश्चित करते हुए, संगठन भर में एक मजबूत जोखिम प्रबंधन संस्कृति को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी कर्मचारी जोखिमों के प्रबंधन में अपनी भूमिका को समझें।

सामूहिक रूप से, विभिन्न जोखिम प्रबंधन समितियाँ संस्था द्वारा सामना किए जाने वाले संभावित जोखिमों की पहचान, आकलन, मापन और निगरानी करने तथा जोखिम शमन योजनाओं के विकास के साथ-साथ पहचाने गए जोखिमों के प्रभाव को कम करने के लिए नियंत्रण विकसित करने की दिशा में काम करती हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संस्था स्वीकार्य जोखिम सीमाओं के भीतर काम करती है।

वर्ष के दौरान, विनियामक परिवर्तनों और व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप, आईआईएफसीएल ने एक व्यापक समीक्षा की है, जिसे बाहरी क्रेडिट एजेंसी द्वारा सभी जोखिम प्रबंधन नीतियों की पुष्टि भी की गई है, जिसमें क्रेडिट जोखिम प्रबंधन, परिचालन जोखिम प्रबंधन, और बाजार जोखिम और परिसंपत्ति-देयता तरलता जोखिम प्रबंधन नीतियों के साथ-साथ व्यवसाय निरंतरता योजना और आपदा प्रबंधन योजनाएँ शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, NBFC के लिए नई विनियामक आवश्यकताओं के जवाब में, आपकी कंपनी ने आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (ICAAP) पर नीति लागू की है।

कंपनी में क्रेडिट जोखिम की समय-समय पर समीक्षा और निगरानी की जाती है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों से बनी क्रेडिट जोखिम प्रबंधन समिति (CRMC) होती है। क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन तिमाही आधार पर विभिन्न मापदंडों के तहत किया जाता है, जिसमें जोखिम भूख सीमाओं का पालन और संवेदनशीलता विश्लेषण शामिल है। आपकी कंपनी के पास परिसंपत्तियों और देनदारियों के प्रबंधन की देखरेख के लिए एक कार्यकारी स्तर की परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (ALCO) भी है। एलको तरलता जोखिम, ब्याज दर जोखिम और विदेशी मुद्रा जोखिम की निगरानी करती है, जो आईआईएफसीएल की व्यावसायिक रणनीति के साथ

एकीकृत हैं। गैप विश्लेषण, तरलता कवरेज अनुपात और स्टॉक दृष्टिकोण अनुपात की मदद से तरलता जोखिम की निगरानी की जा रही है। इसके अलावा, आईआईएफसीएल ने सामान्य रूप से और कंपनी के विशिष्ट संचालन में परिचालन जोखिमों को कम करने के लिए अपने परिचालन जोखिम प्रबंधन ढांचे को मजबूत किया है। आईआईएफसीएल अपने परिचालन जोखिम के लिए जोखिम पूंजी की भी सक्रिय रूप से गणना कर रहा है। परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ORMC), एक कार्यकारी स्तर की समिति, परिचालन जोखिमों की समीक्षा और आकलन करती है। परिचालन जोखिमों का मूल्यांकन संबंधित कार्यात्मक विभागों द्वारा किया जाता है आपकी कंपनी ने भविष्य में ग्रीन, सोशल जैसे संधारणीय साधनों जैसे बांड/ऋण जारी करने के लिए एक संधारणीयता और पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) वित्तपोषण ढांचा तैयार किया है, जिसका उपयोग पात्र ग्रीन और/या सामाजिक परियोजनाओं/परिसंपत्तियों में निवेश या वित्तपोषण और पुनर्वित्तपोषण के लिए किया जाएगा।

अनुपालन

अनुपालन आईआईएफसीएल एक कैलेंडर के माध्यम से निरंतर निगरानी और संबंधित विभागों के साथ सक्रिय समन्वय के साथ विनियामक गैर-अनुपालन पर शून्य सहनशीलता का पालन कर रहा है। अनुपालन निगरानी प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए, आईआईएफसीएल ने अनुपालन प्रबंधन के लिए एक वेब-आधारित एप्लिकेशन तैयार किया है जिसमें अनुपालन जोखिम की पहचान, आकलन, निगरानी, प्रबंधन और रिपोर्टिंग शामिल है।

पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा

स्थायी और लचीले बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देना – पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा

पृष्ठभूमि – जलवायु परिवर्तनशीलता

आज जलवायु परिवर्तन का नकारात्मक प्रभाव दुनिया भर में विकास में सबसे बड़ी बाधा है। नीति निर्माता, ऋणदाता, निवेशक और अन्य हितधारक नीतिगत हस्तक्षेप, संस्थागत ढांचे, तकनीकी प्रगति, निवेश दर्शन, अंतराष्ट्रीय सहयोग और अन्य उपायों के माध्यम से इस प्रभाव को यथासंभव कम करने के लिए प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बुनियादी ढांचे में 'दीर्घकालिक स्थिरता' और 'लचीलापन' ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जिन पर दुनिया धीरे-धीरे आम सहमति बना रही है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण विचार के रूप में। बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए कुल वैश्विक आवश्यकता का अनुमान सालाना 3.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें सबसे बड़ी मांग उभरती अर्थव्यवस्थाओं में है। मौजूदा और प्रस्तावित बुनियादी ढांचे के कई दशकों तक चलने की उम्मीद है और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव के लगातार खतरे में हैं, जिसके परिणामस्वरूप दुर्लभ वैश्विक संसाधनों का नुकसान हो रहा है।



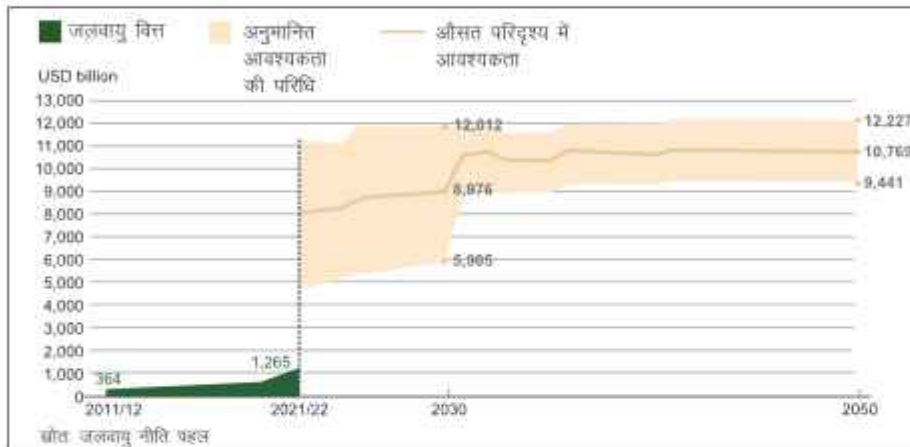
मेरठ बदायूं – गंगा एक्सप्रेसवे



रानी कमलापति रेलवे स्टेशन – भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन

जलवायु वित्त

यूएनएफसीसीसी ने जलवायु वित्त प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में कमी को उजागर करते हुए कहा कि 2009 में, विकसित देशों ने विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई का समर्थन करने के लिए 2020 तक सालाना 100 बिलियन अमरीकी डॉलर जुटाने पर सहमति व्यक्त की थी। 2015 में, पेरिस समझौते के तहत, पार्टियों ने विकासशील देशों की जरूरतों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इस लक्ष्य को 2025 तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। असंगत नियम, जवाबदेही के मुद्दे और शासन की कमजोरियों सहित चुनौतियां इस प्रगति में बाधा डालती हैं। जबकि 2021 से 2022 तक जलवायु वित्त दोगुना होकर 1.3 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर हो गया, हमें वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करने के लिए सालाना कम से कम पांच गुना वृद्धि करने की आवश्यकता है। 2031 तक अनुमानित वित्तीय जरूरतों के सालाना 10 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक तक पहुंचने के साथ, जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों को कम करने के लिए जलवायु वित्त में तेजी से वृद्धि महत्वपूर्ण है।



यद्यपि जलवायु वित्त वर्ष 2021 से 2022 तक दोगुना होकर 1.3 ट्रिलियन डॉलर हो गया है, फिर भी जलवायु परिवर्तन के सबसे गंभीर प्रभावों को तेजी से कम करने के लिए जलवायु वित्त को हर साल कम से कम पांच गुना बढ़ाने की वैश्विक आवश्यकता है।

2050 तक वैश्विक स्तर पर जलवायु वित्त और औसत अनुमानित आवश्यकताओं पर नज़र रखी गई

जलवायु कार्रवाई के लिए भारत की प्रतिबद्धता

भारत सरकार ने बजट 2024-25 में बुनियादी ढांचे में निवेश को 11% बढ़ाकर 11.11 ट्रिलियन रुपये (USD 134 बिलियन) कर दिया है, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3.4% है। पेरिस समझौते के तहत भारत को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) को प्राप्त करने के लिए, देश को 2015 से 2030 तक लगभग 162.5 लाख करोड़ रुपये (USD 2.5 ट्रिलियन) या लगभग 11 लाख करोड़ रुपये (USD 170 बिलियन) प्रति वर्ष की आवश्यकता है। बढ़े हुए जलवायु लक्ष्य हरित वित्त की आवश्यकता पर जोर देते हैं, जिसके लिए सार्वजनिक वित्त के साथ-साथ निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी की आवश्यकता होती है। हरित वित्त को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत नीतिगत ढांचा और हरित वर्गीकरण में प्रयास महत्वपूर्ण हैं, खासकर अनुकूलन उपायों के लिए।

इसके अलावा, भारत एक बड़े ऊर्जा संक्रमण लक्ष्य का सामना कर रहा है, जिसके लिए नवीकरणीय ऊर्जा और दक्षता में निवेश की आवश्यकता है। 'पंचामृत' लक्ष्यों में पांच सूत्री एजेंडा तय किया गया है, जिसमें गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता बढ़ाना, नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से 50 प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना, कुल कार्बन उत्सर्जन को कम करना, अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करना और 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना शामिल है। सरकार का लक्ष्य टिकाऊ पर्यावरणीय प्रथाओं के लिए इन लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाना है। आईआईएफसीएल जैसे क्षेत्र-विशिष्ट वित्तीय संस्थान कम कार्बन संक्रमण के लिए हरित वित्त प्रवाह को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण हैं।

India's updated Nationally Determined Contribution (NDC)		
India Submitted its first NDC to UNFCCC	October 2015	
India updated its NDCs	August 2024	
Updated NDC Goals- August 2022		
Total Goals/Targets	8 (Eight)	
3 Quantitative Targets by 2030	a)	Cumulative electric power installed capacity from non- fossil sources to reach 40 per cent .
	b)	Reduction in the emission intensity of GDP by 33 to 35 per cent compared to 2005 levels.
	c)	Creation of additional carbon sink of 2.5 to 3 billion tonnes of CO2 equivalent through additional forest and tree cover.
NDC Goal Achieved- December 2023		
Cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel-based energy resources.	186.46 GW which is the 43.81% of the total cumulative electric power installed capacity.	
Emission intensity of GDP	a)	The emission intensity of its GDP has been reduced by 33 percent between 2005 and 2019.
	b)	Reduce emissions intensity of its GDP has been enhanced to 45 percent by 2030 from 2005 level.
Source: Economic Survey 2023		

Source: Economic Survey 2023

भारत में विनियामक प्रवर्तन

भारत के विनियामक, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (SEBI), हरित वित्त पहल को आगे बढ़ा रहे हैं, आरबीआई के 'हरित जमा की स्वीकृति के लिए रूपरेखा' और SEBI के 'व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग' (BRSR) रूपरेखा जैसे ढाँचों के माध्यम से पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हरित म्यूचुअल फंड और ESG रेटिंग रूपरेखाओं के लिए SEBI का समर्थन पारदर्शिता को बढ़ाता है और निवेश को पर्यावरणीय उद्देश्यों के साथ जोड़ता है।

संधारणीय और लचीले विश्व-स्तरीय बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण में आईआईएफसीएल की भूमिका

भारत के अग्रणी वित्तीय संस्थान के रूप में, आईआईएफसीएल परिवहन, ऊर्जा, जल और स्वच्छता, संचार, सामाजिक बुनियादी ढाँचा और अन्य सहित प्रमुख क्षेत्रों में ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड विकास को शामिल करते हुए बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए वित्त की सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत को उसके शुद्ध-शून्य उद्देश्यों की ओर अग्रसर करने के लिए प्रतिबद्ध, आईआईएफसीएल उन हरित अवसंरचना परियोजनाओं को वित्तपोषित करने को प्राथमिकता देता है जो राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ-साथ इसके संगठनात्मक अधिदेश दोनों के अनुरूप हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 में, आईआईएफसीएलने 18GW नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं (जो भारत की स्थापित नवीकरणीय क्षमता का 11% है) को वित्तपोषित किया, जिससे कार्बन उत्सर्जन में 58.37^ मिलियन मीट्रिक टन की कमी आई। भविष्य में आईआईएफसीएल का लक्ष्य संधारणीयता बांड के माध्यम से धन जुटाना है, जो एक बहुमुखी संस्थान के रूप में अपनी स्थिति को उजागर करता है जो न केवल भारत की ऊर्जा संक्रमण आवश्यकताओं बल्कि सड़क, शहरी अवसंरचना और परिवहन आदि जैसे क्षेत्रों में अन्य हरित अवसंरचना परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए समर्पित है, इस प्रकार समग्र संधारणीय अवसंरचना विकास में योगदान देता है। यूएनएफसीसीसी सीडीएम के अनुसार परिकलित

पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा प्रबंधन इकाई (ईएसएमयू)

इस तथ्य पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि टिकाऊ बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण की आवश्यकता को पहचानने में आईआईएफसीएल की दूरदर्शिता अपने समय से पहले की है। आईआईएफसीएल के भीतर पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा प्रबंधन इकाई (ईएसएमयू) की स्थापना कंपनी के दूरदर्शी दृष्टिकोण का प्रमाण है। 2010 में शुरू किया गया, ईएसएमयू विभाग बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक निहितार्थों का मूल्यांकन करने के लिए समर्पित है।

आईआईएफसीएल ने पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा नीति (ईएसएसपी) के साथ-साथ इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक प्रक्रियात्मक रूपरेखा तैयार की, जिसे पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा रूपरेखा (ईएसएसएफ) कहा जाता है। ईएसएसपी हमारे वित्तीय भागीदारों और ऋणदाताओं द्वारा निर्धारित पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा मानदंडों को स्वीकार करता है, जिसमें विश्व बैंक (डब्ल्यूबी), एशियाई विकास बैंक (एडीबी), जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए), यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी), जर्मन विकास बैंक (केएफडब्ल्यू) और अन्य जैसे बहुपक्षीय और द्विपक्षीय विकास वित्तीय संस्थान शामिल हैं।

ईएसएसपी आईआईएफसीएल के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक विकास को अपने अधिदेश में सक्रिय रूप से एकीकृत करता है, जिससे सतत विकास लक्ष्यों में योगदान मिलता है। अपने संचालन में, आईआईएफसीएल का लक्ष्य विकासात्मक अनिवार्यताओं और पर्यावरण स्थिरता और सामाजिक कल्याण के सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाना है:

- I. पर्यावरण और सामाजिक (ईएंडएस) सुरक्षा उपायों पर उचित विचार करना और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को वित्तपोषित करना ताकि पर्यावरणीय और सामाजिक प्रतिकूल प्रभावों और जोखिमों, यदि कोई हो, से बचा जा सके, उन्हें कम किया जा सके और कम किया जा सके; और
- II. भारत सरकार (जीओआई) और भारत के विभिन्न राज्यों की लागू पर्यावरण और सामाजिक नीतियों, कानूनों और विनियमों का अनुपालन करना।

पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा ढाँचा (ईएसएसएफ) आईआईएफसीएल के लिए एक सक्षम तंत्र के रूप में कार्य करता है, ताकि वह अपने द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं से जुड़ी पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा कर सके। ईएसएमयू विभाग ने ईएसएसपी और ईएसएसएफ को मजबूत करने के लिए एक गतिशील दृष्टिकोण अपनाया है। टिकाऊ और लचीले वित्तपोषण के लिए महत्वपूर्ण चरों को शामिल करके ईएसएसपी/ईएसएसएफ को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। आईआईएफसीएल द्वारा वित्तपोषित बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को संबोधित करने से लेकर लिंग/एसओजीआई/जीईएसआई आदि जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देने तक, विभाग ऐसे कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

ईएसएमयू विभाग की भूमिका

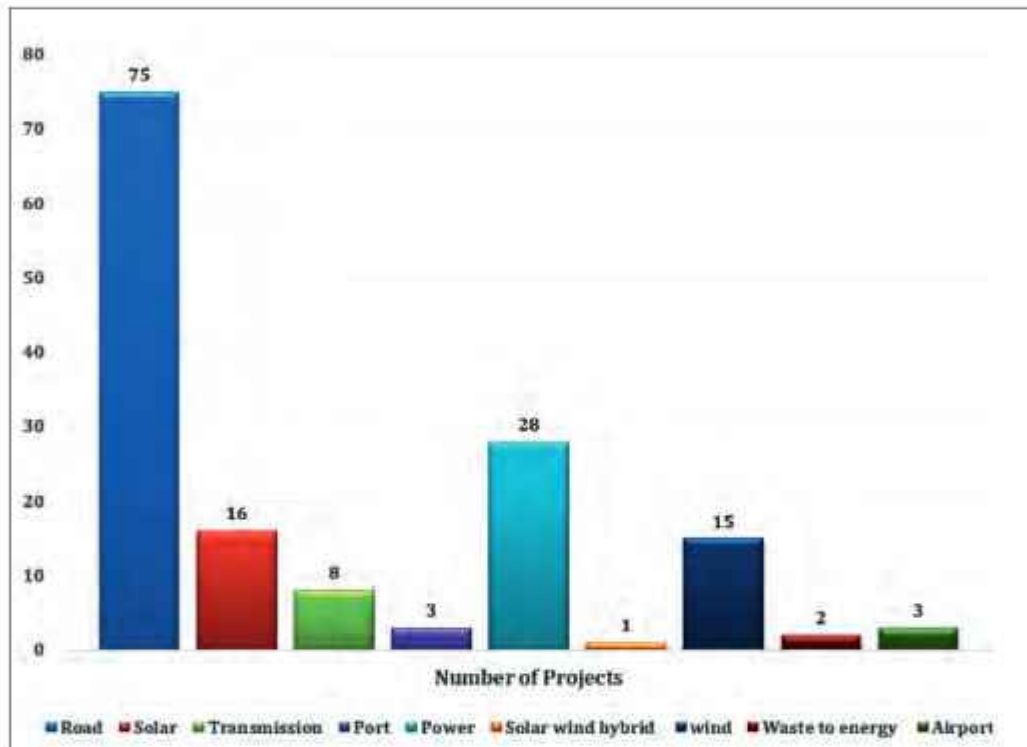


आईआईएफसीएल में बहुपक्षीय और द्विपक्षीय ऋण रेखाएं

विदेशी मुद्रा ऋण किसी भी वित्तीय संस्थान की उधारी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो उसके विविध वित्तीय संसाधनों में योगदान देते हैं। ये आमतौर पर 20 वर्षों से अधिक अवधि वाले दीर्घकालिक ऋण होते हैं, जो आईआईएफसीएल जैसी संस्थाओं के लिए सबसे उपयुक्त हैं, जो व्यवहार्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान करती हैं। दीर्घकालिक वित्तपोषण सुनिश्चित करने के लिए, आईआईएफसीएल ने प्रमुख बहुपक्षीय/विकासात्मक वित्तीय संस्थानों (MFIs/DFIs) जैसे कि विश्व बैंक, एडीबी, केडीबी, केएफडब्ल्यू, ईआईबी, और जेआईसीए के साथ विभिन्न ऋण रेखाओं के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, ईएसएमयू ने जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) की ऋण रेखा के तहत जेपीवाई 4 बिलियन (220 करोड़ रुपये के समकक्ष) की स्वीकृति और वितरण में सहायता की। आईआईएफसीएल वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के भीतर जेआईसीए ऋण रेखा की पूरी निकासी की अपेक्षा कर रहा है, जिससे आईआईएफसीएल के पास उपलब्ध सभी चल रही बहुपक्षीय/द्विपक्षीय ऋण रेखाओं की सफल निकासी पूरी हो जाएगी।

आईआईएफसीएल में बहुपक्षीय और द्विपक्षीय ऋण रेखाओं का प्रभाव

इन बहुपक्षीय और द्विपक्षीय ऋण रेखाओं का प्रभाव व्यापक रहा है, जो देश के विभिन्न क्षेत्रों और अनेक बुनियादी ढांचा क्षेत्रों तक पहुंचा है।



विभिन्न क्षेत्रों से प्रस्तुत परियोजनाएँ



विभिन्न राज्यों में आद्यत परियोजनाओं की संख्या

ऊपर दिया गया बार ग्राफ उन परियोजनाओं को दर्शाता है, जिन्हें आईआईएफसीएल ने बहुपक्षीय एजेंसियों को विभिन्न क्षेत्रों में ऋण रेखाओं की निकासी के लिए प्रस्तावित किया है। जबकि दाईं ओर का मानचित्र भारत भर में व्यापक प्रभाव को दर्शाता है, जो देश भर के विभिन्न राज्यों से प्रस्तावित परियोजनाओं की संख्या द्वारा प्रमाणित है।

इन ऋण रेखाओं की सफल निकासी से उत्पन्न प्रभाव यह स्पष्ट करता है कि देश भर में प्रभाव पैदा करने में ईएसएमयू विभाग ने कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)

आईआईएफसीएल द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता ने सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाया है। एसडीजी7 की दिशा में अपने प्रयासों के अतिरिक्त, आईआईएफसीएल अपनी विविध ऋण परियोजनाओं के माध्यम से अन्य कई सतत विकास लक्ष्यों में भी योगदान दे रहा है।

UN SDGs	Roads & Highways	Airports	Seaports	Power (RE & Transmission)	Railways	Solid waste Management	Telecom	Urban Infrastructure	Gas pipelines
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
4				✓			✓		
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8				✓		✓		✓	✓
9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
12				✓	✓	✓		✓	✓
13	✓			✓	✓	✓		✓	✓
14									
15									
16									
17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियों से नई ऋण रेखाएं

आईआईएफसीएल नवाचारपूर्ण वित्तीय संरचनाओं, जैसे मिश्रित ऋण रेखाओं (Blended Lines of Credit), की खोज के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका उद्देश्य बहुपक्षीय संस्थानों से संसाधनों की जुटान के लिए विशेष वित्तीय व्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करना है। यह रणनीति भारत में मिश्रित वित्त को बढ़ावा देती है और क्षेत्र की समकालीन जरूरतों को पूरा करती है। ऐसी पहलें अवसंरचना क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाने की क्षमता रखती हैं, जिससे देश के विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाया जा सके। वर्तमान में, आईआईएफसीएल विदेशी संसाधनों की जुटान के अपने प्रयासों के तहत भविष्य की ऋण रेखाओं के लिए कई बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियों के साथ चर्चा कर रहा है।

मानव संसाधन प्रबंधन

मानव संसाधन विभाग कर्मचारियों के विकास में एक सक्षम भूमिका निभाता है और अपने कर्मचारियों के समग्र पेशेवर विकास को सुनिश्चित करता है। इस वर्ष विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों की नई भर्ती की गई, जिससे कंपनी की कुल कर्मचारी संख्या एक सौ चौबीस (124) कर्मचारियों तक पहुंच गई। नई भर्ती के अतिरिक्त, योग्य अधिकारियों के लिए पदोन्नति प्रक्रिया भी पूरी की गई।

कंपनी के मानव संसाधन के विकास के लिए, अधिकारियों को परियोजना वित्तपोषण, लेखांकन, जोखिम प्रबंधन, बांड बाजार, साइबर सुरक्षा, सीएसआर, सार्वजनिक खरीद आदि के क्षेत्रों में आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जो विभिन्न प्रमुख भारतीय और विदेशी संस्थानों में दिया गया (सभी कर्मचारियों को, जिनमें एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणी के कर्मचारी भी शामिल हैं)।

कर्मचारियों और उनके परिवारों के बीच फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जैसे स्वतंत्रता दौड़, वार्षिक खेल उत्सव, क्रिकेट मैच आदि।

वर्ष के दौरान कर्मचारी संबंध शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रहे। कंपनी में एससी/एसटी सेल कार्यात्मक है। इस वर्ष कंपनी में एससी/एसटी कर्मचारियों से 'शून्य' शिकायत/शिकायतें प्राप्त हुई हैं। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए सभी सरकारी नीतियों का पालन किया जा रहा है।

कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉसिबिलिटी (CSR) पहल

आईआईएफसीएल एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार संगठन है और ने अपने CSR नीति को पूरी निष्ठा के साथ लागू किया है, जिसमें स्वच्छ भारत, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय धरोहर का संरक्षण, खेलों को बढ़ावा और हरित ऊर्जा को मुख्य क्षेत्रों के रूप में शामिल किया गया है। IIFCL की CSR पहल के तहत लागू की गई परियोजनाएं देश के 26 राज्यों तक पहुंच रही हैं और समाजिक हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले विविध क्षेत्रों/लाभार्थियों को कवर कर रही हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान IIFCL की CSR पहलों ने स्वास्थ्य एवं पोषण, पेयजल, और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में नए परियोजनाओं को स्वीकृत किया, जिससे भारत के आकांक्षी ब्लॉकों में रहने वाले लोगों के जीवन को सशक्त बनाया जा सके। IIFCL की CSR थीम वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान "स्वास्थ्य और पोषण" रही है, और IIFCL ने इस थीम क्षेत्र में परियोजनाओं को स्वीकृत किया, जो बुजुर्ग, महिलाओं और किशोरी बालिकाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मातृ मृत्यु दर (MMR), शिशु मृत्यु दर (IMR) और पोषण सहायता को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, भारत की राष्ट्रीय धरोहर के संरक्षण के लिए, आपकी कंपनी ने हैदराबाद स्थित राष्ट्रपति निवास (राष्ट्रपति

निवास) में 120 फीट ऊंचे ध्वज स्तंभ की प्रतिकृति बनाई है। इस ध्वज स्तंभ का उद्घाटन भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा किया गया।

आंतरिक नियंत्रण

आपकी कंपनी परिचालन की दक्षता और वैधानिक कानूनों, विनियमों और कंपनी की नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपने आकार और संरचना के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण की एक पर्याप्त प्रणाली बनाए रखती है। प्रमुख क्षेत्रों की ऑडिट नियमित आधार पर आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा इन-हाउस की जाती है और नीतियों और प्रक्रियाओं में अंतराल की पहचान की जाती है और सुधार के लिए उन्हें उजागर किया जाता है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ऑडिट समाप्त हो गया है और ऑडिट निष्कर्षों को नियमित अंतराल पर बोर्ड की ऑडिट समिति के समक्ष उनकी समीक्षा और सुधारात्मक उपायों पर सिफारिशें/सुझाव के लिए रखा जाता है।

नियामक दिशानिर्देशों और परिचालन में बदलावों को पकड़ने के लिए आंतरिक ऑडिट गतिविधियों को और मजबूत और सुव्यवस्थित करने के लिए और आरबीआई अधिसूचना आरबीआई/2020-21/88 संदर्भ संख्या डीओएस.सीओ.पीपीजी./एसईसी.05/11.01.005/2020-21 दिनांक 3 फरवरी 2021 की आवश्यकताओं के अनुसार, आपकी कंपनी ने जोखिम आधारित आंतरिक ऑडिट (आरबीआईए) दृष्टिकोण अपनाया है। निदेशक मंडल (BoD) ने जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा नीति को मंजूरी दे दी है, जिसकी नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप वार्षिक समीक्षा की जाती है। आपकी कंपनी ने जोखिम आधारित दृष्टिकोण का पालन करते हुए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा पूरी कर ली है। साथ ही, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखने से पहले आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और उसके अनुपालन की नियमित समीक्षा करने के लिए आंतरिक रूप से अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय लेखा परीक्षा समिति (ACE) का गठन किया गया है।

सभी वित्तीय लेन-देन की नियमित, व्यवस्थित और समय पर जांच/लेखा परीक्षा के लिए, आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2019-20 से समवर्ती लेखा परीक्षा प्रक्रिया को अपनाया है। आपकी कंपनी द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की एक फर्म को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है और निष्कर्षों को उनकी समीक्षा और सुधारात्मक उपायों पर सिफारिशों/सुझावों के लिए नियमित अंतराल पर ACE और उसके बाद बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखा जाता है।

हितधारकों को यह आश्वासन देने के लिए कि उनकी कंपनी ने संगठन की नीति के अनुरूप और 08 जून, 2017 के आरबीआई मास्टर निर्देश संख्या DNBS-PPD-No-04/66-15-001/2016-17 की आवश्यकताओं के अनुसार, अपनी गतिविधियों, उत्पादों और सेवाओं के प्रासंगिक पहलुओं के प्रबंधन के लिए एक सूचना प्रणाली (आईएस) ऑडिट लागू किया है, आपकी कंपनी ने सूचना प्रणाली और सूचना सुरक्षा ऑडिटर की नियुक्ति की थी और आईएस ऑडिटर द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ऑडिट समाप्त कर दिया गया है। ये सख्त आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं त्रुटियों की संख्या को कम करेंगी, प्रक्रियाओं/प्रणाली में अंतराल और कमजोरियों को कम करने के लिए प्रक्रियाओं को बेहतर और मजबूत करेंगी, यदि कोई हो, नियमित और निरंतर तरीके से, और अंततः सभी हितधारकों का विश्वास हासिल करने में योगदान देंगी।

कंपनी की रेटिंग – बॉन्ड जारी करना और रेटिंग

आईआईएफसीएल ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान प्राइवेट प्लेसमेंट बॉन्ड के ज़रिए 7,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं और जुटाए गए कुल फंड का 100% इस्तेमाल किया है।

आईआईएफसीएल के घरेलू दीर्घकालिक उधार (बॉन्ड) को विभिन्न रेटिंग एजेंसियों द्वारा AAA/ AAA (SO)* रेटिंग दी गई है। चालू वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान रेटिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन

IIFCL एक ISO 9001:2015 प्रमाणित कंपनी बनी हुई है, जिसके पास गुणवत्ता नीति और गुणवत्ता मैनुअल स्थापित, प्रलेखित और कार्यान्वित है और यह सुनिश्चित करने के लिए एक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (फडै) बनाए रखती है कि IIFCL की सेवाएँ निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप हैं और इसकी प्रभावशीलता में लगातार सुधार हो रहा है। फडै फ्रेमवर्क से संबंधित दस्तावेज़ IIFCL नीतियों/सिपटी दिशानिर्देशों में संशोधन, आईएसओ 9001 मानक में संशोधन या व्यावसायिक प्रक्रियाओं में बदलाव के आधार पर अपडेट किए जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, IIFCL ने ISO 9001:2015 मानक प्रमाणन और इसके गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (फडै) ढांचे की अनुपालन आवश्यकताओं का पालन किया। आईएसओ 9001:2015 मानक आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए, छह महीने के आधार पर आंतरिक गुणवत्ता ऑडिट किए गए और उसके बाद प्रबंधन समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं ताकि इसकी निरंतर उपयुक्तता, पर्याप्तता और प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके और सुधार के अवसरों का आकलन किया जा सके। IIFCL प्रबंधन अपने हितधारकों को व्यावसायिक संचालन और सेवा वितरण में फडै अनुपालन के पालन पर जोर देता है, जिस पर समय-समय पर प्रबंधन समीक्षा बैठकों में लगातार विचार-विमर्श किया जाता है। IIFCL का ISO 9001 प्रमाणन 07 फरवरी, 2026 तक वैध है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, IIFCL ने अपने ISO प्रमाणन की निरंतरता के लिए ISO प्रमाणन एजेंसी द्वारा वार्षिक निगरानी ऑडिट सफलतापूर्वक किया है।

व्यवसाय विकास

आपकी कंपनी बुनियादी ढांचा क्षेत्र में आईआईएफसीएल की भागीदारी और समर्थन का विस्तार करने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचा क्षेत्र में प्रमुख मुद्दों और क्षेत्रीय विषयों पर चर्चा करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों, डेवलपर समूहों, इनविट्स, निजी इक्विटी फंड, सॉल्वरेन्स वेल्थ फंड रेटिंग एजेंसियों, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियों, सरकारी अधिकारियों आदि जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ नियमित आधार पर बातचीत करती है।



पारादीप बंदरगाह की हैंडलिंग क्षमता 5 एमटीपीए है

निदेशक मंडल

आज की तिथि के अनुसार आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार है:

नाम और पदनाम (नोट 1 देखें)	डीआईएन	पैन	श्रेणी	नियुक्ति की तिथि	पुनर्नियुक्ति की तिथि	जन्म तिथि	इस सूचीबद्ध इकाई सहित सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पदों की संख्या (सूचीबद्धता विनियमों के तहत)	इस सूचीबद्ध इकाई सहित सूचीबद्ध संस्थाओं में स्वतंत्र निदेशक पद की संख्या (सूचीबद्धता विनियमों के तहत)	इस सूचीबद्ध इकाई सहित सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पदों की संख्या (सूचीबद्धता विनियमों के तहत)	इस सूचीबद्ध इकाई सहित सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पदों की संख्या (सूचीबद्धता विनियमों के तहत)	इस सूचीबद्ध इकाई सहित सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पदों की संख्या (सूचीबद्धता विनियमों के तहत)
डॉ. पी.आर. जयशंकर (नोट 1 देखें)	06711526	AAHPJ5736F	प्रबंध निदेशक	29 th मई 2020	29 th मई 2023	20.11.1965	1	शून्य	1	शून्य	शून्य
श्री पवन के कुमार (नोट 2 देखें)	08901398	AAKPK5448E	उप प्रबंध निदेशक	1 अक्टूबर 2020	1 अक्टूबर 2023	11.09.1964	1	शून्य	2	शून्य	शून्य
सुश्री एम.जी. जयश्री (नोट 3 देखें) उप महानिदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	08991135	AGTPM9099G	सरकार द्वारा नामित निदेशक	6 अगस्त 2024	-	31.05.1975	2	शून्य	2	शून्य	शून्य
श्री सोलोमन अरोकियाराज (नोट 4 देखें) संयुक्त सचिव, अवसरसत्तना नीति एवं योजना प्रभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	06802660	ADZPA3994P	सरकार द्वारा नामित निदेशक	23 जनवरी 2023	-	12.06.1973	2	शून्य	1	शून्य	शून्य
श्री चौ. पार्थ सारथी रेड्डी (नोट 5 देखें) सलाहकार, (पीएमडी), नीति आयोग	08941266	AARPC0039J	सरकार द्वारा नामित निदेशक	29 अक्टूबर 2020	-	24.08.1973	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
श्री कल्याण कुमार (नोट 6 देखें) कार्यकारी निदेशक, पंजाब नेशनल बैंक	09631251	AADPY6669A	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक	21 सितम्बर 2022	-	10.01.1969	2	शून्य	2	शून्य	शून्य
श्री संजय रुद्र कार्यकारी निदेशक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	09650826	AFMPR9680N	अनुसूचित बैंक नामित निदेशक	1 जुलाई 2024	-	18.06.1966	2	शून्य	2	शून्य	1

आगे देखें

श्री समीर जेरामभाई बोधारा (नोट: 6 देखें)	10163651	ABOP88460C	स्वातंत्र्य निदेशक	15 मई 2023	30.12.1967	1	1	21
--	----------	------------	--------------------	------------	------------	---	---	----

टिप्पणियाँ:

आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल में सरकारी नामित निदेशक के रूप में आर्थिक मामलों के विभाग (आईए), वित्त मंत्रालय के संचुक्त सचिव, बुनियादी ढांचा नीति और योजना प्रभाग, श्री सोलोमन अरोकियायाराज को नामित किया है। तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक।

5. वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 3/1/2010/आईएफ-1 (खंड IV) दिनांक 28 अक्टूबर 2020 के माध्यम से श्री चो. की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार की स्वीकृति प्रदान की है। इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के एसोसिएशन के लेख (एओए) के अनुच्छेद 115 (1) (बी) (आई) के प्रावधानों के अनुसार श्री सोनजीय कुमार साहा के स्थान पर तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक आईआईएफसीएल के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक के रूप में पार्षद सारथी रेड्डी (आईआईएफसीएल), सलाहकार (पीएएमडी) की नियुक्ति की गई है। श्री चो. पार्षद सारथी रेड्डी की नियुक्ति 29 अक्टूबर 2020 यानी निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) के आवंटन की तारीख से प्रभावी है।

6. वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार पत्र संख्या एफ.सं. 3/1/2010/आईएफ-1 दिनांक 21 सितंबर 2022 में श्री कल्याण कुमार, कार्यकारी निदेशक, पंजाब नेशनल बैंक को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक, आईआईएफसीएल के एसोसिएशन के लेखों के अनुच्छेद 115(1)(बी)(ii) के प्रावधानों के अनुसार, श्री अजय कुमार श्रीवास्तव के स्थान पर, इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के बोर्ड में अनुसूचित जाति/जनजाति बैंक (एससीबी) नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया।

7. वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार पत्र संख्या के अनुसार।

नाम और पदनाम	डीआईएन	पैन	श्रेणी	कार्यकाल
डॉ. राम जस यादव (नोट 1 देखें)	08911900	ACPPK8342Q	अनुसूचित जाति/जनजाति बैंक नामित निदेशक	21 सितंबर 2022-30 अप्रैल 2024
श्री भूपण कुमार सिन्हा (नोट 2 देखें)	08135512	ALJP50644L	सरकार द्वारा नामित निदेशक	6 जनवरी 2023-6 अगस्त 2024

बोर्ड कंपनी में उनके योगदान की सराहना रिकॉर्ड में दर्ज करना चाहता है।

टिप्पणियाँ:

1. भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या एफ.सं. 3/1/2010/आईएफ-1 दिनांक 21 सितंबर 2022 के माध्यम से नियुक्त आईआईएफसीएल के बोर्ड में अनुसूचित जाति/जनजाति बैंक के नामित निदेशक डॉ. राम जस यादव का कार्यकाल उनकी सेवाविधि के बाद 30 अप्रैल 2024 को समाप्त हो गया।

2. वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 18/7(II)/2022-आईएफ-1 दिनांक 6 अगस्त 2024 के माध्यम से सूचित किया है कि इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के एसोसिएशन के अनुच्छेद 115 (1)(बी)(i) और 120 के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार ने सुश्री एम.जी. जयश्री, उप महानिदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल में श्री भूपण कुमार सिन्हा के स्थान पर सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

1. वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या एफ.सं. 9/3(प)/2019/आईएफ-1 दिनांक 27 मई 2020 के माध्यम से डॉ. पदमनाभन राजा जयशंकर, कार्यकारी निदेशक (ईडी), राष्ट्रीय अवांस बैंक (एनएचबी) को भारत इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के प्रबंध निदेशक (एमडी) के रूप में उनकी पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, की नियुक्ति की सूचना दी। डॉ. पी.आर. जयशंकर ने 29.05.2020 से आईआईएफसीएल के प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इसके बाद, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या एफ.सं. 18(6)/2022/आईएफ-1 दिनांक 26 अप्रैल 2023 द्वारा डॉ. पदमनाभन राजा जयशंकर को इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के प्रबंध निदेशक (एमडी) के रूप में उनके वर्तमान कार्यकाल के पूरा होने की तिथि से दो (2) वर्ष की अवधि के लिए (अर्थात् 28.5.2023 तक) विस्तारित करने की सूचना दी गई, अर्थात् 29.05.2023 से 28.5.2025 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो।

2. वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 9/3/2019/आईएफ-1 दिनांक 23 सितंबर 2020 के माध्यम से 1990 बैंक के आईआरएस (आईटी) अधिकारी (डी.ओ.बी.सं. 11.9.1964) श्री पवन कुमार कुमार को प्रतिनियुक्ति के आधार पर उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी) के रूप में नियुक्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्रदान की है, जो पद का कार्यभार संभालने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए है। आईआईएफसीएल के डीएमडी के रूप में नियुक्ति से पहले, श्री पवन कुमार कुमार भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (आईडीबीआई) के कार्यकारी निदेशक के रूप में काम कर रहे थे। श्री पवन कुमार कुमार नियुक्ति 1 अक्टूबर 2020 यानी निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) के आवंटन की तारीख से प्रभावी है। श्री पवन कुमार कुमार ने 1 अक्टूबर 2020 से आईआईएफसीएल के उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

इसके बाद, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या एफ.सं. 18/4/2020/आईएफ-1 दिनांक 31 अक्टूबर 2023 के माध्यम से 1990 बैंक के आईआरएस (आईटी) अधिकारी श्री पवन कुमार कुमार को इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी) के रूप में कार्यभार को 30.09.2023 से आगे एक (1) वर्ष की अवधि के लिए सेवाविधि की तारीख यानी 30.09.2024 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, एक बढ़ाने की सूचना दी।

3. वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 18/7(II)/2022-आईएफ-1 दिनांक 6 अगस्त 2024 के माध्यम से सूचित किया है कि इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के एसोसिएशन के लेखों के अनुच्छेद 115 (1)(बी)(i) और 120 के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार ने सुश्री एम.जी. जयश्री, उप महानिदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल में श्री भूपण कुमार सिन्हा के स्थान पर सरकारी नामित निदेशक के रूप में नामित किया है।

4. वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या एफ.सं. 18/7/2022/आईएफ-1 दिनांक 23 जनवरी 2023 ने सूचित किया है कि इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के एसोसिएशन के लेखों के अनुच्छेद 115 (1) (बी) (आई) (आई) और 120 के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार ने श्री पीयूष कुमार के स्थान पर

कंपनी देश के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में नियमित अंतराल पर हितधारकों की बैठकें भी आयोजित करती है, जहाँ विभिन्न हितधारकों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाता है और हितधारकों को व्यवसाय विकास से अवगत कराने के लिए संवादात्मक सत्र आयोजित किए जाते हैं। डेवलपर्स/उधारकर्ताओं, बैंकों और रियायती अधिकारियों के साथ नियमित बातचीत के माध्यम से, वित्तपोषण के लिए आगामी परियोजनाओं पर नजर रखी जाती है। शेयर पूंजी आईआईएफसीएल के सभी शेयरधारक भारत सरकार के प्रतिनिधि हैं और आईआईएफसीएल की पूरी चुकता इक्विटी शेयर पूंजी भारत सरकार के पास है। 31 मार्च 2024 तक, आपकी कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 10,000 करोड़ रुपये थी और चुकता शेयर पूंजी 9999.91,62,300 रुपये थी, जिसमें 10 रुपये प्रत्येक के 999,99,16,230 इक्विटी शेयर शामिल थे, जो पूरी तरह से भारत सरकार के पास थे। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) को कोई इक्विटी योगदान नहीं मिला।

लामांश

आईआईएफसीएल मौजूदा दिशा-निर्देशों और वैधानिक प्रावधानों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लामांश का भुगतान करने के लिए पात्र है। व्यावसायिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, निदेशक मंडल ने आईआईएफसीएल को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लामांश के भुगतान के लिए सरकार से छूट मांगने का निर्देश दिया। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के तहत ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

आपकी कंपनी एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो बुनियादी ढांचे की सुविधा के लिए वित्तपोषण के व्यवसाय में लगी हुई है और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के प्रासंगिक प्रावधान से मुक्त है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) से माल और सेवाओं की खरीद

पंथ ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 12,821.77 लाख रुपये मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की है, जिसमें से कुल 774.36 लाख रुपये मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद यानी 6.03: मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) से की गई। इसके अलावा, भारत सरकार के कमंड पोर्टल से 12,674.49 लाख रुपये मूल्य की खरीद की गई है, जो कि कुल मूल्य का 98: से अधिक है।

निदेशकों का उत्तरदायित्व कथन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के तहत आवश्यकता के अनुसार, यह पुष्टि की जाती है:

- क) कि 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक खातों की तैयारी में लागू लेखांकन मानक का पालन किया गया था और उससे कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं किया गया था।
- ख) कि निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें लगातार लागू किया था और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए थे जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और समीक्षाधीन वर्ष के लिए कंपनी के लाभ का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके।

ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और घोखाघड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की थी।

घ) निदेशकों ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए चालू वित्त वर्ष के आधार पर खाते तैयार किए थे।

ड) निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए थे और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।

च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की थीं तथा ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त थीं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही थीं।

कॉर्पोरेट प्रशासन

कॉर्पोरेट प्रशासन निगम के सच्चे मालिक के रूप में शेयरधारकों के अविभाज्य अधिकारों और शेयरधारकों की ओर से ट्रस्टी के रूप में उनकी अपनी भूमिका के प्रबंधन द्वारा स्वीकृत सिद्धांतों का एक समूह है। कॉर्पोरेट प्रशासन पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है जो कंपनी और समाज के मजबूत और संतुलित आर्थिक विकास को सुनिश्चित करता है। तदनुसार, कॉर्पोरेट जगत में कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं को अपनाने और मजबूत करने के लिए मजबूत अहसास है।

आपकी कंपनी ऐसे कॉर्पोरेट प्रशासन दर्शन के अनुरूप कॉर्पोरेट संरचना, व्यवसाय के संचालन और प्रकटीकरण प्रथाओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखती है। आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल की संरचना जैसा कि वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा पत्र संख्या एफ.नं. 18/6/2014-आईएफ-1 दिनांकित 22 जनवरी 2015 है: - दो (2) पूर्णकालिक निदेशक जिनमें से एक प्रबंध निदेशक होगा, तीन (3) सरकारी नामित निदेशक, दो (2) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की संख्या। इसके अलावा, आईआईएफसीएल ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग से अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर विचार करने का अनुरोध किया है।

आपकी कंपनी वित्तीय विवरणों के समेकन के संबंध में लागू लेखांकन मानकों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करती है। प्रबंधन बोर्ड को सभी भौतिक वित्तीय और वाणिज्यिक लेनदेन से संबंधित खुलासे करता है, जहां उनका व्यक्तिगत हित होता है जो कंपनी के हित के साथ संभावित संघर्ष हो सकता है वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकें

कंपनी का निदेशक मंडल नेतृत्व और रणनीतिक दिशा प्रदान करता है और अपने वस्तुनिष्ठ निर्णय को सामने लाता है, ताकि कंपनी के कामकाज पर नियंत्रण रखा जा सके, एक कुशल प्रबंधन के माध्यम से हितधारकों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल ने 15 मई 2023, 27 जून 2023, 4 अगस्त 2023, 18 सितंबर 2023, 29 सितंबर 2023, 7 अक्टूबर 2023, 8 नवंबर 2023, 17 जनवरी 2024, 13 फरवरी 2024, 1 मार्च 2024 और 28 मार्च 2024 को ग्यारह बार बैठक की।

निदेशक मंडल की समिति

बोर्ड पूर्ण बोर्ड के रूप में या विशिष्ट परिचालन क्षेत्रों की देखरेख के लिए गठित विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करता है। बोर्ड की प्रत्येक समिति अपने संदर्भ की शर्तों द्वारा निर्देशित होती है, जो समिति की संरचना, कार्यक्षेत्र और शक्तियों को परिभाषित करती है। समितियाँ नियमित अंतराल पर मिलती हैं और विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती हैं और उन्हें सौंपे गए अधिकार के भीतर सूचित निर्णय लेती हैं।

31 मार्च 2024 तक, बोर्ड में निम्नलिखित समितियाँ थीं:

1. लेखा परीक्षा समिति
2. प्रबंधन और निवेश समिति
3. जोखिम प्रबंधन समिति
4. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति
5. पारिश्रमिक और नामांकन समिति
6. हितधारक संबंध समिति
7. आईटी रणनीति समिति

निदेशक मंडल और बोर्ड स्तरीय समितियों की बैठकें सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, कंपनी अधिनियम, 2013 और आरबीआई दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट तरीके से आयोजित की गई हैं। बोर्ड और बोर्ड स्तरीय समिति की बैठकों की आवधिकता तथा बैठकों के लिए कोरम की आवश्यकता को सेबी (एलओडीआर), विनियम, 2015, कंपनी अधिनियम, 2013 और आरबीआई के कॉर्पोरेट प्रशासन मानदंडों के तहत पूरा किया गया है।

इसके अलावा, समिति के सदस्यों को सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ), विनियम, 2015, कंपनी अधिनियम, 2013 और आरबीआई दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट उनकी शक्तियों, भूमिका और जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया है। तिमाही कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट निदेशक मंडल के समक्ष विधिवत रखी जाती है। इसके अलावा, सेबी (एलओडीआर), विनियम, 2015 के विनियम 62 के अनुसार पर्याप्त खुलासे आईआईएफसीएल की वेबसाइट (www.iifcl.in) पर किए गए हैं।

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)

लेखा परीक्षा समिति का गठन 29 मई, 2006 को आयोजित तीसरी बोर्ड बैठक में किया गया था। लेखा परीक्षा समिति का अंतिम पुनर्गठन 12 अगस्त 2024 को आयोजित 141वीं बोर्ड बैठक में किया गया था।

आज की तिथि के अनुसार लेखा परीक्षा समिति का गठन निम्नानुसार है:

नाम	पदनाम
श्री समीर जेरममाई बोघारा	स्वतंत्र निदेशक समिति के अध्यक्ष
श्री पवन कुमार कुमार	उप प्रबंध निदेशक
श्री भूषण कुमार सिन्हा(नोट 1)	सरकार द्वारा नामित निदेशक
सुश्री एम.जी. जयश्री(नोट 2)	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री सोलोमन अरोकियाराज	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री चौ. पार्थ सारथी रेड्डी	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री कल्याण कुमार	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा नामित निदेशक

नोट:

1. 6 अगस्त 2024 से सदस्य और निदेशक नहीं रहेंगे
2. 6 अगस्त 2024 से सदस्य और निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए। 6 अगस्त 2024

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की नौ बार बैठक हुईं 15 मई 2023, 27 जून 2023, 4 अगस्त 2023, 18 सितंबर 2023, 29 सितंबर 2023, 8 नवंबर 2023, 13 फरवरी 2024, 1 मार्च 2024 और 28 मार्च 2024।

प्रबंधन और निवेश समिति (एमआईसी)

एमआईसी का गठन 20 फरवरी, 2013 को आयोजित 60वीं बोर्ड बैठक में किया गया था। एमआईसी का अंतिम पुनर्गठन 12 अगस्त 2024 को आयोजित 141वीं बोर्ड बैठक में किया गया था। आज की तिथि तक प्रबंधन और निवेश समिति का गठन निम्नानुसार है:

नाम	पदनाम
डॉ. पी.आर. जयशंकर	प्रबंध निदेशक, आईआईएफसीएल समिति के अध्यक्ष
श्री पवन कुमार कुमार	उप प्रबंध निदेशक
श्री सीलोमन अरोकियाराज	सरकारी नामित निदेशक
श्री चौ. पार्थ सारथी रेड्डी	सरकारी नामित निदेशक
श्री कल्याण कुमार	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक
डॉ. राम जस यादव (नोट 1)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक
श्री संजय रुद्र (नोट 2)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक
श्री समीर जेरममाई बोधारा	स्वतंत्र निदेशक

नोट:

- 30 अप्रैल 2024 से सदस्य और निदेशक नहीं रहेंगे।
- 1 जुलाई 2024 से सदस्य और निदेशक नियुक्त किए जाएंगे।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, बोर्ड की प्रबंधन एवं निवेश समिति की बारह बैठकें हुईं: यथा 3 अप्रैल 2023, 2 मई 2023, 15 मई 2023, 30 जून 2023, 3 अगस्त 2023, 1 सितंबर 2023, 22 सितंबर 2023, 6 नवंबर 2023, 21 नवंबर 2023, 17 जनवरी 2024, 1 मार्च 2024 और 28 मार्च 2024।

जोखिम प्रबंधन समिति

आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल ने 14 नवंबर 2008 को आयोजित 21वीं बैठक में बोर्ड की जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन समिति का गठन किया। आईआईएफसीएल को आरबीआई के साथ एनबीएफसी-आईएफसी के रूप में पंजीकृत किए जाने और आईआईएफसीएल में एकीकृत जोखिम प्रबंधन ढांचे के कार्यान्वयन के मद्देनजर, आईआईएफसीएल जोखिम प्रबंधन और परिसंपत्तियों एवं देयताओं के प्रबंधन को समग्र मार्गदर्शन देने के लिए 3 फरवरी 2014 को आयोजित 68वीं बोर्ड बैठक में बोर्ड स्तरीय – जोखिम शमन और प्रबंधन समिति को बोर्ड स्तरीय- जोखिम प्रबंधन और एएलसीओ समिति के रूप में पुनर्गठित किया गया। इसके बाद, 26 नवंबर 2014 को आयोजित 73वीं बैठक में आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मास्टर सर्कुलर-कॉर्पोरेट गवर्नंस के विनियमन 3 के मद्देनजर आईआईएफसीएल की मौजूदा जोखिम प्रबंधन और एएलसीओ समिति को दो समितियों में विभाजित किया जाए, जिसका नाम जोखिम प्रबंधन समिति और एएलसीओ समिति है, संदर्भ संख्या डीएनबीएस (पीडी) सीसी संख्या 390/03.10.001/2014-15 दिनांक 1 जुलाई, 2014 है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि 20 करोड़ रुपये और उससे अधिक की सार्वजनिक जमा राशि या 100 करोड़ रुपये उससे अधिक की परिसंपत्ति वाले प्रत्येक एनबीएफसी को परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) के अलावा एकीकृत जोखिम का प्रबंधन करने के लिए एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन करना होगा। दोनों समितियों के सदस्य एक ही होने थे।

बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति ने 9 सितंबर 2020 को आयोजित बैठक में दी गई बोर्ड की मंजूरी के अनुसार बोर्ड स्तरीय ALCO की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को अपने अधीन कर लिया है। कार्यकारी स्तर की ALCO समिति द्वारा लिए गए निर्णय को अब सूचना और रणनीतिक दिशा के लिए बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति को रिपोर्ट किया जाएगा।

जोखिम प्रबंधन समिति का अंतिम पुनर्गठन 12 अगस्त 2024 को आयोजित 141वीं बोर्ड बैठक में किया गया था।

आज की तिथि के अनुसार जोखिम प्रबंधन समिति का गठन निम्नानुसार है:

नाम	पदनाम
श्री संजय रुद्र (नोट 1)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक समिति के अध्यक्ष
डॉ. राम जस यादव (नोट 2)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक
डॉ. पी.आर. जयशंकर	प्रबंध निदेशक
श्री पवन कुमार कुमार	उप प्रबंध निदेशक
श्री कल्याण कुमार	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक
श्री समीर जेरममाई बोधारा	स्वतंत्र निदेशक

नोट:

- 1 जुलाई 2024 से सदस्य और निदेशक के रूप में नियुक्त
- 30 अप्रैल 2024 से सदस्य और निदेशक नहीं रहेंगे।

वर्ष 2023-24 के दौरान, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की पांच बार बैठक हुई – 26 जून 2023, 3 अगस्त 2023, 22 सितंबर 2023, 22 दिसंबर 2023 और 20 मार्च 2024।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार 23 अप्रैल, 2012 को आयोजित 51वीं बोर्ड बैठक में सीएसआर समिति का गठन किया गया था। सीएसआर समिति का अंतिम पुनर्गठन 15 मई 2023 को आयोजित 128वीं बोर्ड बैठक में किया गया था।

आज की तिथि तक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति का गठन निम्नानुसार है:

नाम	पदनाम
श्री समीर जेरममाई बोघारा	स्वतंत्र निदेशक समिति के अध्यक्ष
डॉ. पी.आर. जयशंकर	प्रबंध निदेशक
श्री पवन कुमार कुमार	उप प्रबंध निदेशक
श्री सोलोमन अरोकियाराज	सरकारी नामित निदेशक
श्री चौ. पार्थ सारथी रेड्डी	सरकारी नामित निदेशक

वर्ष 2023-24 के दौरान, बोर्ड की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की दो बार बैठक हुई, 25 सितंबर 2023 और 20 मार्च 2024 को।

पारिश्रमिक एवं नामांकन समिति

पारिश्रमिक समिति का गठन 14 जुलाई 2009 को आयोजित 25वीं बोर्ड बैठक में किया गया था, जिसे बाद में कंपनी अधिनियम 2013 की आवश्यकता के अनुसार 11 अगस्त, 2014 को आयोजित 71वीं बोर्ड बैठक में पारिश्रमिक एवं नामांकन समिति का नाम दिया गया।

पारिश्रमिक एवं नामांकन समिति का अंतिम पुनर्गठन 12 अगस्त 2024 को आयोजित 141वीं बोर्ड बैठक में किया गया था।

आज की तिथि के अनुसार पारिश्रमिक एवं नामांकन समिति का गठन निम्नानुसार है:

नाम	पदनाम
श्री समीर जेरममाई बोघारा	स्वतंत्र निदेशक समिति के अध्यक्ष
श्री भूषण कुमार सिन्हा (नोट 1)	सरकार द्वारा नामित निदेशक
सुश्री एम.जी. जयश्री (नोट 2)	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री सोलोमन अरोकियाराज	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री कल्याण कुमार	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा नामित निदेशक
डॉ. राम जस यादव (नोट 3)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा नामित निदेशक
श्री संजय रुद्र (नोट 4)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा नामित निदेशक

नोट :

1. 6 अगस्त 2024 से सदस्य और निदेशक नहीं रहेंगे
2. 6 अगस्त 2024 से सदस्य और निदेशक नियुक्त
3. 30 अप्रैल 2024 से सदस्य और निदेशक नहीं रहेंगे।
4. 1 जुलाई 2024 से सदस्य और निदेशक नियुक्त

बोर्ड की पारिश्रमिक और नामांकन समिति की एक बैठक 2023-24 के दौरान 20 मार्च 2024 को हुई।

हितधारक संबंध समिति

हितधारक संबंध समिति का गठन कंपनी अधिनियम 2013 की आवश्यकता के अनुसार 1 अगस्त, 2014 को आयोजित 71वीं बोर्ड बैठक में किया गया था।

हितधारक संबंध समिति का अंतिम पुनर्गठन 12 अगस्त 2024 को आयोजित 141वीं बोर्ड बैठक में किया गया था।

आज की तिथि तक हितधारक संबंध समिति का गठन निम्नानुसार है:

नाम	पदनाम
श्री संजय रुद्र (नोट 1)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक समिति के अध्यक्ष
डॉ. राम जस यादव (नोट 2)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक
डॉ. पी.आर. जयशंकर	प्रबंध निदेशक
श्री पवन कुमार कुमार	उप प्रबंध निदेशक
श्री भूषण कुमार सिन्हा (नोट 3)	सरकारी नामित निदेशक
सुश्री एम.जी. जयश्री (नोट 4)	सरकारी नामित निदेशक
श्री समीर जेरामभाई बोधारा	स्वतंत्र निदेशक

नोट :

- 1 जुलाई 2024 से सदस्य और निदेशक के रूप में नियुक्त
- 30 अप्रैल 2024 से सदस्य और निदेशक नहीं रहेंगे।
- 6 अगस्त 2024 से सदस्य और निदेशक नहीं रहेंगे
- 6 अगस्त 2024 से सदस्य और निदेशक नहीं रहेंगे

वर्ष 2023-24 के दौरान, बोर्ड की हितधारक संबंध समिति की चार बार बैठक हुई, 15 मई 2023, 4 अगस्त 2023, 8 नवंबर 2023 और 13 फरवरी 2024 को।

सभी निवेशकों की शिकायतों पर नियमित आधार पर ध्यान दिया जाता है।

आईटी रणनीति समिति

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 8 जून 2017 को जारी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए मास्टर डायरेक्शन-सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे की आवश्यकता के अनुसार 2 अगस्त 2017 को आयोजित 86वीं बोर्ड बैठक में आईटी रणनीति समिति का गठन किया गया था। इसके अलावा, आरबीआई ने परिपत्र संख्या के माध्यम से DoS-CO-CSITEG/SEC-7/31-01-015/2023-24 दिनांक 7 नवंबर, 2023, ने एनबीएफसी क्षेत्र के लिए सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे पर अपने मास्टर निर्देशों को संशोधित किया और संशोधित भारतीय रिजर्व बैंक (सूचना प्रौद्योगिकी शासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन अभ्यास) निर्देश, 2023 जारी किए, जो अन्य बातों के साथ-साथ बोर्ड की आईटी रणनीति समिति के गठन का प्रावधान करते हैं। आईटी रणनीति समिति का अंतिम पुनर्गठन 12 अगस्त 2024 को आयोजित 141वीं बोर्ड बैठक में किया गया था। आज की तारीख तक आईटी रणनीति समिति का गठन निम्नानुसार है:-

नाम	पदनाम
श्री समीर जेरामभाई बोधारा	स्वतंत्र निदेशक समिति के अध्यक्ष
डॉ. पी.आर. जयशंकर	प्रबंध निदेशक
श्री पवन कुमार कुमार	उप प्रबंध निदेशक
श्री कल्याण कुमार	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक
श्री संजय रुद्र (नोट 1)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक

नोट :

- 12 अगस्त 2024 से समिति में सदस्य के रूप में नियुक्त

वर्ष 2023-24 के दौरान, बोर्ड की आईटी रणनीति समिति की 26 जून 2023, 28 जुलाई 2023, 22 अगस्त 2023, 26 सितंबर 2023 और 27 मार्च 2024 को पांच बार बैठक हुई।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178 की उपधारा (3) के तहत निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक पर कंपनी की नीतियां, जिसमें योग्यता, सकारात्मक गुण, निदेशक की स्वतंत्रता और अन्य मामलों के निर्धारण के लिए मानदंड शामिल हैं।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी 5 जून 2015 की अधिसूचना के अनुसार, आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (ई) के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक नहीं है, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178 की उपधारा (3) के तहत निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक पर कंपनी की नीतियों से संबंधित है।

स्वतंत्र द्वारा दी गई घोषणा पर वक्तव्य कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 की उपधारा (6) के अंतर्गत निदेशक

आईआईएफसीएल एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है, जिसके निदेशक मंडल में वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय,

भारत सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त स्वतंत्र निदेशक भी शामिल हैं। आईआईएफसीएल ने अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार से अनुरोध किया है। तत्पश्चात, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 10 मई 2023 के पत्र संख्या 18/7(i)/2022-आईएफ-1 के माध्यम से श्री समीर जेयमभाई बोधारा को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

बोर्ड द्वारा अपने स्वयं के प्रदर्शन तथा अपनी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के प्रदर्शन का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन करने के तरीके को दर्शाने वाला विवरण

कारपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) की दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना के अनुसार, बोर्ड द्वारा अपने स्वयं के प्रदर्शन तथा अपनी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के प्रदर्शन का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन करने के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(पी) के प्रावधान सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होंगे, यदि निदेशकों का मूल्यांकन केंद्र सरकार के उस मंत्रालय या विभाग द्वारा किया जाता है जो कंपनी का प्रशासनिक प्रभारी है, या, जैसा भी मामला हो, राज्य सरकार अपनी स्वयं की मूल्यांकन पद्धति के अनुसार करती है। आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल को एमसीए अधिसूचना के मद्देनजर अपने स्वयं के प्रदर्शन तथा अपनी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के प्रदर्शन का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं थी। आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए बोर्ड के सभी सदस्यों का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय, यानी वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 (1) के तहत संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में, जहां लागू हो, संबंधित पक्षों के साथ समी लेन-देन और संबंधित पक्ष के लेन-देन का विवरण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों आदि में प्रकट किया गया है, जैसा कि लागू भारतीय लेखा मानकों द्वारा आवश्यक है।

व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन

कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ, यदि कोई हों, जो कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत से लेकर रिपोर्ट की तिथि तक हुई हों, जिससे वित्तीय विवरण संबंधित हैं।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष और कंपनी की रिपोर्ट की तिथि के बीच कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ नहीं हुई हैं जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती हों।

विनियामकों/न्यायालयों/न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश जो भविष्य में कंपनी की चालू स्थिति और संचालन को प्रभावित करते हैं

31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण या भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया जो भविष्य में कंपनी की चालू स्थिति और संचालन को प्रभावित करते हों।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता

बोर्ड ने महसूस किया कि कंपनी के आकार को ध्यान में रखते हुए आंतरिक लेखा परीक्षा और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का दायरा पर्याप्त है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर सूचीबद्ध इकाई द्वारा गैर-अनुपालन का ब्यौरा, स्टॉक एक्सचेंज(ओं) या बोर्ड या किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध इकाई पर लगाए गए दंड और प्रतिबंध:

जुर्माने/दंड का विवरण			
एनएसई द्वारा लगाया गया जुर्माना			
विनियमन	के संबंध में	कुल जुर्माने की राशि (₹)	स्थिति
54(2)	सुरक्षा कवर जमा करने में देरी 29,500 माफ	29,500	माफ
50(2)	एजीएम के संबंध में स्टॉक एक्सचेंज को सूचना देने में देरी	5,900	माफ
53(2)	वार्षिक रिपोर्ट की सूचना जमा करने में देरी	7,080	माफ

बीएनएस द्वारा लगाया गया जुर्माना			
विनियमन	के संबंध में	कुल जुर्माने की राशि (₹)	स्थिति
50 (1)	एक्सचेंजों को सूचना देने में देरी	1,180	माफ
54(2)	सिक्योरिटी कवर जमा करने में देरी	29,500	माफ
50(2)	एजीएम के बारे में स्टॉक एक्सचेंज को सूचना देने में देरी	5,900	माफ
53(2)	वार्षिक रिपोर्ट की सूचना जमा करने में देरी	7,080	माफ

कॉर्पोरेट प्रशासन

वार्षिक रिपोर्ट के कॉर्पोरेट प्रशासन अनुभाग में निम्नलिखित खुलासे किए जाएंगे।

- निदेशक मंडल की बैठक और अंतिम वार्षिक आम बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति:

संख्या	निदेशक	उपस्थित बोर्ड बैठकों की सं. (वित्त वर्ष 2023-24 के लिए)	18वीं वार्षिक आम बैठक दिनांक 29.09.2023
1.	डॉ. पी.आर. जयशंकर, प्रबंध निदेशक	11	उपस्थित हुए
2.	श्री पवन कुमार कुमार, उप प्रबंध निदेशक	10	उपस्थित हुए
3.	श्री भूषण कुमार सिन्हा, सरकारी नामित निदेशक	7	—
4.	श्री सोलोमन अरोकियाराज, सरकारी नामित निदेशक	3	—
5.	श्री चौ. पार्थ सारथी रेड्डी, सरकारी नामित निदेशक	6	—
6.	डॉ. राम जस यादव, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक	7	उपस्थित हुए
7.	श्री कल्याण कुमार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक	6	—
8.	श्री समीर जेरामभाई बोधारा, स्वतंत्र निदेशक 11 उपस्थित हुए		

- अन्य निदेशक मंडल या समितियों की संख्या जिसमें निदेशक सदस्य या अध्यक्ष हैं, और 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट से प्रभावी, जिसमें अलग से उन सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम शामिल हैं जहां व्यक्ति निदेशक है और निदेशक पद की श्रेणी—

क्र.सं.	नाम	निदेशक के रूप में नियुक्ति की तिथि	डीआईएन	अन्य कंपनियों के नाम जिनमें वह निदेशक हैं। किसी के न होने की स्थिति में, शून्य लिखें
1.	डॉ. जयशंकर प्रबंध निदेशक	29 मई 2020	06711526	आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
2.	श्री पवन कुमार कुमार उप प्रबंध निदेशक	1 अक्टूबर 2020	08901398	आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
3.	श्री भूषण कुमार सिन्हा सरकार द्वारा नामित निदेशक	6 जनवरी 2023	08135512	बैंक ऑफ इंडिया लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया (सिडबी) राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा और विकास वित्त पोषण बैंक (एनएबीएफआईडी)
4.	श्री सोलोमन अरोकियाराज सरकार द्वारा नामित निदेशक	23 जनवरी 2023	06802660	एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड
5.	श्री चौ. पार्थ सारथी रेड्डी सरकार द्वारा नामित निदेशक	29 अक्टूबर 2020	08941266	भारतीय रेलवे स्टेशन विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड
6.	डॉ. रामजस यादव अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक	21 सितम्बर 2022	08911900	पंजाब और सिंध बैंक राष्ट्रीय बैंकिंग अध्ययन संस्थान और कॉर्पोरेट प्रबंधन

क्र.सं.	नाम	निदेशक के रूप में नियुक्ति की तिथि	डीआईएन	अन्य कंपनियों के नाम जिनमें वह निदेशक हैं। किसी के न होने की स्थिति में, शून्य लिखें
7.	श्री कल्याण कुमार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक	21 सितम्बर 2022	09631251	पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी गिल्ड्स लिमिटेड पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड
8.	श्री समीर जेरमभाई बोधारा स्वतंत्र निदेशक	15 मई 2023	10163651	शून्य

- निदेशकों के बीच आपसी संबंधों का खुलासा,— लागू नहीं
- गैर-कार्यकारी निदेशकों द्वारा रखे गए शेयरों और परिवर्तनीय उपकरणों की संख्या— लागू नहीं
- वेब लिंक जहां स्वतंत्र निदेशकों को दिए गए परिचय कार्यक्रमों का विवरण प्रकट किया गया है। स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के समय परिचय कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
- निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता को दर्शाने वाला एक चार्ट या मैट्रिक्स जिसमें निम्नलिखित निर्दिष्ट किया गया हो:— आईआईएफसीएल के बोर्ड में निदेशकों का चयन और नामांकन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। आईआईएफसीएल की अपने बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं है।
- 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से, निदेशक मंडल द्वारा अपने व्यवसाय(यों) और क्षेत्र(ओं) के संदर्भ में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक मुख्य कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताओं की सूची और जो वास्तव में बोर्ड के पास उपलब्ध हैं; तथा
- 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष से, ऐसे निदेशकों के नाम, जिनके पास ऐसे कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता हैं
- पुष्टि कि बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशक इन विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।— हाँ
- अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले इस्तीफा देने वाले स्वतंत्र निदेशक के इस्तीफे के विस्तृत कारण और ऐसे निदेशक द्वारा पुष्टि कि प्रदान किए गए कारणों के अलावा कोई अन्य मौलिक कारण नहीं हैं— लागू नहीं
- वरिष्ठ प्रबंधन: पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद से उसमें हुए परिवर्तनों सहित वरिष्ठ प्रबंधन का विवरण।

31 मार्च, 2024 तक वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों का विवरण इस प्रकार है:

क्रम	संख्या अधिकारी का नाम	पदनाम
1	श्री राजीव मुखीजा	मुख्य वित्तीय अधिकारी
2	श्री किशोर कुंभारे	मुख्य जोखिम अधिकारी
3	श्री राज कुमार रल्हन	मुख्य ऋण अधिकारी
4	श्री सुबोध शर्मा	महाप्रबंधक
5	श्री अश्विनी कुमार अग्रवाल	महाप्रबंधक
6	डॉ. एस एस गर्ग	महाप्रबंधक
7	श्री टी हरि कृष्णन	महाप्रबंधक
8	सुश्री रुचि सिंघल	महाप्रबंधक
9	श्री सुभासिस ढल	महाप्रबंधक
10	श्री राजीव कुमार गुप्ता	उप महाप्रबंधक
11	श्री अभिरूप सिंह	कंपनी सचिव — सहायक महाप्रबंधक (16.05.2023 से आगे)

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान "वरिष्ठ प्रबंधन" में परिवर्तन का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	टिप्पणियाँ
1.	सुश्री मंजरी मिश्रा	कंपनी सचिव उप महाप्रबंधक	15.05.2023 तक

• आम सभा की बैठकें—

(क) स्थान और समय, जहां पिछली तीन वार्षिक आम बैठकें आयोजित की गईं;

क्रमांक	वार्षिक आम बैठक	तिथि	स्थल
1.	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 18वीं वार्षिक आम बैठक	29 सितंबर 2023 को शाम 4.00 बजे	सम्मेलन कक्ष, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
2.	वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 17वीं वार्षिक आम बैठक	28 सितंबर 2022 को दोपहर 1.00 बजे	सम्मेलन कक्ष, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
3.	वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 16वीं वार्षिक आम बैठक	10 नवंबर, 2021 को दोपहर 2.30 बजे	सम्मेलन कक्ष, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

(ख) क्या पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों में कोई विशेष प्रस्ताव पारित किया गया— हाँ

(ग) क्या पिछले वर्ष डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित किया गया— मतदान पैटर्न का विवरण— नहीं

(घ) डाक मतपत्र अभ्यास का संचालन करने वाला व्यक्ति— लागू नहीं

(ङ) क्या डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित करने का प्रस्ताव है— लागू नहीं

(च) डाक मतपत्र की प्रक्रिया— लागू नहीं

• संचार के साधन:

(क) तिमाही परिणाम— स्टॉक एक्सचेंज और समाचार पत्र

(ख) समाचार पत्र जिनमें परिणाम सामान्य रूप से प्रकाशित होते हैं— जनसत्ता, फाइनेंशियल एक्सप्रेस

(ग) कोई वेबसाइट, जहाँ प्रदर्शित हो— <https://www.iifcl.in>

(घ) क्या यह आधिकारिक समाचार विज्ञप्तियाँ भी प्रदर्शित करती है— लागू नहीं

(ङ) संस्थागत निवेशकों या विश्लेषकों के समक्ष प्रस्तुतियाँ— लागू नहीं

• सामान्य शोयरधारक जानकारी: लागू नहीं क्योंकि इक्विटी सूचीबद्ध नहीं है

क्र.सं	वार्षिक आम बैठक	तिथि	स्थल
1.	वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 19वीं वार्षिक आम बैठक	27 सितंबर 2024 को सुबह 11.30 बजे	सम्मेलन कक्ष, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

वित्तीय वर्ष—2023-24

- प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज का नाम और पता, जिस पर सूचीबद्ध इकाई की प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध हैं और ऐसे प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज को वार्षिक लिस्टिंग शुल्क के भुगतान के बारे में पुष्टि,— इक्विटी सूचीबद्ध नहीं है।

अन्य प्रकटीकरण:

- अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन और गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं को अपनाने का विवरण— IIFCL वर्ष 2023-24 के लिए जारी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में उल्लिखित अनिवार्य आवश्यकताओं को छोड़कर अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन कर रहा है, IIFCL को अभी भी गैर-अनिवार्य आवश्यकता को अपनाना है।
- वेब लिंक जहाँ संबंधित पार्टी लेनदेन से निपटने की नीति है— <https://www.iifcl.in/related-party-transaction-policy>
- विनियमन 32 (7ए) के तहत निर्दिष्ट अधिमान्य आवंटन या योग्य संस्थानों के प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाई गई धनराशि के उपयोग का विवरण।— लागू नहीं
- प्रैक्टिस करने वाले कंपनी सचिव से प्रमाण पत्र कि कंपनी के बोर्ड में किसी भी निदेशक को बोर्ड/कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या किसी ऐसे वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

निर्देशकों की अयोग्यता का प्रमाणपत्र

(विनियमन 34(3) और अनुसूची V पैरा सी खंड (10)(i) के तहत सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के अनुसार)

सेवा में

सदस्यगण,

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

हमने इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (CIN: U67190DL2006GOI144520) के निर्देशकों से प्राप्त संबंधित रजिस्टर, रिकॉर्ड, फॉर्म, रिटर्न और प्रकटीकरण की जांच की है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 5वीं मंजिल, प्लेट ए एण्ड बी, टॉवर 2, एनबीसीसी सेंटर, ब्लॉक बी, ईस्ट किडवई नगर, नई दिल्ली – 110023 है, जो बीएसई लिमिटेड (स्क्रिप कोड- 945965) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध है (उसे "सूचीबद्ध इकाई" कहा जाता है)।

हमारी राय और हमारी जानकारी के अनुसार और सत्यापनों (जिसमें निर्देशक पहचान संख्या (DIN) की स्थिति मंत्रालय के आधिकारिक पोर्टल www.mca.gov.in पर जांच की गई) और कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा दी गई स्पष्टीकरण के आधार पर, हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी के बोर्ड पर नीचे उल्लिखित निर्देशकों में से कोई भी निर्देशक 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए एसईबीआई, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, या किसी अन्य नियामक प्राधिकरण द्वारा निर्देशक नियुक्त करने या बनाए रखने से अयोग्य नहीं किया गया है:

क्रम सं.	निर्देशकों का नाम	डीआईएन	नियुक्ति की तिथि
1.	डॉ. पी.आर. जयशंकर	06711526	29-05-2020
2.	श्री पवन कुमार कुमार	08901398	01-10-2020
3.	श्री भूषण कुमार सिन्हा	08135512	06-01-2023
4.	श्री सोलोमन अरोकियाराज	06802660	23-01-2023
5.	श्री चौ. पार्थ सारथी रेड्डी	08941266	29-10-2020
6.	डॉ. रामजस यादव	08911900	21-09-2022
7.	श्री. कल्याण कुमार	09631251	21-09-2022
8.	श्री. समीर जेरामभाई बोधारा	10163651	15-05-2023

निर्देशकों की नियुक्ति/निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी सत्यापन और संबंधित निर्देशकों द्वारा की गई प्रस्तुति के आधार पर एक राय व्यक्त करने की है।

टी. चटर्जी एंड एसोसिएट्स के लिए

प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव

FRN No. - P2007WB067100

बिनिता पांडे – भागीदार

ACS : 41594, CP : 19730

UDIN: A041594F001319431

स्थान: दिल्ली

तिथि: 25 सितंबर, 2024

- जहां बोर्ड ने बोर्ड के किसी भी समिति की अनुशंसा को स्वीकार नहीं किया, जो वित्तीय वर्ष में अनिवार्य रूप से आवश्यक है, वही खुलासा किया जाएगा और इसके कारण भी बताए जाएंगे: प्रदान किया गया कि यह खंड केवल तब लागू होगा जब समिति की अनुशंसा / प्रस्तुति बोर्ड द्वारा स्वीकृति के लिए आवश्यक हो और तब लागू नहीं होगा जब किसी लेन-देन को करने के लिए संबंधित समिति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो: – लागू नहीं है।
- सभी सेवाओं के लिए कुल शुल्क जो सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा एक समेकित आधार पर विधिक लेखा परीक्षक और उन सभी संस्थाओं के नेटवर्क फर्म / नेटवर्क एटिटी को भुगतान किया गया, जिनका हिस्सा विधिक लेखा परीक्षक है: वित्तीय विवरणों में प्रकाशित।
- कंपनी के निर्देशकों के नाम और राशि के साथ संबंधित पार्टियों को ऋण और अग्रिमों का खुलासा: लागू नहीं है।
- सूचीबद्ध इकाई की महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों का विवरण, जिसमें स्थापना की तिथि और स्थान और ऐसी सहायक कंपनियों के विधिक लेखा परीक्षकों के नाम और नियुक्ति की तिथि: लागू नहीं है।

- कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के उप-खंड (2) से (10) तक किसी भी आवश्यकताओं का अनुपालन न होने पर, उसके कारणों के साथ उसका खुलासा किया जाएगा: कंपनी की गोपनीयता ऑडिट रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है।
- कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया जाएगा कि अनुसूची II के भाग E में निर्दिष्ट इच्छाशक्ति आवश्यकताओं को कितना लागू किया गया है: कंपनी इस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयास करेगी।
- कॉर्पोरेट गवर्नेंस आवश्यकताओं के अनुपालन का खुलासा, जो विनियम 17 से 27 और विनियम 46 के उप-विनियम (2) के खंड (इ) से (I) तक में निर्दिष्ट है, वार्षिक रिपोर्ट के कॉर्पोरेट गवर्नेंस खंड में किया जाएगा: खुलासा किया गया।

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के तहत आवश्यक घोषणा:

"कंपनी के बोर्ड के सभी सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारी ने वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त होने के लिए 'बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता' के अनुपालन की पुष्टि की है।"

हस्ताक्षर

पी.आर. जयशंकर

प्रबंध निदेशक

DIN No. 06711526

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन पर ऑडिटर्स या प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिवों से प्रमाणपत्र, निदेशक की रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाएगा।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का सर्टिफिकेट

सेवा,

सदस्यगण,

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

हमने इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (CIN: U67190DL2006GOI144520) के कॉर्पोरेट गवर्नेंस शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जो सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के तहत विनियम 17 से 27 और विनियम 62 और अनुसूची V के पैरा सी, और ई में निर्दिष्ट है और भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के तहत है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच केवल उन प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन तक सीमित थी, जिन्हें कंपनी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाया है। यह न तो एक ऑडिट है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने का कोई उद्देश्य है।

हमारी राय में और हमारे जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण और निदेशकों और प्रबंधन द्वारा किए गए प्रस्तुतियों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने स्वयं और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस शर्तों का अनुपालन किया है, सिवाय इसके किरू

1. कंपनी ने सेबी (LODR) विनियम 2015 के विनियम 17(1), 18(1), 19(1), 19(2), 20(2) और 21(2) के प्रावधानों का पालन नहीं किया है, जिसके लिए कंपनी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) से नोटिस प्राप्त हुआ है।
2. कंपनी ने सेबी (LODR) विनियम 2015 के विनियम 17(10) के प्रावधान का पालन नहीं किया है, जो निदेशक के प्रदर्शन मूल्यांकन से संबंधित है।

हम आगे यह घोषणा करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन कंपनी के भविष्य में अस्तित्व की कोई गारंटी नहीं है, और न ही यह प्रबंधन द्वारा कंपनी के मामलों के संचालन की कुशलता या प्रभावशीलता को दर्शाता है।

टी. चटर्जी एवं एसोसिएट्स कृते

प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव

FRN No. - P2007WB067100

बिनिता पांडे — भागीदार

ACS : 41594, CP : 19730

UDIN: A041594F001319024

सहकर्मी समीक्षा संख्या: 908/2020

स्थान: दिल्ली

तिथि: 25 सितंबर, 2024

निदेशकों और कर्मचारियों के लिए सतर्कता तंत्र की स्थापना के विवरण

IIFCL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 71वीं बोर्ड बैठक में 11 अगस्त 2014 को यह प्रस्ताव पारित किया कि IIFCL के केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) दिशानिर्देशों के अनुसार सतर्कता तंत्र निदेशकों और कर्मचारियों के लिए पर्याप्त होगा, ताकि वे कंपनियों अधिनियम 2013 के तहत वास्तविक चिंताओं की रिपोर्ट कर सकें। बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि IIFCL का सतर्कता तंत्र व्यक्तियों के उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करेगा और उपयुक्त या असाधारण मामलों में ऑडिट समिति के अध्यक्ष से प्रत्यक्ष संपर्क की सुविधा भी प्रदान करेगा, जैसा कि CVC दिशानिर्देशों में उल्लेखित है। इसके बाद, बोर्ड ने कंपनी की वेबसाइट पर और बोर्ड रिपोर्ट में इस तरह के सतर्कता तंत्र की स्थापना के विवरण को प्रकाशित करने का प्रस्ताव मंजूर किया। आपकी कंपनी ने सतर्कता तंत्र को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया है। आपकी कंपनी के पास एक औपचारिक विसल ब्लोअर नीति भी लागू है, जो कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

IIFCL में सतर्कता शासन

1. सतर्कता शासन का हिस्सा के रूप में, DFS, MoF द्वारा एक CVO नियुक्त किया गया है। सतर्कता प्रशासन IIFCL और इसकी सभी सहायक कंपनियों में एक महत्वपूर्ण प्रबंधन उपकरण के रूप में कार्य कर रहा है। CVO IIFCL में सतर्कता वर्टिकल का नेतृत्व कर रहे हैं।
2. सतर्कता कार्य को दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है: दंडात्मक सतर्कता और निवारक सतर्कता।
3. वर्ष के दौरान सतर्कता विभाग का ध्यान निवारक सतर्कता पर केंद्रित रहा, जिसमें IIFCL में सतर्कता शासन को मजबूत करने, प्रणालीगत सुधार, नीति समीक्षाएं, संपत्ति रिटर्न की जांच, कार्यशालाओं का आयोजन और निवारक सतर्कता के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर प्रयास किए गए।
4. CVO, IIFCL और MD के बीच संरचित बैठक प्रत्येक तिमाही में आयोजित की जाती है। प्रत्येक तिमाही बैठक में पिछले बैठक के एजेंडा पर लिए गए कार्यों की रिपोर्ट और तिमाही के लिए नए एजेंडों को रखा जाता है।
5. शिकायतों के संबंध में, 2023-24 के वर्ष में सतर्कता विभाग को दस शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिन्हें निपटाया गया। वर्तमान में कोई लंबित शिकायतें नहीं हैं। इस वर्ष संगठन में कोई डीए मामला उत्पन्न नहीं हुआ और सीबीआई द्वारा अभियोजन के लिए कोई स्वीकृति नहीं मांगी गई।
6. सतर्कता जागरूकता सप्ताह 30 अक्टूबर 2023 से 5 नवंबर 2023 तक IIFCL में मनाया गया, जिसका केंद्रीय थीम था **"भ्रष्टाचार को न कहें; राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता।"** सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की गईं, जैसे कि सभी अधिकारियों के बीच शपथ लेना, विजय प्रतियोगिता, IIFCL और सहायक कंपनियों के अधिकारियों के बीच निबंध लेखन प्रतियोगिता, PIDPI जागरूकता अभियान का आयोजन ग्राम सभा चमरावली बोड़की, ग्रेटर नोएडा में और सरकारी कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के छात्रों द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन।
 - क) जनहित प्रकटीकरण और मुखबिरों की सुरक्षा (पीआईडीपीआई) संकल्प के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
 - बी) क्षमता निर्माण कार्यक्रम
 - ग) प्रणालीगत सुधार उपायों की पहचान और कार्यान्वयन
 - घ) शिकायत निपटान के लिए आईटी का लाभ उठाना
 - ई) परिपत्रों/दिशानिर्देशों/मैन्युअलों का अद्यतन
 - च) 30.06.2023 से पहले प्राप्त शिकायतों का निपटान।
7. वर्ष के दौरान अन्य पहलों में शामिल हैं:
 - क) सहायक कंपनियों में सतर्कता प्रशासन – IIFCL की तीनों सहायक कंपनियों में सतर्कता प्रशासन स्थापित किया गया है। प्रत्येक सहायक कंपनी में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो CVO को रिपोर्ट करता है।
 - ख) सतर्कता जर्नल – कर्मचारियों के बीच सतर्कता विषय पर ज्ञानवर्धन के रूप में IIFCL VIGIL नामक त्रैमासिक सतर्कता जर्नल प्रकाशित और प्रसारित किया जाता है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन शोषण (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत खुलासा

कंपनी कार्यस्थल पर यौन शोषण के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाती है और यौन शोषण की रोकथाम, निषेध और निवारण पर एक नीति को लागू करती है जो कि यौन शोषण के खिलाफ महिला कर्मचारियों की शिकायतों को सुनने और निवारण के लिए IIFCL में एक आंतरिक शिकायत समिति (ICC) कार्यरत है। इस समिति में एक बाहरी सदस्य भी शामिल है।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों को रोकने और संबोधित करने के लिए आईआईएफसीएल में एक सुव्यवस्थित तंत्र है। एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) जिसमें एक बाहरी सदस्य शामिल है, पीओएसएच अधिनियम में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार महिला कर्मचारियों की शिकायतों को संबोधित करने के लिए कार्यरत है। कर्मचारियों को प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। कंपनी महिला कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के लिए सौहार्दपूर्ण और सुरक्षित कार्य वातावरण बनाए रखती है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि आज तक आईआईएफसीएल में इस संबंध में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आईआईएफसीएल सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों को लागू कर रहा है और आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवेदकों को जानकारी प्रदान कर रहा है। प्रथम अपीलीय प्राधिकरण और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) को धारा 5 के अनुसार आईआईएफसीएल में नामित किया गया है। 1) आरटीआई अधिनियम, 2005। आरटीआई अधिनियम की धारा 4(1) (बी) के तहत आवश्यक संगठन, कार्यों और कर्तव्यों, सीपीआईओ और अपीलीय प्राधिकारी संपर्क विवरण का विवरण आईआईएफसीएल वेबसाइट पर उपलब्ध है आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार निर्धारित समय के भीतर उत्तर दिया/अग्रप्रेषित/अस्वीकृत कर दिया गया। आरटीआई अधिनियम, 2005 की आवश्यकता के अनुसार रिकॉर्ड बनाए रखा और प्रसारित किया जाता है।

आईआईएफसीएल प्राप्त, संबंधित और अस्वीकृत आवेदनों के लिए मासिक रिटर्न फॉर्म अपलोड करता है। इसके अलावा, आईआईएफसीएल केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) की वेबसाइट पर आरटीआई आवेदनों की त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने का भी अनुपालन करता है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, आईआईएफसीएल को 104 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 97 आवेदन स्वीकार किए गए और समय पर उत्तर दिए गए, 7 आवेदन खारिज कर दिए गए क्योंकि वे आईआईएफसीएल से संबंधित नहीं थे।

शिकायत निवारण तंत्र

हितधारकों का उत्तरदायी प्रबंधन और शिकायतों का समय पर प्रसंस्करण कंपनी के लिए एक प्राथमिकता है। आईआईएफसीएल ने अपने हितधारकों के लिए शिकायत/शिकायत उठाने के लिए एक उचित मंच प्रदान करने के लिए एक शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की है। आईआईएफसीएल एक विस्तृत शिकायत निवारण तंत्र (जीआरएम) का पालन करता है। जिसे आईआईएफसीएल के नागरिक चार्टर में शामिल किया गया है और सार्वजनिक प्रकटीकरण के हिस्से के रूप में इसकी वेबसाइट पर खुलासा किया गया है, शिकायतें निम्नलिखित तरीकों से दर्ज की जा सकती हैं—

- केंद्रीय सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) के माध्यम से
- IIFCL की वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत निवारण फॉर्म के माध्यम से
- एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र (INGRAM) के माध्यम से
- ईमेल के माध्यम से: grievancefeedback@iifcl.in

आईआईएफसीएल ने शिकायत निवारण प्रणाली के प्रबंधन के लिए एक शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) को नियुक्त किया है। जीआरओ का विवरण आईआईएफसीएल वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। आईआईएफसीएल के विभिन्न बॉन्ड इश्यू में निवेश से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए, निवेशक ईमेल आईडी पर आईआईएफसीएल को सूचित करते हुए सीधे संबंधित रजिस्ट्रार से संपर्क कर सकते हैं: Grievancefeedback@iifcl.in

संतोषजनक समाधान न होने की स्थिति में, निवेशक अनुपालन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं जिनका विवरण आईआईएफसीएल वेबसाइट पर दिया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, IIFCL को 99 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 55 शिकायतों का समाधान किया गया और समय पर उत्तर दिया गया और शेष 44 शिकायतें IIFCL से संबंधित नहीं थीं, सभी शिकायतों को निर्धारित समयसीमा के भीतर बंद कर दिया गया।

जमा

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73, कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के साथ पठित के तहत कोई जमा स्वीकार नहीं किया है, न ही इस दौरान कोई जमा राशि अवैतनिक या लावारिस रही है इस अवधि में, कंपनी ने जमा राशि के पुनर्भुगतान या उस पर देय ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय से संबंधित विवरण

1. ऊर्जा संरक्षण / प्रौद्योगिकी अवशोषण

कंपनी को ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अवशोषण से संबंधित विवरण का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपकी कंपनी विनिर्माण गतिविधि नहीं करती है। हालांकि, कंपनी ने कार्यालय परिसर में ऊर्जा की खपत को संरक्षित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं। कंपनी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने में लगी हुई है, जिसमें कोई प्रौद्योगिकी अवशोषण शामिल नहीं है।

2. विदेशी मुद्रा आय और व्यय

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान उपयोग/अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है:—

(₹ करोड़)

विवरण	यथा वर्ष समाप्त 31 मार्च 2024	यथा वर्ष समाप्त 31 मार्च 2023
(क) विदेशी मुद्रा में आय (आईआरएस डेरिवेटिव अनुबंधों के तहत प्राप्त ब्याज को छोड़कर वास्तविक प्राप्ति):		
(i) ब्याज	-	-
(ii) प्राप्त अनुदान	-	-
(iii) प्राप्त लाभांश	-	-
कुल	-	-
(ख) ब्याज और अन्य मामलों के कारण विदेशी मुद्राओं में व्यय (वास्तविक व्यय):		
(i) उधार पर ब्याज	951	766
(ii) प्रतिबद्धता शुल्क	-	-
(iii) विदेश यात्रा	-	-
(iv) अन्य व्यय	-	-
कुल	951	766

कर्मचारियों का विवरण

आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारियों का विवरण देने की आवश्यकता नहीं है, जिसे कंपनी (प्रबंधकीय कार्यों) की नियुक्ति और पारिश्रमिक नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पढ़ा जाता है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी के निदेशकों या कर्मचारियों को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया गया।

सचिवीय मानक

आपकी कंपनी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए लागू सचिवीय मानकों का सही अर्थों में पालन करती है।

धारा 92(3) के तहत वार्षिक रिटर्न का अंश

अधिनियम के लागू प्रावधान के अनुसार, वार्षिक रिटर्न की प्रति कंपनी की वेबसाइट www.iifcl.in पर रखी जाएगी। हालांकि, अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन के एक हिस्से के रूप में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के तहत फॉर्म एमजीटी-9 में दिए गए वार्षिक रिटर्न का अंश अनुलग्नक II के रूप में संलग्न है।

लेखा परीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, न तो सांविधिक लेखा परीक्षकों और न ही सचिवीय लेखा परीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के अंतर्गत कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी के विरुद्ध की गई धोखाधड़ी के किसी भी मामले की रिपोर्ट लेखा परीक्षा समिति को दी है, जिसका विवरण बोर्ड की रिपोर्ट में उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अनुसरण में लागत अभिलेखों का रखरखाव

केंद्र सरकार ने कंपनी द्वारा निष्पादित गतिविधियों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत लागत अभिलेखों के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है।

वैधानिक लेखा परीक्षक

अग्रवाल और सक्सेना (सीआर0604), चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया। वैधानिक लेखा परीक्षकों ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी का पूरक ऑडिट निदेशक (प्रशासन), प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (उद्योग और कॉर्पोरेट मामले), आईपी एस्टेट, नई दिल्ली - 110002 को सौंपा गया था।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) के कार्यालय ने पत्र संख्या सं./सीए. वी./सीओवाई/केंद्र सरकार, आईआईएफसीएल(1)/111 दिनांक 13 सितम्बर 2023 द्वारा अग्रवाल एवं सक्सेना, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आईआईएफसीएल के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया, जो कि सरकारी कंपनी में सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के प्रावधानों के अनुसार है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) के कार्यालय द्वारा नियुक्त कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक कंपनी की 19वीं वार्षिक आम बैठक के समापन तक पद पर बने रहेंगे।

सचिवीय लेखा परीक्षक

मेसर्स अखिल रोहतगी एंड कंपनी, कंपनी सचिवों को 13 मई 2024 को आयोजित बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार उन्होंने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी की है और इसे इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-I में संलग्न किया गया है।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणियों और टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर के साथ-साथ लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्रति वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

लेखा परीक्षक की योग्यता पर प्रबंधन की टिप्पणियाँ

पारित सुलह प्रविष्टियों के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि IIFCL ने उन्नत आईटी प्रणाली के कार्यान्वयन के उद्देश्य से नियुक्त बाहरी आईटी सलाहकार से अनुरोध किया है कि वे बताए गए अंतर की उत्पत्ति की समीक्षा और समाधान भी करें। सलाहकार ने बताया कि यह अंतर आईटी सिस्टम में रूटिंग लेजर के सिंक न होने के कारण था।

परिणामस्वरूप, आईटी सलाहकार ने विभिन्न खातों को प्रभावित करने वाली सुलह और समायोजन प्रविष्टियों की सलाह दी थी। सुलह का काम अभी भी जारी है। यह पहला वर्ष है जब सिस्टम त्रुटियों का निदान किया गया था, हालांकि, कंपनी ने चालू वित्तीय वर्ष में समायोजन प्रविष्टियों को प्रभावी करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती है। तदनुसार, कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 से पहले की अवधि के लिए ब्याज आय के प्रत्यावर्तन के रूप में 12,424.94 लाख रुपये की प्रविष्टियों की गई।

कंपनी ने माना है कि बाहरी आईटी सलाहकार द्वारा दिए गए संकल्प के आधार पर पारित प्रविष्टियों पर भारतीय लेखा मानक 8 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, क्योंकि प्रविष्टियाँ किसी इकाई के वित्तीय प्रदर्शन की एक विशेष प्रस्तुति को प्राप्त करने के लिए जानबूझकर नहीं की जाती हैं और इसलिए, उन्हें त्रुटि के रूप में नहीं गिना जाता है। इसके अलावा, संकल्प न तो पिछले वर्षों में उपलब्ध थे जब उन अवधियों के

लिए वित्तीय विवरण जारी करने के लिए स्वीकृत किए गए थे; न ही, उचित रूप से यह उम्मीद की जा सकती थी कि उन्हें प्राप्त किया गया होगा और संबंधित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति में ध्यान में रखा गया होगा।

राजभाषा (राजभाषा)

आईआईएफसीएल राजभाषा अधिनियम, 1963 एवं राजभाषा नियम, 1976 का अनुपालन सुनिश्चित करने का प्रयास करता है तथा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष जारी वार्षिक कार्यक्रम एवं अन्य दिशा-निर्देशों के माध्यम से कार्यालय में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देता है।

राजभाषा नीतियों के अनुपालन तथा सरकारी कामकाज में हिंदी के शत-प्रतिशत प्रयोग के लिए आईआईएफसीएल ने भारत सरकार की 'हिंदी शिक्षण योजना' के अंतर्गत सभी अधिकारियों को 'पारंगत' पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण प्रदान करना सुनिश्चित किया है। अब तक आईआईएफसीएल के 80 प्रतिशत अधिकारियों ने 'पारंगत' प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है तथा शेष 20 प्रतिशत अधिकारी यथाशीघ्र प्रशिक्षण पूरा कर लेंगे। आईआईएफसीएल इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुरूप, इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) प्रतिवर्ष 14 सितम्बर को हिंदी दिवस के अवसर पर 14 सितम्बर से 29 सितम्बर तक विभिन्न प्रचार कार्यक्रमों एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन करके 'हिंदी पखवाड़ा' धूमधाम से मनाता है।

- राजभाषा विभाग को राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976 तथा भारत सरकार एवं संसदीय राजभाषा समिति के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है।
- विभाग ने हिंदी प्रशिक्षण प्रदान करके तथा द्विभाषीकरण द्वारा पत्राचार एवं आंतरिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाकर कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया है।
- आईआईएफसीएल की वेबसाइट का द्विभाषीकरण सुनिश्चित करने के अतिरिक्त, राजभाषा विभाग नियमित रूप से राजभाषा नीति तथा राजभाषा के वार्षिक कार्यक्रम के उद्देश्यों एवं भारत सरकार द्वारा जारी अन्य निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।
- राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा हिंदी के प्रगामी प्रयोग की प्रगति की तिमाही आधार पर नियमित समीक्षा की जाती है तथा तिमाही एवं अन्य रिपोर्ट नियमित रूप से भारत सरकार के गृह विभाग की राजभाषा समिति को भेजी जाती है।
- गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए सभी निर्देशों एवं कार्यान्वयन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष एक विस्तृत श्वावधिक कार्य योजनाएं तैयार की जाती है।
- हिंदी कार्यशालाओं एवं डेस्क प्रशिक्षण के माध्यम से हिंदी में कुशल कार्य के लिए कुशल प्रशिक्षण एवं आईटी उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाता है।
- आईआईएफसीएल दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (दिल्ली बैंक नराकास) के महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक है। आईआईएफसीएल दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (दिल्ली बैंक नराकास) के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सदस्य संस्थाओं के लिए विभिन्न राजभाषा संबंधी प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है तथा नराकास की विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लेता है।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राजभाषा के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए आईआईएफसीएल को दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (दिल्ली बैंक टोली) से पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- हिंदी दिवस 14 सितम्बर, हिंदी पखवाड़े के अवसर पर हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं/सेमिनार/व्याख्यान/अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आईआईएफसीएल ने हिंदी पखवाड़े के दौरान राजभाषा से संबंधित विभिन्न कार्यशालाएं एवं प्रतियोगिताएं आयोजित की तथा प्रतिभागियों को राजभाषा के प्रति उत्साह बढ़ाने के लिए पुरस्कार भी प्रदान किए।

सहायक कंपनियाँ, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियाँ

आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड:

इस वर्ष आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (IPL) की 12वीं वर्षगांठ है, जो आईआईएफसीएल की समर्पित सलाहकार और परामर्श शाखा है। इस वर्ष, IPL ने रणनीतिक क्षेत्रों की ओर विविधता लाकर, अपनी क्षेत्रीय उपस्थिति को व्यापक बनाकर और साथ ही अपने मौजूदा ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण डिलीवरी सुनिश्चित करके अपनी विकास गति को बनाए रखा। IPL ने सिटी गैस वितरण, एयरोस्पेस, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के प्रमुख क्षेत्रों में अपना प्रभाव डाला।





इसके अलावा, IPL ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों में PPP प्राप्त करने के लिए लेनदेन सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए अंतरिक्ष विभाग के तहत नियामक निकाय INSPACe से एक और अधिदेश प्राप्त किया है।

इन असाइनमेंट और पाइपलाइन में अधिक के साथ, आईपीएल एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में एक नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आईपीएल, USD 808 मिलियन विश्व बैंक समर्थित आरएमएमपी (MSME प्रदर्शन को बढ़ाने और तेज करने) वर्ष के दौरान, आईपीएल ने एमएसएमई मंत्रालय को इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एमएसएमई पर ध्यान केंद्रित करते हुए रणनीतिक निवेश योजना के विकास के लिए 25 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 2489 करोड़ रुपये का संवितरण करने में सहायता की।

आईपीएल ने 8 दिसंबर 2023 को गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में अपनी नई शाखा खोली, जो न केवल आईपीएल के लिए वित्तीय सलाहकार के अवसर खोलेगी, बल्कि समूह को देश में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए लागत प्रभावी अंतरराष्ट्रीय वित्त पोषण तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने में भी सक्षम बनाएगी।

इसके अलावा, अपनी 12वीं वर्षगांठ के अवसर पर, आईपीएल ने ज्ञान प्रसार और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से सम्मेलनों की एक श्रृंखला आयोजित की।

इसमें शहरों को बदलना, भविष्य को बनाए रखना पर एक सम्मेलन शामिल था, जिसकी अध्यक्षता आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव ने की, जिसमें शहरी क्षेत्र के लिए अभिनव वित्तपोषण, जलवायु लचीला शहर कार्य योजना आदि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा की गई। "सड़क बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तपोषण मॉडल" पर एक और कार्यशाला जयपुर, राजस्थान में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता राज्य के माननीय उपमुख्यमंत्री ने की। कार्यशाला ने राज्य में पीपीपी मॉड पर सड़क क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने के लिए विविध वित्तपोषण मॉडल और उपकरणों पर व्यावहारिक चर्चा के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया।

तमिलनाडु और मेघालय के राज्य अधिकारियों के साथ चल रहे सलाहकार कार्यक्रमों का सफल निष्पादन और स्थिरता प्रभावशाली रही है और कंपनी के सतत प्रदर्शन में एक प्रमुख योगदानकर्ता रही है। इन कार्यक्रमों के तहत, आईपीएल ने इन राज्यों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए रणनीतिक पहलों पर काम किया जैसे कि मोरेह को महेंद्रगंज से बांग्लादेश के रास्ते हिली से जोड़ने वाले एक नए आर्थिक गलियारे के माध्यम से मेघालय की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अवधारणा विकास। आईपीएल "मेघालय औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति, 2024" जिसे राज्य विधानसभा द्वारा अधिसूचित किया गया था और उम्मीद है कि यह मेघालय के लिए एक नए विकास उत्प्रेरक के

सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, एयरोस्पेस, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) के प्रमुख क्षेत्रों में इसके प्रभाव को चिह्नित किया। आईपीएल अपने भारी वजन वाले लॉन्च व्हीकल लॉन्च व्हीकल मार्क 3 (स्टड III) के निजीकरण पर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की सहायक कंपनी) के साथ काम करके अंतरिक्ष क्षेत्र में PPP ढांचे के विकास की दिशा में काम कर रहा है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान, IPL द्वारा स्टड – III के लिए PPP पर रणनीति और साझेदारी रिपोर्ट का मसौदा NSIL द्वारा स्वीकार किया गया था।



रूप में कार्य करेगी, जिसका उद्देश्य सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने आर्थिक परिदृश्य को सशक्त बनाना है। आईपीएल ने मेघालय रोपवे अधिनियम, 2022 के कार्यान्वयन ढांचे के विकास में मेघालय सरकार की सहायता भी की। वर्ष के दौरान, आईपीएल को अपनी वित्तीय सलाहकार सेवाएँ प्रदान करने के लिए जलवायु नीति पहल (सीपीआई) के तहत भारत स्वच्छ ऊर्जा वित्त (आईसीईएफ) के साथ सूचीबद्ध किया गया। इससे आईपीएल को आईसीईएफ के तहत किए जाने वाले निर्दिष्ट अध्ययनों के लिए तकनीकी सहायता का उपयोग करने की सुविधा मिलती है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, आईपीएल ने इन कार्यक्रमों की तैयारी के लिए जनशक्ति संवर्धन में निवेश किया ताकि इन असाइनमेंट को पूरा करने के लिए एक कुशल पूल बनाया जा सके। अपने ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं की निरंतर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी ने पर्याप्त कौशल वाले नए प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए भर्ती प्रक्रियाएँ शुरू की हैं। आईपीएल टीम के लिए संगठन के लक्ष्यों पर विचार-विमर्श और मंथन करने, प्रगति की समीक्षा करने और आगे के रास्ते की पहचान करने के लिए एक पूरे दिन की रणनीति बैठक आयोजित की गई थी।



आईपीएल ने 17% की वृद्धि दर के साथ 17.03 करोड़ रुपये की आय दर्ज की, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 14.53 करोड़ रुपये की आय दर्ज की गई थी। कंपनी ने पिछले वर्ष इसी अवधि में 1.55 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष 1.90 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया।

आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड:

आईआईएफसीएल की एक विदेशी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड की स्थापना अप्रैल 2008 में भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लागू करने वाली कंपनियों को पूंजीगत उपकरणों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। आईआईएफसी (यूके) की अधिकृत पूंजी 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर है और कंपनी की वर्तमान चुकता पूंजी 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। 31 मार्च 2024 तक, कंपनी ने प्रत्यक्ष ऋण के तहत 47 परियोजनाओं और पुनर्वित्त के तहत 3 संस्थानों को क्रमशः 4.859 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 4.565 मिलियन अमेरिकी डॉलर की संघयी सकल और शुद्ध मंजूरी दी है। 31 मार्च 2024 तक, कंपनी ने 2,313 मिलियन अमेरिकी डॉलर का संघयी संवितरण किया है। RBI लाइन ऑफ क्रेडिट IIFC (UK) के लिए धन का प्राथमिक स्रोत रहा है और तत्पक्ष को देय बांडों का शुद्ध मूल बकाया 31 मार्च 2024 तक 932 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। तत्पक्ष लाइन ऑफ क्रेडिट के अलावा, IIFC (UK) भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अपने वित्तीय संसाधनों को और अधिक पूरक बनाने के उद्देश्य से लगातार धन के नए स्रोतों की खोज कर रहा है, और तदनुसार, कंपनी ने 31 मार्च 2024 तक 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की द्विपक्षीय ऋण सुविधा जुटाई है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने तनावग्रस्त परिसंपत्तियों से अपनी वसूली/समाधान प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा और वर्ष के दौरान लगभग 16.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वसूली की और एक तनावग्रस्त परिसंपत्ति को मानक श्रेणी में अपग्रेड किया। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी का कर पश्चात लाभ 12.28 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसके साथ ही, वर्ष के दौरान कंपनी की निवल संपत्ति की स्थिति में सुधार होकर 31.16 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।

आईएमसीएल:

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) ने 17 अगस्त 2012 को भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के प्रावधानों के अनुसार आईआईएफसीएल को प्रायोजक के रूप में एक ट्रस्ट के रूप में आईआईएफसीएल म्यूचुअल फंड (आईडीएफ) की स्थापना की थी। आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (आईएमसीएल) 28 मार्च 2012 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निर्गमित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है और यह आईआईएफसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

आईआईएफसीएल म्यूचुअल फंड (आईडीएफ) के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज और आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के बीच 17 अगस्त 2012 को किए गए निवेश प्रबंधन समझौते (आईएमए) के तहत ट्रस्टियों द्वारा आईआईएफसीएल म्यूचुअल फंड (आईडीएफ) की एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एमसी) के रूप में आईएमसीएल को नियुक्त किया गया था।

आईआईएफसीएल म्यूचुअल फंड (आईडीएफ) के न्यासी बोर्ड ने 31 जनवरी, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के तहत आईआईएफसीएल म्यूचुअल फंड (आईडीएफ) की दोनों मौजूदा योजनाओं को समय से पहले बंद करने का फैसला किया था, अन्य बातों के साथ-साथ उच्च अनुपालन लागत और सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 और आईआईएफसीएल म्यूचुअल फंड (आईडीएफ) और आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड के लिए लागू परिपत्रों और दिशानिर्देशों का पालन करने में असमर्थता के कारण। इसके अलावा, दोनों आईआईएफसीएल म्यूचुअल फंड (आईडीएफ) योजनाओं के यूनिटधारकों ने 15 मार्च 2023 को आयोजित अपनी संबंधित बैठक में अपेक्षित बहुमत के साथ आईडीएफ म्यूचुअल फंड योजनाओं को समय से पहले बंद करने को भी मंजूरी दे दी है। आईआईएफसीएल म्यूचुअल फंड (आईडीएफ) की संबंधित योजनाओं के यूनिटधारकों को मोचन/पुनर्मुग्तान की अनुमति देने के लिए सेबी की 23 अगस्त 2023 की मंजूरी के बाद, आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (आईएमसीएल) ने 25 सितंबर 2023 को आईआईएफसीएल म्यूचुअल फंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड की संबंधित योजनाओं के यूनिटधारकों को विधिवत मोचन कर दिया है। मोचन तिथि (22.09.2023) को आईआईएफसीएल म्यूचुअल फंड (आईडीएफ) की संबंधित योजनाओं की अंतिम घोषित एनएवी 15,14,458.12 रुपए (सीरीज-I) और 9,24,023.67 रुपए (सीरीज-II) है सेबी विनियमों के अनुपालन के लिए, समापन रिपोर्ट अक्टूबर 2023 में सेबी को प्रस्तुत की गई है। आईएमसीएल वर्तमान में आवश्यक कदम उठा रहा है, जिसमें अद्रव्य/डिफॉल्ट प्रतिभूतियों के लिए वसूली प्रयास/बिक्री-हस्तांतरण कार्रवाई शामिल है।

सांविधिक और अन्य सूचना आवश्यकताएँ

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रस्तुत की जाने वाली आवश्यक जानकारी इस रिपोर्ट के साथ निम्नानुसार संलग्न है:

क्र. सं.	विवरण	अनुलग्नक
1	सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	I
2	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ए) के अनुसार फॉर्म संख्या एमजीटी 9 में वार्षिक रिटर्न का अंश	II
3	सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट	III
4	किसी भी रिजर्व में ले जाई गई राशि, यदि कोई हो	IV

आमार

निदेशक मंडल केंद्र सरकार, विशेष रूप से वित्तीय सेवा विभाग और वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग, नीति आयोग, राज्य सरकारों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय भागीदारों, कर्मचारियों, ग्राहकों और अन्य सभी हितधारकों को उनके निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद देता है। बोर्ड कंपनी के लेखा परीक्षकों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, एलआईसी और एमओयू भागीदारों को उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन, समर्थन और सलाह के लिए भी धन्यवाद देता है।

निदेशक मंडल कंपनी के कर्मचारियों के समर्पण, कड़ी मेहनत और प्रयासों की सराहना करना चाहता है।

निदेशक मंडल के आदेश से

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड कृते

हस्ताक्षर
पवन के. कुमार
उप प्रबंध निदेशक
डीआईएन नं.08901398

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 25 सितंबर 2024

हस्ताक्षर
पी.आर. जयशंकर
प्रबंध निदेशक
डीआईएन नं.06711526

कार्यक्रम और गतिविधियाँ



आईआईएफसीएल के वार्षिक वित्तीय परिणामों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस
वित्त वर्ष 2023-2024



आईआईएफसीएल के हितधारकों की बैठक मुंबई में आयोजित



आईआईएफसीएल की कॉर्पोरेट रणनीति बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में वित्तीय सेवाएं विभाग सचिव डॉ. विवेक जोशी शामिल हुए।



भारत और ब्रिटेन के बीच निवेश के अवसरों पर सम्मेलन,
लंदन में आयोजित



आईआईएफसीएल तथा एससीओ आईबीसी अध्यक्ष – परिषद की बैठक



आईआईएफसीएल द्वारा हवाई अड्डा क्षेत्र पर
गोलमेज सम्मेलन आयोजित

कार्यक्रम और गतिविधियाँ



हैदराबाद में भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा आईआईएफसीएल द्वारा निर्मित 120 फीट ध्वज स्तंभ का उद्घाटन



7वें यूएनईसीई अंतर्राष्ट्रीय पीपीपी फोरम, जिनेवा में पुणे मेट्रो एलिक्ट्रिक सिस्टम परियोजना के लिए प्रशंसा प्रमाण पत्र



विश्व मानव संसाधन विकास कांग्रेस और नियोजता ब्रांडिंग संस्थान द्वारा उत्तर भारत सर्वश्रेष्ठ नियोजता ब्रांड पुरस्कार



2023 के लिए दिल्ली बैंक टाउन आधिकारिक भाषा शील्ड पुरस्कार



सतर्कता जागरुकता सप्ताह '2023 के दौरान आयोजित रंगोली प्रतियोगिता



दिल्ली में चिन्हित स्कूलों में स्वास्थ्य सह पोषण शिविर

कार्यक्रम और गतिविधियाँ



स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत लोधी कक्षलोनी रेलवे स्टेशन पर सफाई अभियान



एमएस के सहयोग से रक्तदान शिविर



फिट इंडिया स्वच्छता फ्रीडम रन 4.0



विशेष अभियान 3.0 के तहत IIFCL का पौधारोपण अभियान



आईआईएफसीएल की वार्षिक खेल प्रतियोगिता



आईआईएफसीएल के 19वें स्थापना दिवस का जश्न – इन्फ्रास्ट्राइव

बोर्ड की रिपोर्ट का परिशिष्ट

क. सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ और प्रबंधन टिप्पणियाँ:

क्र.सं.	सचिवीय लेखा परीक्षक का अवलोकन	प्रबंधन का उत्तर
।	कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियम तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ), विनियम, 2015	
क.	बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बोर्ड की कुल क्षमता के आधे से भी कम थी, जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 17(1) और डीपीई दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक है।	आईआईएफसीएल के बोर्ड में निदेशकों का चयन और नामांकन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। आईआईएफसीएल की अपने बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं है। आईआईएफसीएल ने कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय (डीएफएस) से आईआईएफसीएल के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने का अनुरोध किया है। इस संबंध में प्रस्तुत किया जाता है कि वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र सं. 18/7/2022 – आईएफ – 1 दिनांक 10 मई 2023 के माध्यम से सूचित किया है कि भारतीय इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के एसोसिएशन के अनुच्छेद 115 (1) (डी) के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार ने श्री समीर जेरामभाई बोधारा को उनकी नियुक्ति के आदेश की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, आईआईएफसीएल के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।
ख.	कंपनी के बोर्ड में कोई महिला निदेशक नहीं थी, जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) के अंतर्गत अपेक्षित है।	आईआईएफसीएल के बोर्ड में निदेशकों का चयन और नामांकन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। आईआईएफसीएल की अपने बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं है। आईआईएफसीएल ने कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय (डीएफएस) से आईआईएफसीएल के बोर्ड में एक महिला निदेशक की नियुक्ति करने का अनुरोध किया है। इस संबंध में प्रस्तुत किया जाता है कि वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 18/7(i)/2022-आईएफ-1 दिनांक 6 अगस्त 2024 के माध्यम से सूचित किया है कि इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के एसोसिएशन के अनुच्छेद 115 (1)(बी)(i) और 120 के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार ने सुश्री एमजी जयश्री, उप महानिदेशक, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय को आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल में सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।
ग.	श्री समीरभाई जेरामभाई बोधारा, जिनके पास डीआईएन 10163651 है, को 15.05.2023 को कंपनी में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, हालांकि उन्होंने 15.06.2023 को स्वतंत्र निदेशक के डेटा बैंक में पंजीकरण लिया। कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम संख्या 6 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जो कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) पांचवें संशोधन नियम, 2019 के लागू होने के बाद किसी कंपनी में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त होने का इरादा रखता है, उसे ऐसी नियुक्ति से पहले डेटा बैंक में अपना नाम शामिल करने के लिए संस्थान में ऑनलाइन आवेदन करना होगा।	आईआईएफसीएल की अपने बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं है। वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 18/7/2022-आईएफ-1 दिनांक 10 मई 2023 के माध्यम से सूचित किया है कि इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के एसोसिएशन के लेखों के अनुच्छेद 115 (1) (डी) के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार ने श्री समीर जेरामभाई बोधारा को उनकी नियुक्ति के आदेश की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, आईआईएफसीएल के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। इसके अलावा, डीपीई ने 8 अगस्त 2014 के पत्र के माध्यम से सरकारी कंपनियों को डेटाबैंक से स्वतंत्र निदेशक के चयन के लिए छूट प्रदान की है।

क्र.सं.	सचिवीय लेखा परीक्षक का अवलोकन	प्रबंधन का उत्तर
घ.	कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान सेबी (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 के विनियमन 3(5) के तहत आवश्यक संरक्षित डिजिटल डेटाबेस को बनाए नहीं रखा, हालांकि, कंपनी ने 27 मई 2024 को संरचनात्मक डिजिटल डेटाबेस (एसडीडी) को बनाए रखने के लिए सॉफ्टवेयर खरीदा है और आज की तारीख में यह चालू है।	आईआईएफसीएल ने अब सेबी (अंदरूनी व्यापार निषेध) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन में स्ट्रक्चरल डिजिटल डेटाबेस प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा, आईआईएफसीएल एक ऋण सूचीबद्ध कंपनी है और कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध नहीं हैं। इसके अलावा आईआईएफसीएल के नामित व्यक्तियों ने आईआईएफसीएल की प्रतिभूतियों में कारोबार नहीं किया है।
ड	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निजी तौर पर रखे गए बॉन्ड के संबंध में बकाया ब्याज शून्य है, जबकि प्रबंधन के अनुसार सार्वजनिक रूप से जारी किए गए बॉन्ड के संबंध में 66.39 लाख रुपए (लगभग) का ब्याज बकाया है, जिसे सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 61ए और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के तहत निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईसीपीएफ) में स्थानांतरित नहीं किया गया है। प्रबंधन के अनुसार भुगतान न किए गए/दावा न किए गए ब्याज का बैंकों/आरटीए द्वारा समाधान किया जा रहा है।	IIFCL को निजी प्लेसमेंट बॉन्ड के संबंध में IPEF को कोई राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, सार्वजनिक प्लेसमेंट बॉन्ड के लिए, बैंकों/RTA से अनुरोधित जानकारी को एकत्रित करने के बाद, अवैतनिक/अदावा किए गए ब्याज के लिए 66.39 लाख रुपए (लगभग) की राशि को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए IEPF में हस्तांतरित करने की आवश्यकता है। कंपनी इस उद्देश्य के लिए IEPF में प्रस्तुत की जाने वाली आवश्यक जानकारी रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंटों से उपलब्ध होने के बाद राशि भेज देगी।

ख. वैधानिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

लेखांकन सॉफ्टवेयर में तकनीकी गड़बड़ियों को हल करने के लिए चालू वर्ष के दौरान दर्ज किए गए सुलह प्रविष्टियों से संबंधित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट 4 का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप चालू अवधि के दौरान 12,424.94 लाख रुपए की राशि के पूर्व अवधियों से संबंधित भौतिक ब्याज आय का उलटफेर हुआ है।

उक्त तकनीकी गड़बड़ियाँ जो प्रबंधन द्वारा नियुक्त एक बाहरी आईटी सलाहकार द्वारा सुलह की प्रक्रिया में थीं, उनके द्वारा प्रस्तुत विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार वर्ष के दौरान सुलह कर ली गई हैं। आईटी सलाहकारों द्वारा पहचानी गई कई सुलह प्रविष्टियाँ भौतिक पूर्व अवधि की त्रुटियों से संबंधित थीं। तदनुसार, प्रबंधन ने चालू वर्ष के दौरान लेखा पुस्तकों में आवश्यक प्रविष्टियाँ पारित करके उन्हें ठीक किया।

कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 द्वारा निर्धारित लेखा नीतियों, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियों पर भारतीय लेखा मानक 8 के अनुसार, कंपनी को खोज के बाद जारी करने के लिए अनुमोदित वित्तीय विवरणों के पहले सेट में तुलनात्मक राशियों को पुनः बताते हुए पूर्व अवधि की महत्वपूर्ण त्रुटियों को पूर्वव्यापी रूप से ठीक करना आवश्यक था। हालांकि, कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 8 के पैरा 42 के प्रावधानों का पैरा 5 के साथ पालन नहीं किया है, जिसके अनुसार पूर्व अवधि(ओं) के वित्तीय विवरणों को पूर्वव्यापी रूप से पुनः बताना आवश्यक है, जिसमें (ए) प्रस्तुत की गई पूर्व अवधि(ओं) के लिए तुलनात्मक राशियों को पुनः बताना शामिल है, जिसमें त्रुटि हुई थी; या (बी) यदि त्रुटि प्रस्तुत की गई सबसे प्रारंभिक पूर्व अवधि से पहले हुई थी, तो प्रस्तुत की गई सबसे प्रारंभिक पूर्व अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी के शुरुआती शेष को पुनः बताना शामिल है।

उक्त समाधान के परिणामस्वरूप पूर्व अवधि की ब्याज आय के उलट होने के प्रभाव के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए कर से पहले रिपोर्ट किए गए लाभ में 12,424.94 लाख रुपए की राशि कम हो गई है, जिसका कंपनी की ऋण परिसंपत्तियों पर भी प्रभाव पड़ा है।

प्रबंधन टिप्पणियाँ:

समाधान प्रविष्टियों के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि आईआईएफसीएल ने उन्नत आईटी प्रणाली के कार्यान्वयन के उद्देश्य से नियुक्त बाहरी आईटी परामर्शदाता से अनुरोध किया था कि वह बताए गए अंतर की उत्पत्ति की समीक्षा और समाधान भी करे। परामर्शदाता ने खुलासा किया कि यह अंतर आईटी प्रणाली में रूटिंग लेजर के सिंक न होने के कारण था।

परिणामस्वरूप, आईटी परामर्शदाता ने विभिन्न खातों को प्रभावित करने वाली समाधान और समायोजन प्रविष्टियों की सलाह दी थी। समाधान का काम अभी भी जारी है। यह पहला वर्ष है जब सिस्टम त्रुटियों का निदान किया गया था, हालांकि, कंपनी ने चालू वित्तीय वर्ष में समायोजन प्रविष्टियों को प्रभावी बनाने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती है। तदनुसार, कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 से पहले की अवधि के लिए ब्याज आय के प्रत्यावर्तन के रूप में 12,424.94 लाख रुपए की प्रविष्टियों की गई।

कंपनी ने माना है कि बाहरी आईटी सलाहकार द्वारा प्रदान किए गए संकल्प के आधार पर पारित प्रविष्टियों पर भारतीय लेखा मानक 8 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, क्योंकि प्रविष्टियाँ किसी इकाई के वित्तीय प्रदर्शन की एक विशेष प्रस्तुति प्राप्त करने के लिए जानबूझकर नहीं की जाती हैं और इसलिए, उन्हें त्रुटि के रूप में नहीं माना जाता है। इसके अलावा, संकल्प न तो पिछले वर्षों में उपलब्ध थे जब उन अवधियों के लिए वित्तीय विवरण जारी करने के लिए अनुमोदित किए गए थे; न ही, उचित रूप से यह उम्मीद की जा सकती थी कि उन्हें प्राप्त किया गया होगा और संबंधित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति में ध्यान में रखा गया होगा।

ग-1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आईआईएफसीएल के स्टैंडअलोन वित्तीय पर सी एण्ड एजी की टिप्पणियाँ

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और वित्तीय विवरणों के लिए अन्य नोट्स

कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति में यह तथ्य स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड-एएस) की आवश्यकताओं के अनुपालन के अलावा, वित्तीय विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अन्य लागू नियामक मानदंडों/दिशानिर्देशों के अनुपालन में भी तैयार किए गए हैं। महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के संबंध में प्रकटीकरण उस सीमा तक अपर्याप्त है।

प्रबंधन टिप्पणियाँ:

आईआईएफसीएल अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीति में यह शामिल करने के लिए सहमत है कि, कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड-एएस) की आवश्यकताओं के अनुपालन के अलावा, वित्तीय विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अन्य लागू नियामक मानदंडों/दिशानिर्देशों के अनुपालन में भी तैयार किए गए हैं।

ग-2 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आईआईएफसीएल के समेकित वित्तीय विवरणों पर सी एण्ड एजी की टिप्पणियाँ

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और वित्तीय विवरणों के लिए अन्य टिप्पणियाँ

कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति में यह तथ्य स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड-एएस) की आवश्यकताओं के अनुपालन के अलावा, वित्तीय विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अन्य लागू नियामक मानदंडों/दिशानिर्देशों के अनुपालन में भी तैयार किए गए हैं। महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के संबंध में प्रकटीकरण उस सीमा तक अपर्याप्त है।

प्रबंधन टिप्पणियाँ:

नीति में यह शामिल करने के लिए सहमत है कि, कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड-एएस) की आवश्यकताओं के अनुपालन के अलावा, वित्तीय विवरण भी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अन्य लागू नियामक मानदंडों/दिशानिर्देशों के अनुपालन में तैयार किए गए हैं।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार]

सेवा में,

सदस्यगण,

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

5वीं मंजिल, ब्लॉक 2, प्लेट ए और बी,

एनबीसीसी टॉवर, ईस्ट किडवई नगर, साउथ दिल्ली

नई दिल्ली, 110023

हमने इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (सीएलएन: यू67190डीएल2006जीओआई14452) (जिसे आगे कंपनी कहा जाएगा) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय लेखापरीक्षा किया है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरह से की गई थी कि हमें कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया गया।

कंपनी द्वारा रखी गई पुस्तकों, कागजात, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न तथा अन्य अभिलेखों या रजिस्ट्रारों के हमारे सत्यापन और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र मौजूद हैं, जिस सीमा तक, जिस तरीके से और जिसके अधीन यहां बाद में की गई रिपोर्टिंग है:

हमने 31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी द्वारा रखी गई पुस्तकों, कागजात, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न तथा अन्य अभिलेखों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;
- (ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम 1956 (एससीआरए) तथा उसके अधीन बनाए गए नियम;
- (iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 तथा उसके अधीन बनाए गए विनियम और उपनियम;
- (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा बाह्य वाणिज्यिक उधारी की सीमा तक;
- (v) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (शेबी अधिनियम) के अधीन निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश, अर्थात्:
 - (क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015;
 - (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011; खलेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं;
 - (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015; खलेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं;
 - (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2018; खलेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं;
 - (ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निगम और गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों की सूची) विनियम, 2021;
 - (च) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निगम के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में, कंपनी किसी निगम के रजिस्ट्रार से संबंधित गतिविधियों में संलग्न नहीं थी और शेयर

हस्तांतरण एजेंट के रूप में भी कार्य नहीं कर रही थी, इसलिए उक्त विनियम लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं थे;

- (छ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021; [ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं]
- (ज) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिंग) विनियम, 2021; [ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं]
- (झ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018; खलेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं,
- (vi) कंपनी के लिए अन्य श्रम, पर्यावरण और विशिष्ट लागू अधिनियम/कानून जिनके लिए सचिवीय लेखा परीक्षा एक सिंहावलोकन लेखा परीक्षा के रूप में आयोजित की गई थी और आम तौर पर हमें प्रदान किए गए दस्तावेजों और अन्य लेखा परीक्षा रिपोर्ट और अन्य पेशेवरों द्वारा दिए गए प्रमाण पत्रों पर आधारित/भरोसा किया गया था, कंपनी ने लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू निम्नलिखित अधिनियमों/कानूनों का अनुपालन किया है:
 - (क) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (रिजर्व बैंक) निर्देश 2016 के साथ पढ़ा गया, जैसा कि आज तक संशोधित किया गया है;
 - (ख) श्रम और सामाजिक सुरक्षा कानून (जहां तक लागू हो);
 - (ग) भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899;
 - (घ) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005।
 - (ङ) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006
 - (च) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम 2013।

हमने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है।

हमने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर कानूनों जैसे लागू वित्तीय कानूनों की जांच नहीं की है, क्योंकि वे वैधानिक वित्तीय लेखा परीक्षा और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन हैं।

हम रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है:

- 1) कि स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड की संख्या बोर्ड की कुल क्षमता के आधे से भी कम थी, जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) के तहत आवश्यक है।
- 2) कि कंपनी के बोर्ड में महिला निदेशक नहीं थी, जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) के तहत आवश्यक है।
- 3) श्री समीरभाई जेरामभाई बोधरा, जिनका डीआईएन 10163651 है, को 15.05.2023 को कंपनी में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 की धारा 6 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जो कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) पांचवें संशोधन नियम, 2019 के लागू होने के बाद किसी कंपनी में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त होने का इरादा रखता है, उसे ऐसी नियुक्ति से पहले डेटा बैंक में अपना नाम शामिल करने के लिए संस्थान में ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- 4) कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान सेबी (भेदिया व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 के विनियम 3(5) के तहत आवश्यक संरचित डिजिटल डेटाबेस को बनाए नहीं रखा। हालांकि, कंपनी ने 27 मई 2024 को स्ट्रक्चरल डिजिटल डेटाबेस (एसडीडी) को बनाए रखने के लिए सॉफ्टवेयर खरीदा है और आज की तारीख में यह चालू है।
- 5) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निजी तौर पर रखे गए बॉन्ड के संबंध में बकाया ब्याज शून्य है, जबकि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है कि सार्वजनिक रूप से जारी किए गए बॉन्ड के संबंध में 66.39 लाख रुपये (लगभग) का ब्याज बकाया है। यह अवैतनिक/अदावाकृत राशि सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 61 और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के तहत निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में स्थानांतरित नहीं की गई है। प्रबंधन के अनुसार अवैतनिक/अदावाकृत ब्याज का बैंकों/आरटीए द्वारा समाधान किया जा रहा है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत किया गया है। हालाँकि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। समीक्षाधीन अवधि के दौरान बोर्ड की संरचना में यदि कोई परिवर्तन हुआ है, तो वह अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया है।

सभी निदेशकों को वैधानिक प्रावधानों के अनुसार बोर्ड और समिति की बैठकों को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त सूचना दी जाती है, तथा एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट जो कम समय में भेजे गए थे, उन्हें 1991 के सचिवीय मानक-1 के तहत अपेक्षित अनुमति प्राप्त करने के बाद लिया गया। इसके अलावा बैठक से पहले एजेंडा मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड और/या समिति की बैठकों में सभी निर्णय सर्वसम्मति से किए जाते हैं, जैसा कि निदेशक मंडल या बोर्ड की संबंधित समिति के कार्यवृत्त में दर्ज किया जाता है, जैसा भी मामला हो।

कंपनी अधिनियम 2013, सेबी अधिनियम, डिपॉजिटरी अधिनियम और इन अधिनियमों के तहत बनाए गए नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के तहत समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी, उसके निदेशकों और अधिकारियों के खिलाफ कोई अभियोजन शुरू नहीं किया गया।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि प्राप्त जानकारी और रखे गए अभिलेखों के आधार पर कंपनी में अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान:-

कंपनी ने पाँच श्रृंखलाओं के बॉन्ड से युक्त कुल 7,000 करोड़ रुपये के घरेलू बॉन्ड जारी किए हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, निम्नलिखित का कोई उदाहरण नहीं था:

- क) शेयरों/स्वेट इक्विटी का सार्वजनिक/राइट/अधिमान्य निर्गम;
- ख) प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद;
- ग) विलय/समामेलन/पुनर्निर्माण आदि और
- घ) विदेशी तकनीकी सहयोग।

अखिल रोहतगी एंड कंपनी कृते
कंपनी सचिव

हस्ता/-

सीएस अखिल रोहतगी
FCS: 1600, COP: 2317

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 19-09-2024

आईसीएसआई यूनिक फर्म पंजीकरण कोड संख्या: P1995DE072900
UDIN No: F001600F001252003

[नोट: इस रिपोर्ट को हमारे सम संख्या के पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए जिसे "अनुलग्नक-ए" के रूप में संलग्न किया गया है और यह इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।]

सेवा में,

सदस्यगण,

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

5वीं मंजिल, ब्लॉक 2, प्लेट ए और बी, एनवीसीसी टॉवर,

ईस्ट किडवई नगर, साउथ दिल्ली,

नई दिल्ली, 110023

इस पत्र के साथ हमारी सम तिथि की रिपोर्ट इस प्रकार पढ़ी जानी चाहिए:

- 1) सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ऑडिट में इन सचिवीय अभिलेखों पर अपनी राय व्यक्त करें।
- 2) हमने सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित ऑडिट प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य दर्शाए गए हैं, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। हमारा मानना है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, वे हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।
- 3) हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा पुस्तकों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
- 4) जहाँ भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
- 5) कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
- 6) सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

अखिल रोहतगी एंड कंपनी कृते
कंपनी सचिव

हस्ता / -

सीएस अखिल रोहतगी

FCS: 1600, COP: 2317

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 19.09.2024

आईसीएसआई अद्वितीय फर्म पंजीकरण कोड संख्या: P1995DE072900

UDIN No: F001600F001252003

प्रपत्र सं. एमजीटी 9
वार्षिक विवरणी का अंश

31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति के अनुसार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार।

I. पंजीकरण और अन्य विवरण

1.	सीआईएन	U67190DL2006GOI144520
2.	पंजीकरण की तारीख	5 जनवरी 2006
3.	कंपनी का नाम	इडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
4.	कंपनी की क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय	भारत सरकार का उद्यम
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं सम्पर्क विवरण	पांचवां तल, ब्लॉक-2, प्लॉट ए और बी, एनबीसीसी टॉवर ईस्ट किडवई नगर नई दिल्ली-110023 फोन: 91-11-24662777 फैक्स: 91-11-20815125 ई-मेल: info@lifcl.in
6.	कंपनी सूचीबद्ध है	हाँ
7.	रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता और सम्पर्क विवरण, यदि कोई हो।	क्रेफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड उमेश पांडे सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31 और 32, वित्तीय जिला नानकसामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद - 500 032, भारत टोल फ्री नंबर: 1800 345 4001 या ई-मेल: einward.ris@kfintech.com पर ई-मेल भेजें। आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्रा लिमिटेड श्री रविंदर दुआ बी-25/1, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-2, नई दिल्ली - 110 020 फोन: 011-26387320, 26387321 फैक्स: 011-26387322 ई-मेल: rdua@rcmcdelhi.com वेबसाइट: www.rcmcdelhi.com बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड श्री पुनीत मित्तल तीसरी मंजिल, बीटल हाउस, 99, लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे मदनगौर गांव, मदनगौर नई दिल्ली - 110 062 फोन: +91-11-29961281-83 ई-मेल: beetal@beetalfinancial.com वेबसाइट: www.beetalfinancial.com अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड श्री अभिनव कुमार अग्रवाल 205-208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झण्डेवाला एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110 055 फोन: 7290067787 ई-मेल: abhinavka@alankit.com वेबसाइट: www.alankit.com

II. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियाँ

(कंपनी के कुल कारोबार में 10 प्रतिशत या उससे अधिक का योगदान करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों को बताया जाए)

क्रम सं.	मुख्य उत्पादों / सेवाओं का नाम और विवरण	मुख्य उत्पादों / सेवाओं का एनआईसी कोड*	कंपनी के कुल कारोबार का प्रतिशत
1	इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग**	649-बीमा और पेंशन फंडिंग गतिविधियों को छोड़कर अन्य वित्तीय सेवा गतिविधियाँ	100 प्रतिशत

* राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार-सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

** आईआईएफसीएल की स्थापना भारत सरकार द्वारा 2006 में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) नामक सिपटी के रूप में एक विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से व्यवहार्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक वित्त को सुचीबद्ध करना है आईआईएफसीएल से वित्तीय सहायता के लिए पात्र क्षेत्र 1 मार्च, 2012 को इन्फ्रास्ट्रक्चर पर कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित बुनियादी ढांचे के उप-क्षेत्रों की सामंजस्यपूर्ण सूची हैं। इनमें परिवहन, ऊर्जा, पानी, स्वच्छता, संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी ढांचा शामिल हैं।

आईआईएफसीएल सितंबर 2013 से आरबीआई के साथ एनबीएफसी-एनडी-आईएफसी के रूप में पंजीकृत है।

III. धारित, सहायक और सहयोगी कंपनियों का विवरण

क्र. सं.	कंपनी का नाम	कंपनी का पता	सीआईएन/जीएलएन	धारित/सहायक/सहयोगी	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू अनुभाग
1	आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड	पता: तीसरी मंजिल 72 किंग विलियम स्ट्रीट लंदन ईसी4एन7एषआर यूनाइटेड किंगडम टेलीफोन: सामान्य +44-20-7776 8850 ई-मेल: info@iifc.org.uk	06496661*	सहायक	100%	2(87)(iii)
2	आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	पता: 5वीं मंजिल, ब्लॉक 2 प्लॉट ए, एनबीसीसी टॉवर पुरी किरवई नगर नई दिल्ली - 110 023 फोन: +91-11-2465573 ई-मेल: contact@iifclprojects.com	U74999DL2012GOI231473	सहायक	100%	2(87)(ii)
3	आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	पता: 5वीं मंजिल, ब्लॉक 2 प्लॉट ए, एनबीसीसी टॉवर पुरी किरवई नगर नई दिल्ली - 110 023 फोन: +91-11-24665900-10 ई-मेल: cio@iifclmf.com	U65991DL2012GOI233601	सहायक	100%	2(87)(ii)

* इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड को यूके कंपनी अधिनियम 1985 के तहत 7 फरवरी, 2008 [कंपनी नंबर 6496661] पर इंग्लैंड और वेल्स की कंपनियों के रजिस्टर में शामिल किया गया था।

IV. शेयर धारिता पद्धति (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी ब्रैकअप)

i. श्रेणी-वार शेयर धारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष की शुरुआत में धारित शेयरों की संख्या [31-मार्च-2020 तक]				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या [31-मार्च-2021 तक]				वर्ष के दौरान परिवर्तन का प्रतिशत
	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
क. प्रवर्तक									
(1) भारतीय									-
क) आधिकारिक/एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) केंद्र सरकार	-	999,991,623 करोड़	999,991,623 करोड़	100%	-	999,991,623 करोड़	999,991,623 करोड़	100%	-
ग) राज्य सरकारें	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) विधायक कार्पोरेशन	-	-	-	-	-	-	-	-	-

जारी

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष की शुरुआत में धारित शेयरों की संख्या [1-अप्रैल-2023 यथा]				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या [31-मार्च-2024 यथा]				वर्ष के दौरान परिवर्तन का प्रतिशत
	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
अ. बैंक / वित्तीय संस्था	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ब. कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-योग (क) (1)	-	999,991,623 करोड़	999,991,623 करोड़	100%	-	999,991,623 करोड़	999,991,623 करोड़	100%	-
(2) विदेशी									-
क) एफआईआई-व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) अन्य-व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) कॉर्पोरेट निवेशक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) बैंक / वित्तीय संस्था	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ. कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-योग (क) (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रकार की कुल शेयरधारिता (क)(1), (क)(2)	-	999,991,623 करोड़	999,991,623 करोड़	100%	-	999,991,623 करोड़	999,991,623 करोड़	100%	-
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता									-
1. संस्थान									-
क) म्युचुअल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) बैंक / वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकारें	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ. उद्यम पूंजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च. बीमा कंपनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ. एफआईआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ज. विदेशी उद्यम पूंजी कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-योग (ख)(1):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर-संस्थान									-
क) नियामक कार्पोरेशन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
डि) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
डिी) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
इ. व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
डि) 1 लाख रुपये तक की मामूली शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
डिी) 1 लाख रुपये से अधिक की मामूली शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. एफआईआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
डि. एफआईआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
डिी. समारोह संदर्भ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. सहायक कंपनियों द्वारा धारित शेयर जिन पर मतदान का कोई अधिकार नहीं है	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. बाका न किए गए शेयर उधार खाता	-	-	-	-	-	-	-	-	-

शेयरधारकों की श्रेणीय	वर्ष की शुरुआत में धारित शेयरों की संख्या [1-अप्रैल-2023 यथा]				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या [31-मार्च-2024 यथा]				वर्ष के दौरान परिवर्तन का प्रतिशत
	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
vi. न्यास	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-योग (ख)(2)-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)=(ख)(1)+(ख)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. जीडीआर और एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग (क+ख+ग)	-	999,991,623 करोड़	999,991,623 करोड़	100%	-	999,991,623 करोड़	999,991,623 करोड़	100%	-

ii. प्रवर्तक की शेयरधारिता

शेयरधारक का नाम	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता (01-04-2023 के अनुसार)			शेयरधारक का नाम	वर्ष के अंत में शेयरधारिता (31-03-2024 तक)			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में परिवर्तन का प्रतिशत
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	गिरवी रखे गए शेयरों का प्रतिशत / कुल शेयरों में भारग्रस्त		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	गिरवी रखे गए शेयरों का प्रतिशत / कुल शेयरों में भारग्रस्त	
भारत के माननीय राष्ट्रपति	999,99,16,223	100%	-	भारत के माननीय राष्ट्रपति	999,99,16,223	100%	-	शून्य
प्रतिनिधि शेयरधारिता*	7			प्रतिनिधि शेयरधारिता*	7			
	999,99,16,230	100%			999,99,16,230	100%		शून्य

* भारत सरकार की ओर से प्रतिनिधि के रूप में सात शेयरधारक शामिल हैं।

iii. प्रवर्तकों की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो कृपया निर्दिष्ट करें)

विवरण	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता (01-04-2024 तक)		बढ़ोतरी	दिनांक	वर्ष के दौरान संघयी शेयरधारिता (31-03-2024 तक)	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत			शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
वर्ष की शुरुआत में	999,99,16,230	100%	-	-	999,99,16,230	100%
वर्ष के अंत में	999,99,16,230	100%	-	-	999,99,16,230	100%

iv. शीर्ष दस शेयरधारकों का शेयरधारिता पैटर्न

(जीडीआर और एडीआर के निदेशकों, प्रमोटर्स और धारकों के अलावा):

शीर्ष 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता (01-04-2023 के अनुसार)		वर्ष के दौरान संघयी शेयरधारिता (31-03-2024 तक)	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
वर्ष की शुरुआत में	-	-	-	-
वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में दिनांकवार वृद्धि/कमी वृद्धि/कमी (जैसे आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्टॉक इक्विटी आदि) के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए	-	-	-	-
वर्ष के अंत में	-	-	-	-

- v. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शोयरधारिता:
(जीडीआर और एडीआर के निदेशकों, प्रवर्तकों और धारकों के अलावा):

प्रत्येक निदेशक और प्रत्येक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की शोयरधारिता	वर्ष की शुरुआत में शोयरधारिता (01-04-2023 तक)		वर्ष के दौरान संचयी शोयरधारिता (31-03-2024 तक)	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
वर्ष की शुरुआत में	-	-	-	-
वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शोयरधारिता में दिनांकवार वृद्धि/कमी (जैसे आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि) के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए:	-	-	-	-
वर्ष के अंत में	-	-	-	-

V. ऋणग्रस्तता

बकाया/उपार्जित लेकिन भुगतान के लिए बकाया न रहने वाले ब्याज सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता।

(₹ लाख में)

	जमा को छोड़कर सुरक्षित ऋण	अप्रतिभूत ऋण	जमा*/अल्प अवधि ऋण	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ऋणग्रस्तता (01.04.2023)				
i) मूल धन	13,44,690.95	21,37,169.69	8,23,265.84	43,05,126.48
ii) ब्याज देय लेकिन अप्रदत्त	-	-	-	-
iii) प्रोद्भूत ब्याज लेकिन अदेय	52,066.46	25,432.25	-	77,498.71
योग (i+ ii+ iii)	13,96,757.41	21,62,601.94	8,23,265.84	43,82,625.19
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				-
*परिवर्धन	18,235.50	7,03,139.96	3,08,966.83	10,30,342.29
*अपचयन	2,05,354.45	1,18,544.11	-	3,23,898.56
निवल परिवर्तन	1,87,118.95	5,84,595.85	3,08,966.83	7,06,443.73
वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ऋणग्रस्तता (31.03.2024)				-
i) मूल धन	11,39,336.50	27,18,625.58	11,32,232.67	49,90,194.75
ii) ब्याज देय लेकिन अप्रदत्त	-	-	-	-
iii) प्रोद्भूत ब्याज लेकिन अदेय	70,301.96	28,572.21	-	98,874.17
योग (i+ ii+ iii)	12,09,638.46	27,47,197.79	11,32,232.67	50,89,068.92

*आईआईएफसीएल एक एनबीएफसी होने के कारण सार्वजनिक जमा स्वीकार करने का पात्र नहीं है।

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

A. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/या प्रबंधक को पारिश्रमिक:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम		कुल राशि
	नाम	डॉ. पीआर जयशंकर	श्री पवन के कुमार	
	पदनाम	प्रबंध निदेशक	उप प्रबंध निदेशक	
1	सकल वेतन	57.66	41.25	98.91
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के अंतर्निष्ठ प्रावधानों के अनुसार			

	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुपलब्धियाँ			
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ			
2	स्टॉक विकल्प	-	-	-
3	स्वीट इक्विटी	-	-	-
4	कमीशन - लाभ प्रतिशत के रूप में - अन्य, उल्लेख करें	-	-	-
5	अन्य, कृपया उल्लेख करें	-	-	-
	योग (क)	57.66	41.25	98.91

ख. निदेशकों का पारिश्रमिक

(₹ लाख में)

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशकों के नाम				कुल राशि
1	स्वातंत्र निदेशक	श्री सगीर जेरेमभाई बोधरा				
	बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	12.15	-	-	-	12.15
	कमीशन	-	-	-	-	-
	अन्य, कृपया उल्लेख करें	-	-	-	-	-
	योग (1)	-	-	-	-	-
2	अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक (अंशकालिक गैर-सारकारी निदेशक)					
	बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	-	-	-	-	-
	कमीशन	-	-	-	-	-
	अन्य, कृपया उल्लेख करें	-	-	-	-	-
	परिवहन	-	-	-	-	-
	योग (2)	-	-	-	-	-
	योग (ख)=(1+2)	12.15	-	-	-	12.15

ग. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों/प्रबंधक के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक

(₹ लाख में)

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी		
		श्री राजीव मुखीजा	श्री अभिरूप सिंह	कुल
	पदनाम	मुख्य वित्त अधिकारी	कंपनी सचिव	
1	सकल वेतन			
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के अंतर्निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	107.26	54.56	161.82
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुपलब्धियाँ			
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ	-	-	-
2	स्टॉक विकल्प	-	-	-
3	उद्यम इक्विटी	-	-	-
4	कमीशन - लाभ प्रतिशत के रूप में - अन्य, उल्लेख करें	-	-	-
5	अन्य, कृपया उल्लेख करें	-	-	-
	योग	107.26	54.56	161.82

VII. जुर्माने / दंड / अपराधों का समाधान

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	अधिरोपित जुर्माने / दंड / समाधान शुल्क का विवरण	प्राधिकारी (आरडी / एनसीएलटी / न्यायालय)	अपील, यदि कोई हो (विवरण दे)
क. कंपनी					
जुर्माना					
दंड					
समझौता					
ख. निदेशक					
जुर्माना					
दंड			शून्य		
समझौता					
ग. अन्य दोषी अधिकारी					
जुर्माना					
दंड					
समझौता					

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सीएसआर गतिविधियाँ

1. कंपनी की सीएसआर नीति का संक्षिप्त विवरण:

भारत इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल), जो कि भारत सरकार का उपक्रम है, ने समाज और विशेष रूप से देश के पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की भलाई के लिए अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के तहत अपनी जिम्मेदारी निभाई है। आईआईएफसीएल ने कंपनियों के अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत अपनी सीएसआर नीति बनाई है, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा मंजूरी प्राप्त है। इस नीति में सीएसआर गतिविधियों को लागू करने और मॉनिटर करने के लिए एक द्विस्तरीय संरचना की व्यवस्था की गई है (बोर्ड स्तर समिति और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों की कार्यान्वयन समिति)।

आईआईएफसीएल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान स्वास्थ्य एवं पोषण, पेयजल और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में नए परियोजनाओं को मंजूरी दी है, ताकि भारत के आकांक्षालक ब्लॉकों में रहने वाले लोगों के जीवन को सशक्त बनाया जा सके। आईआईएफसीएल का सीएसआर थीम 2023-24 के लिए 'स्वास्थ्य और पोषण' रहा है और आईआईएफसीएल ने इस थीम के तहत परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनसे कुजुर्गों, महिलाओं और किशोरी बालिकाओं के जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, जैसे मातृ मृत्यु दर (MMR), शिशु मृत्यु दर (IMR) को कम करना और पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना। इसके अतिरिक्त, भारत की राष्ट्रीय घरों के संरक्षित करने के लिए, आपकी कंपनी ने राष्ट्रपति निवास (हैदराबाद) में 120 फीट ऊँचा ध्वजस्तंभ का पुनर्निर्माण किया है। यह ध्वजस्तंभ भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटित किया गया था।

2. सीएसआर समिति की संरचना

क्र. सं.	निदेशक का नाम	निदेशक पद का पदनाम/प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान उपस्थित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या
01	श्री समीरमाई बोधारा	स्वतंत्र निदेशक	02	02
02	डॉ. पी आर जयशंकर	प्रबंध निदेशक	02	02
03	श्री पवन के कुमार	उप-प्रबंध निदेशक	02	02
04	श्री सोलमन अरोकियाराज	सरकार द्वारा नामित निदेशक	02	01
05	श्री डॉ. पार्थ सारथी रेड्डी	सरकार द्वारा नामित निदेशक	02	02

3. उस वेब-लिंक को प्रदान करें जहां कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का विवरण प्रकाशित किया गया हो।

वेब लिंक:- <https://www.iifcl.in@csr&initiative>

4. कंपनियों (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुपालन में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें)।

आईआईएफसीएल की सीएसआर नीति के अनुसार, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा अनुमोदित किया गया है, प्रभाव मूल्यांकन आईआईएफसीएल के सीएसआर परियोजना कार्यान्वयन और निगरानी दिशा-निर्देशों का एक अभिन्न हिस्सा है। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कोई परियोजना प्रभाव मूल्यांकन के लिए योग्य नहीं थी।

5. कंपनियों (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुपालन में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि और यदि कोई हो तो वित्तीय वर्ष के लिए सेट ऑफ के लिए आवश्यक राशि का विवरण प्रदान करें।

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष के लिए सेट-ऑफ की जाने वाली राशि, यदि कोई हो (₹ में)
1	-	शून्य	शून्य
	कुल	शून्य	शून्य

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ

(₹ लाख में)

विवरण	राशि
वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए शुद्ध लाभ	32,968.15
वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए शुद्ध लाभ	57,576.01
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए शुद्ध लाभ	1,26,863.57
पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी का औसत शुद्ध लाभ। (ख) = क/3	72,469.24
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक व्यय की राशि: औसत लाभ (ग) का 2 प्रतिशत = ख का 2 प्रतिशत	1,449.38

7. (क) कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत जैसा कि धारा 135(5) के अनुसार:- ₹1,449.38 लाख
 (ख) पिछले वित्तीय वर्षों के सीएसआर परियोजनाओं, कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष:- शून्य
 (ग) वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन करने की आवश्यकता, यदि कोई हो:- शून्य
 (घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7+7ड-7ख):- ₹1,449.38 लाख
8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर राशि खर्च या अप्रयुक्त:

वित्तीय वर्ष के लिए कुल व्यय की गई राशि	अव्ययित राशि (₹ में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के तहत दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII में निर्दिष्ट किसी भी निधि में हस्तांतरित राशि		
राशि	राशि	हस्तांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	स्थानांतरण की तिथि
45,51,000	14,03,87,000	30.04.2024	शून्य	शून्य	शून्य

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए चल रहे परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1) क्र. सं.	(2) परियोजना का नाम	(3) अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	(4) स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	(5) परियोजना का स्थान		(6) परियोजना अवधि	(7) परियोजना के लिए आवंटित राशि (₹ में)	(8) चातुर्वितीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ में)	(9) घाटा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए आवंटित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (₹ में)	(10) कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	(11) कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1.	दिल्ली एनसीआर में चिन्हित स्कूलों में स्थित 1000 (एक हजार) लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य सह पोषण शिविर	पोषण	हां	पुनर्जीआर, दिल्ली		12 माह	₹93,50,000	₹18,70,000	₹74,80,000	नहीं	मेसर्स ओमसिपास चरिटेबल पब्लिक ट्रस्ट	CSR000003983
2	बीच ओडिशा में सरकारी स्कूलों के युनिवर्सिटी बोर्डों को कंप्यूटर और स्वास्थ्य पेपलर उपलब्ध कराने के हेतु इनाम	शिक्षा	नहीं	श्रीध, उड़ीसा		12 माह	₹16,20,000	₹4,86,000	₹11,34,000	नहीं	मेसर्स बसंत सोशल फाउंडेशन	CSR00042791
3	मोबाइल 100 फल के तहत दिल्ली एनसीआर में महिलाएं एम्बुलेंस वैन चलाई जाएगी	स्वास्थ्य	हां	पुनर्जीआर, दिल्ली		12 माह	₹21,95,000	₹21,95,000	₹0	नहीं	मेसर्स बीकसाई फाउंडेशन	CSR000001161
4	नेपाली सुमाच थ्रू बोस सेवा अकादमी, शिलावासा (वादा और नगर इलाका) में छात्रावास भवन का निर्माण	शिक्षा	नहीं	शिलावासा, चार और इलाहाबाद नगर		24 माह	₹1,22,22,500	₹0	₹1,22,22,500	नहीं	मेसर्स शिक्षा भारती गुजरात प्रदेश	CSR000006412
5	स्कूलों में सैनिटरी नेपकिन वॉशिंग मशीन और डिसिनेशन की स्थापना	स्वास्थ्य	नहीं	सीकर, राजस्थान		12 माह	₹1,54,44,500	₹0	₹1,29,49,093	नहीं	मेसर्स गण सौंदर्यवर्धन सोसायटी	CSR00021999
6	दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को शिक्षा के लिए परियोजना सुविधाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए चर्चा	शिक्षा	नहीं	जम्मू और कश्मीर		12 माह	₹1,00,00,000	₹0	₹1,00,00,000	नहीं	मेसर्स उच्च शिक्षा विभाग जम्मू और कश्मीर सरकार	उपलब्ध नहीं सरकारी निकाय

(1) क्र. सं.	(2) परियोजना का नाम	(3) अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	(4) स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	(5) परियोजना का स्थान		(7) परियोजना के लिए आवंटित राशि (₹ में)	(8) चातुर्वितीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ में)	(9) घाटा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए आवंटित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (₹ में)	(10) कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	(11) कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला					नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
7	श्री प्रज्ञा षष्ठु दिव्यांग सुचरित्र माधनिक विद्यालय, चित्तूर, मध्य प्रदेश का पुनर्विकास	शिक्षा	नहीं	चित्तूर, मध्य प्रदेश		₹1,15,01,407	शून्य	₹1,15,01,407	नहीं	मेसर्स सोसायटी फॉर एजुकेशनल रीसर्च एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट	CSR00000854
8	सेना कल्याण सीएसआर निधि में योगदान	अनुसूची VII कण्ड	नहीं	काई राज्य		₹5,00,00,000	शून्य	₹5,00,00,000	नहीं	मेसर्स एजुटेड जनरल ऑफ इंडियन आर्मी	CSR00028390
9	एकलव्य मंडल अग्रणीय विद्यालयों में आईआईएफसीएल की सीएसआर पहल के तहत कंप्यूटर लैब स्थापित करना	शिक्षा	नहीं	काई राज्य		₹75,00,000	शून्य	₹75,00,000	नहीं	मेसर्स नेशनल एजुकेशन सोसायटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, जनजातीय मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार	उपलब्ध नहीं सरकारी निकाय
10	एच. नई दिल्ली में टेम्पोरो-मिडियुलर संग्रह प्रदित्वालय शला कौशल केंद्र की स्थापना	स्वास्थ्य	हां	दिल्ली, एनसीआर		₹2,76,00,000	शून्य	₹2,76,00,000		मेसर्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली	उपलब्ध नहीं सरकारी निकाय
	कुल					14,74,33,407	45,51,000	14,03,87,000			

(ब) वित्तीय वर्ष के दौरान चल रहे परियोजनाओं के अलावा अन्य परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1) क्र.सं.	(2) परियोजना का नाम	(3) अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	(4) स्थानीय क्षेत्र (हा/नहीं)	(5) परियोजना का स्थान		(6) परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (भारतीय रुपये में)	(7) प्रत्यक्ष कार्यान्वयन का तरीका (हा/नहीं)	(8) कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
01	उदयपुर जिले के गजाबाब कलक्टर के आदिवासी क्षेत्र में जल स्रोत का निर्माण – आदिवासी परिवारों को पीने और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना	ग्रामीण विकास	नहीं	राजस्थान	उदयपुर	₹13,68,630	नहीं	मेसर्स राजस्थान बाल समिति कल्याण संस्थान	CSR00009003
02	छत्तीसगढ़ के दुर्ग के सरकारी स्कूलों में सीमित शैक्षणिक डिस्टेंस और इंटरनेट की स्थापना	स्वास्थ्य	नहीं	दुर्ग	छत्तीसगढ़	₹37,15,400	नहीं	मेसर्स गण साईं सेवतेपमेंट सोसायटी	CSR00021999
03	सीतापुर और जखीमपुर (गुपी) के चिन्हित ब्लॉकों में सामुदायिक अवरोध जल संचयन को स्थापना	जल और स्वच्छता	नहीं	सीतापुर	उत्तर प्रदेश	₹6,72,000	नहीं	मेसर्स उद्यम सोशल वेलफेयर ट्रस्ट	CSR00025041
04	गन्धी जोधपुर (राजस्थान) में 03 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएससी) का विकास	स्वास्थ्य	नहीं	जोधपुर	राजस्थान	₹59,10,000	नहीं	मेसर्स एबीएमएस	CSR00001471

(क) प्रशासनिक खर्चों पर व्यय की गई राशि:— शून्य

(ख) प्रभाव मूल्यांकन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो— शून्य

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए कुल व्यय की गई राशि (8क+8ख+8ग+8घ)

(घ) समायोजन के लिए अधिकतम राशि, यदि कोई हो:— शून्य

क्र.सं.	विवरण	राशि (₹ में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	₹14,49,38,000
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	₹14,49,38,000*
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	शून्य
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	बाद के वित्तीय वर्षों में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	शून्य

* ₹14,03,87,000/- यूसीएसआर को प्रायधानों के अनुसार ट्रांसफर किया गया

9. (क) पूर्व वित्तीय वर्ष(ओं) के चल रहे परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

क्र.सं.	पिछला वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के तहत अप्रयुक्त सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (भारतीय रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (भारतीय रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड में हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो।			बाद के वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि (भारतीय रुपये में)
				फंड का नाम	राशि (₹ में)	हस्तांतरण की तिथि	
1.	FY2021-22	₹2,69,85,395	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	₹2,69,85,395
2.	FY2022-23	₹3,90,45,000	₹1,16,66,030	शून्य	शून्य	शून्य	₹2,73,78,970
	कुल	₹6,60,30,395	₹1,16,66,030	-	-	-	₹5,43,64,365

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष(वर्षों) की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्र. सं.	परियोजना की आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई	परियोजना की अवधि	परियोजना को आवंटित कुल राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संवर्धी राशि (रुपये में)	परियोजना की स्थिति (पूर्ण / चल रही)
1	-	उदयपुर जिले के गजावद ब्लॉक के आदिवासी क्षेत्र में जल स्रोत का निर्माण - आदिवासी परिवारों को पीने और सिंचाई के लिए यानी उपलब्ध कराना	FY2022-23	18 माह	₹45,62,100	₹13,68,630	₹13,68,630	चल रही
2	-	छत्तीसगढ़ के दुर्ग के सरकारी स्कूलों में सीमितरी वैपक्लिन् डिस्पेंसर और इंसुलिनरेटर की स्थापना	FY2023-24	18 माह	₹92,88,500	₹37,15,400	₹37,15,400	चल रही
3	-	सीतापुर और लखीमपुर (गुर्गौ) के विभिन्न ब्लॉकों में सामुदायिक आरओ प्लांट की स्थापना	FY2022-23	18 माह	₹22,50,000	₹6,72,000	₹6,72,000	चल रही
4	-	ग्रामीण-जोधपुर (राजस्थान) में 03 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) का विकास	FY2022-23	24 months	₹98,50,000	₹59,10,000	₹78,80,000	पूर्ण

10. यदि पूंजीगत संपत्ति का सृजन या अधिग्रहण किया गया हो, तो उस संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें जो वित्तीय वर्ष में CSR खर्च के माध्यम से सृजित या अधिग्रहित की गई हो (संपत्ति-वार विवरण)

(क) पूंजीगत संपत्ति के सृजन या अधिग्रहण की तिथि:- शून्य

(ख) पूंजीगत संपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के लिए CSR द्वारा खर्च की गई राशि:- शून्य

(ग) उस संस्था या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि:- शून्य

(घ) सृजित या अधिग्रहित पूंजीगत संपत्ति का विवरण प्रदान करें (जिसमें संपत्ति का पूरा पता और स्थान शामिल है):- शून्य

11. यदि कंपनी ने धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो इसका कारण बताएं।
लागू नहीं है

वर्ष 2023-24 के लिए आरक्षित में से/को स्थानांतरित की गई राशि का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को यथा समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को यथा समाप्त वर्ष
प्रारंभिक शेष	(4,487.02)	(85,007.76)
कर के बाद लाभ	1,55,160.72	1,07,559.50
जोड़े: स्टाफ कल्याण रिजर्व से हस्तांतरण	37.50	32.06
जोड़े: डिबेंचर मोचन रिजर्व से हस्तांतरण	43,519.48	1,907.29
घटाएँ: स्टाफ कल्याण रिजर्व में हस्तांतरण	11.68	-
घटाएँ: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(vii) के तहत विशेष रिजर्व में हस्तांतरण	24,138.90	7,508.90
घटाएँ: रिजर्व फंड 45 – आईसी में हस्तांतरण	30,951.29	21,522.58
घटाएँ: परिभाषित लाभ पर पुनर्मापन लाभ / (हानि)	404.21	(53.38)
तुलन पत्र में बैलेंस ग/च	1,38,724.60	(4,487.02)

भारत स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के परिशिष्ट 'ए' के लिए 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड में पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

- (i) (क) (क) हमें जो जानकारी और स्पष्टीकरण दिए गए हैं और कंपनी के रिकॉर्ड की जांच के आधार पर, कंपनी ने उचित रिकॉर्ड बनाए रखे हैं जिसमें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और पूंजीगत कार्य प्रगति के पूर्ण विवरण, सहित मात्रात्मक विवरण और स्थिति दिखाई गई है।
- (ख) हमें जो जानकारी और स्पष्टीकरण दिए गए हैं और कंपनी के रिकॉर्ड की जांच के आधार पर, कंपनी ने उचित रिकॉर्ड बनाए रखे हैं जिसमें अमूर्त संपत्तियों के पूर्ण विवरण शामिल हैं।
- (ग) हमें जो जानकारी और स्पष्टीकरण दिए गए हैं और कंपनी के रिकॉर्ड की जांच के आधार पर, कंपनी के पास अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की भौतिक सत्यापन की नियमित योजना है। इस योजना के अनुसार, सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का सत्यापन वार्षिक योजना के अनुसार किया गया था। हमारी राय में, भौतिक सत्यापन की यह आवधिकता कंपनी के आकार और इसकी संपत्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित है। इस सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियाँ नहीं पाई गई।
- (घ) हमें जो जानकारी और स्पष्टीकरण दिए गए हैं और कंपनी के रिकॉर्ड की जांच के आधार पर, कंपनी के द्वारा स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में नोट 9 में प्रदर्शित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अचल संपत्ति के शीर्षक / पट्टा दस्तावेज कंपनी के नाम पर नहीं रखे गए हैं, जैसा कि नीचे विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है:

संपत्ति का विवरण	सकल बहन मूल्य	के नाम पर धारित	क्या प्रमोटर, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी	धारित अवधि— जहां उचित हो, सीमा बताएं	कंपनी के नाम पर धारित न होने का कारण
बिल्डिंग, 5 मंजिल ब्लॉक 2 प्लेट ए और बी एनबीसीसी टावर ईस्ट-किदवई नगर, नई दिल्ली-110023	₹27,479.81 lakh	संपत्ति हस्तांतरण की प्रतीक्षा में, यह एनबीसीसी लिमिटेड के नाम पर धारित है	प्रमोटर, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी के नाम पर धारित नहीं	लागू नहीं	कार्यान्वयन एजेंसी यानी एनबीसीसी द्वारा लीज डीड को अंतिम रूप दिए जाने तक

- (क) हमें जो जानकारी और स्पष्टीकरण प्रदान किए गए हैं और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्तियों या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
- (म) हमें जो जानकारी और स्पष्टीकरण प्रदान किए गए हैं और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के खिलाफ प्रोहिबिशन ऑफ बेमानी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शंस एक्ट, 1988 (जो 2016 में संशोधित हुआ) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई बेमानी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है और न ही कोई लंबित है।
- (ii) 0 कंपनी एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (छठथे) है और उसके पास कोई इन्वेस्ट्री नहीं है। इसलिए, कंपनी पर कंपनियों (ऑडिटर्स रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') की धारा 3(ii)(i) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (इ) हमें जो जानकारी और स्पष्टीकरण प्रदान किए गए हैं और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को वर्ष के किसी भी समय पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से किसी भी प्रकार की कार्यशील पूंजी सीमा पांच करोड़ रुपये से अधिक की किसी भी सीमा पर नहीं दी गई है, जो वर्तमान संपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर हो। इसलिए, कंपनियों (ऑडिटर्स रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') की धारा 3(ii)(इ) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- (iii) 0 कंपनी एक एनबीएफसी है और उसका प्रमुख व्यवसाय ऋण देना है। इसलिए, कंपनियों (ऑडिटर्स रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') की धारा 3(iii)(i) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- (इ) हमें जो जानकारी और स्पष्टीकरण प्रदान किए गए हैं और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई गारंटी प्रदान नहीं की है।

कंपनी द्वारा जारी किए गए ऋण और अग्रिमों की शर्तें, जो ऋणों की प्रकृति में हैं, इस वर्ष में, प्राइमाफेसि, कंपनी के हितों के प्रतिकूल नहीं हैं।

- (सी) कंपनी द्वारा जारी किए गए ऋणों के संदर्भ में, मूलधन की चुकौती और ब्याज के भुगतान का एक कार्यक्रम निर्धारित किया गया है और कुछ मामलों में मूलधन की चुकौती और ब्याज की प्राप्ति में देरी हुई है। हालाँकि, व्यवसाय की प्रकृति और संबंधित जानकारी की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, यह प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि उन ऋण परिसंपत्तियों की एक विस्तृत सूची प्रदान की जाए जहाँ इस वर्ष के दौरान मूलधन और ब्याज की चुकौती में देरी की पहचान की गई हो, सिवाय उन ऋणों के जो इस वर्ष के दौरान अप्रत्यक्ष रूप से मान्यता प्राप्त नहीं किए गए। मार्च 31, 2024 तक निम्नलिखित देरी का अवलोकन किया गया है:

विवरण	कुल बकाया राशि (मूलधन और ब्याज) (₹ लाख में)	मामलों की संख्या
1-30 दिन	464.53	45
31-60 दिन	92.52	2
61-90 दिन	-	-
90 दिन से अधिक	93,442.04	10

- (ड) कंपनी द्वारा दिए गए उन ऋणों के संदर्भ में, जो बैलेंस शीट तिथि पर 90 दिनों से अधिक ओवरड्यू हैं, वर्ष के दौरान जिन ऋणों को निरस्त नहीं किया गया है, जैसा कि हमें बताया गया है और हमारे रिकॉर्ड की जांच के आधार पर, प्रबंधन ने मूलधन और ब्याज की वसूली के लिए उचित कदम उठाए हैं।

मामलों की संख्या	मूलधन बकाया राशि (₹ लाख में)	ब्याज बकाया (₹ लाख में)	कुल बकाया (₹ लाख में)
10	42,843.56	50,598.48	93,442.04

- (म) कंपनी एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) होने के नाते, इसका मुख्य व्यवसाय ऋण देना है। इसलिए, कंपनियों (ऑडिटर्स रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के धारा 3(iii)(म) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- (नि) हमारे पास दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा रिकॉर्ड की परीक्षा के आधार पर, कंपनी ने कोई भी ऋण या अग्रिम नहीं दिए हैं जो कि ऋण के रूप में हो, न तो वो मांग पर चुकाने योग्य हैं और न ही उनका चुकता करने की कोई शर्त या अवधि निर्धारित की गई है। इसलिए, कंपनियों (ऑडिटर्स रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के धारा 3(पपप)(नि) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- (iv) हमारे अनुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 185 के उल्लंघन में कोई ऋण, गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है, जो कंपनी पर लागू है।
- इसके अतिरिक्त, हमारे अनुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) होने के नाते, कंपनी को कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 186 और संबंधित नियमों के तहत ऋण और गारंटी से छूट प्राप्त है। निवेश के संदर्भ में, कंपनी ने कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 186(1) के प्रावधानों का पालन किया है।
- (v) हमारे पास दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जनता से कोई भी जमा स्वीकार नहीं किया है, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश और कंपनियों अधिनियम की धारा 73 से 76 या अधिनियम और उसके तहत किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। इस प्रकार, ऐसे प्रावधानों के उल्लंघन या अधिकारियों/न्यायाधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश के संबंध में रिपोर्टिंग के लिए जो आदेश (अ) के तहत कंपनी (ऑडिटर्स रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") में आवश्यक है, वह कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- (vi) हमारे पास दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्रीय सरकार ने कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत लागत रिकॉर्ड बनाए रखने का निर्धारण नहीं किया है। इसलिए, कंपनियों (ऑडिटर्स रिपोर्ट) आदेश के धारा 3(vi) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- (vii) हमारे पास दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की परीक्षा के आधार पर, कंपनी सामान्य रूप से विवाद रहित कानूनी दायित्वों, जिसमें वस्तु और सेवा कर (GST), भविष्य निधि (Provident Fund), कर्मचारियों का राज्य बीमा,

आयकर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर (VAT), उपकर और अन्य महत्वपूर्ण कानूनी दायित्वों को उचित समय पर जमा करने में नियमित रही है।

प्राधिकृत अधिकारियों को संबंधित कानूनी देयताओं के संबंध में कोई निर्विवाद राशि जो पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन से छह महीने से अधिक समय से देय हो, बकाया नहीं थी।

- (ख) हमारे पास उपलब्ध जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, वस्तु और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारियों के राज्य बीमा, आयकर या किसी अन्य कानूनी देयों के संबंध में कोई बकाया नहीं है, जो किसी विवाद के कारण निर्धारित अधिकारियों को जमा नहीं किया गया हो, सिवाय नीचे उल्लेखित के:

कानून का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	राशि (₹ लाख में)	राशि किस अवधि से संबंधित है	वह फोरम जहाँ विवाद लंबित है	टिप्पणियाँ, यदि कोई हों
आय कर अधिनियम, 1961	आय कर आय	682.33	AY 2016-17	आय कर आयुक्त (अपील)	सीआईटी (क) के पास अपील दायर की गई है। ₹498.61 लाख की माँग लंबित है। विभाग द्वारा दंड की कार्यवाही शुरू की गई है।
आय कर अधिनियम, 1961	आय कर	174.58	AY 2016-17	आय कर आयुक्त (अपील)	कंपनी ने दिनांक 27.04.2024 के आदेश के विरुद्ध अपील दायर की है।
सीजीएसटी अधिनियम, 2017	जीएसटी	150.39	AY 2018-19	अपीलीय प्राधिकारी	प्रतिक्रिया दायर की गई।
एसजीएसटी अधिनियम, 2017	जीएसटी	492.00	AY 2019-20	अपीलीय प्राधिकारी	प्रतिक्रिया दायर की गई।

- (viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, वर्ष के दौरान कोई भी लेन-देन जो आयकर अधिनियम, 1961 (43 ऑफ 1961) के तहत कर आकलन में आय के रूप में घोषित या समर्पित किया गया हो, नहीं हुआ है। इस दृष्टि से, आदेश के खंड 3 (viii) के संदर्भ में पहले से अनलिखित आय के कोई लेन-देन नहीं हैं।

- (ix) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने इस वर्ष किसी भी ऋण या अन्य उधारी की पुनर्मुग्तान में या उस पर ब्याज के मुग्तान में कोई चूक नहीं की है।

(इ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान, सरकारी या सरकारी प्राधिकरण या किसी अन्य उधारकर्ता द्वारा जानबूझकर डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

- (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने जिस उद्देश्य के लिए ऋण प्राप्त किए थे, उन ऋणों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया है। इस प्रकार, कंपनियों (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के खंड 3(v)(ग) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

- (ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और हमारे द्वारा किए गए उपायों, और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने कोई भी शॉर्ट-टर्म फंड्स का उपयोग लांग-टर्म उद्देश्यों के लिए नहीं किया है। इस प्रकार, कंपनियों (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) के खंड 3(i)(घ) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

- (घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के आधार पर, कंपनी ने

अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों या संयुक्त उद्यमों की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए किसी भी संस्था या व्यक्ति से कोई फंड्स प्राप्त नहीं किए हैं।

- (ड) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी गई प्रतिभूतियों के गिरवी रखने पर कोई ऋण नहीं उठाया है।
- (X) (क) हमारे द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (जिसमें ऋण उपकरण शामिल हैं) के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई है।
- (ख) हमारे द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार का प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट या शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचरों (पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का निजी स्थानांतरण नहीं किया है।
- (xi) (क) हमारी ऑडिट प्रक्रिया के आधार पर और हमें प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान हमें कंपनी द्वारा या कंपनी पर किसी भी प्रकार के बड़े धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं मिला है।
- (ख) वर्ष के दौरान, केंद्रीय सरकार के साथ ऑडिटर्स द्वारा किसी भी रिपोर्ट को फाइल करने की आवश्यकता नहीं थी, जैसा कि कंपनियों (ऑडिट और ऑडिटर्स) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत कंपनियों अधिनियम की धारा 143(12) के तहत निर्धारित है।
- (ग) हमारे द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को वर्ष के दौरान कोई हिंसल-ब्लोअर शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।
- (xii) हमारे द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। अतः, कंपनियों (ऑडिटर्स रिपोर्ट) आदेश ("आदेश") की धारा 3(xix) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।
- (xiii) हमारे द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन-देन कंपनी अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुरूप हैं और सभी विवरण अकेले वित्तीय विवरणों में लागू लेखा मानकों के अनुसार खुलासा किए गए हैं। (अकेले वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 1 (ख)(5) देखें)।
- (xix) (क) हमारे द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास अपनी व्यापारिक प्रकृति और आकार के अनुसार एक उचित आंतरिक लेखा प्रणाली है।
- (ख) हमने कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार किया है जो ऑडिट की अवधि तक जारी की गई थीं, ताकि हमारे ऑडिट प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और विस्तार निर्धारित किया जा सके।
- (xx) हमारे द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और हमारे द्वारा किए गए अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी ने अपने निदेशकों या उनके संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेन-देन नहीं किया है जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधानों में परिभाषित है। अतः, कंपनियों (ऑडिटर्स रिपोर्ट), आदेश 2020 की धारा 3(xiv) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।
- (xxi) (क) कंपनी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1934 (2 of 1934) की धारा 45-IA के तहत गैर-बैंकिंग वित्तीय गतिविधियों को संचालित करने के लिए पंजीकरण की आवश्यकता है और वह पंजीकृत है।
- (ख) कंपनी द्वारा की जा रही गैर-बैंकिंग वित्तीय गतिविधियाँ वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र के तहत हैं।
- (ग) कंपनी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए नियमों के तहत एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है। अतः, कंपनियों (ऑडिटर्स रिपोर्ट), आदेश 2020 की धारा 3(xvi)(ग) और (घ) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।
- (xvii) कंपनी ने इस वित्तीय वर्ष में और न ही पिछले वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं उठाई है।
- (xviii) इस वर्ष के दौरान विधिक ऑडिटर्स का इस्तीफा नहीं हुआ है। अतः, कंपनियों (ऑडिटर्स रिपोर्ट), आदेश 2020 की धारा 3(xviii) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।
- (xix) हमारे द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और वित्तीय अनुपातों, वित्तीय संपत्तियों की आयु और उनकी

वास्तविकता की अपेक्षित तिथियों और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की जानकारी, अकेले वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी और निदेशक मंडल एवं प्रबंधन की योजनाओं के आधार पर और अनुमानों के समर्थन में किए गए प्रमाणों की हमारी जांच के आधार पर, हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला है, जो यह दर्शाता हो कि कंपनी किसी भी महत्वपूर्ण अनिश्चितता का सामना कर रही हो, जो ऑडिट रिपोर्ट की तिथि पर यह दर्शाता हो कि कंपनी अपने मौजूदा देनदारियों को एक वर्ष के भीतर उनके समय पर नहीं चुका सकेगी। हम, हालांकि यह कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की जीवितता की कोई गारंटी नहीं है। हम यह भी कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम यह गारंटी नहीं देते हैं और न ही यह आश्वासन देते हैं कि एक वर्ष के भीतर देनदारियों का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाएगा।

- (xx) (क) अन्य चल रहे परियोजनाओं को छोड़कर, कंपनी के पास कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी (CSR) के तहत खर्च नहीं की गई कोई राशि नहीं है, जिसे कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट फंड में ट्रांसफर करना आवश्यक हो, जैसा कि कंपनी अधिनियम के धारा 135 के उप-धारा (5) की दूसरी शर्त के अनुपालन में है। इस प्रकार, कंपनी (ऑडिटर्स रिपोर्ट) आदेश 2020 के तहत क्लॉज 3(xx) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।
- (ख) चल रहे परियोजनाओं के संदर्भ में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी (CSR) के खर्च नहीं किए गए राशि को एक विशेष खाते में स्थानांतरित किया है, जो कंपनी अधिनियम की धारा 135(6) के अनुपालन में है।

कृते अग्रवाल और सक्सेना
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
(FRN : 002405C)

अजय कुमार वर्मा
साझेदार
सदस्यता संख्या: 404578
UDIN : 24404578 - BKGPYB8128

स्थान: उदयपुर
तारीख: 13.05.2024

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षा की रिपोर्ट का परिशिष्ट 'ख'

(स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग में पैरा 2(एफ) में संदर्भित)

कंपनियाँ अधिनियम, 2013 की धारा 143 के उप-धारा (3) के उप-धारा (ii) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के साथ मिलाकर, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ('कंपनी') के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षण किया है।

प्रबंधन की आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है, जो कंपनी द्वारा निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंडों के आधार पर हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर गाइडेंस नोट में बताया गया है। इन जिम्मेदारियों में उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल हैं, जो प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, ताकि व्यापार के व्यवस्थित और प्रभावी संचालन को सुनिश्चित किया जा सके, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, उसकी संपत्तियों की सुरक्षा, घोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखा रिकॉर्ड्स की सटीकता और पूर्णता, और समय पर विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की तैयारी शामिल हो, जैसा कि कंपनियाँ अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक है।

लेखा परीक्षक का दायित्व

हमारी जिम्मेदारी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में अपनी राय व्यक्त करने की है, जो हमारे लेखापरीक्षण के आधार पर है। हमने अपने ऑडिट को आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर गाइडेंस नोट (इशगाइडेंस नोट्स) और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी ऑडिट मानकों के अनुसार किया, जो कंपनियाँ अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत अनुमोदित माने जाते हैं, और जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट के लिए लागू होते हैं। ये मानक और गाइडेंस नोट हमें नैतिक आवश्यकताओं का पालन करने, और इस ऑडिट को इस प्रकार से योजना बनाने और प्रदर्शन करने की आवश्यकता बताते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया है और यदि ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।

हमारे लेखापरीक्षण (ऑडिट) में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता और उनके संचालन की प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का पालन किया गया। हमारे द्वारा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट करते समय वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को समझना, महत्वपूर्ण कमजोरी के अस्तित्व का मूल्यांकन करना, और आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन की प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था, जो मूल्यांकन किए गए जोखिमों के आधार पर किया गया। चयनित प्रक्रियाएँ ऑडिट के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत प्रस्तुतिकरण के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह घोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमें विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षण (ऑडिट) साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारे ऑडिट राय के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं, जो कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की प्रणाली पर वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक प्रक्रिया है, जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है कि वित्तीय रिपोर्टिंग विश्वसनीय हो और वित्तीय विवरण बाहरी उद्देश्यों के लिए सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए जाएं। किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग पर उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल करता है, जो:

1. रिकॉर्ड्स के रख-रखाव से संबंधित हैं, जो उचित विस्तार में, कंपनी की लेन-देन और संपत्तियों के वितरण को सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं;
2. यह सुनिश्चित करने के लिए उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेन-देन को इस प्रकार रिकॉर्ड किया गया है कि वित्तीय विवरण सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए जा सकें, और कंपनी की प्राप्ति और खर्च केवल प्रबंधन और कंपनी के निदेशकों द्वारा अनुमोदित प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; और

3. यह सुनिश्चित करने के लिए उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि कंपनी की संपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या वितरण की रोकथाम या समय पर पता लगाना हो, जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों को ओवरराइड करने की संभावना भी शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है और उसका पता नहीं लगाया जा सकता है।

इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है।

स्थितियों में बदलाव के कारण, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो कि स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर था। कंपनी इसके आवश्यक घटकों पर विचार कर रही है।

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में आंतरिक नियंत्रण बताया गया है, उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

कृते अग्रवाल और सक्सेना

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

(FRN : 002405C)

अजय कुमार वर्मा

साझेदार

सदस्यता संख्या: 404578

UDIN : 24404578 - BKGPYB8128

स्थान: उदयपुर

तारीख: 13.05.2024

**स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध 'ग' सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के
'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत
पैराग्राफ 4 में संदर्भित अनुबंध**

क्र. सं.	निर्देश	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया
1	क्या कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए सिस्टम है? यदि हां, तो आईटी सिस्टम के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय निहितार्थों के साथ-साथ लेखांकन की अखंडता पर निहितार्थ, यदि कोई हो, तो बताएं जाएं।	कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक सिस्टम है, जिसमें लेनदेन एसएपी, एक ईआरपी सॉफ्टवेयर में दर्ज किए जाते हैं। ईआरपी स्थिरीकरण की प्रक्रिया में है, और सभी लेखांकन लेनदेन को स्वचालित रूप से रिकॉर्ड करने के लिए एकीकरण किया जा रहा है, जिसके कारण कुछ लेनदेन जैसे, ऋण पर संदिग्ध ऋणों के लिए हानि हानि और प्रावधान की गणना, ब्याज का उलटफेर, एफआईटीएल बनाने के कारण आय, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अग्रिमों का वर्गीकरण/परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण, विदेशी मुद्रा लेनदेन में विदेशी मुद्रा लाभ/हानि की गणना। हेज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, स्थगन के तहत ब्याज की गणना, लेखांकन प्रणाली से स्वतंत्र रूप से गणना की जाती है। इसके अलावा, कृपया हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के मामले पर जोर देने वाले पैरा को देखें जिसमें हमने लंबित सुलह पर प्रकाश डाला है जिसे प्रबंधन हल करने की प्रक्रिया में है। यद्यपि उपरोक्त लंबित सुलह का वित्तीय प्रभाव (यदि कोई हो) केवल सुलह के बाद ही निर्धारित किया जा सकता है। प्रबंधन की राय में, प्रभाव, यदि कोई हो, तो ऐसे लंबित सुलह के परिणामस्वरूप भौतिक नहीं होगा।
2	क्या किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन किया गया है या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा ऋण/ऋण/ब्याज आदि को माफ/बड़े खाते में डालने के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का उचित हिसाब-किताब रखा गया है? (यदि ऋणदाता कोई सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू है)।	लेखापरीक्षा के तहत वर्ष के दौरान, कंपनी को ऋणदाता द्वारा दिए गए ऋण आदि के संबंध में किसी भी मौजूदा ऋण/ऋण/ब्याज का पुनर्गठन या माफ/बड़े खाते में डालने का कोई मामला नहीं हुआ है
3	क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाले फंड (अनुदान/सब्सिडी आदि) का उचित हिसाब-किताब रखा गया/उसका उपयोग उसकी शर्तों और शर्तों के अनुसार किया गया? विचलन के मामलों की सूची बनाएं	लागू नहीं

कृते अग्रवाल और सक्सेना

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

(FRN : 002405C)

अजय कुमार वर्मा

साझेदार

सदस्यता संख्या: 404578

UDIN : 24404578 - BKGPHY8128

स्थान: उदयपुर

तारीख: 13.05.2024

अनुपालना प्रमाण पत्र

हमने मेसर्स इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के वार्षिक स्टैंडअलोन खातों का ऑडिट किया है भारत के सीएजी द्वारा जारी निर्देशों/उप-निर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाली अवधि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) और प्रमाणित करें कि हमने सभी निर्देशों/उप-निर्देशों का अनुपालन किया है जारी किए गए।

कृते अग्रवाल और सक्सेना

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

(FRN : 002405C)

अजय कुमार वर्मा

साझेदार

सदस्यता संख्या: 404578

UDIN : 24404578 - BKGPHY88128

स्थान: उदयपुर

तारीख: 13.05.2024

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लेखा परीक्षक (ऑडिटर) की रिपोर्ट

सेवा में,
निदेशक मंडल
इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
पांचवीं मंजिल, भाग ए और बी, ब्लॉक बी
ईस्ट किडवई नगर,
नई दिल्ली-110023

हमने इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के संलग्न वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है (कंपनी), जिसमें 31 मार्च, 2024 की बैलेंस शीट और लाभ और हानि का विवरण (सहित) शामिल है अन्य व्यापक आय), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण, और वित्तीय विवरणों पर नोट्स, जिसमें सामग्री लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक शामिल हैं कंपनी अधिनियम 2013 (संशोधित) ('अधिनियम') की आवश्यकता के अनुसार तैयार की गई जानकारी (इसके बाद इसे 'वित्तीय विवरण' कहा गया है)।

जैसा कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2016 के अनुसार आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबी') कंपनी पर लागू सीमा तक उसमें निर्दिष्ट मामलों पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:-

1. कंपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के व्यवसाय में लगी हुई है और इसने प्रमाण पत्र प्राप्त किया है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1 (ए) के प्रावधान के तहत भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकरण पंजीकरण संख्या के माध्यम से एन-14.03288 दिनांक 09.09.2013।
2. कंपनी अपने प्रमुख व्यवसाय मानदंड (वित्तीय संपत्ति/आय) के संदर्भ में ऐसे सीओआर को जारी रखने की हकदार है पैटर्न) 31 मार्च 2024 तक।
3. कंपनी मास्टर डायरेक्शन - गैर-बैंकिंग में निर्धारित आवश्यक शुद्ध स्वामित्व वाली निधि की आवश्यकता को पूरा कर रही है वित्तीय कंपनी - व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार करने वाली कंपनी और जमा कंपनी (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2016।
4. निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए कोई भी जमा स्वीकार न करने के लिए 15 मई 2023 को एक प्रस्ताव पारित किया है 31.03.2024 को समाप्त हुआ।
5. कंपनी ने वर्ष 2023-24 के दौरान कोई भी सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया है।
6. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण इसके अनुसार तैयार किए गए हैं भारतीय लेखा मानक (इंड एसएस) की मान्यता और माप सिद्धांत धारा 133 के तहत निर्धारित हैं कंपनी अधिनियम 2013 उसके तहत जारी प्रासंगिक नियमों और आरबीआई द्वारा जारी मास्टर निर्देशों के साथ पढ़ा जाता है। तदनुसार, कंपनी हानि भत्ते की गणना के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित पद्धति का पालन कर रही है अपनी ऋण परिसंपत्तियों के प्रावधान और उनके वर्गीकरण की दिशा में। कंपनियों के नियामक अनुपालन को देखते हुए कंपनी को वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए एक तंत्र अपनाने के लिए अधिनियम 2013 बनाना आवश्यक है मास्टर निर्देशों के संदर्भ में अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए इंडस्ट्रीज एसएस 109 के अनुसार हानि हानि का प्रावधान। इसलिए, कंपनी प्रावधानों में अंतर के पालन के संबंध में निर्देशों का अनुपालन कर रही है कंपनी की नीति के अनुसार IRACP मानदंड और ECL कार्यप्रणाली।
7. पूंजी पर्याप्तता अनुपात, जैसा कि बैंक को प्रस्तुत त्रैमासिक रिटर्न स्टाइल डीएनबीएस - 3 में बताया गया है, दिया गया है सही ढंग से निकाला गया है और ऐसा अनुपात बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीआरएआर के अनुपालन में है।
 - ii) कंपनी ने आरबीआई को पूंजीगत निधि, जोखिम परिसंपत्तियों/एक्सपोजर और जोखिम परिसंपत्ति का त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत किया है। 30 जून 2023, 30 सितंबर 2023 और 31 दिसंबर 2023 और 31 मार्च 2024 को समाप्त तिमाही के लिए डीएनबीएस में अनुपात - 3 अंतिम वित्तीय विवरणों के आधार पर निर्धारित सीमा के भीतर।
8. आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन के अनुसार कंपनी एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (एनबीएफसी-एमएफआई) नहीं है।

कृते अग्रवाल और सक्सेना
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
(FRN : 002405C)

अजय कुमार वर्मा
साझेदार
सदस्यता संख्या: 404578
UDIN : 24404578 - BKGPHYB8128

स्थान: उदयपुर
तारीख: 13.05.2024

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)
तुलन पत्र 31 मार्च 2024 तक
सीआईएन नं. U67190DL2006GOI144520

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	नोट संख्या	31.03.2024 तक (लेखापरीक्षित)	31.03.2023 तक (लेखापरीक्षित)
I	आस्तियां			
1	वित्तीय-आस्ति			
	(क) नकद और नकद समकक्ष	2क	4,775.28	1,60,280.31
	(ख) उपरोक्त के अलावा बैंक बैलेंस	2ख	7,71,873.12	6,36,700.11
	(ग) व्युत्पन्न वित्तीय साधन	3	1,22,707.35	1,64,636.18
	(घ) ऋण	4	49,06,634.31	39,90,962.62
	(ङ) निवेश	5	6,23,804.02	6,52,690.11
	(च) अन्य वित्तीय आस्ति	6	59,941.46	42,470.86
	उप योग (1)		64,89,735.54	56,47,740.19
2	गैर-वित्तीय आस्ति			
	(क) बातू कर आस्तियां (निवल)	7	2,776.65	4,407.61
	(ख) आस्थगित कर आस्ति (निवल)	8	23,552.41	32,571.16
	(ग) आस्ति, संयंत्र और उपकरण	9	22,735.45	23,751.33
	(घ) पूंजी कार्य प्रगति पर है	9क	8,789.48	-
	(ङ) अन्य अमूर्त आस्तियां	10	139.88	110.05
	(च) अन्य गैर-वित्तीय आस्ति	11	1,535.13	850.80
	उप योग (2)		59,529.00	61,690.96
	कुल आस्ति (1+2)		65,49,264.54	57,09,431.15
II	देयताएं और इक्विटी			
क	देयताएं			
1	वित्तीय देयताएं			
	(क) ऋण प्रतिभूतियां	12	22,89,336.50	18,34,690.95
	(ख) उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	13	27,00,858.25	24,70,435.53
	(ग) अन्य वित्तीय देयताएं	14	1,02,142.06	80,467.76
	उप योग (क-1)		50,92,336.81	43,85,594.24
2	गैर-वित्तीय देयताएं			
	(क) बातू कर देयताएं (निवल)	15	10,132.78	408.55
	(ख) प्राक्मान	16	3,735.07	4,135.39
	(ग) अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	17	16,435.20	31,485.07
	उप योग (क-2)		30,303.05	36,029.01
	उप योग (क)		51,22,639.86	44,21,623.25
ख	इक्विटी			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	18	9,99,991.62	9,99,991.62
	(ख) अन्य इक्विटी	19	4,26,633.06	2,87,816.28
	उप योग (ख)		14,26,624.68	12,87,807.90
	कुल देयताएं और इक्विटी (क+ख)		65,49,264.54	57,09,431.15

1 से 28 तक के नोट खातों का अभिन्न भाग हैं।

कृते अग्रवाल एवं सक्सेना
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 002405C

अजय कुमार वर्मा
भागीदार
संदर्भ संख्या: 404578

स्थान: उदयपुर
दिनांक: 13.05.2024

कृते इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के
निदेशक मंडल की ओर से

पवन के कुमार
(उप प्रबंध निदेशक)
डीआईएन संख्या: 8901398

अभिरूप सिंह
(एजीएम और कंपनी सचिव)

पीआर जयशंकर
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन संख्या: 6711526

राजीव मुखीजा
(मुख्य महाप्रबंधक-सीएफओ)

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)
31 मार्च 2024 वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण
सीआईएन नं. U67190DL2006GOI144520

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	नोट संख्या	समाप्त वर्ष	
			31.03.2024 (लेखापरीक्षित)	31.03.2023 (लेखापरीक्षित)
I	आय			
क	संचालन से राजस्व			
	(क) ब्याज आय	20	4,98,719.48	4,03,135.80
	(ख) शुल्क और कमीशन आय	21	7,921.86	4,355.96
	(c) Net Gain/(Loss) on Fair Value changes	22	296.35	(2,297.50)
	संचालन से कुल राजस्व (क)		5,06,937.69	4,05,194.26
ख	अन्य आय	23	83,719.53	57,767.05
	कुल आय I (क+ख)		5,90,657.22	4,62,961.31
II	व्यय			
	(क) वित्तीय लागत	24	3,35,728.76	2,69,577.03
	(ख) शुल्क और कमीशन व्यय	25	5,640.89	4,968.82
	(c) Impairment on Financial Instruments	26	(46,711.59)	(81,941.02)
	(घ) कर्मचारी लाभ व्यय	27	5,263.98	5,031.61
	(e) Depreciation, Amortization & Impairment	9,10	1,109.81	1,185.46
	(च) कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व		1,449.38	410.15
	(ज) अन्य व्यय	28	85,325.43	1,36,049.94
	कुल व्यय II		3,87,806.66	3,35,281.99
	असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ (I-II)		2,02,850.56	1,27,679.32
	असाधारण मद		-	-
	लाभ/(हानि) कर पूर्व (I-II)		2,02,850.56	1,27,679.32
	कर व्यय			
	(i) वर्तमान कर			
	— वर्तमान वर्ष		(38,532.77)	(11,708.55)
	— पूर्व वर्ष		(2.30)	(54.68)
	(ii) आस्थगित कर		(9,154.78)	(8,356.60)
	कुल कर व्यय (i+ii)		(47,689.85)	(20,119.83)
	Profit/ (Loss) for the Year from continuing operations		1,55,160.72	1,07,559.49
	Profit/(loss) from discontinued operations		-	-
	Tax Expense of discontinued operations		-	-
	Profit/(loss) from discontinued operations(After tax)		-	-
	वर्ष के लिए लाभ/(हानि)		1,55,160.72	1,07,559.49
A.	(i) आइटम जिन्हें लाभ और हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		(540.23)	71.33
	लाभ/(हानि) परिभाषित लाभ दायित्व का पुनर्मूल्यांकन			
	(ii) परिभाषित लाभ दायित्व के पुनर्मूल्यांकन से संबंधित आयकर		135.96	(17.95)
	अन्य व्यापक आय/(व्यय) (क)		(404.26)	53.38
	वर्ष के लिए कुल व्यापक आय/(हानि)		1,54,756.45	1,07,612.87
	प्रति-इक्विटी शेयर आय			
	1. Basic & Diluted- For continuing operations (in ₹)	1(ख)(6)	1.55	1.08
	2. Basic & Diluted- For discontinued operations (in ₹)		-	-
	3. Basic & Diluted- For continuing and discontinued Operations (in ₹)		1.55	1.08

1 से 28 तक के नोट खाली का अभिन्न भाग हैं।

कृते अग्रवाल एवं सक्सेना
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 002405C

कृते इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के
निदेशक मंडल की ओर से

अजय कुमार वर्मा
भागीदार
सदस्यता संख्या: 404578

पवन के कुमार
(उप प्रबंध निदेशक)
डीआईएन संख्या: 8901398

पीआर जयशंकर
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन संख्या: 6711526

स्थान: उदयपुर
दिनांक: 13.05.2024

अमिरुप सिंह
(एजीएम और कंपनी सचिव)

राजीव मुखीजा
(मुख्य महाप्रबंधक-सीएफओ)

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)
31 मार्च 2024 वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण
सीआईएन नं. U67190DL2006GOI144520

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण		31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
			(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
क	प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
(i)	कर पूर्व निवल लाभ के लिए समायोजन		2,02,850.56	1,27,679.34
(ii)	मूल्यहास और परिशोधन व्यय		1,109.81	1,185.46
(iii)	प्रावधान/बटुटे खाते में झलना		63,617.03	16,650.90
(iv)	प्रावधान/राशि वापिस ली गई		(347.45)	(86.62)
(v)	उधार पर विदेशी मुद्रा में उत्तर-चढ़ाव हानि/(लाभ)		20,726.59	34,472.91
(vi)	अचल आस्तियों की बिक्री पर हानि/(लाभ)		0.04	4.09
(vii)	ऋण और अधिमों पर अर्जित और देय व्याज		771.40	122.12
(viii)	व्याज उपाजित लेकिन उधार पर देय नहीं		21,375.47	4,246.53
(ix)	आय कर पर व्याज		(2.30)	(54.68)
(x)	शेयर पूंजी जारी करने पर स्टाम्प शुल्क			
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ		3,10,101.16	1,84,220.04
(i)	उधार संचालन से नकदी प्रवाह		(9,77,492.32)	(4,58,139.53)
(ii)	निवेशों में/(जोड़) की बिक्री		(1,947.35)	9,896.08
(iii)	(वृद्धि)/व्यापार प्राप्तियों में कमी		8,693.76	(52,057.79)
(iv)	अन्य बैंक बैलेंस में (वृद्धि)/कमी		(1,35,173.01)	1,34,846.01
(v)	अन्य परिचालन देनदारियों में वृद्धि/(कमी)		(15,347.51)	(9,455.51)
	कर से पहले के कार्यों से नकदी प्रवाह		(8,11,165.27)	(1,90,690.71)
	भुगतान किया गया कर (निवल)		(28,400.00)	(11,300.00)
	संचालन से निवल नकद	क	(8,39,565.27)	(2,01,990.71)
ख	निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
(i)	संयंत्र, आसित और उपकरण की खरीद		(123.78)	(124.85)
(ii)	अचल आस्तियों की बिक्री		-	81.30
	(वृद्धि)/कमी पूंजीगत कार्य में कमी प्रगति पर है		(8,789.48)	
(iii)	निवेश में (वृद्धि)/कमी		28,631.84	149.96
(iv)	Redemption of Investments in Venture Capital Units		-	-
(v)	Dividend received from subsidiary company		-	-
	निवेश गतिविधियों से निवल नकद	ख	19,718.57	106.41
ग	वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
(i)	Net Proceeds/(repayment) from Borrowings		2,09,696.12	3,54,300.93
(ii)	Proceeds/ (Repayment) from Debt Securities		4,54,645.55	(1,64,306.29)
	वित्तीय गतिविधियों से निवल नकद	ग	6,64,341.67	1,89,994.64

जारी

जारी

क्र.सं.	विवरण		31.03.2024	31.03.2023
			को समाप्त वर्ष	को समाप्त वर्ष
			(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
	नकद और नकद समतुल्य में निवल परिवर्तन (क+ख+ग)		(1,55,505.03)	(11,889.66)
	जोड़ें: नकद और नकद समकक्ष खोलना		1,60,280.31	1,72,169.97
	Additions on Amalgamation		-	-
	नकद और नकद समकक्ष समाप्त करना		4,775.28	1,60,280.31
	समापन नकद और नकद समतुल्य में शामिल है:-			
(i)	नकद		-	-
(ii)	चालू खाते		4,775.28	1,60,280.31
(iii)	फ्लेक्सी जमा खाते		-	-
	योग		4,775.28	1,60,280.31

उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरण इंड एस 7 'नकदी प्रवाह विवरण' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत तैयार किया गया है।

- पिछली अवधि (अवधियों) के आंकड़ों को, जहां कहीं आवश्यक हो, पुनः समूहबद्ध / पुनः व्यवस्थित किया गया है ताकि उन्हें रिपोर्टिंग अवधि के प्रस्तुतिकरण के तुलनीय बनाया जा सके।
- निम्नलिखित बैंक शेष राशि कंपनी द्वारा निःशुल्क उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है: 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार अन्य बैंक शेष में (₹1,35,173.01 लाख) की (वृद्धि) / कमी, 31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार ₹1,34,846.01 लाख में 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार ₹1,16,120 लाख (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार ₹8,000.00 लाख) शामिल हैं, जिस पर बांड के ब्याज भुगतान के लिए ग्रहणाधिकार चिह्नित किया गया है और 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार ₹2,12,300 लाख (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार ₹3,44,944.00 लाख) जिस पर ओवरड्राफ्ट के लिए ग्रहणाधिकार चिह्नित किया गया है।

कृते अग्रवाल एवं सक्सेना
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 002405C

कृते इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के
निदेशक मंडल की ओर से

अजय कुमार वर्मा
भागीदार
सदस्यता संख्या: 404578

पवन के कुमार
(उप प्रबंध निदेशक)
डीआईएन संख्या: 8901398

पीआर जयशंकर
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन संख्या: 6711526

स्थान: उदयपुर
दिनांक: 13.05.2024

अभिरूप सिंह
(एजीएम और कंपनी सचिव)

राजीव मुखीजा
(मुख्य महाप्रबंधक-सीएफओ)

इंडिया इफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)

इच्छिदी में परिवर्तन का विवरण

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इन्विट्री में परिवर्तन का निवरण

क. इन्विटी शेयर पूंजी

(२ लाख में)

विवरण	रशि
1 अप्रैल 2023 तक सेष रशि	9,99,991.62
पूर्व अवधि की अतिरिक्त कारण इविडेंटी केपर फुली में परिवर्तन	
1 अप्रैल 2023 को पुनर्निर्मित सेष रशि	9,99,991.62
वर्ष की दौरान इविडेंटी केपर फुली में परिवर्तन	
31 मार्च 2024 को सेष रशि	9,99,991.62

क. अन्य इतिवटी

(क. ३३३३)

विवरण	आरक्षित निधि एवं अधिवर्ष										
	पूजीगत आरक्षित निधि	प्रतिभूति अधिव्यय स्वाता	द्विवर्षार बाढ़/ रिदेन्शन आरक्षित निधि	नकदी प्रवाह रेज आरक्षित निधि	आगत वर्षविनिम, 1961 की पारा 36(1) (viii) के तहत विरोध रिजर्व	स्टाफ डेलिगेयर आरक्षित निधि	कॉरपोरेट वर्षाजिक उत्तरदाजित आरक्षित निधि	निधि आरक्षित निधि बैंक अभिनियम 1934 की पारा 46- आईसी के तहत	अन्य व्यापक आय	प्रतिधारित आय	कुल
1 अप्रैल 2023 तक रोष राशि	585.14	235.50	98,087.76	(1,085.38)	1,53,449.80	322.96	122.45	40,585.05	(374.05)	(4,112.97)	2,87,816.28
पूर्व अवधि की कुटियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
रिपॉजिट अवधि की गुरुजात में पुनर्निर्धारित रोष राशि	585.14	235.50	98,087.76	(1,085.38)	1,53,449.80	322.96	122.45	40,585.05	(374.05)	(4,112.97)	2,87,816.26
राशि के लिए नाम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
राशि के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अवधि के दौरान उपरोक्त की गई राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अवधि के दौरान नकदी प्रवाह बचाव व्यवस्था आरक्षित निधि	-	-	-	-	-	(37.50)	-	-	(404.21)	(55,101.87)	(55,543.59)
बरकरार रखी गई कमाई में स्थानांतरण	-	-	-	(15,939.70)	-	-	-	-	-	-	(15,939.70)
प्रतिधारित कमाई से स्थानांतरण	-	-	43,519.48	-	-	-	-	-	-	43,556.99	87,076.47
प्रतिधारित कमाई से स्थानांतरण	-	-	-	-	24,138.90	11.68	-	30,951.29	-	-	55,101.87
31 मार्च 2024 को रोष राशि	585.14	235.50	54,568.28	(17,025.08)	1,77,588.70	297.14	122.45	71,536.34	(778.26)	1,39,502.86	4,26,633.06

क. इविनटी शेयर पंजी

[illegible]

(र लाख में)

विवरण	राशि
1 अप्रैल 2022 तक शेष राशि	9,99,991.62
पूर्ण अवधि की अतिरिक्त के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
1 अप्रैल 2022 को पुनर्निर्धारित शेष राशि	9,99,991.62
सर्व को लागू न होने के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च 2023 को शेष राशि	9,99,991.62

सा. अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	आरक्षित निधि एवं अधिशेष										कुल
	पूँजीगत आरक्षित निधि	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	डिबेंचर बॉन्ड/ रिडेम्पशन आरक्षित निधि	नकदी प्रवाह हेज आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के तहत विशेष निधि	स्टॉक सेलफेयर आरक्षित निधि	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व आरक्षित निधि	निधि आरक्षित निधि बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45—आईसी के तहत	अन्य व्यापक आय	प्रतिवारित आय	
1 अप्रैल 2022 को शेष राशि	585.14	235.50	99,995.05	(7,580.98)	1,45,940.91	355.01	122.45	19,062.47	(374.05)	(84,633.71)	1,73,707.80
पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
धन की शुरुआत से पुनः शेष राशि	585.14	235.50	99,995.05	(7,580.98)	1,45,940.91	355.01	122.45	19,062.47	(374.05)	(84,633.71)	1,73,707.80
धन की लिए आय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,07,559.50
धन की लिए मुक्त व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,07,559.50
अवधि के दौरान उपरोक्त की गई चर्चा	-	-	-	-	-	(32.06)	-	-	53.38	(29,031.47)	(29,010.15)
अवधि के दौरान नकदी प्रवाह प्रभाव कावस्था आरक्षित निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,495.60
इस्तरार रही गई कर्जों से स्वामित्व	-	-	1,907.29	-	-	-	-	-	-	1,939.34	3,846.63
प्रतिवारित कर्जों से स्वामित्व	-	-	-	-	7,508.90	-	-	21,522.58	-	-	29,031.47
31 मार्च 2023 को शेष	585.14	235.50	98,087.76	(1,085.38)	1,53,449.80	322.96	122.45	40,585.05	(320.67)	(4,166.35)	2,87,816.28

कृते अग्रवाल एवं सक्सेना
सनदी लेखाकार
कर्म पंजीकरण संख्या: 002405C

कृते इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के
निदेशक मंडल की ओर से

अजय कुमार वर्मा
भागीदार
सदस्यता संख्या: 404578

पवन के कुमार
(उप प्रबंध निदेशक)
डीआईएन संख्या: 8901398

पीआर जयशंकर
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन संख्या: 6711526

स्थान: उदयपुर
दिनांक: 13.05.2024

अभिरूप सिंह
(एजीएम और कंपनी सचिव)

राजीव मुखीजा
(मुख्य महाप्रबंधक-सीएफओ)

नोट 2: नकद और नकद समकक्ष

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024 यथा	31.03.2023 यथा
(क)	नकद और नकदी के समतुल्य		
	(i) नकदी	-	-
	(ii) बैंकों के साथ संतुलन	4,775.28	1,60,280.31
	उप-योग (क)	4,775.28	1,60,280.31
(ख)	उपरोक्त (क) के अतिरिक्त अन्य बैंक शेष		
	(क) बैंकों के साथ सावधि जमा (बिना भार के)	4,43,452.43	2,83,705.42
	(ख) बांडों पर दावा न किये गए ब्याज के लिए बैंकों के पास निर्धारित शेष राशि	0.69	0.69
	(ग) बांड के ब्याज भुगतान के खिलाफ सुरक्षा के रूप में धारित	1,16,120.00	8,000.00
	(घ) बैंकों से ओवरड्राफ्ट सुविधा लेने का संकल्प लिया	2,12,300.00	3,44,994.00
	उप-योग (ख)	7,71,873.12	6,36,700.11
	योग	7,76,648.40	7,96,980.42

नोट 3: व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024 यथा		31.03.2023 यथा	
		काल्पनिक राशि	उचित मूल्य	काल्पनिक राशि	उचित मूल्य
	आस्तियां				
	अन्य व्युत्पन्न				
	क्रॉस करेंसी प्रिंसिपल और ब्याज दर स्वेप (नोट संख्या 23.3 देखें)	9,78,703.35	1,22,707.35	9,99,203.47	1,64,636.18
	कुल व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	9,78,703.35	1,22,707.35	9,99,203.47	1,64,636.18

नोट 4: ऋण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024 तक की यथा स्थिति के अनुसार परिशोधित लागत	31.03.2023 तक की यथा स्थिति के अनुसार परिशोधित लागत
(क)	ऋण		
(ii)	सावधि ऋण		
I	अवसंरचना ऋण: मानक परिसंपत्तियाँ		
क.	प्रत्यक्ष ऋण	12,37,556.01	11,69,330.79
ख.	पूल्ड स्पेसिफिकेडिटी डेंट ऑब्लिवेशन (पीएमडीओ) योजना	-	121.24
ग.	टेकआउट वित्तपोषण योजना	14,55,021.06	6,48,233.38
घ.	पुनर्वित्त योजना	15,25,000.00	15,90,864.33
ङ.	अवसंरचना परियोजनाओं के बांड (अवसंरचना ऋण के रूप में संगणित)*	8,01,822.88	6,17,175.88
II	अवसंरचना ऋण: अवमानक परिसंपत्तियाँ		
क.	प्रत्यक्ष ऋण	-	1,984.87
ख.	पूल्ड स्पेसिफिकेडिटी डेंट ऑब्लिवेशन (पीएमडीओ) योजना	-	-
ग.	टेकआउट वित्तपोषण योजना	-	-
III	अवसंरचना ऋण: सदिग्ध परिसंपत्तियाँ		
क.	प्रत्यक्ष ऋण	49,019.36	1,56,499.18
ख.	पूल्ड स्पेसिफिकेडिटी डेंट ऑब्लिवेशन (पीएमडीओ) योजना	-	-
ग.	टेकआउट वित्तपोषण योजना	33,296.61	42,866.09
	कुल (क) सकल	51,01,715.89	42,27,075.75
	घटाएँ: क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता	1,90,056.02	2,39,111.34
	घटाएँ: विनियोजन हेतु लब्ध राशि	5,025.56	(2,998.21)
	कुल (क) निवल	49,06,634.31	39,90,962.62
(ख)	(i) मूल परिसंपत्तियों और अमूल्य परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत	31,27,532.77	23,68,972.77
	(ii) अप्रतिभूत	19,74,183.13	18,58,102.96
	कुल (क) सकल	51,01,715.89	42,27,075.76
	घटाएँ: क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता	1,90,056.02	2,39,111.34
	घटाएँ: विनियोजन हेतु लब्ध राशि	5,025.56	(2,998.21)
	कुल (ख) निवल	49,06,634.31	39,90,962.62
(ग)	(i) सार्वजनिक क्षेत्र	18,18,925.63	19,35,017.14
	(ii) सार्वजनिक क्षेत्र की अलावा	32,82,790.26	22,92,058.60
	कुल (ग) सकल	51,01,715.89	42,27,075.74
(घ)	(i) भारत में ऋण	51,01,715.89	42,27,075.75
	(ii) भारत के बाहर ऋण	-	-
	कुल (घ) सकल	51,01,715.89	42,27,075.74
	घटाएँ: क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता	1,90,056.02	2,39,111.34
	घटाएँ: विनियोजन हेतु लब्ध राशि	5,025.56	(2,998.21)
	कुल (घ) निवल	49,06,634.31	39,90,962.62
	कुल	49,06,634.31	39,90,962.62

फुटनोट:

सेक्टर	प्रतिभूति का विवरण#	राशि (₹ लाख में)
विद्युत एवं अन्य क्षेत्र	रेहन: उधारकर्ता की सभी अचल परिसंपत्तियों, वर्तमान और भविष्य के रेहन के माध्यम से प्रथम समरूप प्रभार। उपप्राप्तीयन: संघ और मशीनरी आदि सहित उधारकर्ता की सभी अचल परिसंपत्तियों के उपप्राप्तीयन के माध्यम से पहला समरूप प्रभार। न्यूनतम 51 प्रतिशत सेगमें को एस्को खाते में गिरवी रखना और उधारकर्ताओं के सभी अधिकारों और शीर्षकों और हितों को समरूप रैंक देना।	18,95,432.77
सड़क और हाईवे ब्रिज (पीपीपी)	परियोजना एस्को खाते की वार्षिकी और टोल संघट्ट प्राप्त करने का अधिकार और उधारकर्ता के सभी अधिकार और शीर्षक और हित को समरूप रैंक उपप्राप्तीयन उधारकर्ता की सभी अचल परिसंपत्तियों के उपप्राप्तीयन के रूप में पहला समरूप प्रभार।	12,32,100.00
पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत वित्तीय संरचना और अवसंरचना परियोजनाओं के बांड	अप्रतिभूत	19,74,183.13
	कुल#	51,01,715.89

फुटनोट में प्रतिभूति का विवरण देते हुए इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण की राशि में 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार ₹1,89,000 लाख (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार ₹6,11,984.20 लाख) शामिल है, जो एक वर्ष के भीतर देय ऋण राशि है। इसके अलावा, 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार इन अधिकारों के लिए ₹1,90,056.02 लाख (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार ₹2,39,111.34 लाख) का कुल प्राकल्पन किया गया है।

* भारतीय रिजर्व बैंक के 22 सितंबर 2021 के पत्र के अनुसार अवसंरचना परियोजनाओं के बांड में निवेश को ऋण और अस्थिर के रूप में माना जाता है, जिसमें अवसंरचना परियोजनाओं के लिए बांड / डिबेंचर के संश्लेषण को माध्यम से पुनर्वित्त सहित निवेश को अनुमति दी गई है, बांड परियोजना कार्यान्वयन के तहत हो या पूरी हो चुकी परियोजनाएँ हों, आईआईएफसीएल द्वारा अवसंरचना ऋणों के लिए कुल परिसंपत्तियों का न्यूनतम 75 प्रतिशत लगाने के उद्देश्य से इसे अवसंरचना ऋण के रूप में माना जाएगा।

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024 रकम				31.03.2023 रकम						
		परिशोधित समाप्त	उचित मूल्य पर			परिशोधित समाप्त	उचित मूल्य पर					
			अन्य व्यापक आय के साध्यम से	सम और हानि के साध्यम से	अन्य		अन्य व्यापक आय के साध्यम से	सम और हानि के साध्यम से	अन्य			
	यू.यू.अल फंड(यू.यू.अल) (पूर्णतः संयुक्त) (फुलनोट ख और ग देखें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(i)	आईआईएफसीएल यू.यू.अल फंड आईआईएफ सीएल 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,681.00
(ii)	आईआईएफसीएल यू.यू.अल फंड आईआईएफ सीएल 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,950.84
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,631.84
	सरकारी प्रतिभूतियाँ (यू.यू.अल) (फुलनोट ख और ग देखें)											
(i)	6.29 प्रतिशत (अवसक्त/एनपीए) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति 2030	88,760.00	-	-	88,760.00	-	-	-	-	-	-	88,760.00
(ii)	6.34 प्रतिशत (अवसक्त/एनपीए) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति 2031	88,200.00	-	-	88,200.00	-	-	-	-	-	-	88,200.00
(iii)	6.34 प्रतिशत (अवसक्त/एनपीए) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति 2032	88,200.00	-	-	88,200.00	-	-	-	-	-	-	88,200.00
(iv)	6.39 प्रतिशत (अवसक्त/एनपीए) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति 2032	88,200.00	-	-	88,200.00	-	-	-	-	-	-	88,200.00
(v)	6.39 प्रतिशत (अवसक्त/एनपीए) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति 2034	88,200.00	-	-	88,200.00	-	-	-	-	-	-	88,200.00
(vi)	6.44 प्रतिशत (अवसक्त/एनपीए) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति 2035	88,200.00	-	-	88,200.00	-	-	-	-	-	-	88,200.00
		5,29,760.00	-	-	5,29,760.00	-	-	-	-	-	-	5,29,760.00
क.	ऋण प्रतिभूतियाँ											
	डिबेंचर में निवेश (अनुद्धृत) (पूर्णतः संयुक्त) (फुलनोट ख और सी देखें)											
(i)	बसंत पापरेड (संगम – बालासागर) प्रज्वल लिमिटेड में डिबेंचर	-	6,078.00	-	6,078.00	-	-	-	-	-	-	6,078.00
(ii)	बसंत पापरेड (बनारस/आर-1) प्रज्वल लिमिटेड में डिबेंचर	-	7,276.00	-	7,276.00	-	-	-	-	-	-	7,276.00
(iii)	बसंत पापरेड (बनारस/आर-2) प्रज्वल लिमिटेड में डिबेंचर	-	11,184.00	-	11,184.00	-	-	-	-	-	-	11,184.00
(iv)	केनारी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में डिबेंचर	-	7,932.68	-	7,932.68	-	-	-	-	-	-	-
		-	32,470.68	-	32,470.68	-	-	-	-	-	-	24,538.00

क्षतिग्रस्तता हानि के लिए भत्ता

विवरण	31.03.2024 यथा					31.03.2023 यथा				
	परिमोचित लागत	क्षतिग्रस्त मूल्य पर			कुल	भरिमोचित लागत	क्षतिग्रस्त मूल्य पर			कुल
		अन्य व्यापक आय के भाध्यम से	अन्य व्यापक आय के भाध्यम से	लाभ और हानि के भाध्यम से क्षतिग्रस्त मूल्य पर नाहित			अन्य व्यापक आय के भाध्यम से	लाभ और हानि के भाध्यम से क्षतिग्रस्त मूल्य पर नाहित	अन्य व्यापक आय के भाध्यम से	
आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सिज लिमिटेड (आईआईएफसीएल की ओर से प्रतिभूति ट्रस्टी द्वारा चालित) में निवेश	-	-	4,191.05	-	4,191.05	-	-	4,191.05	-	4,191.05
संलग्न पावरोज एनर्जाइज 1 में निवेश	-	-	4,994.72	-	4,994.72	-	-	5,088.42	-	5,088.42
संलग्न पावरोज एनर्जाइज 2 में निवेश	-	-	4,992.96	-	4,992.96	-	-	5,430.73	-	5,430.73
मीनाडी एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड में निवेश	-	-	6,244.46	-	6,244.46	-	-	6,742.94	-	6,742.94
कुल	-	-	23,654.75	-	23,654.75	-	-	21,453.15	-	21,453.15

घटनोट

- (क) अनुसूत निवेश की कुल राशि - लागत/बही मूल्य

(ख) प्रतिगत निवेशों के मूल्यांकन के लिए टिप्पणी 1(क)(6.2) देखें।

(ग) वर्ष के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई रेटिंग और रेटिंग का परिवर्तन
- 'आईआईएफसीएल के पावर आप लिखतों को 'एएए' रेटिंग प्राप्त है - जो फिनिश, केयर, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च आईसीआरए और फिक्स्क्व-क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई उच्चतम रेटिंग है। कंपनी को दी गई रेटिंग को स्ट्रेंथई एंड प्रुअर्स द्वारा

बीबीबी+/नेगटिव/ए-3 के रूप में ग्रांटे की गई है जो सीविल रेटिंग के बराबर है।

वर्ष की दौरान रेटिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।'

भूमिनिर्लिखित निवेशों की प्रति इकाई एनएवी (₹ में) निम्न प्रकार है:
- (i) आईआईएफसीएल मयुजल कंड आईडीएफ सीरीज I

(ii) आईआईएफसीएल मयुजल कंड आईडीएफ सीरीज II

(iii) ईएनएसरी डनट-एससी 276-सीरीज I
- एनएवी में उतार-चढ़ाव को अस्थायी माना जाता है।

6,23,804.02

6,52,690.11

-

-

430.33

15,13,923.68

8,95,084.44

585.99

टिप्पणी 6: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024 यथा	31.03.2023 यथा
क	अग्रिम कर्मचारियों से वसूली योग्य अग्रिम राशि** संदर्भ प्रतिभूति जमा राशि अन्य उप-योग (क)	2,109.01 39.55 4,566.63 6,715.18	1,589.96 31.66 10,513.00 12,134.61
ख	ऋण और अग्रिम पर उपाजित और देय व्याज उप-योग (ख)	1,060.17 1,060.17	1,831.57 1,831.57
ग	उपाजित परंतु अदेय व्याज: बैंकों में सावधि जमा बांड सरकारी प्रतिभूतियाँ* ऋण एवं अग्रिम उप-योग (ग)	26,084.62 7,837.17 16,953.07 1,291.26 52,166.11	20,150.06 6,004.05 93.67 2,256.91 28,504.68
	कुल (क)+(ख)+(ग)	59,941.46	42,470.86

*सरकारी प्रतिभूतियों पर व्याज मुगलान की नियत तारीख 02.04.2024 हो गई।

**वित्तीय विवरणों संबंधी टिप्पणियों की टिप्पणी 1(ख)(5) देखें।

टिप्पणी 7: चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024 यथा	31.03.2023 यथा
(i)	वसूली योग्य निवल आयकर	2,665.83	4,309.27
(ii)	वसूली योग्य माल एवं सेवा कर	110.82	98.34
	कुल	2,776.65	4,407.61

टिप्पणी 8: आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
(I)	निम्नलिखित के कारण आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ:		
(i)	कर के लिए प्रस्तावित विविध देयता खाते (व्याज पूंजीकरण) में क्रेडिट व्याज	2,891.88	7,597.76
(ii)	अपेक्षित क्रेडिट हानि	16,758.57	20,854.29
(iii)	छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान	-	-
(iv)	मूल्यहास	1,597.32	1,393.00
(v)	रुग्णता अवकाश का प्रावधान	80.88	53.69
(vi)	अन्य	1,899.47	2,412.09
(vii)	शिक्षा सहायता योजना का प्रावधान	291.95	231.80
(viii)	कर्मचारियों/डब्ल्यूटीडी के लिए पीएलआई का प्रावधान	6.54	6.54
(ix)	छुट्टी किराया रियायत का प्रावधान	26.61	21.99
	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	23,553.22	32,571.16
(II)	निम्नलिखित के कारण आस्थगित कर देयता:		
(i)	वे व्यय जिन पर टीडीएस नहीं काटा गया	0.82	-
	आस्थगित कर देयता	0.82	-
	आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयताएं) (निवल)	23,552.41	32,571.16

टिप्पणी 9: संपत्ति, संयंत्र उपकरण

(₹ लाख में)

विवरण	सकल ब्लॉक			मूल्यहास				निवल ब्लॉक	
	01.04.2023 यथा	परिवर्तन	निपटान/ समागोजन	31.03.2024 यथा	वर्ष के लिए	कटौती प्रत्यावर्तन	31.03.2024 यथा	31.03.2024 यथा	31.03.2023 यथा
मूर्त परिसंपत्ति									
भवन**	27,479.81	-	-	27,479.81	952.81	-	5,015.93	22,463.88	23,416.69
संयंत्र और मशीनरी	113.15	0.51	-	113.66	4.02	-	103.33	10.33	13.84
विद्युत उपकरण	346.41	-	-	346.41	10.66	-	329.09	17.32	27.98
फर्नीचर और फिटिंग	578.65	16.29	-	594.94	42.17	-	451.18	143.77	169.65
वाहन	83.46	22.19	-	105.66	15.31	-	66.74	38.91	32.04
तापीय उपकरण	336.78	7.16	-	343.94	11.05	-	317.88	26.07	29.95
कंप्यूटर हार्डवेयर	137.28	6.79	-	144.07	33.29	0.50	108.89	35.18	61.18
कुल	29,075.54	52.95	-	29,128.49	1,069.32	0.50	6,393.04	22,735.45	23,751.33
पिछले वर्ष	29,110.83	46.00	81.30	29,075.54	1,127.29	74.76	5,324.21	23,751.33	24,839.17

टिप्पणी 10: पूंजीगत कार्य प्रगति पर

विवरण	सकल ब्लॉक			मूल्यहास				निवल ब्लॉक	
	01.04.2023 यथा	परिवर्तन	निपटान/ समागोजन	31.03.2024 यथा	वर्ष के लिए	कटौती प्रत्यावर्तन	31.03.2024 यथा	31.03.2024 यथा	31.03.2023 यथा
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	-	8,789.48	-	8,789.48	-	-	-	8,789.48	-
कुल	-	8,789.48	-	8,789.48	-	-	-	8,789.48	-
पिछले वर्ष	-	-	-	-	-	-	-	-	-

सीडब्ल्यूआईपी एजेंडिंग	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
सीडब्ल्यूआईपी	8,789.48	-	-	-	8,789.48
प्रगति पर परियोजनाएं	-	-	-	-	-
अवधायी रूप से स्थगित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
कुल	8,789.48	-	-	-	8,789.48
पिछले वर्ष	-	-	-	-	-

टिप्पणी 10: अमूर्त परिसंपत्ति

(₹ लाख में)

विवरण	सकल ब्लॉक			मूलादास			निवल ब्लॉक	
	01.04.2023 यथा	परिचर्चन	निपटान/समायोजन	31.03.2024 यथा	01.04.2023 यथा	वर्ष के लिए	31.03.2024 यथा	31.03.2023 यथा
कम्यूटर सॉफ्टवेयर*	1,048.37	70.30	-	1,118.68	938.32	40.48	978.80	139.87
कुल	1,048.37	70.30	-	1,118.68	938.32	40.48	978.80	139.87
पिछले वर्ष	1,048.38	-	-	1,048.37	880.15	58.17	938.32	110.06
								168.23

*कंपनी द्वारा चारित अमूर्त परिसंपत्तियां आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त परिसंपत्तियों से भिन्न हैं।

**आईआईएफसीएल का कार्यालय 1 जनवरी 2019 से नए परिसर में स्थानांतरित हो गया है। परिसर को अभिवर्धित करने के लिए संवत् राशि को लेखा बंटियों में पूरणीकृत किया गया है। चूंकि पट्टा करार पर अभी हस्ताक्षर होना बाकी है, इसलिए आईआईएफसीएल ने 30 वर्ष की पट्टा अवधि में राशि का परिशोधन किया है।

टिप्पणी 11: अन्य गैर वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024 यथा	31.03.2023 यथा
(i)	पूर्ववत व्यय	13.84	6.13
(ii)	अन्य अग्रिम	1,521.30	844.67
	कुल	1,535.13	850.80

टिप्पणी 12: ऋण प्रतिभूतियाँ

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024 यथा		31.03.2023 यथा	
		परिसोचित लागत	कुल	परिसोचित लागत	कुल
(क)	अन्य				
i	प्रतिभूत बांड*				
(i)	100 (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार 100) 8.01 प्रतिशत कर मुक्त बांड श्रृंखला VI, अंकित मूल्य ₹10 लाख प्रत्येक, 30/08/2023 को विमोचनीय	-	-	1,000.00	1,000.00
(ii)	50 (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार 50) 8.11 प्रतिशत कर मुक्त बांड श्रृंखला VII, अंकित मूल्य ₹10 लाख प्रत्येक, 05/09/2023 को विमोचनीय	-	-	500.00	500.00
(iii)	12,31,739 (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार 12,31,739) ₹1,000 अंकित मूल्य वाले 8.26 प्रतिशत कर मुक्त बांड, 12/11/2023 को विमोचनीय	-	-	12,317.39	12,317.39
(iv)	27,719 (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार 27,719) 8.01 प्रतिशत कर मुक्त बांड श्रृंखला III, अंकित मूल्य ₹1,000 प्रत्येक, 12/11/2023 को विमोचनीय	-	-	277.19	277.19
(v)	17,26,340 (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार 17,26,340) ₹1,000 अंकित मूल्य वाले 8.01 प्रतिशत कर मुक्त बांड, 12/11/2023 को विमोचनीय	-	-	17,263.40	17,263.40

जारी...

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024 यथा		31.03.2023 यथा	
		परिमोचित लागत	कुल	परिमोचित लागत	कुल
(vi)	79,57,885 (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार 79,57,885) 8.41 प्रतिशत कर मुक्त बांड श्रृंखला IV, अंकित मूल्य ₹1000 प्रत्येक, 22/01/2024 को विमोचनीय	-	-	79,57,885	79,57,885
(vii)	41,69,571 (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार 41,69,571) 8.66 प्रतिशत कर मुक्त बांड श्रृंखला IV, अंकित मूल्य ₹1000 प्रत्येक, 22/01/2024 को विमोचनीय	-	-	40,695.71	40,695.71
(viii)	1,91,778 (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार 1,91,778) 8.41 प्रतिशत कर मुक्त बांड श्रृंखला IV, अंकित मूल्य ₹1,000 प्रत्येक, 22/01/2024 को विमोचनीय	-	-	1,917.78	1,917.78
(ix)	12,80,511 (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार 12,80,511) 8.41 प्रतिशत कर मुक्त बांड ट्रांच III सीरीज 1वीं, अंकित मूल्य ₹1000 प्रत्येक, 27/03/2024 को विमोचनीय	-	-	12,805.11	12,805.11
(x)	41,188 (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार 41,188) 8.16 प्रतिशत कर मुक्त बांड ट्रांच III, अंकित मूल्य ₹1,000 प्रत्येक, 27/03/2024 को विमोचनीय	-	-	411.88	411.88
(xi)	38,58,714 (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार 38,58,714) 8.16 प्रतिशत कर मुक्त बांड ट्रांच III सीरीज 1। अंकित मूल्य ₹1000 प्रत्येक, 27/03/2024 को विमोचनीय	-	-	38,587.14	38,587.14
(xii)	79,110 (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार 79,110) 8.30 प्रतिशत बांड, अंकित मूल्य ₹1,000 प्रत्येक, 28/3/2028 को विमोचनीय	791.10	791.10	791.10	791.10
(xiii)	1,000 (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार 1,000) 7.38 प्रतिशत कर मुक्त बांड सीरीज III-बी, अंकित मूल्य ₹10 लाख प्रत्येक, 15/11/2027 को विमोचनीय	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
(xiv)	900 (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार 900) 7.38 प्रतिशत कर मुक्त बांड श्रृंखला IV-बी, अंकित मूल्य ₹10 लाख प्रत्येक, 21/11/2027 को विमोचनीय	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
(xv)	67,41,162 (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार 67,41,162) 7.36 प्रतिशत कर मुक्त बांड, अंकित मूल्य ₹1,000 प्रत्येक, 22/01/2028 को विमोचनीय	67,411.62	67,411.62	67,411.62	67,411.62
(xvi)	8,68,391.501 (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार 8,68,391) ₹1,000 अंकित मूल्य वाले 7.86 प्रतिशत कर मुक्त बांड, 22/01/2028 को विमोचनीय	8,683.91	8,683.91	8,683.91	8,683.91
(xvii)	3,51,554 (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार 3,51,554) ₹1,000 अंकित मूल्य वाले 7.02 प्रतिशत कर मुक्त बांड, 26/03/2028 को विमोचनीय	3,615.54	3,615.54	3,615.54	3,615.54
(xviii)	1,04,064 (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार 1,04,064) ₹1,000 अंकित मूल्य वाले 7.52 प्रतिशत कर मुक्त बांड, 26/03/2028 को विमोचनीय	1,040.64	1,040.64	1,040.64	1,040.64
(xix)	6,303 (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार 6,303) 8.26 प्रतिशत कर मुक्त बांड श्रृंखला V, अंकित मूल्य ₹10 लाख प्रत्येक, 23/08/2028 को विमोचनीय	63,030.00	63,030.00	63,030.00	63,030.00
(xx)	11,597 (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार 11,597) 8.46 प्रतिशत कर मुक्त बांड श्रृंखला VI, अंकित मूल्य ₹10 लाख प्रत्येक, 30/08/2028 को विमोचनीय	1,15,970.00	1,15,970.00	1,15,970.00	1,15,970.00
(xxi)	11,297 (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार 11,297) 8.48 प्रतिशत कर मुक्त बांड सीरीज टन, अंकित मूल्य ₹10 लाख प्रत्येक, 06/09/2028 को विमोचनीय	1,12,970.00	1,12,970.00	1,12,970.00	1,12,970.00
(xxii)	89,009 (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार 89,009) 8.38 प्रतिशत कर मुक्त बांड श्रृंखला III, अंकित मूल्य ₹1,000 प्रत्येक, 12/11/2028 को विमोचनीय	890.09	890.09	890.09	890.09
(xxiii)	30,35,330 (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार 30,35,330) 8.38 प्रतिशत कर मुक्त बांड, अंकित मूल्य ₹1,000 प्रत्येक, 12/11/2028 को विमोचनीय	30,353.30	30,353.30	30,353.30	30,353.30
(xxiv)	15,71,311 (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार 15,71,311) ₹1,000 अंकित मूल्य वाले 8.63 प्रतिशत कर मुक्त बांड, 12/11/2028 को विमोचनीय	15,713.11	15,713.11	15,713.11	15,713.11
(xxv)	67,908 (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार 67,908) 8.48 प्रतिशत कर मुक्त बांड श्रृंखला IV, अंकित मूल्य ₹1,000 प्रत्येक, 22/01/2028 को विमोचनीय	679.08	679.08	679.08	679.08
(xxvi)	27,98,922 (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार 27,98,922) 8.48 प्रतिशत कर मुक्त बांड श्रृंखला IV, अंकित मूल्य ₹1000 प्रत्येक, 22/01/2028 को विमोचनीय	27,989.22	27,989.22	27,989.22	27,989.22

(xxvii)	14,10,960 (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार 14,10,960) 8.73 प्रतिशत कर मुक्त बांड श्रृंखला ए, अंकित मूल्य ₹1,000 प्रत्येक, 22/01/2029 को विमोचनीय	14,109.50	14,109.50	14,109.50	14,109.50	14,109.50
(xxviii)	1,22,807 (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार 1,22,807) 8.55 प्रतिशत कर मुक्त बांड श्रृंखला III, अंकित मूल्य ₹1,000 प्रत्येक, 27/03/2029 को विमोचनीय	1,228.07	1,228.07	1,228.07	1,228.07	1,228.07
(xxix)	1,59,58,486 (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार 1,59,58,486) 8.65 प्रतिशत कर मुक्त बांड श्रृंखला III सीरीज 21, अंकित मूल्य ₹1000 प्रत्येक, 27/03/2029 को विमोचनीय	1,59,584.86	1,59,584.86	1,59,584.86	1,59,584.86	1,59,584.86
(xxx)	27,11,062 (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार 27,11,062) 8.80 प्रतिशत कर मुक्त बांड श्रृंखला IV सीरीज 2बी, अंकित मूल्य ₹1000 प्रत्येक, 27/03/2029 को विमोचनीय	27,110.62	27,110.62	27,110.62	27,110.62	27,110.62
(xxxi)	3,400 (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार 3,400) 7.41 प्रतिशत कर मुक्त बांड श्रृंखला III-सी, अंकित मूल्य ₹10 लाख प्रत्येक, 15/11/2032 को विमोचनीय	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
(xxxii)	210 (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार 210) 7.41 प्रतिशत कर मुक्त बांड श्रृंखला IV-सी, अंकित मूल्य ₹10 लाख प्रत्येक, 21/11/2032 को विमोचनीय	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
(xxxiii)	1,01,62,809 (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार 1,01,62,809) ₹1,000 अंकित मूल्य वाले 7.40 प्रतिशत कर मुक्त बांड, 22/01/2033 को विमोचनीय	1,01,628.09	1,01,628.09	1,01,628.09	1,01,628.09	1,01,628.09
(xxxiv)	14,01,415 (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार 14,01,415) ₹1,000 अंकित मूल्य वाले 7.90 प्रतिशत कर मुक्त बांड, 22/01/2033 को विमोचनीय	14,014.15	14,014.15	14,014.15	14,014.15	14,014.15
(xxxv)	42,472 (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार 42,472) 7.08 प्रतिशत कर मुक्त बांड, अंकित मूल्य ₹1,000 प्रत्येक, 26/03/2033 को विमोचनीय	424.72	424.72	424.72	424.72	424.72
(xxxvi)	1,90,693 (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार 1,90,693) ₹1,000 अंकित मूल्य वाले 7.58 प्रतिशत कर मुक्त बांड, 28/03/2033 को विमोचनीय	1,906.93	1,906.93	1,906.93	1,906.93	1,906.93
(xxxvii)	20 (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार 20) 8.19 प्रतिशत कर मुक्त बांड श्रृंखला V, अंकित मूल्य ₹10 लाख प्रत्येक, 23/09/2033 को विमोचनीय	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
(xxxviii)	265 (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार 265) 8.37 प्रतिशत कर मुक्त बांड श्रृंखला VI, अंकित मूल्य ₹10 लाख प्रत्येक, 30/09/2033 को विमोचनीय	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00
(xxxix)	1,59,113 (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार 1,59,113) 8.50 प्रतिशत कर मुक्त बांड श्रृंखला III, अंकित मूल्य ₹1,000 प्रत्येक, 12/11/2033 को विमोचनीय	1,591.13	1,591.13	1,591.13	1,591.13	1,591.13
(xl)	18,68,982 (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार 18,68,982) 8.50 प्रतिशत कर मुक्त बांड, अंकित मूल्य ₹1,000 प्रत्येक, 12/11/2033 को विमोचनीय	18,689.82	18,689.82	18,689.82	18,689.82	18,689.82
(xli)	24,20,508 (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार 24,20,508) 8.75% कर मुक्त बांड, अंकित मूल्य ₹1,000 प्रत्येक, 12/11/2033 को विमोचनीय	24,205.08	24,205.08	24,205.08	24,205.08	24,205.08
(xlii)	75,43,989 (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार 75,43,989) 8.66 प्रतिशत कर मुक्त बांड श्रृंखला ए, अंकित मूल्य ₹1000 प्रत्येक, 22/01/2034 को विमोचनीय	5,157.65	5,157.65	5,157.65	5,157.65	5,157.65
(xliii)	5,15,765 (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार 5,15,765) 8.66 प्रतिशत कर मुक्त बांड श्रृंखला IV, अंकित मूल्य ₹1,000 प्रत्येक, 22/01/2034 को विमोचनीय	75,439.89	75,439.89	75,439.89	75,439.89	75,439.89
(xliv)	54,43,232 (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार 54,43,232) 8.91 प्रतिशत कर मुक्त बांड श्रृंखला IV, अंकित मूल्य ₹1000 प्रत्येक, 22/01/2034 को विमोचनीय	54,432.32	54,432.32	54,432.32	54,432.32	54,432.32
(xlv)	12,59,825 (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार 12,59,825) 8.55 प्रतिशत कर मुक्त बांड श्रृंखला III सीरीज 31, अंकित मूल्य ₹1000 प्रत्येक, 27/03/2034 को विमोचनीय	12,598.25	12,598.25	12,598.25	12,598.25	12,598.25
(xlv)	12,87,311 (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार 12,87,311) 8.80 प्रतिशत कर मुक्त बांड श्रृंखला III सीरीज 33 अंकित मूल्य ₹1000 प्रत्येक, 27/03/2034 को विमोचनीय	12,873.11	12,873.11	12,873.11	12,873.11	12,873.11
(xlvii)	125,470 (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार 125,470) 8.55 प्रतिशत कर मुक्त बांड श्रृंखला III अंकित मूल्य ₹1,000 प्रत्येक, 27/03/2034 को विमोचनीय	1,254.70	1,254.70	1,254.70	1,254.70	1,254.70
(xlviii)	10,500 (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार 10,500) 9.41 प्रतिशत प्रत्येक ₹10 लाख अंकित मूल्य के बांड, 27/07/2037 को विमोचनीय	1,05,000.00	1,05,000.00	1,05,000.00	1,05,000.00	1,05,000.00
(xlix)	500 (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार 500) 9-36 प्रतिशत बांड, अंकित मूल्य, ₹10 लाख प्रत्येक, 27/07/2042 को विमोचनीय	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
		11,39,336.50	11,39,336.50	11,39,336.50	11,39,336.50	13,44,690.95

सारी

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024		31.03.2023	
		परिशोधित लागत	कुल	परिशोधित लागत	कुल
II	अप्रतिभूत बांड ^A	-	-	20,000.00	20,000.00
	(i) 2,000 9.35 प्रतिशत बांड, अंकित मूल्य ₹10 लाख प्रत्येक, 17/11/2023 को विमोचनीय।	-	-	20,000.00	20,000.00
	(ii) 2,000 8.68 प्रतिशत बांड, अंकित मूल्य ₹10 लाख प्रत्येक, 18/12/2023 को विमोचनीय।	-	-	50,000.00	50,000.00
	(iii) 5,000 8.10 प्रतिशत बांड, अंकित मूल्य ₹10 लाख प्रत्येक, 08/04/2024 को विमोचनीय।	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	(iv) 5,000 7.90 प्रतिशत बांड, अंकित मूल्य ₹10 लाख प्रत्येक, 28/04/2024 को विमोचनीय।	50,000.00	50,000.00	60,000.00	60,000.00
	(v) 6,000 8.12 प्रतिशत बांड, अंकित मूल्य ₹10 लाख प्रत्येक, 12/08/2024 को विमोचनीय।	60,000.00	60,000.00	40,000.00	40,000.00
	(vi) 4,000 8.12 प्रतिशत बांड, अंकित मूल्य ₹10 लाख प्रत्येक, 24/08/2024 को विमोचनीय।	40,000.00	40,000.00	1,00,000.00	1,00,000.00
	(vii) 10,000 8.55 प्रतिशत बांड, अंकित मूल्य ₹10 लाख प्रत्येक, 03/11/2024 को विमोचनीय।	1,00,000.00	1,00,000.00	1,50,000.00	1,50,000.00
	(viii) 15,000 7.17 प्रतिशत बांड, अंकित मूल्य ₹10 लाख प्रत्येक, 12/03/2032 को विमोचनीय	1,50,000.00	1,50,000.00	-	-
	(ix) 5,000 7.46 प्रतिशत बांड, अंकित मूल्य ₹10 लाख प्रत्येक, 31/05/2033 को विमोचनीय	50,000.00	50,000.00	-	-
	(x) 200,000 7.53 प्रतिशत बांड, अंकित मूल्य ₹1 लाख प्रत्येक, 18/09/2038 को विमोचनीय	2,00,000.00	2,00,000.00	-	-
	(xi) 200,000 7.69 प्रतिशत बांड, अंकित मूल्य ₹1 लाख प्रत्येक, 26/10/2038 को विमोचनीय	2,00,000.00	2,00,000.00	-	-
	(xii) 100,000 7.67 प्रतिशत बांड, अंकित मूल्य ₹1 लाख प्रत्येक, 26/10/2038 को विमोचनीय	1,00,000.00	1,00,000.00	-	-
	(xiii) 150,000 7.34 प्रतिशत बांड, अंकित मूल्य ₹1 लाख प्रत्येक, 14/01/2039 को विमोचनीय	1,50,000.00	1,50,000.00	-	-
कुल सकल (क)		11,50,000.00	11,50,000.00	4,90,000.00	4,90,000.00
भारत में ऋण प्रतिभूतियाँ		22,89,336.50	22,89,336.50	18,34,690.95	18,34,690.95
भारत के बाहर ऋण प्रतिभूतियाँ		22,89,336.50	22,89,336.50	18,34,690.95	18,34,690.95
कुल सकल (ख)		22,89,336.50	22,89,336.50	18,34,690.95	18,34,690.95
कुल (ख) का (क) से मिलान		22,89,336.50	22,89,336.50	18,34,690.95	18,34,690.95

A आईआईएफएल द्वारा जारी रासी प्रतिभूत और अप्रतिभूत बांड अत्यधिकतरनीय है और सम्मूल्य पर विमोचनीय है।

इसका अलावा, प्रतिभूत बांड कंपनी के चारों के सभी अधिकारों, शीर्षकों, मिली, लान, वार्मों और नामों, जिससे कंपनी की किसी भी प्रकृति की कर्तव्यता और बाकी आदिमा शामिल हैं, के अन्तर्गत पर सम्मूल्य पर प्रतिभूत है।

“वर्ग के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई रेटिंग और रेटिंग का परिवर्तन-

आईआईएफएल के चरम ऋण निचतों को “एएए” रेटिंग प्राप्त है - जो निमित्त, मेयर, प्रिडिमा रेटिंग एंड रिसर्च, आईसीआए और क्रियकस-क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई उच्चतम रेटिंग है।

वर्ग के दौरान रेटिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।”

अप्रतिभूत बांडों की गारंटी भारत सरकार द्वारा दी जाती है 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार ₹5,00,000 लाख (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार रिपार्टिंग अवधि के अंत से 1 वर्ष के भीतर देय राशि,

मुनाए गए बांड या निचवर, जिनसे आईआईएफएल को पुनः जारी करने का अधिकार है।

3,00,000.00

शून्य

3,00,000.00

शून्य

40,000.00

शून्य

40,000.00

टिप्पणी 13: उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024		31.03.2023	
		यथा		यथा	
		परिशोधित लागत	कुल	परिशोधित लागत	कुल
क)	सावधि ऋण				
	अप्रतिभूत ऋण :				
	(i) बैंकों से				
	क. अल्पसावधि ऋण	11,32,162.67	11,32,162.67	5,70,000.00	5,70,000.00
	(ii) अन्य पक्षकारों से				
	क. एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी)	11,11,935.89	11,11,935.89	11,48,371.73	11,48,371.73
	ख. आईबीआरडी (वर्ल्ड बैंक)	1,07,041.82	1,07,041.82	1,13,380.39	1,13,380.39
	ग. युरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक (ईआईए)	1,40,116.34	1,40,116.34	1,51,820.88	1,51,820.88
	घ. क्रेडिटनस्टाल्ट फ्युर विदेरीफबाउ (केएफडब्ल्यू)	13,006.32	13,006.32	13,405.82	13,405.82
	ङ. जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी	1,96,525.20	1,96,525.20	2,20,190.86	2,20,190.86
ख)	मांग पर प्रतिदेय ऋण				
	प्रतिभूत ऋण :				
	i) बैंकों से*	70.00	70.00	2,53,265.84	2,53,265.84
	* (31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार ₹2,12,300 की सावधि जमा प्राप्तियों के कंधक द्वारा प्रतिभूत (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार ₹3,44,994 लाख)				
	कुल (क)	27,00,858.25	27,00,858.25	24,70,435.53	24,70,435.53
	भारत में उधार	11,32,232.67	11,32,232.67	8,23,265.84	8,23,265.84
	भारत के बाहर उधार-एफसी ऋण	15,68,625.58	15,68,625.58	16,47,169.69	16,47,169.69
	कुल (ख) का (क) से मिलान	27,00,858.25	27,00,858.25	24,70,435.53	24,70,435.53

अन्य पक्षकारों से सभी अप्रतिभूत सावधि ऋण भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत हैं, जिनमें से 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार ₹74,082.97 लाख, ₹497.65 लाख, ₹7,933.49 लाख, ₹12,197.33 लाख और ₹10,424.07 लाख राशि (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार ₹69,526.98 लाख, ₹487.47 लाख, ₹7,823.76 लाख, ₹11,947.68 लाख और ₹10,424.07 लाख) रिपोर्टिंग अवधि के अंत से 1 वर्ष के भीतर क्रमशः एडीबी, केएफडब्ल्यू, वर्ल्ड बैंक, ईआईबी और जेआईसीए को देय राशि है।

दीर्घकालिक ऋण की चुकोती की शर्तें

i) एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी)

अस	करार के अनुसार ऋण राशि (अव्यावधि संश्लि) (\$ लाख में)	व्याज दर	से चुकोती	तक चुकोती	चुकोती की आवृत्ति	चुकोती की राशि
I	3000	ओवरनाइट एसओएफआर+20बीपीएस	15.12.2012	15.06.2032	अर्द्ध वार्षिक	ऋण राशि के 2.50 प्रतिशत की प्रत्येक किस्त
II	2000	ओवरनाइट एसओएफआर+20बीपीएस	15.06.2014	15.12.2033	अर्द्ध वार्षिक	ऋण राशि के 2.50 प्रतिशत की प्रत्येक किस्त
III	2100	ओवरनाइट एसओएफआर+20बीपीएस	15.12.2014	15.06.2034	अर्द्ध वार्षिक	ऋण राशि के 0.827618 प्रतिशत से शुरू होकर
IV	2500	ओवरनाइट एसओएफआर+30बीपीएस	15.12.2015	15.06.2035	अर्द्ध वार्षिक	5.50311 प्रतिशत तक की वृद्धिशील किस्तें
V	2400	ओवरनाइट एसओएफआर+40बीपीएस	15.12.2016	15.06.2036	अर्द्ध वार्षिक	
VI	4000	ओवरनाइट एसओएफआर+60बीपीएस	15.03.2018	15.03.2033	अर्द्ध वार्षिक	ऋण राशि के 2.173900 प्रतिशत से लेकर 4.559913 प्रतिशत तक की वृद्धिशील किस्तें
VII	3000	ओवरनाइट एसओएफआर+60बीपीएस	01.05.2023	01.05.2038	अर्द्ध वार्षिक	ऋण राशि के 2.173900 प्रतिशत से लेकर 4.559913 प्रतिशत तक की वृद्धिशील किस्तें
कुल	19000					

ii) आईबीआरडी (वर्ल्ड बैंक)

करार के अनुसार ऋण राशि (\$ लाख में)	व्याज दर	से चुकोती	तक चुकोती	चुकोती की आवृत्ति	चुकोती की राशि
1950*	ओवरनाइट एसओएफआर + परिवर्तनीय प्रसार	15.04.2017	15.04.2037	अर्द्ध वार्षिक	15.10.2036 तक ऋण राशि के 2.44 प्रतिशत की किस्तें तथा 15.04.20237 को ऋण राशि के 2.40 प्रतिशत किस्त

*आईबीआरडी (वर्ल्ड बैंक) की ऋण राशि 10,000 लाख डॉलर की ऋण राशि को रद्द करने का विवरण देते हुए 18 दिसंबर 2013 को ऋण सौदा के पुनर्गठन के कारण घटकर 1,950 लाख डॉलर रह गई है।

iii) क्रेडिटनस्टांट पब्लिक विदेशी कबाड (केएफडब्ल्यू)

ट्रांच	करार के अनुसार ऋण राशि (अव्यावधि संश्लि) (लाख यूरो में)	व्याज दर	से चुकोती	तक चुकोती	चुकोती की आवृत्ति	चुकोती की राशि
I	165.89	0.75%	30.06.2020	30.06.2050	अर्द्ध वार्षिक	— 30.06.2020 से 30.12.2021 तक 271,000 यूरो — 30.06.2022 से 30.12.2049 तक 272,000 यूरो और 30.06.2050 को 272,000 यूरो
II	334.11	4.99%	30.06.2015	30.06.2020	अर्द्ध वार्षिक	— 30.06.2015 से 30.06.2018 तक 3,037,000 यूरो — 30.12.2018 से 30.12.2019 तक 3,038,000 यूरो और 30.06.2020 को 3,038,418.97 यूरो
कुल	500.00					

iv) यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक

ट्रांच	करार के अनुसार ऋण राशि (अल्पवधि सहित) (लाख यूरो में)	व्याज दर	से चुकाती	तक चुकाती	चुकाती की आवृत्ति	चुकाती की राशि
I	350.00	6एम यूरोबॉर + 0.275 प्रतिशत का समग्र प्रसार	22.06.2020	20.12.2034	अर्द्ध वार्षिक	प्रत्येक किस्त 11,66,666.67 यूरो
II	400.00	6एम यूरोबॉर + 0.436 प्रतिशत का समग्र प्रसार	21.06.2021	20.12.2034	अर्द्ध वार्षिक	प्रत्येक किस्त 14,28,571.43 यूरो
III	400.00	6एम यूरोबॉर + 0.426 प्रतिशत का समग्र प्रसार	21.06.2021	20.12.2034	अर्द्ध वार्षिक	प्रत्येक किस्त 14,28,571.43 यूरो
IV	850.00	6एम यूरोबॉर + 0.346 प्रतिशत का समग्र प्रसार	21.06.2021	20.12.2034	अर्द्ध वार्षिक	प्रत्येक किस्त 30,35,714.29 यूरो
कुल	2000.00					

v) जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसी)

ट्रांच	करार के अनुसार ऋण राशि (अल्पवधि सहित) (लाख जापानी येन में)	व्याज दर	से चुकाती	तक चुकाती	चुकाती की आवृत्ति	चुकाती की राशि
ट्रांच-I	10,000.00	6एम जेपीवाई लिबोर, न्यूनतम 0.10 प्रतिशत और अधिकतम सीमा 6.208 प्रतिशत	20.03.2022	20.03.2036	अर्द्ध वार्षिक	प्रथम किस्त ऋण राशि का 3.448328 प्रतिशत तथा उसके बाद की किस्तें ऋण राशि का 3.448274 प्रतिशत होंगी।
ट्रांच-II	90,000.00	6एम जेपीवाई लिबोर, न्यूनतम 0.10 प्रतिशत और अधिकतम सीमा 6.208 प्रतिशत	20.03.2022	20.03.2036	अर्द्ध वार्षिक	प्रथम किस्त ऋण राशि का 3.448328 प्रतिशत तथा उसके बाद की किस्तें ऋण राशि का 3.448274 प्रतिशत होंगी।

टिप्पणी 14: अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024 यथा	31.03.2023 यथा
	उधार पर उपाजित किंतु अदेय ब्याज		
(i)	बॉन्ड और सावधि ऋण पर	98,874.17	77,498.70
(ii)	प्राप्त प्रतिभूति जमा	14.23	7.63
(iii)	अन्य	3,253.66	2,961.43
	कुल	1,02,142.06	80,467.76

टिप्पणी 15: चालू कर देयताएं (निवल)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024 यथा	31.03.2023 यथा
(i)	आय कर (निवल)	10,132.78	408.55
	कुल	10,132.78	408.55

टिप्पणी 16: प्रावधान

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024 यथा	31.03.2023 यथा
(i)	रुग्णता अवकाश	321.34	213.34
(ii)	सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ	1,160.01	921.02
(iii)	छुट्टी किराया रियायत	105.73	87.33
(iv)	वेतन संशोधन	1,054.93	1,955.66
(v)	कर्मचारियों / डब्ल्यूटीडी को पीएलआई	26.00	26.00
	अन्य		
(i)	एनपीए की ओर से व्यय	1,067.06	932.04
	कुल	3,735.07	4,135.39

टिप्पणी 17: अन्य गैर-वित्तीय देयताएं

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024 यथा	31.03.2023 यथा
(क)	अन्य देय		
(i)	देय साविधिक बकाया	330.25	340.26
(ii)	बॉन्ड पर अदायकृत ब्याज	0.69	0.69
(iii)	देय प्रतिबद्धता प्रभार	19.89	23.63
(iv)	विविध देयता खाता (ब्याज पूंजीकरण)*	14,005.26	30,103.40
(v)	अन्य	2,079.10	1,017.08
	कुल	16,435.20	31,485.07

* इस राशि में आरबीआई परिपत्र "कोविड-19 नियामक पैकेज" के अनुसार मार्च 2020 से अगस्त 2020 तक आईआईएफसीएल के उधारकर्ताओं को दी गई स्थगन राशि शामिल है।

टिप्पणी 18: इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024 यथा	31.03.2023 यथा
(क)	अधिकृत पूंजी		
(ख)	10/- रुपये प्रति शेयर मूल्य के 10,000,000,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार ₹10/- प्रति शेयर मूल्य के 10,000,000,000 इक्विटी शेयर) निर्गत, अभिवृत्त और संदत्त पूंजी 9,999,916,230 (31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार 9,999,916,230) ₹ 10/- प्रत्येक के पूर्णतः संदत्त इक्विटी शेयर	10,00,000.00 9,99,991.62	10,00,000.00 9,99,991.62
	कुल	9,99,991.62	9,99,991.62

फुटनोट:

(क) रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का समाधान

विवरण	यथा 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष		यथा 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	
	शेयरों की संख्या	₹ लाख में	शेयरों की संख्या	₹ लाख में
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में बकाया शेयर	9,99,99,16,230	9,99,991.62	9,99,99,16,230	9,99,991.62
रिपोर्टिंग अवधि के दौरान निर्गत शेयर	-	-	-	-
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया शेयर	9,99,99,16,230	9,99,991.62	9,99,99,16,230	9,99,991.62

(ख) 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों का विवरण:-

विवरण	यथा 31 मार्च 2024		यथा 31 मार्च 2023	
	शेयरों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
भारत के राष्ट्रपति	9,99,99,16,230	100.00%	9,99,99,16,230	100.00%

(ग) प्रमोटरों की शेयरधारिता का प्रकटीकरण

प्रमोटर का नाम	यथा 31 मार्च 2024 को प्रमोटरों द्वारा धारित शेयर		यथा 31 मार्च 2023 को प्रमोटरों द्वारा धारित शेयर		वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	शेयरों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%	
भारत के राष्ट्रपति	9,99,99,16,230	100.00%	9,99,99,16,230	100.00%	-

टिप्पणी 19: अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024 यथा	31.03.2023 यथा
(क)	पूंजी आरक्षिती (गैर चालू प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ) आरम्भिक शेष अंत शेष	 585.14 585.14	 585.14 585.14
(ख)	प्रतिभूति प्रीमियम खाता (बांड पर) आरम्भिक शेष अंत शेष	 235.50 235.50	 235.50 235.50
(ग)	डिबेंचर/बांड मोचन आरक्षिती आरम्भिक शेष घटाए: लाभ और हानि विवरण में अधिशेष में अंतरण अंत शेष	 98,087.76 43,519.48 54,568.28	 99,995.05 1,907.29 98,087.76

जारी

जारी

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024 यथा	31.03.2023 यथा
(घ)	नकदी प्रवाह हेज आरक्षिती आरम्भिक शेष जोड़ें: वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह हेज आरक्षिती अंत शेष	 (1,085.38) (15,939.70) (17,025.08)	 (7,580.98) 6,495.60 (1,085.38)
(ङ)	अन्य रिजर्व		
(i)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिती (फुटनोट 1) आरम्भिक शेष जोड़ें: लाभ और हानि विवरण (निवल) में अधिशेष से अंतरण अंत शेष	 1,53,449.80 24,138.90 1,77,588.70	 1,45,940.91 7,508.90 1,53,449.80
(ii)	कर्मचारी कल्याण आरक्षिती (फुटनोट 2) आरम्भिक शेष जोड़ें: लाभ और हानि खाते के अधिशेष से अंतरण घटाएं: वर्ष के दौरान प्रयुक्त और अंतरित राशि लाभ और हानि विवरण में अधिशेष अंत शेष	 322.96 11.68 37.50 297.14	 355.01 - 32.06 322.96
(iii)	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व आरक्षिती (फुटनोट 3) आरम्भिक शेष घटाएं: उपयोग की गई राशि अंत शेष	 122.45 - 122.45	 122.45 - 122.45
(iv)	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईसी के तहत आरक्षिती (फुटनोट 4) आरम्भिक शेष जोड़ें: लाभ और हानि खाते के अधिशेष से अंतरण अंत शेष	 40,585.05 30,951.29 71,536.34	 19,062.47 21,522.58 40,585.05
(च)	लाभ-हानि विवरण में अधिशेष आरम्भिक शेष जोड़ें: कर पश्चात् लाभ जोड़ें: कर्मचारी कल्याण आरक्षिती से अंतरण जोड़ें: डिबेंचर मोचन आरक्षिती से अंतरण घटाएं: कर्मचारी कल्याण आरक्षिती में अंतरण घटाएं: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षिती में अंतरण घटाएं: परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनः मापन लाभ/(हानि) घटाएं: धारा 45-आईसी के तहत आरक्षिती में अंतरण अंत शेष	 (4,487.02) 1,55,160.72 37.50 43,519.48 11.68 24,138.90 404.21 30,951.29 1,38,724.60	 (85,007.76) 1,07,559.50 32.06 1,907.29 - 7,508.90 (53.38) 21,522.58 (4,487.02)
	कुल	4,26,633.06	2,87,816.28

फुटनोट:

- विशेष आरक्षिती वह सांविधिक आरक्षिती है जिसे भारत में अवसंरचना सुविधा के विकास के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने वाली कंपनियों द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत बनाए रखा जाना आवश्यक है।

2. कर्मचारी कल्याण आरक्षिती का गठन कर्मचारियों के बीच खेल, सांस्कृतिक और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।
3. 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष से, आईआईएफसीएल ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सीएसआर व्यय के लिए सीएसआर आरक्षिती नहीं बनाया है और 3 जुलाई 2015 के पत्र के माध्यम से, कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार सीएसआर के तहत व्यय की जाने वाली अपेक्षित राशि के अतिरिक्त सीएसआर आरक्षिती बनाने और इसके उपयोग को जारी रखने पर स्पष्टीकरण के लिए इस मुद्दे को सार्वजनिक उद्यम विभाग (सीपीड) को भेज दिया है। सीपीड से प्रत्युत्तर अभी भी प्रतीक्षित है।
4. आरक्षित निधि का सृजन आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45-आईसी के अनुसार किया जाता है।

टिप्पणी 20: ब्याज आय

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	समाप्त वर्ष	
		परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर	
		31.03.2024	31.03.2023
(क)	ऋण पर ब्याज		
(i)	प्रत्यक्ष ऋण के तहत ऋण और अग्रिम पर ब्याज	1,32,284.11	1,46,442.12
(ii)	पीएमडीओ योजना के तहत ऋण पर ब्याज	11.35	15.34
(iii)	पुनर्वित्त योजना के तहत ऋण और अग्रिम पर ब्याज	1,29,621.34	91,455.95
(iv)	टेकआउट फाइनेंसिंग योजना के तहत ऋण और अग्रिम पर ब्याज	87,538.77	54,077.80
(v)	दंडात्मक ब्याज	602.58	2,234.35
(vi)	इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड पर ब्याज	57,280.36	17,428.63
(ख)	निवेश से ब्याज आय		
(i)	सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	33,718.80	33,718.80
(ग)	बैंकों में जमा राशि पर ब्याज	57,662.15	57,762.80
	कुल	4,98,719.48	4,03,135.80

टिप्पणी 21: शुल्क और कमीशन आय

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2024	31.03.2023
(i)	अग्रिम शुल्क	4,013.86	2,035.35
(ii)	प्रोसेसिंग शुल्क	90.00	103.50
(iii)	पूर्व भुगतान प्रभार	2,180.94	761.23
(iv)	क्रेडिट संवर्द्धन से शुल्क	489.82	518.94
(v)	अन्य प्रभार	1,147.22	936.94
	कुल	7,921.86	4,355.96

टिप्पणी 22: उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल लाभ/(हानि)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2024	31.03.2023
(क)	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय लिखतों पर निवल लाभ/(हानि)		
	(i) ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पर	-	-
	(ii) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट वित्तीय लिखतों पर	296.35	(2,297.50)
(ख)	उचित मूल्य परिवर्तन पर कुल निवल लाभ/(हानि)	296.35	(2,297.50)
(ग)	उचित मूल्य में परिवर्तन*:		
	- प्राप्त	-	-
	- अप्राप्त	296.35	(2,297.50)
	उचित मूल्य परिवर्तन (ख) पर कुल निवल लाभ/(हानि) का (ग) से मिलान	296.35	(2,297.50)
	*इस अनुसूची में उचित मूल्य परिवर्तन ब्याज आय/व्याज के कारण उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों से भिन्न हैं।		

टिप्पणी 23: अन्य आय

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2024	31.03.2023
	अन्य		
(i)	बड़े खाते में खाले गए ऋण की बसूली	36,937.81	35,815.91
(ii)	प्रतिलेखित ऋण परिसंपत्तियों पर प्रावधान के अलावा अन्य राशियाँ/प्रावधान	347.45	86.62
(iii)	विदेशी मुद्रा लेनदेन और संपरिवर्तन पर निवल लाभ	-	-
(iv)	स्वैप-सौदों पर लाभ	41,574.08	20,743.03
(v)	डेरिवेटिव पर मार्क टू मार्केट लाभ/(हानि)	-	350.82
(vi)	आयकर प्रतिदाय पर ब्याज	-	485.47
(vii)	विविध आय	4,860.18	285.20
	कुल	83,719.53	57,767.05

टिप्पणी 24: वित्तीय लागत

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	समाप्त वर्ष	
		परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय देयताओं पर	
		31.03.2024	31.03.2023
(क)	उधार पर ब्याज		
(ii)	बैंक उधार पर ब्याज	70,089.81	31,403.52
(iii)	एजीबी से ऋण पर ब्याज	83,362.11	70,473.90

(iv)	आईबीआरडी (वर्ल्ड बैंक) से ऋण पर ब्याज	4,787.94	3,867.68
(v)	केएफइडब्ल्यू से ऋण पर ब्याज	629.63	99.34
(vi)	ईआईबी से ऋण पर ब्याज	5,922.24	1,991.73
(vii)	जेआईसीए से ऋण पर ब्याज	439.29	173.49
(ख)	ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज	1,69,841.11	1,61,567.37
(ग)	अन्य ब्याज व्यय		
i)	आयकर पर ब्याज	656.63	-
	कुल	3,35,728.76	2,69,577.03

टिप्पणी 25: फीस और कमीशन व्यय

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2024	31.03.2023
(i)	सरकारी गारंटी शुल्क	4,967.92	4,807.13
(ii)	बॉन्ड सर्विसिंग व्यय	656.26	111.03
(iii)	प्रतिबद्धता प्रभार	16.71	50.67
	कुल	5,640.89	4,968.82

टिप्पणी 26: वित्तीय लिखतों की क्षतिग्रस्तता

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	समाप्त वर्ष	
		परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय देयताओं पर	
		31.03.2024	31.03.2023
(i)	ऋण	(49,055.32)	(81,471.61)
(ii)	निवेश	2,201.60	(720.21)
(iii)	एनपीए की ओर व्यय	142.13	250.80
	कुल	(46,711.59)	(81,941.02)

टिप्पणी 27: कर्मचारी हितलाभ व्यय

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2024	31.03.2023
(i)	वेतन और मजदूरी	4,713.15	4,588.95
(ii)	प्रविध्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	267.62	264.27
(iii)	कर्मचारी कल्याण व्यय	283.21	178.39
	कुल	5,263.98	5,031.61

टिप्पणी 28: अन्य व्यय

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2024	31.03.2023
(i)	किराया, कर और ऊर्जा लागत	99.14	73.98
(ii)	मुद्रण और स्टेशनरी	15.47	20.72
(iii)	विज्ञापन एवं प्रचार	45.81	20.47
(iv)	निदेशक की फीस, भत्ते और व्यय	12.15	-
(v)	लेखापरीक्षक की फीस और व्यय	15.45	14.15
(vi)	कानूनी और व्यावसायिक प्रभार	338.02	241.98
(vii)	बीमा	47.10	1.00
(viii)	अन्य व्यय		
क)	विदेशी मुद्रा लेनदेन और संपरिवर्तन पर नियत हानि	20,726.59	34,472.91
ख)	अन्य व्यय	2,205.06	2,333.75
ग)	बड़े खाते में डाली गई ऋण राशि [टिप्पणी 1(ख)/(20(क)) देखें]	61,820.64	98,870.98
	कुल	85,325.43	1,36,049.94

टिप्पणी 1: 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और वित्तीय विवरणों के लिए अन्य टिप्पणियां

आईआईएफसीएल एक सार्वजनिक कंपनी है जो भारत में कंपनी के प्रावधानों के तहत अधिवासित और निगमित है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 5वीं मंजिल, प्लेट ए और बी, ब्लॉक 2, एनबीसीसी टॉवर, ईस्ट किडवई नगर, नई दिल्ली, भारत में स्थित है।

आईआईएफसीएल की स्थापना व्यवहार्य अवसररचना परियोजनाओं के वित्तपोषण की योजना के माध्यम से व्यवहार्य अवसररचना परियोजनाओं को दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 9 सितंबर 2013 को इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – गैर जमा – अवसररचना वित्त कंपनी (कनबीएफसी-एनडी-आईएफसी) के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या एन-14.03288 जारी किया है। आरबीआई ने आईआईएफसीएल को जनता से जमा स्वीकार किए बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का व्यवसाय करने की अनुमति दी है।

(क) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. तैयार करने का आधार

- 1.1 लेखांकन परिपाटीरू आईआईएफसीएल अपने वित्तीय विवरण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के भाग III में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत करता है। वित्तीय विवरण प्रौद्योगिकी आधार पर और ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय इसके कि

क. अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत वित्तीय परिसंपत्तियां,

ख. डेरिवेटिव वित्तीय लिखत,

ग. लान या हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं।

घ. परिभाषित लाभ योजनाएं – उचित मूल्य पर मापी गई योजना परिसंपत्तियां।

इनमें से सभी को उचित मूल्य पर मापा गया है जैसा कि प्रासंगिक इंडएस द्वारा अपेक्षित या अनुमत है। वित्तीय विवरण भारतीय रुपए में प्रस्तुत किए गए हैं और सभी मूल्यों को निकटतम लाख रुपए में पूर्णांकित किया गया है, सिवाय इसके कि जब अन्यथा इंगित किया गया हो।

- 1.2 अनुमानों का उपयोगरू सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार के लिए प्रबंधन को अनुमान और अवधारणा बनाने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों की तारीख पर परिसंपत्तियों और देयताओं की रिपोर्ट की गई राशियों और उनके प्रकटीकरण तथा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशियों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर उस अवधि में मान्य किया जाता है जिसमें परिणाम वास्तविक होते हैं।

आईआईएफसीएल ने रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भावी तथा अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों के बारे में कोई अवधारणा नहीं बनाई है, जिससे अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देयताओं की अग्रणीत राशियों में महत्वपूर्ण समायोजन होने का जोखिम हो।

2. अनुपालन का विवरण

आईआईएफसीएल के वित्तीय विवरण चालू वित्त वर्ष के आधार पर तथा दिनांक 16 फरवरी 2015 की राजपत्र अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 111 (अ) के तहत जारी कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 तथा दिनांक 30 मार्च 2016 की राजपत्र अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 365 (अ) के तहत जारी कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) (संशोधन) नियम, 2016 के अंतर्गत भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित इंडएस की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए जाते हैं।

ये इंड एस वित्तीय विवरण, आईआईएफसीएल द्वारा इंड एस को अपनाने के लिए इंड एस संक्रमण तारीख से, तुलनात्मक वित्तीय विवरण के रूप में उपयोग के लिए तैयार किए गए हैं तथा इनका कोई अन्य उद्देश्य नहीं है।

3. वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को आम तौर पर तुलन-पत्र में सकल मूल्य के रूप में रिपोर्ट किया जाता है। उन्हें केवल तभी ऑफसेट और निवल मूल्य के रूप में रिपोर्ट किया जाता है, जब भावी घटना पर निर्भर हुए बिना मान्य राशियों को ऑफसेट करने के लिए बिना शर्त कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होने के अलावा, पक्षकार निम्नलिखित सभी परिस्थितियों में निवल आधार पर निपटान करने का इरादा रखते हैं:

- व्यवसाय का सामान्य क्रम
- चूक की घटना
- आईआईएफसीएल और/या उसके समकक्षों के दिवालियापन या अशोधन क्षमता की घटना

मास्टर नेटिंग व्यवस्था (जैसे आईएसडीक) के साथ डेरिवेटिव परिसंपत्तियों और देयताओं को केवल तभी निवल मूल्य पर प्रस्तुत किया जाता है जब वे उपरोक्त सभी मानदंडों के लिए नेटिंग की पात्रता को पूरा करते हैं, न कि केवल चूक की स्थिति में।

4. आय/व्यय की मान्यता

- 4.1. परिशोधित लागत पर मापे गए सभी वित्तीय लिखतों, बिक्री के लिए उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत ब्याज वाली वित्तीय परिसंपत्तियों और एफवीटीपीएल पर निर्दिष्ट वित्तीय लिखतों के लिए, ब्याज आय या व्यय को आईआईआर का उपयोग करके दर्ज किया जाता है। इस गणना में वित्तीय लिखत की सभी संविदात्मक शर्तों (उदाहरण के लिए, पूर्व भुगतान विकल्प) को ध्यान में रखा जाता है और इसमें कोई भी ऐसा शुल्क या वृद्धिशील लागत शामिल होती है जो सीधे लिखत पर आरोप्य होती है और आईआईआर का एक अभिन्न अंग होती है, लेकिन भावी क्रेडिट

हानियाँ नहीं इसमें शामिल नहीं होती हैं। जब किसी वित्तीय परिसंपत्ति या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का दर्ज मूल्य क्षतिग्रस्तता हानि द्वारा कम हो जाता है, तो क्षतिग्रस्तता हानि को मापने के उद्देश्य से भावी नकदी प्रवाह को छूट देने के लिए उपयोग की जाने वाली ब्याज दर का उपयोग करके ब्याज आय को मान्य किया जाता है।

- 4.2. स्वीकृत ऋणों पर अग्रिम शुल्क आय को उन मामलों में उपार्जन आधार पर आय माना जाएगा जहां आवंटित राशि पर ऋण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- 4.3. कंपनी द्वारा लिए गए ऋणों पर प्रतिबद्धता प्रभार को व्यय के रूप में तब लेखांकित किया जाता है जब ऋण की निकासी ऋण करार के अनुसार स्वीकृत ऋण राशि से कम होती है।
- 4.4. उधारकर्ता के खातों में वसूली संबंधित ऋण करारों के अनुसार विनियोजित की जाती है।
- 4.5. बड़े खातों में डाली गई ऋण परिसंपत्तियों से वसूली को वसूली प्राप्ति के वर्ष में आय के रूप में माना जाता है।
- 4.6. लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर लाभांश को उपार्जन आधार पर लेखांकित किया जाता है। हालाँकि, अंतिम लाभांश प्राप्त करने का अधिकार वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के बाद ही प्राप्त होता है।
- 4.7. पूर्व अवधि से संबंधित आय/व्यय, जो कुल आय के 0.1: से अधिक नहीं है, उसे चालू वर्ष की आय/व्यय माना जाएगा।
- 4.8. आंशिक ऋण वृद्धि गारंटी शुल्क को लेखा वर्ष में प्रोद्भव आधार पर तब मान्य किया जाता है, जब वसूली का उचित अधिकार स्थापित हो जाता है। अग्रिम रूप से प्राप्त कोई भी आंशिक ऋण वृद्धि गारंटी शुल्क स्थगित कर दिया जाता है और उसे प्रोद्भव अवधि में आय के रूप में मान्य किया जाता है।
- 4.9. गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) पर ब्याज/छूट या किसी अन्य शुल्क सहित आय को तभी मान्य किया जाता है जब वह वास्तव में वसूल की जाती है। ऐसी कोई भी आय जो परिसंपत्ति के गैर-निष्पादित होने से पहले मान्य की गई हो और वसूल न की गई हो, उसे उलट दिया जाता है।
- 4.10. आयकर प्रतिदाय पर ब्याज वास्तविक आधार पर लेखांकित किया जाता है, अर्थात् आयकर प्रतिदाय प्राप्ति के वर्ष में इसे आय के रूप में माना जाता है।

5. वित्तीय लिखतें:

5.1. मान्य करना और प्रारंभिक मापन:

कंपनी शुरू में निपटान तारीख पर वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को मान्य करती है। वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता को शुरू में उचित मूल्य के साथ, एफवीटीपीएल पर न होने वाली वस्तु के लिए, ऐसी लेनदेन लागत, जो सीधे उसके अधिग्रहण या निर्गम के लिए जिम्मेदार होती है, पर मापा जाता है।

5.2. वर्गीकरण:

क. वित्तीय परिसंपत्तियां:

कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों में नकदी और नकदी समतुल्य, बैंक बैलेंस, सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के अलावा अन्य कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश, सहायक कंपनियों/कर्मचारियों को दिए गए ऋण, कर्मचारियों को अग्रिम राशि, प्रतिभूति जमा, वसूली योग्य दावे आदि शामिल हैं।

प्रारंभिक मान्यता पर, एक वित्तीय परिसंपत्ति को निम्नलिखित पर वर्गीकृत किया जाता है:

क) परिशोधित लागत:

वित्तीय लिखतों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है, जहां:

- उनके लिए ऐसी संविदात्मक शर्तें होती हैं, जो निर्दिष्ट तारीखों पर नकदी प्रवाह उत्पन्न करती हैं, जो केवल बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज के भुगतान का प्रतिनिधित्व करती हैं, तथा
- वे एक ऐसे व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत धारित की जाती हैं जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्रित करने के लिए धारण करके प्राप्त किया जाता है।

इन लिखतों को शुरू में उचित मूल्य और सीधे तौर पर आरोप्य लेनदेन लागतों पर मान्य किया जाता है, जिसका प्रभाव कुल आय के 0.5: से अधिक होता है। क्रेडिट क्षतिग्रस्तता का मापन टिप्पणी 5.7 वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि में वर्णित तीन-चरणीय अपेक्षित क्रेडिट क्षतिग्रस्तता मॉडल पर आधारित है।

ख) अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य:

वित्तीय लिखतों को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है, जहां:

- उनके लिए ऐसी संविदात्मक शर्तें होती हैं, जो निर्दिष्ट तारीखों पर नकदी प्रवाह करती हैं, जो केवल बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज के भुगतान का प्रतिनिधित्व करती हैं, तथा
- वे एक ऐसे व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत धारित की जाती हैं जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्रित करने और वित्तीय परिसंपत्तियों का विक्रय, दोनों द्वारा प्राप्त किया जाता है।

इन लिखतों को शुरू में उचित मूल्य और सीधे तौर पर जिम्मेदार लेनदेन लागतों पर मान्य किया जाता है और बाद में उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य में परिवर्तन से होने वाले लाभ और हानि को इक्विटी के एक अलग घटक के भीतर अन्य व्यापक आय में शामिल किया जाता है। क्षतिग्रस्तता हानि या रिवर्सल, ब्याज राजस्व और विदेशी मुद्रा लाभ और हानि को लाभ और हानि में मान्य किया जाता है। निपटान के बाद, अन्य व्यापक आय में पहले से मान्य संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से आय विवरण में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। क्रेडिट क्षतिग्रस्तता का मापन तीन-चरण अपेक्षित क्रेडिट क्षतिग्रस्तता मॉडल पर आधारित है जैसा कि परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में लागू होता है।

ग) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य:

- व्यापार के लिए धारित मर्दे;
- संविदात्मक शर्तों वाली ऋण लिखत जो केवल मूलधन और ब्याज के भुगतान का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर धारित वित्तीय लिखतों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है, साथ ही लेन-देन की लागत को आय विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है। इसके बाद, उन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है और किसी भी लाभ या हानि को आय विवरण में मान्य किया जाता है। जहां एक वित्तीय परिसंपत्ति को उचित मूल्य पर मापा जाता है, वहां प्रतिपक्ष की ऋण योग्यता को दर्शाने के लिए एक ऋण मूल्यांकन समायोजन शामिल किया जाता है, जो ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण उचित मूल्य में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है।

व्यापार के लिए धारित वित्तीय लिखतें

किसी वित्तीय लिखत को व्यापार के लिए धारित के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है यदि उसे मुख्य रूप से निकट अवधि में बेचने या पुनर्खरीद करने के उद्देश्य से अधिग्रहित या व्यय किया गया हो, या वह वित्तीय लिखतों के पोर्टफोलियो का हिस्सा हो, जिन्हें एक साथ प्रबंधित किया जाता है और जिसके लिए अल्पावधि लाभ लेने का साक्ष्य हो, या वह एक डेरिवेटिव हो जो अर्हक हेज संबंध में न हो।

इसके अतिरिक्त, प्रारंभिक मान्यता पर, आईआईएफसीएल अपरिवर्तनीय रूप से एक वित्तीय परिसंपत्ति को नामित कर सकता है जो अन्यथा परिशोधित लागत या एफवीओसीआई पर एफवीटीपीएल के रूप में मापे जाने की आवश्यकताओं को पूरा करती है, यदि ऐसा करने से ऐसी कोई लेखांकन विसंगति समाप्त हो जाती है या महत्वपूर्ण रूप से कम हो जाती है जो अन्यथा उत्पन्न हो सकती है।

घ) इक्विटी लिखतें

इक्विटी लिखत में निवेश, जो न तो व्यापार के लिए धारित होता है और न ही आईआईएफसीएल द्वारा मान्य आकस्मिक प्रतिफल के लिए, जिस पर इंड एस 103 व्यवसाय संयोजन लागू होता है, को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है, जहां प्रबंधन द्वारा एक अपरिवर्तनीय चयन किया गया है। अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत राशि बाद में लाभ या हानि में अंतरित नहीं की जाती है। ऐसे निवेशों पर लाभान्श को लाभ या हानि में मान्य किया जाता है जब तक कि लाभान्श स्पष्ट रूप से निवेश की लागत के हिस्से की वसूली का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को एफवीटीपीएल के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।

तदंतर माप

संविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रह के लिए धारित परिसंपत्तियां, जहां वे नकदी प्रवाह केवल मूलधन और ब्याज के भुगतान का प्रतिनिधित्व करते हैं, को परिशोधित लागत पर मापा जाता है। ऋण निवेश पर लाभ या हानि जिसे बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है, उसे लाभ या हानि में मान्य किया जाता है जब परिसंपत्ति को विमान्य कर दिया जाता है या यह क्षतिग्रस्त हो जाती है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके वित्त आय में शामिल किया जाता है, जिसका प्रभाव कुल आय के 0.5% से अधिक होता है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य में परिवर्तन अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्य किए जाते हैं। हालांकि, कंपनी आय विवरण में ब्याज आय, क्षतिग्रस्तता हानि और रिवर्सल और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को मान्य करती है।

पुनर्वर्गीकरण

वित्तीय परिसंपत्तियों को उनकी प्रारंभिक मान्यता के बाद पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है, सिवाय उस अवधि के जब आईआईएफसीएल वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए अपने व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन कर देता है।

ख. वित्तीय देयताएं

कंपनी की वित्तीय देयताएं किसी अन्य इकाई को नकदी या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति सौंपने या किसी अन्य इकाई के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं का आदान-प्रदान करने का संविदात्मक दायित्व है, जो कि कंपनी के लिए संभावित रूप से प्रतिकूल हैं।

वर्गीकरण, प्रारंभिक पहचान और माप

वित्तीय देयताओं को शुरू में उचित मूल्य में से लेनदेन लागत घटाकर मान्य किया जाता है, जो सीधे वित्तीय देयताओं के निर्गम पर आरोप्य होती है, जिसका प्रभाव कुल आय के 0.5% से अधिक होता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागतों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का एक अभिन्न अंग हैं। आय (लेनदेन लागतों का निवल) और मोचन राशि के बीच किसी भी अंतर को ईआईआर का उपयोग करके उधार की अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है।

तदन्तर माप

प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देयताओं को ईआईआर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

लाभ और हानि को लाभ या हानि विवरण में ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से और तब मान्य किया जाता है जब देयताओं को विमान्य कर दिया जाता है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

संविदागत नकदी प्रवाह को केवल मूलधन और ब्याज के भुगतान के रूप में परिभाषित करना:

इस मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए, श्रूलघनश को प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्ति के उचित मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। श्रुजाजश को धनराशि के समय मूल्य और किसी विशेष समय अवधि के दौरान बकाया मूल राशि से जुड़े ऋण जोखिम और अन्य बुनियादी उधार जोखिमों और लागतों (जैसे चलनिधि जोखिम और प्रशासनिक लागत) के साथ-साथ लाभ मार्जिन के लिए प्रतिफल के रूप में परिभाषित किया गया है।

ग. व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) वित्तीय लिखतें:

व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) वित्तीय लिखतें ऐसी संविदाएं होती हैं जिनका मूल्य एक या अधिक अंतर्निहित मूल्य, सूचकांक या अन्य चर से प्राप्त होता है, और आमतौर पर इसमें स्वैप, अग्रिम दर करार, वायदा और विकल्प जैसी लिखत शामिल होती हैं। आईआईएफसीएल विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन के कारण जोखिम को कम करने के लिए हेजिंग संविदाओं की प्रकृति में डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों में प्रवेश करता है, जहां लागू हो, इन संविदाओं के विदेशी मुद्रा उधार में उचित मूल्य पर तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त होती है और उन्हें व्यापार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, सिवाय इसके कि उन्हें प्रभावी हेज संबंध के हिस्से के रूप में नामित किया जाता है और हेजिंग डेरिवेटिव के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। संविदा के पूरे जीवनकाल में डेरिवेटिव का वहन मूल्य उचित मूल्य पर मापा जाता है। जब उचित मूल्य सकारात्मक होता है तो डेरिवेटिव को परिसंपत्तियों के रूप में और जब उचित मूल्य नकारात्मक होता है तो देयताओं के रूप में रखा जाता है।

- क. जहां कहीं भी कंपनी ने वायदा संविदा या कोई लिखत, अर्थात् वायदा विनिमय संविदा में प्रवेश किया है, वायदा विनिमय संविदा की तारीख पर अग्रिम दर और विनिमय दर के बीच अंतर को इंडिएएस-21 के अनुसार संविदा के जीवनकाल में आय या व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।
- ख. विदेशी मुद्रा ऋणों पर ली गई हेजिंग को विदेशी मुद्रा में दिए गए ऋणों (अर्थात् प्राकृतिक हेज) के समायोजन के बाद एफआईएफओ आधार पर समायोजित किया जाता है।
- ग. ब्याज दर स्वैप सहित वायदा विनिमय संविदाओं के निरस्तीकरण या नवीकरण से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को वर्ष के लिए आय या व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।
- घ. कंपनी द्वारा जेपीवाई येन में किए गए ब्याज दर स्वैप लेनदेन के संबंध में, कंपनी तुलन-पत्र तारीख के अनुसार मार्क टू मार्केट हानि दर्शा रही है।
- ङ. वायदा संविदा के आरंभ में स्पॉट विनिमय दर में अंतर के कारण अधिशेष या घाटा तथा हेजिंग संविदा के अनुसार क्रमशः प्रतिपक्ष से वसूले गए या उसे संदत्त अंतर्निहित विदेशी मुद्रा ऋण दायित्व की चुकौती को ऐसे ऋण के चुकौती के समय लाभ या हानि के रूप में मान्य किया जाता है।
- च. विदेशी मुद्रा ऋण (जो एक अंतर्निहित लेनदेन है) और स्वैप संविदा (उपयुक्त ऋणों पर उत्पन्न होने वाली किसी भी हानि के सापेक्ष बचाव हेतु) को अलग-अलग लेनदेन माना जाता है।
- छ. विदेशी मुद्रा उधार को भारतीय लेखांकन मानक (इंडिएएस 21), विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव के अनुसार पुनः वर्णित किया जाता है।

जून, 2015 में आईसीएआई द्वारा जारी व्युत्पन्नी ('डेरिवेटिव) संविदाओं के लिए लेखांकन' पर मार्गदर्शी टिप्पणी को कंपनी द्वारा 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष से लागू किया गया है। रिपोर्टिंग तारीख के अनुसार विदेशी मुद्रा उधार की राशि पर विनिमय दर में कोई भी परिवर्तन पिछली रिपोर्टिंग तारीख से और अवधि के दौरान ड्रॉडाउन उधार की तारीख से, डेरिवेटिव संविदाओं के उचित मूल्य के सापेक्ष सेट-ऑफ किया जाता है और किसी भी लाभ या हानि को नकदी प्रवाह हेज आरक्षिती के रूप में मान्य किया जाता है। डेरिवेटिव संविदाओं का उचित मूल्य संबंधित प्रतिपक्षों द्वारा प्रदान किया जाता है।

मार्गदर्शी टिप्पणी के अनुसार, नकदी प्रवाह हेज के तहत, हेजिंग लिखत को उचित मूल्य पर मापा जाता है, लेकिन कोई भी लाभ या हानि जिसे प्रभावी हेज के रूप में निर्धारित किया जाता है, जैसे कि नकदी प्रवाह हेज आरक्षिती, उसे इविटटी में मान्य किया जाता है। इसका उद्देश्य लाभ और हानि के विवरण में उस अवधि में अस्थिरता से बचना है जब हेज किए गए मद पर लाभ या हानि उसमें प्राप्त नहीं होती है।

5.3. विमान्यीकरण:

वित्तीय परिसंपत्तियां

आईआईएफसीएल किसी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता तब निरस्त कर देता है, जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, या वह ऐसे लेनदेन में संविदात्मक नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकारों को हस्तांतरित कर देता है, जिसमें वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिम और लाभ हस्तांतरित हो जाते हैं, या जिसमें आईआईएफसीएल स्वामित्व के सभी जोखिम और लाभ को न तो हस्तांतरित करता है और न ही अपने पास रखता है, और वह वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण भी नहीं रखता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, ऋण परिसंपत्तियों के मामले में:

- (क) जिन परियोजनाओं में परियोजना प्राधिकरण द्वारा रियायत संविदा (सीए) को समाप्त कर दिया गया है, उस वित्तीय वर्ष में खाते को विमान्य कर दिया जाता है जिसमें संविदा समाप्त की गई है।
- (ख) ऐसी परियोजनाएं जहां रियायत संविदा (सीए) को रियायतग्राही द्वारा समाप्त कर दिया गया है, वहां मामले के गुण-दोष और तथ्यों के आधार पर क्षतिग्रस्तता की जाती है।
- (ग) ऐसे मामलों में जहां परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों आदि से मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रस्ताव के आधार पर वित्तीय परिसंपत्ति का निश्चित मूल्य कुर्क किया जा सकता है, वहां कमी की सीमा तक क्षतिग्रस्तता की जाती है।
- (घ) सामरिक ऋण पुनर्गठन योजना (एसडीआर), दबावग्रस्त परिसंपत्तियों की सतत संरचना के लिए योजना (एस4ए), आरबीआई विनियमों के अनुसार लागू सामरिक ऋण पुनर्गठन (एसडीआर) योजना के बाहर के मामलों के अलावा किसी ऋण परिसंपत्ति और आरबीआई अधिसूचना संख्या आरबीआई/131 डीबीआर संख्या बीपी.बी.ग.101/21.04.048/2017-18 दिनांक 12 फरवरी, 2018 या किसी अन्य परस्पर सहमत पुनर्गठन/निपटान प्रक्रिया के अनुसार वापस ली गई मानी गई ऋण परिसंपत्ति को उस स्थिति में विमान्य कर दिया जाएगा यदि ऋण परिसंपत्ति को 5 वर्ष से अधिक समय के लिए गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है या परियोजना के अनुसूचित वाणिज्यिक संचालन में 4 वर्ष से अधिक की देरी हुई है, जब तक कि ऋण परिसंपत्ति की बिक्री/वसूली के लिए कोई ठोस प्रस्ताव उपलब्ध न हो।

किसी वित्तीय परिसंपत्ति को विमान्य करने पर, परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि (या विमान्य की गई परिसंपत्ति के हिस्से को आबंटित अग्रणीत राशि) और (i) प्राप्त प्रतिफल (किसी नई परिसंपत्ति को प्राप्त करने में से किसी नई देयता को घटाकर) और (ii) ओसीआई में मान्यता प्राप्त किसी संचयी लाभ या हानि के योग के बीच के अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है।

एफवीओसीआई के रूप में नामित इक्विटी निवेश प्रतिभूतियों के संबंध में ओसीआई में मान्य कोई भी संचयी लाभ/हानि, ऐसी प्रतिभूतियों के विमान्य होने पर लाभ और हानि के विवरण में मान्य नहीं होती है। हस्तांतरित वित्तीय परिसंपत्तियों में कोई भी हित जो विमान्य करने के लिए योग्य है जिसे कंपनी द्वारा बनाया या बनाए रखा जाता है उसे एक अलग परिसंपत्ति या देयता के रूप में मान्य किया जाता है।

वित्तीय देयताएं

आईआईएफसीएल वित्तीय दायित्व को तब विमान्य किया जाता है जब उसके संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन या निरस्तीकरण हो जाता है, या उनकी अवधि समाप्त हो जाती है। किसी वित्तीय दायित्व की वहन राशि जिसे समाप्त कर दिया गया है या किसी अन्य पक्ष को हस्तांतरित कर दिया गया है और भुगतान किए गए प्रतिफल के बीच का अंतर, जिसमें हस्तांतरित की गई कोई भी गैर-नकदी परिसंपत्ति या ग्रहण की गई देयताएं शामिल हैं, को लाभ और हानि विवरण में अन्य आय या वित्त लागत के रूप में मान्य किया जाता है।

किसी मौजूदा उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच एकाधिक अलग शर्तों वाली ऋण लिखतों के आदान-प्रदान को मूल वित्तीय दायित्व के उन्मूलन और एक नए वित्तीय दायित्व की मान्यता के रूप में माना जाएगा। इसी तरह, किसी मौजूदा वित्तीय दायित्व या उसके किसी भाग की शर्तों में पर्याप्त संशोधन (चाहे वह देनदार की वित्तीय कठिनाई के कारण हो या न हो) को मूल वित्तीय दायित्व के उन्मूलन और एक नए वित्तीय दायित्व की मान्यता के रूप में माना जाएगा।

5.4. संशोधन:

वित्तीय परिसंपत्तियां

यदि किसी वित्तीय परिसंपत्ति की शर्तों को संशोधित किया जाता है, तो कंपनी यह मूल्यांकन करती है कि संशोधित परिसंपत्ति के नकदी प्रवाह में पर्याप्त अंतर है या नहीं। यदि नकदी प्रवाह में पर्याप्त अंतर है, तो मूल वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के लिए संविदात्मक अधिकार समाप्त हो गए माने जाते हैं। इस मामले में, मूल वित्तीय परिसंपत्ति को विमान्य कर दिया जाता है और उचित मूल्य पर एक नई वित्तीय परिसंपत्ति को मान्य किया जाता है।

यदि परिशोधित लागत पर किए गए संशोधित परिसंपत्ति के नकदी प्रवाह में पर्याप्त अंतर नहीं है, तो संशोधन के परिणामस्वरूप वित्तीय परिसंपत्ति विमान्य नहीं होती है। इस मामले में, कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि की पुनर्गणना करती है और सकल वहन राशि को समायोजित करने से उत्पन्न राशि को लाभ और हानि के विवरण में संशोधन लाभ या हानि के रूप में मान्य करती है। वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि की पुनर्गणना पुनःनिर्धारित या संशोधित संविदात्मक नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य के रूप में की जाएगी, जिसे वित्तीय परिसंपत्ति की मूल प्रभावी ब्याज दर (या खरीदी गई या उत्पन्न क्रेडिट-क्षतिग्रस्त वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए क्रेडिट-समायोजित प्रभावी ब्याज दर) या, जब लागू हो, संशोधित प्रभावी ब्याज दर पर छूट दी जाती है। यदि ऐसा संशोधन उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाइयों के कारण किया जाता है, तो लाभ या हानि को हानि के साथ प्रस्तुत किया जाता है।

5.5. उचित मूल्य मापन

वित्तीय लिखतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उचित मूल्य पर तुलन-पत्र में दर्शाया जाता है।

‘उचित मूल्य’ वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या किसी देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा, जो मापन की तारीख पर बाजार प्रतिभागियों के बीच व्यवस्थित लेनदेन में मुख्य या, इसकी अनुपस्थिति में, सबसे अधिक लाभप्रद बाजार में होता है, जिस तक कंपनी की उस तारीख तक पहुंच होती है। देयता का उचित मूल्य उसके गैर-निष्पादन जोखिम को दर्शाता है।

जब ऐसा कोई उपलब्ध होता है, तो कंपनी उस लिखत के लिए सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य का उपयोग करके लिखत के उचित मूल्य को मापती है। एक बाजार को सक्रिय उस स्थिति में माना जाता है यदि परिसंपत्ति या देयता के लिए लेनदेन पर्याप्त आवृत्ति और मात्रा के साथ होता है ताकि निरंतर आधार पर मूल्य निर्धारण की जानकारी मिल सके।

यदि किसी सक्रिय बाजार में कोई उद्धृत मूल्य नहीं है, तो आईआईएफसीएल मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करता है जो प्रासंगिक अवलोकनीय इनपुट के उपयोग को अधिकतम करता है और अवलोकनीय इनपुट के उपयोग को न्यूनतम करता है। चुनी गई मूल्यांकन तकनीक में वे सभी कारक शामिल होते हैं जिन्हें बाजार प्रतिभागी किसी लेनदेन का मूल्य निर्धारण करते समय ध्यान में रखते हैं।

प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय लिखत के उचित मूल्य का सर्वोत्तम साक्ष्य आम तौर पर लेनदेन मूल्य – अर्थात् दिए गए या प्राप्त किए गए प्रतिफल का उचित मूल्य होता है। यदि आईआईएफसीएल यह निर्धारित करता है कि प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य लेनदेन मूल्य से भिन्न है और उचित मूल्य न तो किसी समान परिसंपत्ति या देयता के लिए सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य द्वारा प्रमाणित है और न ही किसी ऐसे मूल्यांकन तकनीक पर आधारित है जिसके लिए किसी भी अप्राप्य इनपुट को माप के संबंध में महत्वहीन माना जाता है, तो वित्तीय लिखत को प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य पर मापा जाता है, प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य और लेनदेन मूल्य के बीच अंतर को स्थगित करने के लिए समायोजित किया जाता है। इसके बाद, उस अंतर को उचित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है।

मांग विशेषता (जैसे मांग जमा) वाली वित्तीय देयता का उचित मूल्य मांग पर देय राशि है।

अनुद्धृत इक्विटी का उचित मूल्यांकन आईआईएफसीएल के पास उपलब्ध जानकारी की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए नीचे दिए गए दृष्टिकोण, पदानुक्रम के क्रम में जिसमें वे दिखाई देते हैं, के आधार पर किया जाता है:

क. कंपनी के नवीनतम उपलब्ध वित्तीय विवरणों से निवेशित इकाई के विस्तृत मूल्य पर।

ख. यदि नवीनतम वित्तीय विवरण उपलब्ध न हो तो एक रूप पर।

अवसरचना ऋण निधि और वैकल्पिक निवेश निधि की इकाइयों का मूल्यांकन नवीनतम उपलब्ध निवल परिसंपत्ति मूल्य के अनुसार किया जाता है। प्रतिभूति प्राप्ति का मूल्यांकन नवीनतम उपलब्ध निवल परिसंपत्ति मूल्य या बही मूल्य, जो भी कम हो, के अनुसार किया जाता है।

5.6. उचित मूल्य मापन के लिए मूल्यांकन तकनीकें

यह दर्शाने के लिए कि उचित मूल्य कैसे निकाले गए हैं, वित्तीय लिखतों को मूल्यांकन तकनीकों के पदानुक्रम के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जैसा कि नीचे संक्षेप में बताया गया है:

- स्तर 1 वित्तीय लिखतें – वे जहां मूल्यांकन में उपयोग किए जाने वाले इनपुट समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों से असमायोजित उद्धृत मूल्य हैं, जिन तक कंपनी की मापन की तारीख पर पहुंच है। कंपनी बाजारों को तभी सक्रिय मानती है जब समान परिसंपत्तियों या देयताओं की मात्रा और चलनिधि के संबंध में पर्याप्त व्यापारिक गतिविधियां हों और जब तुलन-पत्र तारीख पर बाध्यकारी और प्रयोग करने योग्य मूल्य उद्धरण उपलब्ध हों।
- स्तर 2 वित्तीय लिखतें – वे जहां मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट और महत्वपूर्ण हैं, लिखत के जीवन की पूरी अवधि में उपलब्ध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकनीय बाजार डाटा से प्राप्त होते हैं। ऐसे इनपुट में सक्रिय बाजारों में समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए उद्धृत मूल्य, निष्क्रिय बाजारों में समान लिखतों के लिए उद्धृत मूल्य और उद्धृत मूल्यों के अलावा अन्य अवलोकनीय इनपुट जैसे ब्याज दरें और लब्धि वक्र, निहित अस्थिरता और क्रेडिट स्प्रेड शामिल हैं। इसके अलावा, परिसंपत्ति की स्थिति या स्थान या जिस सीमा तक यह उन वस्तुओं से संबंधित है जो मूल्यांकित लिखत से तुलनीय हैं, के लिए समायोजन की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि, यदि ऐसे समायोजन अप्रमाणित इनपुट पर आधारित हैं जो पूरे माप के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो आईआईएफसीएल लिखतों को स्तर 3 के रूप में वर्गीकृत करेगा।
- स्तर 3 वित्तीय लिखत – वे उपकरण जिनमें एक या एक से अधिक अप्रमाणित इनपुट शामिल होते हैं जो समग्र रूप से मापन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।

5.7. वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षतिग्रस्तता

आईआईएफसीएल वित्तीय परिसंपत्तियों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए अपेक्षित क्रेडिट क्षतिग्रस्तता (ईसीएल) को मापने के लिए तीन-चरणीय दृष्टिकोण लागू करता है, जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं मापा जाता है:

- अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिशोधित लागत और उचित मूल्य पर मापे गए ऋण लिखत;
- ऋण प्रतिबद्धताएं; और
- वित्तीय गारंटी संविदाएं।

इक्विटी निवेश पर कोई ईसीएल मान्यता प्राप्त नहीं है।

प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में परिवर्तन के आधार पर वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित तीन चरणों में वर्गीकृत किया जाता है:

चरण 1: 12 माह का ईसीएल

वे सभी जोखिम जिनमें प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है तथा जो आरंभ से ही ऋण क्षतिग्रस्त नहीं हैं, उन्हें इस चरण के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

चरण 2: आजीवन ईसीएल – जो क्रेडिट क्षतिग्रस्त नहीं हैं

सभी जोखिम जहां प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन क्रेडिट क्षतिग्रस्त नहीं हैं, उन्हें इस चरण के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। 30 दिन बीत जाने पर क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि मानी जाती है।

चरण 3: आजीवन ईसीएल – क्रेडिट क्षतिग्रस्त

जब एक या एक से अधिक ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, जिनका उस परिसंपत्ति के अनुमानित भावी नकदी प्रवाह पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, तो क्रेडिट क्षतिग्रस्त के रूप में मूल्यांकित सभी जोखिम इस चरण में वर्गीकृत किए जाते हैं। ऐसे जोखिम जो क्रेडिट क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनके लिए आजीवन ईसीएल को मान्य किया जाता है और ब्याज राजस्व की गणना सकल वहन राशि के बजाय परिशोधित लागत (प्रावधान के बाद निवल) पर प्रभावी ब्याज दर लागू करके की जाती है।

ऋण परिसंपत्तियों पर अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) की गणना आरबीआई विनियमों के अनुसार प्रावधान आवश्यकताओं की न्यूनतम होगी जो निम्नानुसार है:

- मानक परिसंपत्तियां: बकाया ऋणों पर सामान्य प्रावधान किया जाता है, जिसमें वर्ष के अंत में उपार्जित किंतु अदेय ब्याज पर 0.40% की दर से प्रावधान शामिल है।
- अव-मानक परिसंपत्तियां: कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत का सामान्य प्रावधान किया जाता है।
- संदिग्ध परिसंपत्ति**
 - उस सीमा तक 100 प्रतिशत प्रावधान किया जाता है जहां तक अग्रिम राशि उस प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य से कवर नहीं होती जिसके लिए कंपनी के पास वैध सहायक उपाय है।
 - उपर्युक्त मद (क) के अतिरिक्त, उस अवधि के आधार पर जिसके लिए परिसंपत्ति संदिग्ध रही है, बकाया राशि के प्रतिभूत हिस्से अर्थात् अनुमानित वसूली योग्य मूल्य के 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक का प्रावधान निम्नलिखित आधार पर किया जाता है:

वह अवधि जिसके लिए परिसंपत्ति को संदिग्ध माना गया है	प्रावधान का प्रतिशत
एक वर्ष तक	20
एक से तीन वर्ष	30
तीन वर्ष से अधिक	50

(iv) हानि परिसंपत्तियाँ

संपूर्ण परिसंपत्ति को बड़े खाते में डाल दिया जाता है, तथापि यदि किसी कारणवश परिसंपत्तियों को बहीखातों में ही रहने दिया जाता है, तो बकाया राशि का 100 प्रतिशत प्रावधान किया जाता है।

(v) पुनर्गठित ऋण परिसंपत्तियाँ

निम्नलिखित मामलों में पुनर्गठित मानक परिसंपत्तियों के सापेक्ष प्रावधान आरबीआई के मानदंडों के अनुसार होगा, जिसमें उचित मूल्य में कमी पर प्रावधान भी शामिल होगा:

- 24 जनवरी 2014 से पुनर्गठित परियोजना ऋणों के लिए प्रावधान 5 प्रतिशत की दर से होगा।
- 23 जनवरी 2014 तक सभी कंपनियों के पुनर्गठित बकाया ऋणों का स्टॉक (आरबीआई के अनुसार, बकाया पुनर्गठित ऋण के स्टॉक के मामले में प्रावधान 5 प्रतिशत है)।

वित्तीय परिसंपत्ति के वर्गीकरण के चरण का निर्धारण

प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर, सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को रिपोर्टिंग तारीख और प्रारंभिक मान्यता की तारीख के बीच अपेक्षित जीवन पर होने वाले चूक के जोखिम की तुलना करके प्रारंभिक मान्यता के बाद से जोखिमों के लिए क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि के आधार पर तीन चरणों में वर्गीकृत किया जाता है। कंपनी उचित और समर्थन योग्य जानकारी पर विचार करती है जो इस उद्देश्य के लिए अनुचित लागत या प्रयास के बिना प्रासंगिक और उपलब्ध है।

जैसे-जैसे परिसंपत्ति की गुणवत्ता खराब होती है, जोखिम चरण 1 से चरण 3 की ओर बढ़ता है। यदि, बाद की अवधि में, परिसंपत्ति की गुणवत्ता में सुधार होता है और क्रेडिट जोखिम में पहले से आंकी गई किसी भी महत्वपूर्ण वृद्धि को उलट देता है। 30 दिनों से कम समय के लिए बकाया जोखिम को चरण 1 माना जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान जिन्हें चरण 1 माना जाता है, 12 माह की अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) पर आधारित है। जबकि वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान जिन्हें चरण 2 और चरण 3 माना जाता है, की गणना आजीवन ईसीएल मॉडल के आधार पर की जाती है। जब कोई परिसंपत्ति वसूली योग्य नहीं होती है, तो उसे संबंधित प्रावधान के सापेक्ष विमान्य कर दिया जाता है। ऐसी परिसंपत्तियों को सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होने और हानि की राशि निर्धारित होने के बाद विमान्य किया जाता है।

हालांकि, एक खंडनीय अनुमान है कि चूक तब नहीं होती जब वित्तीय परिसंपत्ति की देय तारीख 90 दिन से अधिक हो जाती है, जब तक कि किसी इकाई के पास यह प्रदर्शित करने के लिए उचित और समर्थनीय जानकारी न हो कि अधिक विलंबित चूक मानदंड अधिक उपयुक्त है। इन उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली चूक की परिभाषा सभी वित्तीय लिखतों पर समान रूप से लागू होती है जब तक कि ऐसी जानकारी उपलब्ध न हो जाए जो प्रदर्शित करती है कि किसी विशेष वित्तीय लिखत के लिए चूक की कोई अन्य परिभाषा अधिक उपयुक्त है।

तदनुसार, यदि निम्नलिखित में से कोई भी घटना घटित होती है तो खाते को क्रेडिट क्षतिग्रस्त माना जाएगा और इसलिए उसे चरण 3 में ले जाया जाएगा:

- खाते की देय तारीख 90 दिन से अधिक हो चुकी है (डीपीडी);
- आईआईएफसीएल ऋण दायित्व के संकटपूर्ण पुनर्गठन के लिए सहमति देता है, जहां इसके परिणामस्वरूप मूलधन, ब्याज या (जहां प्रासंगिक हो) शुल्क की भौतिक छूट या स्थगन के कारण वित्तीय दायित्व में कमी आने की संभावना हो।

बकाया दिनों (डीपीडी) की गणना उन दिनों की संख्या के आधार पर की जाती है, जब ब्याज और/या मूलधन का भुगतान नहीं किया जाता है, बिल अतिदेय रहता है, खाता लगातार सीमा/आहरण क्षमता से अधिक रहता है, या खाते में जमा राशि, खाते में लगाए गए ब्याज से कम होती है।

न्यून क्रेडिट जोखिम धारणा

इंड एस 101 – 'वित्तीय लिखत' में उल्लेख किया गया है कि किसी वित्तीय लिखत पर ऋण जोखिम अनुच्छेद 5.5.10 के प्रयोजनों के लिए कम माना जाता है, यदि वित्तीय लिखत में चूक का जोखिम कम है, उधारकर्ता के पास निकट अवधि में अपने संविदात्मक नकदी प्रवाह दायित्वों को पूरा करने की मजबूत क्षमता है और लंबी अवधि में आर्थिक और व्यावसायिक स्थितियों में प्रतिकूल परिवर्तन उधारकर्ता की अपने संविदात्मक नकदी प्रवाह दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को कम, किंतु कम करना आवश्यक नहीं होगा, कर सकते हैं। (अनुच्छेद ख 5.5.22) इसके अलावा, जबकि इसमें न्यून क्रेडिट जोखिम के रूप में 'निवेश ग्रेड' की बाहरी रेटिंग का उदाहरण दिया गया है, इसमें अभिस्वीकृत किया गया है कि वित्तीय लिखतों को न्यून क्रेडिट जोखिम वाली लिखत माने जाने के लिए बाहरी रूप से रेटिंग किए जाने की आवश्यकता नहीं है (अनुच्छेद ख 5.5.23)।

तदनुसार, किसी लिखत को निम्नलिखित परिस्थितियों में न्यून क्रेडिट जोखिम वाली लिखत माना जाता है:

- शून्य विनियामक जोखिम भार द्वारा इंगित शून्य अप्रत्याशित हानिरू यह देखते हुए कि विनियामक जोखिम-भार के अनुसार अनुमानित अप्रत्याशित हानि 0 प्रतिशत है, अपेक्षित हानि भी शून्य होगी। ऐसे मामलों में ईसीएल शून्य होगी। ऐसे परिसंपत्ति वर्गों के उदाहरण "एए" या उससे बेहतर की अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग वाले घरेलू सर्वश्रेष्ठ, विदेशी सर्वश्रेष्ठ हैं।
- 20 प्रतिशत विनियामक जोखिम भार द्वारा यथाइंगित न्यून अप्रत्याशित हानि: 20% के जोखिम-भार के अनुरूप पोर्टफोलियो के लिए न्यून अप्रत्याशित हानि को देखते हुए, इनमें अपेक्षित हानि भी बहुत कम होगी। हालांकि, ईसीएल नैर-शून्य हो सकता है, या अनुभवजन्य साक्ष्य दिखा सकते हैं कि ऐसे परिसंपत्ति वर्ग/पोर्टफोलियो के लिए चूक दर शून्य है। ऐसे परिसंपत्ति वर्गों के उदाहरण "ए" की अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग वाली विदेशी सर्वश्रेष्ठ, घरेलू अनुसूचित आईआईएफसीएल (पूजी पर्याप्तता की विनियामक आवश्यकता को पूरा न करने वाली कंपनियाँ न्यून ऋण जोखिम वाली नहीं हैं), बाहरी रूप से रेटेड घरेलू "एएए" कॉर्पोरेट, स्टाफ ऋण हैं। इन पोर्टफोलियो के लिए देखी गई चूक दरें भी शून्य हैं।

विवरणों के अनुसार, सभी स्टाफ ऋणों को न्यून क्रेडिट जोखिम वाला माना गया है।

प्रयुक्त पोर्टफोलियो में विभाजन का स्तर

जोखिम मापदंडों के अनुप्रयोग के उद्देश्य से विभाजन को आंतरिक रेटिंग आधारित (आईआरख) मॉडल के साथ संरेखित किया गया है। हालांकि, भावी अनुमानों के लिए, आईआईएफसीएल इनमें से कुछ उप-पोर्टफोलियो को व्यापक श्रेणियों में समूहित करने या कुछ मामलों में उन्हें सामान्य जोखिम चालकों के आधार पर उप-खंडों में विभाजित करने का विकल्प चुन सकता है।

ईसीएल का मापन

ईसीएल अपेक्षित हानि के निष्पक्ष और संभाव्यता-भारित अनुमानों से प्राप्त होते हैं, और इन्हें निम्न प्रकार से मापा जाता है:

- वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो रिपोर्टिंग तारीख पर क्रेडिट-क्षतिग्रस्त नहीं हैं: प्रभावी ब्याज दर द्वारा छूट दी गई वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवनकाल में सभी नकदी की कमी के वर्तमान मूल्य के रूप में। नकदी की कमी संविदा के अनुसार आईआईएफसीएल को मिलने वाले नकदी प्रवाह और आईआईएफसीएल को मिलने वाले नकदी प्रवाह के बीच का अंतर है।
- वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो रिपोर्टिंग तारीख पर ऋण-क्षतिग्रस्त हैं: सकल वहन राशि और प्रभावी ब्याज दर द्वारा छूट प्राप्त अनुमानित भावी नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य के बीच अंतर के रूप में।
- अप्रयुक्त ऋण प्रतिबद्धताएं: संविदागत नकदी प्रवाह, जो प्रतिबद्धता के समाप्त होने पर आईआईएफसीएल को देय है, तथा नकदी प्रवाह, जो आईआईएफसीएल को प्राप्त होने की उम्मीद है, के बीच अंतर के वर्तमान मूल्य के रूप में।
- वित्तीय गारंटी संविदा: धारक को प्रतिपूर्ति के लिए अपेक्षित भुगतान में से वह राशि घटा दी जाती है, जिसकी वसूली आईआईएफसीएल को अपेक्षित होती है।

ईसीएल को लाभ और हानि विवरण में अशोध्य और संदिग्ध ऋण खाते के लिए प्रावधान का उपयोग करके मान्य किया जाता है। अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए ऋण साधनों के मामले में, ईसीएल का माप तीन-चरणीय दृष्टिकोण पर आधारित है जैसा कि परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों पर लागू होता है। आईआईएफसीएल लाभ और हानि में प्रावधान प्रभारों को मान्य करता है, अन्य व्यापक आय में मान्य इसी राशि के साथ, तुलन-पत्र में परिसंपत्ति की वहन राशि में कोई कमी नहीं करता है।

क्षतिग्रस्तता आरक्षित निधि:

दिनांक 13 मार्च 2020 के आरबीआई परिपत्र आरबीआई/2019-20/170 के अनुसार, आईआईएफसीएल इंड एस द्वारा अपेक्षित क्षतिग्रस्तता भत्ते रखेगा। समानांतर रूप से आईआईएफसीएल आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) पर मौजूदा

विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण और गणना प्रावधानों को भी बनाए रखेगा, जिसमें उधारकर्ता/लामार्थी वार वर्गीकरण, मानक और साथ ही पुनर्गठित परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान, एनपीए एजेइंग आदि शामिल हैं।

जहां इंड एस 109 के तहत क्षतिग्रस्तता भत्ता आईआरएसीपी (मानक परिसंपत्ति प्रावधान सहित) के तहत आवश्यक प्रावधान से कम है, वहां आईआईएफसीएल को कर पश्चात् अपने निवल लाभ या हानि से अंतर को एक अलग क्षतिग्रस्तता आरक्षिती में विनियोजित करना आवश्यक है। क्षतिग्रस्तता आरक्षिती में शेष राशि को विनियामक पूंजी के लिए नहीं गिना जाएगा। इसके अलावा, आरबीआई के पर्यवेक्षण विभाग से पूर्व अनुमति के बिना इस आरक्षिती से कोई निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5.8. त्वरित प्रावधान

आईआईएफसीएल, एक विवेकपूर्ण ऋणदाता के रूप में, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के तहत किए जाने वाले सामान्य प्रावधान/इंड एस 109 के अनुसार परिकल्पित अपेक्षित क्रेडिट क्षतिग्रस्तता (ईसीएल) के अतिरिक्त, परिसंपत्ति वर्गीकरण के आधार पर प्रतिभूत/अप्रतिभूत भागों के लिए निर्धारित प्रतिशत लागू करने के संदर्भ में, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है, अपेक्षित वसूली परिदृश्य के आधार पर, मामला-दर-मामला आधार पर त्वरित प्रावधान पर विचार करता है।

ऐसे अपवादात्मक मामलों में त्वरित प्रावधान प्रस्तावित हैं, जिसमें आरबीआई के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रावधान पर्याप्त हो सकता है, लेकिन प्रबंधन के अनुसार ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जो वसूली की संभावनाओं को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे मामलों में, प्रबंधन विवेकपूर्ण उपाय के रूप में त्वरित प्रावधान पर मामला-दर-मामला आधार पर निगरानी करता है।

त्वरित प्रावधान मोटे तौर पर निम्नलिखित मापदंडों पर निर्भर करता है:

- परियोजना की स्थिति
- प्रमोटर की निधियों को निवेश करने की क्षमता
- मूल प्रतिभूति, नकदी प्रवाह और रियायतें उपलब्ध
- पुनर्प्राप्ति के लिए संघ द्वारा उठाए गए कदम
- प्रबंधन की अवधारणा

खाते में किया जाने वाला प्रावधान ऊपर उल्लिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए 10 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक है।

6. पट्टा (लीजिंग)

प्रचालन पट्टे के अंतर्गत पट्टा मुग्तान कौ पट्टा अवधि के दौरान ऋजु रेखा के आधार पर लाभ और हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

7. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को अधिग्रहण की लागत पर दर्शाया गया है, जिसमें दिन-प्रतिदिन की सर्विसिंग की लागत शामिल नहीं है, तथा संचित मूल्य ह्रास और मूल्य में संचित हानि को घटाया गया है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को निपटान पर या जब इसके उपयोग से कोई भावी आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो, विमान्य कर दिया जाता है। परिसंपत्ति को विमान्य करने पर होने वाला कोई भी लाभ या हानि (जिसकी गणना निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में की जाती है) को परिसंपत्ति को विमान्य करने की तारीख पर लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है।

8. अमूर्त परिसंपत्तियाँ और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

अलग से अर्जित अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत पर आरंभिक मान्यता के आधार पर मापा जाता है। आरंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत में से संचित परिशोधन और संचित क्षतिग्रस्तता हानि, यदि कोई हो, घटाकर रखा जाता है।

पहले से पूंजीकृत अमूर्त परिसंपत्तियों पर अनुवर्ती व्यय को तब पूंजीकृत किया जाता है जब यह मौजूदा परिसंपत्ति में सन्निहित भावी आर्थिक लाभों को बढ़ाता है तथा इसे भावी रूप से परिशोधित किया जाता है।

आंतरिक उपयोग के लिए अधिग्रहीत सॉफ्टवेयर (जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है) की लागत, जिसके परिणामस्वरूप भविष्य में महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ होता है, को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में मान्य किया जाता है, जब वह उपयोग के लिए तैयार हो जाता है।

विकास पर व्यय को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में मान्य किया जाएगा यदि वह इंड एस 38 "अमूर्त परिसंपत्ति" के अनुसार पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, अन्यथा इसे व्यय के रूप में मान्य किया जाएगा।

अमूर्त परिसंपत्ति की एक मद को निपटान पर या जब उसके उपयोग या निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो, विमान्य कर दिया जाता है। अमूर्त परिसंपत्ति को विमान्य करने से होने वाले लाभ या हानि को निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है और परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

9. मूल्यह्रास/परिशोधन

मूल्यह्रास की गणना परिसंपत्ति और लिखतों की लागत को उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर उनके अवशिष्ट मूल्यों पर लिखने की विधि मूल्य पद्धति का उपयोग करके की जाती है। उपयोगी जीवन को कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार माना जाता है।

आईआईएफसीएल के कार्यालय परिसर को 30 वर्ष की पट्टा अवधि के लिए परिशोधित किया गया है।

अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत को उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर उनके अवशिष्ट मूल्यों पर अंकित करने के लिए ऋजु रेखा पद्धति का उपयोग करके परिशोधन की गणना की जाती है। पट्टे की परिसंपत्ति के मामले में, अनुमानित उपयोगी जीवन की गणना पट्टे की अवधि की समाप्ति के आधार पर की जाती है।

अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन या तो सीमित या अनिश्चित माना जाता है। सीमित जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन उपयोगी आर्थिक जीवन पर किया जाता है। सीमित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्ति के लिए परिशोधन अवधि और परिशोधन विधि की समीक्षा कम से कम प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन में परिवर्तन, या परिसंपत्ति में निहित भावी आर्थिक लाभों के उपभोग के अपेक्षित पैटर्न को, उचित रूप से परिशोधन अवधि या कार्यप्रणाली में परिवर्तन करके लेखांकित किया जाता है, जिसे तब लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन के रूप में माना जाता है। सीमित जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन व्यय को आय विवरण में एक अलग लाइन मद के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

अनुसूची III के अनुसार उपयोगी जीवन

परिसंपत्ति विवरण	अनुमानित उपयोगी जीवन	मूल लागत के प्रतिशत के रूप में अवशिष्ट मूल्य
भवन	30 वर्ष	—
कंप्यूटर और डाटा प्रोसेसिंग इकाइयाँ		
— लैपटॉप/कंप्यूटर	3 वर्ष	5 प्रतिशत
— सर्वर	6 वर्ष	5 प्रतिशत
कार्यालय उपकरण	5 वर्ष	5 प्रतिशत
फर्नीचर व फिक्सचर	10 वर्ष	5 प्रतिशत
वाहन	8 वर्ष	5 प्रतिशत
अमूर्त परिसंपत्ति	5 वर्ष	5 प्रतिशत

10. गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षतिग्रस्तता

आईआईएफसीएल प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर यह पता लगाने के लिए मूल्यांकन करता है कि क्या कोई गैर-वित्तीय परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। मूल्यांकन के अनुसार निर्धारित की गई क्षतिग्रस्तता को व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

11. सात्वना पत्रा (लेटर ऑफ कम्फर्ट्स (एलओसी))

व्यवसाय के सामान्य क्रम में, आईआईएफसीएल बैंकों को कम्फर्ट लेटर (एलओसी) जारी करता है, जो आम तौर पर लाभार्थियों के पक्ष में उधारदाताओं की ओर से ऋण पत्र/वित्तीय गारंटी जारी करने के लिए संघ के सदस्यों को होता है। एलओसी को शुरू में वित्तीय विवरणों में "अन्य देयताओं" के अंतर्गत उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है, जो कि प्राप्त प्रीमियम होता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, प्रत्येक गारंटी के तहत आईआईएफसीएल की देनदारी को शुरू में मान्यता दी गई राशि से आय विवरण में मान्यता प्राप्त संचयी परिशोधन घटाकर, और गारंटी के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले किसी भी वित्तीय दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक व्यय के सर्वोत्तम अनुमान में से जो भी अधिक हो, उसके आधार पर मापा जाता है। वित्तीय गारंटियों से संबंधित देनदारी में कोई भी वृद्धि आय विवरण में क्रेडिट क्षतिग्रस्तता व्यय में दर्ज की जाती है। प्राप्त प्रीमियम को आय विवरण में गारंटी के जीवनकाल में ऋजु रेखा के आधार पर निवल शुल्क और कमीशन आय के रूप में मान्य किया जाता है।

12. प्रावधान और आकस्मिकताएं

प्रावधान तब मान्य किए जाते हैं जब आईआईएफसीएल के पास विगत घटनाओं के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, और यह संभावना है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। जब धनराशि के समय मूल्य का प्रभाव मौलिक होता है, तो आईआईएफसीएल देयता के लिए विशिष्ट वर्तमान दरों को दर्शाते हुए कर-पूर्व दर पर अपेक्षित नकदी प्रवाह को छूट देकर प्रावधान के स्तर को निर्धारित करता है। किसी भी प्रावधान से संबंधित व्यय को अन्य प्रचालन व्यय में किसी भी प्रतिपूर्ति के निवल लाभ और हानि के विवरण में प्रस्तुत किया जाता है।

आकस्मिक देयता को तब मान्य और प्रकट किया जाता है जब:

क) किसी विगत घटना से उत्पन्न संभावित दायित्व, जिसके अस्तित्व की पुष्टि समूह के नियंत्रण में न आने वाली एक या अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं के घटित होने या न होने से होगी; या

(ख) किसी विगत घटना से उत्पन्न वर्तमान दायित्व, जिसे मान्य नहीं किया गया है, क्योंकि यह सम्भावना नहीं है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता होगी या दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व हो जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना बहुत कम हो, तो कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्य नहीं किया जाता है। हालाँकि, आकस्मिक परिसंपत्तियों का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है और यदि यह लगभग निश्चित है कि आर्थिक लाभ का प्रवाह उत्पन्न होगा, तो परिसंपत्ति और संबंधित आय को उस अवधि में मान्य किया जाता है जिसमें परिवर्तन होता है।

प्रतिबद्धताओं में ग्राहक को उधार देने के लिए करारों के अनुसार ऋण प्रदान करने की बाध्यकारी प्रतिबद्धताएं शामिल हैं, जब तक कि संविदा में स्थापित किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं होता है।

13. आय पर कर

13.1 चालू कर

वर्तमान और पिछले वर्षों के लिए चालू कर परिसंपत्तियों और देयताओं को कराधान प्राधिकरणों से वसूल की जाने वाली या उन्हें भुगतान की जाने वाली राशि पर मापा जाता है। राशि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कर दरें और कर कानून वे हैं जो भारत में रिपोर्टिंग तारीख तक अधिनियमित हैं, या मूल रूप से अधिनियमित हैं, जहां आईआईएफसीएल संचालित होता है और कर योग्य आय उत्पन्न करता है।

इक्विटी में सीधे तौर पर मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित वर्तमान आयकर को इक्विटी में मान्य किया जाता है, न कि लाभ या हानि के विवरण में। प्रबंधन समय-समय पर उन स्थितियों के संबंध में कर विवरणी में ली गई स्थितियों का मूल्यांकन करता है जिनमें लागू कर विनियम व्याख्या के अधीन होते हैं और जहां उपयुक्त हो, वहां प्रावधान स्थापित करता है।

13.2 आस्थगित कर

कंपनी के वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देयताओं की वहन राशि और कर योग्य लाभ की गणना में उपयोग किए जाने वाले संगत कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर पर आस्थगित कर को मान्य किया जाता है और तुलन-पत्र देयता पद्धति का उपयोग करके इसका लेखांकन किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को आम तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर घाटे और अप्रयुक्त कर क्रेडिट के लिए इस सीमा तक मान्य किया जाता है कि यह संभावित है कि भावी कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिनके सापेक्ष उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर घाटे और अप्रयुक्त कर क्रेडिट का उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की प्रत्येक तुलन-पत्र तारीख पर समीक्षा की जाती है और इस सीमा तक घटा दी जाती है कि यह अब संभावित नहीं है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिनके सापेक्ष अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को उन कर दरों पर मापा जाता है, जो उस अवधि में लागू होने की उम्मीद होती है, जिसमें देयता का निपटारा किया जाता है या परिसंपत्ति की प्राप्ति होती है, जो उन कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित होती है, जिन्हें तुलन-पत्र की तारीख तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है।

14. प्रति शेयर कमाई (अर्जन) (ईपीएस)

आईआईएफसीएल अपने साधारण शेयरों के लिए मूल और तनुकृत ईपीएस डाटा प्रस्तुत करता है। मूल ईपीएस की गणना आईआईएफसीएल के इक्विटी शेयरधारकों को होने वाले लाभ या हानि को अवधि के दौरान बकाया साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। तनुकृत ईपीएस का निर्धारण इक्विटी शेयरधारकों को होने वाले लाभ या हानि और सभी तनुकृत संभावित साधारण शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित बकाया साधारण शेयरों की भारित-औसत संख्या को समायोजित करके किया जाता है, जिसमें कर्मचारियों को दिए गए शेयर विकल्प शामिल होते हैं।

15. कर्मचारी हितलाभ

15.1 सभी अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभों को उस लेखा अवधि में उनकी बिना छूट वाली राशि पर मान्य किया जाता है जिसमें वे व्यय किए गए हैं।

15.2 कर्मचारियों के पारिश्रमिक से भविष्य निधि के लिए कटौती की गई राशि और उस पर नियोजित का अंशदान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (आरपीएफओ) के पास जमा किया जाता है।

15.3 एनपीएस वाली परिभाषित अंशदान योजनाओं के अंतर्गत कर्मचारी हितलाभ को कंपनी द्वारा योजना में अंशदान करने के लिए छूट रहित दायित्व पर मान्य किया जाता है। इसका भुगतान आईडीबीआई बैंक को किया जाता है, जो एनपीएस सुविधा के लिए प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) सेवा प्रदाता है और इसे अवधि के अनुसार व्यय किया जाता है।

15.4 सभी सेवोपरांत और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभों को उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है जिसमें कर्मचारी ने सेवाएं दी हैं। व्यय को देय राशि के वर्तमान मूल्य पर मान्य किया जाता है, जिसे बीमाकिक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।

15.5 सेवा समाप्ति लाभों को तत्काल व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

15.6 बीमाकिक मूल्यांकन से उत्पन्न लाभ या हानि को उस अवधि में मान्य किया जाता है जिसमें वे अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में घटित होते हैं।

15.7 कर्मचारी हितलाभ दायित्व अर्थात् रुग्णता अवकाश, छुट्टी यात्रा रियायत और चिकित्सा सहायता योजना का प्रावधान इनके बीमाकिक मूल्यांकन पर रिपोर्टिंग की तारीख तक की अवधि के लिए किया गया है।

15.8 आईआईएफसीएल कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी फंड के नाम पर ट्रस्ट के माध्यम से समूह ग्रेच्युटी योजना पर एलआईसी को देय राशि के आधार पर ग्रेच्युटी का प्रावधान किया गया है।

15.9 एलआईसी समूह छुट्टी नकदीकरण योजना के अंतर्गत देय राशि के आधार पर छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान किया गया है।

15.10 कार्यकारी निदेशकों के छुट्टी नकदीकरण, ग्रेच्युटी और रुग्णता अवकाश के लिए प्रावधान, जहां भी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार लागू होता है, उपार्जित होता है और देयता की अनुमानित राशि के आधार पर किया जाता है।

16. महत्वपूर्ण लेखांकन अवधारणाएं और अनुमान

आईआईएफसीएल की लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग के लिए निर्णय, अनुमान और मान्यताओं का उपयोग करना आवश्यक है। यदि अलग-अलग अवधारणाएं या अनुमान लागू किए गए, तो परिणामी मूल्य परिवर्तित हो जाएंगे, जिससे आईआईएफसीएल की निवल परिसंपत्ति और आय प्रभावित होगी। प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर की गई अवधारणाएं उस तारीख पर सर्वोत्तम अनुमानों पर आधारित होती हैं। हालांकि आईआईएफसीएल के पास आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ हैं जो यह सुनिश्चित करती हैं कि अनुमान विश्वसनीय रूप से मापे गए हैं, वास्तविक राशियाँ उन अनुमानों से भिन्न हो सकती हैं।

अनुमानों और अंतर्निहित अवधारणाओं की निरंतर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन उस अवधि में मान्य होते हैं जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं और भविष्य की किसी भी अवधि में प्रभावित होते हैं। लेखांकन नीतियाँ जो निर्णय, अनुमान और अवधारणाओं के उपयोग के लिए सबसे अधिक संवेदनशील हैं, नीचे निर्दिष्ट की गई हैं।

• उचित मूल्य मापन

वित्तीय लिखतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा तुलन-पत्र में उचित मूल्य पर दर्शाया जाता है। उचित मूल्य वह मूल्य है जो मापन की तारीख पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में किसी परिसंपत्ति को बेचने या देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। जहां किसी वित्तीय परिसंपत्ति या देयता के वर्गीकरण के परिणामस्वरूप इसे उचित मूल्य पर मापा जाता है, जहां भी संभव हो, उचित मूल्य को सबसे अधिक लाभप्रद सक्रिय बाजार में उद्धृत बोली या प्रस्ताव मूल्य के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है, जिस तक आईआईएफसीएल की तत्काल पहुंच है। उचित मूल्य में क्रेडिट जोखिम के लिए समायोजन भी शामिल किया जाता है। एक सक्रिय बाजार में उद्धृत एक निवल खुली स्थिति के लिए उचित मूल्य जो एक वित्तीय देयता है, वर्तमान प्रस्ताव मूल्य है, और एक वित्तीय परिसंपत्ति के लिए बोली मूल्य, धारित या जारी किए गए लिखत की इकाइयों की संख्या से गुणा किया जाता है। जहां किसी विशेष परिसंपत्ति या देयता के लिए कोई सक्रिय बाजार मौजूद नहीं है, आईआईएफसीएल उचित मूल्य पर पहुंचने के लिए एक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करता है, जिसमें हाल ही में आर्म्स लेन देन में प्राप्त लेन देन की कीमतों का उपयोग, छूट वाले नकदी प्रवाह विश्लेषण, विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल और अन्य मूल्यांकन तकनीकें शामिल हैं, जो रिपोर्टिंग तारीख पर मौजूद बाजार स्थितियों और जोखिमों पर आधारित हैं। ऐसा करने में, उचित मूल्य का अनुमान एक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके लगाया जाता है जो अवलोकनीय बाजार इनपुट का अधिकतम उपयोग करता है और इकाई-विशिष्ट इनपुट पर न्यूनतम निर्भरता रखता है। प्रारंभिक मान्यता पर किसी वित्तीय लिखत के उचित मूल्य का सबसे अच्छा साक्ष्य लेन देन मूल्य (अर्थात् दिए गए या प्राप्त किए गए प्रतिफल का उचित मूल्य) है जब तक कि उस लिखत का उचित मूल्य उसी लिखत में अन्य अवलोकनीय वर्तमान बाजार लेन देन के साथ तुलना करके (अर्थात् बिना संशोधन या पुनः पैकेजिंग के) या एक मूल्यांकन तकनीक के आधार पर प्रमाणित न हो, जिसके चर में केवल अवलोकनीय बाजारों से डाटा शामिल हो। जब ऐसा साक्ष्य मौजूद होता है, तो आईआईएफसीएल प्रारंभिक मान्यता (अर्थात् पहले दिन) पर लाभ या हानि में लेन देन मूल्य और उचित मूल्य के बीच अंतर को मान्य करता है।

• ऋण और अग्रिम पर क्षतिग्रस्तता प्रभाव

ऋण और अग्रिमों के लिए क्षतिग्रस्तता का निर्धारण करते समय भावी नकदी प्रवाह की राशि और समय के अनुमान में प्रबंधन द्वारा निर्णय की आवश्यकता होती है। इन नकदी प्रवाहों का अनुमान लगाने में, आईआईएफसीएल उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति और संपात्तिक के निवल वसूली योग्य मूल्य के बारे में निर्णय लेता है। ये अनुमान कई कारकों के बारे में अवधारणाओं पर आधारित हैं और वास्तविक परिणाम भिन्न हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप क्षतिग्रस्तता भत्ते में भावी परिवर्तन हो सकते हैं। क्षतिग्रस्तता के सामूहिक मूल्यांकन में ऋण पोर्टफोलियो (जैसे क्रेडिट गुणवत्ता, बकाया राशि का स्तर, क्रेडिट उपयोग, संपात्तिक अनुपात आदि) से डाटा और जोखिम और आर्थिक डाटा (बेरोजगारी के स्तर, रियल एस्टेट मूल्य सूचकांक, देश जोखिम और विभिन्न व्यक्तिगत समूहों के प्रदर्शन सहित) के संकेंद्रण को ध्यान में रखा जाता है।

• क्रेडिट क्षतिग्रस्तता के अलावा अन्य प्रावधान

भावी दायित्वों जैसे कि कर्मचारी अधिकार, पुनर्गठन लागत और मुकदमेबाजी प्रावधानों के संबंध में प्रावधान रखे जाते हैं। कुछ प्रावधानों में विभिन्न घटनाओं के संभावित परिणाम और अनुमानित भावी नकदी प्रवाह के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। इन प्रावधानों के मापन में लेन-देन के अंतिम परिणामों के बारे में प्रबंधन के निर्णयों का प्रयोग शामिल है। एक वर्ष से अधिक समय के बाद होने वाले भुगतानों को उस दर पर छूट दी जाती है जो वर्तमान ब्याज दरों और उस प्रावधान के लिए विशिष्ट जोखिमों दोनों को दर्शाती है।

• ऋण और अग्रिम

ऋण और अग्रिम राशि को शुरु में उचित मूल्य और वृद्धिशील प्रत्यक्ष लेन देन लागत के आधार पर मापा जाता है, और बाद में प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए उनकी परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

17. उधार और ऋण प्रतिभूतियाँ

उधार और निर्गत ऋण प्रतिभूतियों को शुरु में उचित मूल्य में से वृद्धिशील प्रत्यक्ष लेन देन लागत घटाकर मापा जाता है, और बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए उनकी परिशोधित लागत पर मापा जाता है, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां समूह ने देयताओं को एफवीटीपीएल पर निर्दिष्ट किया है।

18. उधारी लागत

विदेशी मुद्रा उधार पर विनिमय अंतर लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया जाता है। स्थानीय मुद्रा उधार पर ब्याज और विदेशी मुद्रा उधार पर ब्याज के बीच के अंतर से अधिक नहीं होने वाले विनिमय अंतर की राशि को उधार लागत के रूप में माना जाता है और इसे इंड एस 23 – उधार लागत के तहत दर्ज किया जाता है और शेष विनिमय अंतर, यदि कोई हो, को इंड एस 21 – विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव के तहत दर्ज किया जाता है।

इस प्रयोजन के लिए, स्थानीय मुद्रा उधार के लिए ब्याज दर को कंपनी द्वारा लिए गए बैंक ओवरड्राफ्ट की दर के समान माना जाता है।

19. सहायक कंपनी में निवेश

सहायक कंपनी, कंपनी द्वारा नियंत्रित एक इकाई है। नियंत्रण तब होता है जब कंपनी के पास इकाई पर अधिकार होता है, वह इकाई के साथ अपनी भागीदारी से परिवर्तनीय रिटर्न के लिए एक्सपोज होती है या अधिकार रखती है और इकाई पर अपने अधिकार का उपयोग करके उन रिटर्न को प्रभावित करने की क्षमता रखती है।

अधिकार का प्रदर्शन मौजूदा अधिकारों के माध्यम से होता है जो प्रासंगिक गतिविधियों को निर्देशित करने की क्षमता प्रदान करते हैं, जो इकाई के रिटर्न को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।

सहायक कंपनियों में निवेश लागत पर किया जाता है। लागत में निवेश प्राप्त करने के लिए मुग्तान की गई कीमत और सीधे तौर पर देय लागत शामिल होती है।

इंड एस में परिवर्तन की तारीख पर, कंपनी ने पिछले जीएपी के अनुसार सहायक कंपनियों में निवेश के वहन मूल्य को इंड एस 101 के अनुसार अनुमानित लागत माना है।

20. विदेशी मुद्रा लेनदेन

20.1 विदेशी मुद्रा में व्यय और आय का लेखांकन लेनदेन की तारीख को प्रचलित बैंकों की विनिमय दरों पर किया जाता है।

20.2 निम्नलिखित शेष राशियों को खातों के बंद होने की तारीख को प्रचलित विनिमय दरों (आरबीआई संदर्भ दरों) पर भारतीय मुद्रा में परिवर्तित किया गया है:

(क) क्रमशः स्वीकृत विदेशी मुद्रा ऋण और विदेशी मुद्रा उधार पर उपार्जित परंतु अदेय आय या व्यय।

(ख) विदेशी मुद्रा में जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट के संबंध में आकस्मिक देयता।

20.3 विदेशी मुद्रा ऋण देयता को रिपोर्टिंग तारीख पर प्रचलित आरबीआई संदर्भ दर पर भारतीय मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। विनिमय अंतर को लेखांकन मानक 11, विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव के अनुसार लाभ और हानि विवरण में प्रभावित किया जाता है।

20.4 विदेशी मुद्रा ऋण परिसंपत्तियों, देयताओं और उपार्जित/उपार्जित किन्तु अदेय आय एवं व्यय पर वास्तविक/संपरिवर्तन लाभ/हानि (निवल) को लाभ और हानि विवरण में क्रेडिट/प्रभावित किया जाता है।

21. व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) लेखांकन

21.1 जहां कहीं भी कंपनी ने वायदा संविदा या किसी लिखत अर्थात् वायदा विनिमय संविदा में प्रवेश किया है, वायदा विनिमय संविदा की तारीख पर वायदा दर और विनिमय दर के बीच अंतर को इंड एस -21 के अनुसार संविदा के जीवनकाल में आय या व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

21.2 विदेशी मुद्रा ऋणों पर ली गई हेजिंग को विदेशी मुद्रा में दिए गए ऋणों (अर्थात् प्राकृतिक हेज) के समायोजन के बाद एफआईएफओ आधार पर समायोजित किया जाता है।

21.3 ब्याज दर स्वैप सहित वायदा विनिमय संविदाओं के निरस्तीकरण या नदीकरण से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को वर्ष के लिए आय या व्यय के रूप में मान्य किया जाएगा।

21.4 कंपनी द्वारा जेपीवाई येन में किए गए ब्याज दर स्वैप लेनदेन के संबंध में, कंपनी तुलन-पत्र तारीख के अनुसार मार्क टू मार्केट हानि दर्शा रही है।

21.5 वायदा संविदा के आरंभ में स्पॉट विनिमय दर में अंतर के कारण अधिशेष या घाटा तथा हेजिंग संविदा के अनुसार क्रमशः प्रतिपक्ष से वसूले गए या उसे संवत् अंतर्निहित विदेशी मुद्रा ऋण दायित्व की चुकौती को ऐसे ऋण के चुकौती के समय लाभ या हानि के रूप में मान्य किया जाता है।

21.6 विदेशी मुद्रा ऋण (जो एक अंतर्निहित लेनदेन है) और स्वैप संविदा (उपयुक्त ऋणों पर उत्पन्न होने वाली किसी भी हानि के सापेक्ष बचाव हेतु) को अलग-अलग लेनदेन माना जाता है।

21.7 विदेशी मुद्रा उधार को भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस 21), विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव के अनुसार पुनः वर्णित किया जाता है।

जून, 2015 में आईसीएआई द्वारा जारी 'डेरिवेटिव संविदाओं के लिए लेखांकन' पर मार्गदर्शी टिप्पणी को कंपनी द्वारा 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष से लागू किया गया है। रिपोर्टिंग तारीख के अनुसार विदेशी मुद्रा उधार की राशि पर विनिमय दर में कोई भी परिवर्तन पिछली रिपोर्टिंग तारीख से और अवधि के दौरान ड्रॉडाउन उधार की तारीख से, डेरिवेटिव संविदाओं के उचित मूल्य के सापेक्ष सेंट-ऑफ किया जाता है और किसी भी लाभ या हानि को नकदी प्रवाह हेज आरक्षिती के रूप में मान्य किया जाता है। डेरिवेटिव संविदाओं का उचित मूल्य संबंधित प्रतिपक्षों द्वारा प्रदान किया जाता है।

मार्गदर्शी टिप्पणी के अनुसार, नकदी प्रवाह हेज के तहत, हेजिंग लिखत को उचित मूल्य पर मापा जाता है, लेकिन कोई भी लाभ या हानि जिसे प्रभावी हेज के रूप में निर्धारित किया जाता है, जैसे कि नकदी प्रवाह हेज आरक्षिती, उसे इक्विटी में मान्य किया जाता है। इसका उद्देश्य लाभ और हानि के विवरण में उस अवधि में अस्थिरता से बचना है जब हेज किए गए मद पर लाभ या हानि उसमें प्राप्त नहीं होती है।

22. राजस्व अनुदान के लिए लेखांकन

- 22.1 अनुदानों को लाभ और हानि विवरण में "अन्य आय" के रूप में व्यवस्थित आधार पर आवश्यक अवधि के लिए मान्य किया जाता है ताकि उन्हें उन संबंधित लागतों से मिलान किया जा सके जिनकी प्रतिपूर्ति करने का इरादा है, बशर्ते कि मंजूरी के साथ संलग्न शर्तों के अनुपालन और अनुदान की राशि की वसूली का उचित आश्वासन हो।
- 22.2 पूर्ववर्ती अवधियों में किए गए व्यय के संबंध में प्राप्त अनुदानों को अनुदान अनुमोदन के वर्ष के लाभ-हानि विवरण में मान्य किया जाता है।
- 22.3 वर्ष के अंत में अनुदान की अव्ययित राशि, यदि कोई हो, चालू देयताओं के अंतर्गत दर्शाई जाती है।

23. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह की रिपोर्ट अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके की जाती है, जिसके तहत कर पूर्व के लाभ को गैर-नकदी प्रकृति के लेनदेन के प्रभावों और विगत या भावी नकदी प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी आस्थगन या उपार्जन के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी की प्रचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह को अलग किया जाता है।

(ख) वित्तीय विवरणों के लिए अन्य टिप्पणियाँ

1. पूर्व अवधि की आय और व्यय (इंड एस-8) जिन्हें लाभ और हानि विवरण में नियमित शीर्षों के अंतर्गत शामिल किया गया है, निम्नानुसार हैं (टिप्पणी 28 देखें)–

(₹ लाख में)

	विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2023
(क)	आय		
(i)	ऋण एवं अग्रिम पर आय	-	-
(ii)	दंडात्मक व्याज	-	-
(iii)	अन्य प्रभार	-	-
	कुल (क)	-	-
(ख)	व्यय		
(i)	स्थापना और अन्य व्यय	-	-
(ii)	मूल्यहास	-	-
	कुल (ख)	-	-
	चालू वर्ष के लाभ पर लाभ/(हानि) के माध्यम से शुद्ध प्रभाव [(ए)-(बी)]	-	-

2. लेखांकन नीतियों में परिवर्तन:

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

3. भारतीय लेखांकन मानक 19 'कर्मचारी हितलाभ' (इंड एस-19) के अंतर्गत प्रकटीकरण

भारतीय लेखांकन मानक-19 'कर्मचारी हितलाभ' के अनुसार, लेखांकन मानक में परिभाषित प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं:-

क) ग्रेच्युटी योजना (वित्तपोषित):— ग्रेच्युटी देयता भावी भुगतानों के कारण उत्पन्न होती है, जो सेवानिवृत्ति, सेवा में मृत्यु या वापसी की स्थिति में किए जाने की आवश्यकता होती है। इसका प्रावधान आईआईएफसीएल कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी फंड के नाम पर ट्रस्ट के माध्यम से समूह ग्रेच्युटी योजना पर एलआईसी को देय राशि के आधार पर किया गया है। आईआईएफसीएल एलआईसी समूह ग्रेच्युटी योजना के तहत कर्मचारियों की ग्रेच्युटी देयता की राशि का भुगतान करता है और वित्तीय विवरणों की तारीख के अनुसार ग्रेच्युटी देयता के बीमाकिक मूल्यांकन की राशि का पता नहीं लगाया जा सका है।

I. ग्रेच्युटी योजना के लिए अवधारणाएं:-

	2023-24	2022-23
मृत्यु दर	100 % आईएलएम (2012-14)	100 % आईएलएम (2012-14)
निकासी दर	1 % to 3 % उम्र के आधार पर	1 % to 3 % उम्र के आधार पर
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.22 %	7.36 %
वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	5.50 %	5.50 %

II. परिभाषित लाभ दायित्व का संवेदनशीलता विश्लेषण।

(₹ लाख में)

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	545.44
क)	0.50 की वृद्धि के कारण प्रभाव	(29.51)
ख)	0.50 की कमी के कारण प्रभाव	32.11
ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	545.44
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	5.90
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव (6.77)	

मृत्यु दर और निकासी के कारण होने वाली संवेदनशीलताएं महत्वपूर्ण नहीं हैं, इसलिए इनके कारण होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की गणना एकवृत्ती द्वारा नहीं की जाती है।

भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन की वृद्धि दर और जीवन प्रत्याशा जैसी संवेदनशीलताएं लागू नहीं होती हैं।

आईआरडीए परिपत्र संख्या आईआरडीए/एसीटीएल/आरईजी/सीआईआर/123/06/2013 दिनांक 28 जून 2013 के अनुसार, मौजूदा पॉलिसी में कोई नया सदस्य नहीं जोड़ा जा सकता है। इसलिए, आईआईएफसीएल ने नई पॉलिसी अर्थात् पॉलिसी संख्या 331776 के अलावा नए कर्मचारियों के लिए पॉलिसी संख्या 103001183 का सब्सक्रिप्शन लिया।

(₹ लाख में)

	शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2023
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	545.43	485.09
ख)	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	599.81	556.07
ग)	वैलेंस शीट में प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त शुद्ध परिसंपत्तियां/(देयता)	54.37	70.98
	योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	556.07	495.06
ख)	योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	89.89	37.95
ग)	मृत्यु शुल्क	0.63	(4.34)
घ)	नियोक्ता अंशदान	-	45.40
ङ)	भुगतान किये गये लाभ	(45.52)	(18.00)
च)	अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	599.81	556.07
	लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	485.09	425.11
ख)	अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग)	ब्याज लागत	35.70	30.52
घ)	सेवा लागत	55.64	55.74
ङ)	कटौती सहित पिछली सेवा लागत लाभ/हानि	-	-
च)	भुगतान किए गए लाभ	(45.52)	(18.00)
छ)	दायित्व पर कुल एकचुरियल (लाभ)/हानि	14.52	(8.28)
ज)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	545.43	485.09
	शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में शुद्ध परिभाषित लाभ देयता	(70.98)	(69.95)
ख)	अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग)	कुल सेवा लागत	55.64	55.74
घ)	शुद्ध ब्याज लागत (आय)	(5.22)	(5.02)
ङ)	पुनर्मापन	(33.81)	(6.35)
च)	निधि में दिया गया अंशदान	-	(45.40)
छ)	उद्यम द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	-
ज)	अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ देयता	(54.37)	(70.98)
	द्विभाजन दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि		
क)	जनसांख्यिकी में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-
ख)	वित्तीय में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	8.39	(10.17)
ग)	अनुभव समायोजन से उत्पन्न होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	6.12	1.88

ख) अर्जित अवकाश दायित्व: किसी कर्मचारी को मिलने वाली अर्जित छुट्टी वह अवधि होती है जो कर्मचारी ने अर्जित की है, जिसमें कर्मचारी द्वारा वास्तव में ली गई छुट्टी की अवधि को घटा दिया जाता है। यह छुट्टी के ग्यारहवें हिस्से के बराबर अर्जित की जाती है।

छुट्टी नकदीकरण योजना के लिए मान्यताएं:

	2023-24	2022-23
मृत्यु दर	100 % आईएलएम (2012-14)	100 % आईएलएम (2012-14)
वापसी दर	1 % to 3 % आयु के आधार पर	1 % to 3 % आयु के आधार पर
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.22 %	7.36 %
वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	5.50 %	5.50 %

परिभाषित लाभ दायित्व का संवेदनशीलता विश्लेषण।

(₹ लाख में)

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	980.39
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(56.49)
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	60.43
ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	980.39
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	61.54
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	(57.01)

मृत्यु दर और निकासी के कारण होने वाली संवेदनशीलताएं महत्वपूर्ण नहीं हैं और इसलिए इनके कारण होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की जाती है। भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन की वृद्धि दर और जीवन प्रत्याशा जैसी संवेदनशीलताएं लागू नहीं होती हैं।

(₹ लाख में)

	शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2023
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	980.39	793.52
ख)	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1,182.39	1,145.10
ग)	वैलेंस शीट में प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त शुद्ध परिसंपत्तियां/देयता	202.00	351.57
योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन			
क)	अवधि की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1145.10	460.33
ख)	योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न	83.68	69.46
ग)	मृत्यु शुल्क	(1.22)	(2.53)
घ)	नियोक्ता अंशदान	-	463.99
ङ)	भुगतान किए गए लाभ	(45.16)	(8.18)
च)	अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1,182.39	1,145.10
लाभ दायित्व में परिवर्तन			
क)	अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	793.52	687.92
ख)	अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग)	ब्याज लागत	58.40	49.39
घ)	सेवा लागत	113.25	103.53
ङ)	कटौती लाभ/हानि सहित पिछली सेवा लागत	-	-
च)	भुगतान किए गए लाभ	(45.15)	(8.18)

जारी...

	शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/ देयता	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2023
छ)	दायित्व पर कुल एक्चुरियल (लाभ)/ हानि	60.36	(39.14)
ज)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	980.39	793.52
	शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में शुद्ध परिभाषित लाभ देयता	(351.57)	227.60
ख)	अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग)	कुल सेवा लागत	113.25	103.53
घ)	शुद्ध ब्याज लागत (आय)	(25.87)	16.34
ङ)	पुनर्मापन	62.18	(235.05)
च)	निधि में दिया गया अंशदान	-	(463.99)
छ)	उद्यम द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	-
ज)	अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ देयता	(202.00)	(351.57)
	द्विभाजन दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि		
क)	जनसांख्यिकी में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली बीमांकिक (लाभ)/ हानि धारणा	-	-
ख)	वित्तीय में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली बीमांकिक (लाभ)/ हानि धारणा	16.15	(17.07)
ग)	अनुभव समायोजन से उत्पन्न होने वाली बीमांकिक (लाभ)/ हानि	44.21	(22.07)

1. अन्य कर्मचारी हितलाभ (अवित्तपोषित)

अन्य कर्मचारी हितलाभों (अनधिकृत) के लिए बीमांकिक अवधारणाएं

- ग) छुट्टी किराया रियायत: कंपनी के सभी पूर्णकालिक कर्मचारी जिन्होंने यात्रा की तारीख पर निरंतर अस्थायी सेवा सहित एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, वे इस सुविधा के लिए पात्र हैं। यह रियायत दो वर्षों के प्रत्येक ब्लॉक में एक बार स्वीकार्य होगी और ऐसे सेट/ब्लॉक का पहला भाग उस महीने की पहली तारीख से शुरू होगा जिसमें कोई कर्मचारी कंपनी में शामिल होता है, लेकिन इसका लाभ केवल अस्थायी सेवा/परिवीक्षा अवधि सहित एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद ही उठाया जा सकता है।

अवकाश किराया रियायत के लिए मान्यताएं:

	2023-24	2022-23
मृत्यु दर	100 % IALM (2012-14)	100 % IALM (2012-14)
वापसी दर	1 % to 3 % आयु के आधार पर	1 % to 3 % आयु के आधार पर
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.22 %	7.36 %
वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	5.50 %	5.50 %

परिभाषित लाभ दायित्व का संवेदनशीलता विश्लेषण।

(₹ लाख में)

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव		
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य		105.73
क) 0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव		(4.37)
ख) 0.50% की कमी के कारण प्रभाव		4.42

मृत्यु दर और निकासी के कारण होने वाली संवेदनशीलताएं महत्वपूर्ण नहीं हैं, इसलिए इनके कारण होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की जा सकती।

भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन की वृद्धि दर और जीवन प्रत्याशा जैसी संवेदनशीलताएं लागू नहीं होती हैं।

(₹ लाख में)

	शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2023
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	105.73	87.33
ख)	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
ग)	बैलेंस शीट में प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त शुद्ध परिसंपत्तियों/देयता	(105.73)	(87.33)
	लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	87.33	78.59
ख)	ब्याज लागत	6.42	5.64
ग)	सेवा लागत	27.09	19.69
घ)	भुगतान किए गए लाभ	(305.03)	(162.07)
ङ)	दायित्व पर कुल एकचुरियल (लाभ)/हानि	289.99	145.48
च)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	105.73	87.33
	शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में शुद्ध परिभाषित लाभ देयता	87.33	78.59
ख)	सेवा लागत	27.09	19.69
ग)	शुद्ध ब्याज लागत (आय)	-	5.64
घ)	पुनर्मापन	289.90	145.48
ङ)	निधि में दिया गया अंशदान	-	-
च)	उद्यम द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	(305.03)	(162.07)
छ)	अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ देयता	105.73	87.33
	द्विभाजन दायित्व पर बीमाकिक लाभ/हानि		
क)	जनसांख्यिकी में परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमाकिक (लाभ)/हानि मान्यता	-	-
ख)	वित्तीय में परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमाकिक (लाभ)/हानि मान्यता	2.16	(3.18)
ग)	अनुभव समायोजन से उत्पन्न होने पर बीमाकिक (लाभ)/हानि	287.73	148.66

घ) रुग्णता छुट्टी: रुग्णता छुट्टी आधी छुट्टी का भुगतान है। जहां किसी कर्मचारी ने कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए कंपनी में काम किया है, कर्मचारी को अनुरोध करने पर, कर्मचारी की सेवा की पूरी अवधि के दौरान, अधिकतम वर्षों तक छुट्टी वेतन पर रुग्णता छुट्टी का लाभ उठाने की अनुमति दी जा सकती है, ऐसी छुट्टी वेतन पर कर्मचारी के रुग्णता छुट्टी खाते में कर्मचारी द्वारा ली गई छुट्टी की अवधि के दोगुने के रूप में दर्ज की जाती है।

रुग्णता अवकाश योजना के लिए अवधारणाएं:

	2023-24	2022-23
मृत्यु दर	100 % आईएएलएम (2012-14)	100 % आईएएलएम (2012-14)
वापसी दर	1 % to 3 % आयु के आधार पर	1 % to 3 % आयु के आधार पर
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.22 %	7.36 %
वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	5.50 %	5.50 %

परिभाषित लाभ दायित्व का संवेदनशीलता विश्लेषण

(₹ लाख में)

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	321.34
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(19.31)
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	20.67
ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	321.34
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	21.05
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	(19.49)

मृत्यु दर और निकासी के कारण होने वाली संवेदनशीलताएं महत्वपूर्ण नहीं हैं, इसलिए इनके कारण होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की जा सकती।

भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन की वृद्धि दर और जीवन प्रत्याशा जैसी संवेदनशीलताएं लागू नहीं होती हैं।

(₹ लाख में)

	शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2023
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	321.34	213.34
ख)	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
ग)	प्रावधान के रूप में बैलेस शीट में मान्यता प्राप्त शुद्ध परिसंपत्तियों/(देयता)	(321.34)	(213.34)
लाभ दायित्व में परिवर्तन			
क)	अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	213.34	177.54
ख)	अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग)	ब्याज लागत	15.70	12.75
घ)	सेवा लागत	33.64	24.89
ङ)	कटौती सहित पिछली सेवा लागत लाभ/हानि	-	-
च)	भुगतान किए गए लाभ	-	-
छ)	दायित्व पर कुल बीमांकित (लाभ)/हानि	58.65	(1.83)
ज)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	321.34	213.34
शुद्ध परिभाषित लाभ में परिवर्तन दायित्व			
क)	अवधि की शुरुआत में शुद्ध परिभाषित लाभ देयता	213.34	177.54
ख)	अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग)	कुल सेवा लागत	33.64	24.89
घ)	शुद्ध ब्याज लागत (आय)	15.70	12.75
ङ)	पुनर्मापन	58.65	(1.83)
च)	निधि में दिया गया अंशदान	-	-
छ)	उद्यम द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	-
ज)	अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ देयता	321.34	213.34
द्विभाजन दायित्व पर बीमांकित लाभ/हानि			
क)	जनसांख्यिकी में परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकित (लाभ)/हानि धारणा	-	-
ख)	वित्तीय में परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकित (लाभ)/हानि धारणा	5.52	(4.89)
ग)	अनुभव समायोजन से उत्पन्न होने वाली बीमांकित (लाभ)/हानि	53.12	3.05

ड) सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) (सितंबर 2015 से शुरू): इंड एस-19 के अनुसार, 31 मार्च 2021 तक सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) देयता का बीमांकिक मूल्यांकन। कंपनी के पास सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) योजना के लिए अवधारणाएं:

	2023-24	2022-23
मृत्यु दर	100 % आईएलएम (2012-14)	100 % आईएलएम (2012-14)
वापसी दर	1 % to 3 % आयु के आधार पर	1 % to 3 % आयु के आधार पर
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.22 %	7.36 %
वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	5.50 %	5.50 %

परिभाषित लाभ दायित्व का संवेदनशीलता विश्लेषण।

(₹ लाख में)

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1160.00
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव(15.80)	
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव17.36	

मृत्यु दर और निकासी के कारण होने वाली संवेदनशीलताएं महत्वपूर्ण नहीं हैं, इसलिए परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की जा सकी है।

मुद्रास्फीति की दर, भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन की वृद्धि दर और जीवन प्रत्याशा के संबंध में संवेदनशीलताएं लागू नहीं होती हैं।

(₹ लाख में)

	शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/ देयता	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2023
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,160.00	921.02
ख)	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
ग)	प्राक्धान के रूप में बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त शुद्ध परिसंपत्तियों/(देयता)	(1,160.00)	(921.02)
	लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	921.02	975.65
ख)	ब्याज लागत	67.78	70.05
ग)	सेवा लागत	66.49	55.53
घ)	भुगतान किए गए लाभ	(12.07)	(12.67)
ङ)	दायित्व पर कुल एकचरियल (लाभ)/हानि	116.78	(167.55)
च)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,160.00	921.02
	शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	शुद्ध परिभाषित लाभ अवधि की शुरुआत में देयता	921.02	975.65
ख)	सेवा लागत	66.49	55.53
ग)	शुद्ध ब्याज लागत (आय)	-	70.05
घ)	पुनर्मापन	116.78	(167.55)
ङ)	निधि में दिया गया अंशदान	-	-
च)	उद्यम द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	(12.07)	(12.67)
छ)	अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ देयता	1,160.00	921.02
	विभाजन बीमांकिक दायित्व पर लाभ/हानि		
क)	जनसांख्यिकी में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि धारणा	-	-
ख)	वित्तीय धारणा में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	19.94	(21.22)
ग)	बीमांकिक अनुभव समायोजन से उत्पन्न (लाभ)/हानि	96.83	(146.33)

च) प्रत्येक कर्मचारी हितलाभ के लिए अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्य राशि निम्नानुसार है:-

(₹ लाख में)

कर्मचारी हितलाभ	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
अर्जित अवकाश पर बीमाकिक (लाभ)/हानि	60.36	(39.14)
ग्रेज्युटी पर बीमाकिक (लाभ)/हानि	14.53	(8.28)
एलएफसी पर बीमाकिक (लाभ)/हानि	289.91	145.48
पीआरएमबी पर बीमाकिक (लाभ)/हानि	116.78	(167.55)
रुग्णता अवकाश पर बीमाकिक (लाभ)/हानि	58.65	(1.83)
कुल	540.23	(71.33)

4. कंपनी का मुख्य व्यवसाय अवसररचना परियोजनाओं के लिए वित्त/पुनर्वित्त प्रदान करना है और कंपनी के पास भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी भारतीय लेखांकन मानक-108, प्रचालन खंड के संदर्भ में एक से अधिक रिपोर्ट योग्य खंड नहीं हैं।

5. भारतीय लेखांकन मानक-24, संबंधित पक्ष प्रकटीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षकारों के साथ लेनदेन का प्रकटीकरण नीचे दिया गया है:

क) प्रबंधकीय पारिश्रमिक और संबंधित पक्षकार संबंधी प्रकटीकरण

(i) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

पूर्णकालिक निदेशक

— डॉ. पी आर जयशंकर

— श्री पवन के कुमार

निदेशकों के अलावा

— श्री राजीव मुखीजा

— श्री अभिरुप सिंह

— प्रबंध निदेशक (29.05.2020 से)

— उप प्रबंध निदेशक (01.10.2020 से)

— मुख्य महाप्रबंधक-सीएफओ

— सहायक महाप्रबंधक-कंपनी सचिव

(ii) पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी

(क) इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड

(ख) आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

(ग) आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

ख) 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष (31 मार्च 2023 को समाप्त पिछली अवधि) के दौरान संबंधित पक्षकारों के साथ लेन-देन:

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
(क)	प्रबंधकीय पारिश्रमिक (पूर्णकालिक निदेशक)		
	(i) डॉ. पी आर जयशंकर (प्रबंध निदेशक)		
	पारिश्रमिक	57.66	53.11
	(ii) श्री पवन के कुमार (उप प्रबंध निदेशक)		
	पारिश्रमिक	41.25	49.39
(ख)	प्रबंधकीय पारिश्रमिक (निदेशकों के अलावा)		
	(i) श्री राजीव मुखीजा (मुख्य महाप्रबंधक-सीएफओ)	—	
	पारिश्रमिक	107.26	60.63
	(ii) श्री अभिरुप सिंह (सहायक महाप्रबंधक-सीएस)		
	पारिश्रमिक	54.56	46.05
(ग)	सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनियों से प्राप्त/वसूली योग्य किराया		
	आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	113.39	91.64
	आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	107.63	86.99

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
(घ)	सहायक कम्पनियों से वसूले गए/वसूली योग्य किराये के अलावा अन्य राशियाँ:		
	आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	38.55	8.24
	आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	0.99	5.76
	आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड	-	-
(इ)	बैठक शुल्क:		
	श्री समीर जेरामभाई बोधारा	12.15	-

*पारिभाषिक में नवंबर, 2017 से मई, 2023 तक की अवधि के लिए डॉ. पी आर जयशंकर (₹16.72 लाख), श्री राजीव मुखीजा (₹39.33 लाख) और श्री अभिरूप सिंह (₹14.80 लाख) के वेतनमान और भत्ते के संशोधन का बकाया शामिल है।

ग) बकाया शेष

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
i)	इक्विटी शेयरों में निवेश :		
	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक :		
	(क) आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड	61,180.95	61,180.95
	(ख) आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	475.00	475.00
	(ग) आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लि.	1,250.00	1,250.00
	सहायक/सहयोगी कंपनियों से वसूली योग्य राशि		
	(क) आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	17.62	2.51
	(ख) आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लि.	22.77	24.59
	(ग) आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड	0.19	0.16
	केएमपी को अग्रिम	44.41	48.66

6. भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी इंड एस-33, प्रति शेयर आय के अनुसार, प्रति शेयर आय (मूल और तनुकृत) निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	
	शेयर	राशि ₹ लाख में	शेयर	राशि ₹ लाख में
शेयर का अंकित मूल्य (₹)	10/-		10/-	
इक्विटी शेयरों की संख्या (लाख में)	99,999.16		99,999.16	
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या लाख में) (हर)	99,999.16		99,999.16	
नियत लाभ (कर पश्चात्) (अंश) (₹ लाख में)		1,54,756.45		1,07,612.87
प्रति शेयर आय (मूल और तनुकृत) (₹) (निरंतर प्रचालन के लिए)		1.55		1.08
प्रति शेयर आय (मूल और तनुकृत) (₹) (बंद प्रचालन के लिए)		-		-

7. कंपनी के पास मौजूद अवल परिसंपत्तियों को 'कॉर्पोरेट परिसंपत्ति' माना जाता है, न कि 'नकदी उत्पन्न करने वाली इकाइयाँ', जैसा कि भारतीय लेखांकन मानक-36 'परिसंपत्तियों की क्षतिग्रस्तता' के तहत परिभाषित किया गया है। 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार, ऐसी कोई घटना या परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जो परिसंपत्तियों में किसी भी तरह की क्षतिग्रस्तता का संकेत देता हो।

8. (क) भारतीय लेखांकन मानक 37 के अंतर्गत प्रकटीकरण "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां (इंड एस-37)" (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
प्रस्तावित वेतन संशोधन		
आरंभिक शेष	1,955.66	1,315.51
अवधि के दौरान परिवर्धन	955.67	640.15
चालू देयताओं में भुगतान की गई/अंतरित राशि	1,676.32	-
अप्रयुक्त प्रावधान का रिवर्सल	180.09	-
अंत शेष	1,054.92	1,955.66
मानक परिसंपत्तियों के सापेक्ष आकस्मिक प्रावधान		
आरंभिक शेष	15,568.58	13,751.56
अवधि के दौरान परिवर्धन	4053.95	1,817.02
अंत शेष	19,622.53	15,568.58
अवमानक परिसंपत्तियों के सापेक्ष प्रावधान		
आरंभिक शेष	198.49	6,352.64
अवधि के दौरान परिवर्धन	-	880.04
एनपीए बड़े खाते में डालने के कारण प्रतिलेखित प्रावधान	198.49	7,034.20
अंत शेष	-	198.49
पुनर्गठित परिसंपत्तियों के सापेक्ष प्रावधान		
आरंभिक शेष	8,993.13	9,236.15
अवधि के दौरान परिवर्धन/समायोजन	(2,173.56)	1,216.28
एनपीए बड़े खाते में डालने के कारण प्रतिलेखित प्रावधान	-	1,459.29
अंत शेष	6,819.57	8,993.13
संदिग्ध परिसंपत्तियों के सापेक्ष प्रावधान		
आरंभिक शेष	71,838.54	1,47,007.81
अवधि के दौरान परिवर्धन/समायोजन	(684.55)	57,563.07
एनपीए बड़े खाते में डालने के कारण प्रतिलेखित प्रावधान	34,924.88	63,685.97
अंत शेष	37,598.21	71,838.54
निवेश में कमी के लिए प्रावधान		
आरंभिक शेष	21,453.15	22,173.36
अवधि के दौरान परिवर्धन	3,231.55	-
निवेश की बिक्री के कारण समायोजित प्रावधान	1,029.95	720.21
अंत शेष	23,654.75	21,453.15

(ख) अन्य प्रकटीकरण:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
आयकर (निवल)		
आरंभिक शेष	408.55	(11,500.00)
अवधि के दौरान परिवर्धन	35,437.57	11,708.55
अवधि के दौरान भुगतान/समायोजित राशि	28,400	200.00
अंत शेष	7,356.12	408.55

जारी

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
अवकाश किराया रियायत		
आरंभिक शेष	87.33	78.59
अवधि के दौरान परिवर्धन	317.23	170.81
अवधि के दौरान भुगतान/समायोजित राशि	298.83	162.08
अंत शेष	105.73	87.33
सेवानिवृत्ति के बाद विकित्सा लाभ		
आरंभिक शेष	921.02	975.65
अवधि के दौरान परिवर्धन	250.55	-
अवधि के दौरान भुगतान/समायोजित राशि	11.56	54.63
अंत शेष	1,160.01	921.02
अवकाश नकदीकरण		
आरंभिक शेष	-	227.60
अवधि के दौरान परिवर्धन	143.18	8.18
अवधि के दौरान भुगतान/समायोजित राशि	143.18	219.42
अंत शेष	-	-
रुग्णता अवकाश		
आरंभिक शेष	213.34	177.54
अवधि के दौरान परिवर्धन	108.00	35.80
अवधि के दौरान भुगतान/समायोजित राशि	-	-
अंत शेष	321.34	213.34
व्युत्पन्न पर बाजार-दर-बाजार हानि		
आरंभिक शेष	-	350.82
अवधि के दौरान परिवर्धन	-	-
अवधि के दौरान भुगतान/समायोजित राशि	-	350.82
अंत शेष	-	-

9. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं (जहां तक प्रावधान नहीं किया गया है) निम्नानुसार हैं:-

(₹ लाख में)

S.No.	विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2023
(क)	आकस्मिक देयताएं:		
	क. कंपनी के सापेक्ष दावे जिन्हें ऋण के रूप में अभिस्वीकार नहीं किया गया है		
	(i) आयकर विभाग द्वारा दिनांक 28 दिसंबर 2018 के आदेश के तहत निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए देय आयकर मांग।	682.33	682.33
	(ii) विभाग द्वारा आयकर पोर्टल पर दिनांक 30 मार्च 2023 को निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए देय आयकर मांग की।	174.58	-
	(iii) सेवा कर बकाया की मांग-ब्याज सहित भुगतान की मांग-विवादाधीन	71.52	71.52
	(iv) दिनांक 23.09.2023 के पत्र के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटी की मांग	150.39	-
	(v) वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी की मांग	492.00	-
	ख. गारंटी	Nil	Nil

जारी...

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
	ग. अन्य धनराशि जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है:		
	(i) साख पत्र (एलसी) जारी करने के लिए लेटर ऑफ कम्फर्ट (कंपनी ने संबंधित उधारकर्ताओं की ओर से एलसी जारी करने के लिए ऋणदाताओं के संघ में संबंधित अग्रणी बैंकों/सदस्य बैंकों को एलसी जारी किए हैं ताकि बाद में स्वीकृत ऋण सहायता के वितरण के लिए एलसी की राशि जारी की जा सके)	43,556.47	53,102.19
	(ii) क्रेडिट वृद्धि योजना के तहत दी गई गारंटी	24,525.00	25,782.50
(ख)	प्रतिबद्धताएं:		
	क. पूंजी खाते पर निष्पादित की जाने वाली संविदाओं की अनुमानित राशि और जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है: पूंजी खाते पर निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाओं की अनुमानित राशि (अग्रिमों का निवल)	817.61	839.78
	ख. अन्य प्रतिबद्धताएं: कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत निष्पादित की जाने वाली संविदाओं की अनुमानित राशि (अग्रिमों को छोड़कर)	2,232.88	876.13

10. विदेशी मुद्रा में आय और व्यय

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
(क)	विदेशी मुद्रा में आय (आईआरएस डेरिवेटिव संविदाओं के तहत प्राप्त व्याज को छोड़कर वास्तविक प्राप्ति):		
(i)	व्याज	-	-
(ii)	प्राप्त अनुदान	-	-
(iii)	प्राप्त लाभांश	-	-
	कुल	-	-
(ख)	व्याज और अन्य मामलों के कारण विदेशी मुद्राओं में व्यय (वास्तविक व्यय):		
(i)	उधार पर व्याज	95,141.21	76,606.14
(ii)	प्रतिबद्धता शुल्क	-	-
(iii)	विदेश यात्रा	-	-
(iv)	अन्य व्यय	-	-
	कुल	95,141.21	76,606.14

11. उद्यम पूंजी इकाइयों में निवेश

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने आईडीएफसी प्रोजेक्ट इक्विटी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ट्रस्ट प् की उद्यम पूंजी इकाइयों में शून्य (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार शून्य) निवेश किया है, जिसे कंपनी ने आईडीएफसी, सिटी बैंक के साथ मिलकर प्रवर्तित किया है (31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार कंपनी द्वारा निवेश की संचयी राशि ₹9,247.56 लाख है)। ₹10,000 लाख की कुल प्रतिबद्धता में से, कंपनी ने उद्यम में निवेशक के रूप में अंशदान किया है और इसका संयुक्त नियंत्रण नहीं है। चूंकि निधि में कोई वितरण योग्य लाभ नहीं है, इसलिए ऐसे निवेशों के संबंध में लेखा बहियों में कोई आय दर्ज नहीं की जाती है। हालांकि, कंपनी को 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, उद्यम पूंजी इकाइयों के मोचन के संबंध में ₹ शून्य लाख (31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 328.51 लाख) की राशि प्राप्त हुई है, जिसमें शून्य (31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ शून्य) कर का भुगतान शामिल है।

12. कंपनी ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹9,018.75 लाख की निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति को रिवर्स किया है (आस्थगित कर देयता में ₹0.82 लाख की वृद्धि और आस्थगित कर परिसंपत्ति में ₹9,017.92 लाख की कमी), 31 मार्च 2023 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए कंपनी ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹8,374.56 लाख की निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति को रिवर्स किया है (आस्थगित कर देयता में कोई परिवर्तन नहीं और आस्थगित कर परिसंपत्ति में ₹8,374.56 लाख की कमी)।

13. कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर, 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार कोई भी आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाता नहीं है जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम के रूप में पंजीकृत है। इसलिए कंपनी का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के प्रति कोई बकाया दायित्व नहीं है और उपर्युक्त अधिनियम के तहत निर्धारित की जाने वाली अन्य जानकारी शून्य है।

14. व्युत्पन्नी लेनदेन

क) कंपनी ने बहुपक्षीय संस्थाओं से विदेशी मुद्रा उधार पर अस्थिर व्याज दरों के साथ-साथ विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव से संबंधित जोखिमों से बचाव के लिए समग्र संविदा अर्थात् क्रॉस करेंसी स्वेप (मूलधन और व्याज) किए हैं, जो निम्नानुसार हैं:

(लाख में)

संस्था	क्रॉस करेंसी स्वेप की राशि	
	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी):—		
यूएसडी	11,776.82	12,522.22
भारतीय रुपया	8,55,162.28	8,86,931.20
आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक:—		
यूएसडी	1,165.37	1,357.82
भारतीय रुपया	76,662.58	88,968.20
यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक		
यूरो	436.67	400.00
भारतीय रुपया	38,586.73	35,396.00

काउंटर पार्टी बैंकों द्वारा प्रस्तुत मार्क-टू-मार्केट (एम2एम) मूल्यांकन और उपरोक्त संविदाओं पर अन्य मूल्य के अनुसार, 31 मार्च 2024 को निवल एम2एम लाभ ₹1,22,707.35 लाख (सकल लाभ ₹1,27,388.92 लाख घटा सकल हानि ₹4,681.47 लाख) है और 31 मार्च 2023 को एम2एम लाभ ₹1,64,636.18 लाख (सकल लाभ ₹1,65,494.59 लाख घटा सकल हानि ₹858.41 लाख) है।

31 मार्च 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने हेज की गई सीमा तक विदेशी मुद्रा ऋण के संबंध में लेखांकन शोधन के लिए कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले सही लेखांकन शोधन पर सलाह देने के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय मांगी। इस संबंध में, आईसीएआई ने 22 सितंबर 2015 के पत्र के माध्यम से मामले में राय प्रदान की। आईसीएआई ने जून 2015 में "डेरिवेटिव संविदाओं के लिए लेखांकन" पर मार्गदर्शी टिप्पणी भी जारी की, जो 1 अप्रैल 2016 से लागू है और कंपनी द्वारा 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष से इसे लागू किया गया है। पिछली रिपोर्टिंग तारीख से इस रिपोर्टिंग तारीख तक विदेशी मुद्रा उधार की राशि पर विनिमय दर में कोई भी परिवर्तन और अवधि के दौरान ड्रॉडाउन उधार की तारीख से, डेरिवेटिव संविदाओं के उचित मूल्य के सापेक्ष सेट-ऑफ किया जाता है और किसी भी लाभ या हानि को कैश फ्लो हेज रिजर्व के रूप में मान्य किया जाता है।

इस संबंध में, आईआईएफसीएल ने 26 दिसंबर 2016 के पत्र के माध्यम से भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) को सूचित किया कि आईआईएफसीएल को डेरिवेटिव्स पर मार्गदर्शी टिप्पणी लागू करते समय हेज कॉन्ट्रैक्ट्स पर बाजार-दर-बाजार/उचित मूल्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी एक प्रति भारतीय रिजर्व बैंक को भी भेजी गई है। 3 मई 2017 के उनके पत्र के अनुसार इस मामले को आईसीएआई की शोध समिति को भेज दिया गया है।

इंड एस-21 के अनुरूप समापन दर पर पुनर्कथित ऋण के हेज्ड हिस्से का विवरण निम्नानुसार है:

(लाख में)

संस्था	क्रॉस करेंसी स्वेप की राशि	
	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी):—		
यूएसडी	11,776.82	12,522.22
भारतीय रुपया	9,81,879.40	10,29,537.84
आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक:—		
यूएसडी	1,165.37	1,357.82
भारतीय रुपया	97,161.28	1,11,636.08
यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक		
यूरो	436.67	400.00
भारतीय रुपया	39,395.11	35,843.04

संविदाओं के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शी टिप्पणी के अनुसार वित्तीय मुद्रा जोखिम का प्रकटीकरण :-

(₹ लाख में)

I. परिसंपत्ति	विदेशी मुद्रा	चालू वर्ष			पिछले वर्ष		
		विनिमय दर	विदेशी मुद्रा में राशि	राशि (लाख में)	विनिमय दर	विदेशी मुद्रा में राशि	राशि (लाख में)
प्राप्य (व्यापार और अन्य)	-	-	-	-	-	-	-
अन्य मौद्रिक परिसंपत्तियां (जैसे आईसीडी / एफसी में दिए गए ऋण)	-	-	-	-	-	-	-
कुल प्राप्य (क)	-	-	-	-	-	-	-
डेरिवेटिव संविदाओं द्वारा हेज (ख)	-	-	-	-	-	-	-
अप्रतिभूत प्राप्य (ग=क-ख)	-	-	-	-	-	-	-

II. देयताएं	विदेशी मुद्रा	चालू वर्ष			पिछले वर्ष		
		विनिमय दर	विदेशी मुद्रा में राशि	राशि (लाख में)	विनिमय दर	विदेशी मुद्रा में राशि	राशि (लाख में)
देय (व्यापार एवं अन्य)	-	-	-	-	-	-	-
उधारी (ईसीबी और अन्य)	यूएसडी	83.3739	14,620.64	12,18,979.82	82.2169	15,346.63	12,61,752.17
	यूरो	90.2178	1,697.26	1,53,122.63	89.6076	1,843.89	1,65,226.69
	जेपीवाई	0.5509	3,56,734.80	1,96,525.20	0.618	3,56,295.89	2,20,190.86
कुल देय राशि (घ)	यूएसडी	83.3739	14,620.64	12,18,979.82	82.2169	15,346.63	12,61,752.17
	यूरो	90.2178	1,697.26	1,53,122.63	89.6076	1,843.89	1,65,226.69
	जेपीवाई	0.5509	3,56,734.80	1,96,525.20	0.618	3,56,295.89	2,20,190.86
डेरिवेटिव संविदाओं द्वारा हेज (ङ)	यूएसडी	83.3739	12,942.19	10,79,040.67	82.2169	13,880.04	11,41,173.92
	यूरो	90.2178	436.67	39,395.11	89.6076	400.00	35,843.04
	जेपीवाई	0.5509	-	-	0.618	-	-
अप्रतिभूत देयताएं (च=घ-ङ)	यूएसडी	83.3739	1,678.45	1,39,939.15	82.2169	1,466.59	1,20,578.24
	यूरो	90.2178	1,260.59	1,13,727.52	89.6076	1,443.89	1,29,383.65
	जेपीवाई	0.5509	3,56,734.80	1,96,525.20	0.618	3,56,295.89	2,20,190.86
III. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धता	विदेशी मुद्रा	चालू वर्ष			पिछले वर्ष		
		विनिमय दर	विदेशी मुद्रा में राशि	राशि (लाख में)	विनिमय दर	विदेशी मुद्रा में राशि	राशि (लाख में)
आकस्मिक देयताएं	-	-	-	-	-	-	-
प्रतिबद्धताएं	-	-	-	-	-	-	-
कुल (छ)	-	-	-	-	-	-	-

जारी...

II. देयताएं	विदेशी मुद्रा	चालू वर्ष			पिछले वर्ष		
		विनिमय दर	विदेशी मुद्रा में राशि	राशि (लाख में)	विनिमय दर	विदेशी मुद्रा में राशि	राशि (लाख में)
डेरिवेटिव संविदाओं द्वारा हेज (ज)	-	-	-	-	-	-	-
अप्रतिभूत देयताएं (झ=छ-ज)	-	-	-	-	-	-	-
कुल अप्रतिभूत एफसी एक्सपोजर (ज=ग+च+झ)	-	-	-	-	-	-	-

ख) विदेशी मुद्रा ऋणों की अप्रतिभूत स्थिति निम्नानुसार है:

(लाख में)

संस्था	अनहेज्ड स्थिति की राशि	
	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
एशियन डेवलेपमेंट बैंक (एडीबी):- यूएसडी भारतीय रुपया	1,559.94 1,30,058.35	1,445.37 1,18,833.93
क्रेडिटनस्टाल्ट फ्युर विदेसौफबाउ (केएफडब्ल्यू):- यूरो भारतीय रुपया	144.17 13,005.80	149.61 13,405.82
आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक:- यूएसडी भारतीय रुपया	118.51 9,880.81	21.22 1,744.31
यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक (ईआईएच) यूरो भारतीय रुपया	1,116.43 1,00,721.73	1,294.29 1,15,977.84
जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीक) जेपीवाई भारतीय रुपया	3,56,734.80 1,96,525.20	3,56,295.89 2,20,190.86

ग) लेखांकन नीति 20 के अनुसार, खातों को बंद करने की तारीख पर प्रचलित विनिमय दरें (अर्थात् आरबीआई संदर्भ दरें) निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	विनिमय दरें	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
1	आईएनआर/यूएसडी	83.3739	82.2169
2	भारतीय रुपया/यूरो	90.2178	89.6076
3	भारतीय रुपया/जेपीवाई	0.5509	0.6180

15. बॉन्ड मोचन आरक्षिती का सृजन

क) निजी तौर पर प्लेस्ड बांड के संबंध में: चूंकि कंपनी को केंद्र सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ.143 (अ) (एफ. सं. 3/5/2008) दिनांक 14 जनवरी 2009 के तहत कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(72) के आशय के तहत सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित किया गया है, इसलिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 11 फरवरी 2013 को जारी परिपत्र संख्या 04/2013 के अनुसार निजी तौर पर प्लेस्ड बांड के संबंध में बांड मोचन आरक्षिती का सृजन करने की आवश्यकता नहीं है।

ख) सार्वजनिक रूप से प्लेस्ड बांड के संबंध में कंपनी ने सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से वित्त वर्ष 2012-13 में ₹1,000 अंकित मूल्य के कर मुक्त बांड जारी किए, जिनकी कुल कीमत ₹3,15,631.89 लाख, वित्त वर्ष 2013-14 में ₹6,87,754.25 लाख तथा वित्त वर्ष 2010-11 में ₹9,096.18 लाख मूल्य के दीर्घावधि अवसंरचना बांड जारी किए, जिनकी कुल कीमत ₹10,12,482.32 लाख थी।

कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम 2014 के नियम 18(7)(ख)(पप) के अनुसार, कंपनी आरबीआई (संशोधन) अधिनियम, 1997 की धारा 45-आईए के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी के लिए डिबेंचर मोचन आरक्षिती (डीआरआर) का सृजन करेगी, डीआरआर की शर्थापत्तता वर्तमान सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008 के अनुसार सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से जारी किए गए डिबेंचर के मूल्य का 25% होगी, और निजी तौर पर प्लेस्ड डिबेंचर के मामले में कोई डीआरआर आवश्यक नहीं है। तदनुसार, कंपनी ने 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार ₹54,568.28 लाख (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार ₹98,087.76 लाख) का बॉन्ड मोचन आरक्षिती का सृजन किया है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 19 अगस्त 2019 की अधिसूचना के तहत कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियमों में संशोधन किया है और तदनुसार कंपनी को अब मोचनीय असंपरिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने पर डिबेंचर मोचन आरक्षिती का सृजन करने की आवश्यकता नहीं है।

स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्धता करार में निहित प्रकटीकरण अपेक्षाओं के अनुसार, यह उल्लेख किया गया है कि कंपनी ने व्यक्तियों, सहयोगियों और फर्मों/कंपनियों को ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है, जिनमें निदेशकों के हित हैं। इसके अलावा, किसी भी ऋण (उधारकर्ता) ने कंपनी या उसकी सहायक कंपनी के शेयरों में कोई निवेश नहीं किया है।

16. कंपनी के कर्मचारियों का वेतन संशोधन 1 नवंबर 2022 से देय है। वेतन संशोधन लंबित रहने तक, 1 नवंबर 2017 से 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार की अवधि के लिए ₹300.00 लाख (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार ₹1,955.66 लाख) और 1 नवंबर 2022 से 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार की अवधि के लिए ₹655.67 लाख का अनुमानित प्रावधान किया गया है।

17. (क) आरबीआई ने सार्वजनिक जमा स्वीकार किए बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में व्यवसाय करने के लिए आईआईएफसीएल को दिनांक 9 सितंबर 2013 को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया।

(ख) एनबीएफसी-आईएफसी के लिए आरबीआई द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंड कंपनी पर लागू होते हैं। एनबीएफसी-आईएफसी के रूप में पंजीकरण पर, कंपनी, एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी होने के नाते, सरकार के परामर्श से एनबीएफसी विनियमों के विभिन्न तत्वों के अनुपालन के लिए एक रोडमैप तैयार करने और इसे भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग) को प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी, जैसा कि आरबीआई द्वारा अधिसूचना संख्या डीएनबीएस.पीडी/सीसी संख्या 86/03.02.089/2006-07 दिनांक 12 दिसंबर 2006 के माध्यम से निर्देशित किया गया था। आवश्यकता के अनुपालन में, कंपनी ने आरबीआई को दिनांक 21 नवंबर 2014 के पत्र के माध्यम से 1 जनवरी 2015 से आरबीआई विनियमन के विभिन्न तत्वों का अनुपालन करने के लिए रोडमैप प्रस्तुत किया है।

(ग) कंपनी ने 31 मार्च 2024 के दौरान शून्य ऋण खाते का पुनर्गठन/पुनर्निर्धारित किया है, जिसमें 31 मार्च 2024 के दौरान शून्य बकाया शेष है (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार 1 ऋण खाते में ₹24,325.53 लाख) और 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार इन खातों में प्रतिभूति के मूल्य में कोई कमी नहीं है (टिप्पणी 1(क)(5.7)(अ) देखें)।

18. लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक में निम्नलिखित शामिल हैं: (₹लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
(i) लेखापरीक्षा शुल्क	9.00	9.00
(ii) कराधान संबंधी मामले	1.80	1.80
(iii) प्रमाणन कार्य	0.60	0.65
(iv) सीमित समीक्षा	4.05	2.70
कुल	15.45	14.15

19. विभिन्न कर निर्धारण वर्षों के लिए लंबित आयकर निर्धारण की स्थिति निम्नानुसार है:

मूल्यांकन वर्ष	स्थिति
2016-17	28.12.2018 को धारा 143(3) के तहत मूल्यांकन आदेश प्राप्त हुआ। मूल्यांकन आदेश में की गई अस्वीकृतियों के सापेक्ष 25.01.2019 को सीआईटी(अपील) के समक्ष अपील दायर की गई तथा विरोध के तहत ₹137 लाख की 20% कर मांग जमा की गई तथा नि.व. 2011-12 के प्रतिदाय से ₹46.71 लाख समायोजित किए गए। अपील वर्तमान में निर्णय के लिए सीआईटी(अपील) के समक्ष लंबित है। धारा 36(1)(अपपप) के तहत कटौती पर अतिरिक्त दावे पर ₹519.18 लाख की अतिरिक्त राशि प्रस्तावित करने वाली धारा 154 के तहत नोटिस प्राप्त हुई, जिसके सापेक्ष 20.01.2023 को उत्तर प्रस्तुत किया गया। आईआईएफसीएल को धारा 154 के तहत ₹1500.18 लाख की कर योग्य आय जोड़ते हुए इसी तरह का नोटिस मिला। आईआईएफसीएल ने 27 अप्रैल 2023 को आदेश के सापेक्ष सीआईटी (अपील) में अपील दायर की।
2017-18	धारा 36(1)(अपपप) के तहत कटौती पर अतिरिक्त दावे पर ₹421.12 लाख जोड़ने का प्रस्ताव करते हुए धारा 154 के तहत नोटिस प्राप्त हुआ, जिसके सापेक्ष 12.12.2022 को उत्तर प्रस्तुत किया गया। आईआईएफसीएल को धारा 154 के तहत इसी तरह का नोटिस मिला। 7 सितंबर 2023 को उत्तर प्रस्तुत किया गया।

जारी...

मूल्यांकन वर्ष	स्थिति
	आईआईएफसीएल को उत्तर का संज्ञान लिए बिना और ₹1216.83 लाख की कर योग्य आय जोड़े बिना धारा 154 के तहत एक और आदेश प्राप्त हुआ। आईआईएफसीएल को आयकर विभाग द्वारा दिनांक 17.12.2019 को धारा 143(3) के तहत पारित मूल्यांकन आदेश प्राप्त हुआ, जिसमें ₹50.67 लाख के व्यय मद को अस्वीकार कर दिया गया। आईआईएफसीएल ने विलम्ब की क्षमा के साथ सीआईटी (अपील) के समक्ष दिनांक 15.03.2023 को अपील दायर की।
2022-23	धारा 143(2) के तहत दिनांक 02.06.2023 को नोटिस प्राप्त हुआ। दस्तावेज दिनांक 16.06.2023 के पत्र द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं।

20. अन्य प्रकटीकरण:

- (क) 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹61,820.64 लाख (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार 19 ऋण खातों में ₹98,870.95 लाख) की राशि के 15 खातों को बड़े खाते में डाल दिया था टिप्पणी 1(क)(5.3) देखें।
- (ख) आईआईएफसीएल ने वित्त वर्ष 2023-24 में ₹23,654.75 लाख के निवेश में कमी के लिए निम्नानुसार प्रावधान किया है:
- वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान मेसर्स आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड (कपीएनआरएल) से ₹52,000.00 लाख का बकाया ऋण मूलधन और उस पर ₹2,545.99 लाख का ब्याज अन्य अतिदेय, ₹38,884.95 लाख के मूल्य पर एडेलवाइस एसोसिएटेड रिकॉन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ईएआरसी), एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी को बेचा गया, जिसमें ₹108.18 लाख की अग्रिम प्राप्ति, ₹9,710.71 लाख की एपीएनआरएल की इक्विटी शेयर पूंजी (अर्थात् ₹10 प्रत्येक के पूर्णतः संदत्त इक्विटी शेयर) और ₹38,884.95 लाख की प्रतिभूति प्राप्तियां शामिल हैं। ईएआरसी ने साथ ही, एपीएनआरएल के ₹10 प्रति शेयर की दर से ₹1,2045 प्रति शेयर की दर से कुल 4945.70 लाख इक्विटी शेयर खरीदे, जिनकी कुल राशि ₹595.72 लाख थी। तदनुसार, आईआईएफसीएल ने एपीएनआरएल के इक्विटी शेयरों की बिक्री के लिए ईएआरसी द्वारा आईआईएफसीएल को भुगतान की गई कीमत को उचित मूल्य माना। तदनुसार, 31 मार्च 2018 तक एपीएनआरएल में आईआईएफसीएल द्वारा धारित शेष इक्विटी शेयरों का मूल्य ₹1,2045 प्रति शेयर है, जो निवेश में कमी के लिए ₹4,191.05 लाख के प्रावधान को घटाकर निवल है। आईआईएफसीएल ने नवीनतम उपलब्ध उचित मूल्यांकन के आधार पर इक्विटी शेयर पूंजी का मूल्यांकन किया है।
 - मेसर्स टॉपवर्थ टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में रियायतग्राही के प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप, ₹8,000.00 लाख की बकाया ऋण राशि में से, ₹6,078.00 लाख की राशि आने वाले रियायतग्राही अर्थात् बंसल पाथवेज प्राइवेट लिमिटेड के 0.01% की वार्षिक कूपन दर वाले 0.01: कूपन वैकल्पिक रूप से संपरिवर्तनीय विमोचनीय डिबेंचर जारी करके चुकाई गई है। ₹1,922.00 लाख का शेष बकाया ऋण नए कंसेसियनर बंसल पाथवेज (मंगवां - चकघाट) प्राइवेट लिमिटेड को अग्रेणीत किया जाएगा। तदनुसार, बंसल पाथवेज (मंगवां - चकघाट) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी डिबेंचर द्वारा निवेश में ₹4,994.72 लाख की कमी का प्रावधान किया गया है, जो डिबेंचर की प्राप्ति से 25 वर्ष बाद सममूल्य पर चुकाने योग्य है।
 - 31.03.2021 तक एमईपी नागपुर रिंग रोड 1 प्राइवेट लिमिटेड में आईआईएफसीएल का कुल बकाया ₹10,087.84 लाख है, जिसे बंसल पाथवेज नागपुर रिंग रोड 1 प्राइवेट लिमिटेड ने ₹2811.84 लाख के सावधि ऋण और 0.01: की कूपन दर वाले ₹7,276 लाख के डिबेंचर के रूप में अपने अधीन ले लिया है। तदनुसार, डिबेंचर पर ₹4,992.96 लाख की कमी का प्रावधान किया गया है।
 - 31.03.2021 तक एमईपी नागपुर रिंग रोड 2 प्राइवेट लिमिटेड में आईआईएफसीएल की मूल बकाया राशि ₹11,184.00 लाख है, जिसे बंसल पाथवेज नागपुर रिंग रोड 2 प्राइवेट लिमिटेड ने 0.01: की कूपन दर वाले ₹11,184.00 लाख के डिबेंचर के रूप में अपने अधीन ले लिया है। तदनुसार, डिबेंचर पर ₹6,244.46 लाख की कमी का प्रावधान किया गया है।
 - मीनाक्षी एनर्जी लिमिटेड में आईआईएफसीएल का मूल बकाया ₹22,137.32 लाख था। इस परियोजना को वर्ष 2019 में कॉर्पोरेट दिवाला शोधन प्रक्रिया के तहत भेजा गया था। वेदांता लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत दिवाला शोधन योजना को 10 अगस्त 2023 को एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित किया गया था। तदनुसार, आईआईएफसीएल को ₹14.93 करोड़ की अग्रिम शुल्क राशि और ₹79.32 करोड़ डिबेंचर के रूप में प्राप्त हुए हैं। इसके लिए, डिबेंचर पर ₹3,231.55 लाख की कमी का प्रावधान किया गया है।
- (ग) 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार निवेश और प्रतिभूति प्राप्तियों का प्रकटीकरण: (₹ लाख में)

विवरण	पिछले 5 वर्षों के भीतर निर्गत प्रतिभूति प्राप्तियां (एसआर)	5 वर्ष से अधिक समय पहले लेकिन पिछले 8 वर्षों के भीतर निर्गत प्रतिभूति प्राप्तियां (एसआर)	8 वर्ष से अधिक पहले निर्गत प्रतिभूति प्राप्तियां (एसआर)
(i) बैंक द्वारा अंतर्निहित के रूप में बेची गई एनपीए द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य	-	16,544.55	-
(i) के सापेक्ष प्रावधान	-	-	-
(ii) अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अंतर्निहित के रूप में बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य	-	-	-
(ii) के सापेक्ष प्रावधान	-	-	-
कुल (i) + (ii)	-	16,544.55	-

21. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर व्यय से संबंधित प्रकटीकरण:

क) सीएसआर व्यय में शामिल विभिन्न मदों के व्यय का विवरण:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	संगठन का नाम	परियोजना विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
01	मेसर्स कोन्फियांस चौरिटेबल पब्लिक ट्रस्ट	दिल्ली एनसीआर के चिन्हित स्कूलों में 1000 (एक हजार) लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य एवं पोषण शिविर	18.70	-
02	मेसर्स बसंत सोशल फाउंडेशन	कंप्यूटर और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराकर ओडिशा के बौध में सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना	4.86	-
03	मेसर्स वॉकहार्ट फाउंडेशन	मोबाइल 100 पहल के तहत दिल्ली एनसीआर में मेडिकल एम्बुलेंस वैन का संचालन	21.95	-
04	मेसर्स अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी रिलीफ फाउंडेशन	राजस्थान के जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में तीन (03) सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचग) का उन्नयन	-	19.70
05	यूसीएसआरए को अंतरित		1,403.87	390.45
06	प्रशासनिक व्यय		0.12	-
	कुल		1,449.38	410.15

ख) सीएसआर व्यय के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण:

i. 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा व्यय की जाने वाली कुल राशि ₹1,449.38 लाख (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार ₹410.15 लाख) होगी।

ii. समाप्त वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि रु ₹45.51 लाख

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष			31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष		
	नकदी में	नकदी में भुगतान किया जाना है	कुल	In Cash	नकदी में भुगतान किया जाना है	कुल
(i) किसी भी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-	-	19.70	-	19.70
(ii) के अलावा (i) अन्य उद्देश्य से #	45.51	1,403.87	1,449.38	-	390.45	-
कुल	45.51	1,403.87	1,449.38	19.70	390.45	19.70

#वित्त वर्ष 2023-24 में यूसीएसआरए को ₹1,403.87 लाख की राशि अंतरित की गई है।

- वर्ष के अंत में कमी दृ शून्य (राशि यूसीएसआरए को अंतरित कर दी गई है)
- विगत वर्ष की कुल कमी दृ शून्य
- कमी का कारण रु लागू नहीं
- सीएसआर गतिविधि की प्रकृति रु स्वास्थ्य और शिक्षा।
- संबंधित पक्षकार लेनदेन का विवरण जैसे प्रासंगिक लेखांकन मानकों के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट को अंशदान रु शून्य
- जहां संविदागत दायित्व में प्रवेश करने से उत्पन्न देयता के संबंध में प्रावधान किया जाता है, वहां वर्ष के दौरान प्रावधान में परिवर्तन अलग से दर्शाया जाएगा रु शून्य

22. गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमा स्वीकार या धारण न करने वाली) कंपनियों विवेकपूर्ण मानदंड (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2007 के पैराग्राफ 13 के अनुसार अपेक्षित अतिरिक्त सूचना का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	
	बकाया राशि	अतिदेय राशि	बकाया राशि	अतिदेय राशि
देयता पक्ष:				
(1) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम राशि, उन पर उपाजित किंतु अदत्त व्याज सहित:				
(क) डिबेंचर: 				

जारी...

परिसंपत्ति पक्ष:	बकाया राशि	
	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
(5) निवेश का विवरण:		
वर्तमान निवेश:		
1. उद्भूत:		
(i) शेयर:		
(क) इक्विटी	—	—
(ख) अधिमानी	—	—
(ii) डिबेंचर और बांड	—	—
(iii) म्यूचुअल फंड की यूनिट	—	—
(iv) सरकारी प्रतिभूतियां	—	—
(v) अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	—	—
2. अनुद्भूत:		
(i) शेयर:	—	—
(क) इक्विटी		
(ख) अधिमानी	—	—
(ii) डिबेंचर और बांड	—	—
(iii) म्यूचुअल फंड की यूनिट	—	—
(iv) सरकारी प्रतिभूतियां	—	—
(अ) अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	—	—
दीर्घकालिक निवेश:		
1. उद्भूत:		
(i) शेयर:		
(क) इक्विटी	—	—
(ख) अधिमानी	—	—
(ii) डिबेंचर और बांड	—	—
(iii) म्यूचुअल फंड की इकाइयां	—	—
(iv) सरकारी प्रतिभूतियां	—	—
(अ) अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	—	—
2. अनुद्भूत:		
(i) शेयर:		
(क) इक्विटी	68,081.97	68,081.97
(ख) अधिमानी		
(ii) डिबेंचर और बांड	32,470.68	24,538.00
(iii) म्यूचुअल फंड की इकाइयां	—	28,631.84
(iv) सरकारी प्रतिभूतियां	529,760.00	529,760.00
(अ) अन्य (इक्विटी शेयर पूंजी के सापेक्ष अग्रिम) (उद्यम पूंजी इकाइयों में निवेश)	601.56	601.56
(i) प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश	16,544.56	22,529.89
कुल	57,49,174.66	49,09,219.00

(6) उपरोक्त (3) और (4) के अनुसार वित्तपोषित परिसंपत्तियों का उधारकर्ता समूह-वार वर्गीकरण:			
श्रेणी	प्रावधानों की निवल राशि (31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार)		
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	कुल
1. संबंधित पक्षकार			
(क) सहायक	-	-	-
(ख) एक ही समूह की कंपनियां	-	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	-	-	-
2. संबंधित पक्षकारों के अलावा	30,79,681.52	18,31,978.35	49,11,659.87
कुल	30,79,681.52	18,31,978.35	49,11,659.87
श्रेणी	प्रावधानों की निवल राशि (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार)		
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	कुल
1. संबंधित पक्षकार			
(क) सहायक	-	-	-
(ख) एक ही समूह की कंपनियां	-	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	-	-	-
2. संबंधित पक्षकारों के अलावा	21,57,547.17	18,30,417.23	39,87,964.40
कुल	21,57,547.17	18,30,417.23	39,87,964.40
(7) शेयरों और प्रतिभूतियों (उद्धृत और गैर-उद्धृत दोनों) में सभी निवेशों (वर्तमान और दीर्घकालिए) का निवेशक समूह-वार वर्गीकरण			
श्रेणी	प्रावधानों की निवल राशि (31 मार्च 2023 तक)		
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	कुल
1. संबंधित पक्षकार			
(क) सहायक	-	62,905.95	62,905.95
(ख) एक ही समूह की कंपनियां	-	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	-	-	-
2. संबंधित पक्षकारों के अलावा	-	5,60,898.07	5,60,898.07
श्रेणी	प्रावधानों की निवल राशि (31 मार्च 2023 तक)		
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	कुल
1. संबंधित पक्षकार			
(क) सहायक	-	62,905.95	62,905.95
(ख) एक ही समूह की कंपनियां	-	28,631.84	28,631.84
(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	-	-	-
2. संबंधित पक्षकारों के अलावा	-	5,61,152.32	5,61,152.32
(8) अन्य सूचना			
क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
(i)	सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां		
	(क) संबंधित पक्षकार	-	-
	(ख) संबंधित पक्षकारों के अलावा	82,315.97	2,01,350.15
(ii)	निवल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां		
	(क) संबंधित पक्षकार	-	-
	(ख) संबंधित पक्षकारों के अलावा	23,439.27	59,440.72
(iii)	ऋण के समाधान के लिए अर्जित परिसंपत्तियां	शून्य	शून्य

23. भारतीय रिज़र्व बैंक (एनबीएफसी-स्केल आधारित विनियमन) निर्देश, 2023,
दिनांक 19.10.2023 (संशोधित) के अनुसार प्रकटीकरण

23.1 पूंजी

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
सीआरएआर (प्रतिशत)	28.15%	27.65%
सीआरएआर – टियर I पूंजी (प्रतिशत)	26.90%	26.40%
सीआरएआर – टियर II पूंजी (प्रतिशत)	1.25%	1.25%
टियर-II पूंजी के रूप में जुटाई गई अधीनस्थ ऋण की राशि	-	-
सतत ऋण लिखतों के निर्गम द्वारा जुटाई गई राशि	-	-

23.2 निवेश

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
1	निवेश का मूल्य		
(i)	निवेश का सकल मूल्य	6,47,458.77	6,74,143.26
	(क) भारत में	5,86,277.82	6,12,962.32
	(ख) भारत के बाहर	61,180.95	61,180.95
(ii)	मूल्यहास के लिए प्रावधान		
	(क) भारत में	23,654.75	21,453.15
	(ख) भारत के बाहर	-	-
(iii)	निवेश का निवल मूल्य	6,23,804.02	6,52,690.11
	(क) भारत में	5,62,623.07	5,91,509.17
	(ख) भारत के बाहर	61,180.95	61,180.95
2	निवेशों के मूल्यहास हेतु रखे गए प्रावधानों का संघलन		
(i)	आरंभिक शेष	21,453.15	22,173.36
(ii)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान जोड़ें	2,201.60	-
(iii)	घटाएँ वर्ष के दौरान बड़े खाते में डाले गए/ प्रतिलेखित अतिरिक्त प्रावधान	-	720.21
(iv)	अंत शेष	23,654.75	21,453.15

23.3 डेरिवेटिव

डेरिवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर:

गुणात्मक प्रकटीकरण

एनबीएफसी को डेरिवेटिव से संबंधित अपनी जोखिम प्रबंधन नीतियों का वर्णन करना आवश्यक है, जिसमें डेरिवेटिव का उपयोग किस सीमा तक किया जाता है और इससे जुड़े जोखिम और व्यावसायिक उद्देश्य शामिल हैं। 19 अक्टूबर, 2023 (संशोधित) के आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन में, इसका प्रकटीकरण निम्नानुसार किया जा रहा है:

- क) आईआईएफसीएल विदेशी मुद्रा उधार के मुद्रा और ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए डेरिवेटिव लेनदेन करता है। कंपनी ने हेजिंग नीति लागू की है जो निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित संसाधन और राजकोष नीति का एक हिस्सा है। कंपनी के डेरिवेटिव लेनदेन इस नीति द्वारा शासित होते हैं जो अंतर्निहित देयताओं के अनुसार हेजिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले लिखतों की रूपरेखा तैयार करती है।
- ख) आईआईएफसीएल विदेशी मुद्रा उधार पर उत्पन्न होने वाले ब्याज दर और मुद्रा जोखिम (बाजार जोखिम) को कम करने और हेजिंग के उद्देश्य से डेरिवेटिव लेनदेन करता है।
- ग) आईआईएफसीएल विदेशी मुद्रा उधार के विनियम और ब्याज दर जोखिम को हेज करने के उद्देश्य से डेरिवेटिव लेनदेन करता है, किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। डेरिवेटिव लेनदेन की शर्तें निरंतर प्रभावशीलता के लिए संबंधित अंतर्निहित (देयता) से मेल खाती हैं। उक्त प्रभावशीलता का पता हेज की शुरुआत के समय मिलान अवधि अवधारणा के माध्यम से लगाया जाता है।

- घ) आईआईएफसीएल व्युत्पन्न लेनदेन की स्थिति और उनके एमटीएम की रिपोर्ट वरिष्ठ प्रबंधन को मासिक आधार पर और निदेशक मंडल को अर्धवार्षिक आधार पर देता है। इसके अलावा, एमटीएम की निगरानी आईआईएफसीएल के आरएंडी सलाहकारों द्वारा अर्धवार्षिक आधार पर स्वतंत्र रूप से की जाती है।
- ङ) आईआईएफसीएल बहियों पर एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्न शून्य हैं।
- च) आईआईएफसीएल अपने विदेशी मुद्रा जोखिम को कम करने के लिए क्रॉस करेंसी इंटररेट रेट स्वेप करता है। मात्रात्मक प्रकटीकरण में दिखाए गए आंकड़ों को अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि सौदे मूलधन और ब्याज नकदी प्रवाह के लिए समेकित आधार पर बही में दर्ज किए जाते हैं।
- छ) हेज और नॉन-हेज लेनदेन रिकॉर्ड करने, आय, प्रीमियम और छूट की पहचान, बकाया सविदाओं का मूल्यांकन, प्रावधान, संपार्श्विक और ऋण जोखिम शमन के लिए लेखांकन नीति का प्रकटीकरण लेखांकन नीति 1(क)(5.2) में किया गया है।
- ज) निदेशक मंडल की प्रबंधन एवं निवेश समिति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत संसाधन एवं राजकोष नीति के अनुसार, आईआईएफसीएल अपनी स्थिति को कुल जोखिम के 65-70% के बीच प्रतिभूत रखेगा। इसके अलावा, अग्रिम प्रीमियम की बचत के साथ खुली स्थिति के विनिमय उतार-चढ़ाव का अंतर किसी भी समय कंपनी के निवल मूल्य के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, यदि पोर्टफोलियो के आधार पर वित्तीय वर्ष के दौरान रुपये 5: या उससे अधिक गिरता है, तो आईआईएफसीएल अपनी स्थिति को लगभग 75% पर प्रतिभूत रखेगा।

जोखिम प्रबंधन संरचना

- क) आईआईएफसीएल निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित एकीकृत जोखिम प्रबंधन ढांचे के अनुसार जोखिम का प्रबंधन करता है। इसके अलावा, आईआईएफसीएल की संसाधन और राजकोष नीति को बोर्ड की प्रबंधन और निवेश समिति द्वारा वार्षिक रूप से मंजूरी दी जाती है। ये दांचागत नीतियां, मार्गदर्शक मानदंड प्रदान करती हैं जिनके आधार पर आईआईएफसीएल विदेशी मुद्रा ऋण के कारण होने वाले मुद्रा जोखिम के प्रबंधन के लिए निर्णय लेता है।
- ख) आईआईएफसीएल ने व्यावसायिक प्रचालन में जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड स्तरीय परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ समिति) का भी गठन किया है। एएलसीओ चलनिधि और ब्याज दर जोखिमों की निगरानी करता है जिसमें परिसंपत्ति प्राप्तियों और ऋण सेवा दायित्वों की अल्पकालिक और दीर्घकालिक चलनिधि प्रोफाइल का आवधिक विश्लेषण शामिल है। डेरिवेटिव लेनदेन में देयताओं को हेज करने के लिए क्रॉस करेंसी स्वेप और करेंसी स्वेप शामिल हैं। ये डेरिवेटिव लेनदेन हेजिंग उद्देश्य, न कि ट्रेडिंग या सट्टा उद्देश्य, के लिए किए जाते हैं।

निहित जोखिम के प्रकार

- ऋण जोखिम – क्रेडिट जोखिम में उधारकर्ता की क्रेडिट गुणवत्ता में कमी से होने वाले नुकसान का जोखिम शामिल है, साथ ही यह जोखिम भी शामिल है कि उधारकर्ता ऋण या अग्रिम के तहत सविदागत चुकोती में चूक कर सकता है। आईआईएफसीएल के पास अवसरचना ऋण में क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन करने के लिए एकीकृत जोखिम प्रबंधन ढांचा है।
- बाजार जोखिम – बाजार जोखिम किसी लिखत या लिखतों के पोर्टफोलियो के बाजार मूल्य (कीमत) में प्रतिकूल परिवर्तन के कारण होने वाले नुकसान का जोखिम है। बाजार जोखिम में मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम शामिल हैं। रुपये और विदेशी मुद्राओं के बीच विनिमय दर में किसी भी परिवर्तन/उतार-चढ़ाव के कारण मुद्रा जोखिम उत्पन्न होता है। ब्याज दर जोखिम जोखिम मुख्य रूप से समय अवधि में ब्याज दरों में परिवर्तन से होता है। आईआईएफसीएल अपनी व्यावसायिक गतिविधि के एक भाग के रूप में बाजार जोखिम और ब्याज दर जोखिम का सामना करता है।
- चलनिधि जोखिम – चलनिधि जोखिम संस्था द्वारा वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने या उचित मूल्य पर उधार ली गई निधियों का उपयोग करके लेनदेन निष्पादित करने में विफलता के कारण होने वाले नुकसान का जोखिम है। बाजार में चलनिधि जोखिम या वित्तपोषण चलनिधि जोखिम हो सकता है। आईआईएफसीएल पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिनूतियों को बनाए रखने और पर्याप्त मात्रा में संयुक्त क्रेडिट लाइनों के माध्यम से वित्तपोषण तक पहुंच बनाकर चलनिधि जोखिम का प्रबंधन करता है।
- प्रचालन जोखिम – प्रचालन जोखिम अपर्याप्त प्रणाली और नियंत्रण, सूचना प्रणाली में कमियां, मानवीय भूल या प्रबंधन विफलता के परिणामस्वरूप होने वाली हानि का जोखिम है। आईआईएफसीएल की प्रचालन जोखिम प्रबंधन नीति प्रचालन जोखिमों का प्रबंधन करने का आशय रखती है।

वायदा दर करार/ब्याज दर स्वेप

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
(i)	स्वेप करारों का कल्पित सिद्धांत	9,78,703.35	9,99,203.47
(ii)	स्वेप में प्रवेश करने पर लागू एनबीएफसी द्वारा आवश्यक संपार्श्विक	-	-
(iii)	स्वेप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेन्द्रण *	Refer *	Refer *
(iv)	स्वेप बुक का उचित मूल्य	1,22,707.35	1,64,636.18

* कंपनी आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वेप करार करती है। बैंकों के साथ किए गए सभी स्वेप करार बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति में परिभाषित क्रेडिट जोखिम सीमा के भीतर हैं।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	
		मुद्रा व्युत्पन्न	व्याज दर व्युत्पन्न	मुद्रा व्युत्पन्न	व्याज दर व्युत्पन्न
(i)	व्युत्पन्न (सांकेतिक मूल राशि)	9,78,703.35	9,78,703.35	9,99,203.47	9,99,203.47
	हेजिंग के लिए	9,78,703.35	9,78,703.35	9,99,203.47	9,99,203.47
(ii)	बाजार के लिए सिद्धित स्थिति	1,22,707.35	1,22,707.35	1,64,636.18	1,64,636.18
	क. परिसंपत्ति (+)	1,27,388.82	1,27,388.82	1,65,494.59	1,65,494.59
	ख. देयता (-)	4,681.47	4,681.47	(858.41)	(858.41)
(iii)	ऋण जोखिम	-	-	-	-
(iv)	अप्रतिभूत जोखिम	4,50,191.88	4,50,191.88	4,70,152.76	4,70,152.76

23.4 प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/ पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय परिसंपत्तियों का विवरण:

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
(i)	खातों की संख्या	-	-
(ii)	एससी/आरसी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्राक्धानों को घटाकर)	-	-
(iii)	समग्र प्रतिफल	-	-
(iv)	पिछले वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	-	-
(v)	निवल बही मूल्य पर कुल (लाभ)/हानि	-	-

23.5 बेची गई गैर-निष्पादित वित्तीय परिसंपत्तियों का विवरण:

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
(i)	बेचे गए खातों की संख्या	-	-
(ii)	कुल बकाया	-	-
(iii)	प्राप्त कुल प्रतिफल	-	-

23.6 परिसंपत्ति देयता प्रबंधन

31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार परिसंपत्तियों और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता पैटर्न:

(₹ लाख में)

विवरण	1 दिन से 7 दिन तक	8 से 14 दिन	15 से 30/31 दिन	1 माह से 2 माह तक	2 माह से 3 माह तक	3 माह से 1 वर्ष तक	6 माह से 1 वर्ष तक	6 माह से 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक से 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
उपधा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अधिक	851.27	851.27	9477.2	3,471.10	14,035.41	52,457.77	1,07,856.08	8,41,277.80	8,63,972.39	18,76,640.31	37,70,890.60
निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,29,760.00	5,29,760.00
उपधारी	-	-	1,00,000.00	-	-	1,00,000.00	1,00,000.00	791.10	4,34,678.21	15,53,867.19	22,89,336.50
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा पैमानाएं	0	3966.74	5212.03	5,101.01	27,829.13	9,993.54	53,032.94	2,22,202.07	2,40,365.15	10,00,923.17	15,68,625.57
बैंकों से उधार	3069.69	-	-	4,993.13	16,466.91	7,538.69	32,836.35	1,35,067.61	1,44,758.21	7,87,502.08	11,32,232.67

31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार परिसंपत्तियों और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता पैटर्न:

(₹ लाख में)

विवरण	1 दिन से 7 दिन तक	8 से 14 दिन	15 से 30/31 दिन	1 माह से 2 माह तक	2 माह से 3 माह तक	3 माह से 1 वर्ष तक	6 माह से 1 वर्ष तक	6 माह से 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक से 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अग्रिम	-	3,350.86	24,003.04	23,920.00	91,631.78	1,28,607.52	6,26,718.50	11,01,938.36	10,52,299.26	23,87,434.57	54,39,903.68
निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,29,760.00	5,29,760.00
उधार	-	-	-	-	-	1,500.00	2,43,854.45	3,00,791.10	95,751.71	11,92,793.69	18,34,690.95
विदेशी मुद्रा संपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा देयताएं	-	-	9,594.72	4,788.15	26,388.03	9,380.44	51,000.23	2,13,183.77	2,29,732.30	11,03,102.04	16,47,169.69
द्विपक्षीय जमा	-	-	8,23,265.84	-	-	-	-	-	-	-	8,23,265.84

23.7 एक्सपोजर**23.7.1 रियल एस्टेट क्षेत्र में एक्सपोजर**

31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार कंपनी का रियल एस्टेट क्षेत्र में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष एक्सपोजर नहीं है (विगत वर्ष शून्य)।

23.7.2 पूंजी बाजार में एक्सपोजर:

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
(i)	इक्विटी शेयरों, संपरिवर्तनीय बांडों, संपरिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसका कोष विशेष रूप से कॉर्पोरेट ऋण में निवेशित नहीं है;	-	-
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), संपरिवर्तनीय बांड, संपरिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश के लिए व्यक्तियों को शेयरों/बांडों/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के सापेक्ष या स्वच्छ आधार पर अग्रिम;	-	-
(iii)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां शेयर या संपरिवर्तनीय बांड या संपरिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयां प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में ली जाती हैं;	-	-
(iv)	शेयरों या संपरिवर्तनीय बांडों या संपरिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत सीमा तक किसी भी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, अर्थात् जहां शेयरों/परिवर्तनीय बांडों/परिवर्तनीय डिबेंचर/इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिम को पूरी तरह से कवर नहीं करती है;	-	-
(v)	स्टॉकब्रोकरों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम तथा स्टॉकब्रोकरों और मार्केट मेकर्स की ओर से जारी की गई गारंटियां;	-	-
(vi)	संसाधनों को जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रमोटर के योगदान को पूरा करने के लिए शेयरों/बांडों/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिभूति के सापेक्ष या स्वच्छ आधार पर कॉर्पोरेट को स्वीकृत ऋण;	-	-
(vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों के सापेक्ष कंपनियों को ब्रिज ऋण;	-	-
(viii)	वेंचर कैपिटल फंड्स (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) में सभी निवेश	601.56	601.56

23.8 अतिरिक्त प्रकटीकरण: प्रावधान और आकस्मिकताएँ

(₹ लाख में)

क्र. सं.	लाम और हानि विवरण में दर्शाए गए प्रावधानों और आकस्मिकताओं का विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
(i)	निर्देश पर मूल्यहास के लिए प्रावधान	23,654.75	21,453.15
(ii)	एनपीए के लिए प्रावधान	82,315.97	1,41,909.42
(iii)	आयकर के लिए प्रावधान (स्थगित कर सहित)	47,689.85	20,119.83
(iv)	मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान (पुनर्गठित खातों और एसडीआर खातों सहित)	1,26,062.93	90,246.69

23.9 अग्रिम, ऋण-अधियोग और एनपीए का संकेन्द्रण:

(i) अग्रिमों का संकेन्द्रण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	28,61,284.75	26,73,383.17
एनबीएफसी के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	56.08%	63.24%

(ii) उधार का संकेन्द्रण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के प्रति कुल उधार	28,61,284.75	26,73,383.17
एनबीएफसी के उधारकर्ताओं / ग्राहकों पर कुल उधार में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों के लिए उधार का प्रतिशत	56.08%	63.24%

(iii) एनपीए का संकेन्द्रण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
शीर्ष चार एनपीए खातों में कुल उधार	61,571.64	1,08,879.48

(iv) सेक्टर अनुसार एनपीए

क्र.सं.	सेक्टर	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत	
		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	-	-
2	एमएसएमई	-	-
3	कॉर्पोरेट उधारकर्ता	1.61%	4.76%
4	सेवाएं	-	-
5	अप्रतिभूत व्यक्तिगत ऋण	-	-
6	ऑटो ऋण	-	-
7	अन्य व्यक्तिगत ऋण	-	-

(v) एनपीए की गतिविधि:

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
(i)	निवल एनपीए से निवल अग्रिम (प्रतिशत)	0.46%	1.45%
(ii)	सकल अग्रिम में निवल एनपीए (प्रतिशत)	0.46%	1.41%
(iii)	एनपीए का संघलन (सकल)		
	(क) प्रारंभिक शेष	2,01,350.15	3,63,177.58
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन/रिवर्सल	-	1,984.87
	(ग) वर्ष के दौरान कटौती/बड़े खाते में डालना	1,19,034.17	1,63,812.31
	(घ) अंत शेष	82,315.97	2,01,350.15
(iii)	निवल एनपीए की गतिविधि		
	(क) प्रारंभिक शेष	59,440.72	1,35,288.05
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन/रिवर्सल	-	1,104.83
	(ग) वर्ष के दौरान कटौती	36,001.45	76,952.16
	(घ) अंत शेष	23,439.27	59,440.72
(iv)	एनपीए के लिए प्रावधानों का संघलन (मानक परिसंपत्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)		
	(क) प्रारंभिक शेष	1,41,909.42	2,27,889.54
	(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	-	880.04
	(ग) बड़े खाते में डाले गए/प्रतिलेखित अतिरिक्त प्रावधान	83,032.72	86,860.16
	(घ) अंत शेष	58,876.70	1,41,909.42

23.10 ग्राहक शिकायतें

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
(क)	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	-	-
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	506	531
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	506	531
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	-	-

23.11 अतिरिक्त प्रकटीकरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	प्रकटीकरण	टिप्पणी
(i)	अन्य वित्तीय विनियामक से प्राप्त पंजीकरण / लाइसेंस / प्राधिकरण	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से प्राप्त कॉर्पोरेट पहचान संख्या U67190DL2006GOI144520
(ii)	वर्ष के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई रेटिंग और रेटिंग में परिवर्तन	कंपनी द्वारा जारी घरेलू बॉन्ड के लिए विभिन्न रेटिंग एजेंसियों द्वारा एएए स्थिर रेटिंग दी गई है। 2023-24 के लिए कंपनी की अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एसएएफपी बीबीबी है। चालू वर्ष 2023-24 के दौरान रेटिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
(iii)	किसी विनियामक द्वारा लगाया गया जुर्माना, यदि कोई हो	शून्य
(iv)	क्षेत्र, देश और संयुक्त उद्यम भागीदारों की जानकारी	
	(क) संयुक्त उद्यम	कोई नहीं
	(ख) विदेशी सहायक कंपनी	आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, जो लंदन, यूनाइटेड किंगडम से प्रचालन करती है और भारत में अवसरचना परियोजनाओं को वित्तपोषित करती है।

23.12 पुनर्गठित खातों का प्रकटीकरण

क्र. सं.	पुनर्गठन का प्रकार	सीडीआर तंत्र के अंतर्गत	ईएफएच अथवा पुनर्गठन तंत्र के अंतर्गत	अन्य (₹ लाख में)					कुल (₹ लाख में)										
				मानक	अन्य-मानक	सदस्य	हानि	कुल	मानक	अन्य-मानक	सदस्य	हानि	कुल						
विवरण																			
1	01.04.2023 तक की स्थिति के अनुसार पुनर्गठित खाते	उधारकर्ताओं की संख्या बढ़ाया जा रहा है। इस पर प्रत्यक्ष	-	-	11	1,31,645.88	6	59,549.94	17	1,91,195.82	11	1,31,645.88	6	59,549.94	17	1,91,195.82	30,500.90	21,507.77	
2	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान किए गये पुनर्गठन	उधारकर्ताओं की संख्या बढ़ाया जा रहा है। इस पर प्रत्यक्ष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पुनर्गठित मानक श्रेणी में पुनर्गठन	उधारकर्ताओं की संख्या बढ़ाया जा रहा है। इस पर प्रत्यक्ष	-	-	7	20,022.13	-	-	7	20,022.13	7	20,022.13	-	-	-	7	20,022.13	2,173.56	2,173.56
4	पुनर्गठित मानक श्रेणी की वित्तीय वर्ष के अंत में संयोजित और/या अतिरिक्त जांचित भार को शामिल करना बाद में देते हैं और इसलिए उन्हें अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 की मुख्यतः से पुनर्गठित मानक श्रेणी के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है।	उधारकर्ताओं की संख्या बढ़ाया जा रहा है। इस पर प्रत्यक्ष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पुनर्गठित खातों का स्वरूप-अवलोकन	उधारकर्ताओं की संख्या बढ़ाया जा रहा है। इस पर प्रत्यक्ष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पुनर्गठित खातों का बड़े खातों में आसरा / एवं पुनर्गठन	उधारकर्ताओं की संख्या बढ़ाया जा रहा है। इस पर प्रत्यक्ष	-	-	-	-	6	59,549.94	6	59,549.94	-	-	-	6	59,549.94	6	59,549.94	21,507.77	21,507.77
7	31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार पुनर्गठित खाते (अंतिम आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या बढ़ाया जा रहा है। इस पर प्रत्यक्ष	-	-	4	1,11,623.75	4	1,11,623.75	4	1,11,623.75	4	1,11,623.75	-	-	-	4	1,11,623.75	6,819.57	6,819.57

23.13 विदेशी परिसंपत्तियां (विदेश में संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों वालों के लिए)

संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनी का नाम	संयुक्त उद्यम में अन्य भागीदार	देश	कुल परिसंपत्ति (राशि डॉलर में)
आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड	कोई नहीं	यूनाइटेड किंगडम	शून्य। आईआईएफसीएल की आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड के पास कोई विदेशी परिसंपत्ति नहीं है।

24. एनबीएफसी पर भारतीय रिजर्व बैंक के स्केल आधारित विनियमन के अनुसार प्रकटीकरण:

- क) रियल एस्टेट क्षेत्र में एक्सपोजरस आईआईएफसीएल का रियल एस्टेट क्षेत्र में एक्सपोजर टिप्पणी 1 (ख) 23.7.1 में प्रकट किया गया है।
- ख) पूंजी बाजार में एक्सपोजरस आईआईएफसीएल का पूंजी बाजार में एक्सपोजर टिप्पणी 1(ख) 23.7.2 में प्रकट किया गया है।
- ग) सेक्टरल एक्सपोजर:

सेक्टर	चालू वर्ष			विगत वर्ष		
	कुल एक्सपोजर (तुलन-पत्र और ऑफ-तुलन-पत्र एक्सपोजर शामिल है)*	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल एक्सपोजर में सकल एनपीए का प्रतिशत	कुल एक्सपोजर (तुलन-पत्र और ऑफ-तुलन-पत्र एक्सपोजर शामिल है)*	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल एक्सपोजर में सकल एनपीए का प्रतिशत
कॉर्पोरेट क्षेत्र	51,45,272.36	82,315.97	1.60%	42,82,009.49	2,01,350.15	4.70%

**इसमें बकाया शेष राशि और बकाया साख पत्र शामिल है।

- घ) अंतर-समूह एक्सपोजरस आईआईएफसीएल के अंतर-समूह एक्सपोजर का प्रकटीकरण टिप्पणी 1 (ख) 5 (ग) में किया गया है।
- ड) अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजरस आईआईएफसीएल के अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर का प्रकटीकरण टिप्पणी 1(ख)14(ख) में किया गया है।
- च) लागू एनबीएफसी द्वारा पार की गई एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल)/समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का विवरण।
- क. 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार सीमा से अधिक एकल एक्सपोजर की सूची- शून्य
- ख. 31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार सीमा से अधिक एकल एक्सपोजर की सूची- शून्य
- ग. 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार सीमा से अधिक समूह एक्सपोजर की सूची- शून्य
- घ. 31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार सीमा से अधिक समूह एक्सपोजर की सूची- शून्य
- छ) संबंधित पक्षकार प्रकटीकरणस आईआईएफसीएल का संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण टिप्पणी 1(ख) 5(ख) में प्रकट किया गया है।
- ज) शिकायतों का प्रकटीकरणस आईआईएफसीएल की शिकायतों का प्रकटीकरण टिप्पणी 1(ख) 23.10 में किया गया है। इसके अलावा, शिकायतों के आधारों की संख्या को अन्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- झ) संविदा का उल्लंघनस शून्य
- ञ) परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलनस शून्य

25. पूंजी प्रबंधन:

इंड एस 1 के पैरा 134-136, वित्तीय विवरण की प्रस्तुति की आवश्यकता के अनुसार पूंजी प्रबंधन के बारे में प्रकटीकरण के संदर्भ में, यह उल्लेख किया गया है कि आईआईएफसीएल एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-अवसरधना वित्त कंपनी (एनबीएफसी-आईएफसी) होने के नाते, आईआईएफसीएल को आरबीआई विनियमों के अनुसार स्वामित्व वाली निधियों के रूप में संदर्भित पूंजी बनाए रखना आवश्यक है।

आरबीआई मास्टर निर्देश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 के अनुसार, स्वामित्व निधि से संचित इक्विटी पूंजी, वरीयता शेर जो अनिवार्य रूप से इक्विटी में परिवर्तनीय हैं, मुक्त आरक्षिती, शेर प्रीमियम खाते में शेष राशि और परिसंपत्ति के पुनर्मूल्यांकन द्वारा बनाई गई आरक्षिती को छोड़कर पूंजी आरक्षिती, जो परिसंपत्ति की बिक्री आय से उत्पन्न अधिशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं, में से संचित हानि शेष, अमूर्त परिसंपत्तियों का बही मूल्य और आस्थगित राजस्व व्यय, यदि कोई हो, को घटाकर शेष आरक्षिती अभिप्रेत हैं।

भारत सरकार ने समय-समय पर आईआईएफसीएल में पूंजी निवेश किया है। इससे आईआईएफसीएल आरबीआई द्वारा निर्धारित पूंजी आवश्यकताओं का अनुपालन करने में सक्षम हुआ है। इसके अलावा, आईआईएफसीएल भारत सरकार के निर्देशों के अधीन पूंजी अर्थात् निवल स्वामित्व वाली निधियों पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए लामांश के वितरण पर विचार करता है। रिपोर्टिंग वर्षों के दौरान पूंजी प्रबंधन के संबंध में उद्देश्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

26. वित्त मंत्रालय के निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम) ने अपने कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ. संख्या 5/1/2016-नीति दिनांक 27 मई 2016 के माध्यम से पीएसयू द्वारा शेयरों के पूंजी पुनर्गठन पर दिशानिर्देश जारी किए। बोनस शेयर निर्गम और शेयरों के विभाजन के लिए दिशानिर्देश आईआईएफसीएल पर लागू नहीं हैं।
27. वित्त मंत्रालय के निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के 27 मई 2016 को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पूंजी पुनर्गठन पर दिशा-निर्देशों के अनुसार, सीपीएसई को मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत अनुमत अधिकतम लाभांश के अधीन पीएटी का 30: या नेटवर्थ का 5: जो भी अधिक हो, का न्यूनतम वार्षिक लाभांश देना आवश्यक है। इस संबंध में, आईआईएफसीएल ने 21 सितंबर 2016 के पत्र के माध्यम से सरकार से वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2017-18 तक कम से कम 3 वर्षों के लिए लाभांश के भुगतान से छूट देने का अनुरोध किया था। इसके बाद, आईआईएफसीएल ने 19 सितंबर 2019 के पत्र के माध्यम से सरकार से वित्त वर्ष 2021-22 तक कम से कम 3 वर्षों के लिए लाभांश के भुगतान से छूट देने का अनुरोध किया था। आईआईएफसीएल के पत्र का उत्तर प्रतीक्षित है।
- इसके अलावा, आरबीआई परिपत्र आरबीआई/2021-22/59, डीओआर.एससी.आरईसी.सं. 23/21.02.067/2021-22 दिनांक 24 जून 2021 के अनुसार न्यूनतम आवश्यकता यह है कि यदि किसी एनबीएफसी का एनएनपीए पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक में 6: से कम है, जिसमें उस वित्तीय वर्ष के अंत तक का समय भी शामिल है जिसके लिए लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव है, तो उसे लाभांश घोषित करना होगा। उपर्युक्त पात्रता मानदंडों के अनुसार, आईआईएफसीएल लाभांश घोषित करने के लिए अपात्र था और तदनुसार, आईआईएफसीएल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लाभांश घोषित नहीं किया।
- वित्त वर्ष 2023-24 के संबंध में, आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल ने 28 मार्च 2024 को आयोजित अपनी बैठक में भारत सरकार से लाभांश भुगतान से छूट प्रदान करने का अनुरोध करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसे भारत सरकार को भेजा जा रहा है।
28. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षा के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कर-पूर्व लाभ में ₹12,424.94 लाख की कमी दर्शाई है, जिसका कंपनी की ऋण परिसंपत्तियों पर भी प्रभाव पड़ा है। यह कंपनी द्वारा लेखा सॉफ्टवेयर में तकनीकी गड़बड़ियों का समाधान करने के लिए पारित किए गए समाधान प्रविष्टियों के कारण है, जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्षों से संबंधित ब्याज आय में ₹12,424.94 लाख की राशि का उलटफेर हुआ। लेखापरीक्षकों ने संकेत दिया है कि कंपनी ने इंड एस 8 "लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियों" का अनुपालन नहीं किया है, जिसके लिए वित्तीय विवरणों के पहले सेट में पूर्वव्यापी रूप से महत्वपूर्ण पूर्व अवधि को सही करने और वित्तीय विवरणों को फिर से वर्णित करने की आवश्यकता है।
- पारित की गई समाधान प्रविष्टियों के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि आईआईएफसीएल ने उन्नत आईटी प्रणाली के कार्यान्वयन के उद्देश्य से नियुक्त बाहरी आईटी सलाहकार से अनुरोध किया कि वह बताए गए अंतर के मूल की समीक्षा और समाधान भी करे। सलाहकार ने प्रकटीकरण किया कि यह अंतर आईटी प्रणाली में रूटिंग लेजर के सिंक न होने के कारण था।
- परिणामस्वरूप, आईटी सलाहकार ने विभिन्न खातों को प्रभावित करने वाली सुलह और समायोजन प्रविष्टियों की सलाह दी थी। सुलह का काम अभी भी जारी है। यह पहला वर्ष है जब सिस्टम त्रुटियों का निदान किया गया था, हालांकि, कंपनी ने चालू वित्तीय वर्ष में समायोजन प्रविष्टियों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती है। तदनुसार, कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 से पहले की अवधि के लिए ब्याज आय के उलट होने के कारण ₹12,424.94 लाख की प्रविष्टियां की गईं।
- कंपनी ने माना है कि बाहरी आईटी सलाहकार द्वारा दिए गए संकल्प के आधार पर पारित प्रविष्टियों पर इंड एस 8 के प्रावधान लागू नहीं होते, क्योंकि प्रविष्टियां किसी इकाई के वित्तीय प्रदर्शन की एक विशेष प्रस्तुति प्राप्त करने के लिए इरादतन नहीं की जाती हैं और इसलिए, उन्हें त्रुटि के रूप में नहीं गिना जाता है। इसके अलावा, संकल्प न तो पिछले वर्षों में उपलब्ध थे जब उन अवधियों के लिए वित्तीय विवरण जारी करने के लिए अनुमोदित किए गए थे, न ही, उचित रूप से यह उम्मीद की जा सकती थी कि उन्हें प्राप्त किया गया होगा और संबंधित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति में ध्यान में रखा गया होगा।
29. नीति संख्या 1(क)(5.2(क)(क)) के अनुसार अग्रिम शुल्क, प्रोफेसिंग शुल्क या ऋण परिसंपत्तियों से सीधे संबंधित कोई अन्य शुल्क, जो कुल आय का 0.5: से अधिक नहीं है, को आरंभ में लाभ एवं हानि विवरण में उपाजर्ज के आधार पर मान्य किया जाता है।
30. आईआईएफसीएल ने एनएचडीपी चरण 2 के तहत झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में टोल आधार पर एनएच-02 के मौजूदा चार लेन वाले बरवा अड्डा - पानागढ़ सेक्शन को 398.240 किमी से 521.120 किमी तक छह लेन का बनाने की परियोजना के आंशिक वित्तपोषण में भाग लिया था। परियोजना के प्रमोटर अर्थात् आईएलएंडएफएस और इसकी समूह कंपनियां एनसीएलटी और माननीय एनसीएलटी ने 15 अक्टूबर, 2018 के अपने आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ आईएलएंडएफएस और उसकी समूह कंपनियों के विरुद्ध किसी भी मुकदमे या कार्यवाही की शुरुआत पर रोक लगा दी और ऋणदाताओं को बकाया राशि के भुगतान पर रोक लगा दी। वर्तमान में, कंपनी ने पुनर्गठन योजना के साथ संघ से संपर्क किया है। यह संघ के ऋणदाताओं के साथ प्रक्रियाधीन है।
31. आईआईएफसीएल को एनबीसीसी लिमिटेड द्वारा पट्टाधारिता आधार पर किदवई नगर में निर्मित स्थान (वाणिज्यिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र और पार्किंग स्लॉट) आवंटित किया गया है। आवंटन की शर्तों के अनुसार, स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क, बिक्री मूल्य पर जीएसटी/अन्य संबद्ध शुल्क, ग्राउंड रेंट और परिसंपत्ति कर का भुगतान एनबीसीसी द्वारा मांगे जाने पर किया जाना है।
32. भारत सरकार ने 9 फरवरी 2012 के पत्र के माध्यम से आईआईएफसीएल को सूचित किया कि यह निर्णय लिया गया है कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनआईसीडीसी) जो कि पहले दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(3डीएमआईसीडीसी) था, की 41: की इक्विटी आईआईएफसीएल द्वारा अधिग्रहित की जाएगी, भले ही आईआईएफसीएल को एसआईएफटीआई, व्यवहार्य अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण की योजना के अनुसार इक्विटी शेयर हासिल करने का अधिकार नहीं है, जिसके तहत आईआईएफसीएल अपनी गतिविधियों को पूरा करता है। एनआईसीडीसी की इक्विटी में आगे के निवेश के बाद, वित्त वर्ष 2012-13 में आईआईएफसीएल की शेयरधारिता 4.1: हो गई। तदनुसार, आईआईएफसीएल ने लागत पर निवेश का मूल्यांकन किया है।

33. 27 मार्च 2020 और 17 अप्रैल 2020 के कोविड-19 नियामक पैकेज से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार, आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, वित्तीय संस्थानों और एनबीएफसी को सभी सावधि ऋणों की किस्तों के भुगतान पर 3 माह का स्थगन देने की अनुमति दी, जो 29 फरवरी 2020 तक मानक परिसंपत्ति थीं। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लॉकडाउन के कारण उधारकर्ताओं की कठिनाई को कम करने में मदद करना था। 1 मार्च 2020 और 31 मई 2020 के बीच देय मूलधन/या ब्याज घटकों आदि सहित सभी किस्तों के भुगतान पर शुरू में तीन माह के लिए स्थगन दिया गया था। 22 मई 2020 को, आरबीआई ने इस स्थगन अवधि को अतिरिक्त 3 माह अर्थात् 31 अगस्त, 2020 तक बढ़ा दिया। जिन सभी खातों पर स्थगन दिया गया था, उनके खातों की आयु स्थगन अवधि के दौरान स्थिर रही। ऋणदाताओं को अपने ग्राहकों को स्थगन देने से पहले बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति लागू करनी थी। ऋणदाताओं ने स्थगन देने में या तो १ ऑफ्ट-इनश या ३ऑफ्ट-आउटश संरचना जैसे अलग-अलग तरीके अपनाए हैं।

आईआईएफसीएल ने आरबीआई के परिपत्र के अनुसार मार्च 2020 से अगस्त 2020 की अवधि के लिए दिए गए सावधि ऋणों के पात्र मामलों में ब्याज और मूलधन के भुगतान के लिए स्थगन को बढ़ा दिया है। ऐसे मामलों में बनाई गई सुविधा की चुकौती मूल सावधि ऋण के चुकौती अवधि के भीतर निर्धारित किया गया है। 30 सितंबर 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान, आईआईएफसीएल ने 1 जुलाई 2015 के निर्देश संख्या डीसीबी, बीपीडी (पीसीबी) एमसी संख्या 12/09.14.000/2015-16 के अनुसार पुनर्गठन के रूप में माने बिना स्थगन ऋण मामलों में आस्थगित ब्याज आय को मान्यता दी। आईआईएफसीएल ने 12 नवंबर 2020 के पत्र के माध्यम से आरबीआई से यह मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया कि आईआईएफसीएल द्वारा ब्याज आय की मान्यता नियामक अनुरूपता के अनुरूप है। परिणामस्वरूप 31 मार्च 2021 तक, आईआईएफसीएल ने स्थगन ऋण मामलों पर स्थगन अवधि के लिए ₹45,914.50 लाख की अप्राप्त ब्याज आय की मान्यता को बाद में वसूली तक के लिए पारम्परिक रूप से स्थगित कर दिया है।

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, आईआईएफसीएल को ₹16,098.14 लाख की राशि की चुकौती प्राप्त हुई है।

34. "कोविड 19 नियामक पैकेज की समाप्ति के बाद परिसंपत्ति वर्गीकरण और आय मान्यता" पर आरबीआई परिपत्र दिनांक 07.04.2021 के निर्देशों के अनुसार, बैंक सभी उधारकर्ताओं से लिए गए श्रृंखला पर ब्याज को वापस/समायोजित करेगा, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने 01.03.2020 से 31.08.2020 तक स्थगन अवधि के दौरान कार्यशील पूंजी सुविधाओं का लाभ उठाया था, भले ही स्थगन का पूर्ण या आंशिक रूप से लाभ उठाया गया हो या नहीं उठाया गया हो। इन निर्देशों के अनुसरण में, विभिन्न सुविधाओं के लिए वापस/समायोजित की जाने वाली राशि की गणना के लिए कार्यप्रणाली को भारतीय बैंक संघ (आईबीक) द्वारा अन्य उद्योग प्रतिभागियों/निकायों के परामर्श से सभी ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा अपनाने के लिए अंतिम रूप दिया गया है। तदनुसार, आईबीक ने अपने पत्र दिनांक 19.04.2021 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार वापसी/समायोजन के लिए अंतिम रूप दी गई कार्यप्रणाली की जानकारी दी है। तदनुसार, आईआईएफसीएल ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹2,500 लाख की ब्याज आय पर ब्याज की अनुमानित राशि को मान्यता नहीं दी है। ब्याज आय का क्रेडिट अभी तक उधारकर्ताओं को नहीं दिया गया है।

35. कर व्यय तथा भारत की कर दर से लेखांकन लाभ के गुणनफल (इंड एस 12) का समाधान:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
कर पूर्व लाभ	2,02,850.56	1,27,679.34
सांविधिक आयकर दर	25.17%	25.17%
अपेक्षित आयकर व्यय	51,053.43	32,134.34
आयकर समायोजन का कर प्रभाव:		
आयकर अधिनियम की धारा 36(1) के तहत कटौती का लाभ	-	-
निवल प्राक्कान अस्वीकृत	(12,346.24)	(20,504.77)
आयकर की गैर-अनुमति	6,776.92	1,372.63
आयकर विगत वर्ष	(2.30)	(54.68)
अन्य	11,362.82	15,528.91
आस्थगित कर	(9,154.78)	(8,356.60)
कर व्यय	(47,689.85)	(20,119.83)

36. परिशोधित लागत/उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य मापन पदानुक्रम:

क. उचित मूल्य पदानुक्रम

स्तर 1- सक्रिय बाजारों में समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए उद्धृत मूल्य (असमायोजित)

स्तर 2- स्तर 1 में शामिल उद्धृत मूल्यों के अलावा अन्य इनपुट जो परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात् मूल्यों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात् मूल्यों से डेरिवेटिव) अवलोकनीय हैं।

स्तर 3- उन परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए इनपुट जो अवलोकनीय बाजार डेटा पर आधारित नहीं हैं (जो अवलोकनीय इनपुट नहीं हैं)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष		
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय परिसंपत्ति:			
परिशोधित लागत	-	-	63,35,890.11
एफवीटीपीएल	-	16,544.56	1,37,300.86
वित्तीय दायित्व:			
परिशोधित लागत	-	-	50,92,336.81

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष		
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय परिसंपत्ति:			
परिशोधित लागत	-	-	54,23,079.84
एफवीटीपीएल	-	51,161.72	173,498.62
वित्तीय दायित्व:			
परिशोधित लागत	-	-	43,85,594.23

ख. परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	
	बहन मूल्य	उचित मूल्य	बहन मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय पूंजी	64,03,174.85	64,03,174.85	55,63,381.09	55,63,381.09
वित्तीय देयताएं	50,92,336.81	50,92,336.81	43,85,594.23	43,85,594.23

37. चरणवार एक्सपोजर और क्षतिग्रस्तता हानि का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष तक				
कुल एक्सपोजर	49,09,372.06	1,07,884.57	82,315.97	50,99,572.60
क्षतिग्रस्तता भत्ता	74,908.67	51,154.26	58,876.70	1,90,056.02
ईसीएल %	1.53%	47.42%	71.53%	3.72%
31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार				
कुल एक्सपोजर	39,58,453.03	65,337.48	2,01,350.15	42,25,140.66
क्षतिग्रस्तता भत्ता	61,277.68	35,924.34	1,41,909.42	2,39,111.45
ईसीएल %	1.55%	54.98%	70.48%	5.66%

38. भारतीय रिजर्व बैंक के आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंड (आईआरएसीपी) के अनुसार आवश्यक प्रावधान और इंड एस 109 श्वितीय लिखतश के अनुसार क्षतिग्रस्तता भत्ते की तुलना:

वित्त वर्ष 2023-24

(₹ लाख में)

आरबीआई मानदंडों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एस 109 के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एस के अनुसार सकल वहन राशि	इंड एस 109 के अंतर्गत आवश्यक क्षतिग्रस्तता भत्ता (प्रावधान)	निवल वहन राशि	आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान	इंड एस 109 प्रावधानों और आईआरएसीपी मानदंडों के बीच अंतर
1	2	3	4	(5)=(3)-(4)	6	(7) = (4)-(6)
निष्पादित परिसंपत्तियां						
मानक	चरण 1	49,09,372.06	74,908.67	48,34,463.39	19,622.53	55,286.14
	चरण 2	1,07,884.57	56,270.64	51,613.93	6,819.57	49,451.07
	एफआईटीएल	3,203.49	3,203.49	-	3,203.49	-
उप-योग		50,20,460.12	1,34,382.80	48,86,077.32	29,645.59	1,04,737.21
नैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए)						
अवमानक	चरण 3	-	-	-	-	-
संदिग्ध - 1 वर्ष तक	चरण 3	-	-	-	-	-
1 से 3 वर्ष	चरण 3	35,636.47	19,677.70	15,958.77	10,690.94	8,986.76
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	46,679.50	39,199.00	7,480.50	26,907.27	12,291.74
संदिग्ध के लिए उप-योग		82,315.97	58,876.70	23,439.27	37,598.21	21,278.50
हानि	चरण 3	82,315.97	58,876.70	23,439.27	37,598.21	21,278.50
एनपीए के लिए उप-योग		82,315.97	58,876.70	23,439.27	37,598.21	21,278.50
अन्य मदें जैसे गारंटी, ऋण प्रतिबद्धताएं, आदि जो इंड एस 109 के दायरे में हैं, लेकिन वर्तमान आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) मानदंडों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं	चरण 1	-	-	-	-	-
	चरण 2	-	-	-	-	-
	चरण 3	-	-	-	-	-
उप-योग		-	-	-	-	-
	चरण 1	49,09,372.06	74,908.67	48,34,463.39	19,622.53	55,286.14
	एफआईटीएल	3,203.49	3,203.49	-	3,203.49	-
	चरण 2	1,07,884.57	56,270.64	51,613.93	6,819.57	49,451.07
	चरण 3	82,315.97	58,876.70	23,439.27	37,598.21	21,278.50
	कुल	51,02,776.09	1,93,259.51	49,09,516.59	67,243.80	1,26,015.71

वित्त वर्ष 2022-23

आरबीआई मानदंडों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एस 109 के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एस के अनुसार सकल वहन राशि	इंड एस 109 के अंतर्गत आवश्यक क्षतिग्रस्तता भत्ता (प्रावधान)	निवल वहन राशि	आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान	इंड एस 109 प्रावधानों और आईआरएसीपी मानदंडों के बीच अंतर
1	2	3	4	(5)=(3)-(4)	6	(7) = (4)-(6)
निष्पादित परिसंपत्तियाँ						
मानक	चरण 1	39,58,453.03	61,277.68	38,97,175.35	15,568.58	45,709.10
	चरण 2	65,337.48	35,924.34	29,413.14	8,993.13	26,931.21
	एफआईटीएल	3,766.67	3,766.67	-	3,766.67	-
उप-योग		40,27,557.19	1,00,968.70	39,26,588.49	28,328.38	72,640.32
नैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए)						
अवमानक	चरण 3	1,984.87	880.04	1,104.83	198.49	681.56
संदिग्ध - 1 वर्ष तक	चरण 3	57,563.07	25,522.03	32,041.04	11,512.61	14,009.41
1 से 3 वर्ष	चरण 3	63,685.97	48,191.52	15,494.45	19,105.79	29,085.73
3 वर्ष से अधि	चरण 3	78,116.24	67,315.83	10,800.40	41,220.14	26,095.70
संदिग्ध के लिए उप-योग		1,99,365.27	1,41,029.38	58,335.89	71,838.54	69,190.84
हानि	चरण 3	-	-	-	-	-
एनपीए के लिए उप-योग		2,01,350.15	1,41,909.42	59,440.72	72,037.03	69,872.40
अन्य मदें जैसे गारंटी, ऋण प्रतिबद्धताएं, आदि जो इंड एस 109 के दायरे में हैं, लेकिन वर्तमान आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) मानदंडों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं	चरण 1	-	-	-	-	-
	चरण 2	-	-	-	-	-
	चरण 3	-	-	-	-	-
उप-योग		-	-	-	-	-
	चरण 1	39,58,453.03	61,277.68	38,97,175.35	15,568.58	45,709.10
	एफआईटीएल	3,766.67	3,766.67	-	3,766.67	-
	चरण 2	65,337.48	35,924.34	29,413.14	8,993.13	26,931.21
कुल	चरण 3	2,01,350.15	1,41,909.42	59,440.72	72,037.03	69,872.40
	कुल	42,28,907.33	2,42,878.12	39,86,029.21	1,00,365.41	1,42,512.71

39. विदेशी परिसंपत्तियां (विदेश में संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों वालों के लिए)

i. महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष (जमा और उधार दोनों) के आधार पर वित्तपोषण संकेन्द्रण:

वित्त वर्ष 2023-24

क्र.सं.	महत्वपूर्ण प्रतिपक्षों की संख्या	राशि (₹ लाख)	कुल जमा का %	कुल देयताओं का %
1.	एशियन डेवलपमेंट बैंक	11,11,935.88	—	16.98%
2.	वर्ल्ड बैंक	1,07,041.82	—	1.63%
3.	यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक	1,40,116.34	—	2.14%
4.	जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी	1,96,525.20	—	3.00%

वित्त वर्ष 2022-23

क्र.सं.	महत्वपूर्ण प्रतिपक्षों की संख्या	राशि (₹ लाख)	कुल जमा का %	कुल देयताओं का %
1.	एशियन डेवलपमेंट बैंक	11,48,371.73	—	24.64%
2.	वर्ल्ड बैंक	1,13,380.39	—	2.43%
3.	यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक	1,51,820.88	—	3.26%
4.	जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी	2,20,190.86	—	4.72%

ii. शीर्ष 20 बड़ी जमा राशियां (राशि करोड़ ₹ में तथा कुल जमा राशियों का प्रतिशत) — शून्य, क्योंकि आईआईएफसीएल सार्वजनिक जमा राशियां स्वीकार किए बिना बैंक-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का व्यवसाय शुरू करने/संचालन करने के लिए पंजीकृत है।

iii. शीर्ष 10 उधार राशियां (राशि लाख ₹ में और कुल उधार का प्रतिशत) — ₹49,90,194.75 लाख और 100 प्रतिशत।

iv. महत्वपूर्ण लिखत/उत्पाद के आधार पर वित्तपोषण संकेन्द्रण:

क्रम सं.	लिखत/उत्पाद का नाम	राशि (₹ लाख)	कुल देयताओं का %
1.	प्रतिभूत बांड	11,39,336.50	17.40%
2.	अप्रतिभूत बांड	11,50,000.00	17.56%
3.	विदेशी मुद्रा उधार	15,68,625.56	23.95%
4.	बैंकों से बैंक ओवरड्राफ्ट/एसटीएल	11,32,232.67	17.29%

v. स्टॉक अनुपात:

(क) कुल सार्वजनिक निधियों, कुल देयताओं और कुल परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में याणिज्यिक पत्र दू लागू नहीं

(ख) कुल सार्वजनिक निधि, कुल देयताओं और कुल परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में असंपरिवर्तनीय डिबेंचर (एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता) — शून्य

(ग) कुल सार्वजनिक निधियों के प्रतिशत के रूप में अन्य अल्पकालिक देयताएं दू शून्य

कुल देयताओं के प्रतिशत के रूप में अन्य अल्पकालिक देयताएं — 32.14 प्रतिशत

कुल परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में अन्य अल्पकालिक देयताएं — 25.14 प्रतिशत

vi. चलनिधि जोखिम प्रबंधन के लिए संस्थागत व्यवस्था:

आईआईएफसीएल अपनी संसाधन और राजकोष नीति के अनुसार अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त चलनिधि बनाए रखने का प्रयास करता है। इसके अलावा, आईआईएफसीएल के चलनिधि जोखिम प्रबंधन को आईआईएफसीएल के परिसंपत्ति देयता प्रबंधन ढांचे (कएलएम नीति) के माध्यम से किया गया है और इसके लिए संगठनात्मक ढांचा निम्नानुसार है:

- निदेशक मंडल
- जोखिम प्रबंधन समिति
- परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन समिति
- जोखिम प्रबंधन विभाग
- एएलएम सहायता समूह

इसके अलावा, जोखिम प्रबंधन समिति, जो बोर्ड को रिपोर्ट करती है और जिसमें निदेशक, प्रबंध निदेशक, उप प्रबंध निदेशक शामिल होते हैं, चलनिधि जोखिम सहित आईआईएफसीएल के समक्ष आने वाले समग्र जोखिम के लिए जिम्मेदार है।

इसके अलावा, आईआईएफसीएल न केवल निरंतर आधार पर चलनिधि की स्थिति को मापता है, बल्कि निम्नलिखित लिखतों/ तकनीकों का उपयोग करके विभिन्न अवधारणाओं के अधीन चलनिधि आवश्यकताओं के विकसित होने की संभावना की भी जांच करता है:

- बकेटिंग और बकेटिंग अवधारणाएं
- नकदी प्रवाह माप – संरचनात्मक चलनिधि रिपोर्ट
- गतिशील चलनिधि रिपोर्ट
- व्याज दर जोखिम
- बैंक टेस्टिंग
- सीमाओं की निगरानी
- स्टॉक आधारित दृष्टिकोण – चलनिधि अनुपात
- चलनिधि कवरेज अनुपात (कलसीआर)
- चलनिधि जोखिम के लिए दबाव परीक्षण ढांचा
- वित्तपोषण कार्यनीति
- मुद्रा जोखिम
- आकस्मिक निधि योजना

40. चलनिधि कवरेज अनुपात (कलसीआर) से संबंधित प्रकटीकरण:

आरबीआई ने अपने मास्टर निर्देश द्वा. भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वा. स्कैल आधारित विनियमन) निर्देश, 2023 के माध्यम से एनबीएफसी के लिए चलनिधि जोखिम प्रबंधन को कवर करने वाले दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें आरबीआई ने ₹5,000 करोड़ से अधिक की परिसंपत्ति वाले सभी गैर-जमा स्वीकार करने वाले एनबीएफसी पर लागू चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) की शुरुआत की। दिशानिर्देशों का उद्देश्य एलसीआर के संदर्भ में एक चलनिधि बफर बनाए रखना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके पास अगले 30 दिनों तक चलने वाले किसी भी तीव्र चलनिधि दबाव परिदृश्य से बचने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि परिसंपत्तियाँ (एचक्यूएलए) हैं। दिशानिर्देश के अनुसार, एलसीआर को अगले 30 कैलेंडर दिनों में कुल निवल नकदी बहिर्वाह (दबावग्रस्त बहिर्वाह घटा दबावग्रस्त अंतर्वाह) द्वारा विभाजित उच्च-गुणवत्ता वाली चलनिधि परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) के स्टॉक द्वारा दर्शाया जाता है। एचक्यूएलए को आरबीआई द्वारा ऐसी चलनिधि परिसंपत्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है जिन्हें आसानी से बेचा जा सकता है या मूल्य में कम/बिना किसी हानि के तुरंत नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है या दबाव की स्थिति में निधियाँ प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

जैसा कि स्पष्ट है, वर्तमान में आईआईएफसीएल का चलनिधि कवरेज अनुपात 85 प्रतिशत की नियामक सीमा के अनुसार है।

एलसीआर प्रकटीकरण टेम्पलेट –		जून 2023 को समाप्त तिमाही		सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही		दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही		मार्च 2024 को समाप्त तिमाही	
		कुल अप्रभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अप्रभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अप्रभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अप्रभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि परिसंपत्तियाँ									
1	कुल उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि परिसंपत्ति (एचक्यूएलए)	8,360.28	8,360.28	5,215.52	5,215.52	6,749.80	6,749.80	3,100.77	3,100.77
								0	
नकदी बहिर्वाह									
2	जमाशक्ति (जमा स्वीकार करने वाली कंपनियों के लिए)		-		-		-		-
3	अप्रतिभूत बंधक वित्तपोषण		-		-		-		-
4	प्रतिभूत बंधक वित्तपोषण	3,055.78	3,514.15	1,990.84	2,289.47	1,222.00	1,405.30	8,095.53	9,309.86
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से:								
(i)	डेरिवेटिव जोखिम और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह	-	-	30.13	34.65	100.00	115.00	29.02	33.37
(ii)	क्रेडिट खपती पर वित्तपोषण की हानि से संबंधित बहिर्वाह		-		-		-		-
(iii)	क्रेडिट एवं चलनिधि सुविधाएं	351.18	403.86	3,394.20	3,903.32	3,000.00	3,450.00	1,902.75	2,188.16
6	अन्य संवेदात्मक वित्तपोषण दायित्व	310.32	356.86	65.87	75.75	393.58	452.62	79.91	91.90
7	अन्य आकस्मिक वित्तपोषण दायित्व	-	-	-	-	-	-	-	-
8	कुल नकदी बहिर्वाह	3,717.28	4,274.87	5,481.04	6,303.20	4,715.58	5,422.92	10,107.21	11,623.29

जारी...

एलसीआर प्रकटीकरण टेम्पलेट –		जून 2023 को समाप्त तिमाही		सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही		दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही		मार्च 2024 को समाप्त तिमाही 2024	
		कुल अभांरित मूल्य (जीसत)	कुल भांरित मूल्य (जीसत)	कुल अभांरित मूल्य (जीसत)	कुल भांरित मूल्य (जीसत)	कुल अभांरित मूल्य (जीसत)	कुल भांरित मूल्य (जीसत)	कुल अभांरित मूल्य (जीसत)	कुल भांरित मूल्य (जीसत)
नकदी अंतर्वाह									
9	प्रतिभूत ऋण		-		-		-		-
10	पूर्णतः प्रदर्शन करने वाले एक्सपोजर से अंतर्वाह	57.55	43.16	57.03	42.77	120.63	90.47	75.78	56.84
11	अन्य नकदी प्रवाह	160.53	120.40	2,036.13	1,527.10	2,315.00	1,736.25	12,397.92	9,298.44
12	कुल नकदी प्रवाह	218.08	163.56	2,093.16	1,569.87	2,435.63	1,826.72	12,473.70	9,355.28
कुल समायोजित मूल्य									
13	कुल एक्स्पोजर	8,360.28	8,360.28	5,215.52	5,215.52	6,749.80	6,749.80	3,100.77	3,100.77
14	कुल निवल नकदी बहिर्वाह	4,111.31	4,111.31	4,733.33	4,733.33	3,596.19	3,596.19	2,905.82	2,905.82
15	चलविधि कवरेज अनुपात (%)	203.35	203.35	110.19	110.19	187.69	187.69	106.71	106.71

41. निदेशकों, वरिष्ठ अधिकारियों और निदेशकों के रिश्तेदारों को दिए गए ऋणों पर प्रकटीकरण

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
निदेशक एवं उनके रिश्तेदार*	-	-
निदेशकों और उनके रिश्तेदारों से जुड़ी संस्थाएं	-	-
वरिष्ठ अधिकारी एवं उनके रिश्तेदार	-	-

* इसमें संबंधित निदेशकों की राजस्व शर्तों के अनुसार ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

42. आईआईएफसीएल के 21 जुलाई 2021 के पत्र के उत्तर में, आरबीआई ने स्पष्ट किया कि अवसंरचना परियोजनाओं के लिए बॉन्ड/डिबेंचर की सदस्यता के माध्यम से पुनर्वित्त सहित निवेश, चाहे कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं में हो या पूरी हो चुकी परियोजनाओं में, आईआईएफसीएल द्वारा अवसंरचना ऋण के लिए कुल परिसंपत्तियों का न्यूनतम 75% निवेश करने के उद्देश्य से अवसंरचना ऋण के रूप में माना जाएगा। तदनुसार, आईआईएफसीएल ने सकल एनपीए और निवल एनपीए अनुपात निर्धारित करने के लिए अवसंरचना परियोजनाओं के बॉन्ड के सब्सक्रिप्शन की राशि की गणना की। हालांकि, आरबीआई ने 31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार वित्तीय स्थिति के संबंध में अपनी प्रारंभिक निरीक्षण और जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट में पाया था कि कंपनी ने एनपीए अनुपात की गणना करते समय बॉन्ड में अपने निवेश को अपने ऋण और अग्रिम के हिस्से के रूप में शामिल किया था (इसलिए, अनुपातों को कम करके आंका गया)।

इस संबंध में, आईआईएफसीएल ने आरबीआई को बताया है कि अवसंरचना परियोजनाओं के बॉन्ड के सब्सक्रिप्शन को ऋण और अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तदनुसार, अवसंरचना परियोजनाओं के बॉन्ड के सब्सक्रिप्शन की राशि सहित ऋण और अग्रिम की राशि को सकल एनपीए और निवल एनपीए निर्धारित करने के लिए माना जाता है।

अवसंरचना परियोजनाओं के बॉन्ड के सब्सक्रिप्शन को छोड़कर ऋण और अग्रिम के अनुसार 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार आईआईएफसीएल का सकल एनपीए और निवल एनपीए 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए जीएनपीए-1.91 और एनएनपीए-0.54 होगा (31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए जीएनपीए-5.57 और एनएनपीए-1.65)।

43. घोषाघड़ीपूर्ण ऋण परिसंपत्तियों के संबंध में संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	विवरण
1	मेसर्स एसईडब्ल्यू एलएसआई हाईवेज लिमिटेड	उत्तर प्रदेश राज्य में एसएच 57 के दिल्ली-साहारनपुर- यमुनोत्री खंड को धार लेन का बनाने की परियोजना के लिए ₹1700 करोड़ के कुल ऋण के आंशिक वित्तपोषण के लिए ₹240 करोड़ का रुपया अवधि ऋण स्वीकृत किया था और ₹89.45 करोड़ की राशि वितरित की थी। फॉरेसिक ऑडिट रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर, पीएनबी (लीड लेंडर) ने 27.03.2019 को खाते को घोषाघड़ीपूर्ण घोषित किया और अन्य ऋणदाताओं से उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया। मई 2019 में लीड बैंक द्वारा उक्त परियोजना खाते को घोषाघड़ी घोषित करने के बाद, लीड बैंक ने शिकायत/एफआईआर दर्ज की, जिसे 19.08.2019 को सीबीआई द्वारा प्रस्तुत किया गया और विधिवत रसीद दी गई। आईआईएफसीएल ने लीड बैंक के साथ मिलकर 29.02.2020 को खाते को घोषाघड़ी घोषित कर दिया। ऋणदाताओं ने अपनी सुविधा वापस ले ली थी और 10.08.2017 को डीआरटी, हैदराबाद में वसूली आवेदन दायर किया था। ऋणदाताओं ने परिसंपत्ति की खरीद के लिए उनके प्रस्ताव की प्राप्ति के बाद खाते को एनएआरसीएल को सौंप दिया है।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	विवरण
2	मेसर्स रांची एक्सप्रेसवेज लिमिटेड	रांची- रायगांव -जमशेदपुर खंड को चार लेन का बनाने की परियोजना के लिए ₹1151.60 करोड़ के परियोजना ऋण के आंशिक वित्तपोषण के लिए ₹140 करोड़ का रुपया अवधि ऋण स्वीकृत किया था और ₹126.04 करोड़ की राशि वितरित की थी। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 14.11.2017 के आदेश के तहत गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को जांच करने और यह पता लगाने का निर्देश दिया कि क्या यह मामला धोखाधड़ी का गंभीर मामला है जिसकी जांच की आवश्यकता है। एसएफआईओ ने जांच की और उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट के अनुसार, उधारकर्ता ने परियोजना कार्य के लिए निर्धारित कुल ₹264.01 करोड़ का दुरुपयोग किया है। एसएफआईओ रिपोर्ट के निष्कर्षों/निष्कर्षों के आधार पर, माननीय उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को मामले की जांच करने का आदेश दिया और सीबीआई, रांची ने 12 मार्च, 2019 को एक प्राथमिकी दर्ज की थी और मामले की जांच चल रही है। फॉरेंसिक ऑडिटर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में यह भी पाया है कि प्रमोटर द्वारा निधियों की राउंड ट्रिपिंग के माध्यम से इक्विटी/अप्रतिभूत ऋण का निवेश किया गया था। साथ ही, ईपीसी अग्रिम/भुगतान के लिए प्रदान की गई निधियों का उपयोग परियोजना कार्य के लिए नहीं किया गया था। इसके अलावा, प्रमोटरों द्वारा निवेश किए गए इक्विटी/अप्रतिभूत ऋण को संबंधित कंपनियों में डायवर्ट किया गया था। मौजूदा नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार यह निधियों के डायवर्जन/साइफनिंग के समान है। यह मामला आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल के समक्ष 29 फरवरी, 2020 को आयोजित बैठक में रखा गया और बोर्ड ने अन्य बातों के साथ-साथ खाते को धोखाधड़ीपूर्ण घोषित करने का संकल्प लिया। ऋणदाताओं ने अपनी सुविधा वापस ले ली थी और 15.06.2020 को डीआरटी, हैदराबाद में बसूजी आवेदन दायर किया था। 22.12.2023 को एनसीएलटी में खाता स्वीकार किया गया। आईआईएफसीएल के दावों को अनंतिम रूप से स्वीकार किया गया है।
3	मेसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड (आरकॉम)	आईआईएफसीएल ने ₹250 करोड़ का सावधि ऋण स्वीकृत किया था तथा ₹248 करोड़ की राशि खाते में संचित की थी, जिसका उपयोग पूंजीगत व्यय के एक भाग के रूप में आरकॉम में परिसंपत्तियों के सृजन के लिए किया जाना था, जो होलिंग्स कंपनी/सहायक कंपनियों में प्रस्तावित परिसंपत्तियों के सृजन का अभिन्न अंग है। फॉरेंसिक ऑडिटर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में यह भी पाया है कि ₹15.436 करोड़ तक की उधार ली गई निधियों का दुरुपयोग किया गया और यह स्वीकृत पत्रों की शर्तों का अनुपालन नहीं करता है और इसे निधियों का डायवर्जन माना जाता है। इनवॉइस फाइनेंसिंग/डिस्कवंटिंग का उपयोग संबंधित पक्षों को और/या उनसे ऋण की राउंड-ट्रिपिंग के लिए किया गया था। प्रबंधन से सहायक दस्तावेजों की अनुपस्थिति में, ये लेन-देन दुरुपयोग प्रतीत हुए और मौजूदा नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार इन्हें ऋण निधियों के डायवर्जन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। मार्च 2021 में आयोजित आईआईएफसीएल की बैठक के दौरान निदेशक मंडल के समक्ष यह मामला रखा गया था और बोर्ड ने अन्य बातों के साथ-साथ एसबीआई के अनुरूप खाते को धोखाधड़ीपूर्ण घोषित करने का संकल्प लिया। हालांकि, बैंक द्वारा धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 27.03.2023 के आदेश के मद्देनजर, आगे कोई भी कार्रवाई करने से पहले मामले की फिर से जांच करने की आवश्यकता है। ऋणदाताओं द्वारा खाते को धोखाधड़ी के रूप में पुनः वर्गीकृत करने की प्रक्रिया चल रही है। कंपनी को कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के तहत भेजा गया था और सीआईआरपी, 21.05.2018 से शुरू हुई। आईआईएफसीएल, ने आरपी, के समक्ष अपना दावा दायर किया है जिसे स्वीकार कर लिया गया है।
4	जेएस इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड पावर लिमिटेड	आईआईएफसीएल ने बिहार के बैंक जिले में सुपरक्रिटिकल पैरामीटर सीरिया के साथ 2*660 मेगावाट कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट की स्थापना के लिए ₹525.00 करोड़ (₹14.13 करोड़ संचित) का रुपया अवधि ऋण स्वीकृत किया था। इस परियोजना को अभिजीत पावर लिमिटेड और कॉर्पोरेट इस्पात अलॉयज लिमिटेड द्वारा संचित किया गया था। 30 अक्टूबर 2013 को आईआईएफसीएल के साथ खाता अवमानक श्रेणी में चला गया, क्योंकि 2012 के दौरान, परियोजना को आवंटित कौटिल्य ब्लॉक का उल्लेख अगस्त 2012 में कोयला ब्लॉक आवंटन पर सीएजी रिपोर्ट में

क्र.सं.	परियोजना का नाम	विवरण
		किया गया था। फॉरेसिक ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ कहा है कि उधार ली गई धनराशि को उधारकर्ता कंपनी से समूह की कंपनियों में किसी परिसंपत्ति का सृजन किए बिना स्थानांतरित कर दिया गया, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उधार ली गई निधियों का दुरुपयोग किया गया तथा जिस उद्देश्य के लिए उधार लिया गया था, उसके अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया। पीएनबी (दूसरा सबसे बड़ा ऋणदाता) ने खाते को धोखाधड़ी घोषित कर दिया है और मार्च 2019 में सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई है। आईआईएफसीएल के बोर्ड ने 29 जून, 2020 को हुई अपनी बैठक में खाते को धोखाधड़ी घोषित करने की मंजूरी दे दी है। वर्तमान में, परियोजना एनसीएलटी, कोलकाता के तहत स्वीकार की गई है और परिसमापन चरण में है।
5	टॉपवर्थ टोलवेज (बेला) प्राइवेट लिमिटेड	मध्य प्रदेश राज्य में सतना से बेला रोड (एनएच-75) के निर्माण, विकास, रखरखाव और प्रबंधन से जुड़ी परियोजना के लिए ₹315.74 करोड़ के कुल ऋण के आंशिक वित्तपोषण के लिए ₹40.00 करोड़ का सावधि ऋण स्वीकृत किया था। चूंकि रियायतग्राही परियोजना को पूरा करने के लिए निर्धारित लक्ष्य हासिल करने में विफल रहा, इसलिए रियायत प्राधिकरण अर्थात् मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) ने सड़क और परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्णय के अनुसार 11.05.2015 को रियायतग्राही को समाप्ति नोटिस जारी किया था। फॉरेसिक ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर, ऑडिट रिपोर्ट में उल्लिखित अवलोकन पर उचित विचार-विमर्श के बाद और आवश्यक जानकारी प्रस्तुत न करने पर, फॉरेसिक ऑडिटर के साथ-साथ उधारदाताओं द्वारा बार-बार फॉलो-अप करने के बावजूद, कंसोर्टियम के उधारदाताओं ने खाते को धोखाधड़ी घोषित करने का फैसला किया। तदनुसार, लीड बैंक (सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया) ने 07.12.2019 से खाते को धोखाधड़ी घोषित कर दिया था और मामले की सूचना आरबीआई को दी थी। इसके बाद, आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल ने 21.12.2019 को आयोजित अपनी बैठक में उक्त परियोजना खाते को धोखाधड़ीपूर्ण घोषित करने की मंजूरी दे दी। कंपनी ने 04.07.2020 को सिटी सिविल कोर्ट मुंबई में लीड बैंक के विरुद्ध मामला दायर किया। आईआईएफसीएल ने 26.09.2017 को उधारकर्ता कंपनी को रिकॉल नोटिस जारी किया था, जिसके बाद जनवरी 2019 में कंपनी के विरुद्ध डीआरटी मुंबई में वसूली का मुकदमा दायर किया गया था। इस खाते में, व्यक्तिगत गारंटर (घरा 95) दायर किया गया है और एनसीएलटी में स्वीकार किया गया है।
6	इंड- बाराथ पावर (मद्रास) लिमिटेड	आईआईएफसीएल ने पीएफसी (प्रमुख ऋणदाता) और आरईसी के साथ मिलकर तमिलनाडु के तूतीकोरिन में 1-660 मेगावाट कोयला आधारित थर्मल पावर परियोजना की स्थापना के लिए इंड- बाराथ पावर (मद्रास) लिमिटेड (आईबीपीएमएल) को आंशिक रूप से वित्त पोषित किया है। आईआईएफसीएल ने ₹250 करोड़ का आरटीएल स्वीकृत किया था और एक्सिस बैंक के साथ बनाए गए टीआरए खाते में ₹89.24 करोड़ वितरित किए थे। उधारकर्ता द्वारा टीआरए से प्राप्त धनराशि को डायवर्ट किया गया था। कंसोर्टियम ने ऋण वापस ले लिया था और 08 फरवरी, 2018 को ईओडब्ल्यू, दिल्ली पुलिस में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी जांच चल रही है। खाते में हुए घटनाक्रम की सूचना 22 मार्च, 2018 को आयोजित बैठक में आईआईएफसीएल के बोर्ड को दी गई और धोखाधड़ी के मामले की सूचना 28 मार्च, 2018 को आरबीआई को दी गई। कंपनी को 14.08.2017 को कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के तहत भेजा गया था और वर्तमान में परिसमापन के अधीन है। कंपनी के कॉर्पोरेट गारंटर को भी 19.10.2022 को एनसीएलटी में दाखिल कराया गया है, हालांकि एनसीएलटी ने फिलहाल स्थगन का अंतरिम आदेश दिया है।
7	मंगोत्री ड्राबुआ जॉबट कुक्षी टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड	मध्य प्रदेश राज्य में निर्माण-संचालन-हस्तांतरण (बीओटी) आधार पर ड्राबुआ जॉबट कुक्षी खंड मार्ग (राज्य राजमार्ग-39) 0.00 किमी से 92.42 किमी (95.00 किमी लंबाई) को दो लेन का बनाने के लिए मेसर्स मंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा प्रवर्तित परियोजना के आंशिक वित्तपोषण के लिए ₹39.11 करोड़ का सावधि ऋण स्वीकृत और वितरित किया था। फॉरेसिक ऑडिटर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बताया था कि उधारकर्ता टोल की आय एस्को अकाउंट में जमा नहीं कर रहा है। आईआईएफसीएल ने टोल जमा न करने का मामला लीड बैंक और प्राधिकरण यानी एमपीआरडीसी के समक्ष उठाया है। ऋणदाताओं और एमपीआरडीसी ने उधारकर्ता को संविदा के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया था, अन्यथा उधारकर्ता के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी। उपरोक्त गैर-अनुपालन के कारण खाते को धोखाधड़ीपूर्ण घोषित कर दिया गया और फरवरी 2020 में आरबीआई

क्र.सं.	परियोजना का नाम	विवरण
		को इसकी सूचना दी गई। आईआईएफसीएल ने डीआरटी, नई दिल्ली में वसूली का मुकदमा दायर किया है और सीबीआई में भी शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि, सीबीआई ने लीड बैंक के माध्यम से नई शिकायत दर्ज कराने की सलाह देते हुए शिकायत वापस कर दी है। आईआईएफसीएल ने लीड बैंक को इसकी सूचना दे दी है। लीड बैंक एक निजी क्षेत्र का बैंक है, जिसने आर्थिक अपराध शाखा, नई दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई है। मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा, नई दिल्ली द्वारा की गई और उसे बंद कर दिया गया।
8	ट्रांसट्रॉय ओबेदुल्लागंज बेतुल टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड	मध्य प्रदेश राज्य में एनएच-69 के ओबेदुल्लागंज से बेतुल खंड को चार लेन का बनाने की परियोजना के लिए आंशिक रूप से वित्त पोषण किया है, जिसे बीओटी (टोल) के रूप में क्रियान्वित किया जाना है। फॉरेसिक ऑडिटर (मिसर्स सरथ एसोसिएट्स) ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में पाया है कि:- • प्रमोटर के अंशदान और बैंक ऋण के अंतिम उपयोग, जो कुल ₹453.48 करोड़ था, की पूरी तरह से पुष्टि नहीं की जा सकी, क्योंकि उधारकर्ता ने संपूर्ण निधियां ईपीसी सविदाकार अर्थात् ट्रांसट्रॉय इंडिया लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी थी और ईपीसी सविदाकार ने ओबेदुल्लागंज और बेतुल रोड परियोजना के लिए उसके द्वारा किए गए व्यय के लिए सहायक दस्तावेज उपलब्ध कराने में सहयोग नहीं किया था। • ₹90.93 करोड़ की राशि का उपयोग किया गया। साइट पर किए गए व्यय के रूप में ₹38.48 करोड़ का दावा किया गया, लेकिन ऐसे व्यय के समर्थन में कोई सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। शेष ₹324.07 करोड़ की राशि को किसी भी सहायक दस्तावेज से स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया जा सका। उपरोक्त टिप्पणियों के आधार पर, लीड बैंक (सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया) ने 05.12.2020 को उक्त खाते को धोखाधड़ीपूर्ण घोषित कर दिया। तदनुसार, लीड बैंक के अनुसार, आईआईएफसीएल ने 21/06/2021 को उक्त खाते को धोखाधड़ीपूर्ण घोषित कर दिया। इसके अलावा, कंपनी और निदेशकों के विरुद्ध संशोधित सीबीआई शिकायत 01.02.2023 को सीबीआई, नई दिल्ली को प्रस्तुत की गई है। सीबीआई ने इसे वापस कर दिया है और बैंक से हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को शामिल करने के लिए कहा है ताकि उधारकर्ता को अपना मामला स्पष्ट करने का पर्याप्त अवसर दिया जा सके। लीड बैंक सीबीआई शिकायत को फिर से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में है। संयुक्त वसूली याद अक्टूबर 2017 में डीआरटी, हैदराबाद में दायर किया गया है।
9	ट्रांसट्रॉय होसकोटे डोन्बास्पेट टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड	कर्नाटक राज्य में एनएच-207 के होसकोटे - डोन्बास्पेट खंड पर मौजूदा सड़क को चार लेन का बनाने की परियोजना को डीवीएफओटी आधार पर आंशिक रूप से वित्तपोषित किया है। फॉरेसिक ऑडिटर (मिसर्स सरथ एसोसिएट्स) ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में पाया है कि:- • ईपीसी सविदाकार (ट्रांसट्रॉय इंडिया) एसपीवी द्वारा हस्तांतरित निधियों के लिए रिकॉर्ड और सहायक दस्तावेज उपलब्ध कराने में विफल रहा, जो कि फॉरेसिक ऑडिट के दौरान प्रस्तुत करने के लिए बार-बार किए गए प्रयासों के बावजूद व्यय के साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराए गए। इसके अलावा, यह उन कारणों को भी उचित ठहराने में विफल रहा कि कुल परियोजना लागत के 44.70% निधि उपयोग के सापेक्ष कुल परियोजना का केवल 11.34% ही पूरा हुआ और कार्य पूरा होने के सापेक्ष निधि उपयोग में भारी अंतर क्यों है। ईपीसी सविदाकार द्वारा निधियों का संचालित विचलन है। इसके अलावा किए गए व्यय के लिए कोई उचित औचित्य नहीं था और आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने में भी असहयोग किया गया। उपरोक्त टिप्पणियों के आधार पर, लीड बैंक (सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया) ने 17.03.2021 को उक्त खाते को धोखाधड़ीपूर्ण घोषित कर दिया। तदनुसार, लीड बैंक के अनुसार, आईआईएफसीएल ने 21/06/2021 को उक्त खाते को धोखाधड़ीपूर्ण घोषित कर दिया। इसके अलावा, कंपनी और निदेशकों के विरुद्ध संशोधित सीबीआई शिकायत 19.01.2023 को सीबीआई, नई दिल्ली को प्रस्तुत की गई है। सीबीआई ने इसे वापस कर दिया है और बैंक से हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को शामिल करने के लिए कहा है ताकि उधारकर्ता को अपना मामला स्पष्ट करने का पर्याप्त अवसर दिया जा सके। लीड बैंक सीबीआई शिकायत को फिर से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में है।

Contd...

क्र.सं.	परियोजना का नाम	विवरण
		संयुक्त वसुली वाद डीआरटी, हैदराबाद में 15.12.2018 को दायर किया गया है।
10	ट्रांसस्ट्रीय भोपाल ब्यावरा टोलवेज लिमिटेड,	आईआईएफसीएल ने मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के भोपाल- ब्यावरा खंड को चार लेन का बनाने की परियोजना को टोल आधार पर आंशिक रूप से वित्तपोषित किया है। फॉरेंसिक ऑडिटर (मैसर्स सरथ एसोसिएट्स) ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में पाया है कि— - परियोजना की अनुमानित लागत ₹711.59 करोड़ में से, ₹499.92 करोड़ की राशि जो 70.25% के बराबर है, उधारकर्ता द्वारा व्यय की गई, हालांकि एलआईई रिपोर्ट के अनुसार केवल 43.15% काम पूरा हुआ। एमपीआरडीसीएल के पत्र में आईई द्वारा प्रमाणित 18.64% काम पूरा हुआ। ईपीसी सविदाकार इस अंतर को उचित नहीं ठहरा सका और परियोजना के लिए ऐसे व्यय को वहन करने के लिए सहायक दस्तावेज भी उपलब्ध कराने में विफल रहा। - ईपीसी सविदाकार फॉरेंसिक ऑडिट के दौरान एमपीवी द्वारा हस्तांतरित निधियों के लिए रिकॉर्ड और सहायक दस्तावेज उपलब्ध कराने में विफल रहा, जो व्यय के साक्ष्य के रूप में थे। इसके अलावा, यह उन कारणों को भी उचित ठहराने में विफल रहा कि कुल परियोजना लागत के 70.25% निधि उपयोग के सापेक्ष कुल परियोजना का केवल 43.15% ही पूरा हुआ और कार्य पूरा होने के सापेक्ष निधि उपयोग में बहुत बड़ा अंतर है, ईपीसी सविदाकार द्वारा निधियों का संभाषित विचलन है, इसके अलावा किए गए व्यय के लिए कोई उचित औचित्य नहीं था और आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने में भी असहयोग किया गया। उपरोक्त टिप्पणियों के आधार पर, लीड बैंक (सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया) ने 17.03.2021 को उक्त खाते को धोखाधड़ीपूर्ण घोषित किया। तदनुसार, लीड बैंक के अनुरूप, आईआईएफसीएल ने 21/06/2021 को उक्त खाते को धोखाधड़ीपूर्ण घोषित किया। इसके अलावा, कंपनी और निदेशकों के सापेक्षसंशोधित सीबीआई शिकायत 04.02.2023 को सीबीआई, नई दिल्ली को प्रस्तुत की गई है। सीबीआई ने इसे वापस कर दिया है और बैंक से हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को शामिल करने के लिए कहा है ताकि उधारकर्ता को अपना मामला स्पष्ट करने का पर्याप्त अवसर दिया जा सके। लीड बैंक सीबीआई शिकायत को फिर से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में है। संयुक्त वसुली वाद डीआरटी, हैदराबाद में 16.10.2017 को दायर किया गया है।
11	किरतपुर नैर चौक एक्सप्रेसवे लिमिटेड	एनएचडीपी चरण III टोल आधार पर पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्यों में एनएच-21 के किरतपुर – नैर – चौक खंड के चार लेन के विकास और निर्माण के लिए परियोजना को आंशिक रूप से वित्त पोषित किया है। फॉरेंसिक ऑडिटर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला है— समूह खातों के संबंध में आरबीआई की विभिन्न एजेंसियों द्वारा की गई विभिन्न जांचों के अनुसार, यह पाया गया है कि वित्तपोषण में लगी इसकी एक समूह कंपनी आईएफआईएन ने विभिन्न संस्थाओं/समूह कंपनियों को धन उधार दिया, जिन्होंने आगे चलकर आईएलएंडएफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स लिमिटेड को उधार दिया, जबकि आरबीआई ने किसी एक कंपनी या समूह कंपनी में ऋण के संकेंद्रण के लिए निर्देश नहीं दिए थे। ये समूह कंपनियां जो एक माध्यम के रूप में काम करती थीं, यह आश्चर्यजनक है कि जब तक आईटीएनएल उन्हें वापस भुगतान नहीं कर देता, तब तक आईएफआईएन से लिए गए ऋण को चुकाना नहीं पड़ेगा। निष्कर्षों के अनुसार, आईटीएनएल को मूल रूप से दिए गए ऋण के असाइनमेंट द्वारा आईएलएंडएफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स लिमिटेड के विशेष प्रयोजन वाहनों पर जोखिम लिया गया था। उपरोक्त टिप्पणियों के आधार पर, लीड बैंक (इंडियन बैंक) ने 22.09.2021 को उक्त खाते को धोखाधड़ीपूर्ण घोषित किया। तदनुसार, लीड बैंक के अनुरूप, आईआईएफसीएल ने 12/11/2021 को उक्त खाते को धोखाधड़ीपूर्ण घोषित किया। इसके अलावा, लीड बैंक (इंडियन बैंक) ने 07.07.2022 को सीबीआई के साथ एक संयुक्त शिकायत दर्ज की है। हालांकि, सीबीआई ने 29.12.2023 के पत्र के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के 23.03.2023 के निर्णय के अनुरूप शिकायत वापस कर दी है। एनएचआई ने 31.03.2021 को निपटान राशि के रूप में एस्को खाते में ₹662.53 करोड़ की राशि जारी की थी। आईआईएफसीएल को 09.04.2021 को ₹122.80 करोड़ का आनुपातिक हिस्सा प्राप्त हुआ था।

44. विगत वर्ष के ऑकड़ों को, आवश्यकतानुसार, पुनः समूहबद्ध किया गया है।

कृते अग्रवाल एवं सक्सेना
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 002405C

कृते इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के
निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-
अजय कुमार वर्मा
भागीदार
सदस्यता संख्या: 404578

हस्ता/-
पवन के कुमार
(उप प्रबंध निदेशक)
डीआईएन संख्या: 8901398

हस्ता/-
पीआर जयशंकर
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन संख्या: 6711526

स्थान: उदयपुर
दिनांक: 13.05.2024

हस्ता/-
अभिरूप सिंह
(एजीएम और कंपनी सचिव)

हस्ता/-
राजीव मुखीजा
(मुख्य महाप्रबंधक-सीएफओ)

सेवा,

प्रबन्ध निदेशक,
इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड,
5वां तल, ब्लॉक-2, फ्लेट ए एवं बी, एनबीसीसी टॉवर,
ईस्ट किडवई नगर, नई दिल्ली-110023

विषय : कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के साथ धारा 120 (4) के अधीन 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के समेकित वार्षिक वित्तीय लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के साथ धारा 129 (4) के अधीन 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के समेकित वार्षिक वित्तीय लेखों पर उपरोक्त विषय संबंधित संलग्न पत्र अंग्रेषित है।

भवदीया

हस्ता / -

(एस. आह्लादिनी पंडा)

महानिदेशक लेखा परीक्षा

(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)

नई दिल्ली

संलग्नक : यथोपरि

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा यह कार्य 13 मई 2024 को उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की एक पूरक लेखा परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षक के कार्यकारी कागजातों तक पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षक और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चयनित जांच तक सीमित है।

अपनी पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूँगा जो मेरे संज्ञान में आए हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं।

क. प्रकटीकरण पर टिप्पणियां

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और वित्तीय विवरणों के लिए अन्य टिप्पणियां (टिप्पणी 1)

कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति में यह तथ्य स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि वित्तीय विवरण कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एस) की आवश्यकताओं के अनुपालन के अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अन्य लागू नियामक मानदंडों/दिशानिर्देशों के अनुपालन में भी तैयार किए गए हैं।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के संबंध में प्रकटीकरण उस सीमा तक अपर्याप्त है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

हस्ता / -

(एस. आहलादिनी पंडा)
महानिदेशक लेखा परीक्षा
(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)
नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 13 सितंबर 2024

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ए' (हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' शीर्षक के तहत पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

पैराग्राफ 3(xxi) संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा योग्यताएं या प्रतिकूल टिप्पणियां समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल कंपनियों की कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश (सीएआरओ) रिपोर्ट इस प्रकार हैं:

क्र.	नाम	सीआईएन	होल्डिंग कंपनी/सहायक कंपनी/सहयोगी/संयुक्त उद्यम	सीएआरओ रिपोर्ट की धारा संख्या जो योग्य है या प्रतिकूल है
1.	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	U67190DL2006GOI144520	अधिकार वाली कंपनी	I(ग), iii(ग) और(घ), vii(ख)
2.	आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	U65991 DL20I ZGOI233601	सहायक कंपनी	7(ख),17
3.	आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	U74999DL2012GOI231473	सहायक कंपनी	(xiv)
4.	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड	6496661 (यू.के. कंपनी नं.)	सहायक कंपनी	लागू नहीं

कृते अग्रवाल एण्ड सक्सेना लिमिटेड
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 002405C

नई दिल्ली
दिनांक: 30.05.2024

अजय कुमार वर्मा
भागीदार
सदस्यता संख्या: 404578 40578
यूडीआईएन : 24404578BKGPTZ7020

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'बी'

(स्वतंत्र लेखा परीक्षक की सम दिनांक की रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" अनुभाग के अंतर्गत पैराग्राफ 2(एफ) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (प) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए होल्टिंग कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में, हमने उस तिथि तक भारत इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे 'होल्टिंग कंपनी' कहा जाएगा) और भारत में निगमित इसकी सहायक कंपनियों (होल्टिंग कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों को सामूहिक रूप से 'समूह' कहा जाएगा) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखापरीक्षा किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी होल्टिंग कंपनी के संबंधित निदेशक मंडल, इसकी सहायक कंपनियां जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हैं। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर होल्टिंग कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने अपना लेखा-परीक्षण भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा-परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा-परीक्षा के मानकों के अनुसार किया है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित माने जाते हैं, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा-परीक्षा के लिए लागू सीमा तक है, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा-परीक्षा के लिए लागू हैं और दोनों भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा-परीक्षण की योजना बनाएं और उसका निष्पादन करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी रूप से संचालित हुए थे। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी भौतिक कमजोरी के जोखिम का आकलन करना, तथा आंकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें समेकित वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य और सहायक कंपनियों के अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, नीचे अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित उनकी रिपोर्टों के संदर्भ में, समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो:

- (1) ऐसे अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है जो उचित विवरण में कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं;
- (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेन-देन को सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और

- (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरसाइड की संभावना शामिल है, त्रुटि या घोखाधड़ी के कारण भौतिक गलत बयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टिंग पर विचार करने के आधार पर, जैसा कि नीचे अन्य मामलों के पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है, कंपनी और इसकी सहायक कंपनियाँ, जो भारत में निगमित कंपनियाँ हैं, के पास समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में मोटे तौर पर सभी भौतिक मामलों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रूप से संचालित हो रहे थे, जो संबंधित कंपनियों द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हैं।

अन्य मामले

अधिनियम की धारा 143(3)(आई) के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी उपरोक्त रिपोर्ट, जहाँ तक यह भारत में निगमित 2 लेखापरीक्षित सहायक कंपनियों से संबंधित है, अन्य लेखापरीक्षकों की संगत रिपोर्टों पर आधारित है और जहाँ तक यह भारत के बाहर निगमित 1 अलेखापरीक्षित सहायक कंपनी से संबंधित है, प्रबंधन से प्राप्त अभ्यावेदन पर आधारित है।

कृते अग्रवाल एण्ड सक्सेना लिमिटेड
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 002405C

अजय कुमार वर्मा
भागीदार

नई दिल्ली
दिनांक: 30.05.2024

सदस्यता संख्या: 404578 40578
यूडीआईएन : 24404578BKGPTZ7020

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक “सी”
हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के “अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट” अनुभाग के
अंतर्गत पैराग्राफ 1 में संदर्भित अनुलग्नक

क्र. सं.	दिशा-निर्देश	लेखा परीक्षक का जवाब
1.	क्या कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी सिस्टम के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसरण से खातों की सत्यनिष्ठा पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ-साथ वित्तीय प्रभावों, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाना चाहिए।	कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी अकाउंटिंग लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक प्रणाली है, जिसमें लेनदेन को एसएपी, ईआरपी सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड किया जाता है। ईआरपी सभी अकाउंटिंग लेनदेन को स्वचालित रूप से रिकॉर्ड करने के लिए स्थिरीकरण और एकीकरण की प्रक्रिया में है, जिसके कारण कुछ लेनदेन जैसे, ऋण पर संदिग्ध ऋणों के लिए हानि और प्रावधान की गणना, ब्याज का उलटफेर, एफआईटीएलबनाने के कारण आय, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अग्रिमों का वर्गीकरण/परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण, विदेशी मुद्रा लेनदेन में विदेशी मुद्रा लाभ/हानि की गणना, हेज्ड अनुबंध, स्थगन के तहत ब्याज की गणना, लेखांकन प्रणाली से स्वतंत्र रूप से गणना की जाती है। इसके अलावा, कृपया हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के मामले पर जोर देने वाले पैरा को देखें जिसमें हमने लंबित सुलह पर प्रकाश डाला है जिसे प्रबंधन हल करने की प्रक्रिया में है। यद्यपि उपरोक्त लंबित सुलह का वित्तीय प्रभाव (यदि कोई हो) केवल सुलह के बाद ही निर्धारित किया जा सकता है। प्रबंधन की राय में, यदि कोई प्रभाव होगा तो वह ऐसे लंबित समाधान के परिणामस्वरूप भौतिक नहीं होगा।
2.	क्या किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन किया गया है या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को ऋण/ऋण/ब्याज आदि की छूट/बड़े खाते में डालने के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का उचित हिसाब-किताब रखा जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू है)।	लेखापरीक्षा वर्ष के दौरान, किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋण आदि के संबंध में किसी भी मौजूदा ऋण/ऋण/ब्याज का पुनर्गठित या माफ/बड़े खाते में डाले जाने का कोई मामला नहीं आया है।
3.	क्या केन्द्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) का उसकी शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा-जोखा रखा गया/उपयोग किया गया? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	लागू नहीं

कृते अग्रवाल एण्ड सक्सेना लिमिटेड
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 002405C

अजय कुमार वर्मा
भागीदार

सदस्यता संख्या: 404578 40578
यूडीआईएन : 24404578BKGPTZ7020

नई दिल्ली
दिनांक: 30.05.2024

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)
31 मार्च 2024 वर्ष के लिए समेकित तुलन पत्र का विवरण
सीआईएन सं. U67190DL2006GOI144520

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	नोट सं.	31.03.2024	31.03.2024
			यथा (लेखापरीक्षित)	यथा (लेखापरीक्षित)
I	आस्तियां			
1.	वित्तीय आस्ति			
	(क) नकद और नकदी के समतुल्य	2क	6,601.30	1,60,639.90
	(ख) उपरोक्त के अलावा अन्य बैंक बैलेंस	2ख	11,47,796.58	10,10,462.47
	(ग) व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों	3	1,22,707.35	1,64,636.18
	(घ) प्राप्तियां	4	509.17	685.75
	(ङ) ऋण	5	54,87,165.96	47,08,671.79
	(च) निवेश	6	5,60,898.07	5,89,808.73
	(छ) अन्य वित्तीय आस्ति	7	93,309.06	65,781.54
	उप योग (1)		74,18,987.49	67,00,686.36
2.	गैर-वित्तीय आस्ति			
	(क) वर्तमान कर आस्तियां (शुद्ध)	8	23,644.35	32,682.04
	(ख) आस्थगित कर आस्ति (शुद्ध)	9	22,794.04	23,819.09
	(ग) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	9क	8,789.48	-
	(घ) पूंजीगत कार्य-प्रगति पर	10	140.36	110.32
	(ङ) अन्य गैर-वित्तीय आस्तियां	11	7,598.43	7,670.39
	उप योग (2)		62,966.66	64,281.85
	कुल आस्ति (1+2)		74,81,954.15	67,64,968.21
II	देयता एवं इक्विटी			
क	देयताएं			
1	वित्तीय देनदारियां			
	(क) देय	12	285.20	7.98
	(ख) ऋण प्रतिभूतियां	13	30,66,381.25	27,90,873.50
	(ग) उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	14	28,67,606.26	25,92,449.66
	(ङ) अन्य वित्तीय देयताएं	15	1,06,352.18	84,810.58
	उप योग (क-1)		60,40,624.89	54,68,141.72
2	गैर-वित्तीय देयताएं			
	(क) वर्तमान कर देयताएं (शुद्ध)	16	21,303.14	9,832.58
	(ख) प्रावधानों	17	4,154.46	4,608.06
	(ग) आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)	18	17,250.48	31,565.62
	उपयोग (क-2)		42,708.08	46,006.26
	उपयोग (क)		60,83,332.96	55,14,147.98
ख	इक्विटी			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	19	9,99,991.62	9,99,991.62
	(ख) अन्य इक्विटी	20	3,98,629.56	2,50,828.61
	उप योग (ख)		13,98,621.18	12,50,820.23
	कुल देयताएं और इक्विटी (क+ख)		74,81,954.15	67,64,968.21

1 से 29 तक के नोट खातों का अभिन्न भाग है।

कृते अग्रवाल एण्ड सक्सेना
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 002405C

अजय कुमार वर्मा
भागीदार
सदस्यता संख्या: 404578

नई दिल्ली
दिनांक: 30.05.2024

कृते इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के
निदेशक मंडल की ओर से

पवन के कुमार
(उप प्रबंध निदेशक)
डीआईएन संख्या: 8901398

रूपेश कुमार
(डीजीएम और कंपनी सचिव)

डॉ. पीआर जयशंकर
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन संख्या: 6711526

राजीव मुखीजा
(मुख्य महाप्रबंधक-सीएफओ)

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि का विवरण
सीआईएन सं. U67190DL2006GOI144520

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	नोट सं.	31.03.2024 तथा (लेखापरीक्षित)	31.03.2024 यथा (लेखापरीक्षित)
(क)	परिचालन से राजस्व	21	5,84,301.77	4,68,016.56
(ख)	शुल्क और कमीशन आय	22	9,847.22	7,959.97
I	परिचालन से कुल राजस्व (क+ख)		5,94,148.99	4,75,976.54
II	अन्य आय	23	83,540.58	57,596.09
III	कुल आय (I+II)		6,77,689.56	5,33,572.63
IV	व्यय			
(क)	वित्त लागत	24	4,02,445.16	3,05,789.97
(ख)	शुल्क और कमीशन व्यय	25	12,443.68	12,238.68
(ग)	शुद्ध (लाभ)/उचित मूल्य परिवर्तन पर हानि	26	(296.35)	2,296.15
(घ)	वित्तीय साधनों पर हानि	27	(44,336.58)	(78,107.23)
(ङ)	कर्मचारी लाभ व्यय	28	6,651.29	6,682.36
(च)	मूल्यहास, परिशोधन और हानि	9,10	1,129.65	1,212.90
(छ)	कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारियाँ		1,449.38	410.15
(ज)	अन्य व्यय	29	86,683.23	1,36,772.13
	कुल व्यय (IV)		4,66,169.45	3,87,295.12
V	लाभ पूर्व अपवादात्मक मदें और कर (III-IV)		2,11,520.11	1,46,277.51
VI	अपवादात्मक मदें		102.37	-
VII	कर पूर्व लाभ/(हानि) (V&VI)		2,11,417.74	1,46,277.51
	कर व्यय			
(i)	चालू कर		(38,562.78)	(12,280.16)
(ii)	पिछले वर्षों के लिए कर समायोजन		(2.30)	(54.69)
(iii)	आस्थगित कर		(9,192.23)	(8,342.35)
VIII	कुल कर व्यय (i + ii + iii)		(47,757.31)	(20,677.19)
IX	निरंतर परिचालन से वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (VII-VIII)		1,63,660.44	1,25,600.32
	बंद किए गए परिचालनों से लाभ/(हानि)		-	-
	बंद किए गए परिचालनों का कर व्यय		-	-
X	बंद किए गए परिचालनों से लाभ/(हानि) (कर के बाद)		-	-
XI	लाभ/(हानि) (जारी और बंद किए गए परिचालनों से) (IX+X)		1,63,660.44	1,25,600.32
XII	अन्य व्यापक आय			
(i)	वे मदें जिन्हें लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा लाभ/(हानि) का पुनर्मापन परिभाषित लाभ दायित्व		(626.51)	71.29
(ii)	परिभाषित के पुनर्मापन से संबंधित आयकर लाभ दायित्व		154.57	(17.95)
	अन्य व्यापक आय/(व्यय) (क)		(471.93)	53.34
XIII	वर्ष के लिए कुल व्यापक आय/(हानि) (XI+XII)		1,63,188.51	1,25,653.65
XIV	प्रति शेयर मूल और तनुकृत आय (प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹10)			
	1. निरंतर संचालन के लिए (₹ में) 1(बी)	1(ख)(8)	1.63	0.70
	2. बंद संचालन के लिए (₹ में)		-	-
	3. निरंतर और बंद संचालन के लिए (₹ में)		1.63	0.70

1 से 29 तक के नोट खातों का अभिन्न भाग है।

कृते अग्रवाल एण्ड सक्सेना
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 002405C

अजय कुमार वर्मा
भागीदार
Membership No.: 404578

कृते इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के
निदेशक मंडल की ओर से

पवन के कुमार
(उप प्रबंध निदेशक)
डीआईएन संख्या: 8901398

डॉ. पीआर जयशंकर
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन संख्या: 6711526

नई दिल्ली
दिनांक: 30.05.2024

रूपेश कुमार
(डीजीएम और कंपनी सचिव)

राजीव मुखीजा
(मुख्य महाप्रबंधक-सीएफओ)

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

सीआईएन सं. U67190DL2006GOI144520

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण		31.03.2024	31.03.2024
			यथा (लेखापरीक्षित)	यथा (लेखापरीक्षित)
क	परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
(i)	कर से पहले शुद्ध लाभ		2,11,417.74	1,46,277.51
	इसके लिए समायोजन:			
(ii)	मूल्यहास/क्षति और परिशोधन व्यय		1,129.65	1,212.90
(iii)	प्रावधान/बट्टे खाते में डालना		18,764.23	30,552.78
(iv)	प्रावधान/वापस लिखी गई राशि		(347.45)	(86.62)
(v)	ऋण और अग्रिम पर अर्जित और देय व्याज		771.40	122.12
(vi)	उधार पर अर्जित लेकिन देय नहीं व्याज		21,186.01	7,646.06
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ		2,52,921.58	1,85,724.75
(i)	ऋण परिचालन से नकदी प्रवाह		(8,03,529.57)	(2,21,835.15)
(ii)	निवेश की बिक्री/(जोड़)			
(iii)	व्यापार प्राप्तियों में (वृद्धि)/कमी		176.58	(419.91)
(iv)	अन्य परिचालन परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी		(2,238.27)	(81,419.10)
(v)	अन्य बैंक शेषों में (वृद्धि)/कमी		(1,37,334.11)	11,526.17
(vi)	अन्य परिचालन देनदारियों में वृद्धि/(कमी)		5,519.87	(75,764.74)
	परिचालन से नकदी प्रवाह कर पूर्व		(6,86,431.47)	(1,72,291.91)
	भुगतान किए गए कर (शुद्ध)		(38,565.07)	(12,334.86)
	परिचालन से शुद्ध नकदी	क	(7,24,996.55)	(1,84,626.77)
ख	निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
(i)	संयंत्र, संपत्ति और उपकरणों की खरीद		(134.15)	(68.59)
(ii)	संयंत्र, संपत्ति और उपकरणों की बिक्री		(0.50)	6.54
(iii)	पूंजीगत कार्य में (वृद्धि)/कमी		(8,789.48)	-
(iv)	निवेश में (वृद्धि)/कमी		28,656.41	148.61
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी	ख	19,732.28	86.56
ग	वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
(i)	शेयर पूंजी के निर्गम/आबंटन से आय		-	-
(ii)	उधार से आय		2,75,156.60	4,71,440.90
(iii)	ऋण प्रतिभूतियों से आय/(पुनर्भुगतान)		2,75,507.75	(2,99,745.98)
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी सी	ग	5,50,664.35	1,71,694.92
घ	विदेशी मुद्रा विनिमय अंतर का प्रभाव	घ	561.34	898.76
	नकदी और नकदी समतुल्य में शुद्ध परिवर्तन (ए+बी+सी+डी)		(1,54,038.59)	(11,946.53)
	जोड़ें: अवधि की शुरुआत में नकदी और नकदी समकक्ष		1,60,639.90	1,72,586.43
	विलय पर जोड़		-	-
	अवधि के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष		6,601.30	1,60,639.90
	अवधि के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष के घटक:-			
(i)	हाथ में नकदी		0.38	0.69
(ii)	चालू खाते		5,736.13	1,60,360.81
(iii)	फ्लेक्सी जमा खाते		864.79	278.40
	कुल		6,601.30	1,60,639.90

नकदी प्रवाह का उपरोक्त विवरण भारतीय लेखा मानक 'नकदी प्रवाह विवरण' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार किया गया है।

1) विद्युतीय अवधि (अवधियों) के आंकड़ों को जहां कहीं आवश्यक हो, पुनः समुहोक्त/पुनः व्यवस्थित किया गया है ताकि उन्हें रिपोर्टिंग अवधि प्रस्तुति के साथ तुलनीय बनाया जा सके।

2) निम्नलिखित बैंक बैलेंस कंपनी द्वारा मुफ्त उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं हैं:

31 मार्च 2024 तक (₹1,37,334.10 लाख) अन्य बैंक बैलेंस में (वृद्धि)/कमी (31 मार्च 2023 तक ₹11,526.17 लाख) में 31 मार्च 2024 तक ₹1,16,120.00 लाख (31 मार्च 2023 तक ₹8,000.00 लाख) शामिल हैं, जिस पर बैंड के व्याज भुगतान के लिए ग्राहणाधिकार अंकित किया गया है और 31 मार्च 2024 तक ₹2,12,300 लाख (31 मार्च 2023 तक ₹3,44,994.00 लाख) जिस पर ओवरड्राफ्ट के लिए ग्राहणाधिकार अंकित किया गया है।

कृते अग्रवाल एण्ड सवसैना

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 002405C

अजय कुमार वर्मा

भागीदार

Membership No.: 404578

नई दिल्ली

दिनांक: 30.05.2024

कृते इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के

निदेशक मंडल की ओर से

पवन के कुमार

(उप प्रबंध निदेशक)

डीआईएन संख्या: 8901398

रूपेश कुमार

(डीजीएम और कंपनी सचिव)

डॉ. पीआर जयशंकर

(प्रबंध निदेशक)

डीआईएन संख्या: 6711526

राजीव मुखीजा

(मुख्य महाप्रबंधक-सीएफओ)

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)

इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	(₹ लाख में)
1 अप्रैल 2023 तक शेयर पूंजी	9,99,991.62
पूर्व अवधि ड्रिफ्ट के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
1 अप्रैल 2023 तक शेयर पूंजी	9,99,991.62
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च 2024 तक शेयर पूंजी	9,99,991.62

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	पूंजी आरक्षित	सुरक्षा प्रीमियम खाता	डिविडेंड बॉन्ड रिडिम्पशन रिजर्व	नकदी प्रवाह हेज रिजर्व	आयकर, अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष रिजर्व	कर्मचारी कल्याण रिजर्व	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व रिजर्व	विदेशी मुद्रा अनुवाद अंतर रिजर्व	प्रतिधारित आय	आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45-आईसी के तहत आरक्षित निधि	प्रतिधारित आय	कुल
1 अप्रैल, 2023 तक शेयर पूंजी	585.14	235.50	98,087.76	(1,085.38)	1,53,449.80	323.27	122.45	15,151.11	1,01,230.76	40,585.05	1,57,856.86	2,50,828.61
पूर्व अवधि की ड्रिफ्टों	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
शुरुआत में पुनः घोषित शेयर पूंजी में परिवर्तन	585.14	235.50	98,087.76	(1,085.38)	1,53,449.80	323.27	122.45	15,151.11	1,01,230.76	40,585.05	1,57,856.86	2,50,828.61
रिपोर्टिंग अवधि का	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(आयकर के बाद शुद्ध)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अवधि के दौरान उपयोग की गई राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अवधि के दौरान नकदी प्रवाह	-	-	-	(15,939.70)	-	(42.45)	-	-	-	-	-	-
हेज रिजर्व	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा में विनिमय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विनिमय अंतर रिजर्व	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रतिधारित आय में अंतरण	-	-	(43,519.48)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रतिधारित आय से अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2024 तक शेयर पूंजी	585.14	235.50	54,568.28	(17,025.08)	1,77,588.71	297.16	122.45	15,712.43	1,01,230.76	71,536.34	(6,222.12)	3,98,629.56

30 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	(₹ लाख में)
1 अप्रैल, 2022 तक शेयर पूंजी	9,99,991.62
पूर्व अवधि की ड्रिफ्ट के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
1 अप्रैल 2022 तक शेयर पूंजी	9,99,991.62
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-

विवरण	पूजी आरक्षित	आरक्षित एवं अधिशेष										कुल
		सुरक्षा प्रिमियम खाता	डिबेंचर/ बॉन्ड रिडिमेशन रिजर्व	नकदी प्रवाह हेज रिजर्व	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष रिजर्व	कर्मचारी कल्याण रिजर्व	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व रिजर्व	विदेशी मुद्रा अनुवाद अंतर रिजर्व	प्रतिधारित आय	आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45- आईसी के तहत आरक्षित निधि	प्रतिधारित आय	
1 अप्रैल 2022 तक शेष राशि	585.14	235.50	99,995.05	(7,580.98)	1,45,940.91	357.19	122.45	14,252.34	45,165.93	19,062.47	(2,00,351.66)	1,17,784.34
पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष की शुरुआत में पुनः घोषित शेष राशि	585.14	235.50	99,995.05	(7,580.98)	1,45,940.91	357.19	122.45	14,252.34	45,165.93	19,062.47	(2,00,351.66)	1,17,784.35
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (आयकर के बाद शुद्ध)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अवधि के दौरान उपयोग की गई राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अवधि के दौरान नकदी प्रवाह हेज रिजर्व	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा में स्थानांतरण अनुवाद अंतर रिजर्व	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रतिधारित आय में स्थानांतरण	-	-	1,907.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रतिधारित आय से स्थानांतरण	-	-	-	-	7,508.90	33.93	-	-	-	21,522.58	-	-
31 मार्च 2023 तक शेष राशि	585.14	235.50	98,087.76	(1,085.37)	1,53,449.80	323.26	122.45	15,151.11	1,01,230.76	40,585.05	(1,57,856.87)	2,50,828.61

कृते अग्रवाल एण्ड सर्वसेना
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002405C

अजय कुमार वर्मा
भागीदार
Membership No.: 404578

नई दिल्ली
दिनांक: 30.05.2024

कृते इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के
निदेशक मंडल की ओर से

पवन के कुमार
(उप प्रबंध निदेशक)
डीआईएन संख्या: 8901398

रूपेश कुमार
(डीजीएम और कंपनी सचिव)

डॉ. पीआर जयशंकर
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन संख्या: 6711526

राजीव मुखीजा
(मुख्य महाप्रबंधक-सीएफओ)

नोट 2ए: नकद और नकद समतुल्य

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024 यथा	31.03.2023 यथा
(ए)	नकद और नकद समतुल्य		
	(i) हाथ में नकदी	0.38	0.69
	(ii) बैंकों के पास शेष	5,736.13	1,60,360.81
	(iii) बैंकों के पास सावधि जमा (भार रहित)	864.79	278.40
	कुल	6,601.30	1,60,639.90

नोट 2बी: उपरोक्त 2ए के अलावा अन्य बैंक बैलेंस

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024 यथा	31.03.2023 यथा
(i)	अन्य बैंक शेष		
	बैंकों में सावधि जमा (भार रहित) (मूल परिपक्वता तीन महीने से अधिक और अधिकतम बारह महीने)	8,19,375.89	6,54,522.48
(iii)	बैंकों में सावधि जमा (भार रहित) (मूल परिपक्वता बारह महीने से अधिक)	-	2,945.30
(iii)	बैंकों में दावा न किए गए बांड पर ब्याज के लिए निर्धारित शेष राशि	0.69	0.69
(iv)	बांड के ब्याज भुगतान के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में रखा गया	1,16,120.00	8,000.00
(v)	बैंकों से ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाने के लिए गिरवी रखा गया	2,12,300.00	3,44,994.00
	कुल	11,47,796.58	10,10,462.47

नोट 3: व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024 यथा		31.03.2023 यथा	
		काल्पनिक शुल्क	उचित मूल्य	काल्पनिक शुल्क	उचित मूल्य
(क)	आस्तियां अन्य व्युत्पन्नियां क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वेप (नोट संख्या 23.3 देखें)	9,78,703.35	1,22,707.35	9,99,203.47	1,64,636.18
	कुल व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	9,78,703.35	1,22,707.35	9,99,203.47	1,64,636.18

नोट 4: व्यापार प्राप्तियां

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024 यथा	31.03.2023 यथा
(ए)	अच्छे माने जाने वाले प्राप्य, असुरक्षित:		
	संबंधित पक्ष	124.40	-
(बी)	अन्य	384.77	685.75
	कुल	509.17	685.75
	व्यापार प्राप्य का आयुवार विश्लेषण	31.03.2024	31.03.2023
(क)	6 महीने से कम	485.61	685.75
(ख)	6 महीने से 1 वर्ष	23.56	-
ग)	1 - 2 वर्ष	-	-
(घ)	2 - 3 वर्ष	-	-
(ङ)	3 वर्ष से अधिक	-	-
	कुल	509.17	685.75

नोट 5: ऋण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024 यथा	31.03.2023 यथा
(क)	ऋण		
(II)	सावधि ऋण		
I	अवसंरचनात्मक ऋण: मानक आस्तियां		
	क. प्रत्यक्ष उधार	17,30,627.63	17,68,625.81
	ख. समोहित नगर पालिका ऋण दायित्व (पीएमडीओ) योजना	-	121.24
	ग. टेकआउट फाइनेंसिंग योजना	14,55,021.06	6,48,233.38
	घ. पुनर्वित्त योजना	15,25,000.00	15,90,864.33
	ज. बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बांड (बुनियादी ढांचा ऋण के रूप में गिने जाते हैं)*	8,01,822.88	6,17,175.88
II	अवसंरचनात्मक ऋण: उप-मानक आस्तियां		
	क. प्रत्यक्ष उधार	-	6,032.58
	ख. समोहित नगर पालिका ऋण दायित्व (पीएमडीओ) योजना	-	-
	ग. टेकआउट फाइनेंसिंग योजना	-	-
III	अवसंरचनात्मक ऋण: संदिग्ध आस्तित्व		
	क. प्रत्यक्ष उधार	2,73,700.95	4,03,840.89
	ख. समोहित नगर पालिका ऋण दायित्व (पीएमडीओ) योजना	-	-
	ग. टेकआउट फाइनेंसिंग योजना	33,296.61	42,866.09
	कुल (क) सकल	58,19,469.13	50,77,760.20
	घटाएँ: क्षति हानि भत्ता	3,27,277.61	3,72,086.62
	घटाएँ: विनियोग हेतु लंबित राशि	5,025.56	(2,998.21)
	कुल (क) शुद्ध	54,87,165.96	47,08,671.79
(बी)	(i) मूल परिसंपत्तियों और अमूल्य परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	38,45,285.97	34,86,895.87
	(ii) असुरक्षित	19,74,183.16	15,90,864.33
	कुल (ख) सकल	58,19,469.13	50,77,760.20
	घटाएँ: क्षति हानि भत्ता	3,27,277.61	-
	घटाएँ: विनियोग के लिए लंबित राशि	5,025.56	(2,998.21)
	कुल (ख) शुद्ध	54,87,165.96	50,80,758.40
(ग)	भारत में ऋण		
	(i) सार्वजनिक क्षेत्र	18,18,925.63	13,12,706.07
	(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के अलावा अन्य	40,00,543.50	37,65,054.13
	कुल (ग) सकल	58,19,469.13	50,77,760.20
	घटाएँ: क्षति हानि भत्ता	3,27,277.61	3,72,086.62
	घटाएँ: विनियोग हेतु लंबित राशि	5,025.56	(2,998.21)
	कुल (ग) शुद्ध	54,87,165.96	47,08,671.78
	कुल	54,87,165.96	47,08,671.78

फुटनोट:

क्षेत्र	प्रतिभूति का विवरण:	राशि (₹ लाख में)	
उर्जा एवं अन्य सेक्टर	बंधक: उधारकर्ता की सभी अचल आस्तियों, वर्तमान और भविष्य के बंधक के रूप में पहला पारि-पासु प्रभार दृष्टिबंधक: संयंत्र और मशीनरी आदि सहित ऋणी की सभी चल आस्तियों का दृष्टिबंधक के रूप में पहला पारि-पासु प्रभार शेयरों की गिरवी न्यूनतम 51% एस्को खाता और ऋण लेने वालों के सभी अधिकार और शीपक और हित पारि-पासु	22,60,546.25	19,87,536.22
सड़क और हाईवे अड्डा (पीपीपी)	परियोजना की वार्षिकी और टोल संग्रह प्राप्त करने का अधिकार एस्को खाता और उधारकर्ता के सभी अधिकार और शीपक और हित रैंक पारि-पासु दृष्टिबंधक: उधारकर्ता की सभी चल आस्तियों के दृष्टिबंधक के रूप में पहला पारि-पासु प्रभार	12,32,100.00	12,32,121.02
पुनर्वित्त योजना के तहत वित्तीय संस्थान	अप्रतिभूत	23,26,822.88	18,58,102.96
	कुल#	58,19,469.13	50,77,760.20

* भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 22 सितंबर 2021 के पत्र के अनुसार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बांड में निवेश को ऋण और अग्रिम के रूप में माना जाता है, जिसमें बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए बांड/डिबेंचर की सदस्यता के माध्यम से पुनर्वित्त सहित निवेश की अनुमति दी गई है, चाहे परियोजना कार्यान्वयन के अधीन हो या पूरी हो चुकी हो, इसे आईआईएफसीएल द्वारा बुनियादी ढांचा ऋणों के लिए कुल परिसंपत्तियों का न्यूनतम 75% लगाने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचा ऋण के रूप में माना जाएगा।

[illegible]

जारी

नोट 7: अन्य वित्तीय आस्तियां

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 यथा	31.03.2020 यथा
क	अग्रिम		
(i)	कर्मचारियों से वसूली योग्य अग्रिम	2,282.35	1,671.40
(ii)	सुरक्षा जमा का मुग्तान	58.44	46.13
(iii)	अन्य	4,534.68	10,485.74
	उप-योग (क)	6,875.47	12,203.28
ख	ऋण और अग्रिम पर अर्जित और देय ब्याज	1,060.17	1,831.57
	उप-योग (ख)	1,060.17	1,831.57
ग	अर्जित लेकिन देय नहीं ब्याज:		
(i)	बैंकों के साथ सावधि जमा	35,160.37	26,617.18
(ii)	बांड	7,837.17	6,004.05
(iii)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	16,953.07	93.66
(iv)	ऋण एवं अग्रिम	25,422.80	19,031.81
	उप-योग (ग)	85,373.41	51,746.70
	कुल (क)+(ख)+(ग)	93,309.06	65,781.54

नोट 8: आस्थगित कर परिसंपत्ति

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 यथा	31.03.2020 यथा
(I)	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ:		
(i)	विविध देयता खाते में जमा किया गया ब्याज (ब्याज पूंजीकरण) कर के लिए प्रस्तावित	2,891.88	7,597.76
(ii)	अपेक्षित क्रेडिट हानि	16,758.57	20,854.29
(iii)	अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	-	13.79
(iv)	मूल्यहास	1,598.44	1,397.13
(v)	बीमारी अवकाश के लिए प्रावधान	80.88	53.69
(vi)	अन्य	1,990.39	2,412.09
(vii)	चिकित्सा सहायता योजना के लिए प्रावधान	291.95	245.13
(viii)	वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	-	44.16
(ix)	अवकाश किराया रियायत के लिए प्रावधान	26.51	27.68
(x)	ग्रेजुटी के लिए प्रावधान	-	13.59
(xi)	आईएमसीएल की आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	-	16.19
(xii)	डब्ल्यूटीडी को पीएलआई का प्रावधान	6.54	6.54
	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	23,645.16	32,682.04
(II)	आस्थगित कर देयता:		
(i)	व्यय जिस पर ज्यै नहीं काटा गया	0.82	-
	आस्थगित कर देयता	0.82	-
	आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता) (शुद्ध)	23,644.35	32,682.04

नोट 9 : अचल संपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	सकल स्लाक			भूतदास			निवल स्लाक	
	01.04.2023 यथा	जोड़ना	निपटान/ समायोजन	31.03.2024 यथा	वर्ष के लिए	कटौतियां/ प्रत्यावर्तन	31.03.2024 यथा	31.03.2023 यथा
मूल संपत्ति								
भवन	27,479.81	-	-	27,479.81	952.81	-	22,463.88	23,416.69
संयंत्र और उपकरण	144.97	0.95	-	145.92	4.46	-	10.40	13.91
फर्नीचर और फिक्स्चर	637.37	17.03	-	654.41	45.21	-	150.61	178.79
वाहन	101.13	22.03	-	123.16	16.17	-	41.16	35.30
कार्यालय उपकरण	349.03	7.92	-	356.95	12.35	-	28.24	32.66
कंप्यूटर हार्डवेयर	207.97	16.23	-	224.20	44.64	0.50	46.74	74.65
लोजिस्टिक्स विकास	102.92	1.42	-	104.34	4.84	-	35.69	39.11
निवृत्त उपकरण	346.41	-	-	346.41	10.66	-	17.32	27.98
कुल	29,369.63	65.58	-	29,435.20	1,091.14	0.50	22,794.04	23,819.09
पिछला वर्ष	29,356.97	73.92	81.30	29,349.57	1,159.75	74.76	23,819.09	24,911.49

नोट 9ए : प्रगति पर पूंजीगत कार्य

विवरण	सकल स्लाक			भूतदास			निवल स्लाक	
	01.04.2023 यथा	जोड़ना	निपटान/ समायोजन	31.03.2024 यथा	वर्ष के लिए	कटौतियां/ प्रत्यावर्तन	31.03.2024 यथा	31.03.2023 यथा
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	-	8,789.48	-	8,789.48	-	-	8,789.48	-
कुल	-	8,789.48	-	8,789.48	-	-	8,789.48	-
पिछला वर्ष	-	-	-	-	-	-	-	-

सीडब्ल्यूआईपी एजिंग	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
सीडब्ल्यूआईपी	8,789.48	-	-	-
परियोजनाएं प्रगति पर हैं	8,789.48	-	-	-
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गईं	-	-	-	-
कुल	8,789.48	-	-	-
पिछला वर्ष	-	-	-	-

नोट 10: अन्य अमूर्त संपत्तियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	सकल ब्लाक			मूल्यस				निवल ब्लाक	
	01.04.2023 यथा	जोड़ना	नियतन/समायोजन	31.03.2024 यथा	01.04.2023 यथा	वर्ष के लिए प्रत्यावर्तन	कटौतियाँ/प्रत्यावर्तन	31.03.2024 तक	31.03.2023 यथा
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर*	1,051.98	70.94	-	1,122.93	941.68	40.88	-	982.56	110.32
कुल	1,051.98	70.94	-	1,122.93	941.68	40.88	-	982.56	110.32
पिछला वर्ष	1,052.59	0.39	-	1,052.59	883.79	58.48	-	942.27	168.80

* कंपनी द्वारा धारित अन्य अमूर्त संपत्तियाँ आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त संपत्तियों के अलावा हैं।

नोट: आईआईएफसीएल का कार्यालय 1 जनवरी 2019 से नए परिसर में स्थानांतरित हो गया है। परिसर के अधिग्रहण के लिए भुगतान की गई राशि को खातों की पुस्तकों में पूंजीकृत किया गया है। चूंकि पट्टा समझौता अभी तक निष्पादित नहीं हुआ है, आईआईएफसीएल ने 30 वर्षों की पट्टा अवधि में राशि का परिशोधन कर लिया है।

नोट 11: अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024 यथा	31.03.2023 यथा
(i)	प्रोपेड खर्चे	6,027.60	6,806.55
(ii)	प्रोपेड स्टाफ लागत	44.96	17.94
(iii)	अन्य अंशिम	1,525.87	845.90
	कुल	7,598.43	7,670.39

नोट 12: देय

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024 यथा	31.03.2023 यथा
	व्यापार देय		
(i)	सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया	1.49	-
(ii)	सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों को छोड़कर अन्य लेनदारों का कुल बकाया	283.71	7.98
	कुल	285.20	7.98
	व्यापार देय का आयु अनुसार विश्लेषण		
(क)	1 वर्ष से कम	285.20	7.98
(ख)	1-2 वर्ष	-	-
(ग)	2-3 वर्ष	-	-
	कुल	285.20	-

नोट 13: ऋण प्रतिभूतियाँ

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024		31.03.2023	
		परिसीमांकित लागत	कुल यथा	परिसीमांकित लागत	कुल यथा
(क)	अन्य				
(i)	सुरक्षित बांडः				
(ii)	100 (31 मार्च 2023 तक 100) 8.01% कर मुक्त बांड श्रृंखला VI, अंकित मूल्य ₹10 लाख प्रत्येक, 30/08/2023 को भुनाने योग्य	-	-	1,000.00	1,000.00
(iii)	50 (31 मार्च 2023 तक 50) 8.11% कर मुक्त बांड श्रृंखला VII, अंकित मूल्य ₹10 लाख प्रत्येक, 05/09/2023 को भुनाने योग्य	-	-	500.00	500.00
(iv)	12,31,739 (31 मार्च 2023 तक 12,31,739) 8.28% कर मुक्त बांड, अंकित मूल्य ₹1,000 प्रत्येक, 12/11/2023 को भुनाने योग्य	-	-	12,317.39	12,317.39
(v)	27,719 (31 मार्च 2023 तक 27,719) 8.01% कर मुक्त बांड श्रृंखला III, अंकित मूल्य ₹1,000 प्रत्येक, 12/11/2023 को भुनाने योग्य	-	-	277.19	277.19
(vi)	17,26,340 (31 मार्च 2023 तक 17,26,340) 8.01% कर मुक्त बांड अंकित मूल्य ₹1,000 प्रत्येक, 12/11/2023 को भुनाने योग्य	-	-	17,263.40	17,263.40
(vii)	79,57,885 (31 मार्च 2023 तक 79,57,885) 8.41% कर मुक्त बांड श्रृंखला IV, अंकित मूल्य ₹1000 प्रत्येक, 22/01/2024 को भुनाने योग्य	-	-	79,578.85	79,578.85
(viii)	41,69,571 (31 मार्च 2023 तक 41,69,571) 8.66% कर मुक्त बांड श्रृंखला IV, अंकित मूल्य ₹1000 प्रत्येक, 22/01/2024 को भुनाने योग्य	-	-	40,695.71	40,695.71
(ix)	1,91,778 (31 मार्च 2023 तक 1,91,778) 8.41% कर मुक्त बांड श्रृंखला V, अंकित मूल्य ₹1,000 प्रत्येक, 22/01/2024 को भुनाने योग्य	-	-	1,917.78	1,917.78
(x)	12,80,511 (31 मार्च 2023 तक 12,80,511) 8.41% कर मुक्त बांड श्रृंखला VI, अंकित मूल्य ₹1,000 प्रत्येक, 27/03/2024 को भुनाने योग्य	-	-	12,805.11	12,805.11
(xi)	41,188 (31 मार्च 2023 तक 41,188) 8.16% कर मुक्त बांड श्रृंखला VII, अंकित मूल्य ₹1,000 प्रत्येक, 27/03/2024 को भुनाने योग्य	-	-	411.88	411.88
(xii)	38,58,714 (31 मार्च 2023 तक 38,58,714) 8.16% कर मुक्त बांड श्रृंखला VIII, अंकित मूल्य ₹1,000 प्रत्येक, 27/03/2024 को भुनाने योग्य	-	-	38,587.14	38,587.14
(xiii)	79,110 (31 मार्च 2023 तक 79,110) 8.30% बांड, अंकित मूल्य ₹1000 प्रत्येक, 28/3/2026 को भुनाने योग्य	791.10	791.10	791.10	791.10
(xiv)	1,000 (31 मार्च 2023 तक 1,000) 7.38% कर मुक्त बांड श्रृंखला III-B, अंकित मूल्य ₹10 लाख प्रत्येक, 15/11/2027 को भुनाने योग्य	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
(xv)	500 (31 मार्च 2023 तक 500) 7.38% कर मुक्त बांड श्रृंखला IV-B, अंकित मूल्य ₹10 लाख प्रत्येक, 21/11/2027 को भुनाने योग्य	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
(xvi)	67,41,162 (31 मार्च 2023 तक 67,41,162) 7.36% कर मुक्त बांड, अंकित मूल्य ₹1,000 प्रत्येक, 22/01/2028 को भुनाने योग्य	67,411.62	67,411.62	67,411.62	67,411.62
(xvii)	8,68,391,501 (31 मार्च 2023 तक 8,68,391) ₹1,000 अंकित मूल्य वाले 7.86% कर मुक्त बांड, 22/01/2028 को भुनाने जा सकेंगे	8,683.91	8,683.91	8,683.91	8,683.91
(xviii)	3,51,554 (31 मार्च 2023 तक 3,51,554) ₹1,000 अंकित मूल्य वाले 7.02% कर मुक्त बांड, 26/03/2028 को भुनाने जा सकेंगे	3,615.54	3,615.54	3,615.54	3,615.54
(xix)	1,04,064 (31 मार्च 2023 तक 1,04,064) ₹1,000 अंकित मूल्य वाले 7.52% कर मुक्त बांड, 26/03/2028 को भुनाने जा सकेंगे	1,040.64	1,040.64	1,040.64	1,040.64
(xx)	6,303 (31 मार्च 2023 तक 6,303) 8.26% कर मुक्त बांड श्रृंखला V, अंकित मूल्य ₹10 लाख प्रत्येक, 23/08/2028 को भुनाने योग्य	63,030.00	63,030.00	63,030.00	63,030.00
	11,597 (31 मार्च 2023 तक 11,597) 8.46% कर मुक्त बांड श्रृंखला VI, अंकित मूल्य ₹10 लाख प्रत्येक, 30/08/2028 को भुनाने योग्य	1,15,970.00	1,15,970.00	1,15,970.00	1,15,970.00

जारी...

	11,297 (31 मार्च 2023 तक 11,297)	8.48% कर मुक्त बांड श्रृंखला VII, अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक, 05/09/2028 को भुनाने योग्य	1,12,970.00	1,12,970.00	1,12,970.00	1,12,970.00
(xxi)	89,009 (31 मार्च 2023 तक 89,009)	8.38% कर मुक्त बांड श्रृंखला III, अंकित मूल्य ₹ 1,000 प्रत्येक, 12/11/2028 को भुनाने योग्य	890.09	890.09	890.09	890.09
(xxii)	30,353.30 (31 मार्च 2023 तक 30,353.30)	8.38% कर मुक्त बांड, अंकित मूल्य ₹ 1,000 प्रत्येक, 12/11/2028 को भुनाने योग्य	30,353.30	30,353.30	30,353.30	30,353.30
(xxiii)	15,713.11 (31 मार्च 2023 तक 15,713.11)	8.63% कर मुक्त बांड, अंकित मूल्य ₹ 1,000 प्रत्येक, 12/11/2028 को भुनाने योग्य	15,713.11	15,713.11	15,713.11	15,713.11
(xxiv)	67,908 (31 मार्च 2023 तक 67,908)	8.48% कर मुक्त बांड श्रृंखला IV, अंकित मूल्य ₹ 1,000 प्रत्येक, 22/01/2029 को भुनाने योग्य	679.08	679.08	679.08	679.08
(xxv)	27,989.22 (31 मार्च 2023 तक 27,989.22)	8.48% कर मुक्त बांड श्रृंखला IV, अंकित मूल्य ₹ 1,000 प्रत्येक, 22/01/2029 को भुनाने योग्य	27,989.22	27,989.22	27,989.22	27,989.22
(xxvi)	14,109.50 (31 मार्च 2023 तक 14,109.50)	8.73% कर मुक्त बांड श्रृंखला IV, अंकित मूल्य ₹ 1,000 प्रत्येक, 22/01/2029 को भुनाने योग्य	14,109.50	14,109.50	14,109.50	14,109.50
(xxvii)	1,22,807 (31 मार्च 2023 तक 1,22,807)	8.55% कर मुक्त बांड श्रृंखला III, अंकित मूल्य ₹ 1,000 प्रत्येक, 27/03/2029 को भुनाने योग्य	1,228.07	1,228.07	1,228.07	1,228.07
(xxviii)	1,59,584.86 (31 मार्च 2023 तक 1,59,584.86)	8.55% कर मुक्त बांड श्रृंखला II, अंकित मूल्य ₹ 1,000 प्रत्येक, 27/03/2029 को भुनाने योग्य	1,59,584.86	1,59,584.86	1,59,584.86	1,59,584.86
(xxix)	27,110.62 (31 मार्च 2023 तक 27,110.62)	8.80% कर मुक्त बांड श्रृंखला III, अंकित मूल्य ₹ 1,000 प्रत्येक, 27/03/2029 को भुनाने योग्य	27,110.62	27,110.62	27,110.62	27,110.62
(xxx)	3,400 (31 मार्च 2023 तक 3,400)	7.41% कर मुक्त बांड सीरीज III, अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक, 15/11/2032 को भुनाने योग्य	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
(xxxi)	210 (31 मार्च 2023 तक 210)	7.41% कर मुक्त बांड सीरीज IV-सी, अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक, 21/11/2032 को भुनाने योग्य	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
(xxxii)	1,01,628.09 (31 मार्च 2023 तक 1,01,628.09)	7.40% कर मुक्त बांड, अंकित मूल्य ₹ 1,000 प्रत्येक, 22/01/2033 को भुनाने योग्य	1,01,628.09	1,01,628.09	1,01,628.09	1,01,628.09
(xxxiii)	14,014.15 (31 मार्च 2023 तक 14,014.15)	7.90% कर मुक्त बांड, अंकित मूल्य ₹ 1,000 प्रत्येक, 22/01/2033 को भुनाने योग्य	14,014.15	14,014.15	14,014.15	14,014.15
(xxxiv)	42,472 (31 मार्च 2023 तक 42,472)	7.08% कर मुक्त बांड, अंकित मूल्य ₹ 1,000 प्रत्येक, 26/03/2033 को भुनाने योग्य	424.72	424.72	424.72	424.72
(xxxv)	1,90,693 (31 मार्च 2023 तक 1,90,693)	7.58% कर मुक्त बांड, अंकित मूल्य ₹ 1,000 प्रत्येक, 26/03/2033 को भुनाने योग्य	1,906.93	1,906.93	1,906.93	1,906.93
(xxxvi)	20 (31 मार्च 2023 तक 20)	8.19% कर मुक्त बांड श्रृंखला V, अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक, 23/08/2033 को भुनाने योग्य	200.00	200.00	200.00	200.00
(xxxvii)	265 (31 मार्च 2023 तक 265)	8.37% कर मुक्त बांड श्रृंखला IV, अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक, 30/08/2033 को भुनाने योग्य	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00
(xxxviii)	1,59,113 (31 मार्च 2023 तक 1,59,113)	8.50% कर मुक्त बांड श्रृंखला III, अंकित मूल्य ₹ 1,000 प्रत्येक, 12/11/2033 को भुनाने योग्य	1,591.13	1,591.13	1,591.13	1,591.13
(xxxix)	18,689.82 (31 मार्च 2023 तक 18,689.82)	8.50% कर मुक्त बांड, अंकित मूल्य ₹ 1,000 प्रत्येक, 12/11/2033 को भुनाने योग्य	18,689.82	18,689.82	18,689.82	18,689.82
(xl)	24,20,508 (31 मार्च 2023 तक 24,20,508)	8.75% कर मुक्त बांड, अंकित मूल्य ₹ 1,000 प्रत्येक, 12/11/2033 को भुनाने योग्य	24,205.08	24,205.08	24,205.08	24,205.08
(xli)	5,15,765 (31 मार्च 2023 तक 5,15,765)	8.66% कर मुक्त बांड श्रृंखला IV, अंकित मूल्य ₹ 1,000 प्रत्येक, 22/01/2034 को भुनाने योग्य	5,157.65	5,157.65	5,157.65	5,157.65
(xlii)	75,43,989 (31 मार्च 2023 तक 75,43,989)	8.66% कर मुक्त बांड श्रृंखला IV, अंकित मूल्य ₹ 1,000 प्रत्येक, 22/01/2034 को भुनाने योग्य	75,439.89	75,439.89	75,439.89	75,439.89

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024		31.03.2023	
		परिशोधित लागत	कुल यथा	परिशोधित लागत	कुल यथा
(xLiv)	54,43,232 (31 मार्च 2023 तक 54,43,232) 8.91% कर मुक्त बॉन्ड श्रृंखला IV, अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक, 22/01/2034 को भुनाने योग्य	54,43,232	54,43,232	54,43,232	54,43,232
(xLv)	12,59,825 (31 मार्च 2023 तक 12,59,825) 8.55% कर मुक्त बॉन्ड श्रृंखला 3 I, अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक, 27/03/2034 को भुनाने योग्य	12,598.25	12,598.25	12,598.25	12,598.25
(xLvi)	12,87,311 (31 मार्च 2023 तक 12,87,311) 8.80% कर मुक्त बॉन्ड ट्रांच III, सीरीज 3बी, अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक, 27/03/2034 को भुनाने योग्य	12,873.11	12,873.11	12,873.11	12,873.11
(xLvii)	1,25,470 (31 मार्च 2023 तक 1,25,470) 8.55% कर मुक्त बॉन्ड ट्रांच III, अंकित मूल्य ₹ 1,000 प्रत्येक, 27/03/2034 को भुनाने योग्य	1,254.70	1,254.70	1,254.70	1,254.70
(xLviii)	10,500 (31 मार्च 2023 तक 10,500) 9.41% बॉन्ड, अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक, 27/07/2037 को भुनाने योग्य	1,05,000.00	1,05,000.00	1,05,000.00	1,05,000.00
(xLix)	500 (31 मार्च तक 500 2023) 9.38% बॉन्ड, अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक, 27/07/2042 को भुनाने योग्य	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
		11,39,336.50	11,39,336.50	13,44,690.95	13,44,690.95
II	असुरक्षित बॉन्ड				
(i)	2,000 9.35% बॉन्ड, अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक, 17/11/2023 को भुनाने योग्य #	-	-	20,000.00	20,000.00
(ii)	2,000 8.68% बॉन्ड, अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक, 18/12/2023 को भुनाने योग्य #	-	-	20,000.00	20,000.00
(iii)	231 यूएस+ 6 महीने से जुड़े ब्याज वाले स्ट्रक् बॉन्ड, अंकित मूल्य 1 मिलियन प्रत्येक, तत्पश्चात् ब्याज संचयन, 06/03/2024 को भुनाने योग्य #	-	-	1,89,921.04	1,89,921.04
(iv)	5,000 8.10% बॉन्ड, अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक, 08/04/2024 को भुनाने योग्य #	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
(v)	5,000 7.90% बॉन्ड, अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक, 28/04/2024 को भुनाने योग्य #	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
(vi)	6,000 8.12% बॉन्ड, अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक, 12/08/2024 को भुनाने योग्य #	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
(vii)	4,000 8.12% बॉन्ड, अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक, 24/08/2024 को भुनाने योग्य #	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
(viii)	10,000 8.55% बॉन्ड, अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक, 03/11/2024 को भुनाने योग्य #	1,00,000.00	1,00,000.00	1,00,000.00	1,00,000.00
(ix)	532 यूएस+ 6 महीने से जुड़े ब्याज वाले स्ट्रक् गैर परिवर्तनीय बॉन्ड, अंकित मूल्य 1 मिलियन प्रत्येक, तत्पश्चात् ब्याज संचयन, 26/03/2025 को भुनाने योग्य #	4,43,549.15	4,43,549.15	4,37,393.91	4,37,393.91
(x)	400 यूएस+ 6 महीने से जुड़े ब्याज वाले स्ट्रक् बॉन्ड, अंकित मूल्य 1 मिलियन प्रत्येक, तत्पश्चात् ब्याज संचयन, 29/01/2029 को भुनाने योग्य	3,33,495.60	3,33,495.60	3,28,867.60	3,28,867.60
(xi)	15,000 7.17% बॉन्ड, अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक, 12/03/2032 को भुनाने योग्य	1,50,000.00	1,50,000.00	1,50,000.00	1,50,000.00
(xii)	5,000 7.46% बॉन्ड, अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक, 31/05/2033 को भुनाने योग्य	50,000.00	50,000.00	-	-
(xiii)	200,000 7.69% बॉन्ड, अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक, 26/10/2038 को भुनाने योग्य	2,00,000.00	2,00,000.00	-	-
(xiv)	200,000 7.69% बॉन्ड, अंकित मूल्य ₹ 1 लाख प्रत्येक, 26/10/2038 को भुनाने योग्य	2,00,000.00	2,00,000.00	-	-
(xv)	100,000 7.67% बॉन्ड, अंकित मूल्य ₹ 1 लाख प्रत्येक, 26/10/2038 को भुनाने योग्य	1,00,000.00	-	-	-

जारी...

(xvi)	150,000 7.34% बांड, अंकित मूल्य ₹ 1 लाख प्रत्येक, 14/03/2039 को भुनाए जाने योग्य	1,50,000.00	1,50,000.00	-	-
	कुल सकल (क)	19,27,044.75	19,27,044.75	14,46,182.55	14,46,182.55
	भारत में ऋण प्रतिभूतियाँ	30,66,381.25	30,66,381.25	27,90,873.50	27,90,873.50
	भारत के बाहर ऋण प्रतिभूतियाँ	23,66,381.25	23,66,381.25	18,34,690.95	18,74,611.99
	कुल सकल (ख)	11,83,495.60	11,83,495.60	9,56,182.55	4,78,867.60
	(क) के साथ मिलान करने के लिए कुल (ख)	35,49,876.85	35,49,876.85	27,90,873.50	23,53,479.59
		30,66,381.25	30,66,381.25	27,90,873.50	27,90,873.50

एफवीटीपीएल और एफवीटीओसीआई में मापी गई और नामित कोई ऋण प्रतिभूतियाँ नहीं हैं।

A आईआईएफसीएल द्वारा जारी सभी सुरक्षित और असुरक्षित बांड गैर-परिवर्तनीय हैं और सममूल्य पर प्रतिदेय हैं।

इसके अलावा, सुरक्षित बांड कंपनी के सभी अधिकारों, शीर्षकों, हितों, लाभ, दावों और मांगों के आधार पर समान आधार पर सुरक्षित हैं, जिसमें कंपनी के किसी भी प्रकार के वर्तमान और भविष्य के प्राप्य शामिल हैं। "क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग और वर्ष के दौरान रेटिंग का माइग्रेशन आईआईएफसीएल के घरेलू ऋण साधनों की रेटिंग "AAA" है - जो क्रिसिल, केयर, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, आईसीआरए और ब्रिक्वर्क्स-क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई उच्चतम रेटिंग है। वर्ष के दौरान रेटिंग का कोई माइग्रेशन नहीं हुआ है।

असुरक्षित बांड भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत हैं ख31 मार्च 2024 तक ₹ 7,43,549.15 लाख सहित (31 मार्च 2023 तक ₹ 2,29,921.04 लाख) रिपोर्टिंग अवधि के अंत से 1 वर्ष के भीतर देय राशि है। बांड या डिबेंचर को भुनाया गया है जिसे आईआईएफसीएल को पुनः जारी करने का अधिकार है।

7,43,549.15	7,43,549.15	2,29,921.04	2,29,921.04
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

नोट 14: उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024 यथा		31.03.2023 यथा	
		परिशोधित लागत	कुल	परिशोधित लागत	कुल
क)	सावधि ऋण				
(i)	बैंकों से				
क.	बैंकों से अल्पावधि ऋण	11,32,162.67	11,32,162.67	5,70,000.00	5,70,000.00
बी.	अन्य ऋण – आईआईएफसी यूके	1,66,748.01	1,66,748.01	1,22,014.13	1,22,014.13
(ii)	अन्य दलों से				
	असुरक्षित ऋण:				
क.	एशियाई विकास बैंक (एडीबी)	11,11,935.88	11,11,935.88	11,48,371.73	11,48,371.73
ख.	आईबीआरडी (विश्व बैंक)	1,07,041.82	1,07,041.82	1,13,380.39	1,13,380.39
ग.	यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी)	1,40,116.34	1,40,116.34	1,51,820.88	1,51,820.88
ड.	क्रेडिटनस्टाल्ट फर विडेराउफबाउ (केएफडब्ल्यू)	13,006.32	13,006.32	13,405.82	13,405.82
च.	जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी	1,96,525.20	1,96,525.20	2,20,190.86	2,20,190.86
ख)	मांग पर चुकाए जाने वाले ऋण				
	सुरक्षित ऋण:				
i)	बैंकों से (सावधि जमा की प्रतिज्ञा द्वारा सुरक्षित ₹2,12,300 लाख की प्राप्ति या 31 मार्च 2024 (₹3,44,994 लाख)। 31 मार्च 2023))	70.00	70.00	2,53,265.84	2,53,265.84
	कुल (क)	28,67,606.26	28,67,606.26	25,92,449.66	25,92,449.66
	भारत में उधार	11,32,232.67	11,32,232.67	8,23,265.84	8,23,265.84
	भारत से बाहर उधार—एफसी ऋण	17,35,373.58	17,35,373.58	17,69,183.81	17,69,183.81
	कुल	28,67,606.26	28,67,606.26	25,92,449.66	25,92,449.663

अन्य पक्षों के सभी असुरक्षित सावधि ऋणों की गारंटी भारत सरकार द्वारा दी जाती है, जिनमें से 31 मार्च 2024 तक [₹74,082.97 लाख, ₹497.65 लाख, ₹7,933.49 लाख, ₹12,197.33 लाख और ₹10,424.07 लाख राशि (31 मार्च 2023 तक ₹69,526.98 लाख, ₹487.47 लाख, ₹7,823.76 लाख, ₹11,947.68 लाख और ₹10,424.07 लाख) रिपोर्टिंग के अंत से 1 वर्ष के भीतर क्रमशः एडीबी, केएफडब्ल्यू, विश्व बैंक, ईआईबी और जेआईसीए को देय राशि हैं। अवधि।

नोट 15: अन्य वित्तीय देनदारियाँ

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2024 यथा	31.03.2023 यथा
क	अर्जित ब्याज		
(i)	बांड और सावधि ऋण पर	1,02,966.59	81,780.58
ख	अन्य		
(i)	सुरक्षा जमा प्राप्त	14.23	7.63
(ii)	अन्य	3,371.36	3,022.37
	कुल	1,06,352.18	84,810.58

नोट 16: वर्तमान कर देनदारियाँ

क्र. सं.	विवरण	31.03.2024 यथा	31.03.2023 यथा
(i)	आयकर के लिए प्रावधान	11,170.37	9,424.03
(ii)	आयकर (शुद्ध)	10,132.78	408.55
	कुल	21,303.14	9,832.58

नोट 17: प्रावधान

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2024 यथा	31.03.2023 यथा
	कर्मचारी लाभ का प्रावधान		
(i)	अवकाश नकदीकरण	82.20	74.05
(ii)	बीमारी की छुट्टी	321.34	213.34
(iii)	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	1,244.12	994.49
(iv)	अवकाश किराया रियायत	111.97	111.62
(v)	वेतन संशोधन	1,191.90	2,184.73
(vi)	ग्रेज्युटी	75.90	71.78
(vii)	कर्मचारियों/डब्ल्यूटीडी के लिए पीएलआई	26.00	26.00
(viii)	अवकाश किराया रियायत	33.97	
	अन्य		
(i)	एनपीए की ओर से व्यय	1,067.06	932.04
	कुल	4,154.46	4,608.06

नोट 18: अन्य गैर-वित्तीय देनदारियाँ

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2024 यथा	31.03.2023 यथा
(क)	अन्य देय		
(i)	वैधानिक बकाया देय	330.25	404.43
(ii)	बॉर्ड पर दावा न किया गया ब्याज	0.69	0.69
(iii)	देय प्रतिबद्धता शुल्क	19.89	23.63
(iv)	विविध देयताएं खाता (ब्याज पूंजीकरण)*	14,005.26	30,103.40
(v)	अन्य	2,894.39	1,033.47
	कुल	17,250.48	31,565.62

* इस राशि में आरबीआई परिपत्र "कोविड-19 विनियामक पैकेज" के अनुसार मार्च 2020 से अगस्त 2020 तक आईआईएफसीएल के उधारकर्ताओं को दी गई स्थगन राशि शामिल है।

दीर्घकालिक ऋण की चुकाती की शर्तें
i) एशियाई विकास बैंक (एडीबी)

अंश	ऋण राशि (अल्पवधि सहित) अनुबंध के अनुसार (लाख डॉलर में)	व्याज दर	से पुनर्मुग्तान	तक का पुनर्मुग्तान	पुनर्मुग्तान की आवृत्ति	पुनर्मुग्तान की राशि
I	3000	रात्रिकालीन SOFR + 20bps	15.12.2012	15.06.2032	अर्द्ध वार्षिक	प्रत्येक किस्त ऋण राशि का 2.50%
II	2000	रात्रिकालीन SOFR + 20bps	15.06.2014	15.12.2033	अर्द्ध वार्षिक	प्रत्येक किस्त ऋण राशि का 2.50%
III	2100	रात्रिकालीन SOFR + 20bps	15.12.2014	15.06.2034	अर्द्ध वार्षिक	ऋण राशि के 0.827816% से शुरू होकर 5.550311% तक की बढ़ती हुई किस्तें
IV	2500	रात्रिकालीन SOFR + 30bps	15.12.2015	15.06.2035	अर्द्ध वार्षिक	
V	2400	रात्रिकालीन SOFR + 40bps	15.12.2016	15.06.2036	अर्द्ध वार्षिक	ऋण राशि के 2.173900% से शुरू होकर 4.559913% तक की बढ़ती हुई किस्तें
VI	4000	रात्रिकालीन SOFR + 40bps	15.03.2018	15.03.2033	अर्द्ध वार्षिक	
VII	3000	रात्रिकालीन SOFR + 50bps	01.05.2023	01.05.2038	अर्द्ध वार्षिक	ऋण राशि के 2.173900% से लेकर 4.559913% तक की बढ़ती हुई किस्तें
	कुल	19000				

iii) आईबीआरडी (विश्व बैंक)

अनुबंध के अनुसार ऋण राशि (\$ लाख में)	व्याज दर	से पुनर्मुग्तान	पुनर्मुग्तान तक	पुनर्मुग्तान की आवृत्ति	पुनर्मुग्तान की राशि
1950*	ओवरनाइट एसओएफआर + परिवर्तनीय प्रसार	15.04.2017	15.04.2037	अर्द्ध वार्षिक	15.10.2036 तक ऋण राशि का 2.44% और 15.04.2037 को 2.40% की किस्त(ए)

*आईबीआरडी (विश्व बैंक) की ऋण राशि 18 दिसंबर 2013 को ऋण सीमा के पुनर्गठन के कारण घटकर 1,950 लाख डॉलर रह गई है, जिसमें 10,000 लाख डॉलर को रद्द करने का विवरण दिया गया है।

iii) क्रेडिटनस्टाल्ट फर विडेरसफबाउ (केएफडब्ल्यू)

अंश	समझौते के अनुसार ऋण राशि (लाख यूरो में)	व्याज दर	से पुनर्मुग्तान	तक का पुनर्मुग्तान	पुनर्मुग्तान की आवृत्ति	उज बं सितमवलउमदज
I	165.89	0.75%	30.06.2020	30.06.2050	अर्द्ध वार्षिक	- 30.06.2020 से 30.12.2021 तक 271,000 यूरो - 30.06.2022 से 30.12.2049 तक यूरो272,000 और 30.06.2050 को यूरो 272581.03*
II	334.11	4.99%	30.06.2015	30.06.2020	अर्द्ध वार्षिक	- 30.06.2015 से 30.06.2018 तक 3,037,000 यूरो - 30.12.2018 से 30.12.2019 तक यूरो 3,038,000 और 30.06.2020 को यूरो 3,038,418.97
	कुल	500.00				

iv) यूरोपीय निवेश बैंक

अंश	समझौते के अनुसार ऋण राशि (लाख यूरो में)	व्याज दर	से पुनर्मुग्तान	तक का पुनर्मुग्तान	पुनर्मुग्तान की आवृत्ति	पुनर्मुग्तान की राशि
I	350.00	एम EURIBOR+0.275% का ऑल-इन स्प्रेड	22.06.2020	20.12.2034	अर्द्ध वार्षिक	प्रत्येक किस्त 11,86,666.67 यूरो
II	400.00	एम EURIBOR+0.436% का ऑल-इन स्प्रेड	21.06.2021	20.12.2034	अर्द्ध वार्षिक	प्रत्येक किस्त 14,28,571.43 यूरो
III	400.00	एम EURIBOR+0.326% का ऑल-इन स्प्रेड	21.06.2021	20.12.2034	अर्द्ध वार्षिक	प्रत्येक किस्त 14,28,571.43 यूरो
IV	850.00	एम EURIBOR+0.346% का ऑल-इन स्प्रेड	21.06.2021	20.12.2034	अर्द्ध वार्षिक	प्रत्येक किस्त 30,35,714.29 यूरो
	कुल	2000.00				

v) जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए)

अंश	समझौते के अनुसार ऋण राशि (लाख यूरो में)	व्याज दर	से पुनर्मुग्तान	तक का पुनर्मुग्तान	पुनर्मुग्तान की आवृत्ति	पुनर्मुग्तान की राशि
भाग-I	10,000.00	6एम JPY LIBOR 0.10% की न्यूनतम सीमा और 6.208% की सीमा के साथ	20.03.2022	20.03.2036	अर्द्ध वार्षिक	ऋण राशि के 3.448328% की पहली स्थापना और ऋण राशि के 3.448274% की बाद की स्थापना।
भाग-II	90,000.00	6एम JPY LIBOR 0.10% की न्यूनतम सीमा और 6.208% की सीमा के साथ	20.03.2022	20.03.2036	अर्द्ध वार्षिक	ऋण राशि के 3.448328% की पहली स्थापना और ऋण राशि के 3.448274% की बाद की स्थापना।

नोट 19: इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024 यथा	31.03.2023 यथा
क	अधिकृत पूंजी		
	10,000,000,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक ₹10/- (10,000,000,000 31 मार्च 2023 को प्रत्येक ₹10/- के इक्विटी शेयर)	10,00,000.00	6,00,000.00
	जारी, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी		
ख	9,999,916,230 (31 मार्च 2023 तक 9,999,916,230) पूर्ण भुगतान प्रत्येक ₹10/- के इक्विटी शेयर	9,99,991.62	9,99,991.62
	Total	9,99,991.62	9,99,991.62

फुटनोट:

क) रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का समाधान

विवरण	31 मार्च 2024 यथा		31 मार्च 2023 यथा	
	शेयरों की संख्या	₹ लाख में	शेयरों की संख्या	₹ लाख में
समीक्षाधीन अवधि की शुरुआत में बकाया शेयर	9,99,99,16,230	9,99,991.62	9,99,99,16,230	9,99,991.62
समीक्षाधीन अवधि के दौरान जारी किए गए शेयर	-	-	-	-
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया शेयर	9,99,99,16,230	9,99,991.62	9,99,99,16,230	9,99,991.62

ख) 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा रखे गए शेयरों का विवरण

विवरण	31 मार्च 2024 यथा		31 मार्च 2023 यथा	
	शेयरों की संख्या	% आयोजित	शेयरों की संख्या	% आयोजित
भारत के राष्ट्रपति	9,99,99,16,230	100.00%	9,99,99,16,230	100.00%

ग) प्रमोटरों की शेयरधारिता का खुलासा

	31 मार्च 2024 यथा		31 मार्च 2024 यथा		वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	शेयरों की संख्या	% कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	% कुल शेयरों का %	
व्तवज्वमत छंउम					
भारत के राष्ट्रपति	9,99,99,16,230	100.00%	9,99,99,16,230	100.00%	-

नोट 20: अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024 यथा	31.03.2023 यथा
(क)	पूंजी आरक्षित (गैर मौजूदा प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ) प्रारंभिक शेष जोड़ें: लाभ और हानि विवरण के समापन शेष में अधिशेष से स्थानांतरण जमा शेष	585.14 - 585.14	585.14 - 585.14
(ख)	प्रतिभूति प्रीमियम खाता (बांड पर) प्रारंभिक जमा जोड़ें: वर्ष के लिए जमा शेष	235.50 - 235.50	235.50 - 235.50
(ग)	डिबेंचर/बॉन्ड रिडेम्प्शन रिजर्व प्रारंभिक जमा कम: लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष में स्थानांतरण जमा शेष	98,087.76 43,519.48 54,568.28	99,995.05 1,907.29 98,087.76

जारी...

जारी...

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024 यथा	31.03.2023 यथा
(घ)	कैश फ्लो हेज रिजर्व प्रारम्भिक शेष जोड़ें: अवधि के दौरान कैश फ्लो हेज रिजर्व समापन शेष	(1,085.38) (15,939.70) (17,025.08)	(7,580.98) 6,495.60 (1,085.38)
(ङ) (i)	अन्य भंडार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षण (फुटनोट 1) ओपनिंग बैलेंस जोड़ें: लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष से अंतरण (शुद्ध) समापन शेष	1,53,449.80 24,138.90 1,77,588.71	1,45,940.91 7,508.90 1,53,449.80
(ii)	कर्मचारी कल्याण रिजर्व (फुटनोट 2) ओपनिंग बैलेंस जोड़ें: लाभ और हानि खाते के अधिशेष से अंतरण घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि और लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष में स्थानांतरित की गई राशि समापन शेष	323.27 16.35 42.45 297.16	357.19 - 33.93 323.27
(iii)	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व आरक्षित (फुटनोट 3) ओपनिंग बैलेंस कम: प्रयुक्त राशि समापन शेष	122.45 - 122.45	122.45 - 122.45
(iv)	विदेशी मुद्रा विनिमय अंतर आरक्षित ओपनिंग बैलेंस जोड़ें/घटाएँ: वर्ष के दौरान समायोजन समापन शेष	15,151.11 561.34 15,712.43	14,252.34 898.76 15,151.11
(v)	हानि आरक्षित (फुटनोट 4) ओपनिंग बैलेंस जोड़ें/घटाएँ: वर्ष के दौरान समायोजन- समापन शेष	1,01,230.76 56,064.83 1,01,230.76	45,165.93 1,01,230.76
(vi)	आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45-आईसी के तहत आरक्षित निधि (फुटनोट 5) ओपनिंग बैलेंस जोड़ें: लाभ और हानि खाते के अधिशेष से अंतरण समापन शेष	40,585.05 30,951.29 71,536.34	19,062.47 21,522.58 40,585.05
(च)	बरकरार रखी गई कमाई प्रारम्भिक शेष जोड़ें: कर के बाद लाभ जोड़ें: कर्मचारी कल्याण रिजर्व से अंतरण जोड़ें: डिबेंचर रिडमप्शन रिजर्व से अंतरण घटाएँ: कर्मचारी कल्याण रिजर्व में अंतरण घटाएँ: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष रिजर्व में स्थानांतरण घटाएँ: हानि भत्ता रिजर्व में अंतरण कम: कर समायोजन घटाएँ: परिभाषित लाभ योजनाओं पर लाभ/(हानि) का पुनः मापन घटाएँ: धारा 45-आईसी के तहत आरक्षित निधि में अंतरण समापन शेष	(1,57,856.86) 1,63,660.42 37.50 43,519.48 16.35 24,138.90 0.11 4.11 471.92 30,951.29 (6,222.14)	(2,00,351.66) 1,25,600.29 32.06 1,907.29 - 7,508.90 56,064.94 1.74 (53.33) 21,522.58 (1,57,856.86)
	कुल	3,98,629.56	2,50,828.61

फुटनोट:

- 1 विशेष रिजर्व भारत में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने वाली कंपनियों द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(अपपप) के तहत बनाए रखा जाने वाला वैधानिक रिजर्व है।
- 2 कर्मचारी कल्याण रिजर्व कर्मचारियों के बीच खेल, सांस्कृतिक और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है।
31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के बाद से, आईआईएफसीएल ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक सीएसआर व्यय के लिए सीएसआर रिजर्व नहीं बनाया है और 3 जुलाई 2015 के पत्र के माध्यम से इस मुद्दे को सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) को भेज दिया है।) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सीएसआर रिजर्व बनाने की निरंतरता और सीएसआर के तहत खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि के अतिरिक्त इसके उपयोग पर स्पष्टीकरण के लिए और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014। डीपीई का जवाब अभी भी प्रतीक्षित है।
- 4 भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2019-20/170 दिनांक 13 मार्च 2020 के अनुसार इंड एस के अनुसार ऋण परिसंपत्तियों पर हानि के लिए हानि भत्ता रिजर्व आरबीआई की आय मान्यता, संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) के प्रावधानों से कम है। मानदंड।
- 5 रिजर्व फंड आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45-आईसी के अनुसार बनाया गया है।

नोट 21: ब्याज आय

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	इस दिनांक को	
		परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय आस्तियों पर	
		31.03.2024	31.03.2023
क)	ऋण पर ब्याज		
(i)	प्रत्यक्ष ऋण के तहत ऋण और अग्रिम पर ब्याज	1,92,005.74	2,00,465.28
(ii)	पीएमडीओ योजना के तहत ऋण पर ब्याज	11.35	15.34
(iii)	पुनर्वित्त योजना के तहत ऋण और अग्रिम पर ब्याज	1,29,621.34	91,455.95
(iv)	टेकआउट फाइनेंसिंग योजना के तहत ऋण और अग्रिम पर ब्याज	87,538.77	54,077.80
(v)	आपराधिक हित	602.58	2,234.35
(vi)	इन्फ्रास्ट्रक्चर दंडात्मक ब्याज	57,280.36	17,428.63
ख)	निवेश से ब्याज आय		
(i)	सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	33,718.80	33,718.80
ग)	बैंकों में जमा पर ब्याज	83,522.82	68,620.40
	कुल	5,84,301.77	4,68,016.56

नोट 22: शुल्क और कमीशन आय

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	इस दिनांक को	
		31.03.2024	31.03.2023
(i)	अग्रिम शुल्क	4,505.66	2,035.35
(ii)	प्रोसेसिंग शुल्क	90.00	103.50
(iii)	पूर्व भुगतान शुल्क	2,180.94	761.23
(iv)	क्रेडिट एन्हांसमेंट से शुल्क	489.82	518.93
(v)	परामर्श एवं सेवा शुल्क	1,365.20	1,109.27
(vi)	निवेश प्रबंधन शुल्क	49.34	567.28
(vii)	अन्य शुल्क	1,166.25	2,864.40
	कुल	9,847.22	7,959.97

नोट 23: अन्य आय

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	इस दिनांक को	
		31.03.2024	31.03.2023
	अन्य		
(i)	बड़े खाते में डाले गए ऋण की वसूली	36,937.81	35,815.91
(ii)	लिखित ऋण परिसंपत्तियों पर प्रावधान के अलावा अन्य राशियाँ/प्रावधान	347.45	86.62
(iii)	विविध आय	4,664.59	108.25
(iv)	अनवाइडिंग इंटरैस्ट इनकम स्टाफ लोन (आय)	14.19	5.14
(v)	स्वैप डील पर लाभ	41,574.08	20,743.03
(vi)	मार्क टू मार्केट (लाभ)/डेरिवेटिव पर हानि	-	350.82
(vii)	आयकर रिफंड पर ब्याज	2.46	486.32
	कुल	83,540.58	57,596.09

नोट 24: वित्त लागत

क्र.सं.	विवरण	इस दिनांक को	
		परिशोधित लागत पर मापी गई	
		वित्तीय परिसंपत्तियों पर	
		31.03.2024	31.03.2023
क)	उधार में रुचि		
(i)	बैंक उधार पर ब्याज	1,36,806.20	67,616.45
(ii)	एडीबी से ऋण पर ब्याज	83,362.11	70,473.90
(iii)	आईबीआरडी (विश्व बैंक) से ऋण पर ब्याज	4,787.94	3,867.68
(iv)	केएफडब्ल्यू से ऋण पर ब्याज	629.63	99.34
(v)	ईआईबी से ऋण पर ब्याज	5,922.24	1,991.73
(vi)	जेआईसीए से ऋण पर ब्याज	439.29	173.49
ख)	ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज	1,69,841.11	1,61,567.37
ग)	अन्य ब्याज व्यय		
(i)	आयकर पर ब्याज	656.63	-
	कुल	4,02,445.16	3,05,789.96

नोट 25: फीस और कमीशन व्यय

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	इस दिनांक को	
		31.03.2024	31.03.2023
(i)	सरकारी गारंटी शुल्क	11,770.72	12,076.99
(ii)	बॉन्ड सर्विसिंग व्यय	656.26	111.03
(iii)	प्रतिबद्धता शुल्क	16.71	50.67
	कुल	12,443.68	12,238.68

नोट 26: उचित मूल्य परिवर्तन पर शुद्ध (लाभ)/हानि

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	इस दिनांक को	
		31.03.2024	31.03.2023
	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय साधनों पर शुद्ध (लाभ)/हानि		
(i)	ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पर	-	-
(ii)	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट वित्तीय साधनों पर	(296.35)	2,296.15
	उचित मूल्य परिवर्तन पर कुल शुद्ध (लाभ)/हानि	(296.35)	2,296.15
	उचित मूल्य परिवर्तन*:		
	- समझना	-	-
	- अप्राप्त	(296.35)	2,296.15
	उचित मूल्य परिवर्तन पर कुल शुद्ध (लाभ)/हानि	(296.35)	2,296.15
	* इस अनुसूची में उचित मूल्य परिवर्तन ब्याज आय/व्यय के कारण उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों के अलावा हैं।		

नोट 27: वित्तीय साधनों की हानि

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	इस दिनांक को	
		परिशोधित लागत पर मापी गई	
		वर्तीय परिसंपत्तियों पर	
		31.03.2024	31.03.2023
(i)	ऋण संपत्ति	(46,680.31)	(77,637.82)
(ii)	निवेश	2,201.60	(720.21)
(iii)	एनपीए की ओर से व्यय	142.13	250.80
	कुल	(44,336.58)	(78,107.23)

नोट 28: कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	इस दिनांक को	
		31.03.2024	31.03.2023
(i)	वेतन और मज़दूरी	5,973.28	6,146.90
(ii)	भविष्य और अन्य निधियों में योगदान	375.14	351.50
(iii)	कर्मचारी कल्याण व्यय	299.12	182.47
(iv)	प्रीफेड स्टाफ लागत	3.77	1.50
	कुल	6,651.29	6,682.37

नोट 29: अन्य व्यय

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	इस दिनांक को	
		31.03.2024	31.03.2023
(i)	किराया, कर और ऊर्जा लागत	233.39	196.83
(ii)	मुद्रण एवं स्टेशनरी	18.94	28.24
(iii)	विज्ञापन एवं प्रचार	45.81	20.47
(iv)	निदेशक की फीस, भत्ते और व्यय	20.35	8.90
(v)	लेखा परीक्षित की फीस और खर्च	148.77	108.69
(vi)	कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	520.35	384.05
(vii)	बीमा	67.79	20.67
(viii)	अन्य व्यय		
क)	विदेशी मुद्रा लेनदेन और विनिमय पर शुद्ध हानि	20,799.19	34,476.92
ख)	अन्य व्यय	3,007.99	2,656.42
ग)	बड़े खाते में डाली गई ऋण राशि [नोट 1(बी)(20) देखें]	61,820.64	98,870.95
	कुल	86,683.23	1,36,772.13

(ख) समेकित वित्तीय विवरण के लिए अन्य टिप्पणियाँ

- (ए) समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में जिन सहायक कंपनियों पर विचार किया गया है, वे हैं यूनाइटेड किंगडम में निगमित इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यू.के.) लिमिटेड, भारत में निगमित आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड।
(बी) इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए हैं। सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण भी 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए बनाए गए हैं।
- पूर्व अवधि की आय और व्यय (इंड एस-8) जिन्हें लाभ और हानि के विवरण में नियमित शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है, वे इस प्रकार हैं:

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2023
(क) आय		
(i) ऋण और अग्रिम पर आय	-	-
(ii) आपराधिक हित/दंडात्मक व्याज	-	-
(iii) अन्य शुल्क	-	-
कुल (क)	-	-
(ख) व्यय		
(i) स्थापना एवं अन्य व्यय	-	-
(ii) वेतन और मजदूरी	-	-
कुल (ख)	-	-
चालू वर्ष के लाभ पर लाभ/(हानि) के माध्यम से शुद्ध प्रभाव [(ए)-(बी)]		

3. लेखांकन नीतियों में परिवर्तन:

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

4. इंडस्ट्रीज एस 19 (संशोधित 2005) के तहत प्रकटीकरण 'कर्मचारी लाभ' (इंड एस 19)

काविड-19 "कर्मचारी लाभ" के अनुसार, लेखांकन मानक में परिभाषित खुलासे नीचे दिए गए हैं:

ए) ग्रेच्युटी योजना (वित्तपोषित): ग्रेच्युटी दायित्व भविष्य के भुगतानों के कारण उत्पन्न होता है, जो सेवानिवृत्ति, सेवा में मृत्यु या निकासी की स्थिति में किया जाना आवश्यक है। इसे आईआईएफसीएल कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी फंड के नाम पर ट्रस्ट के माध्यम से ग्रुप ग्रेच्युटी योजना पर एलआईसी को देय राशि के आधार पर प्रदान किया गया है। आईआईएफसीएल एलआईसी समूह ग्रेच्युटी योजना के तहत कर्मचारियों की ग्रेच्युटी देनदारी की राशि का भुगतान करता है और वित्तीय विवरण की तारीख के अनुसार ग्रेच्युटी देनदारी के बीमाकिक मूल्यांकन की राशि का पता नहीं लगाया है।

I. ग्रेच्युटी योजना के लिए मान्यताएँ:

	2023-24	2022-23
मृत्यु दर	100 % आईएएलएम (2012-14)	100 % आईएएलएम (2012-14)
निकासी दर	उम्र के आधार पर 1% से 3%	उम्र के आधार पर 1% से 3%
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.22 %	7.36 %
वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	5.50 %	5.50 %

II. परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता विश्लेषण।

(₹ लाख में)

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	545.44
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(29.51)
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	32.11
ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	545.44
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	5.90
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	(6.77)

मृत्यु दर और निकासी के कारण संवेदनशीलताएं महत्वपूर्ण नहीं हैं और इसलिए इनके कारण होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की गणना बीमांकिक द्वारा नहीं की जाती है।

भुगतान में पेंशन में वृद्धि की दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन में वृद्धि की दर और जीवन प्रत्याशा जैसी संवेदनशीलताएं लागू नहीं होती हैं।

आईआरडीआईए परिपत्र संख्या के अनुसार, आईआरडीए/एसीटीएल/आरईजी/सीआईआर/123/06/2013 दिनांक 28 जून 2013, मौजूदा नीति में कोई नया सदस्य नहीं जोड़ा जा सकता है। इसलिए, आईआईएफसीएल ने पहले की पॉलिसी यानी पॉलिसी नंबर 331776 के अलावा नए कर्मचारियों के लिए एक नई पॉलिसी यानी पॉलिसी नंबर 103001183 की सदस्यता ली।

(₹ लाख में)

	शुद्ध परिभाषित लाभ (संपत्ति)/देयता	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2023
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	545.43	485.09
ख)	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	599.81	556.07
ग)	शुद्ध संपत्ति/(देयता) को बैलेंस शीट में प्रावधान 54.37/70.98 के रूप में माप्यता दी गई है	54.37	70.98
	योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	556.07	495.06
ख)	योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न	89.89	37.95
ग)	मृत्यु शुल्क	0.63	(4.34)
घ)	नियोक्ता का योगदान	-	45.40
ङ)	भुगतान किए गए लाभ	(45.52)	(18.00)
च)	अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	599.81	556.07
	लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	485.09	425.11
ख)	अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग)	ब्याज लागत	35.70	30.52
घ)	सेवा लागत	55.64	55.74
ङ)	कटौती लाभ/हानि सहित पिछली सेवा लागत	-	-
च)	भुगतान किये गये लाभ	(45.52)	(18.00)
छ)	दायित्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	14.52	(8.28)
ज)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	545.43	485.09
	शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व	(70.98)	(69.95)
ख)	अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग)	कुल सेवा लागत	55.64	55.74
घ)	शुद्ध ब्याज लागत (आय)	(5.22)	(5.02)
ङ)	पुनः माप	(33.81)	(6.35)
च)	निधि में भुगतान किया गया अंशदान	-	(45.40)
छ)	उद्यम द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	-
ज)	अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व	(54.37)	(70.98)
	दायित्व पर द्विभाजन बीमांकिक लाभ/हानि		
क)	जनसांख्यिकीय अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-
बी)	वित्तीय अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	8.39	(10.17)
ग)	अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	6.12	1.88

बी) अर्जित अवकाश दायित्व: किसी कर्मचारी को देय अर्जित अवकाश वह अवधि है जो कर्मचारी ने अर्जित की है, जो वास्तव में कर्मचारी द्वारा ली गई छुट्टी की अवधि से कम है। यह कर्तव्य के ग्यारहवें भाग पर अर्जित किया जाता है।

I. अर्जित अवकाश योजना के लिए मान्यताएँ:

	2023-24	2022-23
मृत्यु दर	100 % आईएएलएम (2012-14)	100 % आईएएलएम (2012-14)
निकासी दर	उम्र के आधार पर 1% से 3%	उम्र के आधार पर 1% से 3%
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.22 %	7.36 %
वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	5.50 %	5.50 %

II. परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता विश्लेषण।

(₹ लाख में)

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	980.39
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(56.49)
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	60.43
ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	980.39
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	61.54
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	(57.01)

मृत्यु दर और निकासी के कारण संवेदनशीलताएं महत्वपूर्ण नहीं हैं और इसलिए इनके कारण होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की गई है।

भुगतान में पेंशन में वृद्धि की दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन में वृद्धि की दर और जीवन प्रत्याशा जैसी संवेदनशीलताएं लागू नहीं होती हैं।

(₹ लाख में)

	शुद्ध परिभाषित लाभ (संपत्ति)/देयता	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2023
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	980.39	793.52
ख)	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1,182.39	1,145.10
ग)	शुद्ध संपत्ति / (देयता) को बैलेंस शीट में प्रावधान के रूप में मान्यता दी गई है	202.00	351.57
योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन			
क)	अवधि की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1145.10	460.33
ख)	अधिग्रहण समायोजन		162.03
ग)	योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न	83.68	69.46
घ)	मृत्यु शुल्क	(1.22)	(2.53)
ङ)	नियोक्ता का योगदान	-	463.99
च)	भुगतान किये गये लाभ	(45.16)	(8.18)
छ)	अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1,182.39	1,145.10
लाभ दायित्व में परिवर्तन			
क)	अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	793.52	687.92
ख)	अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग)	ब्याज लागत	58.40	49.39
घ)	सेवा लागत	113.25	103.53
ङ)	कटौती लाभ/हानि सहित पिछली सेवा लागत	-	-
च)	लाभ भुगतान	(45.15)	(8.18)
छ)	दायित्व पर कुल बीमाकिक (लाभ)/हानि	60.36	(39.14)
ज)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	980.39	793.52
शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन			
क)	अवधि की शुरुआत में शुद्ध परिभाषित लाभ देयता	(351.57)	227.60
ख)	अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग)	कुल सेवा लागत	113.25	103.53
घ)	शुद्ध ब्याज लागत (आय)	(25.87)	16.34
ङ)	पुनः माप	62.18	(235.05)
च)	निधि में भुगतान किया गया अंशदान	-	(463.99)
छ)	उद्यम द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	-
ज)	अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व	(202.00)	(351.57)
दायित्व पर द्विमाजन बीमाकिक लाभ/हानि			
क)	जनसांख्यिकीय अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न बीमाकिक (लाभ)/हानि	(202.00)	(351.57)
ख)	वित्तीय अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न बीमाकिक (लाभ)/हानि	16.15	(17.07)
ग)	अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमाकिक (लाभ)/हानि	44.21	(22.07)

III. अन्य कर्मचारी लाभ (वित्तपोषित)

अन्य कर्मचारी लाभों के लिए बीमांकिक धारणाएँ (अवित्तपोषित)

ग) अवकाश किराया रियायत: कंपनी के सभी पूर्णकालिक कर्मचारी जिन्होंने उनके या उनके परिवार द्वारा यात्रा की तारीख पर निरंतर अस्थायी सेवा सहित एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, वे इस सुविधा के लिए पात्र हैं। रियायत दो वर्ष के प्रत्येक ब्लॉक में एक बार स्वीकार्य होगी। और इस तरह के सेट / ब्लॉक का पहला सेट उस महीने की पहली तारीख से शुरू होगा जिसमें कर्मचारी कंपनी में शामिल होता है, लेकिन इसका लाभ अस्थायी सेवा / परिवीक्षा अवधि सहित उसकी निरंतर सेवा के एक वर्ष पूरा होने के बाद ही उठाया जा सकता है।

I. अवकाश किराया रियायत के लिए मान्यताएँ:

	2023-24	2022-23
मृत्यु दर	100 % आईएलएम (2012-14)	100 % आईएलएम (2012-14)
निकासी दर	उम्र के आधार पर 1% से 3%	उम्र के आधार पर 1% से 3%
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.22 %	7.36 %
वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	5.50 %	5.50 %

II. परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशील विश्लेषण

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	105.73
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(4.37)
बी)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	4.42

मृत्यु दर और निकासी के कारण संवेदनशीलताएं महत्वपूर्ण नहीं हैं और इसलिए इनके कारण होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की गई है।

भुगतान में पेंशन में वृद्धि की दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन में वृद्धि की दर और जीवन प्रत्याशा जैसी संवेदनशीलताएं लागू नहीं होती हैं।

(₹ लाख में)

	शुद्ध परिभाषित लाभ (संपत्ति)/देयता	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2023
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	105.73	87.33
ख)	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
ग)	शुद्ध संपत्ति / (देयता) को बैलेंस शीट में प्रावधान के रूप में मान्यता दी गई है	(105.73)	(87.33)
	लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	87.33	78.59
ख)	ब्याज लागत	6.42	5.64
ग)	सेवा लागत	27.09	19.69
घ)	भुगतान किये गये लाभ	(305.03)	(162.07)
ङ)	दायित्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	289.99	145.48
च)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	105.73	87.33
	शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व	87.33	78.59
ख)	सेवा लागत	27.09	19.69
ग)	शुद्ध ब्याज लागत (आय)	-	5.64
घ)	पुनः माप	289.90	145.48
ङ)	निधि में भुगतान किया गया अंशदान	-	-
च)	उद्यम द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	(305.03)	(162.07)
छ)	अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व	105.73	87.33
	दायित्व पर द्विभाजन बीमांकिक लाभ/हानि		
क)	जनसांख्यिकीय अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-
ख)	वित्तीय अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	2.16	(3.18)
ग)	अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	287.73	148.66

डी) बीमारी की छुट्टी: बीमारी की छुट्टी आधा छुट्टी वेतन है। जहाँ किसी कर्मचारी ने कम से कम तीन साल की अवधि के लिए कंपनी की सेवा की है, कर्मचारी को अनुरोध पर, कर्मचारी की सेवा की पूरी अवधि के दौरान, अधिकतम वर्षों तक छुट्टी भुगतान पर बीमारी की छुट्टी का लाभ उठाने की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे अवकाश वेतन को कर्मचारी के बीमार अवकाश खाते में कर्मचारी द्वारा उपलब्ध छुट्टी की अवधि से दोगुना दर्ज किया जा रहा है।

बीमार अवकाश योजना के लिए मान्यताएँ:

	2023-24	2022-23
मृत्यु दर	100 % आईएएलएम (2012-14)	100 % आईएएलएम (2012-14)
निकासी दर	उम्र के आधार पर 1% से 3%	उम्र के आधार पर 1% से 3%
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.22 %	7.36 %
वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	5.50 %	5.50 %

परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशील विश्लेषण

(₹ लाख में)

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	321.34
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(19.31)
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	20.67
ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	321.34
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	21.05
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	(19.49)

मृत्यु दर और निकासी के कारण संवेदनशीलताएं महत्वपूर्ण नहीं हैं और इसलिए इनके कारण होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की गई है।

भुगतान में पेंशन में वृद्धि की दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन में वृद्धि की दर और जीवन प्रत्याशा जैसी संवेदनशीलताएं लागू नहीं होती हैं।

(₹ लाख में)

	शुद्ध परिभाषित लाभ (संपत्ति)/देयता	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2023
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	321.34	213.34
बी)	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
सी)	प्रावधान के रूप में बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त शुद्ध संपत्ति / (देयता)	(321.34)	(213.34)
लाभ दायित्व में परिवर्तन			
क)	अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	213.34	177.54
ख)	अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग)	व्याज लागत	15.70	12.75
घ)	सेवा लागत	33.64	24.89
ङ)	कर्तव्य लाभ/हानि सहित पिछली सेवा लागत	-	-
च)	भुगतान किये गये लाभ	-	-
छ)	दायित्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	58.65	(1.83)
ज)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	321.34	213.34
शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन			
क)	अवधि की शुरुआत में शुद्ध परिभाषित लाभ देयता	213.34	177.54
ख)	अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग)	कुल सेवा लागत	33.64	24.89
घ)	शुद्ध व्याज लागत (आय)	15.70	12.75
ङ)	पुनः माप	58.65	(1.83)
च)	निधि में दिया गया अंशदान	-	-
छ)	उद्यम द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	-
ज)	अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ देयता	321.34	213.34
दायित्व पर द्विभाजन बीमांकिक लाभ/हानि			
क)	जनसांख्यिकीय अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-
बी)	वित्तीय अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	5.52	(4.89)
ग)	अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	53.12	3.05

ई) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) (सितंबर 2015 से शुरू): 31 मार्च 2024 तक सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) देयता का बीमांकिक मूल्यांकन, भारतीय लेखा मानक-19 के अनुसार। कंपनी के पास सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की

I. सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) योजना के लिए मान्यताएं:

	2023-24	2022-23
मृत्यु दर	100 % आईएएलएम (2012-14)	100 % आईएएलएम (2012-14)
निकासी दर	उम्र के आधार पर 1% से 3%	उम्र के आधार पर 1% से 3%
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.22 %	7.36 %
वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	5.50 %	5.50 %

II. परिभाषित लाभ दायित्व का संवेदनशीलता विश्लेषण।

(₹ लाख में)

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1160.00
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(15.80)
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव%	17.36

मृत्यु दर और निकासी के कारण संवेदनशीलताएं भौतिक नहीं हैं और इसलिए परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की गई है। मुद्रास्फीति की दर, भुगतान में पेंशन की वृद्धि की दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन की वृद्धि दर और जीवन प्रत्याशा के अनुसार संवेदनशीलताएं लागू नहीं होती हैं।

(₹ लाख में)

	शुद्ध परिभाषित लाभ (संपत्ति)/देयता	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2023
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,160.00	921.02
ख)	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
ग)	बैलेंस शीट में प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त शुद्ध परिसंपत्तियों/(देयता)	(1,160.00)	(921.02)
लाभ दायित्व में परिवर्तन			
क)	अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	921.02	975.65
ख)	ब्याज लागत	67.78	70.05
ग)	सेवा लागत	66.49	55.53
घ)	भुगतान किए गए लाभ	(12.07)	(12.67)
ङ)	दायित्व पर कुल एक्युरियल (लाभ)/हानि	116.78	(167.55)
च)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,160.00	921.02
शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन			
क)	अवधि के आरंभ में शुद्ध परिभाषित लाभ देयता	921.02	975.65
ख)	सेवा लागत	66.49	55.53
ग)	शुद्ध ब्याज लागत (आय)	-	70.05
घ)	पुनर्मापन	116.78	(167.55)
ङ)	निधि में दिया गया अंशदान	-	-
च)	अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ देयता	(12.07)	(12.67)
छ)	अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ देयता	1,160.00	921.02
विभाजन दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि			
क)	जनसांख्यिकीय धारणा में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-
ख)	वित्तीय धारणा में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	19.94	(21.22)
सी)	अनुभव समायोजन से उत्पन्न होने वाली एक्युरियल (लाभ)/हानि	96.83	(146.33)

प्रत्येक कर्मचारी लाभ के लिए अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त राशि निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

कर्मचारी लाभ	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2023
अर्जित अवकाश पर एकचुरियल (लाभ)/हानि	63.22	(39.14)
ग्रैजुटी पर एकचुरियल (लाभ)/हानि	28.76	(8.28)
एलएफसी पर एकचुरियल (लाभ)/हानि	362.93	145.48
पीआरएमबी पर एकचुरियल (लाभ)/हानि	112.92	(167.55)
एसएल पर एकचुरियल (लाभ)/हानि	58.65	(1.83)
कुल	626.51	(71.33)

5. कंपनी का मुख्य व्यवसाय इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए वित्त/पुनर्वित्त प्रदान करना है, यूके की सहायक कंपनी यानी इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यू.के.) लिमिटेड भी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए वित्त प्रदान करने के व्यवसाय में लगी हुई है, जबकि आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना विकास और सलाहकार गतिविधियों में लगी हुई है और आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (आईएमसीएल) म्यूचुअल फंड रूट के माध्यम से इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड (आईडीएफ) के प्रबंधन में संलग्न होने के लिए स्थापित की गई है। चूंकि आईएमसीएल ने अभी तक आईडीएफ का प्रबंधन शुरू नहीं किया है, इसलिए इसके लिए खंड जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 108 द्वारा आवश्यक खंड जानकारी नीचे दी गई है:

(₹ लाख में)

विशेष	वित्तपोषण	सलाहकार सेवा प्रबंधन	निवेश सुलभ	कुल
खंड रिपोर्टिंग राजस्व				
परिचालन से राजस्व	5,92,408.08	1,689.63	246.20	5,94,343.91
घटाएँ: अंतर खंड राजस्व	-	194.93	-	194.93
कुल परिचालन आय	5,92,408.08	1,494.70	246.20	5,94,148.98
कर से पहले लाभ	2,02,654.37	168.58	(207.10)	2,02,615.85
कर	(47,689.85)	(71.62)	4.16	(47,757.31)
कर के बाद लाभ	1,63,766.40	96.96	(202.94)	1,63,660.42
खंड परिसंपत्तियाँ	74,76,079.72	3,044.08	2,830.33	74,81,954.13
खंड देयताएँ	60,82,581.52	453.28	298.16	60,83,332.96
नियोजित पूंजी	13,93,498.20	2,590.80	2,532.17	13,98,621.17
मूल्यहास और परिशोधन	1,116.55	8.73	4.36	1,129.64
पूँजीगत व्यय	59.74	6.00	-	65.74
नैर नकद व्यय	82,619.83	-	-	82,619.83

6. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-24, संबंधित पक्ष प्रकटीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन का प्रकटीकरण नीचे दिया गया है:

ए) प्रबंधकीय पारिश्रमिक और संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

(i) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

पूर्णकालिक निदेशक

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| - डॉ. पीआर जयशंकर | - प्रबंध निदेशक |
| - श्री पवन कुमार कुमार | - उप प्रबंध निदेशक |
| - श्री पलाश श्रीवास्तव | - निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी |
| - श्री सतीश कुमार नागपाल | - मुख्य कार्यकारी कार्यालय |

निदेशकों के अलावा

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| - श्री राजीव मुखीजा | - मुख्य महाप्रबंधक-सीएफओ |
| - श्री रूपेश कुमार | - उप महाप्रबंधक-कंपनी सचिव |
| - श्री अजय पीएस सैनी | - प्रमुख कंपनी सचिव एवं अनुपालन |
| - श्री अशोक कुमार गांधी | - प्रमुख वित्त एवं सीएफओ |

बी) 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान (पिछला वर्ष 31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ था) संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन:
(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2023
(क)	प्रबंधकीय पारिश्रमिक (निदेशक)		
(i)	डॉ. पीआर जयशंकर (प्रबंध निदेशक)		
	पारिश्रमिक	57.66	23.88
(ii)	श्री पवन कुमार कुमार (उप प्रबंध निदेशक)		
	पारिश्रमिक	41.25	24.39
(iii)	श्री अनिल तनेजा (निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईएएमसीएल) 31 अगस्त 2020 तक		
	पारिश्रमिक	-	-
(iv)	श्री सतीश कुमार नागपाल (निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईएएमसीएल)		
	पारिश्रमिक	39.05	27.00
(v)	श्री पलाश श्रीवास्तव (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईपीएल)		
	पारिश्रमिक	56.00	40.50
(ख)	प्रबंधकीय पारिश्रमिक (निदेशकों के अलावा)		
(i)	श्री राजीव मुखीजा (मुख्य महाप्रबंधक-सीएफओ)		
	पारिश्रमिक	107.26*	31.48
(ii)	श्री अभिरूप सिंह (सहायक महाप्रबंधक-सीएस)		
	पारिश्रमिक	54.56*	30.31
(iii)	श्री अजय पीएस सैनी (कंपनी सचिव, आईएएमसीएल)		
	पारिश्रमिक	54.98	36.67
(iv)	श्रीमती दीप्ति झा (23 जनवरी 2023 से आईएएमसीएल के वित्त प्रमुख और सीएफओ के पद से सेवानिवृत्त)		
	पारिश्रमिक	-	13.28
(v)	श्री अशोक कुमार गांधी (वित्त प्रमुख और सीएफओ, आईएएमसीएल)		
	पारिश्रमिक	18.00	3.96
(ग)	(i) अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों को भुगतान की जाने वाली सिटिंग फीस:		
	समीर जेरामभाई बोघारा	12.15	-
	श्री संजीव चन्ना	2.40	1.50
	श्री हरीश कांत पारीख	2.40	1.50
	सुधीर आर्य	2.40	1.50

*पारिश्रमिक में नवंबर, 2017 से मई, 2023 तक की अवधि के लिए डॉ. पी.आर. जयशंकर (₹16.72 लाख), श्री राजीव मुखीजा (₹39.33 लाख) और श्री अभिरूप सिंह (₹14.80 लाख) के वेतनमान और भत्ते के संशोधन का बकाया शामिल है।

(ii) 1 अप्रैल 2014 से कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों की प्रयोज्यता के अनुसरण में, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए सामान्य निर्देशों के खंड 2 के अनुसार निम्नलिखित जानकारी का खुलासा किया जाता है:

इकाई का नाम	शुद्ध परिसंपत्तियाँ* अर्थात् कुल परिसंपत्तियाँ कुल देनदारियों को घटाकर		लाभ या हानि में हिस्सा	
	31.03.2024 तक के समेकित शुद्ध परिसंपत्तियों % के रूप में	राशि (₹ लाख में) 31.03.2024 यथा	31.03.2024 तक के समेकित शुद्ध परिसंपत्तियों % के रूप में	राशि (₹ लाख में) 31.03.2024 यथा
वैरेंट				
इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	97.60%	14,26,428.46	94.71%	1,54,560.26
सहायक कंपनियाँ				
भारतीय				
आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	0.18%	2,590.80	0.03%	41.65
आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	0.18%	2,700.82	(0.13%)	(215.30)
आईआईएफसी(यूके) लिमिटेड	2.03%	29,723.31	5.39%	8,801.88
सभी सहायक कंपनियों में अल्पसंख्यक हित	-	-	-	-
सहयोगी (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)				
भारतीय	-	-	-	-
विदेशी	-	-	-	-
संयुक्त उद्यम (इक्विटी पद्धति के अनुसार आनुपातिक समेकन/निवेश के अनुसार)				
भारतीय	-	-	-	-
विदेशी	-	-	-	-

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताएं:

(₹ लाख में)

सहायक का नाम	रिपोर्टिंग मुद्रा	शेयर पूंजी	भंडार एवं अधिशेष	कुल संपत्ति	कुल देनदारियाँ	पहले का कारोबार	लाभ कर	कर का प्रावधान	कर के बाद लाभ	शेयर होल्डिंग
आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	₹ लाख में	475.00	2,098.21	3,044.10	470.89	1,703.99	271.13	71.62	135.22	100%
आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	₹ लाख में	1,250.00	1356.00	2,926.94	320.94	249.04	(301.92)	(4.16)	(310.11)	100%
आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड	₹ लाख में	61,180.95	(31,262.72)	9,32,487.36	9,63,750.07	85,766.76	8,801.88	-	8,801.88	100%
	अमरीकी \$ (मिलियन में)	100.00	(65.80)	1,190.72	1,156.52	88.41	9.20	-	9.20	

7. भारतीय लेखा मानक-116, पट्टे के प्रावधान

क) वित्तीय पट्टा: शून्य

ख) परिचालन पट्टा: कंपनी ने अलग-अलग पट्टा अवधि के साथ परिचालन पट्टे के तहत कार्यालय परिसर लिया है और प्रकटीकरण आवश्यकताएं निम्नानुसार हैं:-

(₹ लाख में)

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2023
भविष्य के न्यूनतम लीज भुगतानों का योग (सकल निवेश)	417.71	61.88
लीज भुगतानों का वर्तमान मूल्य	347.73	59.49
10 वर्ष की जी-सेक यील्ड	7.32%	7.31%
भविष्य के न्यूनतम लीज भुगतानों के योग की परिपक्वता प्रोफाइल		
एक वर्ष से अधिक नहीं	81.515	61.88
एक वर्ष से अधिक लेकिन पाँच वर्ष से अधिक नहीं	329.70	-
पाँच वर्ष से अधिक नहीं	6.86	-
कुल	417.71	61.88

8. भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी इंड एस-33, प्रति शेयर आय के अनुसार, प्रति शेयर आय (मूलभूत और तनु) निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024		समाप्त वर्ष 31 मार्च 2023	
	शेयर	राशि ₹ लाख में	शेयर	राशि ₹ लाख में
शेयर का नाममात्र मूल्य (₹)	10/-		10/-	
इक्विटी शेयर की संख्या (लाख में संख्या)	99,999.16		99,999.16	
#इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (लाख में संख्या) (हर) (बेसिक)	99,999.16		99,999.16	
#इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (लाख में संख्या) (हर) (डाइल्यूटेड)	99,999.16		99,999.16	
शुद्ध लाभ (कर के बाद) (अंश)		1,63,188.51		1,25,653.65
प्रति शेयर आय (मूल और डाइल्यूटेड) (₹)				
(निरंतर संचालन के लिए)		1.63		0.70
प्रति शेयर आय (मूल और डाइल्यूटेड) (₹)				
(बंद किए गए संचालन के लिए)		-		-

9. कंपनी के पास मौजूद अचल संपत्तियों को "कॉर्पोरेट संपत्ति" माना जाता है, न कि "नकदी पैदा करने वाली इकाइयाँ", जैसा कि भारतीय लेखा मानक -36 में "संपत्तियों की हानि" पर परिभाषित किया गया है। 31 मार्च 2024 तक, ऐसी कोई घटना या परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ, जो संपत्ति में किसी हानि का संकेत देता हो।

10. (ए) भारतीय लेखा मानक 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक संपत्तियों' के तहत प्रकटीकरण (₹ लाख में)

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2023
प्रस्तावित वेतन संशोधन		
प्रारंभिक शेष	2,184.73	1,501.35
अवधि के दौरान वृद्धि	967.10	683.38
भुगतान/समायोजित राशि	1779.83	-
अप्रयुक्त प्रावधान का प्रत्यावर्तन	180.09	
समापन शेष	1,191.91	2,184.73
मानक परिसंपत्तियों के विरुद्ध आकस्मिक प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	17,965.76	16,742.44
अवधि के दौरान वृद्धि/समायोजन	4053.95	1223.32
प्रावधान वापस लिखें	902.16	
समापन शेष	21,117.55	17,965.76
घटिया परिसंपत्तियों के विरुद्ध प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	198.49	6,352.64
अवधि के दौरान वृद्धि/अवधि	-	880.04
एनपीए राइट ऑफ के कारण प्रावधान राइट बैक	198.49	7,034.20
समापन शेष	-	198.49
पुनर्गठित परिसंपत्तियों के विरुद्ध प्रावधान		
आरंभिक शेष	8,993.13	9,236.15
अवधि के दौरान जोड़/समायोजन	(2,173.56)	1,216.28
एनपीए राइट ऑफ के कारण प्रावधान राइट बैक	-	1,459.29
समापन शेष	6,819.57	8,993.13
संदिग्ध परिसंपत्तियों के विरुद्ध प्रावधान		
आरंभिक शेष	2,97,496.38	3,02,347.62

अवधि के दौरान जोड़/समायोजन	(684.55)	57,563.07
एनपीए राइट ऑफ के कारण प्रावधान राइट बैक	1,23,487.04	62,414.31
समापन शेष	1,73,324.79	2,97,496.38
निवेश में कमी के लिए प्रावधान		
आरंभिक शेष	21,453.15	22,173.36
अवधि के दौरान जोड़	3,231.55	-
निवेश की बिक्री के कारण समायोजित प्रावधान	1,029.95	720.21
समापन शेष	23,654.75	21,453.15

(बी) अन्य प्रकटीकरण:

(₹ लाख में)

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2023
आयकर (शुद्ध)		
आरंभिक शेष	341.61	2,465.94
अवधि के दौरान वृद्धि	38,562.78	12,280.16
अवधि के दौरान भुगतान/समायोजित राशि	17,601.25	14,404.49
अंतिम शेष	21,303.14	341.61
छुट्टी किराया रियायत		
आरंभिक शेष	111.62	117.79
अवधि के दौरान वृद्धि	341.06	170.69
अवधि के दौरान भुगतान/समायोजित राशि	307.73	176.86
अंतिम शेष	145.94	111.62
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ		
आरंभिक शेष	994.49	1,047.08
अवधि के दौरान वृद्धि	261.19	-
राशि अवधि के दौरान भुगतान/समायोजित	11.56	52.59
समापन शेष	1244.12	994.49
छुट्टी नकदीकरण		
आरंभिक शेष	74.05	290.13
अवधि के दौरान वृद्धि	152.55	15.32
अवधि के दौरान भुगतान/समायोजित राशि	144.41	231.4
समापन शेष	82.19	74.05
बीमारी की छुट्टी		
आरंभिक शेष	213.34	177.54
अवधि के दौरान वृद्धि	108.00	35.80
अवधि के दौरान भुगतान/समायोजित राशि	-	-
समापन शेष	321.34	213.34
व्युत्पन्न पर बाजार घाटे को चिह्नित किया गया		
आरंभिक शेष	-	350.82
अवधि के दौरान वृद्धि	-	-
अवधि के दौरान भुगतान/समायोजित राशि	-	350.82
समापन शेष	-	-

11. आकस्मिक देयताएँ और प्रतिबद्धताएँ (जहाँ तक प्रावधान नहीं किया गया है) निम्नानुसार हैं:-

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2023
क	आकस्मिक देयताएँ:		
	(क) कंपनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है:		
	(i) आयकर विभाग द्वारा 28 दिसंबर 2018 के आदेश के तहत वर्ष 2016-17 के लिए आयकर बकाया की मांग।	682.33	682.33
	(ii) आयकर विभाग द्वारा 30 मार्च 2023 के आयकर पोर्टल पर वर्ष 2016-17 के लिए आयकर बकाया की मांग।	174.58	
	(iii) सेवा कर बकाया की मांग – विरोध के तहत ब्याज सहित भुगतान की गई मांग।	71.52	71.52
	(iii) पत्र 150.394 दिनांक 23.09.2023 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटी की मांग	150.394	
	(iv) वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी की मांग	492.00	
	(ख) गारंटी	शून्य	शून्य
	(ग) अन्य धन जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है:		
	(i) लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) जारी करने के लिए आराम पत्र (कंपनी ने संबंधित उधारकर्ताओं की ओर से एलसी जारी करने के लिए ऋणदाताओं के संघ में संबंधित अग्रणी बैंकों/सदस्य बैंकों को आराम पत्र जारी किए हैं ताकि बाद में स्वीकृत ऋण सहायता के वितरण के लिए एलसी की राशि जारी की जा सके)	43,556.47	53,102.19
	(ii) ऋण वृद्धि योजना के तहत दी गई गारंटी	24,525.00	25,782.50
ख	प्रतिबद्धताएँ:		
	(क) पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि (अग्रिमों को घटाकर)	817.61	839.78
	(ख) अन्य प्रतिबद्धताएँ: कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत अनुबंधों की अनुमानित राशि शेष है (अग्रिमों का शुद्ध)	2,232.88	876.13

12. वेंचर कैपिटल इकाइयों में निवेश

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने आईडीएफसी प्रोजेक्ट इक्विटी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ट्रस्ट II की वेंचर कैपिटल इकाइयों में शून्य (31 मार्च 2023 तक शून्य रुपये) निवेश किया है, जिसे कंपनी ने आईडीएफसी, सिटी बैंक के साथ मिलकर प्रवर्तित किया है (31 मार्च 2024 तक कंपनी द्वारा निवेश की संचयी राशि 9,247.56 लाख रुपये है)। 10,000 लाख रुपये की कुल प्रतिबद्धता में से, कंपनी ने उद्यम में निवेश के रूप में योगदान दिया है और इसका संयुक्त नियंत्रण नहीं है। चूंकि फंड में कोई वितरण योग्य लाभ नहीं है, इसलिए ऐसे निवेशों के संबंध में खातों की पुस्तकों में कोई आय दर्ज नहीं की जाती है। हालांकि, कंपनी को समाप्त वर्ष के दौरान, उद्यम पूंजी इकाइयों के मोचन के संबंध में (₹ शून्य लाख (31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹328.51 लाख) की राशि प्राप्त हुई है, जिसमें कर का भुगतान शून्य (31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ शून्य लाख) शामिल है।

13. कंपनी ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹9,037.69 लाख की शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति को उलट दिया है (आस्थगित कर परिसंपत्ति में ₹ 9,036.88 लाख की कमी और आस्थगित कर देयता में ₹ 0.82 लाख की वृद्धि), 31 मार्च 2023 को समाप्त पिछले वर्ष कंपनी ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 31,316.37 लाख की शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति को उलट दिया ₹ 36,730.60 लाख और आस्थगित कर परिसंपत्ति में ₹ 5,414.24 लाख की कमी)।

14. कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर, 31 मार्च 2024 तक 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006' के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम के रूप में पंजीकृत कोई आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाता नहीं है। इसलिए कंपनी के पास सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के प्रति कोई बकाया देयता नहीं है और इस अधिनियम के तहत निर्धारित की जाने वाली अन्य जानकारी शून्य है।

15. व्युत्पन्न लेनदेन

- क) कंपनी ने बहुपक्षीय संस्थानों से विदेशी मुद्रा उधार पर अस्थिर ब्याज दरों के साथ-साथ विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव से संबंधित जोखिमों को कम करने के लिए समग्र अनुबंध यानी क्रॉस करेंसी स्वेप (मूलधन और ब्याज) किए हैं:

(लाख में)

संस्था	क्रॉस करेंसी स्वेप की राशि	
	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2023
एशियाई विकास बैंक (एडीबी):— यूएसडी आईएनआर	11,776.82 8,55,162.28	12,522.22 8,86,931.20
आईबीआरडी विश्व बैंक:— यूएसडी आईएनआर	1,165.37 76,662.58	1,357.82 88,968.20
यूरोपीय निवेश बैंक:— यूरो आईएनआर	436.67 38,586.73	400.00 35,396.00

उपरोक्त अनुबंधों पर काउंटर पार्टी बैंकों और अन्य मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्रस्तुत मार्क-टू-मार्केट (एम2एम) मूल्यांकन के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक शुद्ध एम2एम लाभ ₹1,22,707.35 लाख (सकल लाभ ₹1,27,388.92 लाख घटा सकल हानि ₹4,681.47 लाख) और 31 मार्च 2023 तक एम2एम लाभ ₹1,64,636.18 लाख (सकल लाभ ₹1,65,494.59 लाख घटा सकल हानि ₹ 858.41 लाख) है।

31 मार्च 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने विदेशी मुद्रा के संबंध में लेखांकन उपचार के लिए कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले सही लेखांकन उपचार पर सलाह देने के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय मांगी। हेज की गई सीमा तक करेंसी लोन। इस संबंध में, आईसीएआई ने 22 सितंबर 2015 के पत्र के माध्यम से मामले में राय प्रदान की। आईसीएआई ने जून 2015 में "डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए अकाउंटिंग" पर मार्गदर्शन नोट भी जारी किया जो 1 अप्रैल 2016 से लागू है और इसे कंपनी द्वारा 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष से लागू किया गया है। पिछली रिपोर्टिंग तिथि से रिपोर्टिंग तिथि तक विदेशी मुद्रा उधार की राशि पर विनिमय दर में कोई भी बदलाव और अवधि के दौरान डॉलर/रुपया उधार की तारीख से, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के उचित मूल्य के खिलाफ सेट किया जाता है और किसी भी लाभ या हानि को कैश प्लो हेज रिजर्व के रूप में मान्यता दी जाती है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स का उचित मूल्य संबंधित काउंटर पार्टियों द्वारा प्रदान किया जाता है।

इस संबंध में, आईआईएफसीएल ने 26 दिसंबर 2016 को लिखे पत्र के माध्यम से भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) को सूचित किया कि आईआईएफसीएल को डेरिवेटिव्स पर मार्गदर्शन नोट लागू करते समय हेज कॉन्ट्रैक्ट्स पर मार्केट टू मार्केट / फेयर वैल्यू से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी एक प्रति भारतीय रिजर्व बैंक को भी भेजी गई है। 3 मई 2017 को लिखे पत्र के अनुसार इस मामले को आईसीएआई की शोध समिति को भेज दिया गया है।

भारतीय लेखा मानक-21 के अनुरूप समापन दर पर पुनर्कथित ऋण के हेज्ड हिस्से का विवरण निम्नानुसार है:

(लाख में)

संस्था	हेज्ड पोजीशन की राशि	
	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2023
एशियाई विकास बैंक (एडीबी):— यूएसडी आईएनआर	11,776.82 9,81,879.40	12,522.22 10,29,537.84
आईबीआरडी विश्व बैंक:— यूएसडी आईएनआर	1,165.37 97,161.28	1,357.82 1,11,636.08
यूरोपीय निवेश बैंक:— यूरो आईएनआर	436.67 39,395.11	400.00 35,843.04

व्युत्पन्न अनुबंधों के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार वित्तीय मुद्रा जोखिम का प्रकटीकरण:-

(लाख में)

I. संपत्ति	विदेशी मुद्रा	चालू वर्ष			पिछले वर्ष		
		विनिमय दर	राशि विदेशी मुद्रा में	राशि ₹ में	विनिमय दर	राशि विदेशी मुद्रा में	राशि ₹ में
प्राप्य (व्यापार और अन्य)	-	-	-	-	-	-	-
अन्य मौद्रिक परिसंपत्तियाँ (जैसे आईसीडी / एफसी में दिए गए ऋण)	-	-	-	-	-	-	-
कुल प्राप्य (क)	-	-	-	-	-	-	-
व्युत्पन्न अनुबंधों द्वारा हेज (बी)	-	-	-	-	-	-	-
असुरक्षित प्राप्य (सी=ए-बी)	-	-	-	-	-	-	-

II. देयताएं	विदेशी मुद्रा	चालू वर्ष			पिछले वर्ष		
		विनिमय दर	राशि विदेशी मुद्रा में	राशि ₹ में	विनिमय दर	राशि विदेशी मुद्रा में	राशि ₹ में
देय राशि (व्यापार और अन्य)	-	-	-	-	-	-	-
उधार (आईसीडी और अन्य)	यूएसडी यूरो जेपीवाई	83.3739 90.2178 0.5509	14,620.64 1,697.26 3,56,734.80	12,18,979.82 1,53,122.63 1,96,525.20	82.2169 89.6076 0.618	15,346.63 1,843.89 3,56,295.89	12,61,752.17 1,65,226.69 2,20,190.86
कुल देय राशि (डी)	यूएसडी यूरो जेपीवाई	83.3739 90.2178 0.5509	14,620.64 1,697.26 3,56,734.80	12,18,979.82 1,53,122.63 1,96,525.20	82.2169 89.6076 0.618	15,346.63 1,843.89 3,56,295.89	12,61,752.17 1,65,226.69 2,20,190.86
व्युत्पन्न अनुबंधों द्वारा हेज (ई)	यूएसडी यूरो जेपीवाई	83.3739 90.2178 0.5509	12,942.19 436.67 -	10,79,040.67 39,395.11 -	82.2169 89.6076 0.618	13,880.04 400 -	11,41,173.92 35,843.04 -
अनहेज्ड देय राशि (एफ=डी-ई)	यूएसडी यूरो जेपीवाई	83.3739 90.2178 0.5509	1,678.45 1,260.59 3,56,734.80	1,39,939.15 1,13,727.52 1,96,525.20	82.2169 89.6076 0.618	1,466.59 1,443.89 3,56,295.89	1,20,578.24 1,29,383.65 2,20,190.86

III. आकस्मिक देयताएं और प्रतिवृत्ताएं	विदेशी मुद्रा	चालू वर्ष			पिछले वर्ष		
		विनिमय दर	राशि विदेशी मुद्रा में	राशि ₹ में	विनिमय दर	राशि विदेशी मुद्रा में	राशि ₹ में
आकस्मिक देयताएं	-	-	-	-	-	-	-
प्रतिवृत्ताएं	-	-	-	-	-	-	-
कुल (जी)	-	-	-	-	-	-	-
व्युत्पन्न अनुबंधों द्वारा हेज (एच)	-	-	-	-	-	-	-
अनहेज्ड देय (आई=जी-एच)	-	-	-	-	-	-	-
कुल अनहेज्ड एफसी एक्सपोजर (जे= सी+एफ+आई)	-	-	-	-	-	-	-

ख) विदेशी मुद्रा ऋणों की असुरक्षित स्थिति निम्नानुसार है:

(लाख में)

संस्था	अनहेज्ड स्थिति की राशि	
	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2023
एशियाई विकास बैंक (एडीबी):- यूएसडी आईएनआर	1,559.94 1,30,058.35	1,445.37 1,18,833.93
क्रेडिटनस्टाल्टफुरविडेराउफबाउ(केएफडब्ल्यू):- यूरो आईएनआर	144.17 13,005.80	149.61 13,405.82

आईबीआरडी विश्व बैंक:-		
यूएसडी	118.51	21.22
आईएनआर	9,880.81	1,744.31
यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी):-		
यूरो	1,116.43	1,294.29
आईएनआर	1,00,721.73	1,15,977.84
जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए)		
जेपीवाई	3,56,734.80	3,56,295.89
आईएनआर	1,96,525.20	2,20,190.86

ग) लेखांकन नीति 20 के अनुसार, खातों को बंद करने की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरें (अर्थात् आरबीआई संदर्भ दरें) निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	विनिमय दरें	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2023
1	यूएसडी / आईएनआर	83.3739	82.2169
2	यूरो / आईएनआर	90.2178	89.6076
3	जेपीवाई / आईएनआर	0.5509	0.618

16. बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व का निर्माण

क) निजी तौर पर रखे गए बॉन्ड के संबंध में: चूंकि कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(72) के अर्थ में सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित किया गया है, इसलिए कंपनी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 11 फरवरी 2013 को जारी परिपत्र संख्या 04/2013 के अनुसार निजी तौर पर रखे गए बॉन्ड के संबंध में बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व बनाने की आवश्यकता नहीं है।

ख) सार्वजनिक रूप से रखे गए बॉन्ड के संबंध में: कंपनी ने वित्त वर्ष 2012-13 में ₹3,15,631.89 लाख, वित्त वर्ष 2013-14 में ₹6,87,754.25 लाख और दीर्घकालिक अवसंरचना बॉन्ड के अंकित मूल्य ₹1,000 प्रत्येक के कर मुक्त बॉन्ड जारी किए। वित्त वर्ष 2010-11 में ₹9,096.18 लाख की कुल राशि सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से ₹10,12,482.32 लाख थी।

कंपनियां (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम 2014 के नियम 18(7)(बी)(पप) के अनुसार, कंपनी आरबीआई (संशोधन) अधिनियम, 1997 की धारा 45-आईए के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी के लिए डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व (डीआरआर) बनाएगी, डीआरआर की "पर्याप्तता" वर्तमान सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008 के अनुसार सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से जारी किए गए डिबेंचर के मूल्य का 25: होगी, और निजी तौर पर रखे गए डिबेंचर के मामले में किसी डीआरआर की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार कंपनी ने 31 मार्च 2024 तक ₹54,568.28 लाख (31 मार्च 2023 तक ₹99,995.05 लाख) का बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व बनाया है।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने 19 अगस्त 2019 की अधिसूचना के अनुसार कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियमों में संशोधन किया है और तदनुसार कंपनी को अब रिडीमेबल गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने पर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाने की आवश्यकता नहीं है।

स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टिंग समझौते में निहित प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुसार, यह कहा गया है कि कंपनी ने व्यक्तियों, सहयोगियों और फर्मों/कंपनियों को ऋण की प्रकृति में कोई ऋण और अग्रिम नहीं दिया है, जिनमें निदेशक रुचि रखते हैं। इसके अलावा, किसी भी ऋण (उधारकर्ता) ने कंपनी या उसकी सहायक कंपनी के शेयरों में कोई निवेश नहीं किया है। 1 नवंबर 2017, वेतन में संशोधन लंबित होने तक, 1 नवंबर 2022 से 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए 967.10 लाख रुपये का अनुमानित प्रावधान किया गया है।

18. (क) आरबीआई ने सार्वजनिक जमा स्वीकार किए बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के व्यवसाय को चलाने के लिए आईआईएफसीएल को 9 सितंबर 2013 को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया।

(ख) एनबीएफसी-आईएफसी के लिए आरबीआई द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंड कंपनी पर लागू होते हैं। एनबीएफसी-आईएफसी के रूप में पंजीकरण पर, कंपनी, एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी होने के नाते, सरकार के परामर्श से एनबीएफसी विनियमों के विभिन्न तत्वों के अनुपालन के लिए एक रोडमैप तैयार करना और आरबीआई द्वारा अधिसूचना संख्या डीएनबीएस के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग) को प्रस्तुत करना आवश्यक था। पीडी/सीसी संख्या 86/03.02.089/2006-07 दिनांक 12 दिसंबर 2006। आवश्यकता के अनुपालन में, कंपनी ने आरबीआई को दिनांक 21 नवंबर 2014 के पत्र के माध्यम से 1 जनवरी 2015 से आरबीआई विनियमन के विभिन्न तत्वों का अनुपालन करने के लिए रोडमैप प्रस्तुत किया है।

(ग) कंपनी ने 31 मार्च 2024 के दौरान शून्य ऋण खातों का पुनर्गठन/पुनर्निर्धारित किया है, जिसमें 31 मार्च 2024 के दौरान शून्य लाख बकाया शेष है (31 मार्च 2023 तक 1 ऋण खातों में ₹24,325.53) और 31 मार्च 2023 तक इन खातों में सुरक्षा के मूल्य में कोई कमी नहीं है, नोट 1(ए)(6.7)(अ) देखें।

19. विभिन्न निर्धारण वर्ष(ओं) के लिए आयकर के लंबित मूल्यांकन की स्थिति निम्नानुसार है:

मूल्यांकन वर्ष	स्थिति
2016-17	28.12.2018 को धारा 143(3) के तहत मूल्यांकन आदेश प्राप्त हुआ। मूल्यांकन आदेश में की गई अस्वीकृतियों के खिलाफ 25.01.2019 को सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की गई और विरोध के तहत ₹137 लाख की 20% कर मांग जमा की गई और एवाई2011-12 के रिफंड से ₹ 46.71 लाख समायोजित किए गए। अपील वर्तमान में न्यायनिर्णयन के लिए सीआईटी (ए) के समक्ष लंबित है। धारा 36(1)(viii) के तहत कटौती पर अतिरिक्त दावे पर ₹ 519.18 लाख जोड़ने का प्रस्ताव करते हुए धारा 154 के तहत नोटिस प्राप्त हुआ, जिसके खिलाफ 20.01.2023 को जवाब प्रस्तुत किया गया। आईआईएफसीएल को धारा 154 के तहत ₹1500.18 लाख की कर योग्य आय जोड़ने वाला समान नोटिस प्राप्त हुआ। आईआईएफसीएल ने 27 अप्रैल 2023 को आदेश के विरुद्ध सीआईटी(ए) के समक्ष अपील दायर की।
2017-18	धारा 36(1)(viii) के तहत कटौती पर अतिरिक्त दावे पर ₹421.12 लाख जोड़ने का प्रस्ताव करते हुए धारा 154 के तहत नोटिस प्राप्त हुआ, जिसके खिलाफ 12.12.2022 को जवाब प्रस्तुत किया गया। आईआईएफसीएल को धारा 154 के तहत इसी तरह का नोटिस मिला। 7 सितंबर 2023 को जवाब प्रस्तुत किया गया। आईआईएफसीएल को जवाब का संज्ञान लिए बिना और ₹1216.83 लाख की कर योग्य आय को जोड़े बिना धारा 154 के तहत एक और आदेश प्राप्त हुआ। आईआईएफसीएल को आयकर विभाग द्वारा पारित धारा 143(3) के तहत 17.12.2019 को मूल्यांकन आदेश प्राप्त हुआ, जिसमें ₹ 50.67 लाख के व्यय की मद को अस्वीकार कर दिया गया। आईआईएफसीएल ने देरी की क्षमा के साथ सीआईटी(ए) के साथ 15.03.2023 को अपील दायर की।
2022-23	धारा 143(2) के तहत दिनांक 02.06.2023 को नोटिस प्राप्त हुआ। दस्तावेज दिनांक 16.06.2023 के पत्र द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं।

20. अन्य प्रकटीकरण:

20.1. 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹ 61,820.64 लाख की राशि के 15 खातों को बड़े खाते में डाल दिया था (31 मार्च 2023 तक 19 ऋण खातों में ₹ 98,870.95 लाख) नोट 1(ए)(5.3) देखें।

20.2. आईआईएफसीएल ने 23,654.75 लाख रुपये के निवेश में कमी के लिए निम्नानुसार प्रावधान किया है:

- वर्ष 2017-18 के दौरान, ऋणदाताओं ने भारतीय रिजर्व बैंक के रणनीतिक ऋण पुनर्गठन दिशानिर्देशों के अनुसार प्रबंधन में परिवर्तन को प्रभावी करने के लिए ईडब्ल्यू इंडिया स्पेशल फंड एसेट्स फंड II प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में सामूहिक रूप से कुल 26% हिस्सेदारी का विनिवेश किया। सौदे के हिस्से के रूप में, मेसर्स आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सज लिमिटेड (एपीएनआरएल) से बकाया ऋण मूलधन ₹52,000.00 लाख और उस पर ब्याज और अन्य अतिदेय ₹2,545.99 लाख को एडेलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ईएआरसी), एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को ₹38,884.95 लाख के मूल्य पर बेचा गया, जिसमें ₹108.18 लाख की अग्रिम प्राप्ति, एपीएनआरएल की ₹9,710.71 लाख की इक्विटी शेयर पूंजी (अर्थात ₹10 प्रत्येक के पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयर) और ₹38,884.95 लाख की सुरक्षा रसीदें शामिल हैं। ईएआरसी ने एक साथ, एपीएनआरएल के ₹10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर ₹1.2045 प्रति शेयर की दर से कुल ₹4945.70 लाख यानी ₹595.72 लाख खरीदे। तदनुसार, आईआईएफसीएल ने ईएआरसी द्वारा आईआईएफसीएल को भुगतान किए गए एपीएनआरएल के इक्विटी शेयरों की बिक्री के मूल्य को उचित मूल्य माना। तदनुसार, 31 मार्च 2019 तक एपीएनआरएल में आईआईएफसीएल की ओर से एसबीआईसीएपीएस ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा रखे गए शेष इक्विटी शेयर, चूंकि आईआईएफसीएल को एसआईएफटीआई, व्यवहार्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण की योजना के अनुसार उधारकर्ता कंपनियों सहित इक्विटी शेयर हासिल करने के लिए अधिकृत नहीं है, जिसके तहत आईआईएफसीएल अपनी गतिविधियों को अंजाम देता है, का मूल्य ₹1.2045 प्रति शेयर है। इक्विटी निवेश में कमी का प्रावधान ₹ 4,191.05 लाख है।
- मेसर्स टॉपवर्थ टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में रियायतग्राही के प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप, ₹8,000.00 की बकाया ऋण राशि में से, ₹6,078.00 लाख की राशि आने वाले रियायतग्राही यानी बंसल पाथवेज प्राइवेट लिमिटेड के 0.01% कूपन दर/ 0.01% वार्षिक वाले वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय मोचन योग्य डिबेंचर जारी करके या चुका दी गई है। ₹1,922.00 लाख का शेष बकाया ऋण नए रियायतग्राही बंसल पाथवेज (मंगवां-चकघाट) प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। तदनुसार, निवेश में ₹5,252.07 लाख की कमी का प्रावधान बंसल पाथवेज (मंगवां-चकघाट) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी डिबेंचर द्वारा दर्ज किया गया है, जो 25 वर्षों के बाद सममूल्य पर चुकाने योग्य है।
- अगस्त 2018 में समाधान योजना के अनुमोदन के परिणामस्वरूप, मेसर्स सूरत हजीरा एनएच-6 टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, कट-ऑफ तिथि तक ₹29,024.00 लाख का वित्तपोषित जोखिम ₹15,238 लाख के संधारणीय ऋण और ₹13,786.00

लाख के असंधारणीय ऋण में परिवर्तित हो गया। स्वीकृत योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, ब्याज दर में कमी, पुनर्भुगतान अवधि का विस्तार आदि के रूप में राहत शामिल थी। तदनुसार, ₹7,108.52 लाख की कमी का प्रावधान किया गया है।

- आईआईएफसीएल के पास मीनाक्षी एनर्जी लिमिटेड में ₹22,137.32 लाख की मूल बकाया राशि थी। इस परियोजना को वर्ष 2019 में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के तहत भेजा गया था। वैदांता लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत दिवाला समाधान योजना को 10 अगस्त 2023 को एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित किया गया था। तदनुसार, आईआईएफसीएल को ₹14.93 करोड़ की अग्रिम फीस राशि और ₹79.32 करोड़ डिबेंचर के रूप में प्राप्त हुए हैं। इसके लिए, डिबेंचर पर ₹3,231.55 लाख की कमी का प्रावधान किया गया है।

20.3. 31 मार्च 2024 तक निवेश और सुरक्षा रसीद का खुलासा:

(₹ लाख में)

	विवरण	पिछले 5 वर्षों के भीतर जारी किए गए एस.आर.	5 वर्ष से अधिक समय पहले लेकिन पिछले 8 वर्षों के भीतर जारी किए गए एस.आर.	8 वर्षों से अधिक पहले जारी किए गए एस.आर.
(i)	बैंक द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य अंतर्निहित के रूप में	-	16,544.55	-
	(i) के विरुद्ध प्रावधान रखा गया	-	-	-
(ii)	अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य अंतर्निहित के रूप में	-	-	-
	(ii) के विरुद्ध प्रावधान रखा गया	-	-	-
	कुल (i) + (ii)	-	16,544.55	-

21. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर व्यय से संबंधित प्रकटीकरण:

क) सीएसआर व्यय में शामिल व्यय के विभिन्न शीर्षों का विवरण:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	संगठन का नाम	परियोजना विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2023
01	मेसर्स कोनफियांस चौरिटेबल पब्लिक ट्रस्ट	दिल्ली एनसीआर में चिन्हित स्कूलों में 1000 (एक हजार) लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य एवं पोषण शिविर	18.70	-
02	मेसर्स बसंत सोशल फाउंडेशन	बौध, ओडिशा में सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराकर बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना	4.86	-
03	मेसर्स वॉकहार्ट फाउंडेशन	मोबाइल 100 पहल के तहत दिल्ली एनसीआर में मेडिकल एम्बुलेंस वैन चलाई जाएगी	21.95	-
04	मेसर्स अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी रिलीफ फाउंडेशन	राजस्थान के जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में तीन (03) सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) का उन्नयन	-	19.70
05	यूसीएसआरए को हस्तांतरित		1,403.87	390.45
06	प्रशासनिक व्यय		0.12	-
	कुल		1,449.38	410.15

ख) सीएसआर व्यय के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण:

- 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली सकल राशि- ₹1,449.38 लाख (31 मार्च 2023 तक ₹ 410.15 लाख)।

ii) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि: ₹45.51 लाख

(₹ लाख में)

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024			समाप्त वर्ष 31 मार्च 2023		
	नकद में	अभी तक नकद भुगतान नहीं किया गया	कुल	नकद में	अभी तक नकद भुगतान नहीं किया गया	कुल
(i) किसी भी परिसंपत्ति का निर्माण/ अधिग्रहण*	-	-	-	19.70	-	19.70
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्य से#	45.51	1,403.87	1,449.38	-	390.45	-
कुल	45.51	1,403.87	1,449.38	19.70	390.45	19.70

#वित्त वर्ष 2023-24 में यूसीएसआरए को ₹1,403.87 लाख की राशि हस्तांतरित की गई है।

22. गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमा स्वीकार न करने वाली या धारण न करने वाली) कंपनियां विवेकपूर्ण मानदंड (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2007 के पैराग्राफ 13 के अनुसार अपेक्षित अतिरिक्त सूचना का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024		समाप्त वर्ष 31 मार्च 2023	
	वकाया राशि	अतिदेश राशि	वकाया राशि	अतिदेश राशि
देयता पक्ष:				
(1) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम राशि, उन पर अर्जित ब्याज सहित, लेकिन भुगतान नहीं किया गया:				
(क) डिबेंचर : सुरक्षित	11,39,336.50	-	13,44,690.95	-
: असुरक्षित	19,27,044.75	-	14,46,182.55	-
(सार्वजनिक जमा के अर्थ में आने के अलावा)				
(ख) आस्थगित ऋण	-	-	-	-
(ग) सावधि ऋण	17,35,373.58	-	17,69,183.81	-
(घ) अंतर-कॉर्पोरेट ऋण और उधार	-	-	-	-
(ङ) वाणिज्यिक पत्र	-	-	-	-
(च) सार्वजनिक जमा	-	-	-	-
(छ) अन्य ऋण (अल्पकालिक बैंक ऋण)	11,32,232.57	-	8,23,265.84	-
(2) उपरोक्त (1)(च) का ब्यौरा द्विबकाया सार्वजनिक जमा जिसमें उपार्जित ब्याज शामिल है उस पर जमा राशि लेकिन भुगतान नहीं किया गया):				
(क) असुरक्षित डिबेंचर के रूप में	-	-	-	-
(ख) आंशिक रूप से सुरक्षित डिबेंचर के रूप में, अर्थात् ऐसे डिबेंचर जहां सुरक्षा के मूल्य में कमी हो	-	-	-	-
(ग) अन्य सार्वजनिक जमा -	-	-	-	-

परिसंपत्ति पक्ष:	वकाया राशि	
	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2023
(3) ऋण और अग्रिम राशि का ब्यौरा जिसमें बिल प्राप्य शामिल हैं [नीचे (5) में शामिल के अलावा]:		
(क) सुरक्षित	38,84,451.98	32,21,205.41
(ख) असुरक्षित	19,35,017.14	18,58,130.22

(4) पट्टे पर दी गई संपत्तियों और किराए पर स्टॉक तथा एएफसी गतिविधियों में शामिल अन्य संपत्तियों का ब्यौरा		
(i) विविध देनदारों के अंतर्गत पट्टे पर ली गई संपत्तियां जिसमें पट्टे का किराया शामिल है:		
(क) वित्तीय पट्टा	-	-
(ख) परिचालन पट्टा	-	-
(ii) विविध देनदारों के अंतर्गत किराए पर स्टॉक जिसमें किराया शुल्क शामिल है:		
(क) किराए पर संपत्तियां	-	-
(ख) पुनः प्राप्त संपत्तियां	-	-
(iii) एएफसी गतिविधियों में शामिल अन्य ऋण	-	-
(क) ऐसे ऋण जहां संपत्तियों को पुनः प्राप्त किया गया है	-	-
(ख) उपरोक्त (क) के अलावा अन्य ऋण	-	-
(5) निवेशों का ब्यौरा:		
वर्तमान निवेश:		
1. उद्भूत:		
(i) शेयर: (क) इक्विटी	-	-
(ख) वरीयता	-	-
(ii) डिबेंचर और बांड	-	-
(iii) म्यूचुअल फंड की इकाइयां	-	-
(iv) सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
(v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-	-
2. उद्भूत नहीं:		
(i) शेयर: (क) इक्विटी		
(ख) वरीयता	-	-
(ii) डिबेंचर और बांड	-	-
(iii) म्यूचुअल फंड की इकाइयां	-	-
(iv) सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
(v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-	-
दीर्घकालिक निवेश:		
1. उद्भूत:		
(i) शेयर: (क) इक्विटी	-	-
(ख) वरीयता	-	-
(ii) डिबेंचर और बांड	-	-
(iii) म्यूचुअल फंड की इकाइयां	-	-
(iv) सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
(v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-	-
2. उद्भूत नहीं:		
(i) शेयर: (क) इक्विटी	5,176.02	5,176.02
(ख) वरीयता		
(ii) डिबेंचर और बांड	32,470.68	24,538.00
(iii) म्यूचुअल फंड की इकाइयां	-	28,656.41
(iv) सरकारी प्रतिभूतियां	5,29,760.00	5,29,760.00
(v) अन्य (इक्विटी शेयर पूंजी के विरुद्ध अग्रिम) (उद्यम पूंजी इकाइयों में निवेश)	601.56	601.56
(vi) प्रतिभूति प्राप्ति में निवेश	16,544.55	22,529.89
कुल	64,04,021.93	56,90,597.52

(₹ लाख में)

वर्ग	प्रावधानों के बाद शुद्ध राशि (31 मार्च 2024 तक)		
	सुरक्षित	असुरक्षित	कुल
(6) ऊपर (3) और (4) के अनुसार वित्तपोषित परिसंपत्तियों का उधारकर्ता समूह-वार वर्गीकरण:			
1. संबंधित पक्ष			
(क) सहायक कंपनियां	-	-	-
(ख) उसी समूह की कंपनियां	-	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्ष	-	-	-
2. संबंधित पक्षों के अलावा अन्य	38,85,434.16	16,06,757.35	54,92,191.51
कुल	38,85,434.16	16,06,757.35	54,92,191.51

(₹ लाख में)

वर्ग	प्रावधानों की निवल राशि (31 मार्च 2023 तक)		
	सुरक्षित	असुरक्षित	कुल
1. संबंधित पक्ष			
(क) सहायक कंपनियां	-	-	-
(ख) एक ही समूह की कंपनियां	-	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्ष	-	-	-
2. संबंधित पक्षों के अलावा अन्य	26,34,722.47	18,30,417.23	47,05,673.58
कुल	26,34,722.47	18,30,417.23	47,05,673.58

(7) शेयरों और प्रतिभूतियों (उद्धृत और गैर-उद्धृत दोनों) में सभी निवेशों (वर्तमान और दीर्घकालिक) का निवेशक समूह-वार वर्गीकरण

(₹ लाख में)

वर्ग	प्रावधानों के बाद शुद्ध राशि (31 मार्च 2024 तक)		
	सुरक्षित	असुरक्षित	कुल
1. संबंधित पक्ष			
(क) सहायक कंपनियां	-	-	-
(ख) एक ही समूह की कंपनियां	-	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्ष	-	-	-
2. संबंधित पक्षों के अलावा अन्य	-	5,60,898.07	5,60,898.07

(₹ लाख में)

वर्ग	प्रावधानों की निवल राशि (31 मार्च 2023 तक)		
	सुरक्षित	असुरक्षित	कुल
1. संबंधित पक्ष			
(क) सहायक कंपनियां	-	-	-
(ख) एक ही समूह की कंपनियां	-	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्ष	-	-	-
2. संबंधित पक्षों के अलावा अन्य	-	5,89,207.17	5,89,207.17

(8) अन्य सूचना

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 यथा	31 मार्च 2023 यथा
(i) सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ		
(क) संबंधित पक्ष –		-
(ख) संबंधित पक्षों के अलावा अन्य	3,06,997.6	4,52,739.42
(ii) शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ		
(क) संबंधित पक्ष		
(ख) संबंधित पक्षों के अलावा अन्य	1,12,395.00	1,80,309.24
(iii) ऋण की संतुष्टि में अर्जित परिसंपत्तियाँ		

23. भारतीय रिजर्व बैंक (एनबीएफसी-स्केल आधारित विनियमन) निर्देश, 2023 दिनांक 19.10.2023 (संशोधित) के अनुसार प्रकटीकरण

23.1 पूंजी (होल्टिंग कंपनी)

विवरण	31 मार्च 2024 यथा	31 मार्च 2023 यथा
सीआरएआर (%)	28.15%	27.65%
सीआरएआर-टियर I पूंजी (%)	26.90%	26.40%
सीआरएआर-टियर II पूंजी (%)	1.25%	1.25%
टियर-II पूंजी के रूप में जुटाए गए अधीनस्थ ऋण की राशि	-	-
सतत ऋण साधन जारी करके जुटाई गई राशि	-	-

23.2 निवेश

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024 के लिए	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2023 के लिए
1	निवेश का मूल्य		
(i)	निवेश का सकल मूल्य	6,47,458.76	6,74,143.26
	(क) भारत में	5,86,277.82	6,12,962.32
	(ख) भारत के बाहर	61,180.95	61,180.95
(ii)	मूल्यहास के लिए प्रावधान		
	(क) भारत में	23,654.75	21,453.15
	(ख) भारत के बाहर	-	-
(iii)	निवेश का शुद्ध मूल्य	6,23,804.02	6,52,690.11
	(क) भारत में	5,62,623.07	5,91,509.17
	(ख) भारत के बाहर	61,180.95	61,180.95
2	मूल्यहास के लिए रखे गए प्रावधानों की चाल निवेश		
(i)	प्रारंभिक शेष	21,453.15	22,173.36
(ii)	जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	2,201.60	-
(iii)	घटाए: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बड़े खाते में डालना/वापस लिखना	-	720.21
(iv)	समापन शेष	23,654.75	21,453.15

23.3 डेरिवेटिव

डेरिवेटिव में जोखिम:

गुणात्मक प्रकटीकरण

एनबीएफसी को डेरिवेटिव से संबंधित अपनी जोखिम प्रबंधन नीतियों का वर्णन करना आवश्यक है, जिसमें डेरिवेटिव का उपयोग किस सीमा तक किया जाता है, इससे जुड़े जोखिम और व्यावसायिक उद्देश्यों का विशेष संदर्भ हो। 10 नवंबर, 2014 को आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, इसका खुलासा निम्नानुसार किया जा रहा है:

- क) आईआईएफसीएल विदेशी मुद्रा उधार के मुद्रा और ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए व्युत्पन्न लेनदेन करता है। कंपनी ने हेजिंग नीति लागू की है जो निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित संसाधन और ट्रेजरी नीति का एक हिस्सा है। कंपनी के व्युत्पन्न लेनदेन इस नीति द्वारा शासित होते हैं जो उन उपकरणों की रूपरेखा तैयार करती है जिनका उपयोग अंतर्निहित देनदारियों के अनुसार हेजिंग के लिए किया जाएगा।
- ख) आईआईएफसीएल विदेशी मुद्रा उधार पर उत्पन्न होने वाले ब्याज दर और मुद्रा जोखिम (बाजार जोखिम) को कम करने और हेजिंग के उद्देश्य से व्युत्पन्न लेनदेन करता है।
- ग) आईआईएफसीएल विदेशी मुद्रा उधार के विनिमय और ब्याज दर जोखिम को हेजिंग करने के उद्देश्य से व्युत्पन्न लेनदेन करता है, किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। व्युत्पन्न लेनदेन की शर्तें निरंतर प्रभावशीलता के लिए संबंधित अंतर्निहित (देनदारियों) से मेल खाती हैं। उक्त प्रभावशीलता का पता हेज की शुरुआत के समय मिलान अवधि अवधारणा के माध्यम से लगाया जाता है।
- घ) आईआईएफसीएल मासिक आधार पर वरिष्ठ प्रबंधन को और तिमाही आधार पर निदेशक मंडल को व्युत्पन्न लेनदेन और उनके एमटीएम की स्थिति की रिपोर्ट करता है। इसके अलावा, एमटीएम की निगरानी तिमाही आधार पर आईआईएफसीएल के आरएंडटी सलाहकारों द्वारा स्वतंत्र रूप से की जा रही है।
- ङ) आईआईएफसीएल की पुस्तकों पर एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्न शून्य हैं।
- च) आईआईएफसीएल अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों को हेज करने के लिए क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप करता है। मात्रात्मक प्रकटीकरण में दिखाए गए आंकड़े अलग नहीं किए जा सकते क्योंकि सौदे मूलधन और ब्याज नकदी प्रवाह के लिए समेकित आधार पर बुक किए जाते हैं।
- छ) हेज और नॉन-हेज लेनदेन रिकॉर्ड करने, आय, प्रीमियम और छूट की पहचान, बकाया अनुबंधों का मूल्यांकन, प्रावधान, संपार्श्विक और क्रेडिट जोखिम शमन के लिए लेखांकन नीति का खुलासा लेखांकन नीति 1(ए)(4) में किया गया है।
- ज) निदेशक मंडल की प्रबंधन और निवेश समिति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अनुमोदित संसाधन और ट्रेजरी नीति के अनुसार, आईआईएफसीएल अपनी स्थिति को कुल जोखिम के 65-70% के बीच हेज रखेगा। इसके अलावा, फॉरवर्ड प्रीमियम की बचत के साथ ओपन पोजीशन नेट के एक्सचेंज उतार-चढ़ाव का अंतर किसी भी समय कंपनी के नेटवर्थ के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, यदि पोर्टफोलियो के आधार पर वित्तीय वर्ष के दौरान रुपया 5% या उससे अधिक गिरता है, तो आईआईएफसीएल अपनी स्थिति को लगभग 75% पर सुरक्षित रखेगा।

जोखिम प्रबंधन संरचना

- क) आईआईएफसीएल निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित एकीकृत जोखिम प्रबंधन ढांचे के अनुसार जोखिम का प्रबंधन करता है। इसके अलावा, आईआईएफसीएल की संसाधन और ट्रेजरी नीति को सालाना बोर्ड की प्रबंधन और निवेश समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। ये रूपरेखा नीति, मार्गदर्शक पैरामीटर प्रदान करती है जिसके आधार पर पब्लिक विदेशी मुद्रा ऋण के कारण होने वाले मुद्रा जोखिम के प्रबंधन के लिए निर्णय लेता है।
- ख) आईआईएफसीएल ने व्यावसायिक परिचालन में जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के लिए बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड स्तरीय परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीए समिति) का भी गठन किया है। एएलसीओ तरलता और ब्याज दर जोखिमों की निगरानी करता है जिसमें परिसंपत्ति प्राप्तियों और ऋण सेवा दायित्वों की अल्पकालिक और दीर्घकालिक तरलता प्रोफाइल का आवधिक विश्लेषण शामिल है। व्युत्पन्न लेनदेन में देनदारियों को हेज करने के लिए क्रॉस करेंसी स्वैप और करेंसी स्वैप शामिल हैं। ये व्युत्पन्न लेनदेन हेजिंग उद्देश्य के लिए किए जाते हैं न कि ट्रेडिंग या सट्टा उद्देश्य के लिए।

शामिल जोखिमों के प्रकार

- i. ऋण जोखिम—ऋण जोखिम में उधारकर्ता की ऋण गुणवत्ता में कमी से होने वाले नुकसान के जोखिम के साथ-साथ यह जोखिम भी शामिल होता है कि उधारकर्ता ऋण या अग्रिम के तहत संविदात्मक पुनर्भुगतान में चूक कर सकता है। आईआईएफसीएल के पास बुनियादी ढांचा उधार में ऋण जोखिम का प्रबंधन करने के लिए एकीकृत जोखिम प्रबंधन ढांचा है।
- ii. बाजार जोखिम—बाजार जोखिम किसी उपकरण या उपकरणों के पोर्टफोलियो के बाजार मूल्य (कीमत) में प्रतिकूल परिवर्तनों के कारण होने वाले नुकसान का जोखिम है। बाजार जोखिम में मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम शामिल हैं। रुपये और विदेशी मुद्राओं के बीच विनिमय दर में किसी भी परिवर्तन/उतार-चढ़ाव के कारण मुद्रा जोखिम उत्पन्न होता है। ब्याज दर जोखिम जोखिम

मुख्य रूप से समय की अवधि में ब्याज दरों में बदलाव से होता है। आईआईएफसीएल अपनी व्यावसायिक गतिविधि के एक हिस्से के रूप में बाजार जोखिम और ब्याज दर जोखिम का सामना करता है।

- iii. आईआईएफसीएल पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखकर और पर्याप्त मात्रा में संयुक्त क्रेडिट लाइनों के माध्यम से वित्तपोषण तक पहुँच प्राप्त करके तरलता जोखिम का प्रबंधन करता है।
- iv. परिचालन जोखिम – परिचालन जोखिम अपर्याप्त प्रणाली और नियंत्रण, सूचना प्रणाली में कमियों, मानवीय भूल या प्रबंधन विफलता के परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान का जोखिम है। आईआईएफसीएल की परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति परिचालन जोखिमों का प्रबंधन करना चाहती है।

फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट / ब्याज दर स्वेप

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024 के लिए	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2023 के लिए
(i)	स्वेप समझौतों का काल्पनिक मूलधन	9,78,703.35	9,99,203.47
(ii)	लागू एनबीएफसी द्वारा स्वेप में प्रवेश करने पर आवश्यक संपादिक	-	-
(iii)	स्वेप से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम का संकेंद्रण *	संदर्भ *	संदर्भ *
(iv)	स्वेप बुक का उचित मूल्य	1,22,707.35	1,64,636.18

* कंपनी आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वेप समझौते करती है। बैंकों के साथ किए गए सभी स्वेप समझौते बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति में परिभाषित क्रेडिट जोखिम सीमा के भीतर हैं।

एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर (आईआर) डेरिवेटिव-शून्य

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
		मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न
(i)	डेरिवेटिव (नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट)	9,78,703.35	9,78,703.35	9,99,203.47	9,99,203.47
	हेजिंग के लिए	9,78,703.35	9,78,703.35	9,99,203.47	9,99,203.47
(ii)	मार्क टू मार्केट पोजीशन	1,22,707.35	1,22,707.35	1,64,636.18	1,64,636.18
	क. आस्तियाँ (+)	1,27,388.82	1,27,388.82	1,65,494.59	1,65,494.59
	ख. देनदारी (-)	4,681.47	4,681.47	(858.41)	(858.41)
(iii)	क्रेडिट एक्सपोजर	-	-	-	-
(iv)	अनहेज्ड एक्सपोजर	4,50,191.88	4,50,191.88	4,70,152.76	4,70,152.76

23.4 प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय परिसंपत्तियों का विवरण:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	खातों की संख्या	-	-
(ii)	एससी/आरसी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों के बाद शुद्ध)	-	-
(iii)	कुल प्रतिफल	-	-
(iv)	पिछले वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल	-	-
(v)	शुद्ध बही मूल्य पर कुल (लाभ)/हानि	-	-

23.5 बेची गई गैर-निष्पादित वित्तीय परिसंपत्तियों का विवरण:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024 के लिए	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2023 के लिए
(i)	बेचे गए खातों की संख्या	-	-
(ii)	कुल बकाया	-	-
(iii)	कुल प्राप्त प्रतिफल	-	-

23.6 परिसंपत्ति देयता प्रबंधन

31 मार्च 2024 तक परिसंपत्तियों और देयताओं की कुछ वस्तुओं की परिपक्वता पैटर्न:

(₹ लाख में)

विवरण	1 से 7 दिन तक	8 से 14 दिन तक	15 से 30/31 दिन	1 महीने से 2 महीने तक	2 महीने से 3 महीने तक	3 महीने से 6 महीने तक	6 महीने से 1 साल तक	1 साल से 3 साल तक	3 साल से 5 साल तक	5 साल से अधिक	कुल
जमा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अग्रिम	851.27	851.27	10,017.20	3,471.10	22,684.27	63,185.21	3,28,680.21	9,74,202.42	9,53,645.84	21,31,595.02	4,88,643.80
निवेश	-	-	-	6,242.29	99,623.47	58,859.64	2,07,405.07	-	-	5,29,760.00	9,01,890.47
उधार	-	-	1,00,000.00	-	-	1,00,000.00	1,00,000.00	791.10	4,34,678.21	15,53,867.19	2,89,336.50
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा देनदारियां	-	3,966.74	5,212.03	5,101.01	27,829.13	9,993.54	53,032.94	2,22,202.07	2,40,365.15	9,02,896.17	14,70,598.78
बैंकों से उधार	3,069.69	-	-	4,993.13	16,466.91	7,538.69	4,76,385.50	1,44,238.74	6,35,830.48	7,87,502.18	20,76,025.32

31 मार्च 2023 तक परिसंपत्तियों और देनदारियों की कुछ मदों की परिपक्वता पैटर्न:

(₹ लाख में)

विवरण	1 से 7 दिन तक	8 से 14 दिन तक	15 से 30/31 दिन	1 महीने से 2 महीने तक	2 महीने से 3 महीने तक	3 महीने से 6 महीने तक	6 महीने से 1 साल तक	1 साल से 3 साल तक	3 साल से 5 साल तक	5 साल से अधिक	कुल
जमा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अग्रिम	-	3,350.66	24,003.04	26,682.49	1,03,457.02	1,43,138.42	7,61,266.40	15,03,347.86	11,51,721.67	25,73,620.58	62,90,588.12
निवेश	-	-	1,13,117.05	2,314.91	62,484.84	28,775.92	1,62,483.08	-	-	5,29,760.00	8,98,935.80
उधार	-	-	-	-	-	1,500.00	2,43,854.45	3,00,791.10	95,751.71	11,92,793.69	18,34,690.95
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा देनदारियां	-	-	9,594.72	4,788.15	26,388.03	9,380.44	51,000.23	2,13,183.77	2,29,732.30	11,03,102.04	16,47,169.69
बैंकों से उधार	-	-	8,23,265.84	-	-	-	1,89,921.04	4,37,393.91	91,260.76	3,28,867.60	18,70,709.15

23.7 जोखिम

23.7.1 रियल एस्टेट क्षेत्र में जोखिम

31 मार्च 2024 तक कंपनी का रियल एस्टेट क्षेत्र में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जोखिम नहीं है (पिछले वर्ष शून्य)।

23.7.2 पूंजी बाजार में जोखिम:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024 के लिए	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2023 के लिए
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसका कोष विशेष रूप से निवेशित नहीं है	-	-

(ii)	शेयरों/बांडों/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के विरुद्ध या शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश के लिए व्यक्तियों को स्वच्छ आधार पर अग्रिम;	-	-
(iii)	किसी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहां शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों को प्राथमिक सुरक्षा के रूप में लिया जाता है;	-	-
(iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों की संपात्तिक सुरक्षा द्वारा सुरक्षित सीमा तक किसी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, अर्थात् जहां शेयरों/परिवर्तनीय बांडों/परिवर्तनीय डिबेंचर/इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के अलावा अन्य प्राथमिक सुरक्षा अग्रिमों को पूरी तरह से कवर नहीं करती है;	-	-
(v)	स्टॉकब्रोकरों को सुरक्षित और असुरक्षित अग्रिम और स्टॉकब्रोकरों और मार्केट मेकर्स की ओर से जारी गारंटी;	-	-
(vi)	शेयरों/बांडों/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों की सुरक्षा के विरुद्ध अथवा संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रमोटर के योगदान को पूरा करने के लिए स्वच्छ आधार पर कॉर्पोरेट को स्वीकृत ऋण;	-	-
(vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों के विरुद्ध कंपनियों को ब्रिज ऋण;	-	-
(viii)	वेंचर कैपिटल फंड (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) में सभी जोखिम	601.56	601.56

23.8 अतिरिक्त प्रकटीकरण: प्रावधान और आकस्मिकताएँ

(₹ लाख में)

क्र. सं.	लाम और हानि विवरण में दर्शाए गए प्रावधानों और आकस्मिकताओं का विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024 के लिए	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2023 के लिए
(i)	एनपीए के लिए प्रावधान	3,06,997.59	2,72,430.18
(ii)	आयकर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	4,77,757.31	20,677.19
(iii)	मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान (पुनर्गठित खातों और एसडीआर खातों सहित)	1,27,557.95	99,656.44

23.9 अग्रिमों, जोखिम और एनपीए का संकेन्द्रण:

(i) अग्रिमों का संकेन्द्रण

(₹ लाख में)

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024 के लिए	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2023 के लिए
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	30,52,138.73	29,27,536.45
एनबीएफसी के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	52.44%	57.65%

(ii) एक्सपोजर की सांद्रता

(₹ लाख में)

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024 के लिए	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2023 के लिए
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	30,52,138.73	29,27,536.45
एनबीएफसी के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	52.44%	57.65%

(iii) एनपीए का संकेन्द्रण

(₹ लाख में)

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024 के लिए	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2023 के लिए
शीर्ष चार एनपीए खातों में कुल जोखिम	2,12,273.81	2,15,677.18

(iv) क्षेत्रवार एनपीए

क्र. सं.	विवरण	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत	
		समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024 के लिए	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2023 के लिए
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	-	-
2	एमएसएमई	-	--
3	कॉर्पोरेट उधारकर्ता	5.25%	8.91%
4	सेवाएँ -	-	-
5	असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण	-	-
6	ऑटो ऋण	-	-
7	अन्य व्यक्तिगत ऋण	-	-

(v) एनपीए की गतिविधि

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए (%)	1.92%	3.55%
(ii)	एनपीए की गतिविधि (सकल)		
	(क) प्रारंभिक शेष	4,52,739.42	6,35,023.05
	(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	-	1,984.87
	(ग) वर्ष के दौरान कटौती/बढ़े खाते में डालना	1,45,741.83	1,84,268.5
	(घ) समापन शेष	3,06,997.59	4,52,739.42
(iii)	शुद्ध एनपीए की गतिविधि		
	(क) प्रारंभिक शेष	1,80,309.24	2,94,920.91
	(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	-	1,104.83
	(ग) वर्ष के दौरान कटौती	67,914.24	1,15,716.5
	(घ) समापन शेष	1,12,395.00	1,80,309.24
(iv)	एनपीए के लिए प्रावधानों का संचलन (मानक परिसंपत्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)		
	(क) प्रारंभिक शेष	2,72,430.18	3,40,102.15
	(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	5,205.82	880.04
	(ग) अतिरिक्त प्रावधानों को बढ़े खाते में डालना/वापस लिखना	83,032.72	68,552.01
	(घ) समापन शेष	1,94,603.28	2,72,430.18

23.10 ग्राहक शिकायतें

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	-	-
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	506	531
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	506	531
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	-	-

23.11 अतिरिक्त प्रकटीकरण

क्र. सं.	खुलासा	टिप्पणी
(i)	अन्य वित्तीय विनियामक से प्राप्त पंजीकरण/ लाइसेंस/ प्राधिकरण	कॉर्पोरेट पहचान संख्या U67190DL2006GOI144520 कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से प्राप्त की गई
(ii)	क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग और वर्ष के दौरान रेटिंग का स्थानांतरण	कंपनी द्वारा जारी घरेलू बॉन्ड के लिए विभिन्न रेटिंग एजेंसियों द्वारा एएए स्थिर प्रदान किया गया है। 2023-24 के लिए कंपनी की अंतराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एस एवं पी बीबीबी है। चालू वर्ष 2023-24 के दौरान रेटिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
(iii)	किसी विनियामक द्वारा लगाया गया जुर्माना, यदि कोई हो	शून्य
(iv)	क्षेत्र, देश और संयुक्त उद्यम भागीदारों जैसी जानकारी	
	(क) संयुक्त उद्यम	कोई नहीं
	(ख) विदेशी सहायक कंपनी	आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी लंदन, यूनाइटेड किंगडम से परिचालन करती है और भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का वित्तपोषण करती है।

23.12 पुनर्गठित खातों का प्रकटीकरण

क्र. सं.	पुनर्गठन का प्रकार	सीडीआर तंत्र के तहत	एसएमई ऋण पुनर्गठन तंत्र के तहत	अन्य (₹ लाख में)				कुल (₹ लाख में)					
	परिसंपत्ति वर्गीकरण	कुल	कुल	मानक	यूटी मानक	संदिग्ध	नुकसान	कुल	डब्ल्यू	उप मानक	संदिग्ध	नुकसान	कुल
विवरण													
1	01.04.2023 तक खाते तक पुनर्गठित	-	-	12	-	6	-	18	12	-	6	-	18
	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	बकाया राशि	-	-	1,85,095.02	-	59,549.94	-	2,44,644.96	1,85,095.02	-	59,549.94	-	2,44,644.96
	उस पर प्रावधान	-	-	14,338.04	-	21,507.77	-	35,845.81	14,338.04	-	21,507.77	-	35,845.81
2	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान नए सिरे से पुनर्गठन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पुनर्गठित मानक श्रेणी में उन्नयन	-	-	8	-	-	-	8	8	-	-	-	8
	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	बकाया राशि	-	-	73,471.27	-	-	-	73,471.27	73,471.27	-	-	-	73,471.27
	उस पर प्रावधान	-	-	7,518.47	-	-	-	7,518.47	7,518.47	-	-	-	7,518.47
4	पुनर्गठित मानक अग्रिम जो वित्त वर्ष के अंत में उच्च प्रावधान और/या अतिरिक्त जोखिम भार को आकर्षित करना बंद कर देते हैं और इसलिए उन्हें अगले वित्त वर्ष 2023-24 की शुरुआत में पुनर्गठित मानक अग्रिम के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पुनर्गठित खातों	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पुनर्गठित खातों का राइट ऑफ / पूर्व भुगतान	-	-	-	59,549.94	-	-	59,549.94	-	59,549.94	6	-	6
	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	6	-	6	-	-	-	-	-
	बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	31.03.2024 तक पुनर्गठित खाते (समापन अंकड़े)	-	-	4	-	4	-	4	4	-	-	-	4
	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	बकाया राशि	-	-	1,11,623.75	-	1,11,623.75	-	1,11,623.75	1,11,623.75	-	-	-	1,11,623.75
	उस पर प्रावधान	-	-	6,819.57	-	6,819.57	-	6,819.57	6,819.57	-	-	-	6,819.57

23.13 विदेशी परिसंपत्तियां (विदेश में संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों वाले लोगों के लिए)

संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनी का नाम	संयुक्त उद्यम में अन्य भागीदार	देश	कुल संपत्ति (राशि डॉलर में)
आईआईएफसी (यूके लि.)	कोई नहीं	यूनाइटेड किंगडम	शून्य, आईआईएफसीएल के पास आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड के पास कोई विदेशी परिसंपत्ति नहीं है।

24. एनबीएफसी पर भारतीय रिजर्व बैंक के पैमाने आधारित विनियमन के अनुसार प्रकटीकरण:

क) रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश: आईआईएफसीएल का रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश नोट 1(बी) 23.7.1 में प्रकट किया गया है।

ख) पूंजी बाजार में निवेश: आईआईएफसीएल का पूंजी बाजार में निवेश नोट 1(बी) 23.7.2 में प्रकट किया गया है।

ग) क्षेत्रीय निवेश:

क्षेत्र	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	कुल जोखिम (बैलेंस शीट और ऑफ-बैलेंस शीट जोखिम शामिल हैं)*	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल जोखिम के लिए सकल एनपीए का प्रतिशत	कुल जोखिम (बैलेंस शीट और ऑफ-बैलेंस शीट जोखिम शामिल हैं)*	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल जोखिम के लिए सकल एनपीए का प्रतिशत
कॉर्पोरेट क्षेत्र	58,63,025.60	3,06,997.59	5.24%	51,32,693.96	4,52,739.42	8.82%

*इसमें बकाया शेष राशि और बकाया ऋण पत्र शामिल हैं

क) इंट्रा-ग्रुप एक्सपोजर: आईआईएफसीएल के इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर का खुलासा नोट 1 (ख) 6(ग) में किया गया है।

ख) असुरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर: आईआईएफसीएल के असुरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर का खुलासा नोट 1(बी)15(बी) में किया गया है।

ग) लागू एनबीएफसी द्वारा पार की गई एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल)/समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का विवरण।

क) 31.03.2024 तक सीमा से अधिक एकल एक्सपोजर की सूची- शून्य

ख) 31.03.2023 तक सीमा से अधिक एकल एक्सपोजर की सूची- शून्य

ग) 31.03.2024 तक सीमा से अधिक समूह एक्सपोजर की सूची- शून्य

घ) 31.03.2023 तक सीमा से अधिक समूह एक्सपोजर की सूची- शून्य

ङ) संबंधित पार्टी प्रकटीकरण: आईआईएफसीएल के संबंधित पार्टी प्रकटीकरण का खुलासा नोट 1(बी)6 में किया गया है।

च) शिकायतों का प्रकटीकरण: आईआईएफसीएल की प्रकटीकरण शिकायतों का खुलासा नोट 1(बी) 23.10 में किया गया है। इसके अलावा, शिकायतों के आधारों की संख्या को अन्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

छ) अनुबंध का उल्लंघन: शून्य

ज) परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन: शून्य

25. पूंजी प्रबंधन:

वित्तीय विवरण की प्रस्तुति, भारतीय लेखा मानक 1 के पैरा 134-136 की आवश्यकता के अनुसार पूंजी प्रबंधन के बारे में प्रकटीकरण के संदर्भ में, यह उल्लेख किया गया है कि आईआईएफसीएल एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (एनबीएफसी-आईएफसी) होने के नाते, आईआईएफसीएल को आरबीआई विनियमों के अनुसार पूंजी बनाए रखने की आवश्यकता है,

जिसे स्वामित्व वाली निधि कहा जाता है। आरबीआई मास्टर निर्देश – गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 के अनुसार, स्वामित्व वाली निधि का अर्थ है चुकता इक्विटी पूंजी, वरीयता शेयर जो अनिवार्य रूप से इक्विटी में परिवर्तनीय हैं, मुक्त रिजर्व, शेयर प्रीमियम खाते में शेष राशि और संपत्ति की बिक्री आय से उत्पन्न अधिशेष का प्रतिनिधित्व करने वाली पूंजी रिजर्व, इससे आईआईएफसीएल आरबीआई द्वारा निर्धारित पूंजी आवश्यकताओं का अनुपालन करने में सक्षम हो गया है। इसके अलावा, आईआईएफसीएल भारत सरकार के निर्देशों के अधीन पूंजी यानी शुद्ध स्वामित्व वाले फंड पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए लामांश के वितरण पर विचार करता है। रिपोर्टिंग वर्षों के दौरान पूंजी प्रबंधन के संबंध में उद्देश्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया था।

26. वित्त मंत्रालय के निदेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के 27 मई 2016 को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पूंजी पुनर्गठन पर दिशानिर्देश, सीपीएसई को पीएटी का 30: या नेटवर्थ का 5: न्यूनतम वार्षिक लामांश देना आवश्यक है, जो भी मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत अनुमत अधिकतम लामांश के अधीन हो। इस संबंध में, आईआईएफसीएल ने 21 सितंबर 2016 के पत्र के माध्यम से सरकार से वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2017-18 तक कम से कम 3 वर्षों के लिए लामांश के भुगतान से छूट के लिए अनुरोध किया था। इसके बाद, आईआईएफसीएल ने 19 सितंबर 2019 के पत्र के माध्यम से सरकार से कम से कम वित्त वर्ष 2021-22 तक लामांश के भुगतान से छूट देने का अनुरोध किया था। आईआईएफसीएल के पत्र का जवाब प्रतीक्षित है।

इसके अलावा, आरबीआई के परिपत्र आरबीआई/2021-22/59, डीओआर.एसीसी.आरईसी.सं.23/21.02.067/2021-22 दिनांक 24 जून 2021 के अनुसार एक न्यूनतम आवश्यकता प्रदान करती है कि एक एनबीएफसी को लामांश घोषित करना होगा यदि उसका एनएनपीए पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक में 6: से कम है, जिसमें उस वित्तीय वर्ष के अंत तक भी शामिल है जिसके लिए लामांश घोषित करने का प्रस्ताव है। उपर्युक्त पात्रता मानदंडों के अनुसार, आईआईएफसीएल लामांश घोषित करने के लिए अपात्र था और तदनुसार, आईआईएफसीएल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लामांश घोषित नहीं किया।

वित्त वर्ष 2023-24 के संबंध में, आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल ने 28 मार्च 2024 को आयोजित अपनी बैठक में भारत सरकार से लामांश के भुगतान से छूट प्रदान करने का अनुरोध करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसे भारत सरकार को भेजा जा रहा है।

27. नीति संख्या 1(ए)/(5.2)(ए)/(ए) के अनुसार अग्रिम शुल्क, प्रोफेसिंग शुल्क या ऋण परिसंपत्तियों से सीधे संबंधित कोई अन्य शुल्क, जो कुल आय का 0.5: से अधिक नहीं है, को प्रारंभ में लाभ और हानि विवरण में उपाजर्जन के आधार पर मान्यता दी जाती है।
28. भारत सरकार ने 9 फरवरी 2012 के पत्र के माध्यम से आईआईएफसीएल को सूचित किया कि यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड (एनआईसीडीसी) की 41: की सीमा तक इक्विटी आईआईएफसीएल द्वारा अधिग्रहित की जाएगी, भले ही आईआईएफसीएल को एसआईएफटीआई, व्यवहार्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण की योजना के अनुसार इक्विटी शेयर हासिल करने का आदेश नहीं है, जिसके तहत आईआईएफसीएल अपनी गतिविधियां संचालित करता है।
29. आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत नहीं हैं और अनुसूची III के डिवीजन II के अनुसार समेकन के लिए ऑडिटेड वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं, जबकि आईआईएफसीएल एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत है और उसने अनुसूची IV के डिवीजन III के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार किया है।
30. 27 मार्च 2020 और 17 अप्रैल 2020 के कोविड-19 विनियामक पैकेज से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार, आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, वित्तीय संस्थानों और एनबीएफसी को सभी सावधि ऋणों की किस्तों के भुगतान पर 3 महीने की मोहलत देने की अनुमति दी, जो 29 फरवरी 2020 तक मानक संपत्तियां थीं। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लॉकडाउन के कारण उधारकर्ताओं की कठिनाई को कम करने में मदद करना था। 1 मार्च 2020 और 31 मई 2020 के बीच देय मूलधन/या ब्याज और घटकों आदि सहित सभी किस्तों के भुगतान पर शुरू में तीन महीने के लिए मोहलत दी गई थी। 22 मई 2020 को आरबीआई ने इस मोहलत अवधि को 3 महीने यानी 31 अगस्त 2020 तक बढ़ा दिया। मोहलत अवधि के दौरान ऋण के बकाया हिस्से पर ब्याज अर्जित होता रहा। जिन खातों पर स्थगन दिया गया था, उन सभी खातों की आयु स्थगन अवधि के दौरान स्थिर रही। ऋणदाताओं को अपने ग्राहकों को स्थगन की पेशकश करने से पहले बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति लागू करनी थी। ऋणदाताओं ने स्थगन की पेशकश करने में अलग-अलग तरीके अपनाए हैं या तो शॉर्ट-इनश या "ऑफ्ट-आउट" संरचना।

आईआईएफसीएल ने आरबीआई परिपत्र के अनुसार मार्च 2020 से अगस्त 2020 की अवधि के लिए दी गई अवधि के ऋणों के पात्र मामलों में ब्याज और मूलधन के भुगतान के लिए स्थगन बढ़ा दिया है। ऐसे मामलों में बनाई गई सुविधा का पुनर्भुगतान मूल अवधि ऋण की चुकोती अवधि के भीतर निर्धारित किया गया है। 30 सितंबर 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान, आईआईएफसीएल ने 1 जुलाई 2015 के निर्देश संख्या डीसीबी.बीपीडी (पीसीबी) एमसी संख्या 12/09.14.000/2015-16 के अनुसार पुनर्गठन के समान व्यवहार किए बिना स्थगन ऋण मामलों में आस्थगित ब्याज आय को मान्यता दी। आईआईएफसीएल ने 12 नवंबर 2020 के पत्र के माध्यम से आरबीआई से यह मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया कि आईआईएफसीएल द्वारा ब्याज आय की मान्यता नियामक अनुरूपता के

अनुरूप हैं। इस संबंध में आरबीआई का जवाब अभी भी प्रतीक्षित है। परिणामस्वरूप 31 मार्च 2021 तक, आईआईएफसीएल ने स्थगन ऋण मामलों पर स्थगन अवधि के लिए ₹45,914.50 लाख की अप्रাপ्त ब्याज आय की मान्यता को बाद में वसूली तक रूढ़िवादी रूप से स्थगित कर दिया है।

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, आईआईएफसीएल को ₹16,098.14 लाख की राशि का पुनर्भुगतान प्राप्त हुआ है।

31. "कोविड 19 विनियामक पैकेज की समाप्ति के बाद परिसंपत्ति वर्गीकरण और आय मान्यता" पर आरबीआई परिपत्र दिनांक 07.04.2021 के निर्देशों के अनुसार, बैंक सभी उधारकर्ताओं से लिए गए "ब्याज पर ब्याज" को वापस/समायोजित करेगा, जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने स्थगन अवधि के दौरान यानी 01.03.2020 से 31.08.2020 तक कार्यशील पूंजी सुविधाओं का लाभ उठाया था, भले ही स्थगन का पूर्ण या आंशिक रूप से लाभ उठाया गया हो या नहीं उठाया गया हो। इन निर्देशों के अनुसरण में, विभिन्न सुविधाओं के लिए वापस/समायोजित की जाने वाली राशि की गणना के लिए कार्यप्रणाली को भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा अन्य उद्योग प्रतिभागियों/निकायों के परामर्श से सभी ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा अपनाने के लिए अंतिम रूप दिया गया है। तदनुसार, आईबीए ने अपने पत्र दिनांक 19.04.2021 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार रिफंड/समायोजन के लिए अंतिम रूप से तैयार की गई कार्यप्रणाली की जानकारी दी है। तदनुसार, आईआईएफसीएल ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹2,500 लाख की ब्याज आय पर ब्याज की अनुमानित राशि को मान्यता नहीं दी है। ब्याज आय का क्रेडिट अभी तक उधारकर्ताओं को नहीं दिया गया है।

31. कर व्यय और लेखा लाभ का भारत की कर दर से गुणन (इंड एस 12) के साथ मिलान:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
कर से पहले लाभ	2,11,520.11	1,46,277.51
वैधानिक आयकर दर	25.168%	25.168%
अपेक्षित आयकर व्यय	53,235.38	36,815.12
आयकर समायोजन का कर प्रभाव:		
आयकर अधिनियम की धारा 36(1) के तहत कटौती का लाभ	-	
अस्वीकृत शुद्ध प्रावधान	(11,748.50)	(19,658.03)
आयकर की गैर-अनुमेल्यता	6,776.92	1,372.63
पूर्व वर्षों का आयकर	(2.30)	(54.68)
अन्य	(506.50)	10,544.5
स्थगित कर	(9,192.23)	(8,342.35)
कर व्यय	(38,562.78)	(20,677.19)

32. परिशोधित लागत/उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य माप पदानुक्रम:

1.1. उचित मूल्य पदानुक्रम

स्तर 1— समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (समायोजित नहीं)

स्तर 2— स्तर 1 में शामिल उद्धृत मूल्यों के अलावा अन्य इनपुट जो परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए प्रत्यक्ष रूप से (यानी कीमतों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (यानी व्युत्पन्न मूल्य) अवलोकनीय हैं

स्तर 3— परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए इनपुट जो अवलोकनीय बाजार डेटा (अदृश्य इनपुट) पर आधारित नहीं हैं

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2024		
	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3
वित्तीय परिसंपत्ति:			
परिशोधित लागत	-	-	72,65,142.06
एफवीटीपीएल	-	16,544.56	1,37,300.86
वित्तीय देयता:			
परिशोधित लागत	-	-	60,40,624.88

Particulars	31.03.2023		
	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3
वित्तीय परिसंपत्ति:			
परिशोधित लागत	-	-	64,76,001.46
एफवीटीपीए	-	51,186.30	1,73,498.62
वित्तीय देयता:			
परिशोधित लागत	-	-	55,14,147.97

1.2. वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य जो परिशोधित लागत पर मापा जाता है:

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2024		31.03.2023	
	बहन मूल्य	उचित मूल्य	बहन मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियाँ	73,87,849.42	73,87,849.42	66,40,637.63	66,40,637.63
वित्तीय देयताएँ	60,40,624.88	60,40,624.88	54,68,141.72	54,68,141.72

33. चरणवार जोखिम और हानि का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
31 मार्च 2024 तक				
कुल जोखिम	53,63,420.33	2,61,564.92	3,37,243.07	59,62,228.32
क्षति भत्ता	76,372.77	52,178.80	1,91,234.64	3,27,277.61
ईसीएल%	1.42%	19.95%	56.71%	5.49%
31 मार्च 2023 तक				
कुल जोखिम	44,06,200.36	2,16,885.17	4,52,739.57	50,75,825.10
क्षति भत्ता	62,721.47	36,934.66	2,72,430.60	3,72,086.73
ईसीएल%	1.42%	17.03%	60.17%	7.33%

34. आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार प्रावधानों के समाधान और चरणवार अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रकटीकरण:

वित्त वर्ष 2023-24

(₹ लाख में)

आरबीआई मानदंडों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एस 109 के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एस के अनुसार सकल वहन राशि	इंड एस 109 के तहत आवश्यक हानि भत्ते (प्रावधान)	शुद्ध वहन राशि	आईआरए सीपी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान	इंड एस 109 प्रावधानों और आईआर एसीपी मानदंडों के बीच अंतर
1	2	3	4	(5)=(3)-(4)	6	(7) = (4)-(6)
निष्पादित परिसंपत्तियाँ						
मानक	चरण 1	52,90,809.45	77,028.29	52,13,781.16	21,156.56	55,871.73
	चरण 2	2,42,722.42	56,933.00	1,85,789.42	7,359.29	49,573.72
	एफआईटीएल	3,203.49	3,203.49	-	3,203.49	-
उप-योग		55,36,735.36	1,37,164.78	53,99,570.58	31,719.34	1,05,445.45
गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए)						
सबस्टेण्डर्ड	चरण 3	-	-	-	-	-
संदिग्ध - 1 वर्ष तक	चरण 3	-	-	-	-	-
1 से 3 वर्ष	चरण 3	67,131.05	37,218.78	29,912.27	17,348.61	19,870.16
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	2,16,663.89	1,68,968.21	47,694.67	1,42,032.76	26,935.46
संदिग्ध के लिए उप-योग		2,83,793.93	2,06,186.99	77,606.94	1,59,741.38	46,805.62
नुकसान	चरण 3	82,315.97	58,876.70	23,439.27	37,958.21	21,278.50
एनपीए के लिए उप-योग		2,01,477.96	1,47,310.29	54,167.67	1,21,783.17	25,527.12
अन्य मदें जैसे गारंटी, ऋण प्रतिबद्धताएं, आदि जो भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे में हैं, लेकिन वर्तमान आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) मानदंडों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं	चरण 1	-	-	-	-	-
	चरण 2	-	-	-	-	-
	चरण 3	-	-	-	-	-
उप-योग		-	-	-	-	-
	चरण 1	52,90,809.45	77,028.29	52,13,781.16	21,156.56	55,871.73
	एफआईटीएल	3,203.49	3,203.49	-	3,203.49	-
	चरण 2	2,42,722.42	56,933.00	1,85,789.42	7,359.29	49,573.72
कुल	चरण 3	2,83,793.93	2,06,186.99	77,606.94	1,59,741.38	46,805.62
	कुल	58,20,529.29	3,43,351.78	54,77,177.52	1,91,100.71	1,52,251.07

वित्त वर्ष 2022-23

(₹ लाख में)

आरबीआई मानदंडों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एस 109 के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एस के अनुसार सकल वहन राशि	इंड एस 109 के तहत आवश्यक हानि भत्ते (प्रावधान)	शुद्ध वहन राशि	आईआरए सीपी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान	इंड एस 109 प्रावधानों और आईआरए सीपी मानदंडों के बीच अंतर
1	2	3	4	(5)=(3)-(4)	6	(7) = (4)-(6)
निष्पादित परिसंपत्तियाँ						
मानक	चरण 1	44,06,200.36	62,721.47	43,43,478.89	17,359.57	45,361.90
	चरण 2	2,16,885.17	36,934.67	1,79,950.51	9,599.32	27,335.34
	एफआईटीएल	3,766.67	3,766.67	-	3,766.67	-
उप-योग		46,26,852.21	1,03,422.80	45,23,429.40	30,725.56	72,697.24
गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए)						
सबस्टेण्डर्ड	चरण 3	1,984.87	880.04	1,104.83	198.49	681.56
संदेहास्पद - 1 वर्ष तक चरण	चरण 3	88,620.59	41,721.42	46,899.17	19,276.99	22,444.43
1 से 3 वर्ष	चरण 3	67,750.04	48,590.09	19,159.94	20,731.42	27,858.68
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	2,94,384.07	1,81,239.04	1,13,145.02	2,57,487.96	(76,248.92)
संदेहास्पद के लिए उप-योग		4,52,739.56	2,72,430.60	1,80,308.96	2,97,694.86	(25,264.26)
हानि	चरण 3	-	-	-	-	-
एनपीए के लिए उप-योग		4,52,739.56	2,72,430.60	1,80,308.96	2,97,694.86	(25,264.26)
अन्य मदें जैसे गारंटी, ऋण प्रतिबद्धताएं, आदि जो भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे में हैं, लेकिन वर्तमान आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) मानदंडों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं	चरण 1	-	-	-	-	-
	चरण 2	-	-	-	-	-
	चरण 3	-	-	-	-	-
उप-योग		-	-	-	-	-
	चरण 1	44,06,200.36	62,721.47	43,43,478.89	17,359.57	45,361.90
	एफआईटीएल	3,766.67	3,766.67	-	3,766.67	-
	चरण 2	2,16,885.17	36,934.67	1,79,950.51	9,599.32	27,335.34
	चरण 3	4,52,739.56	2,72,430.60	1,80,308.96	2,97,694.86	(25,264.26)
कुल		50,79,591.77	3,75,853.41	47,03,738.36	3,28,420.43	47,432.98

35. आईआईएफसीएल के 21 जुलाई 2021 के पत्र के जवाब में, आरबीआई ने स्पष्ट किया कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए बांड/डिबेंचर की सदस्यता के माध्यम से पुनर्वित्त सहित निवेश, चाहे कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं में हों या पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं में, आईआईएफसीएल द्वारा "बुनियादी ढांचा ऋण" के लिए कुल परिसंपत्तियों का न्यूनतम 75% लगाने के उद्देश्य से "बुनियादी ढांचा उधार" के रूप में माना जाएगा। तदनुसार, आईआईएफसीएल ने सकल एनपीए और शुद्ध एनपीए अनुपात निर्धारित करने के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बांड की सदस्यता की राशि की गणना की। हालांकि, आरबीआई ने 31 मार्च 2023 तक वित्तीय स्थिति के संबंध में अपनी प्रारंभिक निरीक्षण और जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट में पाया था कि कंपनी ने एनपीए अनुपात की गणना करते समय बांड में अपने निवेश को अपने ऋण और अग्रिम के हिस्से के रूप में शामिल किया था तदनुसार, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बांड की सदस्यता की राशि सहित ऋण और अग्रिम की राशि को सकल एनपीए और शुद्ध एनपीए निर्धारित करने के लिए माना जाता है।
- 35ए. आईआईएफसीएल के वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षा के दौरान, वैधानिक लेखा परीक्षकों ने 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कर से पहले लाभ में ₹12,424.94 लाख की कमी का संकेत दिया है, जिसका कंपनी की ऋण परिसंपत्तियों पर भी प्रभाव पड़ा है। यह कंपनी द्वारा लेखांकन सॉफ्टवेयर में तकनीकी गड़बड़ियों को हल करने के लिए पारित सुलह प्रविष्टियों के कारण है, जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्षों से संबंधित ब्याज आय में ₹12,424.94 लाख की राशि का उलटफेर हुआ। लेखा परीक्षकों ने संकेत दिया है कि कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 8 "लेखा नीतियों, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियों" का अनुपालन नहीं किया है, जिसके लिए वित्तीय विवरणों के पहले सेट में पूर्व अवधि को पूर्वव्यापी रूप से सही करने और वित्तीय विवरणों को फिर से बताने की आवश्यकता है। पारित किए गए सुलह प्रविष्टियों के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि आईआईएफसीएल ने उन्नत आईटी प्रणाली के कार्यान्वयन के उद्देश्य से नियुक्त बाहरी आईटी सलाहकार से अनुरोध किया था कि वह बताए गए अंतर के मूल की समीक्षा और समाधान भी करे। सलाहकार ने खुलासा किया कि अंतर आईटी प्रणाली में रूटिंग लेजर के सिंक में नहीं होने के कारण था। परिणामस्वरूप, आईटी सलाहकार ने विभिन्न खातों को प्रभावित करने वाली सुलह और समायोजन प्रविष्टियों की सलाह दी थी। सुलह का काम अभी भी प्रगति पर है। यह पहला वर्ष है जब सिस्टम त्रुटियों का निदान किया गया तदनुसार, कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 से पहले की अवधि के लिए ब्याज आय के प्रत्यावर्तन के रूप में ₹12,424.94 लाख की प्रविष्टियों की।
- कंपनी ने माना है कि बाहरी आईटी सलाहकार द्वारा प्रदान किए गए संकल्प के आधार पर पारित प्रविष्टियों पर भारतीय लेखा मानक 8 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, क्योंकि प्रविष्टियाँ किसी इकाई के वित्तीय प्रदर्शन की एक विशेष प्रस्तुति प्राप्त करने के लिए जानबूझकर नहीं की जाती हैं और इसलिए, उन्हें त्रुटि के रूप में नहीं माना जाता है। इसके अलावा, संकल्प न तो पिछले वर्षों में उपलब्ध थे जब उन अवधियों के लिए वित्तीय विवरण जारी करने के लिए अनुमोदित किए गए थे; न ही, उचित रूप से यह उम्मीद की जा सकती थी कि उन्हें प्राप्त किया गया होगा और संबंधित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति में ध्यान में रखा गया होगा।
36. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ भी आवश्यक समझा गया है, फिर से समूहीकृत किया गया है।

कृते अग्रवाल एवं सक्सेना

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या: 002405C

**कृते इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के
निदेशक मंडल की ओर से**

अजय कुमार वर्मा
भागीदार
सदस्यता संख्या: 404578

पवन के कुमार
(उप प्रबंध निदेशक)
(डीआईएन संख्या: 8901398)

पीआर जयशंकर
(प्रबंध निदेशक)
(डीआईएन संख्या: 6711526)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30.05.2024

अभिरूप सिंह
(एजीएम और कंपनी सचिव)

राजीव मुखीजा
(मुख्य महाप्रबंधक-सीएफओ)

फॉर्म एओसी-1

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं वाला विवरण

भाग "ए": सहायक कंपनियां

(₹ लाख में/ मिलियन अमरीकी डॉलर में)

क्र.सं.	विवरण	I	II	III	
1	सहायक कंपनी का नाम	आईआईएफसील प्रोजेक्ट लिमिटेड	आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड	
				₹	यूएसडी
2	सहायक कंपनी का अधिग्रहण कब से हुआ	14-फरवरी-2012	28-मार्च-2012	07-फरवरी-2008	
3	संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि होल्डिंग कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न हो	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4	विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि पर रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर	लागू नहीं	लागू नहीं	यूएसडी (31 मार्च 2024 को विनिमय दर यूएसडी1 = ₹ 83.3739)	
5	शेयर पूंजी	475.00	1,250.00	61,180.95	100.00
6	रिजर्व और अधिशेष	2,098.21	1,356.00	(53,651.1)	(64.35)
7	कुल संपत्ति	3,044.10	2926.94	9,92,657.76	1190.61
8	कुल देयताएँ	470.91	320.94	9,62,934.78	1,156.96
9	निवेश	शून्य	शून्य	शून्य	
10	कारोबार	1,703.99	249.03	85,766.43	103.56
11	कराधान से पहले लाभ	271.13	(301.92)	8,606.82	10.65
12	कराधान के लिए प्रावधान	71.62	(4.16)	-	-
13	कराधान के बाद लाभ (ओसीआई सहित)	135.22	(310.11)	8,606.82	10.65
14	प्रस्तावित लाभांश	शून्य	शून्य	शून्य	
15	% शेयरधारिता का	100%	100%	100%	

नोट:

- सहायक कंपनियाँ जिनका परिचालन अभी शुरू होना बाकी है – शून्य
- सहायक कंपनियाँ जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन हो चुका है या जिन्हें बेच दिया गया है। शून्य
- आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड की वित्तीय स्थिति में गैर-वित्तीय देनदारियों में ऋण परिसंपत्तियों पर प्रावधान का खुलासा करने के लिए समायोजन आईएनआर में रूपांतरण से पहले किया गया है।

भाग "बी": सहयोगी और संयुक्त उद्यम

लागू नहीं

कृते अग्रवाल एवं सक्सेना

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या: 002405C

कृते इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

अजय कुमार वर्मा
भागीदार
सदस्यता संख्या: 404578

पवन के कुमार
(उप प्रबंध निदेशक)
(डीआईएन संख्या: 8901398)

पीआर जयशंकर
(प्रबंध निदेशक)
(डीआईएन संख्या: 6711526)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30.05.2024

अभिरूप सिंह
(एजीएम और कंपनी सचिव)

राजीव मुखीजा
(मुख्य महाप्रबंधक-सीएफओ)

नोट 1: 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए सामग्री लेखांकन नीतियां और अन्य नोट्स

आईआईएफसीएल एक सार्वजनिक कंपनी है जो भारत में कंपनियों के प्रावधानों के तहत अधिवासित और निगमित है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 5वीं मंजिल, प्लेट ए और बी, ब्लॉक 2, एनबीसीसी टॉवर, ईस्ट किडवई नगर, नई दिल्ली, भारत में स्थित है।

IIFCL की स्थापना व्यवहार्य अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण की योजना के माध्यम से व्यवहार्य अवसंरचना परियोजनाओं को दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 9 सितंबर 2013 को इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – गैर जमा – अवसंरचना वित्त कंपनी (NBFC-ND-IFC) के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या N-14-03288 जारी किया है। आरबीआई ने आईआईएफसीएल को सार्वजनिक जमा स्वीकार किए बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का व्यवसाय करने की अनुमति दी है।

(ए) सामग्री लेखांकन नीतियां**1. तैयारी का आधार**

1.1 समेकित वित्तीय विवरण में इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (मूल कंपनी) के व्यक्तिगत वित्तीय विवरण और इसकी सहायक कंपनियों, इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड (आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड), आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (एक साथ मिलकर समूह का गठन) के वित्तीय विवरण 31 मार्च 2024 तक और उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए शामिल हैं। समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किए गए हैं:

- कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को 'समेकित वित्तीय विवरणों' पर इंड एस 110 के अनुसार अवास्तविक लाभ या हानि के परिणामस्वरूप इंटर-ग्रुप लेनदेन को समाप्त करने के बाद, परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय की समान वस्तुओं के बुक बैल्यू को एक साथ जोड़कर लाइन दर लाइन आधार पर समेकित किया गया है।
- विदेशी सहायक कंपनी की मौद्रिक और गैर-मौद्रिक दोनों प्रकार की परिसंपत्तियों और देनदारियों का अंतरण समापन विनिमय दर पर किया जाता है।
- विदेशी सहायक कंपनी की आय और व्यय मदों का लेनदेन की तिथि पर रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच आरबीआई संदर्भ दर पर अनुवाद किया जाता है।
- सभी परिणामी विनिमय अंतर को विदेशी मुद्रा विनिमय रिजर्व में संचित किया जाता है।

1.2 निम्नलिखित सहायक कंपनियों के व्यक्तिगत वित्तीय विवरणों को समेकित वित्तीय विवरणों में समेकित किया गया है:

सहायक कंपनी का नाम	निगमन का देश	वर्तमान अवधि	पिछली अवधि
		स्वामित्व हित का अनुपात (%)	स्वामित्व हित का अनुपात (%)
आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड	यूनाइटेड किंगडम	100%	100%
IIFCL प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	इंडिया	100%	100%
IIFCL एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	इंडिया	100%	100%

1.3 पूर्ण स्वामित्व वाली विदेशी सहायक कंपनी यानी IIFC (U-K) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को मूल कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए लागू भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा प्रथाओं के अनुसार परिवर्तित किया गया है।

1.4 **लेखांकन परंपरा:** आईआईएफसीएल अपने वित्तीय विवरण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के प्रभाग III में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत करता है। वित्तीय विवरण प्रोद्भव आधार पर और ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय इसके कि

क) अन्य व्यापक आय (FVOCI) के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत वित्तीय संपत्तियाँ,

ख) व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण,

ग) लाभ या हानि (FVTPL) के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट वित्तीय संपत्तियाँ और देनदारियाँ।

घ) परिभाषित लाभ योजनाएँ – उचित मूल्य पर मापी गई योजना संपत्तियाँ।

जिनमें से सभी को उचित मूल्य पर मापा गया है जैसा कि प्रासंगिक Ind AS द्वारा अपेक्षित या अनुमत है। वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए जाते हैं और सभी मूल्यों को निकटतम लाख रुपये में पूर्णांकित किया जाता है, सिवाय इसके कि जब अन्यथा संकेत दिया गया हो।

1.5 **अनुमानों का उपयोग:** आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को अनुमान और धारणा बनाने की आवश्यकता होती है जो परिसंपत्तियों की रिपोर्ट की गई राशियों को प्रभावित करते हैं और वित्तीय विवरणों की

तिथि पर देनदारियों और उनके प्रकटीकरण तथा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशियों का विवरण। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम सामने आते हैं।

आईआईएफसीएल ने रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्य और अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों के बारे में कोई धारणा नहीं बनाई है, जिसके परिणामस्वरूप अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रणी राशियों में महत्वपूर्ण समायोजन होने का महत्वपूर्ण जोखिम है।

2. अनुपालन का विवरण

आईआईएफसीएल के वित्तीय विवरण चालू व्यवसाय के आधार पर और भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 111 (ई) दिनांक 16 फरवरी 2015 और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) (संशोधन) नियम, 2016, राजपत्र जी.एस.आर.365(ई) दिनांक 30 मार्च 2016 अधिसूचना संख्या के तहत अधिसूचित इंड एस की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए जाते हैं।

3. वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को आम तौर पर बैलेंस शीट में सकल मूल्य के रूप में रिपोर्ट किया जाता है। उन्हें केवल तभी ऑफसेट और रिपोर्ट किया जाता है जब, भविष्य की घटना पर आकस्मिक होने के बिना मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने के लिए बिना शर्त कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होने के अलावा, पार्टियां निम्नलिखित सभी परिस्थितियों में शुद्ध आधार पर निपटान करने का इरादा रखती हैं:

- व्यापार का सामान्य क्रम
- डिफॉल्ट की घटना
- आईआईएफसीएल और/या उसके प्रतिपक्षों की दिवालियापन या दिवालियापन की घटना

मास्टर नेटिंग व्यवस्था (जैसे ISDA) के साथ व्युत्पन्न परिसंपत्तियों और देनदारियों केवल तभी शुद्ध मूल्य प्रस्तुत की जाती हैं जब वे उपरोक्त सभी मानदंडों के लिए नेटिंग की पात्रता को पूरा करती हैं और न कि केवल डिफॉल्ट की स्थिति में।

4. आय/व्यय की मान्यता

- परिशोधित लागत पर मापे गए सभी वित्तीय साधनों, बिक्री के लिए उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत ब्याज वाली वित्तीय परिसंपत्तियों और FVTPL पर निर्दिष्ट वित्तीय साधनों के लिए, ब्याज आय या व्यय को EIR का उपयोग करके दर्ज किया जाता है। गणना वित्तीय साधन की सभी संविदात्मक शर्तों (उदाहरण के लिए, पूर्व भुगतान विकल्प) को ध्यान में रखती है और इसमें कोई भी शुल्क या वृद्धिशील लागत शामिल होती है जो सीधे साधन के लिए जिम्मेदार होती है और EIR का एक अभिन्न अंग होती है, लेकिन भविष्य की क्रेडिट हानियाँ नहीं। जब किसी वित्तीय परिसंपत्ति या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का दर्ज मूल्य हानि द्वारा कम हो जाता है, तो हानि को मापने के उद्देश्य से भविष्य के नकदी प्रवाह को छूट देने के लिए उपयोग की जाने वाली ब्याज दर का उपयोग करके ब्याज आय को मान्यता दी जाती है।
- दिए गए ऋणों पर अग्रिम शुल्क आय को उन मामलों में प्रोद्भव आधार पर आय के रूप में माना जाता है जहां आवंटित राशि पर ऋण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- कंपनी द्वारा लिए गए ऋणों पर प्रतिबद्धता शुल्क को व्यय के रूप में माना जाता है जब ऋण की निकासी ऋण समझौते के अनुसार ऋण की स्वीकृत राशि से कम होती है।
- उधारकर्ता के खातों में वसूली संबंधित ऋण समझौतों के अनुसार विनियोजित की जाती है।
- बड़े खाते में डाली गई ऋण परिसंपत्तियों से वसूली को वसूली की प्राप्ति के वर्ष में आय के रूप में माना जाता है।
- लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर लाभांश को उपार्जन आधार पर हिसाब में लिया जाता है। हालांकि, अंतिम लाभांश प्राप्त करने का अधिकार वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के बाद ही उत्पन्न होता है।
- पिछली अवधि से संबंधित आय/व्यय, जो कुल आय के 0.1% से अधिक नहीं है, को चालू वर्ष की आय/व्यय के रूप में माना जाता है।
- आंशिक ऋण वृद्धि गारंटी शुल्क को लेखा वर्ष में उपार्जन आधार पर मान्यता दी जाती है, जब वसूली का उचित अधिकार स्थापित हो जाता है। अग्रिम में प्राप्त कोई भी आंशिक ऋण वृद्धि गारंटी शुल्क स्थगित कर दिया जाता है और उपार्जन की अवधि में आय के रूप में मान्यता दी जाती है।
- गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) पर ब्याज/छूट या किसी अन्य शुल्क सहित आय को केवल तभी मान्यता दी जाती है, जब वह वास्तव में वसूली की जाती है। परिसंपत्ति के गैर-निष्पादित होने और अप्राप्त रहने से पहले मान्यता प्राप्त ऐसी कोई भी आय उलट दी जाती है।

4.10. आयकर रिफंड पर ब्याज वास्तविक आधार पर हिसाब में लिया जाता है, यानी आयकर रिफंड की प्राप्ति के वर्ष में आय के रूप में माना जाता है।

5. वित्तीय साधन:

5.1. मान्यता और प्रारंभिक माप:

कंपनी शुरू में निपटान तिथि पर वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को पहचानती है। एक वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है, साथ ही, FVTPL पर न होने वाली वस्तु के लिए, लेनदेन लागत जो सीधे उसके अधिग्रहण या निर्गम के लिए जिम्मेदार होती है।

5.2. वर्गीकरण:

A. वित्तीय परिसंपत्तियाँ:

कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों में नकदी और नकदी समकक्ष, बैंक बैलेंस, सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के अलावा अन्य कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश, सहायक कंपनियों/कर्मचारियों को ऋण, कर्मचारियों को अग्रिम, सुरक्षा जमा, वसूली योग्य दावे आदि शामिल हैं।

प्रारंभिक मान्यता पर, एक वित्तीय परिसंपत्ति को वर्गीकृत किया जाता है:

क) परिशोधित लागत:

वित्तीय साधनों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है, जहाँ उनके पास:

- अनुबंध संबंधी शर्तें जो निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं, जो केवल मूलधन और बकाया मूल राशि पर ब्याज के भुगतान का प्रतिनिधित्व करती हैं; और
- एक व्यवसाय मॉडल के भीतर रखी जाती हैं जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए धारण करके प्राप्त किया जाता है।

इन साधनों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, साथ ही सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागत, जिसका प्रभाव कुल आय के 0.5: से अधिक होता है। ऋण हानि का मापन नोट 6.7 वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि में वर्णित तीन-चरणीय अपेक्षित ऋण हानि मॉडल पर आधारित है।

ख) अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य:

वित्तीय साधनों को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है, जहाँ उनके पास:

- अनुबंध संबंधी शर्तें जो निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं, जो केवल बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज के भुगतान का प्रतिनिधित्व करती हैं; और
- एक व्यवसाय मॉडल के भीतर रखी जाती हैं जिसका उद्देश्य अनुबंध संबंधी नकदी प्रवाह एकत्र करने और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचने दोनों द्वारा प्राप्त किया जाता है।

इन साधनों को शुरू में उचित मूल्य और सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागतों पर मान्यता दी जाती है और बाद में उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले लाभ और हानि को इक्विटी के एक अलग घटक के भीतर अन्य व्यापक आय में शामिल किया जाता है। हानि हानि या उलटफेर, ब्याज राजस्व और विदेशी मुद्रा लाभ और हानि को लाभ और हानि में मान्यता दी जाती है। निपटान पर, अन्य व्यापक आय में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से आय विवरण में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। ऋण हानि का मापन तीन-चरणीय अपेक्षित ऋण हानि मॉडल पर आधारित है, जैसा कि परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों पर लागू होता है। अपेक्षित ऋण हानि मॉडल।

ग) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य:

- व्यापार के लिए रखे गए आइटम;
- संविदात्मक शर्तों वाले ऋण उपकरण जो केवल मूलधन और ब्याज के भुगतान का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर रखे गए वित्तीय साधनों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, जिसमें लेनदेन लागत को आय विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। इसके बाद, उन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है और किसी भी लाभ या हानि को आय विवरण में मान्यता दी जाती है। जहाँ एक वित्तीय परिसंपत्ति को उचित मूल्य पर मापा जाता है, वहाँ प्रतिपक्ष की ऋण योग्यता को दर्शाने के लिए एक ऋण मूल्यांकन समायोजन शामिल किया जाता है, जो ऋण जोखिम में परिवर्तनों के कारण उचित मूल्य में आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता है।

ट्रेडिंग के लिए रखे गए वित्तीय साधन

किसी वित्तीय साधन को ट्रेडिंग के लिए रखे जाने के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि इसे मुख्य रूप से निकट अवधि में बेचने या पुनर्वर्गीकृत करने के उद्देश्य से अधिग्रहित या खर्च किया जाता है, या वित्तीय साधनों के पोर्टफोलियो का हिस्सा बनता है जिसे एक साथ प्रबंधित किया जाता है और जिसके लिए अल्पकालिक लाभ लेने का सबूत है, या यह एक व्युत्पन्न है जो योग्य हेज संबंध में नहीं है।

इसके अलावा, प्रारंभिक मान्यता पर, आईआईएफसीएल एक वित्तीय परिसंपत्ति को अपरिवर्तनीय रूप से नामित कर सकता है जो अन्यथा परिशोधित लागत या FVTPL के रूप में FVOCI पर मापे जाने की आवश्यकताओं को पूरा करती है, यदि ऐसा करने से लेखांकन बेमेल समाप्त हो जाता है या काफी कम हो जाता है जो अन्यथा उत्पन्न हो सकता है।

घ) इक्विटी साधन

इक्विटी साधनों में निवेश जो न तो ट्रेडिंग के लिए रखे जाते हैं और न ही आईआईएफसीएल द्वारा किसी व्यवसाय संयोजन में मान्यता प्राप्त आकस्मिक विचार है, जिस पर IND AS 103 "व्यवसाय संयोजन" लागू होता है, अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है, जहां प्रबंधन द्वारा एक अपरिवर्तनीय चुनाव किया गया है।

अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत राशियों को बाद में लाभ या हानि में स्थानांतरित नहीं किया जाता है। ऐसे निवेशों पर लाभांश को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, जब तक कि लाभांश स्पष्ट रूप से निवेश की लागत के हिस्से की वसूली का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को FVTPL पर मापे गए अनुसार वर्गीकृत किया जाता है।

बाद में माप

संविदा नकदी प्रवाह के संग्रह के लिए रखी गई परिसंपत्तियाँ, जहाँ वे नकदी प्रवाह केवल मूलधन और ब्याज के भुगतान का प्रतिनिधित्व करते हैं, परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं। ऋण निवेश पर लाभ या हानि जिसे बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है, को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जब परिसंपत्ति को मान्यता से हटा दिया जाता है या क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके वित्त आय में शामिल किया जाता है, जिसका प्रभाव कुल आय के 0.5% से अधिक होता है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय (OCI) में मान्यता दी जाती है। हालाँकि, कंपनी आय विवरण में ब्याज आय, हानि हानि और उत्क्रमण और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को मान्यता देती है।

पुनर्वर्गीकरण

वित्तीय परिसंपत्तियों को उनकी आरंभिक मान्यता के बाद पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है, सिवाय उस अवधि के जब आईआईएफसीएल वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए अपने व्यवसाय मॉडल में बदलाव करता है।

B. वित्तीय देयताएँ

कंपनी की वित्तीय देयताएँ किसी अन्य इकाई को नकदी या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्रदान करने या किसी अन्य इकाई के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं का आदान-प्रदान करने के लिए संविदात्मक दायित्व हैं, जो संभावित रूप से कंपनी के लिए प्रतिकूल हैं।

वर्गीकरण, आरंभिक मान्यता और माप

वित्तीय देयताओं को आरंभ में उचित मूल्य में से लेनदेन लागत घटाकर पहचाना जाता है, जो सीधे वित्तीय देयताओं के मुद्दे के लिए जिम्मेदार होती हैं, जिसका प्रभाव कुल आय के 0.5% से अधिक होता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागतों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का एक अभिन्न अंग है। आय (लेनदेन लागतों का शुद्ध) और मोचन राशि के बीच कोई भी अंतर ईआईआर का उपयोग करके उधार की अवधि में लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

बाद का मापन

प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देनदारियों को बाद में EIR पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जब देनदारियों को मान्यता से हटा दिया जाता है और साथ ही मूल् परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से भी। EIR परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

केवल मूलधन और ब्याज के भुगतान के लिए संविदात्मक नकदी प्रवाह को परिभाषित करना:

इस मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए, 'मूलधन' को प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्ति के उचित मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। 'ब्याज' को पैसे के समय मूल्य और किसी विशेष अवधि के दौरान बकाया मूल राशि से जुड़े ऋण जोखिम और अन्य बुनियादी उधार जोखिमों और लागतों (जैसे तरलता जोखिम और प्रशासनिक लागत) के साथ-साथ लाभ मार्जिन के लिए विचार के रूप में परिभाषित किया गया है।

C. व्युत्पन्न वित्तीय साधन:

व्युत्पन्न वित्तीय साधन अनुबंध हैं जिनका मूल्य एक या अधिक अंतर्निहित मूल्य, सूचकांक या अन्य चर से प्राप्त होता है, और आमतौर पर स्वैप, अग्रिम दर समझौते, वायदा और विकल्प जैसे उपकरण शामिल होते हैं। आईआईएफसीएल विदेशी मुद्रा दर में भिन्नता के कारण जोखिम को कम करने के लिए हेजिंग संपर्कों की प्रकृति में व्युत्पन्न वित्तीय साधनों में प्रवेश करता है, जहाँ लागू हो, इन अनुबंधों के विदेशी मुद्रा उधार में शामिल है, जिन्हें बैलेंस शीट में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और उन्हें ट्रेडिंग के रूप में वर्गीकृत किया

जाता है, सिवाय इसके कि उन्हें प्रभावी हेज संबंध के हिस्से के रूप में नामित किया जाता है और हेजिंग डेरिवेटिव के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अनुबंध के पूरे जीवनकाल में डेरिवेटिव का वहन मूल्य उचित मूल्य पर फिर से मापा जाता है। जब उचित मूल्य सकारात्मक होता है तो डेरिवेटिव को परिसंपत्तियों के रूप में और जब उचित मूल्य नकारात्मक होता है तो देनदारियों के रूप में रखा जाता है।

- क. जहां भी कंपनी ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या इस्ट्रूमेंट यानी फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट के सार में प्रवेश किया है, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट की तारीख पर फॉरवर्ड रेट और एक्सचेंज रेट के बीच के अंतर को इंड एस-21 के अनुसार अनुबंध के जीवनकाल में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।
- ख. विदेशी मुद्रा ऋणों पर ली गई हेजिंग को विदेशी मुद्रा में दिए गए ऋणों (यानी प्राकृतिक हेज) के लिए समायोजित करने के बाद FIFO आधार पर समायोजित किया जाता है।
- ग. ब्याज दर स्वैप सहित अग्रिम विनिमय अनुबंधों के रद्दीकरण या नवीकरण से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को वर्ष के लिए आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।
- घ. कंपनी द्वारा जेपीवाई येन में दर्ज ब्याज दर स्वैप लेनदेन के संबंध में, कंपनी बैलेंस शीट तिथि के अनुसार मार्क टू मार्केट लॉस प्रदान कर रही है।
- ङ. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत में स्पॉट एक्सचेंज रेट में अंतर और हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार काउंटर पार्टी से वसूले गए या भुगतान किए गए अंतर्निहित विदेशी मुद्रा ऋण दायित्व के पुनर्भुगतान के कारण अधिशेष या घाटे को ऐसे ऋण के पुनर्भुगतान के समय लाभ या हानि के रूप में मान्यता दी जाती है।
- च. विदेशी मुद्रा ऋण (जो एक अंतर्निहित लेनदेन है) और स्वैप अनुबंध (उपर्युक्त ऋणों पर उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान के खिलाफ बचाव के लिए) को अलग-अलग लेनदेन के रूप में माना जाता है।
- छ. विदेशी मुद्रा उधार को भारतीय लेखा मानक (इंड एस 21), विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभावों के अनुसार पुनर्निर्धारित किया जाता है।

आईसीएआई द्वारा जून 2015 में जारी "डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए लेखांकन" पर मार्गदर्शन नोट, कंपनी द्वारा 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष से लागू किया जाता है। रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार विदेशी मुद्रा उधार की राशि पर विनिमय दर में कोई भी परिवर्तन, पिछली रिपोर्टिंग तिथि से और अवधि के दौरान ड्रॉडाउन उधार की तिथि से, डेरिवेटिव अनुबंधों के उचित मूल्य के विरुद्ध सेट किया जाता है और किसी भी लाभ या हानि को कैश फ्लो हेज रिजर्व के रूप में मान्यता दी जाती है। डेरिवेटिव अनुबंधों का उचित मूल्य संबंधित काउंटर पार्टियों द्वारा प्रदान किया जाता है।

मार्गदर्शन नोट के अनुसार, कैश फ्लो हेज के तहत, हेजिंग इस्ट्रूमेंट को उचित मूल्य पर मापा जाता है, लेकिन कोई भी लाभ या हानि जिसे प्रभावी हेज के रूप में निर्धारित किया जाता है, उसे इक्विटी में मान्यता दी जाती है, उदाहरण के लिए, कैश फ्लो हेज रिजर्व। इसका उद्देश्य उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में अस्थिरता से बचना है जब हेज किए गए आइटमों पर लाभ या हानि का एहसास नहीं होता है।

5.3. मान्यता रद्द करना:

वित्तीय परिसंपत्तियाँ

पृथक् वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता रद्द कर देता है, जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के लिए संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, या यह किसी ऐसे लेनदेन में संविदात्मक नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकारों को हस्तांतरित करता है जिसमें वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिम और पुरस्कार हस्तांतरित हो जाते हैं या जिसमें पृथक् स्वामित्व के सभी जोखिम और पुरस्कार को न तो हस्तांतरित करता है और न ही बरकरार रखता है और यह वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण नहीं रखता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, ऋण परिसंपत्तियों के मामले में

- (क) परियोजनाएँ जहाँ रियायत अनुबंध (CA) को परियोजना प्राधिकरण द्वारा समाप्त कर दिया गया है, खाते को उस वित्तीय वर्ष में मान्यता रद्द कर दी जाती है जिसमें अनुबंध समाप्त किया गया है।
- (ख) परियोजनाएँ जहाँ रियायत अनुबंध (CA) को रियायतकर्ता द्वारा समाप्त कर दिया गया है, मामले की योग्यता और तथ्यों के आधार पर हानि की जाती है।
- (ग) ऐसे मामलों में जहाँ परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों आदि से मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रस्ताव के आधार पर वित्तीय परिसंपत्ति का एक निश्चित मूल्य संलग्न किया जा सकता है, वहाँ कमी की सीमा तक हानि की जाती है।
- (घ) रणनीतिक ऋण पुनर्गठन योजना (एसडीआर), तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की सतत संरचना के लिए योजना (एस4ए), बाहरी रणनीतिक ऋण पुनर्गठन (एसडीआर) योजना के तहत मामलों के अलावा अन्य ऋण परिसंपत्ति, जो आरबीआई विनियमों के अनुसार लागू है और आरबीआई अधिसूचना संख्या आरबीआई/131 डीबीआर संख्या बीपी.बीसी.101/21.04.048/2017-18 दिनांक 12 फरवरी, 2018 या किसी अन्य पारस्परिक रूप से सहमत पुनर्गठन/निपटान प्रक्रिया के अनुसार वापस ली गई मानी जाती है, उस स्थिति में मान्यता रद्द कर दी जाएगी, जब ऋण परिसंपत्ति को 5 वर्ष से अधिक समय के लिए गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया हो या परियोजना के अनुसूचित वाणिज्यिक संचालन में 4 वर्ष से अधिक की देरी हुई हो, जब तक कि ऋण परिसंपत्ति की बिक्री/प्राप्ति के लिए कोई ठोस प्रस्ताव उपलब्ध न हो।

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता रद्द होने पर, परिसंपत्ति की वहन राशि (या मान्यता रद्द की गई परिसंपत्ति के हिस्से को आवंटित वहन राशि) और (प) प्राप्त प्रतिफल (प्राप्त की गई किसी भी नई परिसंपत्ति में से किसी भी नई देयता को घटाकर) तथा (iii) OCI में मान्यता प्राप्त किसी भी संचयी लाभ या हानि के योग के बीच के अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

FVOCI के रूप में नामित इक्विटी निवेश प्रतिभूतियों के संबंध में ऋ में मान्यता प्राप्त किसी भी संचयी लाभ/हानि को ऐसी प्रतिभूतियों की मान्यता रद्द होने पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता नहीं दी जाती है। हस्तांतरित वित्तीय परिसंपत्तियों में कोई भी हित जो मान्यता रद्द करने के लिए योग्य है और जिसे कंपनी द्वारा बनाया या बनाए रखा गया है, उसे एक अलग परिसंपत्ति या देयता के रूप में मान्यता दी जाती है।

वित्तीय देयताएँ

आईआईएफसीएल वित्तीय देयता को तब मान्यता रद्द कर देता है जब उसके संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन या रद्द कर दिया जाता है, या समाप्त हो जाता है। किसी वित्तीय दायित्व की अग्रणीत राशि, जो समाप्त हो गई है या किसी अन्य पक्ष को हस्तांतरित हो गई है, तथा भुगतान किए गए प्रतिफल के बीच के अंतर को, जिसमें हस्तांतरित गैर-नकद परिसंपत्तियाँ या ग्रहण की गई देयताएँ शामिल हैं, लाभ और हानि विवरण में अन्य आय या वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

किसी मौजूदा उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच काफी अलग शर्तों वाले ऋण साधनों के आदान-प्रदान को मूल वित्तीय दायित्व के उन्मूलन और एक नए वित्तीय दायित्व की मान्यता के रूप में माना जाएगा। इसी तरह, किसी मौजूदा वित्तीय दायित्व या उसके किसी भाग की शर्तों में पर्याप्त संशोधन (चाहे देनदार की वित्तीय कठिनाई के कारण हो या न हो) को मूल वित्तीय दायित्व के उन्मूलन और एक नए वित्तीय दायित्व की मान्यता के रूप में माना जाएगा।

5.4 संशोधन:

वित्तीय परिसंपत्तियाँ

यदि किसी वित्तीय परिसंपत्ति की शर्तों को संशोधित किया जाता है, तो कंपनी यह मूल्यांकन करती है कि संशोधित परिसंपत्ति के नकदी प्रवाह में पर्याप्त अंतर है या नहीं। यदि नकदी प्रवाह में पर्याप्त अंतर है, तो मूल वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त माने जाते हैं। इस मामले में, मूल वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त कर दी जाती है और उचित मूल्य पर एक नई वित्तीय परिसंपत्ति को मान्यता दी जाती है।

यदि परिशोधित लागत पर किए गए संशोधित परिसंपत्ति के नकदी प्रवाह में पर्याप्त अंतर नहीं है, तो संशोधन के परिणामस्वरूप वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त नहीं होती है। इस मामले में, कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि की पुनर्गणना करती है और सकल वहन राशि को समायोजित करने से उत्पन्न होने वाली राशि को लाभ और हानि के विवरण में संशोधन लाभ या हानि के रूप में पहचानती है। वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि की पुनर्गणना पुनर्निर्धारित या संशोधित संविदात्मक नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य के रूप में की जाएगी, जिसे वित्तीय परिसंपत्ति की मूल प्रभावी ब्याज दर (या खरीदी गई या उत्पन्न क्रेडिट-क्षतिग्रस्त वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए क्रेडिट-समायोजित प्रभावी ब्याज दर) या, जब लागू हो, संशोधित प्रभावी ब्याज दर पर छूट दी जाती है। यदि उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाइयों के कारण ऐसा संशोधन किया जाता है, तो लाभ या हानि को हानि हानि के साथ प्रस्तुत किया जाता है। अन्य मामलों में, इसे ब्याज आय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

5.5. उचित मूल्य माप

वित्तीय साधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बैलेंस शीट पर उचित मूल्य पर रखा जाता है।

'उचित मूल्य' वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त होगा या किसी देयता को हस्तांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा, जो माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच व्यवस्थित लेनदेन में प्रसिपल या, इसकी अनुपस्थिति में, सबसे लाभप्रद बाजार में होगा, जिस तक कंपनी की उस तिथि तक पहुंच है। देयता का उचित मूल्य उसके गैर-निष्पादन जोखिम को दर्शाता है।

जब कोई उपलब्ध होता है, तो कंपनी उस उपकरण के लिए सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य का उपयोग करके किसी उपकरण के उचित मूल्य को मापती है। एक बाजार को सक्रिय माना जाता है यदि परिसंपत्ति या देयता के लिए लेनदेन निरंतर आधार पर मूल्य निर्धारण जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त आवृत्ति और मात्रा के साथ होते हैं।

यदि किसी सक्रिय बाजार में कोई उद्धृत मूल्य नहीं है, तो आईआईएफसीएल मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करता है जो प्रासंगिक अवलोकनीय इनपुट के उपयोग को अधिकतम करता है और अवलोकनीय इनपुट के उपयोग को कम करता है। चुनी गई मूल्यांकन तकनीक में वे सभी कारक शामिल होते हैं जिन्हें बाजार सहभागी किसी लेनदेन का मूल्य निर्धारण करते समय ध्यान में रखते हैं।

प्रारंभिक मान्यता पर किसी वित्तीय उपकरण के उचित मूल्य का सबसे अच्छा सबूत आम तौर पर लेनदेन मूल्य होता है – यानी दिए गए या प्राप्त किए गए विचार का उचित मूल्य। यदि आईआईएफसीएल यह निर्धारित करता है कि प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य लेनदेन मूल्य से भिन्न है और उचित मूल्य न तो किसी समान परिसंपत्ति या देयता के लिए सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य द्वारा प्रमाणित है और न ही किसी मूल्यांकन तकनीक पर आधारित है जिसके लिए माप के संबंध में किसी भी अप्राप्य इनपुट को महत्वहीन माना जाता है, तो वित्तीय साधन को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य और लेनदेन मूल्य के बीच अंतर को स्थगित करने के लिए समायोजित करके शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है। इसके बाद, उस अंतर को उचित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। मांग विशेषता (जैसे मांग जमा) के साथ वित्तीय देयता का उचित मूल्य मांग पर देय राशि है। आईआईएफसीएल के पास उपलब्ध जानकारी की उपलब्धता के आधार पर, पदानुक्रम के क्रम में, नीचे दिए गए दृष्टिकोण के आधार पर अउद्धृत इक्विटी का उचित मूल्यांकन किया जाता है:

क) कंपनी के नवीनतम उपलब्ध वित्तीय विवरणों से निवेशित इकाई का ब्रेक-अप मूल्य।

ख) एक रुपये पर, यदि नवीनतम वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड और वैकल्पिक निवेश फंड की इकाइयों का मूल्यांकन नवीनतम उपलब्ध नेट एसेट वैल्यू के अनुसार किया जाता है। सिक्योरिटी रसीदों का मूल्यांकन नवीनतम उपलब्ध नेट एसेट वैल्यू या बुक वैल्यू, जो भी कम हो, के अनुसार किया जाता है।

5.6. उचित मूल्य माप के लिए मूल्यांकन तकनीक

यह दिखाने के लिए कि उचित मूल्य कैसे निकाले गए हैं, वित्तीय साधनों को मूल्यांकन तकनीकों के पदानुक्रम के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जैसा कि नीचे संक्षेप में बताया गया है:

- **स्तर 1 वित्तीय उपकरण** – वे उपकरण जिनमें मूल्यांकन में प्रयुक्त इनपुट सक्रिय बाजारों से समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए असमायोजित उद्धृत मूल्य होते हैं, जिन तक मापन तिथि पर कंपनी की पहुंच होती है।
कंपनी बाजारों को तभी सक्रिय मानती है जब समान परिसंपत्तियों या देनदारियों की मात्रा और तरलता के संबंध में पर्याप्त व्यापारिक गतिविधियाँ हों और जब बैलेंस शीट की तिथि पर बाध्यकारी और प्रयोग करने योग्य मूल्य उद्धरण उपलब्ध हों।
- **स्तर 2 वित्तीय साधन** – वे जहाँ मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट महत्वपूर्ण होते हैं, वे उपकरण के जीवन की पूरी अवधि में उपलब्ध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकनीय बाजार डेटा से प्राप्त होते हैं। ऐसे इनपुट में सक्रिय बाजारों में समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए उद्धृत मूल्य, निष्क्रिय बाजारों में समान उपकरणों के लिए उद्धृत मूल्य और उद्धृत मूल्यों के अलावा अन्य अवलोकनीय इनपुट जैसे ब्याज दरें और उपज वक्र, निहित अस्थिरता और क्रेडिट स्प्रेड शामिल हैं। इसके अलावा, परिसंपत्ति की स्थिति या स्थान या जिस सीमा तक यह उन वस्तुओं से संबंधित है जो मूल्यवान उपकरण से तुलनीय हैं, के लिए समायोजन की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि, यदि ऐसे समायोजन अप्राप्य इनपुट पर आधारित हैं जो संपूर्ण माप के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो आईआईएफसीएल उपकरणों को स्तर 3 के रूप में वर्गीकृत करेगा।
- **स्तर 3 वित्तीय उपकरण** – वे जिनमें एक या अधिक अप्राप्य इनपुट शामिल हैं जो संपूर्ण माप के लिए महत्वपूर्ण हैं।

5.7. वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

आईआईएफसीएल वित्तीय परिसंपत्तियों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) को मापने के लिए तीन-चरणीय दृष्टिकोण लागू करता है जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं मापा जाता है:

- ऋण उपकरण जिन्हें अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिशोधित लागत और उचित मूल्य पर मापा जाता है;
- ऋण प्रतिबद्धताएँ; और
- वित्तीय गारंटी अनुबंध।

इक्विटी निवेशों पर कोई ECL मान्यता प्राप्त नहीं है।

प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में परिवर्तन के आधार पर वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित तीन चरणों के माध्यम से वर्गीकृत किया जाता है:

चरण 1: 12-महीने की ईसीएल

सभी जोखिम जहाँ प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है और जो उत्पत्ति के बाद से ऋण क्षीण नहीं हैं, उन्हें इस चरण के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

चरण 2: आजीवन ईसीएल – ऋण क्षीण नहीं

सभी जोखिम जहाँ प्रारंभिक पहचान के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन ऋण क्षीण नहीं हैं, उन्हें इस चरण के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। 30 दिन बीत जाने पर ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि मानी जाती है।

चरण 3: आजीवन ईसीएल – ऋण क्षीण

ऋण क्षीण के रूप में मूल्यांकित सभी जोखिम जब एक या अधिक घटनाएँ होती हैं, जिनका उस परिसंपत्ति के अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, उन्हें इस चरण में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे जोखिम जो ऋण क्षीण हो गए हैं, उनके लिए आजीवन ईसीएल को मान्यता दी जाती है और सकल वहन राशि के बजाय परिशोधित लागत (प्रावधान के बाद शुद्ध) पर प्रभावी ब्याज दर लागू करके ब्याज राजस्व की गणना की जाती है।

ऋण परिसंपत्तियों पर अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) की गणना आरबीआई विनियमों के अनुसार प्रावधान आवश्यकताओं की न्यूनतम होगी, जो निम्नानुसार है:

- मानक परिसंपत्तियाँ: सामान्य प्रावधान ऋणों की बकाया राशि पर किया जाता है, जिसमें अर्जित ब्याज शामिल है, लेकिन वर्ष के अंत में देय नहीं है, 0.40% पर।
- अवमानक परिसंपत्तियाँ: कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत का सामान्य प्रावधान किया जाता है।
- संदिग्ध परिसंपत्तियाँ

(क) उस सीमा तक 100 प्रतिशत प्रावधान किया जाता है, जहाँ तक अग्रिम राशि उस प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य से आच्छादित नहीं होती, जिसके लिए कंपनी के पास वैध सहारा है।

(ख) उपर्युक्त मद (क) के अतिरिक्त, उस अवधि के आधार पर, जिसके लिए परिसंपत्ति संदिग्ध रही है, सुरक्षित भाग अर्थात् बकाया राशि के अनुमानित वसूली योग्य मूल्य के 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक का प्रावधान निम्नलिखित आधार पर किया जाता है:

अवधि जिसके लिए परिसंपत्ति को संदिग्ध माना गया है	प्रावधान का प्रतिशत
एक वर्ष तक	20
एक से तीन वर्ष	30
तीन वर्ष से अधिक	50

(iv) **हानि वाली परिसंपत्तियाँ**

संपूर्ण परिसंपत्ति को बड़े खाते में डाल दिया जाता है, तथापि यदि किसी कारणवश परिसंपत्तियों को बहीखातों में रहने दिया जाता है, तो बकाया राशि का 100 प्रतिशत प्रावधान किया जाता है।

(v) **पुनर्गठित ऋण परिसंपत्तियाँ**

निम्नलिखित मामलों में, पुनर्गठित मानक परिसंपत्तियों के विरुद्ध प्रावधान आरबीआई के मानदंडों के अनुसार होगा, जिसमें उचित मूल्य में कमी पर प्रावधान शामिल है:

(क) परियोजना ऋण पुनर्गठित दिनांक 01.04.2014 से प्रभावी 24 जनवरी, 2014 से 5% की दर का प्रावधान होगा।

(ख) 23 जनवरी, 2014 को सभी कंपनियों के पुनर्गठित बकाया ऋणों का स्टॉक (आरबीआई के अनुसार, बकाया पुनर्गठित ऋण के स्टॉक के मामले में प्रावधान 5% है

वित्तीय परिसंपत्ति के वर्गीकरण के लिए चरण का निर्धारण

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को रिपोर्टिंग तिथि और प्रारंभिक मान्यता की तिथि के बीच अपेक्षित जीवन पर होने वाले डिफॉल्ट के जोखिम की तुलना करके प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि के आधार पर तीन चरणों में वर्गीकृत किया जाता है। कंपनी इस उद्देश्य के लिए उचित और समर्थन योग्य जानकारी पर विचार करती है जो बिना किसी अनावश्यक लागत या प्रयास के प्रासंगिक और उपलब्ध है।

परिसंपत्ति की गुणवत्ता में गिरावट के साथ जोखिम चरण 1 से चरण 3 तक चला जाएगा। यदि, बाद की अवधि में, परिसंपत्ति की गुणवत्ता में सुधार होता है और ऋण जोखिम में पहले से आंकी गई किसी भी महत्वपूर्ण वृद्धि को उलट देता है। 30 दिनों से कम समय के लिए बकाया ऋण को चरण 1 माना जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान चूंकि चरण 1 12 महीने की अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) पर आधारित है। जबकि वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान जिन्हें चरण 2 और चरण 3 माना जाता है, की गणना आजीवन ईसीएल मॉडल के आधार पर की जाती है। जब कोई परिसंपत्ति वसूली योग्य नहीं होती है, तो उसे संबंधित प्रावधान के विरुद्ध मान्यता से हटा दिया जाता है। ऐसी परिसंपत्तियों को सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होने और हानि की राशि निर्धारित होने के बाद मान्यता से हटा दिया जाता है।

हालांकि, एक खंडनीय अनुमान है कि डिफॉल्ट तब नहीं होता है जब वित्तीय परिसंपत्ति 90 दिन से अधिक समय से बकाया हो, जब तक कि इकाई के पास यह प्रदर्शित करने के लिए उचित और समर्थन योग्य जानकारी न हो कि अधिक विलंबित डिफॉल्ट मानदंड अधिक उपयुक्त है। इन उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली डिफॉल्ट की परिभाषा सभी वित्तीय साधनों पर समान रूप से लागू होती है जब तक कि ऐसी जानकारी उपलब्ध न हो जाए जो प्रदर्शित करती है कि किसी विशेष वित्तीय साधन के लिए कोई अन्य डिफॉल्ट परिभाषा अधिक उपयुक्त है।

तदनुसार, यदि निम्न में से कोई भी घटना होती है, तो खाते को क्रेडिट क्षतिग्रस्त माना जाएगा और इसलिए उसे चरण 3 में ले जाया जाएगा:

- खाता 90 दिन से अधिक समय से बकाया है (डीपीडी);
- आईआईएफसीएल ऋण दायित्व के संकटपूर्ण पुनर्गठन के लिए सहमति देता है, जहां इसके परिणामस्वरूप मूलधन, ब्याज या (जहां प्रासंगिक) शुल्क की भौतिक माफी या स्थगन के कारण वित्तीय दायित्व में कमी आने की संभावना है।

बकाया दिनों (DPD) को उन दिनों की संख्या के आधार पर मापा जाता है, जब ब्याज और/या मूलधन का भुगतान नहीं किया जाता है, बिल अतिदेय रहता है, खाता लगातार सीमा/आवरण शक्ति से अधिक रहता है, या खाते में जमा राशि खाते में लगाए गए ब्याज से कम होती है।

कम ऋण जोखिम धारणा

इंड एस 101 – वित्तीय उपकरणों में कहा गया है कि वित्तीय उपकरण पर ऋण जोखिम को पैराग्राफ 5.5.10 के प्रयोजनों के लिए कम माना जाता है, यदि वित्तीय उपकरण में चूक का जोखिम कम है, उधारकर्ता के पास निकट अवधि में अपने संविदात्मक नकदी प्रवाह दायित्वों को पूरा करने की मजबूत क्षमता है और लंबी अवधि में आर्थिक और व्यावसायिक स्थितियों में प्रतिकूल परिवर्तन उधारकर्ता की अपने संविदात्मक नकदी प्रवाह दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को कम कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि कम करें। (पैरा बी5.5.22)* इसके अलावा, जबकि इसने कम क्रेडिट जोखिम वाले 'निवेश ग्रेड' की बाहरी रेटिंग का उदाहरण दिया है, यह

स्वीकार करता है कि कम क्रेडिट जोखिम वाले माने जाने के लिए वित्तीय साधनों को बाहरी रूप से रेटिंग दिए जाने की आवश्यकता नहीं है (पैरा बी5.5.23)।

तदनुसार, किसी साधन को निम्नलिखित स्थितियों में कम क्रेडिट जोखिम वाला माना जाता है:

- शून्य नियामक जोखिम भार द्वारा इंगित शून्य अप्रत्याशित हानि: यह देखते हुए कि नियामक जोखिम-भार के अनुसार अनुमानित अप्रत्याशित हानि 0% है, अपेक्षित हानि भी शून्य होगी। ऐसे मामलों में ईसीएल शून्य होगी। ऐसे परिसंपत्ति वर्गों के उदाहरण घरेलू संप्रभु, "एए" या बेहतर की अंतरराष्ट्रीय रेटिंग वाले विदेशी संप्रभु हैं।
- 20% नियामक जोखिम भार द्वारा इंगित कम अप्रत्याशित हानि: शून्य, या अनुभवजन्य साक्ष्य दिखा सकते हैं कि ऐसे परिसंपत्ति वर्ग / पोर्टफोलियो के लिए डिफॉल्ट दरें शून्य हैं। ऐसे परिसंपत्ति वर्गों के उदाहरण हैं "ए" की अंतरराष्ट्रीय रेटिंग वाली विदेशी संप्रभुताएँ, घरेलू अनुसूचित पब्लिक (पूँजी पर्याप्तता की विनियामक आवश्यकता को पूरा न करने वाली कंपनियाँ कम क्रेडिट जोखिम वाली नहीं हैं), बाहरी रूप से रेटेड घरेलू "।।।" कॉर्पोरेट, स्टाफ ऋण। इन पोर्टफोलियो के लिए देखी गई डिफॉल्ट दरें भी शून्य हैं।

कथनों के लिए, सभी स्टाफ ऋणों को कम क्रेडिट जोखिम माना गया है।

उपयोग किए गए पोर्टफोलियो में विभाजन का स्तर जोखिम

मापदंडों के अनुप्रयोग के उद्देश्य से विभाजन को आंतरिक रेटिंग आधारित (आईआरबी) मॉडल के साथ संरेखित किया गया है। हालाँकि, आगे की ओर देखने वाले अनुमानों के लिए, आईआईएफसीएल इनमें से कुछ उप-पोर्टफोलियो को व्यापक श्रेणियों में समूहित करना चुन सकता है या कुछ मामलों में उन्हें सामान्य जोखिम चालकों के आधार पर उप-खंडों में विभाजित कर सकता है।

ईसीएल का मापन

ईसीएल अपेक्षित हानि के निष्पक्ष और संभाव्यता-भारित अनुमानों से प्राप्त होते हैं, और इन्हें निम्न प्रकार से मापा जाता है:

- वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो रिपोर्टिंग तिथि पर ऋण-क्षतिग्रस्त नहीं हैं: वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवनकाल में सभी नकदी की कमी के वर्तमान मूल्य के रूप में प्रभावी ब्याज दर से छूट दी गई है। नकदी की कमी अनुबंध के अनुसार आईआईएफसीएल को देय नकदी प्रवाह और आईआईएफसीएल को प्राप्त होने वाली नकदी प्रवाह के बीच का अंतर है।
- वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो रिपोर्टिंग तिथि पर ऋण-क्षतिग्रस्त हैं: सकल वहन राशि और प्रभावी ब्याज दर से छूट दी गई अनुमानित भविष्य की नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य के बीच का अंतर।
- अहरणीय ऋण प्रतिबद्धताएँ: अनुबंधित नकदी प्रवाह के बीच अंतर के वर्तमान मूल्य के रूप में जो पब्लिक को देय हैं यदि प्रतिबद्धता कम हो जाती है और नकदी प्रवाह जो पब्लिक को प्राप्त होने की उम्मीद है।
- वित्तीय गारंटी अनुबंधधरु धारक को प्रतिपूर्ति करने के लिए अपेक्षित भुगतान के रूप में आईआईएफसीएल द्वारा वसूल की जाने वाली किसी भी राशि को घटा दिया जाता है।

ईसीएल को लाभ और हानि विवरण में खराब और संदिग्ध ऋण खाते के लिए प्रावधान का उपयोग करके मान्यता दी जाती है। अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए ऋण साधनों के मामले में, ईसीएल का माप तीन-चरणीय दृष्टिकोण पर आधारित है जैसा कि परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों पर लागू होता है। आईआईएफसीएल लाभ और हानि में प्रावधान शुल्क को मान्यता देता है, अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त इसी राशि के साथ, बैलेंस शीट में परिसंपत्ति की वहन राशि में कोई कमी नहीं होती है।

क्षति आरक्षित निधि:

आरबीआई परिपत्र RBI/2019-20/170 दिनांक 13 मार्च 2020 के अनुसार, आईआईएफसीएल भारतीय लेखा मानक द्वारा अपेक्षित हानि भत्ते रखेगा। समानांतर रूप से आईआईएफसीएल आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (IRACP) पर मौजूदा विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण और गणना प्रावधानों को बनाए रखेगा, जिसमें उधारकर्ता/लाभार्थी वार वर्गीकरण, मानक और पुनर्गठित परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान, NPA आयुवृद्धि आदि शामिल हैं।

जहां भारतीय लेखा मानक 109 के तहत हानि भत्ता IRACP (मानक परिसंपत्ति प्रावधान सहित) के तहत आवश्यक प्रावधान से कम है, वहां आईआईएफसीएल को कर के बाद अपने शुद्ध लाभ या हानि से अंतर को एक अलग "हानि रिजर्व" में विनियोजित करना आवश्यक है। "हानि रिजर्व" में शेष राशि को नियामक पूँजी के लिए नहीं गिना जाएगा। इसके अलावा, पर्यवेक्षण विभाग, RBI से पूर्व अनुमति के बिना इस रिजर्व से कोई निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5.8. त्वरित प्रावधान

आईआईएफसीएल, एक विवेकपूर्ण ऋणदाता के रूप में, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के तहत किए जाने वाले सामान्य प्रावधान/भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार परिकलित अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) के अतिरिक्त, परिसंपत्ति वर्गीकरण के आधार पर सुरक्षित/असुरक्षित भागों के लिए निर्धारित प्रतिशत लागू करने के संदर्भ में, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है, अपेक्षित वसूली परिदृश्य के आधार पर केस-टू-केस आधार पर त्वरित प्रावधान पर विचार करता है।

त्वरित प्रावधान ऐसे असाधारण मामलों में प्रस्तावित किया जाता है, जिसमें भले ही मौजूदा आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रावधान पर्याप्त हो, लेकिन प्रबंधन के दृष्टिकोण से, ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जो वसूली की संभावनाओं को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे मामलों में, प्रबंधन विवेकपूर्ण उपाय के रूप में त्वरित प्रावधान पर केस-टू-केस दृष्टिकोण अपनाता है।

त्वरित प्रावधान मोटे तौर पर निम्नलिखित मापदंडों पर निर्भर करता है:

- परियोजना की स्थिति।
- प्रवर्तक की निधियों को निवेश करने की क्षमता।
- ठोस सुरक्षा, नकदी प्रवाह और उपलब्ध रिधायतें।
- संग्रह द्वारा बसूली के लिए उठाए गए कदम।
- प्रबंधन की धारणा।

खाते में किए जाने वाले प्रावधान ऊपर वर्णित कारकों को ध्यान में रखते हुए 10% से 100% तक होते हैं।

6. लीजिंग

ऑपरेटिंग लीज के तहत लीज भुगतान को लीज अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

7. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को दिन-प्रतिदिन की सर्विसिंग की लागतों को छोड़कर, संचित मूल्यहास और मूल्य में संचित हानि को घटाकर अधिग्रहण की लागत पर बताया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को निपटान पर या जब इसके उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं होता है, तब मान्यता रद्द कर दी जाती है। परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करने पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि (शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में गणना की जाती है) को परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करने की तिथि पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

8. अमूर्त संपत्ति और विकास के तहत

अमूर्त संपत्ति अलग से अधिग्रहित अमूर्त संपत्तियों को लागत पर प्रारंभिक मान्यता पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत में से किसी भी संचित परिशोधन और संचित हानि हानि, यदि कोई हो, को घटाकर ले जाया जाता है।

पहले से पूंजीकृत अमूर्त परिसंपत्तियों पर बाद के व्यय को तब पूंजीकृत किया जाता है जब यह किसी मौजूदा परिसंपत्ति में सन्निहित भविष्य के आर्थिक लाभों को बढ़ाता है और भावी रूप से परिशोधित किया जाता है।

आंतरिक उपयोग के लिए अधिग्रहीत सॉफ्टवेयर (जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है) की लागत और जिसके परिणामस्वरूप भविष्य में महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ होता है, उसे अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है जब वह इसके उपयोग के लिए तैयार हो।

विकास पर व्यय को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाएगी यदि यह भारतीय लेखा मानक 38 "अमूर्त परिसंपत्ति" के अनुसार पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, अन्यथा इसे व्यय के रूप में मान्यता दी जाएगी।

अमूर्त परिसंपत्ति की एक वस्तु को निपटान पर या जब इसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं होता है, तब मान्यता रद्द कर दी जाती है। अमूर्त संपत्ति की मान्यता समाप्त होने से होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और संपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है और संपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

9. मूल्यहास/परिशोधन

मूल्यहास की गणना संपत्ति और उपकरणों की लागत को उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर उनके अवशिष्ट मूल्यों पर लिखने की विधि मूल्य पद्धति का उपयोग करके की जाती है। उपयोगी जीवन को कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार माना जाता है।

आईआईएफसीएल के कार्यालय परिसर को 30 वर्षों की लीज अवधि में परिशोधित किया गया है।

अमूर्त संपत्तियों की लागत को उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर उनके अवशिष्ट मूल्यों पर लिखने के लिए सीधी रेखा विधि का उपयोग करके परिशोधन की गणना की जाती है। लीज संपत्ति के मामले में, अनुमानित उपयोगी जीवन की गणना लीज अवधि की समाप्ति के आधार पर की जाती है।

अमूर्त संपत्तियों के उपयोगी जीवन को या तो सीमित या अनिश्चित माना जाता है। सीमित जीवन वाली अमूर्त संपत्तियों को उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधित किया जाता है। परिमित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त संपत्ति के लिए परिशोधन अवधि और परिशोधन विधि की समीक्षा कम से कम प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन में परिवर्तन, या संपत्ति में निहित भविष्य के आर्थिक लाभों के उपयोग के अपेक्षित पैटर्न को, उचित रूप से परिशोधन अवधि या कार्यप्रणाली में परिवर्तन करके हिसाब में लिया जाता है, जिसे तब लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन के रूप में माना जाता है। परिमित जीवन वाली अमूर्त संपत्तियों पर परिशोधन व्यय को आय विवरण में एक अलग लाइन आइटम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

अनुसूची III के अनुसार उपयोगी जीवन

संपत्ति विवरण	अनुमानित उपयोगी जीवन	अवशिष्ट मूल्य मूल लागत के प्रतिशत के रूप में
भवन	30 वर्ष	—
कंप्यूटर और डेटा प्रोसेसिंग इकाइयाँ		
— लैपटॉप/कंप्यूटर	3 वर्ष	5%
— सर्वर	6 वर्ष	5%
कार्यालय उपकरण	5 वर्ष	5%
फर्नीचर और फिक्सचर	10 वर्ष	5%
वाहन	8 वर्ष	5%
अमूर्त संपत्ति	5 वर्ष	5%

10 गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

आईआईएफसीएल प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह पता लगाने के लिए मूल्यांकन करता है कि कोई गैर-वित्तीय परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। मूल्यांकन के अनुसार निर्धारित की गई क्षति को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

11 लेटर ऑफ कम्फर्ट (LOC)

व्यापार के सामान्य क्रम में, आईआईएफसीएल बैंकों को लेटर ऑफ कम्फर्ट (LoC) जारी करता है, जो आम तौर पर लाभार्थियों के पक्ष में ऋणदाताओं की ओर से लेटर ऑफ क्रेडिट/वित्तीय गारंटी जारी करने के लिए कंसोर्टियम के सदस्यों को जारी किया जाता है। LoC को शुरू में वित्तीय विवरणों में "अन्य देनदारियों" के भीतर उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, जो प्राप्त प्रीमियम होता है।

प्रारंभिक मान्यता के बाद, प्रत्येक गारंटी के तहत आईआईएफसीएल की देयता को शुरू में मान्यता प्राप्त राशि से आय विवरण में मान्यता प्राप्त संचयी परिशोधन को घटाकर और गारंटी के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले किसी भी वित्तीय दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक व्यय के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर मापा जाता है। वित्तीय गारंटी से संबंधित देयता में कोई भी वृद्धि आय विवरण में क्रेडिट हानि व्यय में दर्ज की जाती है। प्राप्त प्रीमियम को गारंटी के जीवनकाल में सीधी रेखा के आधार पर शुद्ध शुल्क और कमीशन आय में आय विवरण में मान्यता दी जाती है।

12 प्रावधान और आकस्मिकताएँ

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब आईआईएफसीएल के पास पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, और यह संभावना है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। जब धन के समय मूल्य का प्रभाव मौलिक होता है, तो IIFCL देयता के लिए विशिष्ट वर्तमान दरों को दर्शाते हुए कर-पूर्व दर पर अपेक्षित नकदी प्रवाह को छूट देकर प्रावधान के स्तर को निर्धारित करता है। किसी भी प्रावधान से संबंधित व्यय को अन्य परिचालन व्यय में किसी भी प्रतिपूर्ति के शुद्ध लाभ और हानि के विवरण में प्रस्तुत किया जाता है।

एक आकस्मिक देयता को तब मान्यता दी जाती है और उसका खुलासा किया जाता है जब:

क) किसी पिछली घटना से उत्पन्न संभावित दायित्व, जिसके अस्तित्व की पुष्टि समूह के नियंत्रण में न होने वाली एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होगी; या

ख) अतीत की घटना से उत्पन्न वर्तमान दायित्व जिसे मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि यह संभावना नहीं है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी या दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व होता है जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना दूर होती है, तो कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है। हालाँकि, आकस्मिक परिसंपत्तियों का लगातार मूल्यांकन किया जाता है और यदि यह लगभग निश्चित है कि आर्थिक लाभ का प्रवाह उत्पन्न होगा, तो परिसंपत्ति और संबंधित आय को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें परिवर्तन होता है।

प्रतिबद्धताओं में ग्राहक को उधार देने के लिए समझौतों के अनुसार ऋण देने की बाध्यकारी प्रतिबद्धताएँ शामिल हैं, जब तक कि अनुबंध में स्थापित किसी भी शर्त का उल्लंघन न हो।

13 आय पर कर

13.1 वर्तमान कर

वर्तमान और पिछले वर्षों के लिए वर्तमान कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को कराधान अधिकारियों से वसूल किए जाने या उन्हें भुगतान किए जाने की अपेक्षित राशि पर मापा जाता है। राशि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कर दरें और कर कानून वे हैं जो भारत में रिपोर्टिंग तिथि तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किए गए हैं, जहां आईआईएफसीएल संचालित होता है और कर योग्य आय उत्पन्न करता है।

सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित वर्तमान आयकर इक्विटी में मान्यता प्राप्त है, न कि लाभ या हानि के विवरण में। प्रबंधन समय-समय पर उन स्थितियों के संबंध में कर रिटर्न में ली गई स्थितियों का मूल्यांकन करता है जिनमें लागू कर विनियम व्याख्या के अधीन हैं और जहां उपयुक्त हो वहां प्रावधान स्थापित करता है।

13.2 आस्थगित कर

आस्थगित कर कंपनी के वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि और कर योग्य लाभ की गणना में उपयोग किए जाने वाले संबंधित कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर पर मान्यता प्राप्त है और बैलेंस शीट देयता पद्धति का उपयोग करके इसका लेखा-जोखा किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को आम तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर घाटे और अप्रयुक्त कर क्रेडिट के लिए मान्यता प्राप्त है, इस सीमा तक कि यह संभावित है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे, जिसके विरुद्ध उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर घाटे और अप्रयुक्त कर क्रेडिट का उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर समीक्षा की जाती है तथा उसे इस सीमा तक कम कर दिया जाता है कि यह सम्भावना न रहे कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके विरुद्ध अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सके।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को उन कर दरों पर मापा जाता है जो उस अवधि में लागू होने की उम्मीद है जिसमें देयता का निपटान किया जाता है या परिसंपत्ति का एहसास होता है, कर दरों (और कर कानूनों) के आधार पर जो बैलेंस शीट तिथि तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किए गए हैं।

14 प्रति शेयर आय

एक अपने साधारण शेयरों के लिए मूल और पतला EPS डेटा प्रस्तुत करता है। मूल EPS की गणना आईआईएफसीएल के इक्विटी शेयरधारकों को होने वाले लाभ या हानि को अवधि के दौरान बकाया साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। पतला EPS इक्विटी शेयरधारकों को होने वाले लाभ या हानि को समायोजित करके और सभी पतला संभावित साधारण शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित बकाया साधारण शेयरों की भारित-औसत संख्या को समायोजित करके निर्धारित किया जाता है, जिसमें कर्मचारियों को दिए गए शेयर विकल्प शामिल होते हैं।

15 कर्मचारी लाभ

- 15.1 सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभों को उस लेखा अवधि में उनकी बिना छूट वाली राशि पर मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।
- 15.2 कर्मचारियों के पारिश्रमिक से काटे गए भविष्य निधि के अंशदान और उस पर नियोजित के अंशदान को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (आरपीएफओ) के पास जमा किया जाता है।
- 15.3 एनपीएस वाली परिभाषित अंशदान योजनाओं के तहत कर्मचारी लाभ को कंपनी द्वारा योजना में अंशदान करने के लिए छूट रहित दायित्व पर मान्यता दी जाती है। इसका भुगतान आईडीबीआई बैंक को किया जाता है, जो एनपीएस सुविधा के लिए प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) सेवा प्रदाता है और अवधि के अनुसार व्यय किया जाता है।
- 15.4 सभी रोजगार के बाद और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों को उस वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें कर्मचारी ने सेवाएं दी हैं। व्यय को देय राशि के वर्तमान मूल्य पर मान्यता दी जाती है, जिसे एक्चुरियल मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।
- 15.5 समाप्ति लाभों को तत्काल व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।
- 15.6 एक्चुरियल मूल्यांकन से उत्पन्न लाभ या हानि को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जब वे अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में होते हैं।
- 15.7 कर्मचारी लाभ दायित्व अर्थात् बीमारी की छुट्टी, छुट्टी यात्रा रियायत और चिकित्सा सहायता योजना, उसी के एक्चुरियल मूल्यांकन पर रिपोर्टिंग की तारीख तक की अवधि के लिए प्रदान की गई है।
- 15.8 आईआईएफसीएल कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी फंड के नाम पर ट्रस्ट के माध्यम से समूह ग्रेच्युटी योजना पर एलआईसी को देय राशि के आधार पर ग्रेच्युटी प्रदान की गई है।
- 15.9 एलआईसी समूह छुट्टी नकदीकरण योजना को देय राशि के आधार पर छुट्टी नकदीकरण प्रदान किया गया है।
- 15.10 कार्यकारी निदेशकों की छुट्टी नकदीकरण, ग्रेच्युटी और बीमारी की छुट्टी के लिए प्रावधान, जहां भी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार लागू होता है, देयता की अनुमानित राशि के आधार पर अर्जित और बनाया जाता है।

16 महत्वपूर्ण लेखांकन धारणाएं और अनुमान

आईआईएफसीएल की लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग के लिए निर्णयों, अनुमानों और मान्यताओं के उपयोग की आवश्यकता होती है। यदि अलग-अलग धारणाएं या अनुमान लागू किए गए, तो परिणामी मूल्य बदल जाएंगे, जिससे आईआईएफसीएल की शुद्ध संपत्ति और आय प्रभावित होगी। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की गई धारणाएं उस तिथि पर सर्वोत्तम अनुमानों पर आधारित होती हैं। यद्यपि आईआईएफसीएल के पास यह सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ हैं कि अनुमानों को विश्वसनीय रूप से मापा जाए, वास्तविक राशियाँ उन अनुमानों से भिन्न हो सकती हैं। अनुमानों और अंतर्निहित धारणाओं की निरंतर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन उस अवधि में पहचाने जाते हैं जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं और किसी भी भविष्य की अवधि में प्रभावित होते हैं। लेखांकन नीतियाँ जो निर्णय, अनुमानों और धारणाओं के उपयोग के लिए सबसे अधिक संवेदनशील हैं, नीचे निर्दिष्ट की गई हैं।

• उचित मूल्य मापन

वित्तीय साधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उचित मूल्य पर बैलेंस शीट पर रखा जाता है। उचित मूल्य वह मूल्य है जो माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त होगा या देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। जहाँ किसी वित्तीय परिसंपत्ति या देयता के वर्गीकरण के परिणामस्वरूप इसे उचित मूल्य पर मापा जाता है, जहाँ भी संभव हो, उचित मूल्य को सबसे अधिक लाभप्रद सक्रिय बाजार में उद्धृत बोली या प्रस्ताव मूल्य के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है, जिस तक आईआईएफसीएल की तत्काल पहुंच है। उचित मूल्य में क्रेडिट जोखिम के लिए समायोजन भी शामिल किया जाता है। एक सक्रिय बाजार में उद्धृत एक वित्तीय देयता के लिए एक शुद्ध खुली स्थिति के लिए उचित मूल्य वर्तमान प्रस्ताव मूल्य है, और एक वित्तीय परिसंपत्ति के लिए बोली मूल्य, आयोजित या जारी किए गए उपकरण की इकाइयों की संख्या से गुणा किया जाता है। जहाँ किसी विशेष परिसंपत्ति या देयता के लिए कोई सक्रिय बाजार मौजूद नहीं है, आईआईएफसीएल हाल ही में आर्म्स लेंथ लेनदेन में प्राप्त लेनदेन की कीमतों, छूट वाले नकदी प्रवाह विश्लेषण, विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल और रिपोर्टिंग तिथि पर मौजूद बाजार की स्थितियों और जोखिमों के आधार पर अन्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके उचित मूल्य पर पहुंचने के लिए एक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करता है। ऐसा करने में, उचित मूल्य का अनुमान एक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके लगाया जाता है जो अधिकतम उपयोग करता है। अवलोकनीय बाजार इनपुट और इकाई-विशिष्ट इनपुट पर न्यूनतम निर्भरता रखता है। प्रारंभिक मान्यता पर किसी वित्तीय साधन के उचित मूल्य का सबसे अच्छा सबूत लेनदेन मूल्य (यानी दिए गए या प्राप्त किए गए विचार का उचित मूल्य) है जब तक कि उस साधन का उचित मूल्य उसी साधन में अन्य अवलोकनीय वर्तमान बाजार लेनदेन के साथ तुलना करके (यानी बिना संशोधन या पुनः पैकेजिंग के) या मूल्यांकन तकनीक के आधार पर प्रमाणित न हो, जिसके चर में केवल अवलोकनीय बाजारों से डेटा शामिल हो। जब ऐसा सबूत मौजूद होता है, तो प्ब्ल प्रारंभिक मान्यता (यानी पहले दिन) पर लाभ या हानि में लेनदेन मूल्य और उचित मूल्य के बीच अंतर को पहचानता है।

• ऋण और अग्रिमों पर हानि प्रभार

ऋण और अग्रिमों के लिए हानि का निर्धारण करते समय भविष्य के नकदी प्रवाह की राशि और समय के अनुमान में प्रबंधन द्वारा निर्णय की आवश्यकता होती है। इन नकदी प्रवाहों का अनुमान लगाने में, प्ब्ल उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति और संपार्श्विक के शुद्ध वसूली योग्य मूल्य के बारे में निर्णय लेता है। ये अनुमान कई कारकों के बारे में मान्यताओं पर आधारित हैं और वास्तविक परिणाम भिन्न हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप हानि भत्ते में भविष्य में परिवर्तन हो सकते हैं। हानि का सामूहिक मूल्यांकन ऋण पोर्टफोलियो (जैसे क्रेडिट गुणवत्ता, बकाया का स्तर, क्रेडिट उपयोग, ऋण से संपार्श्विक अनुपात आदि) और जोखिम और आर्थिक डेटा (बेरोजगारी के स्तर, अचल संपत्ति मूल्य सूचकांक, देश जोखिम और विभिन्न व्यक्तिगत समूहों के प्रदर्शन सहित) के डेटा को ध्यान में रखता है।

• ऋण हानि के अलावा अन्य प्रावधान

प्रावधान भविष्य के दायित्वों जैसे कि कर्मचारी अधिकार, पुनर्गठन लागत और मुकदमेबाजी प्रावधानों के संबंध में रखे जाते हैं। कुछ प्रावधानों में विभिन्न घटनाओं के संभावित परिणाम और अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। इन प्रावधानों के मापन में लेनदेन के अंतिम परिणामों के बारे में प्रबंधन निर्णयों का प्रयोग शामिल है। एक वर्ष से अधिक समय के बाद होने वाले भुगतानों को एक ऐसी दर पर छूट दी जाती है जो वर्तमान ब्याज दरों और उस प्रावधान के लिए विशिष्ट जोखिमों दोनों को दर्शाती है।

• ऋण और अग्रिम

ऋण और अग्रिम को शुरु में उचित मूल्य में वृद्धिशील प्रत्यक्ष लेनदेन लागतों को घटाकर मापा जाता है, और बाद में प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके उनकी परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

17 उधार और ऋण प्रतिभूतियाँ

जारी किए गए उधार और ऋण प्रतिभूतियों को शुरू में उचित मूल्य में वृद्धिशील प्रत्यक्ष लेनदेन लागतों को घटाकर मापा जाता है, और बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके उनकी परिशोधित लागत पर मापा जाता है, सिवाय इसके कि समूह FVTPL पर देयताओं को निर्दिष्ट करता है।

18 उधार लागत

विदेशी मुद्रा उधारों पर विनिमय अंतर लाभ और हानि के विवरण में चार्ज किए जाते हैं। स्थानीय मुद्रा उधारों पर ब्याज और विदेशी मुद्रा उधारों पर ब्याज के बीच के अंतर से अधिक नहीं होने वाले विनिमय अंतर की राशि को उधार लागत के रूप में माना जाता है और इसे भारतीय लेखा मानक 23 – उधार लागतों के तहत और शेष विनिमय अंतर, यदि कोई हो, को भारतीय लेखा मानक 21 – विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभावों के तहत हिसाब में लिया जाता है।

इस उद्देश्य के लिए, स्थानीय मुद्रा उधारों के लिए ब्याज दर को कंपनी द्वारा लिए गए बैंक ओवरड्राफ्ट की दर के रूप में माना जाता है।

19 सहायक कंपनी में निवेश

सहायक कंपनी द्वारा नियंत्रित एक इकाई है। नियंत्रण तब होता है जब कंपनी के पास इकाई पर अधिकार होता है, वह उजागर होती है, या इकाई के साथ अपनी भागीदारी से परिवर्तनीय रिटर्न के अधिकार रखती है और इकाई पर अपनी शक्ति का उपयोग करके उन रिटर्न को प्रभावित करने की क्षमता रखती है।

शक्ति मौजूदा अधिकारों के माध्यम से प्रदर्शित होती है जो प्रासंगिक गतिविधियों को निर्देशित करने की क्षमता देती है, जो इकाई के रिटर्न को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है।

सहायक कंपनियों में निवेश लागत पर किया जाता है। लागत में निवेश प्राप्त करने के लिए भुगतान की गई कीमत और सीधे तौर पर जिम्मेदार लागत शामिल होती है।

इंड एस में संक्रमण की तिथि पर, कंपनी ने पिछले GAAP के अनुसार सहायक कंपनियों में निवेश के वहन मूल्य को इंड एस 101 के अनुसार मानी गई लागत माना है।

20 विदेशी मुद्रा लेनदेन

20.1 विदेशी मुद्रा में व्यय और आय का लेखा-जोखा लेनदेन की तिथि पर बैंकों की प्रचलित विनिमय दरों पर किया जाता है।

20.2 निम्नलिखित शेष राशियों को खातों के बंद होने की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों (आरबीआई संदर्भ दरों) पर भारतीय मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है:

(क) विदेशी मुद्रा ऋण और विदेशी मुद्रा उधार पर क्रमशः अर्जित लेकिन देय नहीं आय या व्यय।

(ख) विदेशी मुद्रा में जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट के संबंध में आकस्मिक देयता।

20.3 विदेशी मुद्रा ऋण देयता को रिपोर्टिंग की तिथि पर प्रचलित आरबीआई संदर्भ दर पर भारतीय मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। विनिमय अंतर को लेखांकन मानक 11, विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव के अनुसार लाभ और हानि के विवरण में चार्ज किया जाता है।

20.4 विदेशी मुद्रा ऋण परिसंपत्तियों, देनदारियों और अर्जित/अर्जित लेकिन देय नहीं आय और व्यय पर वास्तविक/अनुवाद लाभ/हानि (शुद्ध) को लाभ और हानि के विवरण में जमा/चार्ज किया जाता है।

21 व्युत्पन्न लेखांकन

21.1 जहाँ कहीं भी कंपनी ने अग्रिम अनुबंध या किसी उपकरण में प्रवेश किया है, अर्थात् अग्रिम विनिमय अनुबंध के सार में, अग्रिम विनिमय अनुबंध की तिथि पर अग्रिम दर और विनिमय दर के बीच का अंतर भारतीय लेखांकन मानक-21 के अनुसार अनुबंध के जीवनकाल में आय या व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

21.2 विदेशी मुद्रा ऋणों पर ली गई हेजिंग को विदेशी मुद्रा में दिए गए ऋणों (अर्थात् प्राकृतिक हेज) के समायोजन के बाद FIFO आधार पर समायोजित किया जाता है।

21.3 ब्याज दर स्वैप सहित अग्रिम विनिमय अनुबंधों के रद्दीकरण या नवीनीकरण पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि को वर्ष के लिए आय या व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

21.4 कंपनी द्वारा जेपीवाई येन में दर्ज ब्याज दर स्वैप लेनदेन के संबंध में, कंपनी बैलेंस शीट तिथि पर मार्क टू मार्केट लॉस प्रदान कर रही है।

- 21.5 अग्रिम अनुबंध की शुरुआत में हाजिर विनिमय दर में अंतर के कारण अधिशेष या घाटा तथा हेजिंग अनुबंध के अनुसार क्रमशः प्रतिपक्ष से वसूले गए या भुगतान किए गए अंतर्निहित विदेशी मुद्रा ऋण दायित्व के पुनर्भुगतान को ऐसे ऋण के पुनर्भुगतान के समय लाभ या हानि के रूप में मान्यता दी जाती है।
- 21.6 विदेशी मुद्रा ऋण (जो एक अंतर्निहित लेनदेन है) और स्वैप अनुबंध (उपयुक्त ऋणों पर उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान के विरुद्ध बचाव के लिए) को अलग-अलग लेनदेन माना जाता है।
- 21.7 विदेशी मुद्रा उधारों को भारतीय लेखा मानक 21, विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभावों के अनुसार पुनर्कथन किया जाता है।

आईसीएआई द्वारा जून 2015 में जारी "डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए लेखांकन" पर जारी मार्गदर्शन नोट 1 अप्रैल 2016 से लागू है और कंपनी द्वारा 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष से इसे लागू किया गया है। रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार विदेशी मुद्रा उधार की राशि पर विनिमय दर में कोई भी परिवर्तन पिछली रिपोर्टिंग तिथि से और अवधि के दौरान ड्रॉडाउन उधार की तिथि से, डेरिवेटिव अनुबंधों के उचित मूल्य के विरुद्ध सेट किया जाता है और किसी भी लाभ या हानि को कैश फ्लो हेज रिजर्व के रूप में मान्यता दी जाती है। डेरिवेटिव अनुबंध का उचित मूल्य संबंधित काउंटर पार्टियों द्वारा प्रदान किया जाता है।

मार्गदर्शन नोट के अनुसार, कैश फ्लो हेज के तहत, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को उचित मूल्य पर मापा जाता है, लेकिन कोई भी लाभ या हानि जिसे प्रभावी हेज के रूप में निर्धारित किया जाता है, उसे इक्विटी में मान्यता दी जाती है, जैसे कि कैश फ्लो हेज रिजर्व। इसका उद्देश्य उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में अस्थिरता से बचना है जब हेज किए गए आइटमों पर लाभ या हानि का एहसास नहीं होता है।

22 राजस्व अनुदानों के लिए लेखांकन

- 22.1 अनुदानों को लाभ और हानि विवरण में व्यवस्थित आधार पर शून्य आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जो उन्हें संबंधित लागतों से मिलान करने के लिए आवश्यक अवधियों पर होती है, जिसकी भरपाई करने का इरादा है, बशर्ते कि मंजूरी के साथ संलग्न शर्तों के अनुपालन और अनुदान की राशि की प्राप्ति का उचित आश्वासन हो।
- 22.2 पिछली अवधियों में पहले से किए गए व्यय के संबंध में प्राप्त अनुदानों को अनुदान की स्वीकृति के वर्ष में लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।
- 22.3 वर्ष के अंत में अनुदान की अव्ययित राशि, यदि कोई हो, चालू देयताओं के अंतर्गत दिखाई जाती है।

23 नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके रिपोर्ट किया जाता है, जिसके तहत कर से पहले लाभ को गैर-नकद प्रकृति के लेनदेन और पिछले या भविष्य के नकद प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी आस्थगन या उपार्जन के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी की परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह को अलग किया जाता है।

सेवा,

प्रबन्ध निदेशक,
इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड,
5वां तल, ब्लॉक-2, फ्लैट ए एवं बी, एनबीसीसी टॉवर,
ईस्ट किडवर्ई नगर, नई दिल्ली-110023

विषय : कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के साथ धारा 120 (4) के अधीन 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के समेकित वार्षिक वित्तीय लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के साथ धारा 129 (4) के अधीन 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के समेकित वार्षिक वित्तीय लेखों पर उपरोक्त विषय संबंधित पत्र अग्रेषित है।

भवदीया

हस्ता / -

(एस. आह्लादिनी पंडा)

महानिदेशक लेखा परीक्षा

(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)

नई दिल्ली

संलग्नक : यथोपरि

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के साथ धारा 129(4) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) सहपठित धारा 129(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129(4) सहपठित धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। ऐसा उनके द्वारा 13 मई 2024 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 129(4) सहपठित धारा 143(6) (ए) के अंतर्गत 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। हमने उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (कंपनी), आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी और आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (सहायक कंपनियाँ) के वित्तीय विवरणों का एक पूरक ऑडिट किया। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 139 (5) और 143 (6) (ए) इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड (सहायक कंपनी) पर लागू नहीं होती है, जो अपने वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और पूरक ऑडिट के संचालन के लिए संबंधित कानूनों के तहत विदेशी देश में निगमित इकाई है। तदनुसार, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने न तो वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की है और न ही इस कंपनी का पूरक ऑडिट किया है। यह पूरक ऑडिट वैधानिक लेखा परीक्षक के कार्य पत्रों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षक और कंपनी के कर्मियों की पृष्ठछा और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

अपने पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6) (बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं।

A. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ

A.1 सामग्री लेखांकन नीतियाँ और 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के लिए अन्य नोट्स (नोट 1)

कंपनी की सामग्री लेखांकन नीति में इस तथ्य को स्पष्ट रूप से बताने की आवश्यकता है कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) की आवश्यकताओं के अनुपालन के अलावा, वित्तीय विवरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए अन्य लागू नियामक मानदंडों/दिशानिर्देशों के अनुपालन में भी तैयार किए गए हैं।

सामग्री लेखांकन नीतियों के संबंध में प्रकटीकरण उस सीमा तक अपर्याप्त है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा कृते

हस्ता/-

(एस. अहलादिनी पांडा)

महानिदेशक लेखा परीक्षा

(उद्योग एवं कॉर्पोरेट मामले)

नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 13 सितंबर 2024



इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम)

सीआईएन: U67190DL2006G01144520

पंजीकृत कार्यालय: 5वीं मंजिल, ब्लॉक-2, प्लेट ए और बी,
एनबीसीसी टॉवर, ईस्ट किडवई नगर, नई दिल्ली-110023

फोन: +91-11-24662777; फैक्स: +91-11-20815125

सीआईएन: U67190DL2006G01144520

ईमेल: info@iifcl.in; वेबसाइट: www.iifcl.in

उपस्थिति पर्ची

उपस्थित सदस्य का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
फोलियो	
धारित शेयरों की संख्या	
प्रॉक्सी का नाम (स्पष्ट अक्षरों में, यदि प्रॉक्सी उपस्थित हो सदस्यों के बजाय)	

मैं, शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 को सुबह 11.30 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 में आयोजित कंपनी की 19वीं वार्षिक आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हूँ।

सदस्य/प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

नोट:

- उपस्थिति पर्ची पर कंपनी के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। ऐसी विधिवत भरी हुई और हस्ताक्षरित उपस्थिति पर्ची(ओं) को आयोजन स्थल पर कंपनी सचिव को सौंप दिया जाना चाहिए।
- सदस्यों से अनुरोध है कि वे पहचान/सत्यापन के लिए फोटो-1डी कार्ड साथ लेकर आएँ।
- केवल व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत प्रॉक्सी के माध्यम से उपस्थित शेयरधारकों को ही शामिल किया जाएगा।
- वार्षिक आम बैठक में कोई उपहार वितरित नहीं किया जाएगा।



फॉर्म संख्या एमजीटी 11

प्रॉक्सी फॉर्म

[कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन)
नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसार]

CIN: U67190DL2006GOI144520

कंपनी का नाम: इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 5वीं मंजिल, ब्लॉक-2, प्लेट ए और बी, एनबीसीसी टॉवर, ईस्ट किडवई नगर, नई दिल्ली-110023

सदस्यों का नाम:	
पंजीकृत पता:	
ईमेल आईडी:	
फोलियो नंबर/क्लाइंट आईडी:	
डीपी आईडी:	

मैं/हम उपरोक्त कंपनी _____ शेयरों के सदस्य होने के नाते एतद्वारा नियुक्त करते हूँ

- नाम : _____
पता : _____
ईमेल आईडी : _____
हस्ताक्षर : _____, या उसके न होने पर
- नाम : _____
पता : _____
ईमेल आईडी : _____
हस्ताक्षर : _____, या उसके न होने पर
- नाम : _____
पता : _____
ईमेल आईडी : _____
हस्ताक्षर : _____

शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 को प्रातः 11.30 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 में आयोजित होने वाली कंपनी की 19वीं वार्षिक आम बैठक में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से उपस्थित होने और मतदान (मतदान) करने के लिए मेरे/हमारे प्रतिनिधि के रूप में और नीचे दर्शाए गए प्रस्तावों के संबंध में किसी भी स्थगन पर:

संकल्प संख्या,

- _____
- _____
- _____

इस _____ दिन _____ 2024 को हस्ताक्षरित

शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी धारक(ओं) के हस्ताक्षर

नोट: प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी का यह फॉर्म विधिवत रूप से भरा जाना चाहिए और बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।

₹1 का राजस्व
स्टाम्प लगाएं

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.





INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY LIMITED

(A Government of India Enterprise)

CIN : U67190DL2006GO1144520

Plate A & B, 5th Floor, Office Block 2, NBCC Towers,
East Kidwai Nagar, New Delhi-110 023

Tel.: +91-11-24662777, Fax: +91-11-20815125, 20815117

Website: www.iifcl.in